भारतीय
आयकर-विधान एवं लेखे

(आयकर अधिनियम १९६१ पर आधारित)

(वित्त अधिनियम १९७५ के सभी आयोजन व संशोधनों के साथ)

लेखक

भगवती प्रसाद पी-एच० डी०

रीडर

वाणिज्य-शास्त्र विभाग

कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़-३

बी० कॉम० संस्करण

नवाँ पूर्णतया परिमार्जित व संशोधित संस्करण

अगस्त १९७५



नवमान प्रकाशन, अलीगढ़

By the same author and publisher

1.	Law & Practice of Income-tax in India	Rs. 32
2.	An Out-Line of Income-tax	Rs. 18
3.	Law and Practice of Gift-tax	Rs. 12
4.	भारतीय आयकर विधान एवं लेखे (एम० कॉम)	रु० 30

प्रकाशक :

नवमान प्रकाशन

मदारगेट, अलीगढ़



मूल्य २० रुपया

प्रथम संस्करण, जुलाई १९६७

नवाँ संस्करण, जुलाई १९७५



मुद्रक :

कृष्ण कुमार

ओरियन्टल प्रिंटिंग प्रेस,

अलीगढ़

नवें संस्करण पर दो शब्द

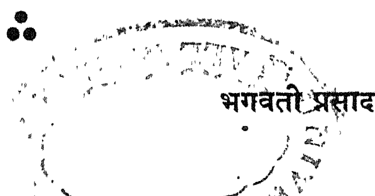
आयकर विधान एवं लेखे का नवाँ संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। सदैव की भाँति इस संस्करण को पूर्णरूप से अद्यतन बनाया गया है। वित्त अधिनियम 1975 एवं वित्त (संशोधन) अधिनियम 1975 की धाराओं का इस संस्करण के परिमार्जन के समय पूर्ण ध्यान रखा गया है। लेखक को पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक की उपादेयता में वृद्धि हुई है। ●

आयकर विषयक सामग्री चूँकि निरन्तर संशोधित होती रहती है, अतः इस बार हमने पाठकों के लिए निःशुल्क 'अद्यतन सेवा' देने का प्रबन्ध किया है। ऐसे सभी संशोधन जो १९७५–७६ से लागू होंगे व जो सरकार द्वारा ११ अगस्त १९७५ के बाद में प्रकाशित किये जायेंगे, पाठकों की सेवा में प्रकाशक द्वारा डाक से भेजे जायेंगे। यह सभी व्यय प्रकाशक वहन कर रहे हैं। आशा है हमारी इस सेवा से पाठक अपने आयकर विषयक ज्ञान को पूर्ण रूप से अद्यतन रख सकेंगे। ●

इस संस्करण में पाठकों की माँग पर प्रश्न हिन्दी में दिये जा रहे हैं व हल अंग्रेजी में। कहीं कहीं प्रश्न एवं हल दोनों ही हिन्दी में दिये गये हैं। ●

पुस्तक को यथा समय निकालने के लिये 'नवमान प्रकाशन' के कर्मचारी बधाई एवं धन्यवाद के पात्र हैं। मै इस सम्बन्ध में विशेष रूप से श्री हेमचन्द्र, का आभारी हूँ। इस के लिए श्री विनोद बाबू ने भी अथक परिश्रम किया है। ये भी बधाई के पात्र हैं। ●

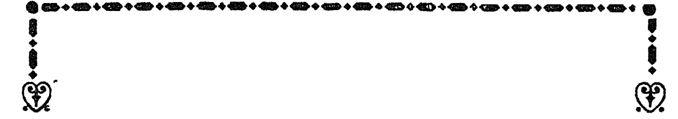
पुस्तक की छपाई में पूर्ण सतर्कता बरती गई है, किन्तु लेखक समझता है कि किसी भी प्रयास में "पूर्णता" केवल कल्पना मात्र है। अतः वे सभी पाठक-गण एवं अध्यापक बन्धु जो लेखक का ध्यान पुस्तक की कमियों की ओर आकर्षित कर सकें, धन्यवाद के पात्र होंगे। ●



कर्नाटक विश्वविद्यालय
धारवाड़-५८० ००३
११ अगस्त १९७५

भगवती प्रसाद

आभार प्रदर्शन



विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रति	परीक्षा प्रश्न पत्रों के लिए
इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउण्टेंट, दिल्ली	C. A. की परीक्षाओं में आये प्रश्नों के लिए
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, नई दिल्ली	I. A. S. में आये प्रश्नों के लिए



प्रोफेसर विष्णुनारायण गौतम (वाराणसी), प्रो० प्रेमकिशोर वार्ष्णेय (रोहतक) प्रो० एम० एल० जोशी (अजमेर), प्रो० देवेन्द्रसिंह चौहान (लखीमपुर-खीरी), प्रो० विश्वम्भर सहाय (आगरा), प्रो० कृष्णगोपाल गुप्त (मोदीनगर), प्रो० ईश्वरचन्द्र गुप्त (कानपुर), डा० सोहनलाल गुप्त (जबलपुर) के प्रति उनके सौहार्द प्रदर्शन एवं विभिन्न प्रकार की सहायता के लिए।

प्रथम संस्करण पर दो शब्द

प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी माध्यम के उन विद्यार्थियों के लाभार्थ में लिखी गई हैं जो बी० कॉम० परीक्षाओं के लिये प्रत्याशी हैं । लिखते हुए ठेट साहित्यक भाषा प्रयोग न कर केवल दैनिक व्यवहार की भाषा ही प्रयोग की गई है । आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के देने का उद्देश्य यह रहा है कि विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण धारायें कण्ठस्थ हो जायें । यह परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी है ।

कहीं-कहीं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए गए हैं जो आयकर अधिनियम के पूरक हैं तथा जिनसे अधिनियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता हैं। बी०कॉम० के विद्यार्थियों के लिए इनका ज्ञान उपयोगी होने के साथ आवश्यक भी है ।

वित्त अधिनियम, 1967 को उन सभी व्यवस्थाओं को पुस्तक में सम्मिलित कर लिया गया है चालू वर्ष अर्थात कर-निर्धारण वर्ष में 1967-68 से सम्बन्धित हैं । इसी अधिनियम द्वारा कुछ संशोधन ऐसे भी किए गए हैं जो अगले वर्ष अर्थात कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 में लागू होंगे, इन सभी संशोधनों को एक पृथक अध्याय में पाठकों की सुविधार्थ दिया गया है ।

क्रियात्मक प्रश्न अधिक संख्या में दिए जा रहे है तथा प्रश्नों के हल देते समय अन्त में प्रश्न में आने वाली विभिन्न व्यवस्थायें टिप्पणियाँ देकर एक बार पुनः समझा दी गई हैं । ये विद्यार्थियों के लिये सहायक सिद्ध होंगी, ऐसा विश्वास है । प्रश्नों का चयन बी० कॉम०, आई० ए० एस० तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की परीक्षाओं में आये हुए प्रश्न-पत्रों से किया गया है ।

मेरे इस प्रयास में प्रोत्साहन देने का जो कार्य मेरे अग्रज तुल्य प्रोफेसर ब्रजकिशोर जी ने किया है तथा विभिन्न कमियों पर टीका करने में मुझे आदरणीय डा० रोशनलाल वार्ष्णेय, रीडर लखनऊ विश्वविद्यालय से जो सहायता मिली है उसके लिए मैं इन महानुभावों का आभारी हूँ । प्रश्नों के चुनाव में मुझे अपने भूतपूर्व विद्यार्थी श्री गजेन्द्रकुमार वार्ष्णेय लेक्चरर एम० एम० एच० कालिज गाजियाबाद से सहायता मिली है, हास्य लेखक श्री रोशनलाल गुप्त 'सुरीरवाला' ने भी मुझे समय समय पर जो सहायता दी है उनके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

सह-प्रवन्धक के कार्य में श्री रामसिंह शर्मा ने, तथा पुस्तक को इतनी शीघ्र निकालने में प्रेस विभाग के विभिन्न कर्मचारी ब्रजमोहन शर्मा, स्वामी ज्वालासिंह, राजबहादुर, ज्वालाप्रसाद, लालाराम, बनवारीलाल यादव, बुद्धसैन गुप्ता बी० ए०, सोनपाल वार्ष्णेय, भूपसिंह बी० ए०, जगदीश प्रसाद ने जो तन्मयता दिखाई है उसके लिए ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं ।

आशा है पुस्तक जिनके लिए लिखी गई है उन्हें पसन्द आयेगी । पाठकों से अनुरोध है कि पुस्तक की कमियों की ओर लेखक का ध्यान अवश्य ही आकर्षित करते रहें जिससे कि आगामी संस्करण में ये कमियाँ दूर की जा सकें ।

भगवती प्रसाद

5-6-68

अनुक्रमणिका

परिचय 1

(INTRODUCTION)

भारतीय राजस्व में आयकर का अध्ययन बहुत महत्व का है, क्योंकि राज्य की आय के विभिन्न साधनों में इसका प्रमुख स्थान है।[1] आयकर की वसूली तथा इससे सम्बन्धित व्यवस्था व कानून बनाना केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र का विषय है। यह अलग बात है कि वसूल की गई धन-राशि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच वित्त आयोग द्वारा निश्चित किये गये सिद्धान्तों के आधार पर विभाजित कर दी जाती है। अत: यह एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पक्ष—केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें व करदातागण किसी न किसी रूप में रुचि रखते हैं।

वैधानिक स्थिति

हमारे संविधान के अनुच्छेद 280(3)(अ) व 270(1) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में एक वित्त आयोग (Finance Commission) की नियुक्ति की जाती है जिसका कार्य आयकर (जिसमें कृषि आयकर सम्मिलित नहीं होता) से प्राप्त शुद्ध राशि के राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के बीच विभाजन सम्बन्धी सिद्धान्तों पर अपने सुझाव देना होता है। कम्पनियों से प्राप्त आयकर (Corporation Tax) की धनराशि राज्य सरकारों को देने का प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में वसूल किये गये आयकर की राशि को भी राज्य सरकारों को नहीं दिया जाता।

वर्तमान स्थिति

छठे वित्त आयोग ने पाँचवे आयोग की इस सिफारिश का अनुमोदन किया है कि आयकर से प्राप्त शुद्ध धनराशि का 75% सभी राज्यों में बाँटा जाना चाहिए। इसमें आयकर की अग्रिम राशि भी सम्मिलित है। वितरण योग्य राशि का 90% राज्यों की जनसंख्या व शेष 10% उनकी सीमा के अन्दर एकत्र की गई आयकर की राशि के आधार पर वितरित किया जाता है।

संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण

सन् 1857 में हुए भारतीय स्वतन्त्रता के प्रथम संग्राम के तुरन्त बाद विदेशी सरकार को आर्थिक कठिनाई महसूस हुई जिसे हल करने के लिये आयकर का सहारा लिया गया। इसे 31 जुलाई 1860 से लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित चार प्रकार की आयों पर कर लगाने का प्रावधान था :—

अ. जमीन जायदाद से आय (इसमें कृषि आय भी सम्मिलित थी);

ब. व्यापार तथा व्यवसाय से आय;

---

1. 1975-76 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में आयकर से होने वाली आय का अनुमान 1,570 करोड़ रुपये का है, इसमें कम्पनी से मिलने वाला आयकर भी शामिल है।

स. प्रतिभूतियों से आय; तथा

द. वेतन व पैंशन से आय।

उस समय कर-मुक्त आय की सीमा 200 रुपये वार्षिक थी अर्थात् 200 रु० वार्षिक तक की कुल आय वाले व्यक्ति आयकर सम्बन्धी दायित्व से मुक्त थे। यह सीमा सन् 1862 में बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई। सन् 1865 में उपर्युक्त आयकर अधिनियम समाप्त कर दिया गया, क्योंकि सरकार को अब धन की जरूरत नहीं रह गई थी। सन् 1866 में एक वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क व सन् 1868 में सर्टीफिकेट शुल्क लगाये गये।

सन् 1869 में एक बार फिर आयकर लगाया गया तथा सन् 1870 में इसकी दरों में वृद्धि की गई। सन् 1871 में कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा 750 रुपये थी, जिसे 1872 में बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया। 1873 में यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया तथा अगले 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगाया गया। सन् 1878 में लाइसेंस शुल्क एकबार फिर लगाया गया। इस विषय में ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार के केन्द्रीय अधिनियम का अभाव था व प्रान्तों में भिन्न-भिन्न तरह से कर लगाया जाता था।

सन् 1886 में आयकर सम्बन्धी एक नवीन अधिनियम पारित किया गया जिसके अनुसार कुल आय को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया :—

अ. वेतन तथा पैंशन;

ब. कम्पनियों के लाभ;

स. प्रतिभूतियों से ब्याज; तथा

द. अन्य साधनों से आय।

इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-मुक्त आय की सीमा पहले 500 रु० थी जो 1903 में बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई। सन् 1916 में प्रथम बार प्रगतिशील दरों को अपनाया गया। 1917 में आय का नक्शा भरना अनिवार्य कर दिया गया। इसी वर्ष 50,000 रुपये वार्षिक से अधिक आय पर अधिकर (Super tax) लगाये जाने की व्यवस्था भी चालू की गई। सन् 1918 में पुराने अधिनियम के स्थान पर एक नवीन अधिनियम लाया गया जिसके अनुसार चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर-निर्धारण की व्यवस्था थी।

सन् 1918 के अधिनियम का कार्यकाल बहुत छोटा रहा व 1922 में एक नवीन अधिनियम हमारे सम्मुख आया जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम (Finance Act) के पारित करने की व्यवस्था की गई। इसी के द्वारा चालू वर्ष के सिद्धान्त को समाप्त कर दिया गया। 'गतवर्ष की आय का चालू वर्ष में कर-निर्धारण' सिद्धान्त इसी अधिनियम की देन है।

इस अधिनियम में यद्यपि प्रतिवर्ष संशोधन होते रहे, किन्तु सन् 1939 में इसमें प्रमुख संशोधन किए गये। ये संशोधन चैम्बर्स जाँच समिति द्वारा 1936 में दी गई रिपोर्ट पर आधारित थे। युद्ध के लिये आय बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव होने पर 1944 तक आयकर की दरों में निरन्तर वृद्धि की जाती रही। 1944-45 में कम्पनियों के लिये आयकर की दरों में कमी की गई, क्योंकि उन्हें अपने विस्तार के लिये आवश्यक साधन जुटाने का एक अवसर प्रदान करना था। सन् 1956 तक इस अधिनियम में इतने अधिक संशोधन कर दिये गये थे कि आयकर अधिनियम की धारायें अत्यधिक लम्बी एवं दुरूह हो गईं। कानून विशेषज्ञों व न्यायालयों को भी अधिनियम

की धाराओं को समझने व उनकी व्यवस्थाओं के पालन करने में कठिनाई होने लगी। अत: सरकार ने सन् 1956 में कानून आयोग (Law Commission) से आयकर अधिनियम को सरल बनाने के लिये अपने सुझाव देने को कहा।

यहाँ यह बताना अनुपयुक्त न होगा कि सन् 1953 व 1956 के दौरान दो विशेषज्ञ समितियों ने भी भारतीय करों के ढाँचे पर भली प्रकार विचार किया तथा इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सर्वप्रथम श्री जाँनमथाई की अध्यक्षता में कर जाँच आयोग (Taxation Enquiry Commission) की नियुक्ति हुई। इसने केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय सत्ता द्वारा लगाये गये करों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया तथा 1954 के अन्त में अपनी रिपोर्ट दी। इसके आधार पर आयकर अधिनियम में विभिन्न संशोधन किये गये।

सन् 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के श्री निकल्सन काल्डर को भारत सरकार ने आमन्त्रित किया। उनसे भारतीय कर व्यवस्था व विशेष रूप से व्यक्तियों व व्यापार पर लगे हुये करों पर विचार करने के लिये कहा गया। उनके सुझावों में धन-कर पूँजी लाभों पर कर, उपहार कर, तथा व्यक्तियों पर लगाये जाने वाला व्यय-कर (Expenditure Tax) सम्मिलित है।

सितम्बर 1956 में कानून आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसी बीच में श्री महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक 'प्रत्यक्ष कर प्रबन्ध जाँच समिति' (Direct Taxes Administration Enquiry Committee) की नियुक्ति हुई जिससे करदाताओं को होने वाली असुविधा दूर करने तथा करापवंचन (Evasion of tax) को रोकने सम्बन्धी समस्याओं पर सुझाव माँगे गये। इसकी रिपोर्ट नवम्बर 1959 में मिली।

कानून आयोग तथा त्यागी समिति से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयकर अधिनियम, 1961 का प्रारूप तैयार किया गया, जो 1 अप्रैल 1962 से लागू है।

आयकर अधिनियम, 1961

आयकर अधिनियम में 298 धारायें सैकड़ों उपधारायें तथा नौ अनुसूचियाँ हैं। एक अप्रैल, 1976, से इन अनुसूचियों की संख्या बढ़ा कर दस की जारही है इसके द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम 1922 को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें 68 धारायें तथा 1 अनुसूची थी। नवीन अधिनियम में वे सभी मुख्य प्रावधान सम्मिलित किये गये हैं जो 1922 के अधिनियम में मौजूद थे।

वित्त अधिनियम

आयकर अधिनियम के पूरक के रूप में पार्लियामैन्ट द्वारा एक वित्त अधिनियम प्रतिवर्ष वित्त वर्ष के प्रारम्भ में पारित किया जाता है। इसमें आयकर की दरें तथा आयकर अधिनियम में किए जाने वाले वे संशोधन दिये रहते हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार के बजट में दिये गये विभिन्न प्रस्तावों को लागू किया जाना है। किसी वर्ष यदि वित्त अधिनियम निर्धारित समय पर पारित नहीं हो पाता तो पिछले वर्ष की दरें अथवा वित्त विधेयक (जो प्राय: फरवरी के अन्तिम दिन केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय संसद के सम्मुख रखा जाता है) की प्रस्तावित दरें (जो भी करदाता के पक्ष में हों) कर-निर्धारण के लिए लागू होती हैं। 1975-76 का बजट व वित्त विधेयक, 1975, केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री सुब्रह्मन्यम द्वारा लोकसभा में 28 फरवरी 1975 को प्रस्तुत किया गया।

प्रत्यक्ष कर जाँच समिति (वान्चू समिति)

केन्द्रीय सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री के. एन. वान्चू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्यों की संख्या पाँच थी। समिति से काले धन की जाँच व इसकी बढ़ोत्तरी को रोकने सम्बन्धी उपायों पर विचार करने को कहा गया। समिति को प्रत्यक्ष करों के ढाँचे का अध्ययन भी करना था जिससे कि करापवंचन को रोकने सम्बन्धी उपाय बताये जा सकें।

समिति की रिपोर्ट दिसम्बर 1971 में छपी व 20 मार्च 1972 को संसद के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति का यह अनुमान है कि 1968-69 में 1,400 करोड़ रुपये की राशि पर आयकर बचाया गया जो 470 करोड़ रु० हो सकता था। समिति का कथन है कि काले धन की बढ़ोत्तरी के लिए आयकर की ऊँची दरें, लाइसेंस व्यवस्था, कमी व अभाव की अर्थ व्यवस्था, राजनीतिक पार्टियों को दिये जाने वाले दान, भ्रष्ट व्यापारिक कुरीतियाँ आदि जिम्मेदार हैं।

आयकर अधिनियम 1961 का सिंहावलोकन

आयकर अधिनियम का व्यवस्थित अध्ययन आरम्भ करने से पहले यह उपयोगी होगा कि हम आयकर अधिनियम पर एक हल्की नजर डालकर यह देखें कि आखिर इस विषय के अन्तर्गत हमें क्या जानकारी प्राप्त करनी है?

अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसकी आय करयोग्य सीमा के अन्दर आती है, सरकार को आयकर देना होता है। व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार आदि के लिए आजकल यह सीमा रु० 6,000 है। अर्थात् प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसकी वार्षिक आय रु० 6,000 से अधिक है आयकर देना चाहिए। इस सम्बन्ध में यह जानना आवश्यक है कि हम जिस वर्ष में आय का उपार्जन करते हैं उससे अगले वर्ष में ही आयकर दिया जाता है न कि उसी वर्ष में जिसमें कि आय का उपार्जन होता है।

अधिनियम में प्रयुक्त 'व्यक्ति' (Person) शब्द का अर्थ बहुत विस्तृत है व इसमें व्यक्ति (Individual), हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, स्थानीय सत्ता आदि आते हैं अर्थात् इन सभी को आयकर देना पड़ता है।

'करयोग्य आय' की संकल्पना व्यक्ति के निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। उदाहरण के लिये प्रत्येक निवासी के लिए वह सभी आय कर-योग्य है जो उसने विश्व के किसी भी कोने में उपार्जित की है जबकि एक अनिवासी को उसी आय पर कर देना पड़ता है जो भारत में अर्जित की गई है। व्यक्ति का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा कुछ ऐसी शर्तों को पूरा करने पर निर्धारित किया जाता है जो करयोग्य क्षेत्र से सम्बन्धित है।

'करयोग्य आय' की गणना 6 शीर्षकों के अन्तर्गत की जाती है—वेतन, प्रति-भूतियों पर ब्याज, मकान सम्पत्ति से आय, व्यापार व पेशे के लाभ, पूँजी लाभ व अन्य साधनों से आय। उल्लेखनीय बात यह है कि सम्पूर्ण अधिनियम में कहीं भी आय को परिभाषित नहीं किया गया है। आय की परिभाषा के स्थान पर आय के विभिन्न सम्भावित स्रोतों का उल्लेख कर दिया गया है। इसी प्रकार ऐसी अनेक आयें हैं जिन्हें आयकर अधिनियम की परिधि के बाहर रखा गया है जैसे कृषि आय।

प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त हुई समस्त आय को सर्वप्रथम जोड़ लेते हैं तथा फिर उसमें से वे सभी व्यय घटा दिये जाते हैं जो उस आय के उपार्जन करने में किये गये हैं। प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत होने वाली सभी सम्भावित कटौतियों का अधिनियम में वर्णन कर दिया गया है। प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के आधार भी अलग-अलग हैं। 'वेतन' के अन्तर्गत मिली उस सभी राशि को शामिल कर लेते है जो प्राप्त हुई है अथवा जो उपचित (accrued) हो गई है किन्तु प्राप्त नहीं हुई है। किसी भी राशि को 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आने के लिए नियोक्ता व कर्मचारी के सम्बन्ध को भी देखना पड़ता है। 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' प्राप्य (due) होने पर ही करयोग्य हो जाता है, चाहे वह प्राप्त हुआ हो अथवा नहीं। 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत कर का आधार प्राप्त किराया न होकर 'वार्षिक मूल्य' होता है। एक अन्य आवश्यक बात यह है कि करदाता को मकान सम्पत्ति का स्वामी होना आवश्यक है। 'व्यापार व पेशे' के अन्तर्गत उन लाभों पर आयकर लगता है जो कुछ समायोजनों के पश्चात् किसी निर्धारित विधि से निकाले जाते है। 'पूँजी लाभ' के अन्तर्गत कर का आधार प्रोद्‌यवन (accrual) न होकर वसूली (realisation) होना है। आय का अन्तिम शीर्षक 'अन्य साधनों से आय' उन सभी आयों के लिए है जो प्रथम पाँच शीर्षकों में कहीं भी नहीं आ पाती।

आय के शीर्षकों में यदि कहीं हानि आती है तो इस की पूर्ति किसी भी अन्य शीर्षक के लाभों से की जा सकती है। हानि की पूर्ति अन्य शीर्षकों की आय से न हो सकने पर इसे अगले वर्षों में ले जाते है जहाँ उन वर्षों की आय से पीछे से लाई गई यह हानि पूरी की जाती है।

विभिन्न करदाताओं की कर सम्बन्धी स्थिति को देखने पर हमें ज्ञात होता है कि व्यक्तियों को आयकर स्लैब सिस्टम (slab system) के आधार पर देना पड़ता है अर्थात् कुल आय के कुछ टुकड़े कर लिये जाते हैं जिन पर विभिन्न दरों से कर लगाया जाता है। हिन्दू अविभाजित परिवार एक पृथक व्यक्तित्व है तथा इसे भी इसी आधार पर आयकर देना पड़ता है। फर्म का कर-निर्धारण करते समय इसे कुछ शर्तों के पूरा करने पर रजिस्टर्ड फर्म का दर्जा प्रदान किया जाता है। रजिस्टर्ड फर्म को आयकर स्वयं नहीं देना पड़ता वरन् इसकी आय को हम विभिन्न साझेदारों में बाँट देते हैं व इन साझेदारों से आयकर की वसूली की जाती है। अनरजिस्टर्ड फर्म को स्वयं ही व्यक्ति की भाँति कर देना पड़ता है।

'कम्पनी' चूँकि एक अलग व्यक्तित्व है अतः इससे आयकर की वसूली की जाती है। इस आय को जब इसके अंशधारियों में लभांश के रूप में बाँटा जाता है तो उन्हें इस आय पर भी आयकर देना पड़ता है। कम्पनी के लिए आय की करमुक्त सीमा नहीं है अर्थात् इसे अपनी सभी आय पर कर देना होता है चाहे यह आय कितनी भी कम क्यों न हो। स्थानीय सत्ता जैसे नगरपालिका आदि को उस सभी आय पर आयकर देना होता है जो यह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर उपार्जित करती है।

प्रशासनिक अधिकारियों के सम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि आयकर अधिकारी करदाता के बहुत अधिक सम्पर्क में आता है तथा यह प्रमुख अधिकारी है। इसके कार्य की देखभाल के लिए आयकर कमिश्नर नियुक्त किये जाते हैं। करदाता यदि यह महसूस करता है कि आयकर अधिकारी ने उसका कर-निर्धारण न्यायपूर्ण तरीके से नहीं किया है तो वह न्याय प्राप्ति के लिए न्याय सम्बन्धित अधिकारियों के सम्मुख आयकर अधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण के विरुद्ध अपील कर सकता है।

आयकर अधिनियम 1922 का कुछ क्षेत्रों में लागू रहना

आयकर अधिनियम 1922 के स्थान पर यद्यपि आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से लागू कर दिया गया है तथापि इस अधिनियम की धारा 297 में कुछ ऐसी स्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें पुराना अधिनियम ही लागू रहेगा। ये स्थितियाँ निम्नलिखित है :—

1. 1-4-1962 से पहले दाखिल किये गये आय के नक्शों पर कर-निर्धारण।

2. आय का नक्शा यद्यपि 1 अप्रैल 1962 के बाद में दाखिल किया गया है, परन्तु कुल आय या तो 31 मार्च 1962 को समाप्त होने वाले वित्त-वर्ष से सम्बन्धित है अथवा इससे पहले किसी अन्य वर्ष में उपार्जित की गई है।

3. सभी ऐसे विवादास्पद विषय जो आयकर अधिकारियों अथवा अन्य न्यायालयों के सम्मुख 1-4-1962 को निर्णय के लिये प्रस्तुत थे।

4. 31 मार्च 1962 को समाप्त होने वाले वित्त-वर्ष अथवा इससे पूर्व के वित्त-वर्षों के सम्बन्ध में दण्ड सम्बन्धी सभी प्रावधान।

———

महत्वपूर्ण परिभाषायें
(IMPORTANT DEFINITIONS)

किसी भी अधिनियम का अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले यह आवश्यक होता है कि उसमें प्रयुक्त उन सभी शब्दों की जानकारी प्राप्त की जावे, जिनका उस अधिनियम में किन्हीं विशेष अर्थों के लिये प्रयोग हुआ है। यह जानकारी प्राय: सभी अधिनियमों की शुरू की धाराओं में दी जाती है। इन धाराओं में कुछ ऐसे पदों की व्याख्या होती है जो सम्बन्धित अधिनियम के अध्ययन की दृष्टि से महत्व के है। कुछ ऐसे शब्द, जिनकी परिभाषा सम्बन्धित अधिनियम में नहीं दी जाती है साधारण अर्थो में प्रयुक्त माने जाते हैं; तथा इनके अर्थों के सम्बन्ध में मतभेद होने पर हमें प्रामाणिक शब्द कोषों एवं ज्ञान कोषों का सहारा लेना पड़ता है। 'आयकर अधिनियम' 1961 की दूसरी धारा ऐसे शब्दों की परिभाषा से सम्बन्धित है जिनका ज्ञान आयकर अधिनियम के अध्ययन के लिये आवश्यक है। तीसरी धारा में 'गतवर्ष' को परिभाषित किया गया है। इस अध्याय में हम कुछ चुनी हुई परिभाषायें दे रहे है।

कृषि-आय (Agricultural Income)

कृषि-आय पर आयकर नहीं लगता अत: आयकर अधिनियम के अध्ययन के सन्दर्भ में 'कृषि आय' की परिभाषा का विशेष महत्व है। आयकर से छूट के कारण प्रत्येक करदाता अपनी आय को कृषि से सम्बन्धित दिखाने में रुचि रखेगा जबकि आयकर अधिकारी कर बचाने की ऐसी प्रवृति को हतोत्साहित करेगा। ऐसी परस्पर विरोधी स्थिति से निपटने के लिये ही आयकर अधिनियम में कृषि-आय की परिभाषा विस्तृत रूप में दी गई है।

कृषि-आय को सन् 1886 से ही कर मुक्त रखा गया है। इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया जाता है कि चूँकि कृषि से प्राप्त आय पर भूमि कर के रूप में कर लगाया जाता है अतः आयकर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक कारण यह है कि हमारे संविधान के अधीन कृषि राज्य सरकारों का विषय है अत: इससे होने वाली आय पर राज्य सरकारें ही आयकर लगा सकती हैं, केन्द्र सरकार नहीं। कई राज्य सरकारों ने अपने इस अधिकार का इस्तैमाल भी किया है। इनमें तामिलनाडु व कर्नाटक राज्य सरकारें प्रमुख है।

कृषि-आय के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि करदाता अपनी आय को कृषि-आय होने का दावा करता हैं तो ऐसा सिद्ध करने का भार उसी पर है। यह नियम सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर कमिश्नर बनाम राम कृष्ण देव वाले मामले में दिया है।[1]

कृषि-आय की परिभाषा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2 (1) में दी हुई है जिसके अनुसार इससे हमारा तात्पर्य निम्नलिखित आय से है—

1. 35 I. T. R. 312

1. किसी ऐसी भूमि से प्राप्त किराया अथवा आय जो भारत में स्थित है, तथा जिसका प्रयोग कृषि उद्देश्यों के लिये किया जाता है।

2. ऐसी भूमि से प्राप्त आय जिसका प्रयोग—

(i) कृषि के लिये किया जाता है; अथवा

(ii) कृषक द्वारा अपनी उपज को बाजार योग्य बनाने वाली क्रिया के लिये किया जाता है; अथवा

(iii) कृषक द्वारा अपनी उपज बेचने में होता है।

3. उस भवन से प्राप्त आय जो कृषक के स्वामित्व अथवा उसके अधिकार में है तथा जो किसी भी ऐसी भूमि पर स्थित है जिसमें उपर्युक्त (ii) व (iii) में वर्णित क्रियायें सम्पन्न की जाती हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होना आवश्यक है :

अ. भवन ऐसी भूमि पर अथवा उसके बिल्कुल निकट स्थित होना चाहिये जिसको कृषक भूमि से अपना सम्बन्ध होने के कारण अपने निवास के लिये अथवा भंडार बनाने के लिये अथवा चौकसी करने के लिये उपयोग करता है; तथा

व. भूमि पर या तो भारत में भूमिकर (Land revenue) दिया जाता है अथवा इस पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्थानीय कर वसूल किये जाते हैं।

टिप्पणी : भूमि पर यदि स्थानीय कर अथवा भूमिकर नहीं दिये जाते तो वह भूमि किसी ऐसी नगरपालिका, छावनी आदि के क्षेत्र में स्थिति नहीं होनी चाहिये जिसकी जनसंख्या 10,000 अथवा अधिक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि इस सम्बन्ध में घोषणा की जाती है तो नगरपालिका आदि की सीमाओं के आठ किलो मीटर तक वह भवन स्थित नहीं होना चाहिये।

आवश्यक तत्व—उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार कृषि-आय के निम्नलिखित तत्व हैं—

1. **कृषि आय भूमि से प्राप्त होती है**—कृषि-आय भूमि को जोतकर व उपज पैदा करके तो प्राप्त होती ही है, उस भूमि से प्राप्त किराया भी कृषि-आय के अन्तर्गत आता है जो कृषि के कार्यों के लिये प्रयुक्त होती है, परन्तु ऐसी भूमि के पिछले बाकी किराये पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो प्राप्त ब्याज कृषि-आय नहीं होती[1]।

2. **भूमि कृषि कार्यों के लिये काम में आती है**—इस सम्बन्ध में राजा विनय कुमार सहसरौय वाला निर्णय बहुत प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण है। निर्णय के अनुसार कृषि-कार्यों के अन्तर्गत भूमि की जुताई, बुवाई, सिंचाई, पौधों को लगाना व निराई आदि आते हैं। कृषि खाद्य पदार्थों अथवा व्यापारिक फसलों आदि की हो सकती है। व्यापारिक फसलों में पान, कॉफी, चाय, मसाले व तम्बाकू आदि आते है। इसका अर्थ यह है कि यदि भूमि से इन कार्यों के किये बिना कोई आय प्राप्त होती है तो वह कृषि-आय नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, अपने आप उगे हुये जंगल को काटने से हुई आय अथवा जंगली घास आदि की बिक्री से प्राप्त आय कृषि-आय के अन्तर्गत नहीं आती।

3. **भूमि का भारत में स्थित होना**—कृषि-आय के लिये यह आवश्यक है कि भूमि भारत में ही स्थित हो। भारत के बाहर स्थित भूमि से प्राप्त आय को हम कृषि-आय की श्रेणी में नहीं रखेंगे।

---

1. C.I.T. v Kamakhaya Narain Singh (1948) I.T R 325

कृषि-आय के प्रकार—आयकर अधिनियम की धारा 2 (1) में दी गई उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर कृषि-आय को हम पाँच प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं—

क. **भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान**—भूमि का स्वामी यदि जोतने व फसल उगाने के लिये अपनी भूमि किसी अन्य पक्ष को किराये पर उठा देता है तो भूमि के स्वामी को प्राप्त यह किराया कृषि-आय के अन्तर्गत आता है।

ख. **भूमि पर कृषि से प्राप्त आय**—जब भूमि पर खेती की जाती है तो उससे प्राप्त आय कृषि-आय होती है। खेती करने से हमारा तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनका वर्णन ऊपर दे चुके हैं जैसे—जुताई, बुबाई, निराई, कटाई, सफाई आदि।

ग. **भूमि पर उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से प्राप्त आय**—कृषक यदि खेत में उत्पन्न उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिये कुछ साधारण क्रियायें करता है तो ऐसी क्रियायें भी कृषि कार्य में सम्मिलित होती हैं व भूमि को कृषि में प्रयुक्त समझा जाता है तथा इससे प्राप्त आय कृषि-आय मानी जाती है। कपास को ओटना तथा बिनौलों को अलग करना एक ऐसी ही साधारण क्रिया है।

घ. **किसान द्वारा जमीन की उपज बेचने से प्राप्त आय**—किसान को अपनी भूमि से हुई उपज को बेचने से प्राप्त आय कृषि-आय है, भले ही किसान ने अपनी दुकान पर यह उपज बेची हो। किन्तु एक व्यक्ति यदि भूमि पर खड़ी तैयार फसल खरीद लेता है तथा बाद में फसल कटवा कर उस उपज को बेच कर कुछ लाभ प्राप्त करता है तो वह लाभ कृषि-आय की श्रेणी में नहीं आता।[1]

ङ. **कृषि में प्रयुक्त मकान से आय**—कोई इमारत यदि खेत के निकट स्थित है तथा इसे कृषि-कार्यों के लिये प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मकान की आय कृषि-आय होगी। यह मकान कृषि-सम्बन्धी औजारों को रखने के काम आ सकता है, अथवा मकान में बीज व उपज का गोदाम भी बनाया जा सकता है। कृषक अपने निवास सम्बन्धी कार्यों के लिये भी इस मकान का उपयोग कर सकता है। इस सम्बन्ध में ऊपर दी गई शर्तों का पालन करना आवश्यक है।

निम्नलिखित प्राप्तियाँ कृषि-आय के अन्तर्गत आती हैं—

i. ऐसी भूमि का किराया जिसे कृषि में काम आने वाले पशुओं के चरागाह के लिए प्रयोग किया जाता है।

ii. ऐसी दुग्धशाला से प्राप्त आय जो खेती से सम्बन्धित है तथा जिसमें उन पशुओं को रखा गया है जो खेती में काम आते हैं।

iii. सूखे तम्बाकू की बिक्री से प्राप्त आय।

कृषि-आय के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर नीचे ऐसी आयें दी जा रही हैं **जो यद्यपि भूमि से सम्बन्धित हैं, किन्तु कृषि-आय नहीं हैं**—

i. जंगली घास, बाँस व अपने आप उगे पेड़ों की बिक्री से आय।[2]

ii. पत्थर या अन्य खानों से प्राप्त आय।[3]

iii. मछलियों से प्राप्त आय।[4]

C.I.T. v Kamakhya Narain Singh
Rani Tara Kumari Devi v. C.I.T.
Shivlal Ganga Ram v. C.I.T.
Raja Durga Narain v. C.I.T.

iv. भूमि को ईंटों के भट्टे के लिये प्रयोग किये जाने पर प्राप्त आय।

v. साप्ताहिक बाजारों व हाटों से प्राप्त आय।

vi. लाख की खेती से होने वाली आय।

vii. घाटों की आय (Income from ferries)।

viii. दुग्धशाला से आय।

ix. ऐसी भूमि का किराया जिसका प्रयोग कृषि में काम न आने वाले पशुओं के चरागाह के लिए किया जाता है।

अंशतः कृषि-आय (Partly Agricultural Income)—कुछ आय ऐसी होती है जो न पूर्णरूप से कृषि-आय समझी जा सकती है और न जिन्हें व्यापार सम्बन्धी लाभों के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है। ऐसी आयों में कुछ तत्व कृषि के होते हैं और कुछ व्यापार से सम्बन्धित। उदाहरण के लिये ऐसी चीनी मिल की आय जो स्वयं अपना गन्ना उगाती है। ऐसी आय अंशतः कृषि-आय कहलाती है। अंशतः कृषि-आय की गणना करने के लिये प्रायः उपज के बाजार मूल्य में से उसकी लागत घटा देते हैं। व्यापार के लाभ हानि खाते में से कृषि से सम्बन्धित आय को पृथक् कर दिया जाता है। इसके लिए हम लाभ-हानि खाते में निम्नलिखित समायोजन करते हैं :—

1. लाभ-हानि खाते में कृषि उपज से सम्बन्धित किसी भी व्यय को न दिखा कर उसके डेब्रिट में उपज का बाजार मूल्य दिखाया जा सकता है।

2. लाभ-हानि खाते के डेबिट में यदि कृषि सम्बन्धी लागत दिखाई गई है तो व्यापार के लाभों में से कृषि से सम्बन्धित लाभों की पृथक् गणना करके इसे अलग कर देते हैं।

अंशतः कृषि-आय की गणना करने की विधि आयकर अधिनियम 1962 के अन्तर्गत बने नियम संख्या 7 व 8 में समझाई गई है। नियम संख्या 7 में 'बाजार मूल्य' का अर्थ निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है—

अ. यदि कृषि उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो गतवर्ष में इसका औसत विक्रय मूल्य।

ब. यदि कृषि उपज साधारणतया उपजे हुए रूप में ही बाजार में नहीं बिकती तो इसका बाजार मूल्य जानने के लिये निम्न रकमों का योग निकालते है :

i. कृषि सम्बन्धी व्यय;

ii. भूमि का लगान व किराया ; तथा

iii. उचित लाभ जो विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

चीनी के ऐसे कारखानों की आय जो स्वयं अपने खेतों में गन्ना उगाते हैं— यह आय अंशतः कृषि-आय समझी जाती है। इस आय में से कृषि-आय का अंश निकालने के लिये मिल के लाभ-हानि खाते में उगाई गई ईख का बाजार मूल्य दिखाते हैं। स्मरण रखना चाहिये कि कृषि-सम्बन्धी व्ययों का लाभ-हानि खाते से कोई सम्बन्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लाभ-हानि खाता करयोग्य शुद्ध व्यापारिक आय दिखाता है।

चाय के उत्पादन से आय—नियम संख्या 8 के अनुसार चाय उगाकर बेचने से होने वाली आय का 60% कृषि आय माना जाता है तथा शेष 40% पर आयकर लगाने की व्यवस्था है। ऐसी आय की गणना करते समय उन पौधों को लगाने का व्यय भी लागत में जोड़ दिया जाता है जो मरे हुए पौधों के स्थान में लगाये गये हों।

कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 से कृषि-आय का कर-निर्धारण में स्थान

भारत सरकार द्वारा डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसका मुख्य कार्य कृषि-आय व कृषि सम्पत्ति की कर प्रणाली का अध्ययन करना था। समिति ने अपनी मुख्य सिफारिश में यह सुझाव दिया कि गैर कृषि आय पर आयकर निर्धारण करते समय कृषि आय को सम्मिलित किया जाना चाहिए। चूँकि भारत के संविधान के अन्तर्गत कृषि-आय पर कर लगाने का कार्य राज्य सरकारों का है अत: केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आय पर कर लगाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। किन्तु चूँकि कृषि-आय किसी भी व्यक्ति की कर क्षमता में वृद्धि करती है अतः ऐसी वृद्धि को आयकर के निर्धारण के समय ध्यान में ले लेना चाहिए। इस सुझाव को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया व इसके लिये वित्त अधिनियम 1973 में पर्याप्त प्रावधान सम्मिलित किये गये।

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 में किसी भी करदाता का आयकर दायित्व निकालते समय आयकर की दर मालूम करने के लिए उसकी कुल आय में (जो सभी कटौतियों को घटाने के बाद शेष बचती है) कृषि-आय को शामिल करेंगे। इस योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :—

1. केवल गैर-कम्पनी करदाताओं को ही इस योजना में शामिल किया गया है। अन्य शब्दों में कम्पनी व सहकारी समितियों को होने वाली कृषि-आय उनके आय-कर निर्धारण के समय कुल आय में शामिल नहीं की जायेगी।

2. केवल उन्हीं करदाताओं की कुल आय में कृषि आय शामिल की जायेगी जिनकी गैर कृषि आय कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 से संबन्धित गतवर्ष में 6,000 रु० से अधिक हो। उदाहरण के लिए एक ऐसे करदाता की दशा में जिसकी गैर कृषि-आय 5,500 रु० व कृषि-आय 15,000 रु० है, कुल आय में कृषि-आय सम्मिलित नहीं होगी तथा इस करदाता को आयकर भी नहीं देना पड़ेगा। ज्ञातव्य यह है कि कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए किसी भी व्यक्ति को आयकर तब ही देना होता है जबकि उसकी गैर कृषि आय 6,000 रु० से अधिक हो।

3. आयकर दायित्व निकालने के लिए हमें निम्नलिखित विधि का अनुसरण करना होगा :

अ. करदाता की कुल आय (जो आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर निकाली गई है) में उसकी कृषि-आय जोड़ देंगे। इस संयुक्त राशि पर आयकर दायित्व की गणना करेंगे यह मानते हुए कि करदाता की कुल आय यही संयुक्त राशि है।

ब. करदाता की कृषि आय में 6,000 रु० जोड़ कर आये हुए योग पर फिर आयकर दायित्व निकालेंगे।

स. 'अ' के अन्तर्गत निकाले गये आयकर दायित्व में से 'ब' के अधीन निकाला गया आयकर दायित्व घटा देंगे व इस प्रकार जो शेष रकम बचेगी वही इस करदाता द्वारा देय आयकर होगा।

उदाहरण

निम्नलिखित धनराशियों के विषय में बताइये कि वे कृषि-आय हैं अथवा करयोग्य आय :

1. करदाता को बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति के लिए 15,465 रुपये इसलिए प्राप्त हुए कि उसकी चाय की फसल तूफान से खराब हो गई थी।

2. गुलाब की लकड़ी के पेड़ों को काट कर प्राप्त बिक्री-राशि। करदाता का कथन है कि पेड़ अपने आप उगे हुए है तथा इनकी बिक्री से प्राप्त धन पूँजी प्राप्ति है।

3. साझेदार को ऐसी फर्म से प्राप्त वेतन जो कृषि कार्यो में लगी हुई है।

4. रबर के पेड़ों से प्राप्त की गई रबर को बेचने से आय। करदाता ने इन पेड़ों को काटकर बेचने के लिए खरीदा था।

5. करदाता ने गन्ना उगाकर गुड़ बनाया व आय प्राप्त की। उसका कथन है कि चूसने के लिए गन्ना अनुपयुक्त था व इसे चीनी मिल ने लेने से इन्कार कर दिया क्योंकि करदाता उस चीनी मिल के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। करदाता का तर्क है कि गुड़ बनाना एक ऐसी क्रिया है जिससे फसल को बिक्री योग्य बनाया गया, अत: यह कृषि-आय है।

---

1. बीमा कम्पनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि कृषि-आय है; अतः करमुक्त है। C.I.T. v. B. Gupta Pr. Ltd. [1969] 74 I.T.R. 337.

2. यह आय कृषि-आय नहीं मानी जा सकती क्योंकि मुख्य शर्त (भूमि का कृषि कार्यों के लिये प्रयुक्त किया जाना) पूरी नहीं हो रही है। Consolidated Coffee Estates v. C. Ag. Income-tax [1970] 76 I.T.R. 29

3. फर्म के साझेदार को मिला वेतन उसके हाथों में एक प्रकार से फर्म के लाभों का समायोजन ही है। यह कृषि-आय है। R.M. Chidambaram v. C. I. T. [1970] 77 I.T.R. 494.

4 यह आय कृषि-आय नहीं है क्योंकि कृषि से सम्बन्धित किसी भी कार्य को करदाता ने सम्पन्न नहीं किया है। Yoosuf v. I.T.O. [1970] 77 I.T.R. 237

5. ऐसी स्थिति में जबकि कृषि उपज को बाजार में नहीं बेचा जा सकता उसको बाजार योग्य बनाने के लिए जो भी क्रियायें की जाती हैं वे सभी कृषि कार्यो के अन्तर्गत आती हैं। वर्तमान स्थिति में गन्ने से गुड़ बनाना कृषि कार्य है व इससे प्राप्त आय कृषि-आय। C.I.T. v. H. G. Date [1971] 82 I.T.R. 71

कर–निर्धारण वर्ष (Assessment Year)

कर-निर्धारण वर्ष से आशय 12 महीनों की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को प्रारम्भ होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। इसे वित्त-वर्ष भी कहते हैं। करदाता की आय पर कर-निर्धारण इसी अवधि में होता है। कर निर्धारण ऐसे वर्ष के प्रारम्भ होने से ठीक पहले पारित हुए वित्त अधिनियम में दी गई दरों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 में वित्त अधिनियम 1975 में दी गई दरों के अनुसार कर-निर्धारण सम्पन्न किया जावेगा।

करदाता (Assessee)

धारा 2 (7) में दी गई परिभाषा के अनुसार 'करदाता' उस व्यक्ति को कहते हैं जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर अथवा किसी अन्य धनराशि देने का दायी हो। इसके अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी आय पर ही आयकर के लिए दायी है। अधिनियम द्वारा यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर वसूल करने का भार किसी व्यक्ति पर डाला गया है तो यह व्यक्ति करदाता होगा। उदाहरण के लिए मृत व्यक्ति की आय पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को आयकर देना पड़ता है। 'करदाता' की परिभाषा के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं :

अ. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत उसकी आय अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की आय पर (जिसके लिए वह दायी है) कर-निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

ब. प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत करदाता माना जाता है।

स. प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत दोषी करदाता (assessee in default) ठहराया जाता है।

कुल सकल आय (Gross Total Income)

जैसा कि अन्यत्र दिया जा चुका है आय के सभी शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना अलग-अलग की जाती है। इन सभी शीर्षकों के अन्तर्गत इस प्रकार गणना की गई राशि का योग कुल सकल आय कहलाता है। एक आवश्यक नियम इस सम्बन्ध में यह है कि यदि किसी शीर्षक के अन्तर्गत हानि आती है अथवा यदि पिछले वर्ष से कोई हानि पूरी होने के लिए इस वर्ष लाई गई है तो ऐसी हानि की पूर्ति **कुल सकल आय** की गणना करते हुए हो जानी चाहिए।

कुल आय (Total Income)

कुल सकल आय की गणना के पश्चात् कर-निर्धारण की अन्तिम कड़ी कुल आय की गणना है। इसके लिए कुल सकल आय में से कुछ कटौतियाँ (deductions) की जाती है। इनका उल्लेख अधिनियम की धारा 80C से 80V तक किया गया है। प्रमुख कटौतियाँ निम्नलिखित है :

अ. **बचत प्रोत्साहित करने के लिए कटौतियाँ** :—जेसे जीवन बीमा प्रीमियम, प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान आदि।

ब. **लोकोपकार सम्बन्धी कटौतियाँ** :—आश्रित रिश्तेदार की चिकित्सा पर किये गये व्यय, दान की गई धनराशि।

स. **विनियोग प्रोत्साहन के लिये कटौती** :—अंशों पर मिला लाभांश, नवीन उद्योग से प्राप्त लाभ आदि भी कटौती के लिए स्वीकार किये जाते हैं।

व्यक्ति (Person)

धारा 2 (31) के अनुसार 'व्यक्ति' की परिभाषा में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है :—

i. एक व्यक्ति (Individual), ii. हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu undivided family) ; iii. कम्पनी (Company); iv. फर्म (Firm); v. व्यक्तियों

का समुदाय (Association of persons); vi. स्थानीय सत्ता (Local authority); vii. प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति (Artificial Juridical person) । स्थानीय सत्ता में नगरपालिका, नगर परिषद्, महापरिषद् नोटीफाईड क्षेत्र आदि आते हैं ।

आय (Income)

आय की परिभाषा का ज्ञान आयकर का अध्ययन करते समय बहुत आवश्यक व महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर-निर्धारण 'आय' शब्द की व्याख्या पर निर्भर है । किन्तु यह केवल विडम्बना ही है कि हमारे आयकर अधिनियम में 'आय' की परिभाषा नहीं दी गई है, यद्यपि धारा 2 (24) में यह अवश्य दिया गया है कि 'आय' शब्द में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है :—

i. लाभ ;

ii. लाभांश ;

iia. आंशिक व पूर्ण रूप से पुण्यार्थ व धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्ट व संस्था को स्वेच्छा से मिले चन्दे । यह चन्दा यदि ऐसे निर्देश सहित प्राप्त हुआ है कि इसे ट्रस्ट की पूँजी सम्पत्ति में जोड़ दिया जाये तो इसे आय नहीं माना जा सकता ।

iii. अनुलाभ (Perquisites) अथवा वेतन के स्थान पर मिले हुये लाभ (Profits in lieu of salary), जो धारा 17 के अन्तर्गत कर योग्य हैं ।

iv. कम्पनी के संचालक अथवा इसमें समुचित हित रखने वाले व्यक्ति अथवा इनके रिश्तेदारों को कम्पनी से मिलने वाले लाभ व अनुलाभ ।

v. प्रबन्ध अभिकर्त्ता अथवा कर्मचारी को मिली क्षतिपूर्ति की रकम एवं वे लाभ जो पुरानी मशीनों आदि को वेचने से प्राप्त होते हैं ।

va. लाभ व अनुलाभ जो धारा 28 (iv) के अन्तर्गत आते हैं ।

vi. पूँजी लाभ जो धारा 45 के अन्तर्गत कर-योग्य हैं ।

vii. पारस्परिक बीमा कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा किये गये बीमा व्यवसाय के लाभ जिनकी गणना धारा 44 के अनुसार की जाती है ।

viii. धारा 280D के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वार्षिकी ।

ix. लाटरी, पहेलियों, घुड़दौड़, जुआ व ताश के खेलों से अथवा किसी भी प्रकार की शर्त आदि से प्राप्त आय कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 से करयोग्य आय की श्रेणी में आ गई है व इस प्रकार कुल आय में शामिल की जाती है ।

इस परिभाषा से यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि आय के अन्तर्गत कौन सी प्राप्तियाँ कर-योग्य हैं । एक बात जो ध्यान आकर्षित करती है, वह यह है कि आय के अन्तर्गत पूँजी प्राप्तियों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है । 'आय' की व्यापक परिभाषा देने का प्रयत्न यद्यपि समय समय पर किया गया है, किन्तु यह कार्य काफी दुरूह है । कर जाँच आयोग ने भी 'आय' को परिभाषित करने में अपने आपको असमर्थ पाया है, किन्तु फिर भी इसके सम्बन्ध में कुछ ऐसे निश्चित सिद्धान्त रखे जा सकते हैं जिनके आधार पर किसी भी प्राप्ति को आय के अन्तर्गत रखने अथवा न रखने का निर्णय किया जा सके । ये सिद्धान्त उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिये गये विभिन्न निर्णयों पर आधारित हैं :—

1. आय रुपयों में प्राप्त होती है अथवा अनुलाभों के रूप में प्राप्त हो सकती है, किन्तु कुछ ऐसी अन्य प्राप्तियाँ भी होती है जिन्हें मुद्रा में मूल्यांकित किया जा सकता है ।

2. किसी भी धनराशि को आय के अन्तर्गत रखने का निर्णय करते समय हमें तीन मुख्य तत्वों को देखना होता है। किसी राशि में यदि ये तीनों तत्व पाये जायें तो यह राशि आय हो सकती है। ये तत्व हैं आय प्राप्ति की नियमितता, आय के प्राप्त होने की आशा एवम् आय का साधन।

3. इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि अमुक आय गैर कानूनी है अथवा गलत तरीकों से प्राप्त हो गई है। आयकर ऐसी आयों पर देना ही पड़ता है। हाँ, करदाता को गैर कानूनी तरीके अपनाने के लिये पुलिस अधिकारियों द्वारा सजा दी जा सकती है।

4. आय से तात्पर्य केवल बचत से नहीं है बल्कि समस्त प्राप्तियों से है। बचत व आय दो भिन्न चीजे हैं।

5. किसी आय प्राप्ति के स्वामित्व के विषय में यदि कोई विवाद उठ खड़ा हो तो इससे आयकर-निर्धारण को नहीं टाला जा सकता। जिस व्यक्ति को आय की प्राप्ति हुई है उसे आयकर देना ही पड़ेगा। किस व्यक्ति से ऐसी स्थिति में आयकर लिया जावे यह निर्णय आयकर अधिकारी का होगा।

6. आय की प्राप्ति किस्तों में भी हो सकती है और एक मुश्त भी। वेतन फीस, कमीशन आदि किस्तों में न लेकर यदि एक मुश्त प्राप्त किये जायें तो भी ये राशियाँ कर-योग्य होती हैं।

7. आय की प्राप्ति स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार से हो सकती है। आय-कर की दृष्टि से अस्थायी आय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्थायी आय।

8. धन की प्राप्ति के समय यदि वह धन आय की श्रेणी में नहीं आता तो वह कभी आय नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये यदि किसी वस्तु की बिक्री के सम्बन्ध में कुछ धन पेशगी प्राप्त हो गया है, किन्तु किसी कारणवश यदि बिक्री के न होने पर पेशगी जब्त हो जाती है तो वह प्राप्त पेशगी आय नहीं कहला सकती।

9. आय सदैव बाहरी साधनों से आनी चाहिये। यदि किसी क्लब के सदस्य चाय आदि के लिये 10 रुपये मासिक जमा करते हैं तथा वर्ष के अन्त में कुछ धन शेष बच रहता है तो यह धन आय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसकी प्राप्ति किसी भी बाहरी साधन से न होकर सदस्यों की अपनी ओर से ही है।

10. कर-निर्धारण के लिये आय का प्राप्त होना अधिक महत्व का नहीं है। करदाता ने यदि आय उपार्जित करली है, परन्तु प्राप्त नहीं की है तो भी इस उपार्जित रकम पर कर देना होगा।

11. आय का एक निश्चित स्रोत अथवा साधन होना आवश्यक है। ऐसी प्राप्ति, जिसका कोई स्रोत अथवा शीर्षक नहीं होता, आय नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, सड़क पर पड़ा हुआ बटुआ (जिसमें 500 रु० हैं) यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो यह धनराशि आय के अन्तर्गत नहीं आ सकती।

गतवर्ष (Previous Year)

गतवर्ष की परिभाषा आयकर के अध्ययन में विशेष महत्व की है क्योंकि गतवर्ष की आय पर ही कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। कर की दरें वे होती हैं जो कर-निर्धारण वर्ष में लागू होती है। कर-निर्धारण सम्बन्धी सभी कार्यवाही कर-निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ होते ही चालू होती है अतः उसी आय पर कर लगने की व्यवस्था है जो कर-निर्धारण वर्ष आरम्भ होने के ठीक पहले समाप्त हुए वर्ष में उपार्जित कर ली गई हो।

कुछ करदाता अपना हिसाब-किताब 31 मार्च को बन्द न करके किसी अन्य तिथि को समाप्त करते है, जैसे दशहरा, दीवाली अथवा संवत् आदि के अनुसार। तो इन करदाताओं का गतवर्ष इन तिथियों को समाप्त होने वाली 12 महीने की अवधि ही होगी।

गतवर्ष से संक्षेप में आशय चालू वित्त वर्ष के ठीक पहले समाप्त हुई 12 महीने की अवधि अथवा उस अवधि में समाप्त हुये किसी अन्य व्यापारिक वर्ष (जैसे दशहरा वर्ष आदि) से है।

इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित है :—

अ. यह वर्ष कर-निर्धारण वर्ष शुरू होने के ठीक पहले समाप्त होने वाला वित्त वर्ष है।

ब. करदाता द्वारा अपने हिसाब किताब के लिये यदि कोई अन्य वर्ष चुना जाता है तो यह वर्ष उपर्युक्त वित्त वर्ष में कहीं भी समाप्त होना चाहिये।

स. ऐसे व्यक्ति जो उपर्युक्त (अ) अथवा (ब) किसी भी विधि से अपना गतवर्ष निश्चित करने को तैयार नहीं है उनके लिए केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) द्वारा गतवर्ष का निर्धारण होगा।

कर निर्धारण वर्ष से पहले के वित्त-वर्ष में स्थापित किये गये नये व्यापार के लिये गतवर्ष

ऐसे व्यापार का गतवर्ष व्यापार के स्थापित होने की तिथि को आरम्भ हुआ माना जाता है तथा उसकी समाप्ति करदाता की इच्छानुसार निम्नलिखित किन्हीं भी तिथियों को हो सकती है :—

i. व्यापार स्थापित होने वाले वित्त-वर्ष की अन्तिम तिथि को, अर्थात् उस वर्ष की 31 मार्च को। ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में हिसाब-किताब सदैव 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखा जाया करेगा।

ii. करदाता ने यदि इसी वित्त-वर्ष की किसी अन्य तिथि को हिसाब-किताब बन्द कर दिया है तो उस तिथि तक की अवधि गतवर्ष मानी जायेगी।

iii. व्यापार की स्थापना वाली तिथि को समाप्त होने वाला वर्ष। उदाहरणार्थ व्यापार की स्थापना यदि 5 जून 1969 को हुई है तो 4 जून 1970 को समाप्त होने वाला वर्ष।

iv. करदाता इनमें से यदि किसी भी विधि से अपने व्यापार का गतवर्ष निश्चित नहीं कर सका है तो फिर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा गतवर्ष का निर्धारण होगा।

उदाहरण :—एक व्यापारी 10 जून 1974 को व्यापार की स्थापना करता है। यह व्यापारी यदि 31 मार्च 1975 तक की अवधि के लिए हिसाब-किताब तैयार करेगा तो 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाला वित्त-वर्ष इसके लिये गतवर्ष होगा। यह व्यापारी जब 31 दिसम्बर 1974 को हिसाब किताब बन्द करेगा, तो ऐसी स्थिति में 31 दिसम्बर 1974 को समाप्त होने वाली अवधि गतवर्ष होगी। आगे आने वाले व्यापारिक वर्ष पहली स्थिति में वित्त-वर्ष, तथा दूसरी में कैलैंडर वर्ष होंगे। इस व्यापारी को अपना हिसाब-किताब व अन्तिम खाते 9 जून 1975 तक किसी भी तिथि को बना लेने चाहिये। किन्तु यदि यह व्यापारी इस तिथि तक अपना हिसाब तैयार नहीं कर पाता तो फिर ऐसी स्थिति में गतवर्ष निश्चित करने का अधिकार केन्द्रीय बोर्ड को होगा।

आय के विभिन्न साधन :—आय के विभिन्न साधनों के लिये करदाता द्वारा विभिन्न गतवर्ष रखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए 'वेतन' की गणना वित्त-वर्ष के आधार पर, भवन सम्पत्ति से प्राप्त किराये की गणना कैलैण्डर वर्ष के अनुसार, प्रतिभूतियों पर ब्याज की गणना दीवाली वर्ष के लिए की जा सकती है। करदाता यदि किसी फर्म में साझेदार है तो फर्म से प्राप्त होने वाली आय के लिये वही गतवर्ष होगा जोकि फर्म के कर-निर्धारण के लिये निश्चित किया गया है।

करदाता द्वारा गतवर्ष बदलना :—एक बात ध्यान रखने की यह है कि किसी भी साधन के लिए एक बार गतवर्ष निश्चित हो जाने के बाद करदाता द्वारा इसे नहीं बदला जा सकता। गतवर्ष बदलने के लिए आयकर अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। आयकर अधिकारी अपनी स्वीकृति प्रदान करने से पहले किन्हीं भी शर्तों को करदाता के सम्मुख रख सकता है, जो उसे मान्य होंगी। आयकर अधिकारी ऐसी स्वीकृति देने से इन्कार भी कर सकता है।

केन्द्रीय बोर्ड का गतवर्ष सम्बन्धी अन्य अधिकार

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कर-निर्धारण वर्ष में आयकर निर्धारण के लिए यह आवश्यक है कि हिसाबी वर्ष 31 मार्च से पहले ही समाप्त हो गया हो। उदाहरण के लिये 1 अप्रैल 1972 से प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष में 31 मार्च 1972 को समाप्त हिसाबी वर्ष की आय पर ही कर लग सकता है। यदि कोई हिसाबी वर्ष 15 अप्रैल 1972 को समाप्त होता है तो इसकी आय पर कर-निर्धारण 1 अप्रैल 1972 को प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष में न होकर 1 अप्रैल 1973 को प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष में होगा अर्थात् करदाता ने इस प्रकार अपने करदायित्व को एक वर्ष की अवधि के लिए टाल दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर केन्द्रीय बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि आयकर अधिकारी को आवश्यक निर्देश देकर 30 अप्रैल तक समाप्त होने वाले गतवर्ष की आय पर कर-निर्धारण इसी कर-निर्धारण वर्ष में करा दे।

उदाहरण :—एक व्यापरी 15 मई 1974 को व्यापार प्रारम्भ करता है तथा 16 अप्रैल 1975 तक की अवधि का हिसाब-किताब बनाता है। साधारण स्थिति में 16 अप्रैल 1975 को समाप्त हुए गतवर्ष की आय पर कर-निर्धारण 1976-77 कर-निर्धारण वर्ष में होना चाहिये, परन्तु बोर्ड द्वारा दिये गये अधिकार के अन्तर्गत आयकर अधिकारी केन्द्रीय बोर्ड से अनुमति प्राप्त करके 1975-76 कर-निर्धारण वर्ग में ही इस आय पर कर लगा देगा। गतवर्ष को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण उपयोगी है :—

पुराने व्यापारी की दशा में

हिसाबी वर्ष तथा गतवर्ष	कर-निर्धारण वर्ष
1 अप्रैल 1973 से 31 मार्च 1974 तक	1974-75
10 जून 1973 से 9 जून 1974 तक	1975-76
10 जन० 1974 से 31 दिसम्बर 1974 तक	1975-76
3 अप्रैल 1973 से 2 अप्रैल 1974 तक	1974-75 कमिश्नर की इच्छा पर
दशहरा (अक्टू०) 1974 से दशहरा 1975 तक	1976-77
दीपावली (नव०) 1973 से दीपावली 1974 तक	1975-76

नये स्थापित व्यापार की दशा में

व्यापार स्थापित करने की तिथि	हिसाबी वर्ष या गतवर्ष		कर-निर्धारण वर्ष	विशेष विवरण
	प्रथम हिसाबी वर्ष की अन्तिम तिथि	गतवर्ष की अवधि		
1 जनवरी 1974	31 दिसम्बर 1974	12 माह	1975-76	भविष्य में हिसाबी वर्ष 1 जनवरी से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर को समाप्त हुआ करेगा।
1 जनवरी 1974	31 मार्च 1974	3 माह	1974-75	भविष्य में सदैव वित्त-वर्ष ही हिसाबी वर्ष रहेगा।
1 जुलाई 1973	31 दिसम्बर 1973	6 माह	1974-75	कलैण्डर वर्ष हिसाबी वर्ष होगा।
1 जुलाई 1973	31 मार्च 1974	9 माह	1974-75	आने वाले वर्षों में वित्त वर्ष ही हिसाबी वर्ष होगा।
दीपावली 1974 (नवम्बर)	दीपावली 1975 (नवम्बर)	12 माह	1976-77	दीवाली वर्ष के अनुसार ही हिसाब रखा जायेगा।

साधारण नियम

गतवर्ष से सम्बन्धित साधारण नियम यह है कि गतवर्ष में उपार्जित अथवा प्राप्त आय ही कर-निर्धारण वर्ष में कर-योग्य होती है, किन्तु इस नियम को सदैव ही कार्य में लाया जाता हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी हैं जबकि गतवर्ष वाले साधारण नियम की उपेक्षा कर दी जाती है। उन स्थितियों का विवरण इस प्रकार है—

1. **अनिवासी जहाजी कम्पनियों को आय**—अनिवासी समुद्री जहाजी कम्पनियों को माल, यात्री व पशुओं के ढोने आदि से भारत में भी आय प्राप्त होती है। ऐसी कम्पनियों को होने वाली आय पर कर-निर्धारण आय के उपार्जित होने वाले वर्ष में ही हो जाता है बशर्ते कि इन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति (person) भारत में न हो। अधिनियम के अनुसार भारत के बन्दरगाह से माल, डाक, यात्री व पशु ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त व प्राप्य आय का $\frac{1}{6}$ भाग जहाजी कम्पनी की कर-योग्य आय मानी जाती है। धारा [172]

2. **भारत को छोड़ने वाले व्यक्तियों की आय**—कोई व्यक्ति यदि भारत को छोड़कर विदेश यात्रा पर जाने का उपक्रम करता है तथा आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि उसका वापिस आने का इरादा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का कर-निर्धारण आय उपार्जित होने वाले वर्ष में ही कर दिया जाता है। पिछले गतवर्ष की अन्तिम तिथि से भारत से जाने की सम्भावित तिथि तक की कुल आय का अनुमान लगाकर इस पर कर की देय राशि मालूम कर ली जाती है। [धारा 174]

3. **कर बचाने के लिये सम्पत्ति का हस्तान्तरण**—कभी-कभी आयकर अधिकारी को किन्हीं करदाताओं के सम्बन्ध में ऐसा विश्वास हो जाता है कि वे आयकर का भुगतान न करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति आदि अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने का उपक्रम कर रहे है, ऐसी स्थिति में भी आयकर का निर्धारण तुरन्त ही कर दिया जाता है। [धारा 175]

4. **व्यापार की समाप्ति पर**—ऐसे व्यापार की आय पर भी कर की देय राशि तुरन्त निकाल ली जाती है। पिछले गतवर्ष की अन्तिम तिथि से व्यापार के बन्द होने की तिथि तक का लाभ निकाल लिया जाता है तथा कर-निर्धारण तुरन्त सम्पन्न कर दिया जाता है। [धारा 176]

समझी गई आय के लिए गतवर्ष
(Previous year for deemed incomes)

निम्नलिखित मदों के लिए किसी भी करदाता के लिए वह गतवर्ष होगा जिसमें कि इनसे सम्बन्धित धनराशियाँ करदाता के स्वामित्व में पाई गई हैं :

अ. नकद साख (cash credit);

ब. बिना स्पष्ट किये हुए विनियोग (unexplained investments);

स. बिना स्पष्ट की गई रोकड़ (unexplained cash);

द. पूर्ण रूप से न दिखाये गये विनियोग (Amount of investments etc. not fully disclosed in books of accounts)।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. "आयकर ऐसा कर है जो केवल आय पर लगता है अन्य किसी रकम पर नहीं।" इस कथन की व्याख्या कीजिए।
2. 'कर-निर्धारण वर्ष' एवं 'गतवर्ष' का अन्तर स्पष्ट कीजिए।
3. 'आय के विभिन्न साधनों के लिये करदाता द्वारा विभिन्न गतवर्ष रखे जा सकते हैं।' इस कथन का तात्पर्य एक उदाहरण देते हुये समझाइए।
4. 'गतवर्ष में हुई आय पर ही अगले कर-निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया जाता है।' इस नियम के अपवादों पर प्रकाश डालिये।
5. कृषि आय कितने प्रकार की होती हैं। ऐसी आयों के उदाहरण लिखिये जो यद्यपि भूमि से सम्बन्धित होती हैं, किन्तु कृषि-आय नहीं हैं।
6. क्या निम्नलिखित आय कृषि-आय हैं ?
   'अ' एक कृषि फार्म पर कर्मचारी हैं। फार्म की आय करमुक्त है। अ का वार्षिक पारिश्रमिक इस करमुक्त आय का 10% है।
7. आयकर अधिनियम 1961 में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावली की व्याख्या कीजिये: कृषि-आय; गत वर्ष, आय व करदाता।
8. निम्नलिखित हिसाबी वर्षों के लिये कौन से वर्ष कर-निर्धारण वर्ष होंगे :—
   20 अगस्त 1973 से 19 अगस्त 1974 तक
   4 जुलाई 1971 से 3 जुलाई 1972 तक
   10 जनवरी 1972 से 9 जनवरी 1973 तक
   12 अप्रैल 1973 से 11 अप्रैल 1974 तक
   दीपावली 1972 से दीपावली 1973 तक
   15 फरवरी 1973 से 14 फरवरी 1974 तक
9. 'अ' के बहुत से व्यापार हैं जिनके हिसाबी वर्षों की अवधि इस प्रकार है: —
   i. कपड़ा व्यापार—दीपावली वर्ष
      (अक्टूबर-नवम्बर से अक्टूबर-नवम्बर तक)
   ii. ठेका व्यापार—वित्त वर्ष
      (अप्रैल से मार्च तक)
   iii. कपड़े की मिल-कलैण्डर वर्ष
      (जनवरी से दिसम्बर तक)

   1975-76 कर-निर्धारण वर्ष में किन-किन गतवर्षों के लिए कर दायित्व की गणना होगी ?
10. एक करदाता के व्यापारिक स्थान की तलाशी करने पर 15 नवम्बर, 1974 को निम्नलिखित मदें प्राप्त हुईं। इनका गतवर्ष बताइये :—
    अ. विनियोग जिनका उल्लेख बहीखातों में नहीं है।
    ब. नकद रुपया जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है।

पूँजी और आय 3

(CAPITAL AND INCOME)

आयकर लगाने के उद्देश्य से पूँजी व आय का भेद बहुत महत्व का है। हम प्राय: जानते हैं कि आयकर उसी धनराशि के प्राप्त होने पर दिया जाता है जो आय के रूप में प्राप्त होती है; इन्हें आयगत प्राप्ति कहते हैं। ऐसी प्राप्तियाँ जो पूँजी के रूप में अथवा पूँजी सम्पत्ति के लिए प्राप्त होती हैं, आयकर की सीमा में नहीं आतीं। इन्हें पूँजीगत प्राप्तियाँ कहते हैं। यह बात अलग है कि पूँजी सम्पत्ति को बेचने से होने वाला लाभ 'पूँजी लाभ' के रूप में करयोग्य होता है।

पूँजीगत व आयगत का सिद्धान्त प्राप्तियों पर लागू होने के साथ साथ व्यय व हानियों के सन्दर्भ में भी बहुत उपयोगी है। आयगत प्राप्तियों में से आयगत व्यय घटाकर करयोग्य आय की गणना की जाती है जबकि पूँजीगत व्यय इस प्रकार नहीं घटाये जा सकते। इसी प्रकार उन हानियाँ को जो आयगत होती हैं अर्थात् आय के उपार्जन से सम्बन्ध रखती हैं, कुल आय में से घटाकर करयोग्य आय निकालते हैं। दूसरी ओर पूँजीगत हानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

पूँजी व आय का कोई विवरण आयकर अधिनियम में नहीं मिलता, अत: किसी भी मामले में पूँजी व आय का निर्णय करते समय लेखाविधि के सिद्धान्तों व विभिन्न निर्णयों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्राय: ऐसा समझा जाता है कि पूँजी और आय का अन्तर काफी स्पष्ट है व उस पर काफी लिखा भी जा चुका है किन्तु यह कथन सही नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब कि आय व पूँजी के अन्तर की रेखा अस्पष्ट होती है व इस सम्बन्ध में निर्णय करते समय इसके परिष्कृत ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इस अध्याय में हम पूँजी व आय पर प्रकाश डालने के लिए समस्त विवरण को तीन भागों में बाँटेंगे :—

अ. **प्राप्तियाँ** (Receipts)
ब. **व्यय** (Expenditure)
स. **हानियाँ** (Losses)

अ. प्राप्तियाँ

प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं—पूँजीगत प्राप्ति व आयगत प्राप्ति। ऐसी प्राप्ति जो पूँजी सम्पत्ति के बदले में प्राप्त होती है पूँजीगत प्राप्ति कहलाती है। इस पर आयकर देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी प्राप्ति जो व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री से होती है आयगत प्राप्ति के क्षेत्र में आती है व इन पर आयकर लगाया जाता है। इसका परस्पर भेद जानने के लिए हमें निम्नलिखित आधारों को ध्यान में रखना चाहिये :—

1. **स्थायी पूँजी अथवा स्थायी परिसम्पत्ति के लिए मिली प्राप्त राशि पूँजी प्राप्तियों की श्रेणी में आती है जबकि चलपूँजी से सम्बन्धित प्राप्ति आयगत प्राप्ति कहलाती है।** स्थायी पूँजी वह है जिसे उसका स्वामी अपने व्यापार में रखता है व उसे

लाभ प्राप्ति के लिये व्यापार में प्रयोग करता है। जैसे किसी भी व्यापारी के व्यापार में इस्तैमाल होने वाला फर्नीचर। ऐसे फर्नीचर को वेचकर प्राप्त हुई धनराशि पूँजी-गत प्राप्ति है। चलपूँजी वह होती है जो प्रायः बदलती रहती है व जिसे व्यापारी लाभ प्राप्ति के लिये रोजाना वेचता रहता है जैसे फर्नीचर विक्रेता के लिए फर्नीचर। **किसी पूँजी सम्पत्ति के नष्ट होने पर मिली क्षतिपूर्ति की रकम पूँजीगत प्राप्ति है जब कि किसी व्यापारिक सम्पत्ति के हानिकारक प्रभाव के लिए प्राप्त क्षतिपूर्ति आयगत प्राप्ति होगी।**

2. **आय के साधन के प्रतिस्थापन के लिए मिली रकम पूँजीगत प्राप्ति है जबकि केवल आय की प्रतिस्थापना के लिए मिली राशि आयगत प्राप्ति होती है।** किसी कर्मचारी कोअपने नियोक्ता द्वारा नौकरी समाप्त करने पर मिली क्षतिपूर्ति की रकम पूँजीगत प्राप्ति है (यद्यपि यह करयोग्य होती है) जबकि दुकान बन्द होने पर आय न होने की स्थिति में यदि बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति की रकम मिलती है तो यह प्राप्ति आयगत होगी।

3. किसी सम्पत्ति के खरीद व विक्री सम्बन्धी जब केवल एक ही सौदा होता है तो इस सम्बन्ध में पूँजी व आय का निर्णय करने के लिये **हमें वस्तु के स्वामी का उद्देश्य देखना पड़ता है। सम्पत्ति को खरीद कर जब इसे विनियोग की तरह रखा जाता है अर्थात् जब सम्पत्ति से प्राप्त आय ही सम्पत्ति के स्वामी को प्रेरणा देती है तो ऐसी सम्पत्ति के बेचने से प्राप्त आय पूँजीगत प्राप्ति होती है।** दूसरी ओर जब किसी सम्पत्ति को केवल लाभोपार्जन के उद्देश्य से वेचने के लिये खरीदा जाता है तो ऐसी सम्पत्ति के बेचने से प्राप्त रकम लाभगत प्राप्ति कहलाती है।

4. **किसी व्यक्ति को एक प्रसंविदे के अन्तर्गत जब किन्हीं अधिकारों के त्यागने पर कोई धनराशि मिलती है तो यह पूँजीगत प्राप्ति होती है चूँकि यह प्राप्ति पूँजी सम्पत्ति के बदले में प्राप्त हुई है।** उदाहरण के लिये एक साझेदार फर्म से अलग होते हुए यह वचन देता है कि वह फर्म के व्यापार से मिलता जुलता कोई अन्य व्यापार 15 वर्ष की अवधि तक नहीं करेगा। इस एवज में उसे फर्म द्वारा 20,000 रु० की राशि दी जाती है। यह प्राप्ति साझेदार के हाथों में पूँजीगत प्राप्ति है।

दूसरी ओर जब भावी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कोई रकम प्राप्त होती है तो यह लाभगत प्राप्ति होती है। किसी मकान मालिक ने 3 वर्ष के लिये मकान किराये पर दिया किन्तु किरायेदार एक वर्ष के बाद ही मकान छोड़ देना चाहता है तो आपसी प्रसंविदा तोड़ने के लिए किरायेदार मालिक मकान को जो क्षतिपूर्ति की रकम देगा वह मकान मालिक के हाथों में लाभगत प्राप्ति होगी।

असार विचार (Immaterial Considerations)

निम्नलिखित विचार पूँजीगत व लाभगत प्राप्ति निश्चित करने के लिए असार हैं व इनका हमारे निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता—

1. कोई प्राप्ति आवर्ती है अथवा केवल एक बार ही प्राप्त होती है, इसका कोई प्रभाव हमारे निर्णय पर नहीं पड़ता। वेतन चाहे वर्ष में एक बार ही मिले अथवा प्रति माह मिलता रहे; यह आयगत प्राप्ति ही होती है।

2. कोई रकम कितने परिणाम में प्राप्त हुई है यह देखना निरर्थक है। प्राप्त रकम का परिणाम सापेक्ष महत्व का होता है, निरपेक्ष नहीं। एक बात ध्यान देने की यह है कि लेनदेन का परिणाम पूर्ण रूप से असम्बद्ध नहीं है अर्थात् किसी वस्तु की बिक्री यदि बार बार होती है तो यह प्राप्तियाँ आयगत मानी जा सकती हैं।

3. सम्बद्ध पक्षों द्वारा किसी भी सौदे को क्या नाम दिया जाता है अथवा करदाता ने प्राप्ति को अपने बहीखातों में किस प्रकार दिखलाया है, हमारे लिये निश्चयकारक नहीं है।

4. अब तक विभिन्न निर्णयों द्वारा यह निश्चय किया जा चुका है कि ऐसी पूँजी से प्राप्त लाभ करयोग्य होते हैं जिसका लाभोपार्जन की प्रक्रिया में उपभोग व क्षय होता रहता है। खानों से प्राप्त लाभ इसी सिद्धान्त के आधार पर करयोग्य माने जाते है, यद्यपि इसे पूँजी सम्पत्ति की वसूली (realisation of capital assets) का नाम भी दिया जा सकता है।

5. किसी भी प्राप्ति की प्रकृति का निश्चय पूर्णतया इस बात पर निर्भर करता है कि इसके प्राप्तकर्ता के हाथों में इसका क्या रूप है; हमें इससे सरोकार नहीं है कि जिस श्रोत से यह धनराशि प्राप्त हुई है उसका क्या स्वरूप है।

6. भुगतान करने वाले के हाथों में यह भुगतान पूँजीगत भुगतान हो सकता है किन्तु प्राप्तकर्ता के हाथों में यही आयगत प्राप्ति माना जा सकता है। फर्नीचर विक्रेता के हाथों में फर्नीचर की बिक्री से प्राप्त रकम आयगत प्राप्ति होगी जबकि फर्नीचर क्रेता के लिए फर्नीचर खरीदने पर किया गया व्यय पूँजीगत है, आयगत नहीं, बशर्ते कि यह फर्नीचर इस्तैमाल करने के लिए खरीदा गया है।

ब. व्यय

आय की तरह व्यय भी दो प्रकार के होते हैं—पूँजीगत व्यय व आयगत व्यय। आयगत व्यय को अधिक सही तरह से 'संचालन व्यय' कह कर भी व्यक्त किया जा सकता है। अपने विवरण में हम इसे संचालन व्यय ही कहेंगे। आय की भाँति इन व्ययों का अन्तर करना भी कठिन कार्य है तथा इसके अन्तर को स्पष्ट करने के लिये ऐसे अचूक परीक्षण नहीं दिए जा सकते जो सभी स्थितियों में ठीक ठीक सिद्ध हो सकें। फिर भी कुछ सिद्धान्त नीचे दिये जा रहे हैं जिन्हें स्थिति विशेष में लागू करके व्यय की प्रकृति के विषय में निष्कर्ष निकाल सकते है।

1. **कोई व्यय यदि सदैव के लिए एक बार ही किया गया है व इसके करने से किसी पूँजी सम्पत्ति का उदय हुआ है अथवा किसी दीर्घकालीन लाभ की प्राप्ति हुई है तो ऐसे व्यय पूँजीगत मानने के पर्याप्त कारण हमारे पास हैं।**

दूसरी ओर यदि व्यय ऐसे हैं जो व्यापार द्वारा लाभोपार्जन की क्रिया में प्रायः किए जाते हैं तो यह संचालन व्यय कहलाते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि व्यय पूँजी सम्पत्ति अथवा स्थायी लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है तो यह पूँजीगत व्यय ही होगा चाहे पूँजी सम्पत्ति अन्ततोगत्वा प्राप्त हुई हो अथवा नहीं। एजेन्सी प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान पूँजीगत व्यय है चाहे एजेन्सी प्राप्त हुई हो अथवा न हुई हो।

2. **करदाता द्वारा किसी पूँजीगत दायित्व से मुक्ति पाने के लिये किया गया भुगतान निश्चय ही पूँजीगत व्यय है।** उदाहरण के लिये करदाता एक मशीन खरीदना

चाहता है जो उसके कारखाने में काम आयेगी। इसके लिये वह मशीन विक्रेता से एक प्रसंविदा करता है। बाद में उसे मालूम होता है कि यह मशीन उसके लिये उपयोगी नहीं है वह प्रसंविदा तोड़ना चाहता है तथा इसके लिये उसे कुछ हर्जाना मशीन विक्रेता को देना होता है—यह पूँजी व्यय है।

इसके विपरीत यदि कुछ व्यय ऐसे किये जाते हैं जिससे कि बार बार किये जाने वाले संचालन व्ययों से मुक्ति मिल जाती है तो एक बार में ही व्यय की गई यह सम्पूर्ण राशि संचालन व्यय समझी जायेगी। करदाता ने एक कालिज से प्रतिवर्ष कागज की सप्लाई के लिये प्रसंविदा किया हुआ है। कागज की दरें बढ़ जाने से अब वह पुरानी दरों पर कागज की सप्लाई जारी नहीं रख सकता। अतः वह यह प्रसंविदा कुछ हर्जाना देकर तोड़ देता है व इस प्रकार वार्षिक दायित्व से मुक्ति पा जाता है। हर्जाने की दी गई रकम संचालन व्यय होगी।

3. **कोई व्यय यदि किसी ऐसे साधन को प्राप्त करने में किया जाता है जिससे आय की प्राप्ति होगी तो यह पूँजीगत व्यय होगा।** किसी एजेन्सी को प्राप्त करने के लिये किया गया व्यय इसका उदाहरण है।

कोई व्यय यदि व्यापार के संचालन में किया जाता है तो इसे संचालन व्यय कहते हैं। उदाहरण के लिये व्यापारिक स्थान के लिये दिया गया किराया।

4. **जब कोई व्यय स्थायी सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये किया जाता है तो यह पूँजीगत व्यय है।** मशीन व इमारत को खरीदना इसके उदाहरण है।

व्यापार की स्थायी सम्पत्ति को सही हालत में बनाये रखने के लिये जो व्यय किये जाते हैं संचालन व्यय कहलाते हैं। जैसे मशीन व इमारत को सही हालत में रखने के लिये किये गये मरम्मत सम्बन्धी व्यय।

5. **स्थायी सम्पत्ति के सुधार व विस्तार के लिये किये गये व्यय पूँजीगत कहलाते हैं।** व्यापारिक भवन में विस्तार करना इनका एक उदाहरण है। जबकि इसको अच्छी हालत में रखने के लिये किये गये व्यय संचालन व्यय हैं जैसे भवन में सफेदी कराने के किये गये व्यय।

6. व्यापार प्रारम्भ करने के लिये किये गये व्यय, मशीन के कायाकल्प व नवीनीकरण के लिये किये गये व्यय पूँजीगत व्यय हैं। ऐसा प्रत्येक व्यय जिससे व्यापार की लाभोपार्जन शक्ति में वृद्धि होती है पूँजीगत व्यय कहलाता है जब कि व्यापार के चालू व्यय संचालन व्यय होते हैं।

हानियाँ

प्राप्ति व व्यय की भाँति हानियाँ भी दो प्रकार को होती हैं, पूँजी हानि व व्यापारिक हानि। इनका अन्तर भी हमारे आयकर अधिनियम के अध्ययन के लिए अत्यावश्यक है। जैसा कि अन्यत्र स्पष्ट किया जा चुका है, कुल सकल आय की गणना करते समय हानि की पूर्ति लाभ से कर दी जाती है। एक नियम इसके सम्बन्ध में यह है कि पूँजीगत हानि की पूर्ति पूँजीगत लाभ से ही की जा सकती है जबकि व्यापारिक हानियों की पूर्ति व्यापारिक लाभों से होती है। इसके अन्तर को भी आयकर अधिनियम में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मोटे रूप से इन पदों को निम्न शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है।

"पूँजी सम्पत्ति की हानि पूँजीगत हानि कहलाती है जबकि व्यापारिक माल की हानि अथवा व्यापार के संचालन के दौरान हुई हानि व्यापारिक हानि के नाम से जानी जाती है।"

नीचे हम कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनमें पूँजीगत हानि व व्यापारिक हानि समझने में सहायता मिलेगी :—

1. एक व्यापारी ने किसी अन्य पक्ष के लिए 5,000 रु० की जमानत दी। वह पक्ष भुगतान न कर सका, फलस्वरूप व्यापारी को 5,000 रु० की हानि उठानी पड़ी। यह हानि पूँजीगत हानि है क्योंकि जमानत देने का कार्य व्यापार के साधारण संचालन के बाहर का विषय है। किन्तु यदि यही जमानत व्यापार की साधारण प्रथा के अन्तर्गत एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी के लिए दी जाती है तो यह हानि व्यापारिक हानि की श्रेणी में आती है।

2. व्यापारिक स्कन्ध की दीमक आदि के द्वारा हानि व्यापारिक हानि कहलाती है जबकि भवन में आग लगने के कारण हुई हानि पूँजीगत हानि है।

3. व्यापार के मुनीम द्वारा बहीखातों में कुछ फेर बदल करके गबन किये गये रुपये की हानि व्यापारिक हानि है जबकि चोरों के द्वारा चुराये गये धन की हानि पूँजीगत हानि है। किन्तु यदि किसी बैंक से चोर रुपया चुरा ले जाते हैं तो यह व्यापारिक हानि स्वीकृत की गई है।

विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों के आधार पर हम नीचे कुछ पूँजीगत व आयगत मदों की सूची दे रहे है जिनसे छात्रों को लाभ होगा।

पूँजीगत प्राप्तियाँ

1. फर्म को कम्पनी में बदलने के समय सम्पत्तियों को बेचने पर प्राप्त मूल्य जो इन सम्पत्तियों के लिखित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए। विक्रय मूल्य के अधिक होने पर आधिक्य पूँजी लाभों के अन्तर्गत करयोग्य हो सकता है।

2. अध्यादेश द्वारा ऋणों की रकम कम करने के बाद मूलधन की वसूली।

3. साझेदारी फर्म में एक साझेदार द्वारा फर्म से सम्बन्धित अपने सभी अधिकारों को छोड़ने पर मिली क्षतिपूर्ति की रकम।

4. भविष्य में मिलने वाले पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकार को छोड़ने के लिए मिली क्षतिपूर्ति की रकम।

5. निर्यात लाइसेन्स को निलम्बित किये जाने पर मिली क्षतिपूर्ति।

6. मशीन आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई किन्तु ऐसी स्थिति आ गई जबकि उस देश से किसी भी पूँजी सम्पत्ति का आयात असम्भव हो गया। ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा को बेचने से प्राप्त हुआ लाभ।

7. विदेशी मुद्रा के विनिमय मूल्य में परिवर्तन से हुआ लाभ।

8. स्थायी पट्टे पर दी जाने वाली सम्पत्ति के लिए प्राप्त सलामी अथवा नजराना।

9. अपने आप उगे हुए पेड़ों को जड़ सहित बेचने पर प्राप्त हुई धन राशि।

लाभगत प्राप्तियाँ

1. पूँजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के प्रतिफल के रूप में मिली वार्षिकी।
2. जगली पेड़ों को बेचने से प्राप्त रकम।
3. रायल्टी छोड़ने के एवज में मिली एक मुश्त रकम।
4. अपने पारिश्रमिक में की गई कटौती के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त एक मुश्त रकम।
5. संचालक के पद से त्यागपत्र न देने सम्बन्धी इकरार के सन्दर्भ में प्राप्त धनराशि।
6. प्रसंविदे को समय से पहले समाप्त करने के लिए मिली क्षतिपूर्ति।
7. प्रसंविदा तोड़ने के लिए न्यायालय द्वारा दिलाई गई क्षतिपूर्ति।
8. बुरे ऋण जो आयकर निर्धारण के समय स्वीकृत मान लिए गये थे, यदि भविष्य में वसूल हो जायें तो लाभगत प्राप्ति होते हैं।

पूँजीगत व्यय

1. भवन में किये गये बड़े व सारपूर्ण सुधारों के लिए किया गया व्यय।
2. व्यापार के लिए खरीदी गई पूँजी सम्पत्ति से सम्बन्धित मुकद्दमे के लिए किये गये व्यय।
3. व्यापार की किसी सम्पत्ति के स्वामित्व में किसी दोष को दूर करने के लिए किया गया व्यय।
4. किसी मशीनरी को खरीदने के लिए किए गये प्रसंविदे को तोड़ने पर दी गई क्षतिपूर्ति की रकम। मशीन को खरीदना बेकार का विनियोग समझा गया था।
5. किसी खदान उद्योग के लिए पट्टे पर ली गई जमीन के सम्बन्ध में दी गई टेण्डर की रकम।
6. फैक्टरी की इमारत में लगाई गई नई खिड़कियों पर किया गया व्यय।
7. प्रिंटिंग प्रैस के चालू होने के प्रथम वर्ष में छापेखाने के टाइप को खरीदने के लिए किया गया व्यय।

लाभगत व्यय अथवा संचालन व्यय

1. एजेन्ट को दिया गया कमीशन।
2. किसी पूँजी सम्पत्ति को बचाने के लिए किये गये व्यय।
3. व्यापारिक सम्पत्तियों के वर्तमान स्वामित्व को बचाने के लिए किये जाने वाले मुकद्दमे पर व्यय।
4. 'अपने टेलीफून के स्वामी बनिये' योजना के अन्तर्गत दी गई 3,000 रु० की राशि।
5. ग्राहकों को लाने के लिए दिया गया कमीशन।
6. विज्ञापन, फोटो, निमन्त्रण पत्र, वेतन, पोस्टेज, टेलीग्राम, टेलीफून, किराया बिजली, पानी, सवारी अथवा यात्रा आदि सभी से सम्बन्धित व्यय।

उदाहरण

1. निम्नलिखित प्राप्तियों की कर-योग्यता के बारे में प्रकाश डालिए :—

   अ. नौकरी समाप्त करने के लिए नियोक्ता से कर्मचारी को मिली क्षतिपूर्ति की रकम।

   ब. व्यापारिक एजेन्सी को निर्धारित अवधि से पहले समाप्त किए जाने पर व्यापारी को मिली क्षतिपूर्ति की रकम। व्यापारी करदाता के पास केवल यही एक एजेन्सी थी।

   स. सरकार द्वारा व्यापार की जगह के अभिग्रहण करने पर करदाता द्वारा अपने व्यापार को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा। इस स्थान परिवर्तन के दौरान कुछ दिनों तक व्यापार संचालन न हो सका व लाभोपार्जन में कुछ कमी आई। इस कमी के लिए सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति की रकम करदाता को दी गई।

अ. नौकरी समाप्त करने पर नियोक्ता से मिली क्षतिपूर्ति की रकम कर्मचारी के हाथों में वेतन के स्थान में लाभ की श्रेणी में आती है व धारा 17 (1) के अन्तर्गत यह करयोग्य है।

ब. यह रकम पूँजी प्राप्ति है क्योंकि यह आय के एक मात्र साधन को समाप्त करने के बदले मिली है। सुप्रीम कोर्ट के C. I. T. v. Best & Co. के मामले में ऐसा निर्णय दिया है कि करदाता के पास यदि एक से अधिक व्यापारिक एजेन्सी है तो किसी एक एजेन्सी समाप्त होने पर मिली क्षतिपूर्ति की रकम करयोग्य होती है।

स. क्षतिपूर्ति की रकम आयगत प्राप्ति है व करयोग्य है। यह प्राप्ति लाभ के स्थान पर मिली है अतः आयगत है।

2. निम्नलिखित राशियाँ आयगत हैं अथवा पूँजीगत, स्पष्ट कीजिए :

   अ. करदाता एक मोटर यातायात कम्पनी थी, जिसने पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिये किसी दूसरी मोटर कम्पनी के अंश खरीदे। बाद में इन अंशों को बेचने पर हानि हुई।

   ब. करदाता कम्पनी ने सार्वजनिक स्थान पर कच्ची सड़क बनवाई जिससे उसे गन्ने की सप्लाई सुगमता से प्राप्त हो सके। यह सड़क वर्षा ऋतु के बाद नष्ट हो गई।

   स. करदाता फर्म ने रनवीर ब्रादर्स की सहायता से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अपनी प्रकाशित पुस्तकों को स्वीकृत कराया, तथा समझौते के अनुसार उन्हें रायल्टी दी।

   द. करदाता ने अपनी भूमि ईटें बनाने वाले व्यक्ति को दी जिसने भूमि में से मिट्टी खोद कर ईटें बनाईं व करदाता को 2 रुपये प्रति हजार ईटों की दर से शुल्क दिया।

अ. अंशों को बेचने से हुई हानि पूँजीगत हानि है क्योंकि यह सिद्ध नहीं हो सका कि दूसरी कम्पनी के अंशों को खरीद कर प्रतिस्पर्धा कैसे समाप्त हो सकती है। Gandhara Transport Co P. Ltd. v C.I.T. (1972) 84 I.T.R. 294.

ब. कच्ची सडक पर किया गया व्यय संचालन व्यय माना गया है क्योंकि यह व्यय प्रतिवर्ष किया जावेगा व अस्थाई महत्व का होगा। C. I. T. v. H. R. Sugar Factory [1972] 83 I. T. R. 858.

स. रनवीर ब्रादर्स को दी गई धनराशि पूँजीगत भुगतान ठहराया गया है क्योंकि इससे करदाता को अपने व्यापार के लिए नवीन क्षेत्र उपलब्ध हुआ व उसे स्थायी महत्व का लाभ मिला। C I. T. v. Naya Sahitya [1972] 84 I.T.R.567.

द. यह सौदा मिट्टी खोदने व उसकी बिक्री से सम्बन्धित है अतः प्राप्त धनराशि पूँजीगत ठहराई गई है। Amritlal Chhaganlal v. C. I. T. [1972] 84 I. T. R. 677.

प्रश्न

1. किसी भी विशेष धनराशि को पूँजीगत अथवा लाभगत निर्धारण करने के लिए हमें कौन कौन से परीक्षण करने चाहिए ?
2. पूँजीगत प्राप्ति व पूँजीगत व्यय के अन्तर को स्पष्ट कीजिए व उदाहरण देकर भली भाँति समझाइये।
3. "पूँजीगत व लाभगत संकल्पनायें गतिशील हैं, स्थैतिक नहीं; इनकी कसौटियाँ बदलती हुई परिस्थितियों में बदलती है"। इस कथन की व्याख्या कीजिए।

———

निवास स्थान व कर-दायित्व 4

(RESIDENCE AND TAX LIABILITY)

आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करदाता को गतवर्ष के लिए प्राप्त व उपार्जित आय पर कर-निर्धारण वर्ष में आयकर देना पड़ता है। इसमें से कुछ आय ऐसी होती है जो अपने ही देश में उपार्जित की जाती है व कुछ आय ऐसी भी हो सकती है जो भारत के बाहर उपार्जित की गई हो किन्तु जिसकी प्राप्ति भारत में हुई हो। कुछ आय ऐसी भी होती है जो भारत के बाहर उपार्जित की गई हो तथा जिसकी प्राप्ति भी वहीं हुई हो। अब वास्तविक समस्या यह है कि क्या इस सभी आय पर भारत में आयकर लगाया जा सकता है? इसके उत्तर के लिए आयकर अधिनियम में करदाताओं को उनके निवास स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इनमें से एक वर्ग के करदाता को सभी आय पर कर देना होता है चाहे वह आय भारत में प्राप्त हुई हो अथवा भारत के बाहर। दूसरी ओर किसी दूसरे वर्ग के करदाता को केवल उसी आय पर कर देने की योजना है जो भारत में ही अर्जित अथवा प्राप्त हुई हो।

निवास स्थान

धारा 4 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को गतवर्ष की अपनी कुल आय पर आयकर देना होता है। धारा 5 में 'कुल आय' को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार किसी भी करदाता की करवाह्यता इस बात पर निर्भर करती है कि गतवर्ष में निवास स्थान सम्बन्धी उसका दर्जा (status) क्या था?

प्रत्येक गतवर्ष के लिए हमें निवास स्थान अलग से देखना पड़ता है क्योंकि किसी एक गतवर्ष में निश्चित की गई निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति आवश्यक रूप से दूसरे गतवर्ष में करदाता की इस स्थिति को प्रभावित नहीं करती। निवास स्थान के अनुसार करदाताओं को हम निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रख सकते है :

अ. व्यक्ति जो भारत में निवासी है (Persons residents in India ;

ब. व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं (Persons not ordinarily residents in India);

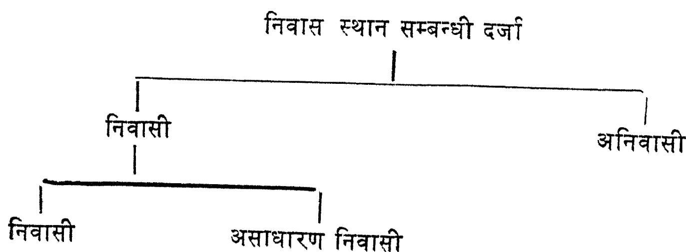
स. व्यक्ति जो भारत में अनिवासी हैं (Persons not residents in India)।

इनमें से प्रत्येक को अलग-अलग आधार पर कर देना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ करदाताओं द्वारा भारत में उपार्जित आय पर तथा कुछ अन्य द्वारा समस्त विश्व में प्राप्त हुई व उपार्जित आय पर आयकर दिया जाता है।

निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति निश्चित करने के लिये हमें व्यक्ति की राष्ट्रीयता अथवा अधिवास (domicile) से कोई तात्पर्य नहीं है। इसका निर्णय केवल उन शर्तों के आधार पर किया जाता है जिनका वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिया गया है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि चूंकि गतवर्ष की आय पर ही कर लगाते

हैं अतः निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा भी गतवर्ष का ही निर्धारित करते हैं, कर-निर्धारण वर्ष का नहीं। एक व्यक्ति यदि गतवर्ष में निवासी है तो वह निवासी ही माना जायेगा चाहे वह कर-निर्धारण वर्ष में अनिवासी ही क्यों न हो। प्रायः सभी करदाताओं (व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी आदि) का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा निर्धारित किया जाता है।

निवास स्थान सम्बन्धी दर्जे को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित चार्ट उपयोगी होगा।



इसके अनुसार हम सर्व प्रथम यह देखते हैं कि व्यक्ति निवासी है अथवा अनिवासी। उसके निवासी होने की स्थिति में हम एक बार फिर यह गणना करते हैं कि व्यक्ति निवासी ही है अथवा असाधारण निवासी।

व्यक्ति (Individual)

निवासी (Resident) :—धारा 6 (1) के अनुसार एक व्यक्ति उसी स्थिति में भारत में निवासी होगा जबकि वह नीचे दी गई अ, ब, अथवा स में से एक अथवा अधिक शर्तों को पूरा कर ले।

(अ) वह गतवर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो। वह भारत में किसी एक स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों में रह सकता है। इसी प्रकार उसका यह ठहरना एक बार में हो सकता है और अनेक बार में भी।

अथवा

(ब) उसने गतवर्ष में भारत में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक अपने लिये रहने का मकान रखा है तथा स्वयं भी कम से कम 30 दिन गतवर्ष में भारत में उपस्थित रहा है।

रहने का स्थान रखने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसका अपना मकान हो। वह किसी होटल में, मित्र के यहाँ अथवा किसी अन्य स्थान पर अपने लिये एक कमरा सुरक्षित रख सकता है। करदाता के परिवार के किसी अन्य सदस्य ने यदि कोई मकान रख छोड़ा है तो इससे यह शर्त पूरी नहीं होती।

अथवा

(स) गतवर्ष के पहले के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर भारत में 365 दिन अथवा इससे अधिक रहा हो तथा गतवर्ष में भी वह भारत में 60 दिन अथवा अधिक दिन उपस्थित रहा हो।

अनिवासी (Non-resident) : ऐसा व्यक्ति जो उपर्युक्त अ, ब अथवा स में से किसी भी शर्त को पूरा नहीं कर पाता, अनिवासी कहलाता है।

असाधारण निवासी (Not Ordinarily Resident) : ऐसे व्यक्ति जो ऊपर दी गई अ, ब अथवा स में से एक अथवा एक से अधिक शर्तें को पूरा कर लेते हैं, ऊपर दिये गये नियम के अनुसार निवासी कहलाते हैं। अब हमें यह देखना होता है कि ये व्यक्ति निवासी ही हैं अथवा इन्हें असाधारण निवासी की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये व्यक्ति यदि नीचे दी गई शर्तों में से किसी एक अथवा दोनों को पूरा करलें तो असाधारण निवासी कहलायेंगे :

क–व्यक्ति गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में कुल मिलाकर 9 **वर्ष से कम निवासी** (उपर्युक्त किसी भी शर्त के अनुसार) रहा हो; अथवा

ख–वह गतवर्ष से पहले के सात वर्षों में कुल मिलाकर 730 **दिन से कम** भारत में उपस्थिति रहा हो।

टिप्पणी : ये दोनों शर्तें नकारात्मक हैं तथा इसी प्रकार आयकर अधिनियम में दी गई है। कोई व्यक्ति अ, ब, अथवा स में से किसी शर्त को पूरा करके यदि क अथवा ख शर्त को पूरा करले तो असाधारण निवासी कहलायेगा। ऐसा व्यक्ति जो यद्यपि अ, ब अथवा स में से एक अथवा दो शर्त पूरा कर लेता है किन्तु क अथवा ख में से कोई शर्त पूरा नहीं कर पाता, निवासी की श्रेणी में आता है।

उदाहरण

1. अजय जो एक भारतीय नागरिक है किसी कार्यवश 18 अप्रैल 1974 को ईरान चला गया और फिर वित्त वर्ष 1974–75 के अन्त तक न लौट सका। उस का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा इस प्रकार निश्चित होगा :

अजय गतवर्ष 1974–75 में यहाँ केवल 18 दिन रहा है अतः वह न तो भारत में 182 दिन रहा है, और न उसने मकान ही रखा है। तीसरी शर्त के पहले भाग के अनुसार गतवर्ष के पहले के 4 वर्षों में वह अवश्य ही 365 दिन से अधिक रहा है; परन्तु उसी शर्त का दूसरा आवश्यक भाग वह पूरा नहीं कर सका अर्थात् वह गतवर्ष में 60 दिन भारत में उपस्थित नहीं रहा। अतः तीनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा न कर पाने के कारण वह अनिवासी हुआ। अनिवासी की स्थिति में हमें बाद की दोनों शर्तें देखने की आवश्यकता नहीं है।

2. पीयूष भारत में 20 वर्ष रहने के बाद 10 मार्च 1971 को पौलैन्ड चला गया और वहाँ कुछ समय रहकर 10 सितम्बर 1973 को यहाँ वापिस आ गया। गतवर्ष 1973-74 के लिये उसका निवास स्थान निर्धारित कीजिये।

1973-74 गतवर्ष में यह व्यक्ति 10 सितम्बर 1973 से 31 मार्च 1974 तक अर्थात् 182 दिन से अधिक भारत में रहा है। अतः 'अ' शर्त को पूरा करके पीयूष निवासी वाली श्रेणी में आ गया। असाधारण निवासी वाली शर्तों में से पीयूष पहली शर्त पूरी कर रहा है अर्थात् वह गतवर्ष के पहले के 10 वर्षों में से 9 वर्षों से कम निवासी रहा है, अतः वह बाद में दी गई 'क' शर्त को पूरी करके असाधारण निवासी हुआ।

3. एक विदेशी इन्जीनियर भारत में दो वर्ष रह कर 1 मई 1974 को स्वदेश वापिस पहुँच गया, किन्तु उसका परिवार भारत में ही रहा। वहाँ से वह 15 जून 1975 को भारत लौटा । 1974-75 गतवर्ष के लिए उसका निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा निर्धारित कीजिये ।

इस इन्जीनियर ने 1974-75 गतवर्ष में रहने का मकान भारत में रखा है तथा स्वयं भी यहाँ 30 दिन से अधिक उपस्थित रहा है। अतः 'ब' शर्त पूरी हो गई है। किन्तु इसके साथ ही साथ उसने बाद की दोनों 'क' व 'ख' शर्तें भी पूरी की हैं क्योंकि वह गतवर्ष के पहले के 10 वर्षों में 9 वर्ष से कम निवासी रहा है तथा गतवर्ष के पहले के 7 वर्षों में 730 दिन से कम भारत में उपस्थित रहा है अतः वह **असाधारण निवासी** रहा ।

4. सुभाष एक भारतीय नागरिक है। वह डिप्लोमा प्राप्त करने के विचार से लन्दन विश्वविद्यालय जाने के लिये भारत से 5 मई 1974 को रवाना होता है और 25 फरवरी 1975 को स्वदेश लौट आता है। उसने इस सम्पूर्ण अवधि में अपने लिये रहने का मकान रखा है।

सुभाष गतवर्ष 1974-75 में इस प्रकार रहा है :—

अप्रैल	74	30 दिन	गत वर्ष 1974-75 में कुल उपस्थिति 70 दिन की रही व सुभाष ने गतवर्ष में 182 दिन से अधिक रहने का मकान रखा।
मई	74	5 दिन	
फरवरी	75	4 दिन	
मार्च	75	31 दिन	

पहली तीनों शर्तों में से सुभाष 'ब' शर्त पूरी करता है अतः वह निवासी हुआ।

असाधारण निवासी वाली दोनों शर्तें उसके द्वारा पूरी नहीं हो पा रही है। वह गतवर्ष के पहले के 10 वर्षों में से 9 से अधिक वर्षों में निवासी रहा है तथा पिछले 7 वर्षों में भारत में उसकी उपस्थिति 730 दिन से अधिक रही है, अतः 1974-75 गतवर्ष के लिये सुभाष निवासी है।

अविभाजित हिन्दू परिवार, फर्म व व्यक्तियों का अन्य समुदाय

(i) **निवासी :** अविभाजित हिन्दू परिवार आदि के निवास स्थान सम्बन्धी दर्जे के निर्धारण में इसके प्रबन्ध व नियन्त्रण की स्थिति देखते हैं। ऐसे परिवार, फर्म व व्यक्तियों के अन्य समुदाय का प्रबंध व नियन्त्रण यदि भारत में स्थित है तो यह भारत में निवासी होंगे। प्रबन्ध व नियन्त्रण के थोड़े से भाग का भी भारत में स्थित होना इन्हें निवासी बनाने के लिये काफी होगा।

(ii) **अनिवासी :** ये सभी करदाता गतवर्ष के लिये भारत में तब ही अनिवासी होंगे जबकि इनका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित है।

(iii) **असाधारण निवासी :** फर्म तथा व्यक्तियों का अन्य समुदाय असाधारण निवासी वाली श्रेणी में नहीं आते। एक अविभाजित हिन्दू परिवार भारत में असाधारण निवासी होगा, यदि उसका कर्त्ता—

1. गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में से 9 वर्षों से कम भारत मे निवासी रहा है; अथवा
2. गतवर्ष से पहले के सात वर्षों में से 730 दिन से कम भारत में उपस्थित रहा है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा निर्धारित करने में इसके कर्ता की भारत में उपस्थिति महत्वपूर्ण है। मृत्यु के कारण यदि परिवार के कर्त्ता भिन्न-भिन्न व्यक्ति रहे हैं तो ऐसे सभी कर्त्ताओं की भारत मे उपस्थिति ज्ञात की जाती है ।

कम्पनी

i. **निवासी** :—धारा 6 (3) के अनुसार कम्पनी किसी भी गतवर्ष के लिये भारत में निवासी होगी यदि—

   a. यह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा

   b. गतवर्ष में उसका नियन्त्रण व प्रबन्ध पूर्ण रूप से भारत में स्थित रहा है ।

ii. **असाधारण निवासी** :—कम्पनी असाधारण निवासी वाली श्रेणी में कभी नहीं आती ।

iii. **अनिवासी** · वह कम्पनी जो निवासी वाली श्रेणी में नही आती, अनिवासी होती है ।

धारा 6 (5) में ऐसा भी उल्लेख है कि आय के किसी एक साधन के लिये कोई करदाता यदि भारत में निवासी है तो वह प्रत्येक अन्य साधन के लिये भी उस गतवर्ष में निवासी रहेगा ।

उदाहरण

1. रघुवीर हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है, जिसकी सम्पत्ति व व्यापार पाकिस्तान में स्थित है। 1974-75 गतवर्ष में उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों को भारत भेज दिया तथा स्वयं वहीं रहकर धन भेजता रहा ।

परिवार गतवर्ष 1974-75 के लिये अनिवासी रहा क्योंकि व्यापार आदि की देखभाल पाकिस्तान से ही होती रही है तथा कर्त्ता भी पाकिस्तान में निवासी रहा है।

2. इंगलैन्ड के विलसन व भारत के मोहन ने एक साझेदारी फर्म प्रारम्भ की। मोहन भारत में इंगलैन्ड को माल निर्यात करता रहा तथा विलसन ने वहाँ बिक्री का प्रबन्ध किया ।

फर्म भारत में निवासी है क्योंकि इसके नियन्त्रण व प्रबन्ध का कुछ भाग भारत में स्थित है ।

3. एक कम्पनी डेनमार्क में स्थापित हुई जिसका व्यापार भारत से अभ्रक का निर्यात करना था। कम्पनी का मुख्य कार्यालय डेनमार्क में स्थित था तथा भारत में देखभाल के लिये एक मैनेजर नियुक्त था ।

कम्पनी अनिवासी होगी, क्योंकि न तो यह भारतीय कम्पनी है और न इसके प्रबन्ध व नियन्त्रण का कोई अंश ही भारत में स्थित है ।

4. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत 1975-76 कर निर्धारण वर्ष के लिये निम्नलिखित व्यक्तियों के निवास-स्थान सम्बन्धी दर्जे पर प्रकाश डालिये :

अ. श्री डेनियल 30 जून 1968 को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रथम बार भारत आये। वे यहाँ लगातार 3 वर्ष ठहरे तथा 1 जुलाई 1971 को जापान चले गये। वह 1 अप्रैल 1972 को भारत लौटे तथा यहाँ 31 जुलाई 1973 तक

रह कर अमेरिका चले गये । एक अमेरिकी कारोबार के कर्मचारी के रूप में वे पुन: 31 जनवरी 1975 को भारत लौट आये ।

ब. अमृतसर निवासी श्री वेदप्रकाश 1 अगस्त 1971 को उच्च शिक्षा के लिये इंगलैन्ड गये । जब तक वे वहाँ रहे उन्होंने अपना अमृतसर वाला रहने का मकान अपने लिये सुरक्षित रखा । शरदावकाश में वे दो बार भारत आये—एक बार 20 दिसम्बर 1972 को तथा दूसरी बार 20 दिसम्बर 1973 को । 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत नहीं आये ।

स. असगर एन्ड कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है जिसका व्यापार भारत एवं दक्षिणी अमेरिका में है । 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में इसके कारोबार का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण रूप से भारत में स्थित था । किन्तु इस वर्ष में दक्षिणी अमेरिका में अर्जित व उदित होने वाली इसकी आय भारत में अर्जित व उदित होने वाली आय से बहुत अधिक थी ।

उपर्युक्त 'ब' के अन्तर्गत स्थिति में क्या अन्तर पड़ जाता यदि श्री वेदप्रकाश 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत में एक आकस्मिक दौरे पर आते तथा यहाँ एक सप्ताह रहते ।

अ. 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले गतवर्ष से पहले के 4 वर्षों में श्री डेनियल कुल मिलाकर 943 दिन भारत में रहे है :—

वर्ष	दिनो की संख्या
1-4-70 से 31-3-71 तक	365
1-4-71 से 31-3-72 तक (1-4-71—1-7-71)	91
1-4-72 से 31-3-73 तक	365
1-4-73 से 31-3-74 तक (1-4-73—31-7-73)	122
	943

इसके अतिरिक्त वे 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में 31 जनवरी 1975 से 31 मार्च 1975 तक अर्थात् 60 दिन रहे, अत: धारा 6 के अनुसार वे निवासी हुये । अब यदि बाद की दो शर्तों पर विचार करें तो मालूम होगा कि वे गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में से 9 **वर्ष से कम** निवासी रहे हैं चूँकि वे प्रथम बार 1968-69 वित्त वर्ष में ही भारत आये है, अतः इनका निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा 'असाधारण-निवासी' का रहा ।

ब. श्री वेदप्रकाश 1974-75 गतवर्ष के लिये 'अनिवासी' रहेंगे, क्योंकि वे गतवर्ष में एक दिन के लिए भी भारत में नहीं रहे । प्रश्न के अन्त में दिये हुये विवरण के अनुसार श्री वेदप्रकाश यदि भारत में एक आकस्मिक दौरे पर आते तथा यहाँ पर एक सप्ताह रहते तो भी उनके निवास स्थान सम्बन्धी दर्जे में कोई अन्तर न पड़ता । किन्तु यदि वे इस दौरान एक सप्ताह के स्थान पर 30 दिन अथवा अधिक रहते तो वे निवासी ठहराये जाते, चूँकि वे विचाराधीन गतवर्ष से पहले के सभी 10 वर्षों में निवासी रहे है तथा 31-3-75 को समाप्त होने वाले गतवर्ष से पहले के 7 वर्षों में वे भारत में 730 दिन से अधिक रहे हैं ।

स. गतवर्ष में चूँकि कम्पनी का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण रूप से भारत में स्थित था अतः कम्पनी भारत में निवासी है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आय का उदय कहाँ होता है भारत में अथवा अमेरिका में।

करदायित्व

आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विभिन्न करदाताओं की करदायित्व सम्बन्धी स्थिति निम्नलिखित है :—

निवासी—इसे निम्नलिखित सभी आयों पर कर देना पड़ता है :

1. भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय।
2. भारत में उपार्जित व उदय हुई तथा उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय।
3. वह समस्त आय जो उसने गतवर्ष में भारत के बाहर उपार्जित की है, अथवा उदय व उपार्जित समझी जाती है।

असाधारण निवासी—इसकी कुल आय में निम्नलिखित रकमें शामिल होती हैं :

1. भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय।
2. भारत में उपार्जित व उदय हुई तथा उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय।
3. भारत के बाहर उपार्जित व उदय हुई आय जो उस व्यापार से प्राप्त होती है जिसका संचालन भारत से होता है।

अनिवासी—इन्हें केवल निम्नलिखित दो प्रकार की आय पर कर देना पड़ता है :—

1. भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय।
2. भारत में उपार्जित व उदय हुई तथा उपार्जित व उदय हुई समझी जाने वाली आय।

कर-दायित्व का सारांश

आय का विवरण	निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
1. भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय चाहे इसका उपार्जन भारत में हुआ हो, अथवा भारत के बाहर।	हाँ	हाँ	हाँ
2. भारत में अर्जित व उदित आय अथवा अर्जित व उदित समझी जाने वाली आय चाहे इसकी प्राप्ति भारत में हुई हो अथवा भारत के बाहर।	हाँ	हाँ	हाँ
3. भारत के बाहर ऐसे व्यापार से प्राप्त व अर्जित आय, जिसका संचालन एवं नियन्त्रण भारतवर्ष से होता है।	हाँ	हाँ	नहीं
4. भारत के बाहर किसी अन्य साधन से प्राप्त व अर्जित आय।	हाँ	नहीं	नहीं
5. भारत के बाहर गतवर्ष से पहले के वर्षों में प्राप्त व अर्जित आय जिसका हस्तान्तरण गतवर्ष में भारत को हुआ।	नहीं	नहीं	नहीं

भारत में प्राप्त आय

भारत में प्राप्त आय सभी करदाताओं के हाथों में करयोग्य होती है । आय की प्राप्ति रुपयों में हो सकती है, अथवा वस्तुओं में भी । प्राप्ति से तात्पर्य पहली प्राप्ति से ही है बाद की प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है । एक व्यक्ति यदि लन्दन में सेवायें अर्पित करके भारत आता है तथा यहाँ से वह अपने लन्दन के बैंक को अपना वेतन अपने नियोक्ता से प्राप्त करके माँग ड्राफ्ट के द्वारा भारत भेजने का आदेश देता है , तो इस वेतन की प्राप्ति लन्दन में ही मानी जायगी ।

प्राप्त समझी जाने वाली आय (Income deemed to be received)

इसका सीधा सादा अर्थ यह है कि रकम की प्राप्ति न होने पर भी अधिनियम की धाराओं के अन्तर्गत इसे प्राप्त हुआ माना जाता है । धारा 7 व 8 मे ऐसी आयों की सूची दी गई है जो इस प्रकार है :—

i. कर्मचारी के प्रमाणित प्राविडेण्ड फण्ड के सदस्य होने पर उसको मिलने वाली वह वार्षिक वृद्धि (Annual accretion) जो उसके वेतन मे कर निर्धारण के लिए शामिल की जाती है । *

ii. अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड के प्रमाणित होने पर हस्तान्तरित शेष (Transferred balance) ।*

iii. कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश, आदि ।

भारत में उपार्जित व उदय हुई मानी जाने वाली आय (Income deemed to accrue or arise)

ये वे आयें हैं जो यद्यपि वास्तव में उपार्जित नहीं हुई है परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत भारत में इन्हें उपार्जित हुआ माना जाता है । उदाहरण स्वरूप वह आय जो भारत में स्थित किसी सम्पर्क के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपार्जित होती हैं । किसी सम्पत्ति व प्रतिभूतियों आदि से उपार्जित आय अथवा भारतीय कम्पनी द्वारा वितरित लाभांश (भारत के बाहर देय) भी इसी श्रेणी में आते है ।

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित आय भारत में अर्जित व उदित हुई समझी जाती है :—

1. भारत में किसी व्यावसायिक सम्बन्ध से अथवा उसके माध्यम से, अथवा भारत स्थित किसी सम्पत्ति, भवन सम्पत्ति व आय के स्रोत से अथवा इनके माध्यम से, अथवा नकद, वस्तु, पूँजीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण के रूप में भारत लाये गये व ब्याज पर उधार दिये गये धन से अथवा उसके माध्यम से अर्जित व उदित समस्त आय चाहे वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष ।

2. वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय यदि यह भारत में अर्जित हुई है ।

3. वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली राशि जो सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक को भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिये देय हो ।

4. एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत से बाहर चुकाया गया लाभांश ।

---

*इनके अर्थपूर्ण विवेचन के लिए छठा अध्याय देखिये ।

उदाहरण : श्री मुरारीलाल द्वारा प्रस्तुत किए गए आय के नक्शे के अनुसार गतवर्ष 1974-75 में उन्हें प्राप्त हुई धनराशि निम्नलिखित है। इनके करदायित्व पर प्रकाश डालिए; जबकि ये (अ) निवासी ; (ब) असाधारण निवासी; अथवा (स) अनिवासी हों :—

		रु०
1.	केन्या में स्थित मकान सम्पत्ति से प्राप्त आय	5,000
2.	जापान में की गई सेवाओं के लिये भारत में प्राप्त वेतन	12,000
3.	डेन्मार्क स्थित ऐसे व्यापार से प्राप्त लाभ जिसका संचालन व नियन्त्रण भारत से होता है	18,000
4.	बर्मा में उपार्जित तथा प्राप्त लाभ	10,000
5	भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन	5,000
6.	गतवर्ष के पहले के वर्षों में ईरान में उपार्जित ऐसे लाभ जिन पर अभी तक कर नहीं लगा है तथा जिन्हें गतवर्ष में भारत लाया गया है।	25,000

क्रम संख्या	आय का विवरण	निवासी	असाधारण निवासी	अनिवासी
		रु०	रु०	रु०
1.	केन्या में स्थित मकान सम्पत्ति से प्राप्त आय	5,000	—	—
2.	भारत में प्राप्त वेतन	12,000	12,000	12,000
3.	डेन्मार्क स्थित ऐसे व्यापार से प्राप्त लाभ जिसका नियन्त्रण भारत से होता है।	18,000	18,000	—
4.	बर्मा में उपार्जित एवं प्राप्त लाभ	10,000	—	—
5.	भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में प्राप्त वेतन	5,000	5,000	5,000
6.	गतवर्ष के पहले के वर्षों में ईरान में उपार्जित लाभ	—	—	—
	कुल सकल आय	50,000	35,000	17,000

1. What tests would you apply for determining the residential status of Hindu undivided family ?
2. What do you understand by the phrase 'income deemed to accrue or arise in India' ? Give examples.
3. For the previous year 1974-75 the income of Mr. Chimanbhai Patel is as follows :

		Rs.
(a)	Salary earned in India and received here	25,000
(b)	Income from house property situate in France	10,500
(c)	Income from German Govt. securities	32 900
(d)	Income from business in Pakistan	29,100
(e)	Income from tea business in Ceylon which is controlled from India.	81,230
(f)	Dividends from British Companies received there	25,000
	and out of which brought into India.	10,000

You are required to find out the taxable income of Mr. Patel when he is (a) a resident, (b) a not ordinarily resident, and (c) a non-resident.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. करदाताओं को निवास स्थान के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है । इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन दीजिए ।
2. करदाता का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा आयकर के लिए किस प्रकार निश्चित होता है; निवास स्थान व कर दायित्व के आपसी सम्बन्धों को भी स्पष्ट कीजिए ।
3. करदाता के निवास स्थान का निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिए गए नियमानुसार होता है । इन व्यवस्थाओं का स्पष्ट व संक्षिप्त वर्णन दीजिए ।
4. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए—
   प्राप्त आय ।
   प्राप्त मानी जाने वाली आय ।
   भारत में उपार्जित आय ।
5. निम्नलिखित में अन्तर को स्पष्ट कीजिए—
   निवासी ।
   असाधारण निवासी ।
   अनिवासी ।
6. वित्त वर्ष 1974-75 में श्री कृष्णप्रसाद को निम्नलिखित आय की प्राप्ति हुई :

		रु०
i.	बेल्जियम में स्थित सम्पत्ति से प्राप्त आय	10,000
ii.	जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन	15,000
iii.	सिंगापुर में स्थित व्यापार से लाभ, इसका संचालन भारत से होता है	25,000
iv.	भारत में की गई सेवाओं के लिए इटली में प्राप्त वेतन	5,000
v.	भूतकाल में उपार्जित विदेशी आय जो गतवर्ष में भारत में लाई गई है।	20,000
vi.	कानपुर में स्थित व्यापार से लाभ	8,000

आप श्री कृष्णप्रसाद की कर-निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की गणना कीजिए' यह मानते हुए कि वे--

i. निवासी हैं ;

ii. असाधारण निवासी हैं ; अथवा

iii. अनिवासी हैं । (आगरा एम० काम० 1970)

7. "आयकर अधिनियम की धारा 6 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें निवास स्थान सम्बन्धी आयोजन दिए गए है जो किसी भी व्यक्ति के कर-निर्धारण में पहली लड़ी है ।" इस कथन की व्याख्या कीजिए ।

8. "आयकर दायित्व का निर्धारण व्यक्ति के निवास स्थान से बहुत अधिक प्रभावित होता है ।" सोदाहरण समझाइए ।

कर-मुक्त आयें 5

(EXEMPTED INCOMES)

आयकर निर्धारण में पहला महत्वपूर्ण कदम कुल आय की गणना है। इसके लिए विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत करदाता की गतवर्ष में प्राप्त अथवा उपार्जित आय निकालते है। किन्तु कुछ आय ऐसी होती है जिन पर आयकर नहीं दिया जाता तथा जो कुल आय में शामिल नहीं की जातीं। आयकर अधिनियम की धारा 10 में ऐसी आयों की सूची दी गई है जो कर-मुक्त हैं तथा कुल आय में शामिल नहीं होती।

ऐसी आयें जो कुल आय में नहीं जोड़ी जातीं तथा कर से मुक्त होती हैं।

1 **कृषि आय**—इसका विवरण दूसरे अध्याय में दिया जा चुका है।

2 **अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों को परिवार से प्राप्त आय**—हिन्दू परिवार आयकर अधिनियम के अनुसार एक पृथक् इकाई है जो करदाताओं की श्रेणी में आती है। कोई आय जो परिवार की आय है तथा जिसे बाद में परिवार के सदस्य आपस में बॉट लेते हैं, सदस्य के हाथों में करयोग्य नहीं हो सकती।

कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य अपनी निजी सम्पत्ति को भी परिवार की सम्पत्ति में मिला देते हैं। ऐसी मिली हुई सम्पत्ति से हुई आय धारा 64 (2) के अन्तर्गत हस्तान्तरक के हाथों में कर-योग्य होगी। इस सम्बन्ध में पूरे विवरण के लिए 'हिन्दू अविभाजित परिवार' शीर्षक वाला अध्याय देखिए।

(3) **ऐसी प्राप्तियाँ जो आकस्मिक व अनावर्ती किस्म की हैं,** एक हजार रुपये तक कुल आय में सम्मिलित नहीं की जातीं। इनके 1,000 रु० से अधिक होने पर केवल आधिक्य को ही कुल आय में जोड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य बात यह है कि लाटरी, पहेली, घुड़दौड़, ताश, जुआ व शर्त लगाने आदि से प्राप्त आय अब नियमित आय की श्रेणी में आती है व इस पर आय-कर लगाया जाता है। निम्नलिखित आय आकस्मिक आय नहीं है :-

अ–ऐसे पूँजी लाभ जो धारा 45 के अन्तर्गत करयोग्य हैं।

ब–ऐसी प्राप्तियाँ जो व्यापार, पेशे व व्यवसाय से होती हैं।

स–ऐसी प्राप्तियाँ जो एक कर्मचारी को अपने पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्राप्त होती है।

परिभाषा की शब्दावलि में आकस्मिक आय के साथ 'अनावर्ती प्रकृति' (receipts of casual and non-recurring nature) भी लगी हुई हैं; परन्तु इन शब्दों की व्याख्या अधिनियम में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। अतः सदैव ही कोष में दिये गये शब्दों तथा विभिन्न अदालतों के निर्णयों पर निर्भर रहना पड़ता है। 'आकस्मिक' से तात्पर्य अनियमितता से अथवा एक बार होने वाली आय से ही है। जुग्गीलाल कमलापत बनाम आयकर कमिश्नर वाले मामले में यह निर्णय हुआ था कि आकस्मिक

आय का अनुमान पहले से ही नही किया जा सकता तथा इस आय के सम्बन्ध मे प्रसविदा आदि नहीं होता ।

आय के एक बार आने वाली प्रकृति का तात्पर्य दुबारा जाने की असम्भावितता नही है परन्तु ऐसी आय की नियमित रूप से बार-बार प्राप्त होने की सम्भावना भी नहीं रहती । वर्षगाँठ पर मिले उपहार यद्यपि प्रतिवर्ष मिलते है तथा इनके मिलने की थोड़ी बहुत निश्चितता भी प्रतिवर्ष होती हे तो भी इन्हें आय की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता । ये शुद्ध रूप से भेट हे व इन्हे प्राप्त करने वाले के हाथो में करयोग्य नही माना जाता ।

आकस्मिक आय की अधिक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार हो सकती है :—

आकमिस्क आय से अभिप्राय उस आय से है जो बिना किसी आशा व पूर्व अनुमान के प्राप्त होती है, जिसके प्राप्त होने का स्रोत (source) निश्चित नहीं होता जिसके प्राप्त होने के बारे में अनिश्चितता होती है तथा जो अधिनियम की धारा 10 (3, (i), (ii), व (iii) के अन्तर्गत पूँजी आय, व्यापार व पेशे की आय व वेतन के अन्तर्गत आने वाली करयोग्य आय नहीं है'

जैसा कि ऊपर दे चुके है, आकस्मिक आय केवल एक हजार रुपये तक ही कर-मुक्त होती है,इससे अधिक होने पर आधिक्य पर आयकर लगाते है । ऐसी स्थिति मे हमें प्राप्त उपहार एवं आकस्मिक आय में अन्तर करना आवश्यक है। यह सामान्य ज्ञान की बात है कि प्राप्त उपहार पर आयकर देने का प्रश्न ही पैदा नही होता । उदाहरण के लिये हमें अपनी वर्षगाँठ पर अपने शुभ चिन्तकों से कुछ उपहार प्राप्त होते है जिनका आधार हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध है तो हम इस प्राप्ति पर आयकर नहीं देंगे क्योंकि ये न तो आय की श्रेणी में आती है और न आकस्मिक आय की श्रेणी में। दूसरी ओर हम किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जिसका हमारे व्यवसाय से सम्बन्ध नही है तथा वह व्यक्ति इसके एवज में हमें रु० 5,000 पुरुस्कार स्वरूप देता है तो यह राशि आकस्मिक आय की श्रेणी में आयेगी तथा इसमें से रु० 1,000 को छोड़कर शेष रकम पर आयकर देना होगा । दूसरी स्थिति में यही सहायता यदि हम ऐसे क्षेत्र में प्राप्त करे जिसका हमारे व्यवसाय से सम्बन्ध है तो यह प्राप्त राशि कर योग्य आय की श्रेणी में आयेगी ।

उदाहरण : श्री मुकर्जी एक कालिज में विज्ञान के प्रोफेसर है । उन्हें अपने पचासवें वर्ष दिन पर अपने बहुत से मित्रों व प्रशंसको से रु० 12,500 के उपहार प्राप्त होते है, इन पर आयकर नहीं लगेगा । यही प्रोफेसर मुकर्जी अपने किसी मित्र को एक फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने व मकान बनवाने में मदद करते हैं व इसके उपलक्ष में उन्हें रु० 5,000 प्राप्त होते है । यह आकस्मिक आय है व इसमें से रु० 4,000 रु० पर आय कर दिया जावेगा । प्रोफेसर मुकर्जी अपने एक मित्र के लिए अपनी प्रयोगशाला में कुछ अनुसंधान कार्य करते है तथा इसके लिए उन्हें अपने मित्र से रु० 3,000 प्राप्त होते हैं । यह रकम कर योग्य आय होगी क्योंकि प्रयोगशाला में अनुसन्धान करना उनके व्यवसाय से सम्बन्धित है ।

कोई प्राप्ति यदि हमें अपने व्यवसाय के दौरान प्राप्त होती है तो यह आयकर अधिनियम की दृष्टि से आकस्मिक नहीं हो सकती, भले ही दैनिक व्यवहार में हम इसे आकस्मिक की संज्ञा दे दें । टैक्सी ड्राइवर व होटल के बैरा को मिले हुए बख्शीश आकस्मिक नही हैं क्योंकि यह उनके दैनिक जीवन से सम्बन्धित है । एक प्रोफेसर को यदि किसी विवाद में मध्यस्थता के लिए नियुक्त कर दिया जावे तथा उसे कुछ राशि

मानदेय (honorarium) के रूप में प्राप्त हो तो यह आकस्मिक आय होगी। किन्तु यदि यही मध्यस्थता किसी न्यायाधीश द्वारा की जाती है तो उसे इस विषय मे प्राप्त हुआ मानदेय करयोग्य आय है क्योंकि उसका व्यवसाय ही झगड़ों का निपटारा करना है। एक करदाता का भवन 'भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिकार में ले लिया गया तथा उसे इसके लिये क्षतिपूर्ति की रकम मिली। यह रकम आकस्मिक आय मानी गयी थी [Associated Oil Mills Ltd vs. C. I. T. (1960) 4^ I.T.R. 118]

उदाहरण

निम्नलिखित प्राप्तियों की करयोग्यता पर प्रकाश डालिये।

i. अनिल को किसी व्यक्ति का खोया हुआ बच्चा मिला। उसने उस बच्चे को उसके माता पिता के पास तक पहुँचाने का प्रबन्ध कर दिया। इसके उपलक्ष्य में बच्चे के पिता द्वारा अनिल को 5,000 रु० की धनराशि भेंट दी गई।

ii. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की फर्म के एक साझेदार ने कुछ व्यक्तियों को एक कम्पनी चालू करने में पर्याप्त सहायता दी जिसके लिए उसे उन व्यक्तियों द्वारा कम्पनी के 100 अंश उपहार स्वरूप दिये गये।

iii कर्मचारी को भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा उसकी सेवाओं के लिये कुछ धनराशि दी गई।

iv एक वास्तुविद (architect) ने भवन निर्माण योजना की एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भाग लिया तथा अपनी योजना के स्वीकार किये जाने पर 10,000 रु० की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त की।

v एक सरकारी कर्मचारी अवकाश ग्रहण के पश्चात् वेदान्त व दर्शन शास्त्र पर उपदेश व भाषण करने लगा। उसे इसके लिए अपने किसी एक शिष्य से 1 लाख रुपये की प्राप्ति हुई।

vi एक क्रिकेट क्लब ने किसी पेशेवर खिलाड़ी को सहायता देने के लिए एक मैच का आयोजन किया। इससे एकत्रित धनराशि उसे भेंट कर दी गई।

---

i. अनिल को प्राप्त धन आकस्मिक है, क्योंकि खोये बच्चे को उसके माता पिता तक पहुँचाने का कार्य उसके व्यवसायिक जीवन का अंग नहीं है। किन्तु यदि अनिल पुलिस कर्मचारी है तो निश्चय ही यह प्राप्ति उसके हाथों में करयोग्य हो जायेगी क्योंकि पुलिस कर्मचारी का कर्तव्य ही ऐसा है।

ii. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को इस स्थिति में मिले अंश आकस्मिक आय कदापि नहीं है, क्योंकि उसकी व्यवसायिक कुशलता के लिए यह मिले हैं।

iii. यह राशि करयोग्य मानी गई।

iv. यह राशि वास्तुविद को व्यवसायिक कुशलता के लिए मिली है अतः करयोग्य है।

v. यह राशि भी करयोग्य है क्योंकि यह पेशे से सम्बन्धित है।

vi. यह प्राप्ति आकस्मिक ठहराई गई है।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं :–

(1) अमेरिका के बैंक में व्यापारिक उद्देश्य से रखे गये डालर खाते के मूल्य में भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण वृद्धि हुई। यह वृद्धि आयकर योग्य है। Hindustan Aircraft Ltd. V. C. I T. [1963] 49 I. T. R. 471 (Mys)

(2) करदाता को यदि अपने परमिटों के बेचने पर कुछ आय प्राप्त होती है तो यह करयोग्य होती है। Bisheshwar Singh v C.I.T. [1955] 27 I.T.R. 376

(3) किसी परिवार के पास गल्ले में चाँदी के रुपये रखे हुये थे। इनका चलना बन्द हो गया व इनके मूल्य में काफी बृद्धि होने से लाभ हुआ। यह लाभ आकस्मिक आय माना गया। Gappumal Kanhaiyalal v C. I. T. [1961] 63 I.T.R. 46 (ALLD.)

(4) एक व्यापारी ने किसी मामले में पंच फैसला किया। पंच फैसले के लिए राजी होते समय किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक की बात नहीं थी। बाद में व्यापारी को कुछ धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। यह आकस्मिक आय है।

4 **अनिवासी को निम्नलिखित पर प्राप्त ब्याज कर-मुक्त होता है :—**

i उन प्रतिभूतियों से जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कर-मुक्त घोषित कर दिया गया है।

ii संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास ऋण फण्ड अथवा विश्व बैंक के साथ केन्द्रीय सरकार के हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत ऋणपत्रों पर दिया गया ब्याज अथवा इनके नियोजन पर दिया गया प्रीमियम।

iii केन्द्रीय सरकार की गारन्टी के अन्तर्गत भारत में किसी औद्योगिक संस्थान अथवा वित्त निगम द्वारा उपर्युक्त विकास ऋण फण्ड अथवा विश्व बैंक से लिए गये ऋण पर ब्याज।

iv विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 1947 की व्यवस्थाओं के अनुसार भारत के किसी बैंक में अनिवासी वाह्य खाते (Non resident external account) में जमा रकम पर ब्याज।

5 **केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के** अनुसार किसी कर्मचारी को (जो भारत का नागरिक है) अपने नियोक्ता से छुट्टी पर भारत में ही स्थिति अपने घर जाने के लिए मिली सहायता। अवकाश ग्रहण अथवा नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद में मिली ऐसी सहायता भी कर-मुक्त होगी।

6 **ऐसे व्यक्ति के लिये जो भारत का नागरिक नहीं है,** निम्नलिखित आय कुल आय में शामिल नही होगी :—

i केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार उसे अपने नियोक्ता से विदेश स्थिति अपने घर जाने के लिये अपना, अपने जीवन साथी तथा बच्चों के लिए प्राप्त किरोया व यात्रा व्यय में मिली सहायता। अवकाश प्राप्ति अथवा नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद में मिली यही सुविधा कर-मुक्त होती है।

ii वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के राजदूत, हाई कमिश्नर, दूत, मन्त्री कार्य दूत, सलाहकार, सचिव आदि के पद पर कार्य करने के लिए अपने देश से प्राप्त होता है।

iii वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के वाणिज्य दूत आदि के पद पर कार्य करने के लिए अपनी सरकार से मिला है।

iv वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के ट्रेड कमिश्नर अथवा अन्य प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए मिलता है बशर्ते कि विदेश स्थित भारतीय प्रतिनिधि को भी उस देश में ऐसी छूट मिलती हो।

v उपर्युक्त (ii), (iii) तथा (iv) में वर्णित अधिकारियों में से किसी भी कार्यालय में कार्य करने वाले सदस्य को प्राप्त पारिश्रमिक यदि वह सदस्य—

अ— उस देश का नागरिक है; तथा

ब— वह भारत में कोई अन्य व्यापार, पेशा या सेवा नहीं करता है।

स— यदि वह उपर्युक्त (iv) में वर्णित अधिकारी के आफिस का कर्मचारी है तो पारस्परिक आधार (Reciprocal basis) पर दूसरे देश में भारतीय कर्मचारी को भी यही सुविधा मिलनी चाहिए।

vi वह पारिश्रमिक जो भारत में सेवा करते हुए उसे किसी विदेशी उद्योग में सेवायें करने के लिए प्राप्त हुआ है; यदि

अ— उस विदेशी उद्योग का भारत में कोई व्यापार नहीं है।

ब— वह व्यक्ति गतवर्ष में भारत में कुल मिला कर 90 दिनों से अधिक नही ठहरता।

स— यह पारिश्रमिक उस विदेशी उद्योग की इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कर योग्य आय में से घटाने योग्य नहीं है।

vii 31-3-1971 **के बाद में नौकरी प्रारम्भ करने पर प्रविधिज्ञ की आय पर कर-निर्धारण** :—31 मार्च 1971 के बाद में नियुक्त होने पर किसी प्रविधिज्ञ को सरकार, स्थानीय सत्ता, किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत बने निगम अथवा अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी संस्था व किसी व्यापार से मिला पारिश्रमिक करमुक्त होता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जायें :—

अ- भारत में आने वाले वित्त वर्ष से ठीक पहले के चार वित्त वर्षों में यह व्यक्ति भारत में निवासी नहीं था। केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो इस शर्त में ढील दे सकती है। यह ढील उसी दशामें दी जावेगी जबकि विदेशी प्रविधिज्ञ किसी मशीन आदि के डिजाइन अथवा निर्माण में लगा हो व यह सार्वजनिक हित में हो।

ब- वह भारत का नागरिक नहीं है।

स- उसकी सेवा का प्रसंविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा अनुमोदन सम्बन्धित प्रार्थना पत्र नौकरी प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा प्रारम्भ होने के छः माह के अन्दर सरकार के पास भेज दिया गया है।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत मिलने वाली छूट की सीमा इस प्रकार है :

अ- प्रविधिज्ञ के भारत में आने की तिथि से 24 महीने का वेतन जो 4,000 रु० मासिक से अधिक का नही होना चाहिए। 4,000 रु० मासिक से

अधिक का वेतन होने पर यदि नियोक्ता द्वारा इस पर आयकर दिया जाता है तो यह आयकर प्रविधिज्ञ के हाथों में करमुक्त होगा ।

अ- यह प्रविधिज्ञ 24 महीने की अवधि के बाद में भी यदि भारत में रहता है ; जिसके लिए कर-निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से पहले ही केन्द्रीय सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तो नियोक्ता द्वारा अगले 24 महीनों तक इस प्रविधिज्ञ के वेतन पर दिया आयकर प्रविधिज्ञ के हाथों में कर-मुक्त होगा । 'प्रविधिज्ञ से हमारा तात्पर्य यहाँ Construction manufacturing, mining, electricity, कृषि, पशुपालन, दुग्धशाला जहाजरानी निर्माण व गहरे समुद्र में मछली पालन सम्बन्धी विशेषज्ञ से है ।

viii किसी अनिवासी को जहाज पर की गई सेवाओं के लिये मिली 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आय करमुक्त है; बशर्ते कि गतवर्ष में वह भारत में 90 दिन से अधिक नहीं ठहरता है ।

ix 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था के प्रोफेसर व अध्यापक को मिली आय 36 महीनों तक करमुक्त होती है । यदि यह व्यक्ति 36 महीनों के बाद भी सेवायें जारी रखना चाहता है और यदि वेतन पर आयकर शिक्षा सस्था द्वारा दिया जाता है तो 36 महीनों की अवधि समाप्त होने के बाद 24 महीनों तक सस्था द्वारा दिया हुआ आयकर व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जायेगा; बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की गई हों :

a- वह व्यक्ति भारत में आने के पहले के 4 वित्त वर्षों में से किसी भी वर्ष में भारत का निवास नहीं रहा है ।

b- उसकी सेवा का प्रसंविदा नीचे दिये हुए 'अ' अथवा 'ब' के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो :

अ- जिस प्रोफेसर की सेवायें 1 अप्रैल 1964 से पहले प्रारम्भ हुई हैं; 1 अक्टूबर 1964 को अथवा उससे पहले ।

ब- किसी अन्य दशा में, सेवायें प्रारम्भ होने के 1 साल पहले अथवा बाद में ।

x भारत में अनुसंधान करने के लिये आने पर 24 महीने तक प्राप्य व प्राप्त धनराशि कर से मुक्त है परन्तु निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिये :

अ- अनुसंधान का कार्य किसी अनुसंधान योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित हो तथा यह अनुमोदन कर-निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर अथवा उससे पहले प्राप्त हो गया हो ।

ब- यह धन विदेशी राज्य अथवा भारत के बाहर स्थापित किसी संस्था द्वारा देय हो अथवा दिया गया हो ।

7. **भारत के नागरिक को भारत सरकार द्वारा विदेश में सेवा करने के लिये** दिये जाने वाले भत्ते व अनुलाभ ।

8. **केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेशी सरकार के मध्य** Co-operative Technical Assistance Programme के अन्तर्गत हुए समझौते के अनुसार व्यक्ति **को भारत** में सेवायें करने के लिये दिया गया पारिश्रमिक यदि वह विदेशी सरकार द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है अथवा कोई अन्य आय जो भारत के बाहर **उदय होती है ।**

9. **उपर्युक्त (8) में वर्णित व्यक्ति के परिवार के किसी अन्य सदस्य को** भारत के बाहर उदय हुई आय जो भारत में उदय हुई नहीं मानी जाती।

10. **मृत्यु व अवकाश ग्रहण करने पर मिली ग्रेच्यूटी** :—निम्नलिखित योजनाओं के अधीन किसी भी करदाता को मिली ग्रेच्यूटी—

(i) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय शासन के कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्यूटी,

(ii) ग्रेच्यूटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत मिली राशि जो उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) व (3) में निर्धारित सीमा तक ही करमुक्त होगी।

(iii) ऐसे कर्मचारियों को, जो उपर्युक्त (i) अथवा (ii) के अन्दर नहीं आते, अवकाश ग्रहण करने पर, अवकाश ग्रहण से पहले अयोग्य होने पर, नौकरी छूटने पर, नौकरी से त्यागपत्र देने पर अथवा कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी व उसके आश्रितों को मिलने वाली ग्रेच्यूटी निम्नलिखित सीमा तक करमुक्त होती है;

अ. नौकरी के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह के औसत वेतन की दर से;

ब. 20 महीने का वेतन;

स. 30,000 रु० धनराशि;

द. ग्रेच्यूटी की रकम जो प्राप्त हुई है; जो भी इन चारों में कम हो।

प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन की गणना करते हुए ग्रेच्यूटी मिलने वाले कैलैण्डर वर्ष से पहले के तीन कैलेण्डर वर्षों में प्राप्त वेतन का औसत निकालते है। ग्रेच्यूटी यदि वर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से मिली है, तो भी करमुक्त ग्रेच्यूटी की राशि 30,000 रु० से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार यदि इस वर्ष से पहले किसी वर्ष में इसी नियोक्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से ग्रेच्यूटी मिली है तो इस वर्ष करमुक्त ग्रेच्यूटी की गणना करते समय इसकी 30,000 रु० की अधिकतम राशि में से वह राशि घटा दी जायेगी जिस पर पहले कर की छूट प्राप्त हो चुकी है।

उदाहरण : श्री हुसैन को 1970 में अपने भूतपूर्व नियोक्ता से 25,000 रु० ग्रेच्यूटी के मिले थे जिसमें से 20,000 रु० करमुक्त ठहराये गये। इन्हें 1975 की फरवरी में अपने दूसरे नियोक्ता से 15,000 रु० की ग्रेच्यूटी मिली। अब चूँकि श्री हुसैन को 1970 में 20,000 रु० की ग्रेच्यूटी पर कर की छूट मिल चुकी है, अतः 1975 में अधिक से अधिक 10,000 रु० (30,000—20,000) की ग्रेच्यूटी पर इस धारा के अन्तर्गत कर की छूट मिलेगी।

टिप्पणी : इस वाक्यांश के अन्तर्गत प्रयुक्त 'वेतन' में मँहगाई भत्ता शामिल होता है बशर्ते कि नौकरी की शर्तों के अनुसार प्राविडेण्ट फण्ड आदि के लिए इसे शामिल किया जाता हो। किन्तु अन्य सभी भत्ते व अनुलाभ इसमें शामिल नहीं किये जाते।

10 अ. **पेन्शन के बदले मिली एक मुश्त राशि :** पेन्शन एक सामयिक भुगतान है जो भूतपूर्व नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। यह रकम 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है। इसका भुगतान सेवा सम्बन्धी प्रसंविदे की शर्तों के अनुसार होता है। कभी-कभी कर्मचारी यह चाहता है कि उसे ऐसे सामयिक भुगतान के बदले में एकमुश्त रकम प्राप्त हो जाये, तो ऐसा भी सम्भव हो सकता है। वह

अपनी पूरी पेन्शन के बदले में एक मुश्त रकम प्राप्त कर सकता है अथवा उसके केवल एक भाग के बदले में। पेन्शन के बदले में कितनी रकम मिलेगी यह पेन्शन पाने वाले कर्मचारी की आयु, उसके स्वास्थ्य, बाजारू ब्याज की दर एवं मृत्यु सम्बन्धी आँकड़ों पर निर्भर रहती है। पेन्शन के बदले में प्राप्त एकमुश्त रकम निम्न सीमाओं के अन्दर करमुक्त रहती है :

अ. केन्द्रीय सरकार के Civil Pensions (Commutation) Rules के अन्तर्गत मिली धनराशि, रक्षा विभाग (Defence Services) के सदस्यों, राज्य सरकार के कर्मचारियों, स्थानीय सत्ता अथवा केन्द्रीय व राज्य अधिनियम के द्वारा स्थापित किसी निगम के कर्मचारियों द्वारा किसी ऐसी ही योजना के अन्तर्गत मिली धनराशि।

ब. अन्य किसी नियोक्ता से किसी भी योजना के अन्तर्गत पेन्शन के बदले मिली रकम जिसकी कर-मुक्त सीमा निम्नलिखित है—

क. जब व्यक्ति को ग्रेच्यूटी की रकम प्राप्त होती है तो पूरी पेन्शन के $\frac{1}{3}$ तक के बदले एक मुश्त रकम ली जा सकती है।

ख. किसी अन्य दशा में पूरी पेन्शन के $\frac{1}{2}$ तक के बदले में एक मुश्त रकम ली जा सकती है।

11. **वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड** से प्राप्त रकम।

12. **प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड** में एकत्रित धनराशि में से मिली रकम जो चौथी अनुसूची के अन्तर्गत कर-मुक्त सीमाओं के अन्दर है।

13. **अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड** में से हिताधिकारी की मृत्यु पर मिला भुगतान। रिटायर होने पर अथवा कार्य करने में असमर्थ होने पर (जो भी पहले हो) इस फण्ड से मिले भुगतान भी कर-मुक्त होते हैं।

13. अ. **एक करदाता को अपने नियोक्ता से मकान** के सम्बन्ध में मिला विशेष भत्ता House rent Allowance) कर मुक्त होता है परन्तु यह 400 रु० मासिक से अधिक नहीं होना चाहिये। इस सम्बन्ध में अन्य सीमायें बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम संख्या 2 अ में निर्धारित की गई हैं। इन सीमाओं का विवरण 'वेतन' शीर्षक अध्याय में दिया गया है।

14. **एक कर्मचारी को मनोरंजन** भत्ते व किसी अनुलाभ के अतिरिक्त मिले भत्ते जो पूर्णरूप से उसने अपने कर्तव्य-पालन में व्यय कर दिये हैं। ऐसे भत्ते व्यय की गई रकम तक ही कर-मुक्त होते हैं, आधिक्य करयोग्य है।

15. **निम्नलिखित प्रतिभूतियों पर ब्याज :—**

i. नेशनल डिफेन्स गोल्ड बाण्ड्स 1980 पर मिला वार्षिक भुगतान।
ii. ट्रैजरी सेविंग्ज डिपोजिट सर्टीफिकेट।
iii. पोस्ट आफिस कैश सर्टीफिकेट।
iv. पोस्ट आफिस नेशनल सेविंग्ज सर्टीफिकेट।
v. नेशनल प्लान सर्टीफिकेट।
vi. 12 वर्षीय नेशनल प्लान सेविंग्ज सर्टीफिकेट, 10 वर्षीय डिफेन्स डिपोजिट सर्टीफिकेट, भारत सरकार द्वारा निर्गमित डिफेन्स सर्टीफिकेट, 12 वर्षीय नेशनल डिफेन्स सर्टीफिकेट।

vii. पोस्ट आफिंस सेविंग्स बैंक खाते में मिला ब्याज ।

viii. पोस्ट आफिस के संचयी जमा योजना (Cumulative Time Deposit) में जमा रकम पर मिला प्रीमियम ।

ix. केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी निश्चित जमा योजना (Fixed Deposit) पर दिया गया ब्याज जिसकी सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित की गई है। आजकल ऐसी दो योजनायें चालू है जिनके अन्तर्गत पोस्ट आफिस अथवा बैंक में 5 वर्षों के लिए रुपया जमा किया जाता है ।

x. उन सब प्रतिभूतियों पर ब्याज जो लंका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन विभाग के पास जमा है ।

xi. सरकार व स्थानीय सत्ता द्वारा भारत के बाहर के लिये गये ऋण पर देय ब्याज ।

xii. भारत में किसी औद्योगिक संस्थान द्वारा विदेशी वित्त संस्था के साथ हुए समझौते के अन्तर्गत मिले धन पर देय ब्याज की रकम । परन्तु इस समझौते को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिये ।

xii. भारतीय औद्योगिक संस्थान द्वारा भारत के बाहर मशीन प्लांट व कच्चे माल को खरीदने से सम्बन्धित लिया गया ऋण अथवा उधार पर देय ब्याज । ब्याज की रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत रकम तक ही कर-मुक्त होगी ।

16. **शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिये दी गई छात्रवृत्तियाँ** ।

17. **पार्लियामेंट व राज्यों की विधान सभाओं व** इनकी विभिन्न समितियों के सदस्यों को मिले दैनिक भत्ते ।

17A. **साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं कलात्मक कार्य के लिए पुरस्कार** :—किसी साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्य के लिये मिला पुरस्कार अथवा खेलों में कुशलता प्राप्त करने के लिए मिला हुआ इनाम करमुक्त होता है चाहे वह नकद मिला हो अथवा वस्तु के रूप में । इस सम्बन्ध में शर्त यह है कि यह पुरस्कार व इनाम आदि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो अथवा इनके द्वारा अनुमोदित संस्थाओं द्वारा । सरकार द्वारा एक घोषणा इस सम्बन्ध में की जाती है कि अमुक पुरस्कार अमुक कर-निर्धारण वर्षों के लिये कर-मुक्त है ।

17B. सरकार द्वारा दिये गये अन्य पुरस्कार भी करयोग्य होते हैं यदि ये केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उद्देश्य के लिये दिये जाते है जो सार्वजनिक हित की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं ।

18. **केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार** द्वारा दिये गये वीरता पुरस्कार से सम्बन्धित मिली धन राशि ।

19. **भूतपूर्व भारतीय रियासतों** के राजाओं को मिली प्रीविवर्ष की धनराशि।

20. **किसी स्थानीय सत्ता की अपनी ही क्षेत्रीय सीमा** के अन्दर निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाली आय—

अ. प्रतिभूतियों पर ब्याज;

ब. भवन सम्पत्ति से आय;

स. पूंजीलाभ;

द. अन्य साधनों से आय; तथा

य. किसी वस्तु की बिक्री व सेवा से प्राप्त आय ।

टिप्पणी : स्थानीय सत्ता को बिजली व पानी की बिक्री से होने वाली सभी आय करमुक्त होनी है चाहे वह क्षेत्रीय सीमा के अन्दर हुई हो अथवा उससे बाहर ।

20A. **किसी ग्राम व नगर के विकास, सुधार व नियोजन** के उद्देश्य अथवा मकान निर्माण हेतु भारत में किसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी सत्ता (authority) की आय ।

21. **वैज्ञानिक अनुसंधान संघ** को प्राप्त आय, बशर्ते कि इसका प्रयोग पूर्णरूप से ऐसे संघ के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता हो ।

22. **विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त आय,** बशर्ते कि उनका उद्देश्य शिक्षा का प्रसार ही हो, धन का उपार्जन नहीं ।

22A **किसी अस्पताल अथवा ऐसी संस्था की आय,** जहाँ शारीरिक अथवा मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा अथवा देखभाल की जाती है तथा जो लाभ के उद्देश्य से नहीं चलते ।

23. **खेलकूद की ऐसी संस्थाओं व संघों की आय,** जिनको केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है; बशर्ते कि इस आय का प्रयोग ऐसी संस्थाओं की उद्देश्य पूर्ति के लिए ही होता है ।

23A. **भारत में स्थापित ऐसे संघों व संस्थाओं की आय** ('प्रतिभूतियों पर ब्याज' 'मकान व सम्पत्ति से आय' व 'लाभांश' के अन्तर्गत प्राप्त करयोग्य धनराशि अथवा विशिष्ट सेवाओं के लिये मिली आय को छोड़कर) जिनका उद्देश्य वकालत, डाक्टरी, एकाउन्टेन्सी, इन्जीनियरिंग व आरकीटेक्चर के व्यवसायों व केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित अन्य व्यवसायों का नियन्त्रण अथवा प्रोत्साहन करना हो ।

23B. **खादी व ग्राम उद्योगों से आय** : खादी व ग्राम उद्योगों से एक ऐसी संस्था को आय जो सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य शुद्ध रूप से खादी व ग्राम उद्योगों का विकास करना है, लाभोपार्जन नहीं । ऐसी संस्था को होने वाली वही आय कर-मुक्त होगी जो खादी व ग्राम उद्योग से हुई हो । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :

अ- संस्था द्वारा उपार्जित आय खादी व ग्राम उद्योग विकास पर व्यय की जानी चाहिए अथवा इन्हीं उद्देश्यों के लिए यह आय इकट्ठी भी की जा सकती है ।

ब- यह संस्था इस प्रावधान के लिए खादी व ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा अनुमोदन प्राप्त होनी चाहिए । यह अनुमोदन एक साथ में तीन कर-निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता ।

24. भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अन्तर्गत आने वाली ट्रेड यूनियनों को 'प्रतिभूतियों पर ब्याज', 'मकान सम्पत्ति से आय' व 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत आने वाली आय ।

25. वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड के अन्तर्गत ली हुई प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज तथा ऐसी प्रतिभूतियों को बेचने पर हुआ पूंजी लाभ। प्राविडेन्ट फण्ड ट्रस्टियों तथा सुपरएनुएशन फन्ड के ट्रस्टियों को फन्ड के लिए प्राप्त आय।

26. अनुसूचित जन जातियों (Scheduled Tribes) के उन सदस्यों की आय जो जनजातियों वाले क्षेत्रों, मनीपुर व त्रिपुरा में रहते हैं।

26A. लद्दाख जिले के निवासियों को कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 तक से सम्बन्धित गतवर्षों में लद्दाख में अथवा भारत के बाहर किसी साधन से उपार्जित आय। यह सुविधा उसी निवासी को प्राप्त होती है जो 1962-63 कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष में भी निवासी था।

27. पशुपालन, मुर्गीपालन अथवा दुग्धशाला के व्यापार से प्राप्त आय।

28. कर जमा पत्रों (Tax Credit Certificates) से सम्बन्धित प्राप्त अथवा समायोजित धन राशि।

29 किसी कानून के अन्तर्गत वस्तुओं के विपणन के लिए निर्मित प्राधिकारी (Authority) की ऐसी आय जो गोदामों को किराये पर उठाने से प्राप्त होती है।

30. चाय बोर्ड (Tea Board) से अथवा इसके द्वारा किसी ऐसे करदाता को मिली सहायता जो चाय को उगाने आदि के कार्य में लगा हुआ है तथा यह सहायता चाय के पौधे लगाने आदि के कार्य में आती है।

पुण्यार्थ अथवा धार्मिक ट्रस्टों व संस्थाओं की आय

ऊपर जिन आयों की सूची दी गई है, उन पर आयकर नहीं लगता। चाहे यह किसी भी करदाता को प्राप्त हुई हो। ध्यान इस विषय में यह रखना चाहिए कि सम्बन्धित वाक्यांशों में दी गई शर्तें पूरी कर दी जायें। इसके अतिरिक्त उन संस्थाओं की आय पर भी कर नहीं लगता जो पुण्यार्थ कार्यों व सार्वजनिक हितों के लिए बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिये ऐसे ट्रस्ट की आय जिसका उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण एवं स्वास्थ्य रक्षा है। इस सम्बन्ध में सभी प्रावधान धारा 11 व 12 में दिये गये हैं।

पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए रखी गई सम्पत्ति से आय :—धारा 11 के अन्तर्गत उस सम्पत्ति की आय को कुल आय में नहीं जोड़ा जाता जो पूर्णतया पुण्यार्थ व धार्मिक कार्यों के लिए स्थापित ट्रस्टों के स्वामित्व में है। किन्तु कर से छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी आय को इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में ही व्यय कर दिया जाए। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन होना चाहिए :—

1. आय की प्राप्ति सम्पत्ति से होनी चाहिए। इस धारा के लिए 'सम्पत्ति' का तात्पर्य केवल भवन सम्पति से ही नहीं है। इसे विस्तृत रूप में प्रयोग किया गया है। अतः इसमें व्यापार भी सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में ऐसे व्यापार के लाभ जो पुण्यार्थ कार्यों के लिए किसी ट्रस्ट आदि के स्वामित्व में हैं, करमुक्त होते हैं। बशर्ते कि इन लाभों को पुण्यार्थ कार्यों के लिए ही व्यय कर दिया गया है।

2. ऐसी सम्पत्ति का स्वामित्व ट्रस्ट के पास होना आवश्यक है ।

3. सम्पत्ति पूर्ण रूप से धार्मिक व पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए ही ट्रस्ट के पास होनी चाहिए । सम्पत्ति यदि आंशिक रूप से पुण्यार्थ कार्यों के निमित्त रखी गई है तो उससे होने वाली आंशिक आय ही करमुक्त होगी ।

4. ट्रस्ट की वही आय करमुक्त होगी जिसे गतवर्ष में अथवा गतवर्ष के समाप्त होने के 3 महीने की अवधि के अन्दर ही पुण्यार्थ कार्यों में लगा दिया गया है । शेष बची आय ट्रस्टियों के हाथों में 'सदस्यों के अन्य समुदाय' की भाँति करयोग्य होगी ।

पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ [11 (1A)]

ऐसी सम्पत्ति, जो ट्रस्ट के पास पूर्णतया पुण्यार्थ व धार्मिक कार्यों के लिए रखी हुई है, यदि हस्तान्तरित कर दी जाती है तथा इसके लिये प्राप्त शुद्ध प्रतिफल का सम्पूर्ण अथवा आंशिक भाग किसी अन्य सम्पत्ति को प्राप्त करने में व्यय कर दिया जाता है, तो यह माना जाता है कि ऐसा प्राप्त पूँजी लाभ पुण्यार्थ कार्यों में लगाया गया है अतः इस पर आयकर नहीं लगता । शर्त यह है कि इस प्रकार खरीदी गई सम्पत्ति का उपयोग पुरानी सम्पत्ति की भाँति ही पूर्णतया पुण्यार्थ कार्यों के लिए ही होना चाहिए । जब प्राप्त शुद्ध प्रतिफल की सम्पूर्ण रकम नई सम्पत्ति खरीदने में व्यय की जाती है तो सम्पूर्ण पूँजी लाभ करमुक्त होता है । किन्तु यदि प्राप्त शुद्ध प्रतिफल को आंशिक रूप से ही नवीन पूँजी सम्पत्ति खरीदने में लगाया जाता है तो इस पूँजी लाभ को आंशिक रूप से ही कर-मुक्त होने की सुविधा मिलेगी । उदाहरण के लिये 80,000 रु० की लागत की एक सम्पत्ति 1,00,000 रु० में बेचकर 20,000 रु० पूँजी लाभ हुआ । 2,000 रु० के व्यय इस हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये, अतः शुद्ध प्रतिफल 98,000 रु० एवं पूँजी लाभ 18,000 रु० निश्चित हुआ । अब एक नवीन सम्पत्ति यदि 49,000 रु० में खरीदी जाती है तो इसमें शुद्ध प्रतिफल का आधा भाग ही व्यय होता है अतः पूँजी लाभ (18,000 रु०) का आधा अर्थात् 9,000 रु० करमुक्त होगा व शेष 9,000 रु० पर आयकर देना होगा ।

आय का संचयन

धारा 11 (2) के अन्तर्गत ऐसा प्रावधान है कि यदि ट्रस्ट द्वारा अपनी आय को गतवर्ष में अथवा उसके समाप्त होने के 3 महीनो के अन्दर पुण्यार्थ कार्यों के लिए भारत में व्यय नहीं किया जाता व इसे भविष्य में काम आने के लिए संचित कर लिया जाता है तो भी यह करमुक्त होगी बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाये :

1. ट्रस्ट द्वारा निर्धारित विधि से आयकर अधिकारी को सूचित कर दिया जाना चाहिए कि किन उद्देश्यों के लिए व कितनी अवधि के लिए आय को संचित किया जायेगा । यह अवधि किसी भी स्थिति में 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

2 यह संचित धन सरकारी प्रतिभूतियों, डाकखाने के बचत खाते में, बैंक में अथवा सहकारी बैंक में जमा कर दिया जाना चाहिए । इसे ऐसे वित्त निगम में भी जमा किया जा सकता है जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता हो ।

3. ऐसी आय जो उपर्युक्त विधि से संचित नहीं की जाती, अथवा संचित किये जाने के बाद किन्हीं ऐसे कार्यो के लिए व्यय की जाती है जो पुण्यार्थ नही है, कर योग्य मानी जाती है। इसी प्रकार यदि यह धन 10 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के तुरन्त बाद वाले गतवर्ष में पूर्व घोषित पुण्यार्थ उद्देश्यों के लिए व्यय नही किया जाता तो इस पर आयकर लगाया जायेगा।

स्वेच्छानुकूल दिये गये चन्दों से प्राप्त आय [12]

पुण्यार्थ व धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित ट्रस्टों व संस्था को स्वेच्छानुकूल दिये गये चन्दों से प्राप्त आय भी सम्पत्ति से प्राप्त आय मानी जाती है व इसका कर निर्धारण भी धारा 11 व 13 के अधीन किया जाता है। अन्य शब्दों में चन्दे आदि से प्राप्त धन राशि का उपयोग भी इन घोषित उद्देश्यों पर व्यय कर दिया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक शिक्षा संस्था चलाने वाले ट्रस्ट को रु० 20,000 की आय मकान सम्पत्ति के किराए व प्रतिभूतियों पर ब्याज से होती है तथा रु० 10,000 स्थानीय लोगों से स्वेच्छानुकूल चन्दों के रूप में प्राप्त होते है। इस रु० 30,000 की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय अर्थात् गतवर्ष समाप्त होने के तीन माह के अन्दर शिक्षा पर व्यय कर दिया जाना चाहिए। मान लिया कि ट्रस्ट ने केवल रु० 25,000 ही व्यय किया है तो शेष रु० 5,000 पर आयकर दिया जावेगा।

एक प्रावधान इस विषय में यह है कि स्वेच्छा से दिये गये चन्दे यदि ट्रस्ट की पूँजी बढ़ाने के लिए दिये गये हैं तो इन्हें वार्षिक आय नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए उक्त ट्रस्ट को श्री राजेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव रु० 50,000 इसलिए देते है कि इन्हें ट्रस्ट की पूँजी में शामिल कर लिया जाये व इनसे होने वाली आय को शिक्षा पर व्यय किया जाये, तो 50,000 रु० की यह राशि ट्रस्ट की आय नहीं मानी जायेगी।

कुछ अन्य नियम : धारा 12A में कुछ अन्य शर्ते भी दी गई हैं जिनका पालन करना भी आवश्यक है अन्यथा आयकर से छूट नहीं मिलेगी। ये शर्ते निम्नलिखित है :

1. ट्रस्ट की आय प्राप्त करने वाले ट्रस्टी को एक प्रार्थना-पत्र आयकर कमिश्नर को देना चाहिए जिससे कि ट्रस्ट को पंजीकृत किया जा सके। पुराने ट्रस्टों को यह प्रार्थना पत्र 1 जुलाई 1973 से पहले व नये ट्रस्टों को ट्रस्ट की स्थापना के एक वर्ष के अन्दर देना चाहिए।

2. ट्रस्ट अथवा संस्था की कुल आय यदि 25,000 रु० वार्षिक से अधिक है इसके हिसाब किताब का अंकेक्षण एक चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा किया जाना चाहिए। तथा ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट व निर्धारित विवरण ट्रस्ट द्वारा अपनी आय का नक्शा भेजते हुए जमा कर देना चाहिए।

अपवाद

आयकर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार इन ट्रस्टों की निम्नलिखित आय कर मुक्त नहीं होगी अर्थात् इन्हें करयोग्य आय में जोड़ा जायेगा व इन पर कर की वसूली होगी :

1. ट्रस्ट की ऐसी सम्पत्ति की आय जो **व्यक्तिगत धार्मिक उद्देश्यों के लिये रखी जाती है** तथा जिससे जनता को लाभ नहीं होता।

2. **1 अप्रैल 1962 को अथवा इसके बाद में स्थापित** ऐसे पुण्यार्थ ट्रस्ट अथवा संस्था की आय, जो किसी विशेष धार्मिक समुदाय व जाति के हित व कल्याण के लिए ही स्थापित हुआ है।

3. **1 अप्रैल 1962 को अथवा इसके बाद में स्थापित पुण्यार्थ व धार्मिक ट्रस्ट की आय** :—इस आय का कोई भी अंश यदि ट्रस्ट की शर्तों के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए गतवर्ष में व्यय किया जाता है तो यह करयोग्य होता है :—

अ. ट्रस्ट का बनाने वाला अथवा उस संस्था का संस्थापक।

ब. कोई व्यक्ति जिसने उस ट्रस्ट व संस्था को सारवान योगदान दिया है।

स. जहाँ ऐसा ट्रस्ट बनाने वाला अथवा संस्थापक हिन्दू अविभाजित परिवार है, तो ऐसी स्थिति में इस परिवार का कोई भी सदस्य।

द. ऐसे ट्रस्ट बनाने वाले अथवा संस्थापक अथवा दानदाता व अविभाजित परिवार के सदस्य का कोई रिश्तेदार।

ह. ऐसी कोई संस्था जिसमें ऊपर दिये गये किसी भी व्यक्ति का सारवान हित है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसा ट्रस्ट यदि 1 अप्रैल 1962 से पहले स्थापित हुआ है तो उसकी आय करमुक्त होगी चाहे ऊपर दिए गए व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ ही पहुँचते हों।

आय जो कुल आय में सम्मिलित की जाती है किन्तु जिस पर आयकर की छूट मिलती है :—

1. ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर से मुक्त घोषित कर दी गई है, अथवा ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज जो राज्य सरकार द्वारा निर्गमित की गई है व जिन्हें राज्य सरकार द्वारा करमुक्त घोषित कर किया जाता है, आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}\%$ की दर से (जो भी कम है) छूट मिलती है।

2. एक अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार को इस फर्म से मिले अपने लाभ की रकम पर औसत दर से छूट मिलती है बशर्ते कि फर्म द्वारा अपने लाभों पर आयकर दे दिया गया है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. ऐसी कौन सी आय है जो आयकर अधिनियम की परिधि में नहीं आतीं ?
2. एक पुण्यार्थ संस्था को अपनी आय पर आयकर से मुक्ति पाने के लिए किन-किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है ?
3. संक्षेप में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :
   आकस्मिक आय ; पुण्यार्थ चन्दे ; कृषि आय।

भाग २

आय के शीर्षक

वेतन

प्रतिभूतियों पर ब्याज

मकान सम्पत्ति से आय

व्यापार अथवा पेशे के लाभ

ह्रास तथा विकास सम्बन्धी छूट

पूँजी लाभ

अन्य साधनों से आय

वेतन

(SALARIES)

6

आयकर अधिनियम की धारा 14 के अनुसार आयकर दायित्व निकालने के लिये हमें कुल सकल आय की गणना करनी होती है। यह आय विभिन्नय शीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। इन सभी स्रोतों व शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना कुछ निर्धारित नियमों व प्रावधानों के आधार पर की जाती है। इस सारी आय को जोड़ कर कुल सकल आय निकालते हैं। इस जानकारी के लिए तालिका 'अ' अधिक उपयुक्त होगी। आय निम्नलिखित 6 शीर्षकों से प्राप्त होती है :

1. वेतन (Salaries) ;
2. प्रतिभूतियों पर ब्याज (Interest on securities) ;
3. भवन सम्पत्ति से आय (Income from house property)
4. व्यापार व पेशे के लाभ (Profits and gains of business and profession) ;
5. पूँजी लाभ (Capital Gains) ; तथा
6. अन्य साधनों से आय (Income from other sources)।

इन शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिए बहुत से नियम हैं जिन्हें अधिनियम की विभिन्न धाराओं में स्पष्ट किया है। आयकर यद्यपि एक ही कर है जो कुल आय पर लगता है परन्तु किसी आय की गणना उसी शीर्षक के अधीन होनी चाहिये जिससे वह सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में कोई विकल्प न तो अधिकारियों को प्राप्त है न करदाता को ही। इस विषय में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि करदाता ने आय अपने आय के नक्शे में गलत स्थान पर दिखा दी है तो भी आयकर विभाग का दायित्व है कि वह उस आय को सही शीर्षक के अन्तर्गत दिखा दे। इन 6 शीर्षकों में से प्रथम 5 शीर्षक विशिष्ट है। तथा छठा शीर्षक उन शेष बची हुई सभी आयों के लिये है जिन्हें प्रथम पाँच शीर्षकों में स्थान नही मिलता।

वेतन (धारा 15)

वेतन के अन्तर्गत निम्नलिखित रकमें आती हैं :

(अ) **प्राप्य वेतन** : कोई वेतन जो करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से गतवर्ष मे प्राप्य हो। यह वेतन प्राप्त भी हो सकता है अथवा बाकी रह सकता है।

(ब) **वेतन की पेशगी** :-ऐसा वेतन जो करदाता को गतबर्ष में अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्य होने से पहले ही से प्राप्त हो गया हो अर्थात् वेतन पेशगी इस धारा के अन्तर्गत वेतन की श्रेणी में ही आती है।

(स) **वेतन की पिछली बाकी** : वेतन की पिछली बाकी जो पिछले गतवर्ष में आयकर लगने से रह गई थी किन्तु जो गतवर्ष में प्राप्त हो चुकी है, आयकर के लिए गतवर्ष का वेतन मानी, जावेगी ।

स्पष्टीकरण—किसी भी प्रकार के सन्देह निवारण के लिये यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी वर्ष करदाता की कुल आय में वेतन के अन्तर्गत वेतन की पेशगी (salary paid in advance) सम्मिलित करली गई है तो यह वेतन उस वर्ष की आय में शामिल नहीं किया जायेगा जब यह प्राप्य (due) होगा ।

तालिका 'अ'

कुल आय की गणना पर एक विहंगम दृष्टि

आय के साधन

(धारा 10 के अन्तर्गत दी गई आयें इसमें सम्मिलित नहीं की जातीं) अध्याय 5 देखिये

वेतन	प्रतिभूतियों पर ब्याज	भवन सम्पत्ति से आय	व्यापार व पेशे से लाभ	पूँजी लाभ	अन्य साधनों से आय
घटाइये : खर्चों के लिए स्वीकृत कटौती	घटाइये : खर्चों के लिए स्वीकृत कटौती	घटाइये : खर्चों के लिए स्वीकृत कटौती	घटाइये : खर्चों के लिए स्वीकृत कटौती	घटाइये : खर्चों के लिए स्वीकृत कटौती	घटाइये खर्चों के लिए स्वीकृत कटौती

सभी शीर्षकों से प्राप्त शुद्ध आय

कुल सकल आय

घटाइये : धारा 80A से 80V तक दी गई कटौतियाँ
(इनका विवरण अध्याय 14 में दिया गया है)

कुल आय

कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

1. **नियोक्ता से लिया गया ऋण** :—वेतन की पेशगी यद्यपि धारा 15 के अनुसार वेतन में शामिल कर ली जाती है किन्तु यदि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से वेतन के बदले में कोई ऋण ले लिया है तो ऋण की यह रकम वेतन में नहीं जोड़ी जाती । उदाहरण के लिये अतुल जो वल्लभ एण्ड कम्पनी में 1,000 रु० मासिक पर सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त है यदि अपनी कम्पनी से 6 महीने के पेशगी वेतन की प्रार्थना करता है तो यह पेशगी वेतन उस गतवर्ष की आय होगी जिसमें इसे प्राप्त किया गया है । किन्तु यदि

यह कर्मचारी अपनी कम्पनी से 6,000 रु० के ऋण के लिए आवेदन करता है तथा कम्पनी को अधिकार देता है कि ऋण की वसूली उसके वेतन से कर ली जाये तो लिया गया ऋण उसकी आय नहीं माना जा सकता।

2. **कर-मुक्त वेतन**—पिछले अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को करमुक्त वेतन दिये जाने की व्यवस्था कभी कभी की जाती है अर्थात् कर्मचारी को दिये गए वेतन पर जो ऋण दायित्व आता है उसका भुगतान नियोक्ता अलग से करता है। इसका तात्पर्य वेतन का करमुक्त होना कदापि नहीं है बल्कि इस व्ययस्था के अन्तर्गत कर्मचारी के वेतन से सम्बन्धित कर दायित्व का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि नियोक्ता द्वारा दिया गया आयकर भी कर्मचारी के हाथों में आय मानी जाती है केवल उन स्थितियों को छोड़ कर जिनका वर्णन चौथे अध्याय में किया जा चुका है। इसके स्पष्टीकरण के लिये एक उदाहरण उपयुक्त होगा।

उदाहरण

श्री रमन अग्रवाल को भारत एण्ड सन्स की ओर से 20,000 रु० के कर-मुक्त वेतन दिये जाने की व्यवस्था है। करदायित्य निकालिये जिसका भुगतान भारत लिमिटेड की ओर से किया जाना है।

20,000 रु० पर आयकर व सरचार्ज	2,230	+	223.00
2,453 रु० पर आयकर व सरचार्ज यह मानते हुए कि यह राशि श्री अग्रवाल की आय है 30%	735·90	+	73·59
809·49 पर आयकर @ 30% व सरचार्ज @ 10%	242·85	+	24.29
267·14 पर आयकर @ 30% व सरचार्ज @ 10%	80·14	+	8·01
88·15 पर आयकर @ 30% व सरचार्ज @ 10%	26·45	+	2·65
29·10 पर आयकर @ 30% व सरचार्ज @ 10%	8·73	+	0·87
9·60 पर आयकर @ 30% व सरचार्ज @ 10%	2·88	+	0·29
3·17 पर आयकर @ 30% व सरचार्ज @ 10%	0·95	+	0·10
	3,327·90		332·80

इस प्रकार 20,000 रु० के करमुक्त वेतन के लिए आयकर दायित्व रु० 3,660·70 हुआ जिसका भुगतान नियोक्ता फर्म द्वारा कर दिया जावेगा।

इसी उदाहरण में यदि विदेशी प्रविधिज्ञ को सरकारी अनुमति से करमुक्त वेतन दिये दिया जाने की व्यवस्था की गई है अर्थात् इस वेतन पर आयकर का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जावेगा तो 20,000 रु० के वेतन पर आयकर दायित्व 2,453 रु० (2,230 रु० + 223 रु०) हुआ जो नियोक्ता द्वारा कर दिया जावेगा। किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ने कर मुक्त वेतन के लिए अनुमति नहीं दी है तो नियोक्ता को रु० 3,660·70 आयकर दायित्व के लिए देने पड़ेंगे।

3. **नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध**—कोई भी धनराशि इस शीर्षक के अन्तर्गत तभी करयोग्य हो सकती है जबकि उसका स्रोत वे सम्बन्ध हों जो स्वामी एवं कर्मचारी के मध्य विद्यमान रहते हैं। कोई राशि यदि ऐसे सम्बन्धों से प्राप्त होती है जिन्हें नियोजन (employment) नहीं कहा जा सकता तो ऐसी राशि इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य न होकर 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत आती है।

एक संचालक कम्पनी में अपने पद पर कार्य करते हुए कर्मचारी नहीं कहा जा सकता जब तक कि इससे सम्बन्धित कोई प्रसंविदा न हो। एजेन्ट प्रायः कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता। इसी प्रकार प्रबन्ध अभिकर्ता को कम्पनी के प्रबन्ध के बदले में मिला पारिश्रमिक भी व्यापार एवं पेशे से आय के अन्तर्गत ही करयोग्य होता है। स्वामी एवं नियोक्ता के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि यह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, कम्पनी, कोई अन्य सार्वजनिक संस्था, विदेशी सरकार अथवा निजी क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति व साझेदारी फर्म अथवा कम्पनी आदि कोई भी हो सकता है।

4. **वेतन का स्वेच्छा से छोड़ा जाना**—कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि कर्मचारी राष्ट्र भावना अथवा अन्य भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिये उपेन्द्र को यदि 2,000 रु० मासिक वेतन मिलता है तथा वह स्वेच्छा से 1,000 रु० मासिक की कटौती स्वीकार कर लेता है तो इससे उपेन्द्र का कर दायित्व प्रभावित नहीं होगा। उसे 24,000 रु० पर ही आयकर देना होगा। किन्तु यदि उपेन्द्र ने Voluntary Surrender of Salaries (exemption from taxation) Act 1961 के अन्तर्गत दी हुई व्यवस्थाओं का पालन किया है तो वेतन की यह छोड़ी हुई राशि उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी व उसे शेष 12,000 रु० पर ही कर देना होगा।

5. **वेतन का प्राप्य होना**—वेतन की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वेतन के कर-निर्धारण के लिये यह आवश्यक नहीं है कि गतवर्ष में वेतन की प्राप्ति हो गई हो। वेतन यदि प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु प्राप्य हो गया है तो भी यह कर योग्य होगा। उदाहरण के लिये 12 महीनों में यदि केवल 8 महीने का वेतन ही प्राप्त हुआ है तो भी 12 महीनों के वेतन पर कर लगाया जायेगा। साधारणतया कर्मचारी का गतवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है क्योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि महीने का वेतन माह के अन्तिम दिन सन्ध्या को प्राप्य हो जाता है। किन्तु सरकारी व अर्द्ध सरकारी कर्मचारी के लिये यह माना जाता है इनका वेतन अगले महीने की पहली तारीख को प्राप्य होता है अर्थात् जनवरी का वेतन 1 फरवरी को प्राप्य होगा व फरवरी का वेतन 1 मार्च को। इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये इन कर्मचारियों के गतवर्ष में हम मार्च से फरवरी तक का वेतन शामिल करते हैं क्योंकि मार्च का वेतन 1 अप्रैल को प्राप्य होगा जो कि अगले गतवर्ष में आता है। उदाहरण के लिये 1973-74 गतवर्ष में मार्च 73 से फरवरी 74 तक का वेतन शामिल होगा। मार्च 73 का वेतन 1 अप्रैल 1973 को प्राप्य हुआ व फरवरी 74 का वेतन मार्च 1974 को। मार्च 1974 का वेतन 1 अप्रैल 1974 को प्राप्य होगा जो 1974-75 गतवर्ष में सम्मिलित किया जायेगा।

6. **नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से मिला पारिश्रमिक**—कर्मचारी के अपने सेवाकाल के दौरान यदि किसी रकम की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति से होती है जो कि उसका नियोक्ता नहीं है तो इसे वेतन की संज्ञा नहीं दी जा सकती। उदाहरण के लिए यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर को यदि परीक्षा लेने के लिए कुछ पारिश्रमिक किसी अन्य

यूनीवर्मिटी से मिलता है तो यह 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत आयेगा। यही परीक्षा सम्बन्धी पारिश्रमिक यदि उसे अपने हीं विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है तो इसे 'वेतन' में ही शामिल करेंगे।

7. **नियोक्ता द्वारा की गई कटौतियाँ**—वेतन में से जो भी कटौतियाँ आवश्यक रूप में नियोक्ता द्वारा की जाती हैं वे सभी वेतन का प्रयोग हैं अतः कर-दायित्व पर प्रभाव नहीं डालतीं। यह सभी कटौतियाँ सेवा-प्रसंविदे का आवश्यक अंग होती है तथा किसी न किसी सुविधा आदि के प्रतिफल स्वरूप काटी जाती है। उदाहरण के लिये दिल्ली यूनीवर्सिटी के कर्मचारियों को यदि चिकित्सा सुविधाओं के लिये 10 रु० मासिक की कटौती करानी होती है; अथवा किसी अन्य कालिज के प्राध्यापकों को कालिज के प्राँगण में ही आवास सुविधा दी जाती है जिसके लिए उनके वेतन से 10% की कटौती सेवा प्रसंविदे के अनुसार की जाती है तो यह कटौती करयोग्य वेतन को प्रभावित नहीं करती।

8. **अवकाश ग्रहण करते समय अथवा सेवा समाप्ति के समय मिला भुगतान**—कर्मचारी को यदि सेवा समाप्त करते समय अथवा अवकाश ग्रहण करते समय जो भी रकम नियोक्ता द्वारा दी जाती है वह कर्मचारी द्वारा भूतकाल में की गई सेवाओं की प्रशंसा के लिए होती है अतः यह 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है। कालिज के प्रधानाचार्य को अवकाश ग्रहण करते समय कालिज की प्रबन्ध समिति ने 40,000 रु० की रकम भेंट दी, यह भेंट 'वेतन' के अन्तर्गत करयोग्य है।

9. **पेंशन अथवा पेंशन के बदले मिली एक मुश्त रकम**—पेंशन वेतन की परिभाषा के अनुसार करयोग्य होती है। कभी ऐसा भी होता है कि कर्मचारी अपने पेंशन सम्बन्धी अधिकार को त्याग कर एक मुश्त रकम ले लेता है यह भी करयोग्य होती है। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के लिए पाँचवा अध्याय देखिये।

परिभाषायें [धारा 17]

वेतन—अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार 'वेतन' शब्द के अन्तर्गत निम्नलिखित मदें आती हैं:—

i. मजदूरी (wages);

ii. कोई वार्षिकी अथवा पेंशन (Any annuity or pension);

iii. कोई ग्रेच्यूटी (Any gratuity) ;

iv. कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ अथवा वेतन या मजदूरी के स्थान में या उसके अतिरिक्त लाभ (Any fees, commission, perquisites or profits in lieu of or in addition to any salary or wages);

v. वेतन की पेशगी (Any advance of salary);

vi. एक कर्मचारी के प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में वार्षिक वृद्धि (annual increment) उस सीमा तक जो चौथी अनुसूची के भाग 'अ' के नियम संख्या 6 के अन्तर्गत करदेय है। इस सीमा का विवरण प्राविडेण्ट फण्ड के अन्तर्गत दिया गया है; अथवा

vii उन सभी रकमों का जोड़ जो चौथी अनुसूची के भाग 'अ' के नियम संख्या 11 (2) के अनुसार हस्तान्तरित शेष (Transferred balance) में शामिल है परन्तु यह केवल करयोग्य सीमा तक ही जोड़ा जा सकता है ।

उपर्युक्त धनराशियाँ नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से भी दी जा सकती है अथवा प्रसंविदे के अन्तर्गत भी । इसी प्रकार कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने पर नोटिस की अवधि के लिये दिया गया वेतन भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता है । नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली वार्षिकी (Annuity) भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत आती है । किन्तु यही वार्षिकी यदि किसी अन्य पक्ष द्वारा दी जाती है तो 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत इसे रखा जाता है । पेन्शन के लघुकरण (Commutation of pension) पर मिली राशि भी इसी शीर्षक में करयोग्य होगी ।

अनुलाभ (Perquisites):—अनुलाभों से हमारा तात्पर्य उस उपलब्धि (Emolument), शुल्क अथवा लाभों से है जो किसी पद के धारक को वेतन के अतिरिक्त प्राप्त होते हैं । अनुलाभ की प्राप्ति विभिन्न स्वरूपों में हो सकती है । इन्हें नकद अथवा ऐसी वस्तुओं में प्राप्त किया जाता है जिन्हें नकद रुपयों में कभी भी बदला जा सकता है । ऐसे लाभ अथवा सुविधायें जो कर्मचारी को पद सम्बन्धी अपने कर्तव्य पालन के लिये मिलते हैं, कुल आय में सम्मिलित नहीं किये जाते ।

धारा 17 (2) के अनुसार अनुलाभों के अन्तर्गत निम्नलिखित लाभ आदि आते हैं :—

i. नियोक्ता द्वारा करदाता को दिए गए किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन ।

ii. करदाता को अपने नियोक्ता से मिले हुए निवास स्थान के लिए दिए जाने वाले किराये में रियायत का मूल्यांकन ।

iii. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए ऐसे दायित्व का भुगतान जो नियोक्ता द्वारा न किये जाने पर कर्मचारी को स्वयं करना पड़ता ।

vi. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा अथवा वार्षिकी अनुबन्ध (Contract for an annuity) के सम्बन्ध में दी गई प्रीमियम की रकम । यह रकम प्रमाणित प्राविडेण्ट फन्ड में से अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से नहीं दी जानी चाहिए ।

v. बिना मूल्य प्राप्त कोई अन्य सुविधा अथवा रियायती मूल्यों पर प्राप्त सुविधायें व लाभ केवल निम्नलिखित के हाथों में ही करयोग्य होते हैं :

अ) एक कम्पनी द्वारा एक डाइरेक्टर कर्मचारी को;

ब) एक कम्पनी द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को जिसका कम्पनी में सारवान हित है । अधिनियम की धारा 2 (32) के अनुसार ऐसे व्यक्ति वे होते हैं जिनके पास कम्पनी के इतने अंश हों जिनसे उनकी मतदान शक्ति कम्पनी के कुल वोटों की 20% से कम न हो ।

स) किसी भी नियोक्ता (जिसमें कम्पनी भी शामिल है) द्वारा एक ऐसे कर्मचारी (जो उपर्युक्त 'अ' और 'ब' के अन्तर्गत नहीं आता) को जिसकी 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत वार्षिक आय (सभी लाभों व सुविधाओं को छोड़ते हुए) 18,000 रुपये अथवा अधिक हो ।

उपर्युक्त 5 प्रकार के लाभों में से प्रथम 4 प्रकार के लाभ सभी करदाताओं के हाथों में करयोग्य होते हैं जबकि (v) के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले लाभ उन्हीं कर्मचारियों के लिये करयोग्य होंगे जो 'अ', 'ब' अथवा 'स' श्रेणी के अन्तर्गत आते हों। इनमें से पहले, दूसरे एवं चौथे प्रकार के लाभ विशिष्ट (Specific) है जिसमें भ्रम की कतई गुंजाइश नहीं है किन्तु तीसरे व पाँचवे प्रकार के लाभों में कभी-कभी भ्रम हो सकता है जिसके कारण करयोग्य आय की गणना भी गलत हो सकती है। प्रत्येक वह लाभ अथवा सुविधा जिसका दायित्व पूरी तरह से कर्मचारी का है तृतीय प्रकार के लाभों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है तथा सभी दशाओं में करयोग्य होता है। किन्तु पाँचवी श्रेणी में जो लाभ रखा जाता है वह केवल उल्लिखित परिस्थितियों में ही करयोग्य होता है। उदाहरण के लिए कर्मचारी को यदि अपने नियोक्ता से स्वयं के लाभार्थ एक सेवक मिला हुआ है जिसका वेतन भी नियोक्ता द्वारा दिया जाता है तो यह लाभ पाँचवीं श्रेणी में आयेगा तथा केवल कर्मचारी डाइरेक्टर आदि के हाथों में ही करयोग्य होगा। एक अन्य स्थिति ऐसी भी हो सकती है जबकि यही कर्मचारी अपने लाभार्थ एक घरेलू सेवक की नियुक्ति स्वयं करता है अतः उसके वेतन आदि का सम्पूर्ण दायित्व उसका अपना होगा किन्तु बाद में यदि नियोक्ता द्वारा ऐसे घरेलू सेवक को वेतन देना स्वीकार कर लिया जावे तो यह लाभ तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत आवेगा तथा सभी स्थितियों में करयोग्य होगा।

उदाहरण

(2) राजेन्द्रकुमार, जो प्रीमियर कम्पनी में कर्मचारी हैं, कम्पनी की कार में जाते हुए किसी पैदल चलते हुए व्यक्ति को दुर्घटना में घायल कर देते है जो बाद में मर जाता है। राजेन्द्रकुमार पर अभियोजन चलता है व इन्हें बचाने के लिए कम्पनी को 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, आयकर अधिकारी इस राशि को राजेन्द्रकुमार की आय में अनुलाभ मानकर आयकर लगाता है। राजेन्द्रकुमार का कहना है कि यदि वे अपना बचाव स्वयं करते तो 2,000 रु० से अधिक व्यय नहीं होता! मामले में कम्पनी द्वारा किया गया समस्त व्यय धारा 17(2) (iii) के अन्तर्गत करयोग्य ठहराया गया है अर्थात् यह निर्दिष्ट अवस्थाओं में ही करयोग्य होगा।

वेतन के स्थान में लाभ

धारा 17 (3) के अनुसार 'वेतन के स्थान में लाभ' के अन्तर्गत निम्नलिखित रकमें शामिल होती हैं :—

(i) नौकरी छूटने अथवा सेवा के अनुबन्ध (Service agreement) में कोई परिवर्तन करने से सम्बन्धित मिली क्षतिपूर्ति की रकम, जो उसे अपने वर्तमान नियोक्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से मिलती है।

(ii) अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से करदाता को प्राप्य अथवा प्राप्त रकम। यह भुगतान यदि प्राविडेण्ड फण्ड अथवा सुपरएनुएशन फण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य फण्ड से मिलता है तो इसमें कर्मचारी का अपना अंशदान व उस पर मिला ब्याज शामिल नहीं होता।

अपवाद—कर्मचारी द्वारा प्राप्त निम्नलिखित रकमें 'वेतन के स्थान पर लाभ' के अन्तर्गत नहीं आतीं :—

(1) **मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त ग्रेच्यूटी** : प्राय: किसी भी सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रेच्यूटी करमुक्त होती है व इसकी सीमा निर्धारित नही होती। अन्य कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्यूटी की रकम निम्नलिखित सीमाओं तक ही कर मुक्त होती है :

(अ) रु० 30,000 ;

(ब) 20 महीनों का वेतन ;

(स) प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन ;

(द) ग्रेच्यूटी की प्राप्त राशि; जो भी सब से कम हो। इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के लिए पाँचवा अध्याय देखिये

(2) **पेन्शन का लघुकरण** : : पेन्शन के लघुकरण के बदले में प्राप्त एक मुश्त रकम करमुक्त होती है यदि यह धारा 10 (10 A) में निर्धारित सीमा के अन्दर हो।

(3) वैधानिक प्राविडेन्ड फन्ड से प्राप्त राशि

(4) **प्रमाणित प्राविडेन्ड फण्ड से प्राप्त राशि** : इस फण्ड से प्राप्त राशि करमुक्त होती है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायें :

(अ) कर्मचारी लगातार 5 वर्ष तक इसी नियोक्ता के यहाँ सेवारत रहा है; अथवा

(ब) लगातार सेवा न करने की दशा में नौकरी छोड़ने का कारण कर्मचारी का खराब स्वास्थ्य अथवा नियोक्ता द्वारा व्यापार की समाप्ति है।

(5) **मकान किराया भत्ता** : कर्मचारी द्वारा प्राप्त हुआ मकान किराया भत्ता भी करमुक्त होता है। छूट की निर्धारित सीमा इसी अध्याय में अन्यत्र दी जा रही है।

धारा 89 (1) के अन्तर्गत मिलने वाली छूट

हम जानते है कि आयकर का भुगतान हमें बढ़ती हुई दरों से करना पड़ता है। कुल आय जितनी अधिक होगी, आयकर दायित्व उसी अनुपात में न बढ़कर अधिक दर से बढ़ेगा। उदाहरण के लिए 50,000 रु० की कुल आय पर आयकर दायित्व रु० 17,303 होता है, जबकि 25,000 रु० की कुल आय पर रु० 4,103। कुल आय दो गुनी हुई जबकि आयकर दायित्व चौगुने से भी अधिक हो गया। इस व्याख्या के सन्दर्भ में ही हमें धारा 89 (1) के अन्तर्गत मिलने वाली छूट का अध्ययन करना है।

करदाता के वेतन में यदि वेतन की पिछली बाकी अथवा गतवर्ष में मिले वेतन की पेशगी शामिल है अथवा कोई ऐसी रकम वेतन में सम्मिलित की गई है जो 'वेतन के स्थान पर लाभ' के अन्तर्गत आती है तथा इन के परिणाम स्वरूप करदाता के कर दायित्व में अनुपात से अधिक वृद्धि हो गई है तो ऐसी स्थिति में यह सुविधा प्राप्त करने के लिए करदाता को एक प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को देना होता है जो निर्धारित विधि से ऐसी स्थिति में छूट देने का अधिकारी है।

उदाहरण

(3) श्री एस० बी० सेट्टी एक कम्पनी में 44 वर्ष तक लगातार नौकरी करने के बाद 30 सितम्बर 1974 को अवकाश ग्रहण करते है : तथा ग्रेच्यूटी के रूप में 40,000 रुपये प्राप्त करते है। उनकी 31 दिसम्बर 1973, 1972 व 1971 को समाप्त होने वाले वर्षो का औसत वेतन क्रमश: 1,100 रु०, 1,000 रु० व 900 रु० मासिक है। आपको कर मुक्त ग्रेच्यूटी की गणना करनी हैं।

Tax-free limit of gratuity will be as follows :

a. Rs. 30,000

b. Rs. 20,000, being 20 months' average salary calculated on the basis of the salary drawn in 3 calendars years preceding the calendar year in which it is received.

c. Rs. 22,000, being ½ month's salary for each year of completed service. In this case he has completed 44 years and so 22 months' salary will be the limit.

d. Rs. 40,000 being the amount received, whichever is less.

Therefore, out of Rs. 40,000 only Rs. 20,000 will be tax-free and the balance of Rs. 20,000 will be included in salary and taxed.

अनुलाभों का मूल्यांकन

अनुलाभों के मूल्यांकन के लिये केन्द्रीय बोर्ड ने कुछ नियम बनाये हैं जिनका पालन किया जाना आवश्यक है। नीचे हम कुछ अनुलाभों का मूल्यांकन दे रहे है। ध्यान रखना चाहिए कि किराया मुक्त मकान अथवा किराये के भुगतान में रियायत ऐसे अनुलाभ हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के हाथों में कर योग्य होते हैं।

(1) **किराया मुक्त निवास स्थान** : कर्मचारी को अपने नियोक्ता द्वारा बिना किराये के दिया गया मकान अनुलाभ है जिस पर सभी करदाताओं को आयकर देना पड़ता है। इस अनुलाभ के मूल्यांकन के लिए करदाता कर्मचारी को तीन श्रेणियों में रखा गया है तथा इन तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए इस सुविधा का मूल्यांकन अलग अलग तरह से करते हैं।

प्रथम श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं अथवा ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनकी सेवायें किसी ऐसे उद्यम अथवा निकाय को उधार दे दी जाती हैं, भी इसी श्रेणी में आते हैं।

इस श्रेणी के कर्मचारी को मिले मकान का मूल्यांकन उस रकम पर किया जावेगा जो कि इस मकान के किराये मुक्त न रहने पर कर्मचारी को इसके लिये किराये स्वरूप देनी होती। सरकार अपने द्वारा दी गई मकान सुविधा के लिये कितना भी किराया चार्ज कर सकती है, किन्तु यह अनुलाभ नहीं होगा। उदाहरण के लिए एक जैसा ही निवास स्थान सिविलियन अफसर को 10% वेतन पर व सैनिक अफसर को 5% वेतन पर दिया जा सकता है।

दूसरी श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं, जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, वैधानिक निगम अथवा ऐसी कम्पनी में कर्मचारी है जो सरकार अथवा रिजर्व बैंक अथवा दोनों के ही स्वामित्व में है। ऐसे निकाय अथवा उद्यम के कर्मचारी, जिनकी वित्त व्यवस्था पूर्ण रूप से अथवा मुख्य रूप से सरकार के हाथों में है, इसी श्रेणी में आते है। सरकारी कर्मचारी जिनकी सेवायें ऐसी कम्पनी को उधार दे दी गई है, जिसकी 40% अथवा इससे अधिक के साधारण अंश केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक अथवा दोनों के हाथों में है, यहीं आते हैं।

इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान मूल्यांकन वेतन के 10% की दर से किया जाता है। यदि मकान फर्नीचर आदि से सुसज्जित है तो उपर्युक्त 10% में फर्नीचर के मूल्य का 15% और जोड़ दिया जाता है। यदि फर्नीचर किराये पर लिया गया है तो यह किराया उपर्युक्त 10% में जोड़ा जाता है।

तीसरी श्रेणी में वे कर्मचारी आते हैं जो उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते। ऐसे कर्मचारी प्रायः वे हैं जो निजी क्षेत्र में लगे हुए हैं।

इन कर्मचारियों के लिए बिना किराये के मकान का मूल्यांकन वेतन के 10% के आधार पर किया जाता है। मकान का उचित किराया मूल्य यदि वेतन के 20 प्रतिशत से भी अधिक है तो आयकर अधिकारी उपर्युक्त 10 प्रतिशत में 20% से ऊपर के आधिक्य को भी जोड़ सकता है। आयकर अधिकारी को इस विषय में स्वनिर्णय का अधिकार दिया गया है।

कर्मचारी यदि दिल्ली, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में निवास करता है व यदि उचित किराया मूल्य 30% से अधिक है तो आयकर अधिकारी 30% पर के आधिक्य को ही जोड़ेगा। आयकर अधिकारी यदि यह समझता है कि इस तरह से किया गया मूल्यांकन मकान के उचित किराये मूल्य से अधिक है तो मूल्यांकन उचित किराये मूल्य तक ही सीमित रखा जायेगा। ऐसे मकान में नियोक्ता द्वारा यदि फर्नीचर भी दिया जाता है तो किराये पर लिए गए फर्नीचर की स्थिति में फर्नीचर का भाड़ा तथा खरीदे गए फर्नीचर के लिए फर्नीचर की लागत का 15 प्रतिशत जोड़ देते हैं।

तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दिए गए किराए मुक्त निवास स्थान के मूल्यांकन के सम्बन्ध में प्रयुक्त 'उचित किराये मूल्य' से हमारा तात्पर्य निम्नलिखित से है:

अ. नगरपालिका मूल्यांकन; अथवा

ब. उसी इलाके में इसी प्रकार के अन्य मकान का किराया मूल्य; जो भी इन दोनों में अधिक हो।

इस मूल्यांकन के लिए 'वेतन' से तात्पर्य

इन गणनाओं के लिए वेतन में "वेतन, भत्ते बोनस व कमीशन जो मासिक अथवा अन्य रूप में देय हो", शामिल होते हैं परन्तु निम्नलिखित को शामिल नहीं करते—

(अ) मँहगाई भत्ता—यदि सुपरएनुएशन फन्ड व प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान की गणना तथा अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाले अन्य लाभों की गणना के लिए यह भत्ता वेतन में जोड़ा जाता है तो मकान के मूल्यांकन के लिए भी इसे जोड़ा जाएगा।

(ब) नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के प्राविडेण्ट फण्ड में दिया अंशदान।

(स) वे भत्ते जो कर से मुक्त हैं (जैसे सवारी भत्ता आदि)

(द) मनोरंजन भत्ता (केवल करमुक्त सीमा तक)

रियायत पर दिया गया मकान : कभी कभी नियोक्ता द्वारा रियायती किराये पर भी अपने कर्मचारियों को निवास स्थान की सुविधा दी जाती है। ऐसी हालत में पहले हम मकान का मूल्यांकन इस प्रकार करेंगे जिस प्रकार किराए से मुक्त मकान का किया जाता है। इस मूल्यांकन में से करदाता द्वारा दिए गए किराए को घटाकर किराए में रियायत निकालते हैं।

टिप्पणी (1) राज्य विधान सभाओं एवं संसद सदस्यों को मिलने वाली निःशुल्क निवास स्थान की सुविधा अनुलाभ की श्रेणी में नहीं आती क्योंकि उनको विधान सभाओं एवं संसद से प्राप्त आय 'वेतन' नहीं है।

(2) जिन सदस्यों को निवास स्थान के स्थान पर भत्ता मिलता है, उसमें से निवास स्थान के लिए व्यय की गई धनराशि घटाकर करयोग्य आय निकालते है।

उदाहरण

(4) वेतन 10,000 रु०; मालिक द्वारा दिए गए मकान का उचित किराया 2,800 रु०; कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया 700 रु०; मकान सुसज्जित नहीं है।

	रु०
10,000 रु० का 10%	1,000
उचित किराए का वेतन के 20% पर का आधिक्य	800
	1,800
घटाया—कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया	700
रियायत का करयोग्य मूल्यांकन	1,100

(5) श्री दलाल एक सरकारी कर्मचारी है जिनकी सेवायें राज्य व्यापार निगम को उधार दे दी गई है, वहाँ उन्हें 25,000 रु० वार्षिक वेतन तथा बिना किराये के फर्नीचर सहित रहने को मकान दिया जाता है। उन्हें डेपुटेशन भत्ता 500 रु० मासिक की दर से मिलता है। इसी तरह की जगह के लिए निगम के नियमों के अनुसार अन्य अफसरों को 350 रु० मासिक देने पड़ते हैं। इस मामले में आप कुल वेतन की गणना कीजिए।

Mr. Dalal's salary will be as follows :

Salary	Rs. 25,000
Deputation allowance	6,000
Value of rent-free furnished house	4,200
Salary	35,200

(6) डा० राठी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बम्बई में एक अर्थशास्त्री की हैसियत से 3,500 रु० मासिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें किराएमुक्त मकान की सुविधा मिली है जो पूरी तरह फर्नीचर से सुसज्जित है। डा० राठी को बैंक से 500 रु० मासिक का विशेष भत्ता भी मिलता है। बैंक ने 5 वर्ष पहले इस मकान को 20,000 रु० की लागत लगाकर फर्नीचर आदि से सुसज्जित किया था। आप डा० राठी की 'वेतन' से आय निकालिए।

		Rs
Salary		42,000
Special allowance		6,000
Value of rent free furnished house :		
10 per cent of salary for unfurnished house	4,800	
15 per cent of the cost of furniture	3,000	7,800
Total Salary		55,800

20,000

(7) श्री धाड़वारकर सनमाइका लि० में 5,000 रु० मासिक वेतन व 1,000 रु० मासिक मँहगाई भत्ते पर कार्य करते है। इन्हें दो महीने का वेतन बोनस स्वरूप मिलता है। पूरे वर्ष में श्री धाड़वारकर द्वारा अपनी व अपने परिवार की चिकित्सा पर 3,500 रु० व्यय किये गये है जिनकी पूर्ति कम्पनी ने कर दी है। इन्हें कम्पनी द्वारा फर्नीचर से सुसज्जित मकान बिना किराये पर दिया गया है। कम्पनी द्वारा यह फर्नीचर तीन वर्ष पहले 40,000 रु० की लागत पर खरीदा गया था। आप श्री धाड़वारकर की वेतन से आय निकालिए।

Salary		Rs. 60,000
Dearness allowance		12,000
Bonus (2 months' salary)		10,000
Valuation of rent-free accommodation :		
10 per cent of salary	Rs. 7,000	
15 per cent of the cost of furniture	6,000	13,000
Total Salary		95,000

40000

Notes : 1. Salary for valuing rent-free accommodation includes bonus and other allowances but not dearness allowance. Where dearness allowance is included in salary for computing retirement benefits, it is included in salary for this valuation too.

2. Bonus is generally calculated on the basis of basic salary.

विशिष्ट स्थितियों में करयोग्य अनुलाभ

यहाँ हम उन अनुलाभों का वर्णन एवं मूल्यांकन करेंगे जो 'अनुलाभ' की परिभाषा में दी गई पाँचवीं श्रेणी के अन्तर्गत आते है तथा जो प्रत्येक स्थिति में करयोग्य न होकर केवल निम्नलिखित करदाताओं की ही कुल आय में सम्मिलित किए जाते हैं :

1. कम्पनी द्वारा उस संचालकके कर्मचारी को,

2. कम्पनी द्वारा उस कर्मचारी को जिसका कम्पनी में सारवान हित है अर्थात् जिसके पास कम्पनी की कुल मतदान शक्ति का 20% अथवा अधिक है; तथा

3. किसी भी नियोक्ता द्वारा अपने ऐसे कर्मचारी को जिसकी मौद्रिक उपलब्धि (Monetary emoluments) 18,000 रु० वार्षिक से कम नहीं है।

इस प्रकार एक ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जो न संचालक कर्मचारी है और न जिसका कम्पनी में समुचित हित ही है तथा जिसकी 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत मौद्रिक उपलब्धि 18,000 रु० वार्षिक से कम है यदि अपने निजी प्रयोगार्थ नियोक्ता द्वारा एक मोटर कार उपलब्ध की गई है तो उसे मोटर कार के मूल्यांकन पर आयकर नहीं देना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में एक साधारण नियम यह है कि अनुलाभ ऐसा होना चाहिए जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित न किया जा सके।

1. मोटर कार

(i) **नियोक्ता की कार का एकमात्र इस्तैमाल करवाला कर्मचारी द्वारा होता है :**—कार का इस्तैमाल कर्मचारी द्वारा यदि केवल अपने निजी व व्यक्तिगत कार्यों के लिए किया जाता है तो इस सुविधा का मूल्य वह रकम होगी जो नियोक्ता ने मोटर कार के रखने व चलाने में व्यय की है, जैसे पैट्रोल, ड्राइवर, मरम्मत व घिसाई आदि।

(ii) **नियोक्ता की कार का इस्तैमाल केवल पदीय कर्त्तव्यों के लिए किया जाता है :**—कार का प्रयोग यदि केवल पदीय कर्त्तव्यों के लिए ही किया जाता है तो इस सुविधा के मूल्यांकन का प्रश्न ही नहीं उठता। उस दशा में यह मोटर कार अनुलाभ के अन्तर्गत नहीं आती।

(ii) **नियोक्ता की कार का इस्तैमाल आंशिक रूप से पदीय कर्त्तव्यों के लिए व आंशिक रूप से निजी कार्यों के लिए किया जाना :** ऐसी स्थिति में यदि आयकर अधिकारी द्वारा कर्मचारी के अपने निजी इस्तैमाल से सम्बन्धित व्ययों की गणना ठीक प्रकार से नहीं की जाती तो बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई निम्नलिखित दरों को काम में लाते हैं :

(अ) जब मोटर कार के रखने व चलाने का व्यय मालिक द्वारा वहन किया जाता है तो 16 हार्स पावर तक की कार की सुविधा के लिए 300 रुपये मासिक तथा 16 हार्स पावर से अधिक की कार के लिए 400 रुपए मासिक इस अनुलाभ का मूल्याकन होगा।

(ब) जब कर्मचारी मोटर कार के अपने निजी प्रयोग में लाने से सम्बन्धित व्यय अपने पास से देता है तो (i) मोटर कार के 16 हार्स पावर तक के होने की दशा में 100 रुपये मासिक, तथा (ii) 16 हार्स पावर से अधिक की कार के लिए 150 रुपये मासिक की दर से इस अनुलाभ का मूल्य होगा।

(iv) **जब कर्मचारी एक से अधिक कारों का इस्तैमाल करता है :** कभी कभी कोई एक निश्चित कार कर्मचारी को नहीं दी जाती बल्कि नियोक्ता की बहुत सी कारों में से किसी भी कार का इस्तैमाल कर्मचारी द्वारा कर लिया जाता है; ऐसी स्थिति में भी कार की सुविधा का मूल्यांकन उपर्युक्त नियमों के आधार पर किया जावेगा।

इन सभी स्थितियों में यदि कार के ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध है तो ऊपर दिये गये मूल्यों में ड्राइवर की सुविधा के लिए 150 रु० मासिक और जोड़ देंगे।

(v) **कर्मचारी की अपनी कार :** जब इस कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा वहन किए जाते हैं तो आयकर अधिकारी इस खर्च में से वह भाग, जो उसकी सम्मत्ति मे कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ माना जाएगा।

(vi) **रियायती मूल्य पर मोटर कार की सुविधा :** नियोक्ता द्वारा कभी-कभी मोटर कार की सुविधा तो कर्मनारी को दी जाती है किन्तु इसके लिए कुछ चार्ज भी किया जाता है जो काफी कम होता है। इस रियायत के मूल्यांकन के लिये सर्वप्रथम कार की सुविधा का मूल्य ऊपर दिये गये नियमों के अनुसार निकाल लेते हैं। इस मल्य मे से कर्मचारी द्वारा दिया गया भुगतान घटा देते है तथा जो शेष रह जाता है वही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा।

(vi) **कोई अन्य सवारी :** कोई अन्य सवारी यदि मालिक द्वारा करदाता को प्रदान की गई है जिसका प्रयोग निजी कार्यो के लिए भी होता है तो इस सवारी पर किए गये व्यय का वह भाग, जो कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ होगा।

2. **गैस, बिजली व पानी :** जहाँ गैस, बिजली व पानी का उत्पादन नियोक्ता स्वयं करता है तथा कर्मचारी को ये सुविधायें निःशुल्क प्राप्त होती हैं तो इस सम्बन्ध में कर्मचारी के वेतन में कुछ भी नही जोड़ा जाता। अर्थात् ऐसे अनुलाभ का मूल्यांकन शून्य होता है। किन्तु यदि उसके यहाँ इन सबका उत्पादन न होकर वितरण होता है तो इस लाभ का मूल्यांकन मालिक द्वारा इन सेवाओं के लिए भुगतान की जानी वाली धनराशि ही होगी।

आयकर अधिकारी को यदि यह विश्वास हो कि कर्मचारी को प्राप्त गैस, बिजली व पानी का प्रयोग वह अपने कार्यालय के पदीय कर्तव्य पालन में भी करता है तो इसका मूल्यांकन मालिक द्वारा चुकाई गई रकम अथवा 'वेतन' का $6\frac{1}{4}\%$ (जो भी इन दोनों में कम हो) होगा।

3. **निःशुल्क शिक्षा**—नियोक्ता ने यदि कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य की शिक्षा के लिए कुछ व्यय किया है तो व्यय की गई रकम कर्मचारी के वेतन में जोड़ी जायेगी। परन्तु यदि मालिक की अपनी शिक्षा संस्था है जहाँ कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है तो इसी प्रकार के अन्य विद्यालयों में जो उचित व्यय होता है वही इस अनुलाभ का मूल्यांकन होगा। कर्मचारी के लिए यदि रिफ्रेशर कोर्स अथवा प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है तो यह अनुलाभ करमुक्त होगा।

4. **यातायात की सुविधा**—कर्मचारी को व उसके परिवार के अन्य सदस्यों को यदि निःशुल्क यातायात की सुविधा मिलती है तो यह अनुलाभ है। यातायात के साधन यदि मालिक के अपने स्वामित्व में है तो इस सुविधा का मूल्यांकन शून्य होगा।

किन्तु यदि इसी सुविधा को प्रदान करने के लिए मालिक को कुछ रकम चुकानी पड़ती है तो चुकाई गई यही रकम इस अनुलाभ का मूल्य होता है ।

5. **चौकीदार व फर्राश की सुविधा**—कभी कभी नियोक्ता की ओर से मुफ्त मकान के साथ चौकीदार व फर्राश की सुविधा भी दी जाती है । बोर्ड ने इन सेवाओं को धारा 17(2) (iv) के अन्तर्गत करयोग्य लाभ माना है, अर्थात् यदि ये सुविधायें नियोक्ता द्वारा न दी जातीं तो कर्मचारी को ये व्यय करने पड़ते । अत: बोर्ड द्वारा ये सभी स्थितियों में करयोग्य मानी गई है । चौकीदार को दिये जाने वाले वेतन का 50% अथवा 60 रु० मासिक (जो भी कम हो) व फर्राश को दिये गये वेतन का 75% अथवा 60 रुपये मासिक (जो भी कम हो) कर्मचारी के वेतन में जोड़ा जाता है ।

माली की सुविधा के बारे में बोर्ड ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है । जो मकान नियोक्ता का अपना है तथा कर्मचारी को रहने के लिए दे दिया है उसकी बागवानी की देखभाल के लिए जो माली दिया गया है वह अलग से अनुलाभ की श्रेणी में नहीं आता; किन्तु मकान के उचित किराये मूल्य को निर्धारित करते समय हमें इस सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए ।

6. **होटल के कर्मचारियों के रहने व भोजन की सुविधायें**—कर्मचारी यदि किसी होटल में कार्य करता है तो प्राय: उसके रहने व खाने की सुविधा नियोक्ता द्वारा दी जाती है । यह प्राय: निःशुल्क होती है । ऐसी सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार होगा—

अ. रहने की सुविधा—असुसज्जित निवास के लिए वेतन का 10% व सुसज्जित सुविधा के लिए वेतन का 12½% ।

ब. भोजन की सुविधा—भोजन की सुविधा देने में होटल को जो व्यय करना पड़ता है वही इस सुविधा का मूल्यांकन होगा ।

7. **रेफ्रीजरेटर, बायलर आदि की सुविधा**—नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को यदि बॉयलर, हीटर, एयर कंडीशनर रेफ्रीजरेटर आदि दिये जाते हैं व यदि कर्मचारी से इनके किराये आदि के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता तो ऐसी वस्तुओं की मूल लागत का 15% प्रतिवर्ष अनुलाभ का मूल्यांकन होगा व इसे वेतन में जोड़ा जायेगा । मरम्मत के लिए यदि नियोक्ता द्वारा कुछ व्यय किया जाता है तो यह अनुलाभ नहीं है । मालिक द्वारा यही उपकरण यदि कर्मचारी को रियायती मूल्य पर बेच दिये जाते हैं तो यह रियायत भी अनुलाभ है । 3,000 रु० के मूल्य का रेफ्रीजरेटर यदि 2,000 रु० में कर्मचारी को दिया जाता है तो अनुलाभ 1,000 रु० मूल्य का होगा ।

8. **अन्य सुविधायें**—अन्य सभी लाभ जो इस सूची में नहीं हैं, अनुलाभ की श्रेणी में आने पर आयकर अधिकारी द्वारा मूल्यांकित किये जावेंगे व इन्हें वेतन में जोड़ा जायेगा ।

करमुक्त सुविधायें

प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार निम्नलिखित सुविधायें करयोग्य नहीं होतीं, अतः वेतन में नही जोड़ी जाती—

i. कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यो को मिलने वाली चिकित्सा की सुविधायें (Medical benefits)।

ii. चिकित्सा सम्बन्धी व्ययों की क्षति-पूर्ति (Re-imbursement)—यदि कर्मचारी द्वारा ये व्यय किये गये है।

iii. कार्यालय में नाश्ते आदि की सुविधा।

iv. मनोरंजन की सुविधायें यदि ये सभी कर्मचारियों को उपलब्ध है।

v. मालिक द्वारा दी गई भोजन की सुविधा, यदि यह सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होती है।

भत्ते

1. **किराया भत्ता** (House-rent-allowance)—यह भत्ता नियोक्ता द्वारा मकानों के ऊँचे किराये को कर्मचारियों द्वारा वहन करने के लिए सहायता के रूप में दिया जाता है। भत्ते की रकम करमुक्त सीमा तक 'वेतन के स्थान पर लाभ' के अन्तर्गत नहीं आती। आयकर नियम संख्या 2-अ के अनुसार करमुक्त रकम की सीमा निम्नलिखित है :—

अ. 400 रुपये मासिक।

ब. साधारण स्थानों के लिये वेतन का 10% तथा अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास तथा पूना के लिए वेतन का 20%; अथवा

स. कर्मचारी द्वारा अपने निवास स्थान के किराये के लिए वेतन के 10% से अधिक किया गया व्यय; अथवा

द. मकान के किराया भत्ते की वास्तविक रकम जो करदाता को गतवर्ष में मिली है;

इन सबमें जो भी कम हो वही किराये भत्ते की करमुक्त सीमा होती है। भत्ते के इससे अधिक होने पर यह आधिक्य वेतन में शामिल किया जाता है। **एक ऐसे कर्मचारी की दशा में, जो अपने निजी मकान में रह रहा है तथा वास्तव में किसी को किराया नहीं देता, इस भत्ते की कोई राशि करमुक्त नहीं होगी।**

टिप्पणी—मकान किराये भत्ते की करमुक्त सीमा की गणना करते समय 'वेतन' से हमारा तात्पर्य "मूल वेतन" (Basic salary) से है। मँहगाई भत्ता मूल वेतन में सम्मिलित किया जाता है किन्तु उसी स्थिति में जब कि प्राविडेण्ड फण्ड आदि के अंशदान की गणना के लिये भी उसे वेतन में जोड़ते है।

उदाहरण

(8) निम्नलिखित करदाताओं के लिए कर निर्धारण वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित कुल आय की गणना कीजिये :

आय का विवरण	करदातागण				(धनराशि रुपयों में)	
	A	B	C	D	E	F
वेतन	15,000	20,000	10,000	25,000	7,000	18,000
मँहगाई भत्ता	3,000	4,000	4,000	5,000	1,400	3,600
बोनस	5,000	—	5,000	8,000	—	—
मकान किराया भत्ता	2,250	3,000	1,500	1,750	1,050	2,700
वास्तविक किराया	4,500	4,000	2,500	6,000	1,050	3,600
स्थान	कानपुर	मेरठ	पूना	दिल्ली	जबलपुर	रायपुर

D एक ऐसा करदाता है जिसके वेतन में प्राविडेण्ड फण्ड आदि के लिये मँहगाई भत्ता सम्मिलित किया जाता है।

A.			
	वेतन		15,000
	मँहगाई भत्ता		3,000
	बोनस		5,000
	किराया भत्ता	2,250	
	घटाया	2,250*	
	कुल आय		23,000

*i.	400 रु० मासिक	4,800
ii.	वेतन का 20%	3,000
iii.	वास्तविक किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य	3,000
iv.	वास्तविक मकान किराया भत्ता	2,250

जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात् 2,250 रु०।

B.			
	वेतन		20,000
	मँहगाई भत्ता		4,000
	किराया भत्ता	3,000	
	घटाया	2,000*	1,000
	कुल आय		25,000

*i.	400 रु० मासिक	4,800
ii.	वेतन का 10%	2,000
iii.	वास्तविक किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य (4,000-2,000)	2,000
iv.	वास्तविक मकान किराया भत्ता	3,000

जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात् 2,000 रु० ।

C.	वेतन		10,000
	मँहगाई भत्ता		4,000
	बोनस		5,000
	मकान किराया भत्ता	1,500	
	घटाया	1,500*	
	कुल आय		19,000

*i.	400 रु० मासिक	4,800
ii.	वेतन का 20%	2,000
iii.	वास्तविक किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य (2,500—1,000)	1,500
iv.	वास्तविक किराया भत्ता	1,500

जो भी इनमें सबसे कम है अर्थात् 1,500 रु० ।

D.	वेतन		25,000
	मँहगाई भत्ता		5,000
	बोनस		8,000
	मकान किराया भत्ता	3,750	
	घटाया	3,000*	750
			38,750

*i.	400 रु० मासिक	4,800
ii.	वेतन (मँहगाई भत्ता शामिल करते हुए) का 20%	6,000
iii.	वास्तविक किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य (6,000—3,000)	3,000
iv.	वास्तविक किराया भत्ता	3,000

3500

जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात् 3,000 रु० ।

E.			
	वेतन		7,000
	मँहगाई भत्ता		1,400
	मकान किराया भत्ता	1,050	
	घटाया	350*	700
	कुल आय		9,100

*i.	400 रु० मासिक	4,800
ii.	वेतन का 10%	700
iii.	वास्तविक किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य (1,050—700)	350
iv.	वास्तविक किराया भत्ता	1,050

जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात् 350 रु० ।

F.			
	वेतन		18,000
	मँहगाई भत्ता		3,600
	किराया भत्ता	2,700	
	घटाया	1,800*	900
	कुल आय		22,500

*i.	400 रु० मासिक	4,800
ii.	वेतन का 10%	1,800
iii.	वास्तविक किराये का वेतन के 10% पर आधिक्य (3,600—1,800)	1,800
iv.	वास्तविक मकान किराया भत्ता	2,700

जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात् 1,800 रु० ।

2. **मनोरंजन भत्ता** (Entertainment Allowance)—मनोरंजन भत्ते से हमारा तात्पर्य उस भत्ते से है जो कर्मचारी को अपने नियोजक के मुवक्किलों (Clients) व ग्राहकों के मनोरंजन पर व्यय करने के लिए प्राप्त होता है। भत्ता देते समय आशय यही होता है कि कर्मचारी द्वारा यह धनराशि निश्चित ही उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यय कर दी जायगी। अत: यह भत्ता सर्वप्रथम वेतन में जोड़ देते हैं, तत्पश्चात् इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती की जाती है :—

अ. यदि करदाता सरकारी कर्मचारी है तो 5,000 रुपये अथवा वेतन का $\frac{1}{5}$ अथवा गतवर्ष में मिली मनोरंजन भत्ते की वास्तविक रकम (जो भी इनमें कम हो) वेतन में से घटा देते हैं।

ब. ऐसे करदाता के लिए जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, कटौती की दरें इस प्रकार होंगीं :—

i. 7,500 रुपये; अथवा

ii. वेतन का $\frac{1}{5}$; अथवा

iii. मनोरंजन भत्ते की वह रकम जो इस कर्मचारी को अपने इसी नियोक्ता से 1 अप्रैल, 1955 से पहले मिलती थी; अथवा

iv. वह भत्ता जो उसे अब प्राप्त होता है।

इनमें जो भी सबसे कम है।

इन सबसे यही तात्पर्य निकलता है कि यदि गैर सरकारी कर्मचारी ने नौकरी 1-4-55 के बाद में प्रारम्भ की है अथवा 1-4-55 के बाद में उसने पुरानी नौकरी छोड़कर कोई नई नौकरी की है तो मनोरंजन भत्ते सम्बन्धी कटौती उस दशा में उपलब्ध नहीं होगी।

3. **विदेशी भत्ता** (Foreign Allowance)—यह वह भत्ता है जो भारत सरकार द्वारा अपने नागरिकों को विदेश में नौकरी करने के उपलक्ष्य में दिया जाता है। यह पूर्णतया करमुक्त होता है तथा कुल आय में सम्मिलित भी नहीं किया जाता।

4. **यात्रा भत्ता** (Travelling Allowance)—यह भत्ता कर्मचारी को अपने पद सम्बन्धी कर्तव्यपालन के सन्दर्भ में यात्रा करने के लिए दिया जाता है तथा प्राय: यह माना जाता है कि भत्ते की राशि यात्रा पर व्यय कर दी गई है। अत: इसे कुल आय में नहीं जोड़ते। किन्तु यदि स्थिति ऐसी है जब कि यात्रा सम्बन्धी व्यय मिले हुये भत्ते से कम है तो भत्ते का आधिक्य करयोग्य होता है।

5. **मँहगाई भत्ता** (Dearness Allowance)—इसे वेतन में जोड़ते हैं तथा इस पर करदाता को कर देना पड़ता है। कर्मचारी के सेवा प्रसंविदे में यदि ऐसा उल्लेख होता है कि प्राविडेण्ट फण्ड तथा अवकाश प्राप्ति सम्बन्धी लाभों की गणना के लिए वेतन में मँहगाई भत्ता सम्मिलित होगा तो वेतन व मँहगाई भत्ते में कोई अन्तर नहीं किया जाता।

6. **सवारी भत्ता** (Conveyance Allowance)—यह भत्ता कर्मचारी को अपनी सवारी सम्बन्धी उन व्ययों के लिए दिया जाता है जो उसे अपने पद के कर्तव्य-पालन के लिए करने पड़ते हैं। यह भत्ता कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता किन्तु यदि सवारी सम्बन्धी वास्तविक व्यय कम है तो भत्ते का आधिक्य अवश्य ही करयोग्य होगा। ध्यान रखने योग्य एक स्थिति यह है कि कर्मचारी की अपनी सवारी होने तथा इस भत्ते के मिलने पर न तो भत्ता करयोग्य होता है तथा न कर्मचारी को सवारी के व्यय अथवा घिसावट आदि के लिए कोई कटौती वेतन में से स्वीकृत होती है।

(7) **सिटी कम्पेन्सेटरी एलाउन्स :** इस भत्ते को देने का मुख्य उद्देश्य बड़े बड़े नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों को उन शहरों की मँहगाई की क्षतिपूर्ति करना है। इस भत्ते को बम्बई उच्च न्यायालय ने यद्यपि करमुक्त घोषित किया था किन्तु अब आयकर अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार यह राशि करयोग्य होगी।

कटौतियाँ (Deductions)

वेतन में सभी उपर्युक्त राशियाँ शामिल करके वेतन के अन्तर्गत आने वाली सम्पूर्ण राशि निकाल लेते हैं इसके बाद उसमें से निम्नलिखित कटौतियाँ की जाती हैं :—

(1) **नौकरी से सम्बन्धित खर्चे** : करदाता द्वारा अपनी नौकरी से सम्बन्धित किये गये खर्चों के लिये निम्नलिखित दरों से कटौती दी जाती है :—

अ. वेतन के प्रथम 10,000 रुपयों पर 20 प्रतिशत;

ब. शेष वेतन पर 10 प्रतिशत की दर से।

इस शीर्षक के अन्तर्गत कटौती की अधिकतम सीमा 3,500 रु० है। निम्नलिखित स्थितियों में यह सीमा 3,500 रु० न होकर 1,000 रु० होगी :

अ. जब करदाता को सवारी भत्ता मिलता है।

ब. जब नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि सवारी पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उसके अपने इस्तैमाल के लिए दी जाती है।

स. जब नियोक्ता द्वारा इन सवारियों को एक पूल में रखा जाता है व कर्मचारी कभी भी इन्हें अपने निजी कार्यों के लिए इस्तैमाल कर सकता है।

टिप्पणी : इस कटौती के सन्दर्भ में 'वेतन' से आशय वेतन, फीस, कमीशन, अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ आदि सभी से है। इसमें ग्रेच्यूटी आदि की वे रकमें शामिल नहीं होंगी जो धारा 10 के अन्तर्गत करमुक्त घोषित कर दी गई है। पेन्शन को भी कटौती के लिये वेतन नहीं मानेंगे चूँकि इसे प्राप्त करने में कोई व्यय नहीं किया जाता।

इस कटौती को प्राप्त करने के लिये किसी भी खर्चे को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है व किसी भी प्रकार के हिसाब की माँग आयकर अधिकारी द्वारा नहीं की जावेगी।

(2) **मनोरंजन भत्ता** : इस सम्बन्ध में कटौती की सभी शर्तें व दरें पहले ही जा चुकी है।

उदाहरण

(9) एक कर्मचारी को वित्तवर्ष 1974-75 में मिलने वाले वेतन का विवरण इस प्रकार है :

(i) मूल वेतन 3,000 रु० मासिक, (ii) मँहगाई भत्ता 300 रु० मासिक, (iii) वर्ष के अन्तिम दिन 3 महीने का पेशगी वेतन लिया, (iv) बिना किराये का फर्नीचर से सुसज्जित मकान। मकान के लिए नियोक्ता को 800 रु० मासिक किराया देना होता है व 10,000 रु० का फर्नीचर खरीद कर मकान में सजाया गया है। (v) बोनस के 3,000 रु० मिले, (vi) भूतपूर्व नियोक्ता से 400 रु० मासिक पेन्शन की प्राप्ति।

आय 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना कीजिये यह मानते हुए कि करदाता के पास एक मोटरगाड़ी है जिसका इस्तैमाल वह अपने आफिस सम्बन्धी कार्य के लिये भी करता है।

	Rs.
i) Salary (basic) @ Rs. 3,000 p.m.	36,000
ii) Dearness allowance @ Rs. 300 p.m.	3,600
iii) Salary advance for 3 months (including D.A)	9,900

iv) Bonus		3,000
v) Pension from the former employer		4,800
vi) Value of rent-free-furnished accomodation :		
10% of Salary including bonus	Rs. 3,900	
excess of rental value over 20% of salary (9,600—7,800)	1,800	
15% of the cost of furniture	1,500	
		7.200
Gross salary		64,500
Less deduction u/s 16 (i)		3,500
Net income from salary		61,000

Note : The assessee is entitled to relief under section 89 (1) because of the salary advance being included in total income. Salary for purposes of valuing rent-free house in the present case includes pay and bonus but not the dearness allowance. Since the gross salary exceeds Rs. 25,000 deduction u/s 16(1) has been allowed to the maximum of Rs. 3,500.

---

(10) श्री वेदी 2,500 रु० मासिक वेतन पर एक इन्जीनियर है। उन्हें 31 मार्च 1975 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 7,300 रु० मनोरंजन भत्ते के रूप में नेशनल इन्जीनियर्स लि० कलकत्ता से मिलते हैं जहाँ वे 1 अप्रैल 1966 से सेवा कर रहे है। इस सम्बन्ध में श्री वेदी द्वारा वर्ष भर में 6,500 रु० व्यय किये गये है। इन्हें 250 रु० मासिक मँहगाई भत्ते के भी मिलते हैं श्री वेदी के पास अपना एक स्कूटर है जिसका प्रयोग वे अपने पदीय कार्यों के लिए करते है तथा इस सम्बन्ध में 1,000 रु० की कटौती चाहते हैं। 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री वेदी की 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना कीजिए।

	Rs.
i) Basic salary @ Rs. 2,500 p.m.	30,000
ii) Dearness allowance @ Rs. 250 p.m.	3,000
iii) Entertainment allowance	7,300
Gross salary	40,300
Deduction for expenditure incidental to employment	3,500
Net salary	36,800

Notes :
1. Deduction on account of entertainment expenditure is not allowed under any provision.
2. Deduction in respect of entertainment allowance is also not possible as Mr. Vedi was not in receipt of it since before 1-4-1955.
3. Deduction for owning a scooter used for official purposes is not separately allowed now. Total deduction for expenditure incidental to employment is restricted to Rs. 3,500 on the salary income of Rs. 25,000 or more.

(11) श्री अरुण एक कम्पनी में 800 रु० मासिक पर कर्मचारी हैं। इसके अलावा इन्हें 2 महीने का वेतन बोनस स्वरूप मिलता है व 300 रुपये मासिक 1 अप्रैल 1961 से मनोरंजन भत्ते के रूप में मिल रहे हैं। इन्हें कम्पनी द्वारा बिना किराये का मकानव मुफ्त कार की सुविधा भी दी जाती है। मकान बिना फर्नीचर का है व कार 16 h.p. से अधिक को है। श्री अरुण का पुत्र U.K. में शिक्षा प्राप्त कर रहा है जिसके व्यय के लिए 5,000 रु० की धनराशि नियोक्ता द्वारा दी जाती है। मकान के लिये रखे गये माली को 100 रु० मासिक का वेतन भी कम्पनी द्वारा दिया जाता है।

इसी तरह का भवन इसी इलाके में 5,000 रु० वार्षिक किराये पर मिल सकता है जबकि इस मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 6,000 रु० वार्षिक है। आप 'वेतन' से होने वाली आय की गणना कीजिए।

a) Salary @ Rs. 800 per month				9,600
b) Bonus (2 months' salary)				1,600
c) Entertainment allowance (not exempt)				3,600
d) Perquisites on account of:				
(i) Son's education expenses			5,000	
(ii) Rent-free accommodation:				
10% of salary		1,480		
Excess of rental value over 20% of salary		3,240	4,720	9,720
Gross salary				24,520
Less expenditure incidental to employment				1,000
Net salary				23,520

Notes:—(1) Deduction on account of entertainment allowance cannot be allowed as the assessee has not been getting it since before 1-4-1955.

(2) Free use of car facilities provided by the employer is not taxable here because the total monetary emoluments of the employee do not exceed Rs. 18,000 p. a.

(3) Gardener's salary is not a perquisite according to the latest circular of the Board but it must be included while finding out the fair rental value of the house. The rent-free house in question is of the rental value of Rs. 5.000 to which the salary payable to the gardener amounting to Rs. 1,200 shall be added. The rental value for tax purposes therefore would be Rs. 6,200

(4) Deduction on account of expenditure incidental to employment is limited to Rs. 1,000 as the employee has been enjoying the facility of free use of motor car.

(12) श्री किरमानी हिन्दुस्तान लीवर में स्पोर्ट्स आफीसर के रूप में नियुक्त है व 15,000 रु० वार्षिक पाते हैं। इसके अलावा उन्हें 3,000 रु० वार्षिक मूल्य का एक मकान, जो फर्नीचर से रहित है, बिना किराये के दिया जाता है। इन्हें 100रु० मासिक मँहगाई भत्ता व 2 महीने का वेतन बोनस के रूप में मिलता है। आप श्री किरमानी की 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत शुद्ध आय की गणना कीजिए।

			Rs.
Salary			15,000
Dearness allowance			1,200
Bonus (2 months' salary)			2,500
Valuation of rent-free house :			
a. 10 per cent of salary	1,750		
b. Excess over 20% of sal.	—		1,750
Gross salary			20,450
Less Deduction towards expenditure incidental to employment :			
20% of the first Rs. 10,000 of salary		2,000	
10% of the balance of Rs. 10,450		1,045	
			3,045
Net salary			17,405

Notes—(1) Bonus is generally calculated on the basis of basic salary.

(2) Deduction for expenditure incidental to employment is calculated in respect of the gross salary.

(13) सुन्दर एक कर्मचारी है जिसके पास 14 हार्सपावर की एक कार है। वह इसका उपयोग अपने आफिस सम्बन्धी व व्यक्तिगत दोनों कार्यो के लिए करता है। उसे अपने नियोक्ता से600 रु० मासिक का सवारी भत्ता मिलता है जबकि इसका व्यय 900 रु० मासिक है। उसके कर-निर्धारण के समय आप इस प्रश्न को किस प्रकार सुलझायेंगे ?

---

900 रु० मासिक व्यय में हमें यह अनुमान लगाना है कि इसमें से कितना व्यय उसके व्यक्तिगत कार्यों से सम्बन्धित है व कितना पदीय कर्तव्यो के लिए। यदि हम यह मानलें कि कुल व्यय का 70% पदीय कार्यो के लिए है तो 900 रु० का 70% अर्थात् 630 रु० मासिक व्यय हुआ जबकि उसे अपने नियोक्ता से केवल 600 रु० मासिक मिलते हैं अत: सवारी भत्ते का कोई भी अंश करयोग्य नहीं होगा।

दूसरी ओर यदि हम यह मानें कि 900 रु० का 60% आफिस सम्बन्धी कार्यो पर खर्च हुआ तो 900 रु० का 60% अर्थात् 540 रु० मासिक कार व्यय हुआ जबकि उसे कार भत्ता 600 रु० मासिक मिलता है। इन दोनों रकमों का अन्तर अर्थात् 60 रु० मासिक वेतन में सम्मिलित किया जायेगा व कर योग्य होगा।

प्राविडेन्ट फण्ड

प्राविडेन्ट फण्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत कर्मचारी को अनिवार्य रूप से भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाना ही पड़ता है। कर्मचारी को मिलने वाले वेतन में से प्रतिमास एक निश्चित प्रतिशत रकम काटकर ऐसे फण्ड में जमा कर दी जाती है। प्राय: इतनी ही रकम मालिक द्वारा अपने पास से जमा करा दी जाती है। तत्पश्चात् यह रकम या तो पोस्ट आफिस के बचत खाते में अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित कर दी जाती है जिस पर मिले ब्याज पर भी कर्मचारी का अधिकार होता है। यह संचित रकम कर्मचारी के द्वारा नौकरी छोड़ने पर अथवा अवकाश ग्रहण करने पर उसे दे दी जाती है; कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को यह धन राशि मिलती है।

सरकार द्वारा इस प्रकार की बचतों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह पहला कदम है। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दिये जाने वाले प्रोत्साहन इस अध्याय में दिये गये है।

प्राविडेन्ट फण्ड के प्रकार

1. **वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड** (Statutory Provident Fund)–ये वे फण्ड हैं जिन पर प्राविडेण्ट फंड अधिनियम, 1925 लागू होता है। यह फण्ड प्राय: सरकारी, अर्द्ध सरकारी (Semi-Government) विभागों व स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालयों आदि में पाया जाता है। सरकारी कार्यालयों में रेलें, रिजर्व बैंक व स्टेट बैंक आदि आते हैं।

2. **अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड** (Recognised Provident Fund)––ये वे फण्ड हैं जिनको इस अधिनियम के लिए आयकर कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त रहता है। इनका प्रबन्ध आयकर अधिनियम, 1961, की चौथी अनुसूची के भाग 'अ' के नियम 4 में दी गई शर्तों के अनुसार होता है। Employees' Provident Funds Act, 1952 की योजना के अन्तर्गत आने वाला प्राविडेन्ट फण्ड भी इसी श्रेणी में आता है। यह फण्ड बैंक, बीमा कम्पनियों, व्यापारिक कम्पनियों व अन्य बहुत सी संस्थाओं में पाये जाते हैं।

3. **अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड** (Unrecognised Provident Fund)–यह वह फण्ड है जो न तो प्राविडेन्ट फण्ड अधिनियम, 1925, के अनुसार और न आयकर

अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार ही चलाया जाता है। इसका प्रचलन उन छोटी-छोटी संस्थाओं में पाया जाता है जो सुसंचालित नहीं हैं। इसे आयकर कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त नही होता।

4. **सार्वजनिक प्राविडेन्ट फण्ड**—सार्वजनिक प्राविडेन्ट फण्ड अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 15 जून, 1968 को सार्वजनिक प्राविडेन्ट फण्ड योजना घोषित की है जिसके अन्तर्गत 1 जुलाई 1968 से जनता का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे फण्ड में अन्शदान दे सकता है। जमा की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा क्रमशः 100 रु० एवं 15,000 रु० वार्षिक है। यह योजना उन व्यक्तियों को ध्यान में रखकर चालू की गई है जो व्यापारी अथवा पेशेवर हैं तथा जिन्हें अवकाश प्राप्ति (Retirement) की किसी योजना में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलता। प्रविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया अथवा इसकी किसी भी सहायक बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। अन्शदान वर्ष में एक अथवा अधिक किश्तों में भी दिया जा सकता है। इस पर मिलने वाली ब्याज की दर केन्द्रीय सरकार किसी भी समय बढ़ा अथवा घटा सकती है। इस फण्ड में जमा की गई धनराशि के लिए भी धारा 80 C के अन्तर्गत कुल आय में से उसी प्रकार की कटौती की जाती है जिस प्रकार की कटौती वैधानिक व प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड में दिए अन्शदान अथवा जीवन बीमा प्रीमियम के लिए मिलती है।

5. **अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड**—यह वह फण्ड है जिसकी व्यवस्था आयकर अधिनियम 1961 की चौथी अनुसूची के भाग B में दिए गए नियमों के अनुसार होती है। आयकर कमिश्नर का अनुमोदन नियम संख्या 3 के अन्तर्गत दी गई निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने पर इसे मिल जाता है :

1. यह फण्ड भारत में चल रहे किसी व्यापार के सम्बन्ध में एक अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित होना चाहिए जिसके कम से कम 90% कर्मचारी भारत में नियुक्त किए गए हों।
2. फण्ड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संस्थान के कर्मचारियों को सेवा से निवृत्ति प्राप्त करने पर या विशेष आयु प्राप्त होने पर अथवा कार्य के अयोग्य हो जाने पर अथवा कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर वार्षिकी की व्यवस्था करना हो।
3. नियोक्ता द्वारा इसमें अनुदान दिया जाना चाहिए।
4. फण्ड में से देय समस्त वार्षिकी, पेन्शन अथवा अन्य लाभों का भुगतान भारत में ही किया जाना चाहिए।

कर्मचारी द्वारा इसमें दिया गया अंशदान प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड की भाँति कटौती के योग्य होता है जिसकी अधिकतम सीमा धारा 80 C के अन्तर्गत दी गई राशियों सहित 20,000 रुपए अथवा कुल आय का 30% (जो भी इन दोनों में कम हो) होती है।

इस फण्ड में से भुगतान यदि कर्मचारी के जीवन काल में ही हो जाता है तो नियोक्ता द्वारा दिए गए अंशदान व उस पर प्राप्त ब्याज की रकम के योग पर आयकर देना पड़ता है। आयकर की दर कर्मचारी द्वारा पिछले तीन वर्षों में दिए गए आयकर की औसत दर होती है। आयकर के काटने का उत्तरदायित्व उन अधिकारियों का है जो इस फण्ड से भुगतान करते हैं। परन्तु यदि फण्ड से भुगतान करदाता की मृत्यु पर अथवा रिटायर होने पर व कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाने पर होता है तो इस पर आयकर नहीं देना पड़ता।

प्राविडेन्ट फण्ड सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थायें

विवरण	वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड व सार्वजनिक प्राविडेन्ट फण्ड	प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड	अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड
कर्मचारी द्वारा प्राविडेन्ट फण्ड में दिया अन्शदान (Employee's Contribution to Provident Fund).	यह कर्मचारी के वेतन में शामिल रहता है परन्तु कर्मचारी के अन्शदान की रकम कटौती के लिए योग्य राशि (Qualifying amount) के अन्तर्गत आ जाती है। अधिकतम सीमा 20,000 रुपए अथवा कुल सकल आय का 30% (जो भी कम हो) है।	अंशदान की रकम यद्यपि वेतन मे शामिल रहती है परन्तु कटौती के लिए योग्य राशि के अन्तर्गत आ जाती है। अधिकतम सीमा 8,000 रुपए अथवा वेतन का $\frac{1}{5}$ (दोनों में जो भी कम हो) होती है।	अंशदान की यह रकम वेतन में शामिल रहती है। इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इस पर कोई कटौती नहीं मिलती।
नियोक्ता द्वारा प्राविडेन्ट फण्ड में दिया गया अन्शदान (Employer's Contribution to Provident Fund).	इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कर्मचारी के कर-निर्धारण में इसका कोई महत्व नहीं है।	वेतन के 10% होने तक यह पूर्णतया करमुक्त है अर्थात् इस पर कोई ध्यान नही दिया जाता। इस अंशदान के वेतन के 10% से अधिक होने पर यह आधिक्य वेतन में जोड़ देते हैं तथा इस पर कर लगता है।	इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता तथा वेतन में इसके शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
प्राविडेण्ट फण्ड पर मिला ब्याज (Interest on Provident Fund).	यह रकम पूर्णतया करमुक्त रहती है तथा इसे वेतन में नहीं जोड़ा जाता, अतः इस पर भी कोई ध्यान नहीं देते।	ब्याज की रकम का वह भाग जो वेतन की रकम के $\frac{1}{3}$ से अधिक है अथवा 6% से अधिक है, वेतन में जोड़ देते है। इस सम्बन्ध में दोनों ही सीमाओं का ध्यान रखा जाता है इससे कम की ब्याज की रकम पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।	ब्याज की रकम पर ध्यान नहीं देते।

4.	जीवन बीमा प्रीमियम, पोस्ट आफिस के 10 व 15 वर्षीय खाते में Cumulative Time deposit योजना के अन्तर्गत जमा राशि तथा कर्मचारी का प्राविडेण्ड फण्ड में अंशदान, सुपरएनुएशन फण्ड में दिया गया अंशदान व अपने तथा पत्नी/पति के जीवन पर ली गई Deferred Annuity के लिए दिया गया प्रीमियम इन सबका योग।	यह योग कर्मचारी की कुल सकल आय के 30% अथवा 20,000 रुपये (दोनों में जो भी कम हो) तक की राशि तक कटौती के योग्य (Qualifying Amount) होता है। इस सीमा के आधिक्य पर कोई ध्यान नही देते।	यह योग कर्मचारी की कुल सकल आय के 30% अथवा 20,000 रु० (दोनों में जो भी कम है) तक की राशि तक कटौती के योग्य होता है। इस सीमा के आधिक्य पर कोई ध्यान नहीं देते।	यह योग कर्मचारी की कुल सकल आय के 30% अथवा 20,000 रु० (दोनों में जो भी कम हो) तक की राशि तक कटौती के योग्य होता है। इस सीमा के आधिक्य पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।
5.	अवकाश ग्रहण करने के समय अथवा नौकरी छोड़ने के समय इन फण्डों से मिली राशि।	इस धनराशि को कर से पूर्णतया मुक्त रखा गया है। यह न तो कुल आय में शामिल होती है और न इस पर आयकर ही लगता हैं। अत: इस पर कोई ध्यान नहीं देते।	इस राशि पर भी कोई ध्यान नहीं देते बशर्ते कि यह रिटायर होने के समय मिली हो। नौकरी छोड़ने के समय यदि रकम मिलती है तो शर्त यह है (i) कि कर्मचारी ने 5 वर्ष तक इस मालिक के यहाँ लगातार सेवा की हो अथवा (ii) यदि सेवा के 5 वर्ष पूरे नहीं हो सके हैं तो नौकरी छूटने का कारण कर्मचारी का खराब स्वास्थ्य अथवा मालिक द्वारा व्यापार बन्द कर देने से है।	फण्ड से मिली इस राशि को निम्नलिखित दो भागो में बाँट लेते है—(i) कर्मचारी द्वारा दिया गया अंशदान तथा इस पर मिला ब्याज तथा (ii) मालिक द्वारा दिया गया अंशदान तथा इस पर मिला ब्याज। इन दोनों रकमों में से बाद की धनराशि करदाता की कुल आय में वेतन के अन्तर्गत करयोग्य है तथा इसमें जोड़ी जाती है। हाँ, धारा 89 (1) के अन्तर्गत छूट की व्यवस्था है।

टिप्पणी

(1) प्राविडेण्ट फण्ड के सन्दर्भ में 'वेतन' से तात्पर्य **मूल** वेतन से है जिसमें किसी प्रकार के भत्ते व अनुलाभ सम्मिलित नहीं हैं। मँहगाई भत्ता उसी स्थिति में शामिल किया जाता है जबकि सेवा प्रसंविदे में ऐसी शर्तें दी गई हों।

(2) 'कुल सकल आय' से तात्पर्य उस आय से है जिसमें सभी शीर्षकों के अन्तर्गत निकाली गई आय सम्मिलित होती है व जिसमें में धारा 80A से 80V तक की कटौतियाँ नहीं की गई है।

कटौती की दरें—धारा 80 C (जिसका विवरण चौदहवें अध्याय में दिया जा रहा है) के अनुसार कटौती योग्य राशि को निम्नलिखित दरों के अनुसार कुल सकल आय में से घटाते है :—

अ.	कटौती योग्य राशि के प्रथम	2,000 रु०	=100%
ब.	कटौती योग्य राशि के अगले	3,000 रु०	= 50%
स.	कटौती योग्य राशि की शेष रकम का		= 40%

हस्तान्तरित शेष (Transferred Balance)—अप्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड को जब आयकर कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि से यह फण्ड प्रमाणित प्राविडेण्ट फन्ड माना जाता है तथा अप्रमाणित फण्ड की समस्त धनराशि प्रमाणित फन्ड में हस्तान्तरित कर दी जाती है। प्रमाणिकता प्राप्त होते समय कर्मचारी के खाते का जो शेष अप्रमाणित फन्ड से प्रमाणित फन्ड को हस्तांतरित होता है उसे हस्तान्तरित शेष कहते है। इस धनराशि में जो रकम मालिक के अंशदान व उस पर प्राप्त ब्याज से सम्बन्धित होती है, करदाता की 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत उस गतवर्ष की करयोग्य आय मानी जाती है जब आयकर कमिश्नर प्राविडेण्ट फण्ड को प्रमाणिकता प्रदान करता है।

उद्गम के स्थान पर कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 192 में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम दिये हुए हैं :—

1. वेतन देने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य हे कि वह दी जाने वाली राशि में से उस वित्त वर्ष में आयकर की निर्धारित दरों से आयकर काट ले। ऐसी कटौती की गणना का आधार कर्मचारी को उस वित्त वर्ष में इस शीर्षक के अन्तर्गत मिलने वाली अनुमानित आय होती है।

2. आयकर काटने वाला व्यक्ति आयकर की मासिक काटी जाने वाली राशि को समायोजित कर सकता है।

3. प्रमाणित प्राविडेन्ट फंड का भुगतान करते हुए भी आयकर काटने का भार उस व्यक्ति पर है बशर्ते कि भुगतान की जाने वाली राशि में करयोग्य रकम शामिल हो।

4. विदेशों में प्राप्त वेतन को चालू सरकारी दरों पर अपनी मुद्रा में बदलना चाहिए।

5. सुपरएनुएशन फंड में से हुए भुगतान की रकम (यदि इसमें नियोक्ता का अंशदान व उस पर मिली ब्याज सम्मिलित है) से भी आयकर के काटे जाने की व्यवस्था है।

उदाहरण

(14) श्री आर० एन० गोयल इण्डिया यूनाइटेड कम्पनी लि० के एक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर हैं। कम्पनी का मुख्य कार्यालय देहली में एवं ब्रांच कलकत्ता व कानपुर में स्थित है। उनकी सेवा का प्रसंविदा कम्पनी के साथ 1 अप्रैल 1972 से पाँच वर्ष है। कर निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए उन्होंने अपनी आय का नक्शा निम्नलिखित प्रकार से भेजा है :—

			रु०
i.	वेतन @ 3,000 रु० मासिक		36,000
ii.	सवारी भत्ता @ 300 रु० मासिक		3,600
iii.	बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता @ 200 रु० मासिक		2,400
iv.	बिजली के लिए कम्पनी द्वारा दी गई राशि		1,200
			43,200
घटाया :			
अ.	कार की घिसावट जिसका प्रयोग पदीय कर्त्तव्यों के निर्वाह हेतु होता है	2,000	
ब.	ग्राहकों के मनोरंजन पर किया गया व्यय	2,000	
स.	जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि में दिया दान	1,000	5,000
			38,200

निम्नलिखित विवरण को ध्यान में रखते हुए श्री गोयल की वेतन से करयोग्य आय निकालिये :—

i. श्री गोयल कम्पनी की बिल्डिंग का आधा भाग अपने निवास स्थान के लिए बिना किराये के प्रयोग कर रहे है। सम्पूर्ण मकान का वार्षिक किराया 24,000 रु० है।

ii. इन्होंने प्राविडेण्ट फण्ड में 6,000 रु० अंशदान दिया है तथा 40,000 रु० की जीवन बीमा पालिसी पर 5,000 रु० का प्रीमियम भी दिया है।

iii. मार्च 1975 में इन्होंने वेतन की 9,000 रु० की पेशगी ली है।

iv. श्री गोयल ने ऐसी दुर्घटना के लिए बीमा करा लिया है जिससे शारीरिक चोट, मृत्यु अथवा अन्य किसी प्रकार की अयोग्यता हो सकती है। बीमे पर 350 रु० वार्षिक की प्रीमियम कम्पनी द्वारा दी जाती है, हालाकि बीमे का प्रस्ताव श्री गोयल की ओर से भेजा गया था।

		Rs.
i) Salary @ Rs. 3,000 p.m.		36,000
ii) Conveyance Allowance	3 600	
Deduct wear & tear claimed and allowed in full	2,000	1,600
iii) Education allowance @ Rs. 200 p.m.		2,400
iv) Value of rent-free accomodation		4,000
v) Cost of electricity reimbursed by the Co.		1,200
vi) Advance of Salary		9,000
Gross Salary		54,200
Less expenditure incidental to salary (restricted to Rs. 1,000)		1,000
Net Salary		53,200

Qualifying Amount :

1. Contribution to R. P. F.	6,000
2. L.I.P. (restricted to 10% of the sum assured)	4,000
	10,000

Notes :

1. Rent-free accommodation is valued at 10% of salary (36,000+1,600+2,400)

i. e., 10% of Rs. 40,000	4,000
Excess of rental value over 30%	Nil
	4,000

2. It has been assumed that the provident fund is recognised and the company's contribution to it does not exceed 10% of salary.
3. It has been held in C.I.T. v Lala Shri Dhar [1972] 84 I.T.R. 192 that the premium could not be assessed in the hands of the assessee as "perquisite" because the company had taken the policy in order to meet the contingency of paying compensation for injuries or death.

(15) श्री करीम भाई 900 रु० प्रति मास वेतन पाते हैं तथा उन्हें नियोक्ता की ओर से किराया मुक्त निवास स्थान मिला हुआ है। इस मकान के लिए नियोक्ता द्वारा 1,000 रु० वार्षिक किराया लिया जाता है। इनके द्वारा प्राविडेण्ट फण्ड में वेतन का 10% अंशदान दिया जाता है जबकि नियोक्ता कम्पनी द्वारा दिया गया अंशदान वेतन का 12% है। प्राविडेन्ट फण्ड में जमा हुआ ब्याज 6% वार्षिक की दर से 2,000 रु० आता है। श्री करीम भाई द्वारा रु० 700 जीवन बीमा प्रीमियम के दिए जाते हैं। इनके द्वारा सवारी सम्बन्धी व्यय घटाने की माँग भी की जाती है।

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये श्री भाई की वेतन से आय निकालिए जबकि (अ) प्राविडेण्ट फण्ड वैधानिक है; (ब) प्राविडेण्ट फण्ड प्रमाणित है; (स) प्रावि-डेण्ट फण्ड अप्रमाणित है।

---

a) When the Provident Fund is governed by the Provident Funds Act 1925

	Rs.
Salary	10,800
Value of rent-free house	1,000
Gross Income from Salary	**11,800**

Deduction for expenditure :		
20% of the first Rs. 10,000	2,000	
10% of Rs. 1,180	118	
		2,118
Net Salary		9,682

Qualifying Amount :

P.F. Contribution	1,080
Life Insurance Premium	700
	1,780

b) When the fund is a Recognised Provident Fund

Salary		10,800
Value of rent-free house		1,000
Excess of employer's contribution over 10% of salary		216
Gross income from salary		12,016
Deduction for expenditure :		
20% of the first Rs. 10,000	2,000	
10% of Rs. 2,016	202	
		2,202
Net Salary		9,814

Qualifying Amount :

Employee's Contribution	1,080
L. I. Premium	700
	1,780

c) When the fund is unrecognised

Salary		10,800
Value of rent-free house		1,000
Gross income from salary		11,800
Deduction for expenditure :		
20% of the first Rs. 10,000	2,000	
10% of Rs. 1,180	118	
		2,118
Net Salary		9,682

Qualifying Amount : Life Insurance Premium Rs. 700 .

(16) सुन्दर एक लिमिटेड कम्पनी में जनरल मैनेजर हैं जिन्हें 3,500 रु० प्रतिमाह वेतन मिलता है । यह एक बिना किराये के मकान में रहते हैं जिसके लिए कम्पनी को 16,000 रु० वार्षिक किराया देना पड़ता है । कम्पनी ने इस मकान में आवश्यक फर्नीचर आदि भी दिया है जिसकी लागत 20,000 रु० है । कम्पनी द्वारा बिजली के व्यय व माली का वेतन दिया जाता है जो क्रमशः 80 रु० मासिक व 75 रु० मासिक है ।

कम्पनी द्वारा सुन्दर को एक बड़ी कार (ड्राइवर सहित) दी जाती है जिसका इस्तैमाल पूरी तरह से सुन्दर द्वारा ही किया जाता है । कार के वह खर्चे जो सुन्दर द्वारा अपने व्यक्तिगत इस्तैमाल से सम्बन्धित है, सुन्दर द्वारा ही वहन किये जाते हैं । कम्पनी द्वारा 750 रु० मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता भी दिया जाता है ।

सुन्दर को अन्य उच्च पदीय आफीसरों के साथ भोजन का व्यय भी कम्पनी द्वारा दिया जाता है ।

इनके द्वारा कम्पनी के प्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड मे 500 रु० तथा सुपरएनुएशन फंड मे 150 रु० मासिक अंशदान देना पड़ता है । कम्पनी द्वारा भी इतना ही अंशदान दिया जाता है । गतवर्ष मे प्राविडेन्ट फण्ड द्वारा 7,200 रु० ब्याज के अर्जित किये गये है ।

निम्नलिखित सूचना को ध्यान में रखते हुए आप 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए सुन्दर की वेतन से आय निकालिए :

(अ) सुन्दर द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया जाता है कि कम्पनी द्वारा दिये गये मकान के कुछ कमरे सदैव कम्पनी के ग्राहकों द्वारा ही प्रयोग किये जाते है । आयकर अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि मकान का $\frac{1}{4}$ इस प्रकार इस्तैमाल होता है ।

(ब) सुन्दर द्वारा प्राप्त किये गये मनोरंजन भत्ते की दर 1-4-54 से 400 रु० मासिक; 1-4-1958 से 600 रु० मासिक तथा 1-4-1962 से 750 रु० मासिक थी ।

Salary at Rs. 3,500 p m.			42,000
Entertainment allowance			9,000
Employer's contribution to R.P.F. in excess over 10%			1,800
Electric charges (3/4th of Rs. 960)			720
Value of free lunch			1,500
Value of free car alongwith a chauffeur (1,800+1,800)			3,600
Pay of the gardener at Rs. 75 p.m.			900
Valuation of rent-free house :			
Unfurnished house	7,380		
15% of the cost of furniture	2,250		9,630
Gross income from salary			69,150
Less deduction for incidental expenditure to salary being limited to		1,000	
Entertainment allowance		4,800	5 800
Net Salary			63,350

Qualifying Amount :

Employee's contribution to RPF	Rs. 6,000
Contribution to Approved Sup. Fund	1,800
	7,800

Notes

(1) Since only ¾ths of the house is used by Sundar, rental value thereof comes to Rs. 12.000 p.a. Salary for this purpose includes taxable portion of entertainment allowance (Rs. 9,000—Rs. 4.800). The valuation is as follows :

10% of salary (42,000+4,200)	4,620	
Excess of rental value (12.000) over 20% of salary (9,240)	2,760	7,380

(2) Value of free lunch has been calculated at Rs. 125 per month, the standard being related to the status of the employee. It is taxable as it is provided only to the selected employees of the company and not to all employees of all cadres.

(3) Gardener's salary in this case is not governed by the circular of the Board. Here the house is not owned by the company. It is got on hire for Sundar. The provision of the gardener is therefore an additional perquisite which would be taxed. In case the house had belonged to the company, the salary payable to the gardener would have been included in the fair rental value of the house.

(4) Permissible deduction on account of entertainment allowance is calculated as follows :

(a) 1/5th of salary, Rs. 8,400; (b) Actual allowance being drawn, Rs. 9,000; (c) Rs. 7,500; or (d) Allowance being drawn before 1-4-1955, i.e., Rs. 4,800; whichever is less i.e., Rs. 4 800.

(5) Deduction on account of expenditure incidental to employment is restricted only to Rs. 1,000, as the employee is allowed the free use of a car by the employer company.

(6) Furniture costing Rs. 20,000 is provided for the whole house. Since Sundar uses only 3/4ths portion, therefore, furniture actually used by him personally cannot exceed Rs. 15,000, 15% thereof being Rs. 2,250.

(17) श्री कडेमनी की आय का विवरण नीचे दिया गया है जिससे आपको कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए इनको वेतन से होने वाली आय निकालनी है :

(1) मूल वेतन 19,000 रु०, (2) ऊँची लागत के लिए भत्ता, वेतन का 20% (3) मनोरंजन भत्ता 5,600 रु०; (4) सवारी भत्ता 6,000 रु०; (5) पारिवारिक भत्ता, 2,000 रु०, (6) बोनस, वेतन का 30%; (7) किराया मुक्त बिना फर्नीचर का मकान जिसका उचित किराया मूल्य 2,000 रु० वार्षिक है। अन्य विवरण इस प्रकार है :

(i) इनके द्वारा अप्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड में 12% की दर से अंशदान दिया जाता है।

(ii) 40,000 रु० की जीवन बीमा पालिसी पर 5,000 रु० वार्षिक प्रीमियम के दिये जाते हैं।

(iii) सवारी भत्ते का 80% पदीय कर्त्तव्यों के लिये व्यय किया गया है।

(iv) 1 अप्रैल, 1955 से पहले श्री कडेमनी को 250 रु० मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता मिलता था।

		Rs.
i) Basic salary		19,000
ii) High cost of living allowance		3,800
iii) Entertainment allowance		5,600
iv) Conveyance allowance	6,000	
Less attributable to official duties	4,800	1,200
v) Family allowance		2,000
vi) Profit bonus @ 30% of salary		5,700
vii) Rent-free accommodation		2,000
Gross Salary		39,300

सुन्दर को अन्य उच्च पदीय आफीसरों के साथ भोजन का व्यय भी कम्पनी द्वारा दिया जाता है।

इनके द्वारा कम्पनी के प्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड मे 500 रु० तथा सुपरएनुएशन फंड में 150 रु० मासिक अंशदान देना पड़ता है। कम्पनी द्वारा भी इतना ही अंशदान दिया जाता है। गतवर्ष मे प्राविडेन्ट फण्ड द्वारा 7,200 रु० ब्याज के अजित किये गये है।

निम्नलिखित सूचना को ध्यान मे रखते हुए आप 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिए सुन्दर की वेतन से आय निकालिए :

(अ) सुन्दर द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया जाता है कि कम्पनी द्वारा दिये गये मकान के कुछ कमरे सदैव कम्पनी के ग्राहकों द्वारा ही प्रयोग किये जाते है। आयकर अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि मकान का $\frac{1}{4}$ इस प्रकार इस्तैमाल होता है।

(ब) सुन्दर द्वारा प्राप्त किये गये मनोरंजन भत्ते की दर 1-4-54 से 400 रु० मासिक; 1-4-1958 से 600 रु० मासिक तथा 1-4-1962 से 750 रु० मासिक थी।

Salary at Rs. 3,500 p m.			42,000
Entertainment allowance			9,000
Employer's contribution to R.P.F. in excess over 10%			1 800
Electric charges (3/4th of Rs. 960)			720
Value of free lunch			1,500
Value of free car alongwith a chauffeur (1,800+1,800)			3,600
Pay of the gardener at Rs. 75 p.m.			900
Valuation of rent-free house :			
Unfurnished house	7,380		
15% of the cost of furniture	2,250		9,630
Gross income from salary			69,150
Less deduction for incidental expenditure to salary being limited to		1,000	
Entertainment allowance		4,800	5 800
Net Salary			63,350

Qualifying Amount :

Employee's contribution to RPF	Rs. 6,000
Contribution to Approved Sup. Fund	1,800
	7,800

Notes

(1) Since only $\frac{3}{4}$ths of the house is used by Sundar, rental value thereof comes to Rs. 12,000 p.a. Salary for this purpose includes taxable portion of entertainment allowance (Rs. 9,000—Rs. 4,800). The valuation is as follows :

10% of salary (42,000+4,200)	4,620	
Excess of rental value (12,000) over 20% of salary (9,240)	2,760	7,380

(2) Value of free lunch has been calculated at Rs. 125 per month, the standard being related to the status of the employee. It is taxable as it is provided only to the selected employees of the company and not to all employees of all cadres.

(3) Gardener's salary in this case is not governed by the circular of the Board. Here the house is not owned by the company. It is got on hire for Sundar. The provision of the gardener is therefore an additional perquisite which would be taxed. In case the house had belonged to the company, the salary payable to the gardener would have been included in the fair rental value of the house.

(4) Permissible deduction on account of entertainment allowance is calculated as follows :

(a) 1/5th of salary, Rs. 8,400; (b) Actual allowance being drawn, Rs. 9,000; (c) Rs. 7,500; or (d) Allowance being drawn before 1-4-1955, i.e., Rs. 4,800; whichever is less i.e., Rs. 4 800.

(5) Deduction on account of expenditure incidental to employment is restricted only to Rs. 1,000, as the employee is allowed the free use of a car by the employer company.

(6) Furniture costing Rs. 20,000 is provided for the whole house. Since Sundar uses only 3/4ths portion, therefore, furniture actually used by him personally cannot exceed Rs. 15,000, 15% thereof being Rs. 2,250.

(17) श्री कडेमनी की आय का विवरण नीचे दिया गया है जिससे आपको कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए इनको वेतन से होने वाली आय निकालनी है :

(1) मूल वेतन 19,000 रु०, (2) ऊँची लागत के लिए भत्ता, वेतन का 20% (3) मनोरंजन भत्ता 5,600 रु०; (4) सवारी भत्ता 6,000 रु०; (5) पारिवारिक भत्ता, 2,000 रु०, (6) बोनस, वेतन का 30%; (7) किराया मुक्त बिना फर्नीचर का मकान जिसका उचित किराया मूल्य 2,000 रु० वार्षिक है। अन्य विवरण इस प्रकार है :

(i) इनके द्वारा अप्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड में 12% की दर से अंशदान दिया जाता है।

(ii) 40,000 रु० की जीवन बीमा पालिसी पर 5,000 रु० वार्षिक प्रीमियम के दिये जाते हैं।

(iii) सवारी भत्ते का 80% पदीय कर्त्तव्यों के लिये व्यय किया गया है।

(iv) 1 अप्रैल, 1955 से पहले श्री कडेमनी को 250 रु० मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता मिलता था।

			Rs.
i)	Basic salary		19,000
ii)	High cost of living allowance		3,800
iii)	Entertainment allowance		5,600
iv)	Conveyance allowance		
	Less attributable to official duties	6,000 4,800	1,200
v)	Family allowance		2,000
vi)	Profit bonus @ 30% of salary		5,700
vii)	Rent-free accommodation		2,000
	Gross Salary		39,300

Less Incidental expenses	1,000	
Entertainment Allowance	3,000	4,000
Net Salary		35,300

Qualifying amount :

Life Insurance premium being restricted to 10% of the sum assured Rs. 4,000.

(18) श्री कमल किशोर, जो भारत के नागरिक है तथा यहाँ निवासी भी है, कर-निर्धारण वर्ष, 1975-76 के लिए आयकर से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते है :

		रु०
(1)	उद्गम स्थान पर आयकर कटाने व प्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान देने के बाद प्राप्त हुआ वेतन	14,000
(2)	वेतन से काटा गया आयकर	7,000
(3)	प्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड में अपना अंशदान	3,000
(4)	नियोक्ता का प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान	3,000
(5)	प्राविडेन्ट फन्ड में 6% की दर से दिया गया ब्याज	4,000
(6)	अपने घर जाने के लिए उनका अपना व पत्नी की यात्रा के लिये किये गये व्यय का भुगतान	2 400
(7)	नियोक्ता द्वारा अनुमोदित ग्रेच्युटी फन्ड में अंशदान	2,000
(8)	किराया भत्ता (मकान कलकत्ता में है व वास्तविक किराया 5,400 रु० है)	4,800
(9)	भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश (शुद्ध)	7,800
(10)	लाभांश से उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर	2,200
(11)	जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान :	
	(अ) अपने जीवन पर (बीमित राशि 80,000 रु०)	10,000
	(ब) अपनी पत्नी के जीवन पर (बीमित राशि 30,000 रु०)	2,000
	(स) अपने बच्चे के जीवन पर (बीमित राशि 10,000 रु०) प्रीमियम 800 रु० जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है।	

आप श्री किशोर की वेतन से आय व कुल सकल आय की गणना कीजिए।

			Rs.
1. Salary :			
a) Basic salary (14,000+7,000+3,000)			24,000
b) Life insurance premium paid by the employer			800
c) Employer's contribution to R.P.F. exceeding 10%			600
d) Chargeable house rent allowance			1,800
Gross salary			27,200
Less Incidental expenses :			
20% of the first	Rs. 10,000	2,000	
10% of the balance	17,200	1,720	
Maximum allowable			3,500
Net salary			23,700

2. Income from other sources (7,800+2,200)	10,000
Gross total income	33,700

Qualifying Amount :

Contribution to R.P.F.	3,000	
Premium on own life	8,000	(restricted to 10% of Rs. 80,000)
Premium on wife's life	2,000	
Premium on child's life	800	
	13,800	(Restricted to 30% of Gross Total Income, i.e., Rs. 10,110)

Notes : (1) Interest on recognised provident fund is well within the exempted limit and therefore, the amount has been left out.

(2) Travelling expenses for proceeding on leave to his home district is exempt.

(3) The chargeable portion of house rent allowance has been computed below :—

a) Rs. 400 per month	4,800
b) 20% salary (Calcutta)	4,800
c) Excess of rent paid over 10% of salary (Rs. 5,400—Rs. 2,400)	3,000
d) Allowance as such	4,800

Whichever is less shall be the exempted portion of house rent allowance. Therefore, the chargeable amount would be (Rs. 4,800–3,000) Rs. 1,800.

(19) श्री रामनिवास की नियुक्ति 800—50—1,400 रु० की श्रृंखला में सचिव के पद पर मैसूर लैम्पस कं० में हुई। उन्होंने अपने पद का कार्य भार 1 सितम्बर 1969 को सम्हाला। कम्पनी का प्राविडेण्ट फन्ड अप्रमाणित था, जिसमें इनके द्वारा अपने वेतन का 15% अंशदान दिया जाता था; कम्पनी भी इसी दर से अपना अंशदान देती रही। 1 सितम्बर 1974 को यह फन्ड आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित मान लिया गया तथा श्री रामनिवास के प्राविडेन्ट फन्ड खाते का शेष जो 16,000 रु० था (इसमें कम्पनी का अंशदान व उस पर ब्याज के 8,000 रु० थे) प्रमाणित फण्ड में हस्तान्तरित कर दिया गया। श्री रामनिवास को गतवर्ष 1974-75 में निम्नलिखित भुगतान मिले—

a. बोनस 1,800 रु०;

b. बिक्री पर कमीशन 5,800 रु०;

c. जीवन बीमा प्रीमियम (जो कम्पनी द्वारा दी गई) 2,500 रु०;

d. उनके निजी कार्य के लिये दिये गये घरेलू सेवक का वेतन 1,000 रु०;

e. सवारी भत्ता 3,000 रु०;

f. मनोरंजन भत्ता 4,000 रु०;

g. मँहगाई भत्ता 3,000 रु०;

h. चिकित्सा व्यय 3,200 रु०;

श्री रामनिवास के करयोग्य वेतन की गणना कीजिये।

वेतन

		रु०	
1 अप्रैल 1974 से 31 अगस्त 1974 है तक	1,000 रु० मासिक	5,000	रु०
1 सितम्बर 1974 से 31 मार्च 1975 तक	1,050 रु० मासिक	7,350	12,350
बोनस			1,800
बिक्री पर कमीशन			5,800
जीवन बीमा प्रीमियम जो कम्पनी द्वारा दी गई			2,500
घरेलू सेवक का वेतन			1,000
मनोरंजन भत्ता			4,000
मँहगाई भत्ता			3,000
हस्तान्तरित शेष			8,000
नियोक्ता का प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में 10% से अधिक का अंशदान			368
	कुल वेतन		38,818
घटाया : नौकरी से सम्बन्धित व्यय :			
	प्रथम 10,000 रु० पर 20%	2,000	
	शेष 28,818 रु० पर 10	2,882	
		4,882	
	अधिकतम स्वीकृत कटौती		3,500
	वेतन से शुद्ध आय		35,318

टिप्पणी

1. यह मान लिया गया है कि कम्पनी द्वारा दिया गया प्रीमियम श्री रामनिवास के अपने लाभ के लिये है।
2. घरेलू सेवक का वेतन करयोग्य है क्योंकि श्री रामनिवास को वेतन शीर्षक के अन्तर्गत मौद्रिक उपलब्धि रु० 18,000 से अधिक की है।
3. श्री रामनिवास धारा 89 (1) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी से कुछ छूट के लिए निवेदन कर सकते हैं क्योंकि उनके वेतन में 'वेतन के स्थान पर लाभ' (हस्तान्तरित शेष) सम्मिलित किया गया है।
4. कटौती योग्य राशि की गणना इस प्रकार होगी—

	रु०
जीवन बीमा प्रीमियम	2,500
प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान 7,350 का 15%	1,103
	3,603

अभ्यासार्थ प्रश्न

1 किसी आय को 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य मानने का क्या आधार हो सकता है, लिखिये।

2 वार्षिक पेंशन एवं ग्रेच्यूटी पर कर लगने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन दीजिए।

3 'अनुलाभ' को परिभाषित कीजिए तथा उन परिस्थितियों को लिखिए जिनके अन्तर्गत इन पर कर लगाया जाता है।

4 वेतन के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना करते हुए जो स्वीकृत कटौतियाँ होती हैं उन्हें लिखिए।

5 निम्नलिखित में से वे अनुलाभ छाँटिये. जिन्हें 'वेतन' के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है :—

   i. किराये से मुक्त निवास स्थान।
   ii. कर्मचारी एवं उसके परिवार की चिकित्सा की निशुल्क व्यवस्था।
   iii. नियोक्ता द्वारा उस माली, जमादार तथा चौकीदार को दिया जाने वाला वेतन जो उसके द्वारा कर्मचारी को दिये गये मकान की उचित देखभाल रखते है।
   iv. मनोरंजन भत्ता; वेतन 1,000 रु० मासिक; 1 अप्रैल, 1955 के पहले प्राप्त भत्ते की दर 6,000 रुपया वार्षिक।
   v. नियोक्ता द्वारा मुफ्त भोजन की सुविधा।
   vi. घर से आफिस तक के लिए यातायात का प्रबन्ध।

6 प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड एवं अप्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अन्तर स्पष्ट कीजिए।

7 जीवन बीमा के प्रीमियमों तथा प्राविडेण्ट फण्ड में किए जाने वाले अंशदानों और उन पर प्राप्त ब्याज पर आयकर की क्या छूट दी जाती है तथा छूट की रकम को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है?

8 निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्या नियम हैं—

   (अ) मनोरन्जन भत्ता; ब) मुफ्त मोटर कार की सुविधा; (स) कार्यालय के घण्टों में मुफ्त नाश्ता; एवं (द) मकान का किराया भत्ता।

9 वैधानिक प्राविडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में वर्णित व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए।

10 आयकर की दृष्टि से 'वेतन' शब्द का क्या अर्थ है? 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना के सम्बन्ध में विभिन्न नियमों का उल्लेख कीजिए।

11 निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :—

   (अ) अनुलाभ, (ब) वेतन के स्थान में लाभ, (स) हस्तान्तरित शेष, (द) कटौती योग्य राशि, तथा (य) कटौतियाँ।

क्रियात्मक प्रश्न

1. श्री नागभूषण प्रसाद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में रु० 700 मासिक पर आफिस सुपरिन्टेन्डेण्ट के पद पर कार्य करते हैं। उन्हें वर्ष में 4 माह का बोनस मिलता है

तथा यात्रा भत्ता के लिए रु० 2,000 की राशि मिली है। उनके पास अपना स्कूटर है जिसे वह आफिस जाने व आने के लिए इस्तैमाल करते है। गतवर्ष 1974-75 के लिए उनकी करयोग्य आय निकालिए।

2. श्री अमरनारायण शर्मा टाइवाक वाच फैक्टरी में नवम्बर 1949 से सेवा में थे। उन्हें 1 जनवरी 1975 से अवकाश दिया गया। 1 अप्रैल 1974 से उन्हें रु० 1,700 मासिक मिल रहे थे। 1972, 1973 व 1974 में श्री शर्मा को औसतन रु० 1,600 मासिक मिले हैं। अवकाश ग्रहण करने पर उन्हें 30,000 रु० की ग्रेच्युटी मिली व रु० 500 मासिक की पेन्शन निश्चित हुई। गतवर्ष 1974-75 के लिए श्री शर्मा को वेतन शीर्षक के अन्तर्गत मिली आय को निकालिए।

3. श्री सीताराम सहगल 400-25-800-50-950 के वेतन क्रम में 1 जुलाई 1970 को रामजस कालिज में नियुक्त हुए। इन्हें रु० 200 मासिक मॅहगाई भत्ता तथा वेतन का 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलता है। उन्हें मकान के लिए रोहतक में रु० 150 मासिक व्यय करना पड़ता है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए श्री सहगल को 'वेतन' शीर्षक से होने वाली आय की गणना कीजिए।

4. श्री रामबाबू सक्सैना 1,500-100-2,000-200-3,000 के वेतन क्रम में 1-9-71 से एटलस साइकिल कम्पनी बंगलौर में मैनेजर के पद पर नियुक्त हैं। उन्हें 300 रु० मासिक मॅहगाई भत्ता एवं रु० 500 मासिक मकान किराया भत्ता मिलता है कम्पनी की एक बड़ी कार उन्हें मिली हुई है जिसे वे पदीय कर्त्तव्यों एवं व्यक्तिगत कार्यों, दोनों के लिए इस्तैमाल करते हैं। वे मकान के लिए रु० 450 मासिक देते है। गतवर्ष 1974-75 में उन्हें रु० 7,500 बोनस के लिए मिले हैं। उनकी 'वेतन' के अन्तर्गत आय निकालिए।

5. श्री भरत वर्मा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बम्बई में पिछले 20 वर्षों से नियुक्त हैं। उन्हें रु० 1,800 मासिक वेतन, रु० 300 मासिक मँहगाई भत्ता, रु० 500 मासिक मनोरंजन भत्ता, रु० 300 मासिक सवारी भत्ता तथा किराये के लिए रु० 3,000 वार्षिक मिलते है। श्री वर्मा को रहने के लिए मकान रु० 350 मासिक पर मिला हुआ है। श्री वर्मा ने रु० 800 पुस्तकों के लिए व्यय किये है। उनके 'वेतन' की गणना कीजिए।

6. श्री भारतभूषण माथुर हिन्दुस्तान अलुमिनियम कम्पनी, कालीकट में रु० 1,700 मासिक पर नियुक्त है। उन्हें कम्पनी की ओर से एक छोटी कार मिली हुई है जिसको प्राइवेट इस्तैमाल करने पर वे कार के पेट्रोल आदि का व्यय स्वयं देते हैं। इन्हें रु० 300 मासिक मॅहगाई भत्ता, मुफ्त सुसज्जित मकान, मुफ्त पानी व गैस की सुविधा है। एक बार वे अपने परिवार सहित उत्तर प्रदेश स्थित अपने जन्म स्थान आगरा घूमने गये जिसके लिए कम्पनी ने रु० 3,000 रेल किराये के लिए दिये। ये प्राविडेन्ट फंड में 10% की दर से अंशदान देते हैं। कम्पनी द्वारा 12% अंशदान दिया जाता है व फण्ड आयकर कमिश्नर द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। गतवर्ष 1974-75 के लिए श्री माथुर के वेतन की गणना कीजिए।

प्रतिभूतियों पर ब्याज 7

(INTEREST ON SECURITIES)

आय के शीर्षकों में 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' का दूसरा स्थान है। इससे सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 18 से 21 तक के अन्तर्गत दिया हुआ है। धारा 18 कर लगाने वाली धारा है। धारा 19 व 20 के अन्तर्गत इसी शीर्षक के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौतियों का उल्लेख है जब कि धारा 21 उन व्ययों से सम्बन्धित है जो कटौती के योग्य नहीं है।

ब्याज जो इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य हैं—धारा 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित रकमें 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' के अन्तर्गत आती हैं :—

1 केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों पर प्राप्त अथवा प्राप्य ब्याज, परन्तु इसमें वार्षिकी * जमा पर मिलने वाला ब्याज सम्मिलित नहीं है।

2. किसी स्थानीय सत्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से निर्गमित ऋणपत्रों व अन्य प्रतिभूतियों पर प्राप्य ब्याज।

3. किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापति निगम द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज।

4. कम्पनी के ऋणपत्रों पर ब्याज

धारा 18 इस बात को स्पष्ट करती है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाने की आधार आय की प्राप्यता है चाहे वह गत वर्ष में प्राप्त हुई हो अथवा नहीं। इस शीर्षक के अन्तर्गत ब्याज का उपार्जन प्रतिदिन नहीं माना जाता। प्रत्येक प्रतिभूति पर ब्याज के उपार्जन की तिथि अंकित रहती है अतः इस तिथि अथवा तिथियों को ब्याज उपार्जित होती है। इसे प्राप्त करने का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसका नाम कम्पनी की पुस्तकों में इन प्रतिभूतियों के धारक के रूप में रजिस्टर्ड है। इस शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना के लिए हम यह देखते हैं कि प्रतिभूतियों पर अंकित तिथि पर प्रतिभूति धारक कम्पनी में रजिस्टर्ड धारक था अथवा नहीं तथा ये तिथियाँ सम्बन्धित गतवर्ष से सम्बन्धित हैं अथवा नहीं। उदाहरण के लिए किसी प्रतिभूति पर हमें 10 मार्च व सितम्बर को ब्याज मिलता है। अब यदि ये प्रतिभूतियाँ 13 मार्च 1975 को खरीदी जाँयें तो गतवर्ष 1974-75 में वर्तमान प्रतिभूति धारक को इस शीर्षक के अन्तर्गत किसी आय की प्राप्ति नही हुई।

---

* वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत करदाताओं को एक निश्चित धनराशि जमा करनी होती थी जिस पर ब्याज मिलता था। मूल राशि वार्षिक किश्तों में लौटाने का प्रबन्ध था। यह योजना 1 अप्रैल, 1967, से समाप्त कर दी गई है।

किसी वर्ष में यदि ब्याज की तिथि को भुगतान न किया जा सके अथवा यदि किसी न्यायालय द्वारा ब्याज का भुगतान रोक दिया जावे तो भी कर-निर्धारण पर कोई प्रभाव नहीं पडता। इसका कारण यही है कि ब्याज की करदेयता ब्याज के उपार्जन के साथ जुड़ी हुई है न कि इसकी प्राप्ति के साथ।

स्पष्टीकरण—किसी गतवर्ष में यदि प्रतिभूतियों पर कोई ऐसा ब्याज प्राप्त हुआ है जिस पर पिछले वर्षों में प्राप्त होने के आधार पर आयकर नही लग पाया है तो उस पर इस गतवर्ष में प्राप्त होने के आधार पर इसी शीर्षक के अन्तर्गत आयकर लग जायेगा।

निम्नलिखित ब्याज इस शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आता :—

a. कम्पनी के अंशों पर मिला लाभांश;
b. विदेशी प्रतिभूतियों पर ब्याज;
c. एसोसियेशन, क्लब व अन्य व्यक्तियों के समुदाय द्वारा निर्गमित ऋणपत्रों पर ब्याज;
d साधारण ऋण पर ब्याज;
e. व्यापारिक सौदों व लेन-देन से सम्बन्धित ब्याज; तथा
f. बैंक से मिला ब्याज।

उपर्युक्त ब्याज प्राय: 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आता है किन्तु यदि किसी ब्याज की प्राप्ति व्यापार के दौरान होती है अर्थात् अपने ग्राहको आदि से ब्याज प्राप्त होता है तो यह 'व्यापार व पेशे की आय' के अन्तर्गत करयोग्य होगी।

करमुक्त ब्याज

अ. निम्नलिखित पक्षों के पास यदि प्रतिभूतियाँ हैं जिन पर उन्हें ब्याज मिलता है तो यह ब्याज करमुक्त होगा—

1. स्थानीय सत्ता जैसे नगरपालिका, जिला परिषद्, पंचायत आदि। [धारा 10 (20)]

2. ऐसी किसी वैज्ञानिक सत्ता अथवा मकान परिषद् की आय जो मकानों की समस्या को हल करने व शहरों, कस्बों और ग्रामों के योजनाबद्ध विकास के लिए स्थापित किए गए हैं। [धारा 10 (20अ)]

3. वैज्ञानिक अनुसंधान संघ [धारा 10 (21)]

4. विश्वविद्यालय एवं मान्यता प्राप्त अन्य शिक्षा संस्थायें जिनका उद्देश्य शिक्षा प्रसार व जनकल्याण है लाभ कमाना नहीं। [धारा 10 (22)]

5. अस्पताल व अन्य चिकित्सा सम्बन्धी संस्थायें जो जनकल्याण के लिए स्थापित की गई हैं। [धारा 10 (22 अ)]

6. भारत में स्थापित अग्रलिखित खेलों के नियन्त्रण व प्रोत्साहन के उद्देश्य से स्थापित संस्था व संघ—क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल टेनिस। ये सरकार द्वारा अनुमोदित होने चाहिए। [धारा 10 (23)]

7. रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन [धारा 10 (24)]

8. वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड, प्रमाणित प्राविडेन्ट फन्ड व अनुमोदित सुपर-एनुएशन फण्ड [धारा 10 (25)]

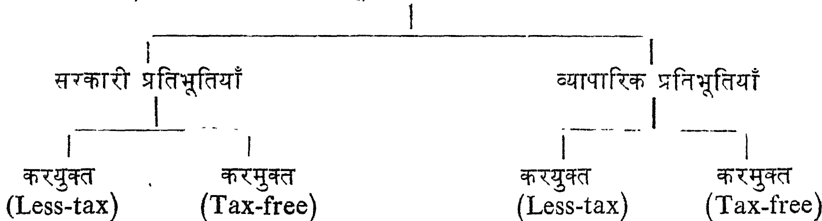
9. अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं। [धारा 10 (26)]

10. सहकारी समिति जो शहरी उपभोक्ता समिति, गृह निर्माण समिति, शक्ति संचालित वस्तुओं का उत्पादन करने वाली समिति अथवा 25,000 रु० वार्षिक से अधिक आय वाली समिति नहीं है। [धारा 80P]

ब. धारा 10 (15) के अन्तर्गत निम्नलिखित ब्याज कर से पूर्णतया मुक्त है व किसी भी करदाता के हाथों में इसे कुल आय में नहीं जोड़ा जाता :—

i. 15 वर्षीय वार्षिकी प्रमाण-पत्रों पर मिला वार्षिक भुगतान।
ii. राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बान्ड्स, 1980 पर मिला भुगतान।
iii. ट्रेजरी बचत जमा प्रमाण-पत्र।
iv. पोस्ट आफिस नकद प्रमाण-पत्र।
v. राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र।
vi. पोस्ट आफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र।
vii. 12 वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्र।
viii. पोस्ट आफिस के बचत खाते पर मिला ब्याज।
ix. सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा भारत के बाहर लिए हुए ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज।
x. श्री लंका के केन्द्रीय बैंक के निर्गमन विभाग द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों पर ब्याज।
xi. भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने पर भारत में किसी भी औद्योगिक संस्थान द्वारा भारत से बाहर किसी वित्त संस्थान के लिए ऋण पर दिया गया ब्याज।
xii. ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज जिन्हें भारत सरकार द्वारा करमुक्त घोषित कर दिया गया है।
xiii. ऐसी प्रतिभूतियों पर मिला ब्याज जो पुण्यार्थ व धार्मिक ट्रस्ट के पास हैं तथा जो ब्याज इन्हीं कार्यों में प्रयोग किया जाता है।

प्रतिभूतियों के प्रकार



करयुक्त प्रतिभूतियाँ—इस प्रकार की सरकारी व गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में कोई अन्तर नही होता। प्राय: सभी प्रतिभूतियाँ करयुक्त होती है अर्थात् इन पर मिली ब्याज कुल आय में जोडी जाती है तथा इस पर आयकर देना होता है। एक अन्य नियम इस सम्बन्ध मे याद रखने योग्य यह है कि अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज की रकम में से एक निश्चित प्रतिशत की दर से आयकर काटकर सरकारी कोष मे जमा करा दे। कर युक्त प्रतिभूतियों के लिये यह सिद्धान्त लागू होता है चाहे वह सरकारी प्रतिभूति हो अथवा व्यापारिक। आयकर की इस प्रकार काटी हुई रकम ब्याज पाने वाले के नाम से व उसी के खाते मे जमा होती है। इसे आयकर का उद्‌गम स्थान पर काटा जाना कहते है।

उदाहरण

श्री रेड्डी के पास 15,000 रु० मूल्य की 5 प्रतिशत ब्याज वाली (करयुक्त) प्रतिभूतियाँ हैं जो उनके पास पूरे गतवर्ष में रही हैं। इन्हें इन पर 750 रु० की धनराशि ब्याज स्वरूप मिलेगी किन्तु इन्हें यह सम्पूर्ण राशि नकद नहीं मिलेगी। इसमें से 23 प्रतिशत की दर से 173 रुपये उद्‌गम स्थान पर काटे जावेगे। इस प्रकार 750 रु० की ब्याज की राशि में से 173 रु० आयकर काट कर कम्पनी द्वारा जमा कर दिया जावेगा व शेष 577 रु० की राशि का भुगतान हो जायेगा। 577 रु० की राशि को ब्याज की शुद्ध राशि, 750 रु० को सकल ब्याज व 177 रु० को उद्‌गम स्थान पर काटा गया आयकर कहेंगे। रेड्डी जब अपने आयकर का भुगतान करेंगे, उस समय 177 रु० की यह राशि उनके आयकर दायित्व में समायोजित कर दी जायेगी।

सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ (Tax-free Government securities) : इस सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि जिन प्रतिभूतियों का वर्णन धारा 10(15) में हुआ है वे ऐसी प्रतिभूतियाँ है जिन पर प्राप्त ब्याज को आयकर के लिए कुल आय में शामिल ही नहीं करते व जो पूर्णतया कर मुक्त होती है। इनके अलावा कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ ऐसी होती है जिन पर प्राप्त ब्याज यद्यपि कुल आय में सम्मिलित करते हैं किन्तु इस ब्याज पर आयकर नहीं लगाते। इन प्रतिभूतियों पर मिली ब्याज दो प्रकार से करमुक्त होती है—(i) इन पर मिलने वाली ब्याज की रकम में से आयकर को उद्‌गम स्थान पर नहीं काटा जाता; तथा (ii) ब्याज की रकम यद्यपि कुल आय में जोड़ी जाती है किन्तु बाद में इस पर आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}\%$ (दोनों में से जो भी कम हो) की दर से आयकर की भुगतान की जाने वाली रकम में छूट (Rebate) मिल जाती है।

उदाहरण

श्री कुलकर्णी के पास 10,000 रु० मूल्य की सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ है। इन पर सम्बन्धित गतवर्ष में वे 500 रु० ब्याज स्वरूप पाने के अधिकारी हैं। यह धनराशि उन्हें उद्‌गम स्थान पर आयकर काटे बिना ही प्राप्त होगी तथा उनकी कुल आय में यह राशि सम्मिलित होगी। इस राशि पर श्री कुलकर्णी को आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}\%$ (जो भी कम हो) की दर से आयकर की छूट मिलेगी।

व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ (Commercial free of tax securities) ऐसी प्रतिभूतियाँ केवल नाम मात्र के लिये ही कर मुक्त कही जाती है। इन पर निश्चित दर से ब्याज मिलता है। इस ब्याज में से उद्‌गम के स्थान पर आयकर नहीं काटा जाता। जो आयकर उद्‌गम के स्थान पर काटा जाकर सरकारी कोष में जमा होना

चाहिये था, उसका भुगतान ब्याज देने वाली कम्पनी अपने पास से करती है। करदाता को प्राप्त ब्याज शुद्ध ब्याज माना जाता है। अतः ऐसी स्थिति में उसे न केवल ब्याज की प्राप्त रकम पर वरन् आयकर की उस रकम पर भी जो कम्पनी ने अपने पास से जमा की है, आयकर देना पड़ता है। अन्य शब्दों में करदाता को ऐसी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज 100/77 से गुणा करके सकल बनाई जाती है।

उदाहरण

श्री करुणानिधि के पास 20,000 रु० मूल्य के जनरल मोटर्स लि० द्वारा निर्गमित 7% कर मुक्त ऋण पत्र है। इन पर ऋण पत्र धारक को 1,400 रु० की धनराशि ब्याज स्वरूप मिलती है जिसमें से उद्गम स्थान पर आयकर नहीं काटा गया। 1400 रु० की ब्याज इस प्रकार शुद्ध ब्याज है जिसे 100/77 से गुणा करके सकल ब्याज निकाली जायेगी। यह रकम 1,818 रु० हुई। इस प्रकार कम्पनी को 418 रु० आयकर के लिए सरकारी कोष में जमा करने पड़ेंगे। श्री करुणानिधि को 1,818 रु० की ब्याज पर आयकर देना होगा, व आयकर के भुगतान के समय उन्हें 418 रु० की राशि कम देनी पड़ेगी चूँकि यह रकम उन्हीं के नाम से कम्पनी द्वारा सरकारी कोष में जमा करा दी गई है।

उद्गम-स्थान पर आयकर की कटौती
(Deduction of tax at source)

धारा 193 के अनुसार प्रतिभूतियों पर ब्याज के भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह भुगतान की जाने वाली ब्याज की रकम मे से निर्धारित दरों से आयकर काटकर सरकारी कोष में जमा कर दे। ब्याज पाने वाले व्यक्ति का जब कर-निर्धारण होता है उस समय इस व्यक्ति के आयकर दायित्व में उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर का समायोजन कर दिया जाता है। परन्तु जब ब्याज की रकम को कुल आय मे जोड़ा जाता है तो यह रकम न केवल वह होती है जो उस व्यक्ति को नकद मिलती है बल्कि इसमे उद्गम स्थान पर काटे गए आयकर की रकम भी शामिल रहती है। इस प्रकार मिलने योग्य ब्याज की रकम को सकल ब्याज (Gross amount of interest), काटी गई राशि को उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर (Tax deducted at source) तथा शेष मिली रकम शुद्ध ब्याज (Net amount of interest) कहलाती है।

धारा 193 के अनुसार निम्नलिखित ब्याज की राशि ऐसी है जिसमें से उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती नहीं की जाती—

i. $4\frac{1}{4}$% राष्ट्रीय सुरक्षा बॉण्ड्स 1972 पर मिलने वाला ब्याज जो भारत में निवासी अथवा असाधारण निवासी को मिलता था।

ii. $4\frac{3}{4}$% राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण 1972 पर किसी भी व्यक्ति (Individual) को मिलने वाला ब्याज।

iii. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (प्रथम निर्गमन) पर मिलने वाला ब्याज।

iv. सात वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (चतुर्थ निर्गमन) पर ब्याज।

v. किसी सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी अन्य संस्था द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज।

vi. $6\frac{1}{2}\%$ स्वर्ण बॉण्ड्स 1977 अथवा 7% बौण्ड्स 1980 पर मिलने वाला ब्याज; बशर्ते कि यह ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो निवासी व असाधारण निवासी है तथा जिसके पास वह प्रतिभूतियाँ 10,000 रुपये से अधिक के मूल्य की नहीं है।

vii. राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला किसी अन्य प्रतिभूति पर ब्याज, बशर्ते कि यह ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो निवासी व असाधारण निवासी है, जिसके पास 2,500 रुपये से अधिक की प्रतिभूतियाँ नहीं है तथा वह व्यक्ति यह लिख कर दे देता है कि उसने पहले कभी आयकर नहीं दिया है तथा उसकी गतवर्ष की आय आयकर लगने वाली आयकर की न्यूनतम सीमा से कम ही है।

राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉण्ड्स, 1980 पर मिलने वाले प्रति 10 ग्राम के लिये 2 रुपये तथा स्वर्ण आभूषणों के प्रति 10 ग्राम के लिये मिले 3 रुपये कर से पूर्णतया मुक्त हैं तथा कुल आय में सम्मिलित नहीं होते।

ब्याज को सकल बनाना (Grossing up of interest)—इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिये :—

1. सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियों पर मिला ब्याज सकल नहीं किया जाता।

2. साधारण प्रतिभूतियों (सरकारी तथा व्यापारिक दोनों) पर मिला ब्याज सकल किया जाता है बशर्ते कि ब्याज की रकम दी हुई हो, दर नहीं।

3. व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर मिले ब्याज को सदैव सकल बनाया जाता है चाहे ब्याज की दर दी हुई हो अथवा ब्याज की रकम।

4. साधारण प्रतिभूतियों पर मिला ब्याज उस समय सकल नहीं बनाया जाता जबकि ब्याज की दर दी गई हो।

उद्गम स्थान पर आयकर के काटे जाने की दर

कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं (जो निवासी है) की स्थिति में लाभांश व प्रतिभूतियों पर ब्याज में से उद्गम स्थान पर वित्तवर्ष 1974-75 में 23% की दर से आयकर काटा गया है अतः कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 में ब्याज की रकम को सकल बनाने के लिए 100/77 से गुणा करेंगे। वित्त वर्ष 1970-71 में यह दर 22% थी अतः शुद्ध ब्याज को सकल बनाने के लिए 100/78 से गुणा किया जाता था। वित्त अधिनियम 1975 के अनुसार वित्त वर्ष 1975-76 में भी आयकर इसी दर से काटा जाता रहेगा। अनिवासी की दशा में यह दर 34.5% है।

उदाहरण

(2) निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली ब्याज की गणना कीजिए।

(a) रामू को करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर 590 रु० ब्याज के मिले।

(b) रामेन्द्र को 10,000 रु० की 5% दर की सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज मिला।

(c) अप्पाजी को कुछ ऐसी प्रतिभूतियों से 3,000 रु० ब्याज स्वरूप मिले जिनका उल्लेख करमुक्त प्रतिभूतियों के रूप में धारा 10 (15) में हुआ है।

(d) बसु भट्टाचार्या को रोहतास इन्डस्ट्रीज लि० के 20,000 रु० मूल्य के 7 प्रतिशत ऋणपत्रों पर ब्याज मिला ।

(e) चारु घोष को जय श्री टी लि० से ऋणपत्रों पर ब्याज के 1,540 रु० मिले ।

(f) सुरेन्द्र कौल के पास भारत गियर्स लि० के 20,000 रु० के मूल्य के 6% कर मुक्त ऋण पत्र हैं तथा इन पर निर्दिष्ट तिथियों को ब्याज मिला ।

(g) नड्डा को एक लिमिटेड कम्पनी की करमुक्त प्रतिभूतियों पर 5,000 रु० ब्याज के मिले ।

(a) Ramu will include Rs. 590 in his total income under the head 'interest on securities' and shall get a rebate at average rate or at 27½ per cent, whichever is less.

(b) Ramendra gets Rs. 500 as interest on tax-free Government securities and it will be included under this head. He is however entitled to rebate of income-tax at average rate or at 27½%, whichever is less.

The amount shall not be grossed up either in (a) or in (b) because there is no deduction of tax at source.

(c) This amount of interest received by Appaji is competely tax-free and shall not be included in total income at all

(d) Basu Bhattacharya is entitled to receive Rs. 1,400 in respect of the debentures he holds in Rohtas. He shall pay income-tax in respect of this amount However he shall receive only Rs. 1,078 as Rs. 322 will have to be deducted by way of income-tax deducted at source.

(e) Charu Ghosh has received Rs 1,540 by way of interest which must be after deducting income-tax at source. This amount is to be multiplied by 100/77 and the resultant figure of Rs 2,000 shall be the interest to be included in total income.

(f) Surendra Kaul receives Rs. 1,200 as tax-free interest on debentures. It means the income-tax must have been paid by the company directly. The amount of Rs 1,200 is thus net interest which is to be made gross by multiplying it by 100/77. The includible interest thus comes to Rs. 1,558 (appx.).

(g) Nadda receives Rs. 5,000 as interest on tax-free securities of a company and so the amount is to be grossed up by multiplying it by 100/77. The chargeable interest comes to Rs. 6,494 (appx.).

प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय पर लाभ हानि :—चूँकि यह शीर्षक प्रतिभूतियों पर मिले ब्याज से सम्बन्धित है, अत: प्रतिभूतियों की खरीद बेच से होने वाले लाभ अथवा हानि इस शीर्षक में नहीं आते । करदाता यदि प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री का व्यापार करता है तो ये लाभ 'व्यापार से लाभ' माने जाते है तथा अन्य स्थितियों में पूँजीलाभ ।

कटौतियाँ

इस शीर्षक के अन्तर्गत आय उपार्जित करते समय जो व्यय करने पड़ते है वे इसी शीर्षक की आय में से कटौती के लिए अधिनियम की धारा 19 व 20 के अन्तर्गत स्वीकृत होते है । ऐसी कटौतियाँ निम्नलिखित है—

i. ब्याज को वसूल करने के सम्बन्ध में करदाता द्वारा किये गये उचित वसूली व्यय (Collection charges) जैसे, बैंक कमीशन आदि ।

ii. करदाता ने यदि प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी ऋण का प्रबन्ध किया है तो इस ऋण की रकम पर दिया जाने वाला ब्याज ।

ऋण पर दी गई ब्याज यदि प्रतिभूतियों की ब्याज से अधिक है तो यह कमी इसी शीर्षक की अन्य आय से पूरी की जायेगी। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि ऋण की रकम से करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी गई है तो इन प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज में से ही उधार ली गई रकम पर दी जाने वाली ब्याज घटाई जा सकती है। अन्य शब्दों में यदि ऐसे ऋण पर दी गई ब्याज उस ब्याज से अधिक है जो सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियों से प्राप्त हुई है तो इस हानि की पूर्ति अन्य किसी ब्याज से नहीं की जा सकती।

इस शीर्षक के अन्तर्गत हानि

इस शीर्षक के अन्तर्गत यदि प्राप्त हुई ब्याज उस व्यय से कम है जो ब्याज के उपार्जन में हुआ है तो यह कमी हानि होगी तथा इस हानि को अन्य शीर्षकों में हुई आय से पूरा कर दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से हुई हानि पूरी नहीं होगी।

उदाहरण

(1) श्री असितसैन को 1974-75 गतवर्ष के लिए रु० 2,500 प्रतिभूतियों पर ब्याज के मिले। इन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए श्री सैन ने रु० 40,000 का कर्जा लिया था जिस पर उन्हें रु० 4,000 ब्याज के लिए देने पड़े है। इस दशा में उन्हें 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत रु० 1,500 की हानि हुई जिसे अन्य शीर्षकों की आय से पूरा कर दिया जावेगा।

इसी उदाहरण में यदि श्री असितसैन को यही ब्याज सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियों से मिलता तो रु० 1,500 की हानि को अन्य किसी भी आय से पूरा नहीं किया जा सकता था।

ऐसी ब्याज जो स्वीकृत कटौती नहीं है [धारा 21]

प्रतिभूतियों को खरीदने के लिये यदि ऋण किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया है जो भारत के बाहर रहता है तो ऐसे ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज का भुगतान करते समय हमें निश्चित दरों से आयकर काटकर सरकारी कोष में जमा कर देना चाहिए। आयकर के न काटने की दशा में ऋण के लिए दिया जाने वाला ब्याज कटौती के लिए स्वीकृत नहीं होता।

धारा 89(2) के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधा

किसी गतवर्ष में यदि पिछले वर्षों का ऐसा बाकी ब्याज मिला है जिस पर उन वर्षों में आयकर नहीं दिया गया है तो यह सारा ब्याज गतवर्ष की आय में सम्मिलित होकर उस वर्ष की कुल आय को असामान्य रूप से बढ़ा देता है जिससे आयकर की दर में वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में धारा 89 (2) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित छूट देने की व्यवस्था की गई है।

प्रतिभूतियों का ब्याज सहित क्रय-विक्रय (Purchase and sale of securities cum interest)—प्रतिभूतियों पर प्राय: वर्ष में दो बार उन लोगों को ब्याज मिलता है जिनका नाम ब्याज की तारीखों को कम्पनी के रजिस्टर में लिखा रहता है। यह पहले ही बता चुके हैं कि ब्याज उन लोगों के हाथों में करयोग्य होता है जिनको कि यह प्राप्त होता है चाहे इन्होंने यह प्रतिभूति 1 दिन पहले ही क्रय की हो। उदाहरण के लिए किन्हीं ऋण पत्रों पर ब्याज मिलने की तिथि 30 जून व 31 दिसम्बर है, तथा एक करदाता ऐसे ऋण पत्रों को 20 जून को खरीदता है व अपने नाम को तुरन्त ही कम्पनी के रजिस्टर में अंकित करा लेता है तो ऐसी स्थिति में यह करदाता 30 जून को 6 महीने के प्राप्य ब्याज को पाने का व कर देने का अधिकारी होगा चाहे इसके पास ये प्रतिभूतियाँ 10 दिन ही रही हैं।

इसी उदाहरण में ध्यान देने की बात यह है कि विक्रेता ने पिछली 31 दिसम्बर से 20 जून तक इन प्रतिभूतियों को अपने पास रखा है, फलस्वरूप इस अवधि का ब्याज पाने का उसे पूरा अधिकार है। विक्रेता प्रतिभूतियाँ बेचते समय क्रेता को अपने इस अधिकार का हस्तान्तरण कर देता है। स्पष्ट है कि उपर्युक्त स्थिति में क्रेता 5 महीने 20 दिन की उपार्जित ब्याज मिलने के बदले में कुछ रुपया विक्रेता को अवश्य देगा। यह रकम बिक्रेता की आय होगी जो इस शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आती। इसके विपरीत क्रेता ने यद्यपि 10 दिन की ब्याज ही उपार्जित की है परन्तु उसे 6 महीने की ब्याज पर आयकर देना होता है।

दिखावटी लेन-देन (Bond Washing Transactions)

जैसा कि ऊपर दिया जा चुका है प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ब्याज उस व्यक्ति के हाथों में करयोग्य होता है जिसका नाम ब्याज की घोषित तिथि को कम्पनी के रजिस्टर में दर्ज हो। चाहे उस व्यक्ति ने ब्याज की तिथि से 1 हफ्ते पहले ही ये प्रतिभूतियाँ क्रय की हों। ऐसी स्थिति में एक चतुर करदाता प्राप्त ब्याज पर आयकर बचाने का यह तरीका अपना सकता है कि वह ब्याज की तिथि से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में ये प्रतिभूतियाँ हस्तान्तरित करदे जिसकी कुल आय आयकर लगने वाली आय की सीमा से कम हो। इस प्रकार करदाता तो आयकर से इसलिए बच जायेगा कि ब्याज मिलने वाली तिथि को ये प्रतिभूतियाँ उसके नाम से दर्ज नहीं हैं तथा वह व्यक्ति (जिसको प्रतिभूतियाँ हस्तान्तरित की गई हैं) इसलिए कर नहीं देगा क्योंकि उसकी कुल आय आयकर लगने वाली सीमा से कम है। ऐसे लेन-देनों पर नियन्त्रण के हेतु ऐसा नियम बना दिया गया है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी ऐसे लेन-देनों का पता लगने पर उस व्यक्ति की आय में ब्याज जोड़ देते हैं जिसने कि इस प्रकार प्रतिभूतियाँ हस्तान्तरित करके आयकर के दायित्व से बचना चाहा है। आयकर अधिकारी को ऐसे लेन-देन सम्बन्धी समस्त सूचनायें करदाता से प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

उदाहरण

(4) करीम के पास वित्तवर्ष 1974-75, में निम्नलिखित विनियोग रहे हैं :

i. 40,000 रु० की 3% सरकारी प्रतिभूतियाँ,
ii. 10,000 रु० की 6% कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ऋणपत्र,
iii. 30,000 रु० के 5% नगरपालिका बॉण्ड्स,
iv. 400 रु० डाकखाने के बचत खाते से प्राप्त ब्याज।

बैंक द्वारा ब्याज वसूल करने के लिये 10 रु० चार्ज किए गए है। करीम ने नगरपालिका बॉण्ड्स को क्रय करने के लिये ऋण लिया था जिस पर ब्याज के 600 रु० इन्होंने दिए है। करीम की प्रतिभूतियों से करयोग्य ब्याज ज्ञात कीजिए।

---

i.	सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज	रु० 1,200	
ii.	कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट ऋणपत्र	600	
iii.	नगरपालिका बॉण्ड्स	1,500	रु० 3,300
	घटाया स्वीकृत कटौतियाँ		
i.	बैंक कमीशन	10	
ii.	ऋण पर ब्याज	600	610
	प्रतिभूतियों से करयोग्य ब्याज		2,690

टिप्पणी : 1. ब्याज का भुगतान प्राप्त होते समय उद्गम स्थान पर 23% की दर से आयकर की कटौती हो गई होगी, जिसका समायोजन आयकर दायित्व को चुकाते हुए किया जावेगा।

2. पोस्ट आफिस बचत खाते पर मिली ब्याज आयकर से पूर्णतया मुक्त है तथा कुल आय में सम्मिलित नही की जाती।

(5) अपर इन्डिया ट्रेडिंग कम्पनी के पास 1 अप्रैल 1974 को निम्नलिखित प्रतिभूतियाँ है जिनसे प्राप्त करयोग्य ब्याज की गणना आपको करनी है :

(अ) 60,000 रु० के 4% उत्तर प्रदेश सरकारी ऋण पत्र;
(ब) 30,000 रु० के 5% कलकत्ता इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऋण पत्र;
(स) 15,000 रु० के 6% कॉटन मिल कम्पनी के अधिमान्य अंश;
(द) 20,000 रु० की 5% सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियाँ;
(य) 40,000 रु० के इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी में 6% ऋण पत्र।

1 सितम्बर, 1974 को कम्पनी ने इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी के रु० 40,000 के ऋणपत्र ब्याज सहित बेच दिए तथा रु० 70,000 के $6\frac{1}{2}$% ईस्टर्न बंगाल कम्पनी लि० के ऋणपत्र ब्याज सहित खरीद लिए। 30,000 रु० की अतिरिक्त धनराशि उसने अपने बैंक से $7\frac{1}{2}$% ब्याज की दर से प्राप्त की। बैंक ने इन प्रतिभूतियों के क्रय एवं विक्रय पर 6 पैसा प्रतिशत की दर से अपना कमीशन लिया है। ब्याज तथा लाभांश की वसूलयाबी के लिए बैंक द्वारा 25 पैसा प्रतिशत चार्ज किया जाता है। प्रतिभूतियों व अंशों पर ब्याज एवं लाभांश वर्ष में दो बार 1 जनवरी व 1 जुलाई को प्राप्त होता है।

I. प्रतिभूतियों पर ब्याज		रु०
(अ) रु० 60,000 के 4% उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण पत्रो पर		2,400.00
(ब) रु० 30,000 के 5% कलकत्ता इ० ट्रस्ट के ऋण पत्रों पर		1,500.00
(स) रु० 20,000 की 5% सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियों पर		1,000.00
(द) रु० 40,000 के इम्पीरियल ट्रे० कं० के 6% ऋण पत्रों पर (6 माह)		1,200.00
(य) रु० 70,000 के ईस्टर्न बंगाल क० के $6\frac{1}{2}$% ऋण पत्रों पर (6 माह)		2,275.00
कुल ब्याज		8,375.00
स्वीकृत कटौतियाँ :		
i. 25 पैसा प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूलयाबी के लिये कमीशन	20.94	
ii. ऋण पर ब्याज	1,312.50	1,333.44
प्रतिभूतियो से करयोग्य ब्याज		7,041.56
II. अन्य साधनों से आय		
5,000 रु० के अधिमान्य अंशों पर लाभांश	900.00	
घटाया वसूलयाबी कमीशन	2.25	897.75
कुल सकल आय		रु० 7,939.31

टिप्पणी—करदाता को करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज (1,000 रु०) पर आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}$% (जो भी इन दोनों मे कम हो) की दर से आयकर की छूट पाने का अधिकार है।

(6) 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिये श्री प्रशान्त बोस का प्रतिभूतियों से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :

	रु०
i. हिन्दुस्तान मोटर्स के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज	770
ii. मद्रास सरकार के बॉण्ड्स पर प्राप्त करमुक्त ब्याज	1,000
iii. राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्रों पर प्राप्त ब्याज	500
iv. पोस्ट आफिस बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	200
v. गोल्डन टुबैको लि० के करमुक्त ऋणपत्रों पर ब्याज	800
vi. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	300

ब्याज की यह सम्पूर्ण रकम बैंक द्वारा वसूल की गई है जिसने इस रकम पर 2% कमीशन लिया है। मद्रास सरकार के बॉण्ड्स लेने के लिये जो ऋण लिया था उस पर 2,500 रु० की ब्याज देय है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आप श्री प्रशान्त बोस की प्रतिभूतियों से ब्याज की गणना कीजिये।

			रु०
i.	हिन्दुस्तान मोटर्स के ऋणपत्रो पर ब्याज	$770 \times \frac{100}{77}$	1,000
ii.	मद्रास सरकार के बॉण्ड्स पर करमुक्त ब्याज	1,000	
			109
	घटाया—बैंक कमीशन 2% 20		
	ऋण पर ब्याज 2,500	2,520	
		—1,520	
iii.	गोल्डन टुबैको लि० के करमुक्त ऋणपत्रों पर ब्याज	$800 \times \frac{100}{77}$	1,299
iv.	केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज		300
	कुल ब्याज		2,599
	घटाया बैंक कमीशन 2%		52
	शुद्ध ब्याज		2,547

टिप्पणी :—1. हिन्दुस्तान मोटर्स से प्राप्त ब्याज को सकल वनाया गया है क्योंकि ब्याज की प्राप्त राशि दी गई है जो उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर को घटाकर आती है।

2. राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्रो पर प्राप्त ब्याज पूर्ण रूपेण करमुक्त है तथा इसे कुल आय में भी सम्मिलित नही किया जाता।

3. पोस्ट आफिस बचत खाते का ब्याज भी कुल आय में नहीं आता।

4. मद्रास सरकार के बॉण्ड्स पर जो ब्याज की राशि मिली है उससे कही अधिक राशि ब्याज के रूप में श्री बोसको उस ऋण पर देनी पड़ी है जिससे कि ये बॉण्ड्स खरीदे गए थे। यह हानि पूरी नहीं की जायेगी। इस स्थिति मे इस ब्याज पर औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}$% (जो भी कम हो) की दर से आयकर की छूट भी नहीं मिलेगी।

66. The following are the particulars of securities held and interest received by Shri Nalini Mohan during the year 1974-75.

i) Rs. 10,000,7% less tax debentures of a Cotton Textile Co.
ii) Rs. 30,000,$3\frac{1}{2}$% 10 years National Plan Certificates.
iii) Rs. 400 as interest on Post Office Savings Bank Account.
iv) Rs. 15,000,7% Preference shares of a public limited company.
v) Rs. 18,000,4% Development Trust Bonds.

Shri Mohan purchased Rs. 30,000, 3½% municipal debentures at Rs. 69.50 cum-interest on 1st September, 1974 and disposed of half of the 4% National Plan Certificates on 30th September, 1974 at Rs. 107.75 cum-interest. Interest on both the securities is payable on 1st May and 1st November. He paid to his bank 25P. per security of Rs 100 as commission for purchasing and selling the securities and Rs. 50 as collection charges He had taken a loan of Rs. 14,000 at 6% p. a for purchasing the National Plan Certificates

Compute his income from securities, and the relief of tax which will be available to Mr. Mohan on final assessment.

	Gross Interest	Tax deducted at source
	Rs.	Rs.
A Interest on Securities		
i) Debentures	700	161.00
ii) Development Trust Bonds	720	165.60
iii) Municipal Debentures	525	120.75
Gross amount of interest	1,945	447.35
Less Collection charges	50	
Taxable interest on securities	1,895	447.35
B. Income from other sources		
Dividends (Gross)	1,050	241.50
Gross Total Income	2,945	688.85

Notes

1. Interest on National Plan Certificates is not includible in total income.
2. Interest on Post Office Savings Bank a/c is also not included in total income.
3. Dividend income is includible in the last head of income, i e., income from other sources.
4. Brokerage and commission paid in respect of purchase and sale of securities is not deductible.
5. Mr. Mohan will get relief from payment of tax to the extent of Rs. 688.85 being the tax deducted at source.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :—
   अ) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ,
   ब) दिखावटी लेन-देन,
   स) कर-मुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ, तथा
   द) ब्याज वसूल करने के सम्बन्ध में व्यय ।
2. आयकर निर्धारण के उद्देश्य से प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में 'कर मुक्त; तथा 'करयुक्त' का स्पष्टीकरण कीजिये ।
3. एक करदाता को 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' से प्राप्त आय के सम्बन्ध में कौन-कौन सी कटौतियाँ उपलब्ध है ? लिखिये ।
4. 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत कौन-कौन सी ब्याज शामिल की जाती है स्पष्ट कीजिये ।

5. 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली ब्याज में से उद्गम स्थान पर आयकर के काटे जाने सम्बन्धी सभी आयोजनों को समझा कर लिखिए।

Practical Questions

1. Mr. R.S. Gupta had the following investments during the previous year 1974-75 :

a. Rs. 22,000 5% Haryana State Bonds;
b. Rs. 15,000 3% Karnatak State Financial Corporation Bonds
c. Rs. 25,000 9% India Tobacco Debentures
d Rs. 14,000 8% Preferential Shares of Tata Iron and Steel Co; Ltd;
e. Rs. 10,000 5% Government of Assam Bonds.

Mr. Sharma had to pay Rs. 150 to his bankers for collection of interest on the above investments. Calculate taxable income from the head 'interest on securities'.

2. The following were held by Mr. Ramesh Chandra Gupta during the relevant previous year :

Rs. 20,000 5% Preference shares in India Cements Ltd.
Rs. 5,000 7% Madras Port Trust Bonds
Rs. 15,000 6% Bangalore Municipal Corporation Bonds
Rs. 30,000 Fixed Deposits with State Bank of India at $7\frac{1}{4}$%.
Rs. 23,000 7% Tax free debentures in India Tobacco Ltd.

The bank has charged Rs. 225 for collection of interest on the above. He maintains his account with State Bank of India. Calculate his interest on securities.

3. Shri M. N. Roy held the following securities for the financial year 1974-75 :

a. Rs. 25,000 7% debentures in Indian Aluminium, interest dates beeig 15th March and September;
b. Rs.20,000 9% Preference shares in Shri Ram Fibres Ltd. Dividend was declared on 19th December, 1974.
c. Rs. 30,000 $6\frac{1}{4}$% Bangalore Corporation Bonds, interest dates being 30th April and 30th October.
d. Rs 20,000 5% National Plan Savings Certificate.
e. Rs. 10,000 7% Tax free Debentures in Standard Mills Ltd. Interest dates being 25th May and 25th November.

Mr. Roy bought Rs 25,000 8% debentures in Tata Oils Limited on 25th February 1975, the interest dates being 15th June and 15th Dec. Half of the debentures in Indian Aluminium Ltd. were sold by him on 20th January, 1975 at a profit of Rs. 1,000. The bank has charged bank commission at the rate of rupee one for each collection of interest. You are required to calculate Mr. Roy's income under the head 'interest on Securities' for the previous year 1974-75.

———

मकान सम्पत्ति से आय 8

(INCOME FROM HOUSE PROPERTY)

आय के विभिन्न शीर्षकों में 'मकान सम्पत्ति से आय' का तीसरा स्थान है। इस शीर्षक सम्बन्धी सारे प्रावधान व नियमादि आयकर अधिनियम की धारा 22 से 27 तक दिये गये है। धारा 22 के अनुसार 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत **उन मकानों तथा उनके पास लगी हुई भूमि के वार्षिक मूल्य पर आयकर लगाया जाता है जिनका स्वामी करदाता है तथा जिन्हें वह अपने ऐसे व्यापार व पेशे के लिए प्रयोग नहीं करता जिनके लाभों पर उसे आयकर देना पड़ता है।** इस परिभाषा तथा इस शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने से सम्बन्धित कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

A. **मकान व उससे लगी हुई भूमि**—इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल मकानों का किराया ही करयोग्य नहीं है बल्कि मकानों के पास लगी हुई भूमि को भी यदि किराये पर उठा दिया गया है तो इस भूमि से प्राप्त होने वाला किराया भी इस शीर्षक में करयोग्य होगा। परन्तु यदि कोई ऐसी भूमि किराये पर उठाई गई है जो मकान के पास न होकर किसी अन्य स्थान पर स्थित है तो इस भूमि से प्राप्त किराया 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत करयोग्य होता है।

B. **वार्षिक मूल्य**—आयकर के लिए हमें भवन सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य निकालना पड़ता है जो इस शीर्षक का आधार है। वार्षिक मूल्य निकालने की सम्पूर्ण विधि उपर्युक्त धाराओं में समझाई गई है। इसका सम्बन्ध प्राप्त किये गये किराये से न होकर प्राप्य किराये से होता है। अन्य शब्दों में यदि किरायेदार ने किराया नहीं भी दिया है तो भी वार्षिक मूल्य की गणना करेंगे व आयकर दायित्व निकालेंगे।

C. **करदाता का स्वामी होना**—इस शीर्षक के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि करदाता मकान सम्पत्ति का स्वामी हो। पट्टे पर ली गई भूमि पर यदि मकान बनवाया गया है तो मकान का स्वामी इस धारा के लिए स्वामी होगा, किन्तु यदि शिकमी किरायेदार को किराये की आय होती है तो यह आय इस शीर्षक में न आकर 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत करयोग्य होगी।

D. **मकान की काल्पनिक आय**—इस शीर्षक के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि मकान आदि किराये पर उठे हुए हों तथा इससे आय की प्राप्ति होती ही हो। मकान का स्वामी यदि अपने मकान में स्वयं रहता है तो भी इस मकान का वार्षिक मूल्य निकालकर करदाता की कुल आय में जोड़ दिया जायगा। सिद्धान्त यह है कि यदि करदाता का अपना मकान न होता तो उसे अपने निवास स्थान के लिए किराये के रूप में कुछ न कुछ व्यय अवश्य करना पड़ता। यह व्यय अपना मकान होने के कारण बच जाता है तथा अप्रत्यक्ष रूप से यही उसकी आय है।

E. मकान का प्रयोग करदाता के अपने व्यापार व पेशे के लिए न होना—मकान का प्रयोग यदि इसका **स्वामी** करदाता अपने किसी ऐसे व्यापार के लिए करता है जिससे प्राप्त लाभ भी करयोग्य है तो फिर ऐसे मकान की आय इस शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आती क्योंकि मकान में चल रहे व्यापार की आय 'व्यापार व पेशे से लाभ' के अन्तर्गत आ जाती है जो करयोग्य होती है। यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार व पेशे के लाभों की गणना के समय इस मकान के किराये से सम्बन्धित कोई व्यय स्वीकार नहीं किया जायेगा।

F. विदेश स्थित मकान की आय—विदेश स्थित मकान से प्राप्त आय भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है। परन्तु केवल 'भारत में निवासियों' को ही ऐसी सम्पत्ति की आय पर आयकर देना पड़ता है।

G. मकान से आशय गोदाम, पुल, बन्दरगाह आदि सभी से है—किसी भी प्रकार का ऐसा निर्मित भाग जिसमें ईंट या पत्थर आदि का काम किया गया हो, मकान सम्पत्ति के अन्तर्गत आ जाता है। चूँकि मकान सम्पत्ति की आय के लिये आयकर अधिनियम के अन्यर्गत एक विशेष शीर्षक का आयोजन किया गया है अत: किराये से प्राप्त आय कहीं और नहीं जोड़ी जा सकती। एक ऐसी कम्पनी की आय भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है जिसका प्रवर्तन ही केवल बाजारों व अन्य मकान सम्पत्ति को बनाने व उनका विकास करने के लिये हुआ है। (Ramnik Lal Sunder Lal v. C. I. T.)

H. कर्मचारियों को उठाये गये मकानों की आय—एक कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लिये अपनी फैक्टरी के पास ही कुछ मकानों का निर्माण कराया तथा किराये पर उठा दिया। इससे प्राप्त किराया व्यापार के लाभों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया न कि मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत, क्योंकि यह सिद्ध किया गया था कि कर्मचारियों का फैक्टरी के पास ही रहना व्यापार के कुशल संचालन के लिये अत्यावश्यक था। अत: मकानों का किराये पर उठाना व्यापारिक गतिविधियों जैसा ही है। (Jamshedpur E. M. M. Co. Ltd. v. C.I.T.)

I. मकान के स्वामित्व के विषय में विवाद का रहना—कभी मकान के स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद हो तो इससे उस मकान से आय पर आयकर की वसूलयाबी में कोई विघ्न नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति को यह आय प्राप्त हुई है उसी व्यक्ति से आयकर वसूल किया जाता है।

J. मकान का सहस्वामित्व—किसी मकान के यदि दो अथवा दो से अधिक स्वामी हैं तथा उनके हिस्से स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य है तो उनके हिस्सों की आय का निर्धारण पृथक्-पृथक् किया जाता है।

K. शिकमी किरायेदार से प्राप्त किराया—कोई व्यक्ति यदि स्वयं किसी भवन सम्पत्ति को किराये पर लेकर उसे अन्य पक्षों को किराये पर देकर आय प्राप्त करता है तो यह आय इस शीर्षक के अन्तर्गत न आकर 'अन्य' साधनों से आय में आती है।

मकान सम्पत्ति से करमुक्त आय

यह वह आय है जो पूर्ण रूप से करमुक्त है तथा कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाती।

(1) **कृषि भूमि के पास स्थित मकान**—इस मकान में यदि कृषक स्वयं रहता है अथवा यदि कृषि से सम्बन्धित कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है जैसे बीज का गोदाम आदि। [धारा 2 (i) (C)]

(2) **स्थानीय सत्ता** को इस शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त आय। [धारा 10 (20)]

(3) **नगर विकास** के लिये निर्मित सत्ता की आय। [धारा 10 (20A)]

(4) **वैज्ञानिक अनुसंधान संघ** को आय [धारा 10 (21)]

(5) **शिक्षा संस्था, हास्पीटल, खेलों के बोर्ड,** विशेष धन्धों के लिये स्थापित संस्थाओं व रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियनों को इस शीर्षक से प्राप्त आय पर कर नहीं लगता। [देखिये अध्याय 5]

(6) **पुण्यार्थ व धार्मिक उद्देश्यों के लिये स्थापित ट्रस्ट** को भी मकान सम्पत्ति से प्राप्त आय पर आयकर नहीं देना पड़ता। [धारा 11 (I)]

(7) **करदाता द्वारा अपना मकान अपने व्यापार के लिये** प्रयोग करने पर भी हम ऐसे मकान से प्राप्त काल्पनिक आय की गणना नहीं करते।

(8) ऐसे मकान की आय जो उसके स्वामी के पास ही है तथा जिसका प्रयोग करदाता अपनी नौकरी अथवा व्यापार के किसी अन्य स्थान पर चलने के कारण नहीं कर सका है। व वह मकान किसी भी उपयोग में नहीं आ सका है; अर्थात् न तो वह किराये पर उठा है और न उसमें रिहाइश ही हुई है। यह छूट प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि करदाता के स्वामित्व में एक से अधिक मकान न हों।

(9) किसी अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं के विपणन के लिये स्थापित किसी सत्ता को मकान सम्पत्ति से प्राप्त वह आय जो कि गोदामों व भण्डार खानों को किराये पर उठाने से प्राप्त होती है।

आयें जो कुल सकल आय में सम्मिलित होती हैं किन्तु जिनके लिये कटौती मिलती है :—

भवन सम्पत्ति से प्राप्त आय निम्नलिखित सहकारी समितियों के कर-निर्धारण में यद्यपि सम्मिलित होती है, परन्तु उनके सम्बन्ध में धारा 80 P के अन्तर्गत कटौती देने की व्यवस्था है।

1. किसी सहकारी समिति की वस्तुओं का भण्डार करने, उपयोगीकरण (Processing) अथवा विपणन में सहायता देने के लिये किराये पर दिये गये गोदामों व भण्डार खानों से प्राप्त आय।

2. किसी सहकारी समिति को मकान सम्पत्ति से आय बशर्ते कि इसकी गत वर्ष की कुल आय 20,000 रु० से अधिक नहीं है, तथा यह एक मकान बनाने वाली सहकारी समिति (Housing society) अथवा नगर में स्थापित उपभोक्ता सहकारी समिति आदि नहीं है।

माना गया स्वामित्व

निम्नलिखित तीन स्थितियाँ ऐसी हैं जब कि करदाता वास्तव में यद्यपि सम्पत्ति का स्वामी नहीं होता किन्तु आयकर के उद्देश्य से वह इन सम्पत्तियों का स्वामी माना जाता है :—

1. **बिना प्रतिफल के हस्तान्तरण** :—करदाता द्वारा जब बिना उचित प्रतिफल के मकान सम्पत्ति का हस्तान्तरण अपने जीवन साथी, अवस्यक बच्चे (जिसमें विवाहित पुत्री शामिल नहीं है) को कर दिया जाता है तो इस मकान की आय पर करदाता को ही आयकर देना होता है न कि हस्तान्तरण किये जाने वाले अवयस्क बच्चे अथवा पत्नी को।

2. **अविभाज्य सम्पत्ति धारक** :—अविभाज्य सम्पत्ति (Impartible estate) वह है जिसका विभाजन नहीं किया जाता किन्तु जिसकी आय का लाभ परिवार के सभी सदस्यों को होता है। ऐसी सम्पत्ति का धारक यद्यपि पूरी तरह से इस सम्पत्ति का स्वामी नहीं होता परन्तु आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे धारक को इस सम्पत्ति की आय पर व्यक्तिगत रूप से आयकर देना पड़ता है।

3. **सहकारी समिति का सदस्य**—मकान बनाने वाली सहकारी समिति के सदस्य को यदि कोई मकान समिति द्वारा एलाट कर दिया जाता है तो ऐसे मकान की आय पर करदाता द्वारा आयकर दिये जाने की व्यवस्था है जब कि करदाता वास्तव में इस मकान का स्वामी कई वर्षों बाद इससे सम्बन्धित सभी किश्तों के भुगतान किए जाने पर ही बनता है।

वार्षिक मूल्य

इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना करने के लिए मकान सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य केन्द्र बिन्दु है। वार्षिक मूल्य निकालने के बाद इसमें से वे कटौतियाँ घटाई जाती हैं जो स्वीकृत है। वार्षिक मूल्य का निर्धारण धारा 23 के अनुसार होता है।

धारा 23(1) के अनुसार भवन सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य से आशय उस मूल्य से है जिस पर यह सम्पत्ति उचित प्रकार से प्रतिवर्ष उठाई जा सकती हो। इससे प्राप्त आय उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उस सम्पत्ति को किराये पर उठाये जाने की क्षमता। यह सम्भव है कि अधिक किराये की क्षमता वाले मकान को भी कुछ व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होकर कम किराये पर उठा दिया गया हो। दूसरी ओर यह भी सम्भव है कि कम किराये की क्षमता वाले भवन के लिए भवन का स्वामी अधिक किराया वसूल करने में समर्थ हो सके। वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिये हमें निम्नलिखित बातों पर विचार करना पड़ता है :

i. नगरपालिका अथवा नगर निगम द्वारा स्थानीय करों के लिए मकानों के वार्षिक मूल्य का निर्धारण करना।

ii. वास्तविक किराया।

iii. उसी क्षेत्र में इसी प्रकार के अन्य मकानों का किराया।

iv. ऐसा काल्पनिक किराया जिस पर यह मकान आसानी से किसी तीसरे पक्ष को उठाया जा सकता है।

वास्तविक जीवन में आयकर अधिकारी, नगरपालिका मूल्यांकन अथवा प्राप्त किराये में जो भी अधिक हो, वार्षिक मूल्य का आधार बनाता है। केरल हाईकोर्ट का यद्यपि एक बड़ा रोचक निर्णय प्राप्त हुआ है[1] जिसके अनुसार भवन सम्पत्ति का नगरपालिका मूल्यांकन वार्षिक मूल्य का आधार माना गया न कि प्राप्त किराया। चूँकि कोर्ट की दृष्टि से प्राप्त किराया उस भवन सम्पत्ति के सही व उचित किराये से अधिक था व नगरपालिका मूल्य इस किराये का सही द्योतक था। इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए Taxation laws (Amendment) Bill, 1973 में धारा 23 को इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है जिससे कि प्राप्त किराया व नगरपालिका मूल्यांकन में जो भी अधिक हो, वार्षिक मूल्य का आधार बनाया जावे। परीक्षा के दृष्टिकोण से अन्य सूचना के अभाव में छात्रों को नगरपालिका मूल्यांकन अथवा प्राप्त किराये में जो भी अधिक हो, वार्षिक मूल्य का आधार मानना चाहिए।

वार्षिक मूल्य का निर्धारण

1. **किराये पर उठा हुआ मकान**—किराये पर उठे हुए मकान से प्राप्त किराये की तुलना हम नगरपालिका द्वारा किए मूल्यांकन से करते हैं तथा इन दोनों में जो मूल्य भी अधिक होता है वही वार्षिक मूल्य का आधार बनता है। नगरों में बने हुए प्रत्येक मकान पर प्रायः वहाँ की स्थानीय सत्ता कुछ न कुछ कर लगाती है जिसका भुगतान मकान के स्वामी को करना पड़ता है।

मकान मालिक ने इस मकान से सम्बन्धित स्थानीय करों[2] का भुगतान किया है, तो इन्हें घटा देते है। कभी कभी मकान मालिक को मकान में लिफ्ट, चौकीदार

1, C. J. George v. C. I. T. [1973] 92 I. T. R. 137

2. स्थानीय करों में से वे सभी कर भी सम्मिलित किये जाते हैं जो नगरपालिका आदि द्वारा किन्ही सेवाओं के लिए लगाये जाते हैं जैसे अग्निकर, पानीकर, शिक्षाकर, सफाई कर आदि।

माली आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, ऐसी दशा में इन सुविधाओं पर किया गया व्यय किराए में से घटा दिया जाता है।

उदाहरण—(1) मकान का वार्षिक किराया 1,000 रु० है तथा नगरपालिका मूल्यांकन 1,200 रु०। इससे सम्बन्धित स्थानीय करों की राशि 60 रु० है; इस मकान का वार्षिक मूल्य निकालिये।

	रु०
नगरपालिका मूल्यांकन एवं किराया जो भी अधिक हो	1,200
घटाये स्थानीय कर	60
मकान का वार्षिक मूल्य	1,140

ध्यान रखने योग्य बात यह है कि स्थानीय करों की केवल वही राशि घटाई जाती है जिसका भुगतान करदाता द्वारा किया गया है। यही स्थानीय कर यदि किरायेदार द्वारा चुका दिए जाते हैं तो इनके घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) निम्नलिखित स्थितियों में वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए :—

(1) वार्षिक किराया रु० 700; मकान का नगरपालिका मूल्य रु० 680; स्थानीय कर 50 रु०।

(2) वार्षिक किराया रु० 1,500; नगरपालिका मूल्यांकन रु० 2,000; स्थानीय कर रु० 200।

(3) प्राप्त किराया रु० 1,900; नगरपालिका मूल्यांकन रु० 1,800; किराएदार ने अलग से 180 रु० के स्थानीय करों का भुगतान किया है।

(4) प्राप्त किराया 17,000 रु०; $\frac{1}{10}$ घटाने के बाद शुद्ध नगरपालिका मूल्यांकन 18,000 रु०; निम्नलिखित करों का भुगतान मकान के स्वामी द्वारा किया जाता है :—अग्निकर, रु० 200; शिक्षा सम्बन्धी कर रु० 800; सफाई कर रु० 800; साधारण कर रु० 1,000।

---

(1) वार्षिक किराया	700
घटाया—स्थानीय कर	50
वार्षिक मूल्य	650

(2) नगरपालिका मूल्यांकन	2,000
घटाया—स्थानीय कर	200
वार्षिक मूल्य	1,800
(3) प्राप्त किराया	1,900
घटाया—मकान के स्वामी द्वारा दिए गए स्थानीय कर	—
वार्षिक मूल्य	1,900
(4) नगरपालिका मूल्यांकन (शुद्ध)	18,000
जोड़ा—18,000 रु० का $\frac{1}{9}$ जो पहले घटाया गया है	2,000
	20,000
घटाया—सभी स्थानीय कर	2,800
वार्षिक मूल्य	17,200

नये रिहायशी मकानों के लिये कटौती :—बढ़ती हुई आबादी व मकान बनवाने की ऊँची लागत को देखते हुए सरकार द्वारा समय समय पर नये मकानों के लिये बहुत सी छूटें दी जाती हैं। आयकर अधिनियम भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं है। ऐसे मकानों के लिए जो 1-4-1961 के बाद में बनने प्रारम्भ हुए है व 31 मार्च 1970 के बाद में बनकर तैयार हुए हैं तथा जिन्हें रिहायशी उद्देश्यके लिये किराये पर उठा दिया जाता है, निम्नलिखित छूट मिलती है :

अ. 1,200 रु० प्रति रिहायशी इकाई के लिये; अथवा

ब. ऐसी स्थिति में जब कि प्राप्त किराये अथवा नगरपालिका मूल्यांकन में से स्थानीय कर घटाने के बाद बची रकम रु० 1,200 से कम है तो यह कम रकम ही घटाई जायेगी जिससे कि इकाई का वार्षिक मूल्य ऋणात्मक न होकर शून्य रहेगा।

टिप्पणी—'अ' व 'ब' में उल्लिखित भवन सम्पत्ति के प्रत्येक रिहायशी इकाई पर कटौती मिलने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी रिहाइश किराये पर उठी हुई हो तथा रहने के लिये प्रयुक्त हो। ऐसी रिहाइश से हानि नहीं आनी चाहिये। यदि किसी रिहाइश की गणना करने में वार्षिक मूल्य ऋणात्मक संख्या में आता है तो इस हानि को हम किसी अन्य शीर्षक से पूरा नहीं करेंगे।

उदाहरण

(3) श्री अनिल विश्वास अपने दो मकानों, जिनके वे स्वामी हैं, से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते है। आप इन दोनों मकानों के वार्षिक मूल्य की 1975-76 कर-निर्धारण वर्ष के लिए गणना कीजिए :

पहला मकान : इसका निर्माण 23-5-67 को शुरू हुआ व 22-8-1972 को समाप्त हुआ। इसमें तीन रिहायशी इकाई है जिनका नगरपालिका मूल्य क्रमश: 2,300 रु० 1050 रु०, व 600 रु० है। नगरपालिका कर इन मूल्यों का 10% है। इन इकाइयों से प्राप्त किराया क्रमश: 2,500 रु०, 1,000 रु० व 620 है।

दूसरा मकान : इसका बनना 23-5-1969 को शुरू हुआ था तथा इसके पूरे निर्माण का सर्टीफिकेट श्री विश्वास को 1-7-1974 को मिला। इसमें भी तीन रिहाइशी इकाइयाँ है जिनका नगरपालिका मूल्यांकन क्रमश: 3,000 रु०, 2,400 रु०, तथा 800 रु० है इनको 1-10-1974 से किराये पर उठाया गया है। स्थानीय कर इस मकान के लिये भी नगरपालिका मूल्यांकन का 10 प्रतिशत है।

	RESIDENTIAL UNITS			
	A	B	C	Total
First House :				
Rent received or M. Value whichever is higher	2,500	1,050	620	4,170
Less Municipal taxes	230	105	60	395
	2,270	945	560	3,775
Deduction for new construction	1,200	945	560	2,705
Net Annual Value	1,070	—	—	1,070
Second House :				
Municipal value for 9 months	2,250	1,800	600	4,650
Municipal taxes	225	180	60	465
	2,025	1,620	540	4,185
Deduction for new construction (for 9 months)	900	900	540	2,340
Net Annual Value	1,125	720	—	1,845

2. **मकान जिसमें मालिक स्वयं रहता है** (Self-occupied house)–आय-कर अधिनियम की धारा 23 (2) के अनुसार ऐसे मकान (जिसमें मालिक स्वयं रहता है) का वार्षिक मूल्य भी उसी प्रकार निकालते हैं जिस प्रकार कि धारा 23 (1) के अन्तर्गत किराये पर उठाये गए मकान का निकालते हैं। अर्थात् मकान के नगरपालिका

मूल्यांकन (अथवा उचित किराये में जो भी अधिक हो) में से स्थानीय करों को घटा देते हैं, तत्पश्चात् शेष रकम का आधा अथवा 1,800 रु० जो भी कम हो, घटा दिया जाता है तथा जो शेष रह जाता है वही वार्षिक मूल्य होता है। यह कटौती "वैधानिक छूट" के नाम से कही जाती है।

ऐसी स्थिति में जबकि मकान मालिक करदाता दो मकानों में रहता है यह वैधानिक छूट इन दोनों मकानों के लिये मिलती है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जबकि यह करदाता दो से अधिक मकानों का स्वामी हो व सभी का उपयोग अपने निवास स्थान के लिये करता हो। ऐसी स्थिति में 'वैधानिक छूट' केवल दो मकानो के लिये ही मिलेगी इन दोनो मकानों का चयन करदाता द्वारा कर लिया जावेगा। शेष मकानों के वार्षिक मूल्यों का कर निर्धारण इस प्रकार होगा मानो कि वे किराये पर उठाये गये हों।

ऐसे मकान, जिनके लिये मकान मालिक करदाता को "वैधानिक छूट" की सुविधा मिलती है, वार्षिक मूल्य की एक अन्य सीमा से बँधे रहते है। इनका वार्षिक मूल्यकरदाता की अन्य कुल आय के 10% से अधिक नही होना चाहिये। इसके 10% से अधिक होने पर ऐसे आधिक्य को छोड़कर हम केवल 10% को ही वार्षिक मूल्य मानते हैं।

उदाहरण—(4) एक मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 5,000 रुपये है जिस पर स्थानीय कर के 200 रुपये दिये जाते हैं। इसमें मकान मालिक स्वयं रहता है। उसकी अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत कुल आय 10,000 रुपए है। इस मकान का वार्षिक मूल्य इस प्रकार निकाला जायेगा :

नगरपालिका मूल्यांकन	रु० 5,000
घटाओ स्थानीय कर	200
	4,800
घटाओ शेष रकम का आधा (2,400) अथवा 1,800 रुपये (जो भी कम हो)	1,800
	3,000
वार्षिक मूल्य करदाता की कुल अन्य आय का 10% तक सीमित किया (10,000 का 10%)	1,000

इस करदाता के अपने मकान का वार्षिक मूल्य इस प्रकार रु० 1,000 हुआ।

उदाहरण (5)—प्रफुल्ल छाबड़ा एक ऐसे करदाता है जो दो मकानों के स्वामी हैं तथा दोनों में स्वयं ही रहते हैं। इन दोनों मकानों का विवरण इस प्रकार है—

	प्रथम मकान	द्वितीय मकान
नगरपालिका मूल्यांकन	रु० 5,000	रु० 6,000
स्थानीय कर	500	600
निर्माण काल	1959	1970

श्री छावड़ा की अन्य सभी साधनों से आय रु० 50,000 है। इनके मकानों का वार्षिक मूल्य निर्धारण कीजिये।

	प्रथम मकान	द्वितीय मकान
नगरपालिका मूल्यांकन	रु० 5,000	रु० 6,000
घटाया—स्थानीय कर	500	600
	4,500	5,400
वैधानिक छूट	1,800	1,800
	2,700	3,600
दोनों मकानों का मूल्य		6,300

चूँकि उनकी अन्य सभी आय रु० 50,000 है अतः इन दोनों मकानों का वार्षिक मूल्य रु० 50,000 के 10% अर्थात् रु० 5,000 से अधिक नहीं हो सकता।

(6) निम्नलिखित करदाताओं की मकान सम्पत्ति से आय निकालिये यह मानते हुये कि करदाता स्वयं इन मकानों में रहते हैं :

	आलोक	बच्चन
मकान का उचित किराया	रु० 2,000	रु० 20,000
नगरपालिका कर	200	2,000
कुल अन्य आय	10,000	1,00,000

	आलोक	बच्चन
उचित किराया मूल्यांकन	2,000	20,000
घटाया—नगरपालिका कर	200	2,000
	1,800	18,000
घटाया स्वयं निवास सम्बन्धी कटौती	900	1,800
वार्षिक मूल्य	900	16,200

*बच्चन के मकान का वार्षिक मूल्य उसकी कुछ अन्य के 10% तक सीमित किया अर्थात् 1,00,000 का 10%=10,000 रु०।

3 **मकान जिसके कुछ भाग में मालिक स्वयं रहता है तथा कुछ भाग किराये पर उठा हुआ है**—ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम उस भाग का वार्षिक मूल्य ऊपर दिये गये नियमों के अनुसार निकालना चाहिए जो किराये पर उठा हुआ है, अर्थात् प्राप्त किराये अथवा नगरपालिका मूल्यांकन में से जो भी अधिक हो उसमें से नियमानुसार स्थानीय करों को घटाकर वार्षिक मूल्य निकाल लिया जाता है। इसी वार्षिक मूल्य को आधार बनाकर मालिक के अपने हिस्से का मूल्य निकाला जाता है। तत्पश्चात् इसमें से वैधानिक कटौती देने की व्यवस्था है। यह शेष रकम ही मालिक के अपने हिस्से का वार्षिक मूल्य है। परन्तु वार्षिक मूल्य उसकी कुल अन्य आय के 10% तक ही सीमित रखा जाने का नियम है।

उदाहरण

(7) एक मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 3,000 है। इसका 2/3 भाग 2,400 रु० वार्षिक पर उठा हुआ है तथा 1/3 भाग में मकान मालिक स्वय रहते हैं। स्थानीय कर 300 रु० हैं। वार्षिक मूल्य निकालिए।

	Rs.
Rental value of the let out portion	2,400
Less Proportionate local taxes	200
Annual value of the let out portion	2,200
Rental value of the self-occupied portion	1,200
Less Proportionate municipal taxes	100
	1,100
Less Allowance for self-occupation	550
Annual value of the self-occupied portion	550

4. **उस मकान का खाली रहना जिसमें मालिक स्वयं रहता है**---जब मकान मालिक के पास केवल एक ही रिहायशी मकान हो तथा वह अपने व्यापार अथवा नौकरी के किसी अन्य स्थान पर होने के कारण इस मकान का उपयोग न कर पाया हो तो मकान के पूरे वर्ष खाली रहने की स्थिति में इस मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होगा। परन्तु यदि मालिक इस मकान में वर्ष में कुछ महीने ही रहा है तो ऊपर निकाली गई रकम का इन महीनों का आनुपातिक मूल्य निकाल लेंगे तथा यही आनुपातिक मूल्य इस मकान का वार्षिक मूल्य होगा।

स्वीकृत कटौतियाँ

जैसा कि पहले बताया जा चुका है प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय कुछ व्यय ऐसे होते है जो करदाता द्वारा आयोपार्जन के लिये ही किये जाते हैं। ऐसे ही कुछ व्यय इस शीर्षक में भी हैं। इन्हें ऊपर निकाले गये वार्षिक मूल्य में से घटाकर मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय निकाली जाती है। धारा 24 के अनुसार इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौती स्वीकृत हैं :—

1. **मरम्मत व्यय** (Repairs)—जब मकान मालिक अपने मकान का प्रयोग स्वयं करता है अथवा जब वह किराये पर उठाया गया है व मकान के मरम्मत सम्बन्धी

व्यय मकान मालिक को ही करने पड़ते हैं तो ऐसे मकानों के वार्षिक मूल्य का 1/6 मरम्मत के लिये घटा दिया जाता है। मरम्मत पर किये गये वास्तविक व्ययों का इस कटौती से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भी, जबकि मरम्मत पर बिल्कुल व्यय नहीं हुआ है, मरम्मत सम्बन्धी कटौती की सुविधा प्राप्त होगी।

किन्तु जब मकान किराए पर उठा हुआ हो तथा मरम्मत सम्बन्धी सभी व्ययों के वहन करने का दायित्व किराएदार ने अपने उपर लिया हुआ होता है तो निम्नलिखित राशियों में से जो भी कम हो उसे मरम्मत के लिये घटा दिया जाता है :

i. वार्षिक मूल्य का वास्तविक किराये पर आधिक्य; अथवा
ii. वार्षिक मूल्य का 1/6

उदाहरण

(8) किराये पर उठाई गई निम्नलिखित मकान सम्पत्तियों की करयोग्य आय निकालिये; इन सभी स्थितियों मे मरम्मत व्यय करने का दायित्व किरायेदारों के ऊपर है।

(धनराशि रुपयों में)

	A	B	C
नगरपालिका मूल्यांकन	2,100	3,000	4,000
प्राप्त किराया	1,900	2,200	3,100
नगरपालिका कर	210	300	400

Municipal Value or rent received	2,100	3,000	4,000
Less Municipal taxes	210	300	400
Annual Value	1,890	2,700	3,600
Less Repairs	—	450	100
Taxable Income from house property	1,890	2,250	3,500

a. **Property A:**—Annual value is less than the rent received, so nothing is deducted.
b. **Property B:**—1/6th of annual value (Rs. 450) is less than the excess of annual value over the rent received (Rs. 500) so 1/6th is deducted.
c. **Property C:**—1/6th is more than the excess of annual value over the rent received. So the difference (lesser of the two) deducted.

2. **बीमा प्रीमियम** (Insurance premium) : मकान को नष्ट होने आदि से बचाने के लिए किया गया बीमा प्रीमियम स्वीकृत कटौती होता है। उदाहरण के लिये आग, भूकम्प व बिजली गिरने आदि से होने वाली सम्भावित हानि की पूर्ति के लिये कराया गया बीमा। प्रीमियम की वही राशि स्वीकृत होगी जिसका भुगतान कर दिया गया है।

3. **वार्षिक प्रभार** (Annual Charge)—मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित यदि कोई प्रभार है तो उसे घटाने की व्यवस्था की गई है किन्तु यह प्रभार पूँजीगत प्रभार नहीं होना चाहिये और न करदाता द्वारा स्वेच्छा से स्वयं उत्पन्न किया गया हो और न स्वेच्छा से स्वीकार ही किया गया हो। धारा 27 में वार्षिक प्रभार को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार वार्षिक प्रभार वह है जो किसी वार्षिक दायित्व को

सुरक्षित करने के लिये होता है किन्तु इसमें स्थानीय सत्ता, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पत्ति पर लगाए गए कर सम्मिलित नहीं किए जाते। ऐसे प्रभार का उदय प्रतिवर्ष होता है। उदाहरण के लिये एक हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के समय एक विधवा के जीवन यापन के लिये 3,000 रु० के वार्षिक भुगतान की व्यवस्था की जाती है जिसे न्यायालय द्वारा अनुमोदित करा लिया जाता है। यह वार्षिक भुगतान एक मकान द्वारा सुरक्षित करा दिया जाता है अर्थात् इस भुगतान के अभाव में विधवा को अधिकार होगा कि वह उक्त मकान के किराये से अपनी रकम वसूल करले। यह वार्षिक प्रभार पूर्णरूप से स्वीकृत कटौती होता है।

4. **भूमि का किराया** (Ground rent)—कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जबकि मकान बनाने के लिये हम भूमि को किराये पर ले लेते है। ऐसे किराये को वार्षिक मूल्य मे घटा दिया जाता है।

5. **मकान के बनवाने आदि के सम्बन्ध में लिये गए ऋण पर ब्याज**—ऐसे ऋण पर दिया गया ब्याज जिसका उपयोग मकान को बनवाने, मरम्मत कराने, नवीनीकरण अथवा खरीदने में हुआ है।

6. **भूमि का लगान** (Land revenue)—मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित भूमि के लिये दिया गया लगान अथवा राज्य सरकार द्वारा लगाया गया भूमि व भवन कर।

7. **वसूली व्यय** (Collection charges)—किराया वसूल करने से सम्बन्धित व्यय जो सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के 6% तक ही सीमित रहते है। कभी यदि किरायेदार से किराया सम्बन्धी कोई मुकद्दमा हो तो उस मुकद्दमे पर हुए व्यय भी इसी 6% के अन्दर ही स्वीकृत होते है।

मुकद्दमे सम्बन्धी वही व्यय स्वीकृत होते हैं जो मान्यता प्राप्त हैं तथा जिन्हें अदालत द्वारा स्वीकृत माना जाता है। इस सम्बन्ध में यदि विपक्ष से कुछ खर्चों की वसूली होती है तो किये गये खर्चों में से वसूल किये गये खर्चे घटा देते है। कोई मकान यदि वर्ष के कुछ महीने में खाली रहता है जिसके लिये 'मकान के खाली रहने की छूट' मिलती है तो वसूली व्यय केवल उस वार्षिक मूल्य तक ही सीमित रहते है जो वार्षिक मूल्य में से खाली रहने की छूट घटाने के बाद आती है।

उदाहरण के लिये यदि किसी मकान का वार्षिक मूल्य 12,000 रुपये है तथा यह वर्ष में तीन महीने खाली रहता है जिसके लिये खाली रहने की छूट 3,000 रु० मिलती है। ऐसी स्थिति में वसूली व्यय 9,000 रु० (12,000—3,000) के 6 प्रतिशत अर्थात् 540 रु० से अधिक नहीं होने चाहिये।

8. **मकान के खाली रहने की छूट** (Vacancy allowance)—यह छूट उस मकान से सम्बन्धित है जो किराये पर उठा हुआ है तथा जो कुछ दिनों से खाली रहता है। मकान के वार्षिक मूल्य में से खाली रहने वाली अवधि का आनुपातिक मूल्य घटा दिया जाता है जिसे खाली रहने की छूट कहते है। उदाहरणार्थ यदि मकान का वार्षिक मूल्य 20,000 रुपए है तथा यदि मकान 3 महीने खाली रहता है तो 20,000 रुपये का 3/12 अर्थात् 5,000 रुपये मकान के वार्षिक मूल्य (20,000 रु०) में से घटा दिये जावेगे।

कोई मकान यदि पूरे साल तक खाली रहता है तो ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य शून्य होगा व खाली रहने की छूट मिलने का प्रश्न नहीं उठता।

ऐसा मकान जिसमें मकान मालिक स्वयं रहता है तथा वह कुछ दिनों खाली रहता है तो वार्षिक मूल्य में खाली रहने के समयानुसार आनुपातिक कमी कर दी जाती है। यदि यह मकान पूरे साल खाली रहता है तो इसका वार्षिक मल्य शून्य रहता है।

9. **बिना वसूल किया हुआ किराया** (Unrealised rent)—मकान मालिक अपने किसी किरायेदार से जब किसी मकान का किराया वसूल करने में असमर्थ रहता है तो किराए की वसूल न की गई रकम उस मकान के वार्षिक मूल्य में से घटा दी जाती है। इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने निम्नलिखित नियम बनाए है जिनका पालन किया जाना आवश्यक है :—

a. किराएदारी वास्तविक (Bonafide) है।
b. किराएदार ने मकान खाली कर दिया है अथवा उससे मकान खाली कराने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।
c. उस किराएदार के पास इस मकान मालिक की किसी अन्य सम्पत्ति पर अधिकार व कब्जा नहीं है।
d. करदाता ने किराया वसूल करने सम्बन्धी सभी वैधानिक कार्यवाही पूरी कर ली है तथा इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को पूर्ण सन्तोष है।
e. उस सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य जिसका किराया प्राप्त नहीं हो सका है, करदाता की पिछले किसी गतवर्ष की आय में शामिल किया जाना आवश्यक है।

टिप्पणी—बिना वसूल हुआ किराया घटाते हुए यह देख लेना चाहिये कि घटाई जाने वाली रकम 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आई आय से अधिक न हो अर्थात् जब यह कटौती घटाई जाती है तो इस शीर्षक के अन्तर्गत हानि नहीं आनी चाहिए।

जब किसी मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित स्वीकृत कटौतियों का योग इसके वार्षिक मूल्य से अधिक होता है तो ऐसी सम्पत्ति से हानि आती है। यह हानि सर्वप्रथम अन्य मकानों से आई आय से पूरी की जाती है तत्पश्चात् यदि सभी मकानों की आय मिलाकर शुद्ध हानि आती है तो इस शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षक के अन्तर्गत आए लाभों से पूरा कर देते हैं।

रकमें जो घटाई नहीं जातीं [धारा 25]

मकान व सम्पत्ति के सम्बन्ध में जब किसी ऋण पर ब्याज अथवा ऐसा वार्षिक प्रभार आदि दिया गया है जो विदेश में देय है तथा जिसमें से उद्गम स्थान पर निर्धारित दरों से आयकर नहीं काटा गया है व भुगतान प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्तियों का कोई प्रतिनिधि भी भारत में नहीं है तो ऐसी स्थिति में ब्याज आदि की रकमें कटौती के लिए स्वीकृत नहीं हैं।

प्रस्तावित संशोधन

करारोपण कानून (संशोधन) विधेयक, 1973 के द्वारा धारा 23 व 26 में निम्नलिखित संशोधनों का प्रस्ताव है :

1. भवन सम्पत्ति जब किराये पर उठी होती है व जब इससे प्राप्त किराया धारा 23 (1) के अन्तर्गत निश्चित किये गये वार्षिक मूल्य से अधिक होता है तो वार्षिक मूल्य का निर्धारण प्राप्त किराये के आधार पर किया जाता है। वैसे आज भी वार्षिक मूल्य का कर निर्धारण करते समय आयकर अधिकारी द्वारा किराये को विचार में लाया जाता है किन्तु इस संशोधन के बाद में ऐसा किया जाना अनिवार्य होगा।

2. धारा 23 (2) के अन्तर्गत उस मकान सम्पत्ति के लिये कुछ कटौती का आयोजन है जिसमें मकान मालिक स्वयं रहता है। आजकल ऐसी कटौती दो मकानों तक के लिये मिलती है। संशोधन के बाद ऐसी कटौती केवल एक मकान के लिये ही मिल सकेगी।

धारा 26 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है जो मकान सम्पत्ति के सह-स्वामित्व से सम्बन्धित है। ऐसी सम्पत्ति जो दो सहस्वामियों द्वारा अपने-अपने निवास स्थान के लिये प्रयोग की जा रही है, उसके वार्षिक मूल्य के निर्धारण के लिए धारा 23 (2) के अन्तर्गत मिलने वाली वैधानिक कटौती इन दोनों ही सह-स्वामियों को मिलेगी।

उदाहरण

(9) गोपाल 800 रु० मासिक वेतन पर लगा हुआ है। वह एक मकान का स्वामी भी है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन 1,800 रु० वार्षिक है। इसके 1/3 भाग को उसने 130 रु० मासिक पर उठा दिया है व शेष 2/3 भाग उसके परिवार के पास है। उसने मकान को बन्धक रखकर 5,000 रु० का ऋण 6 प्रतिशत ब्याज पर लिया है जिसका उपयोग उसने अपने पुत्र को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कराने पर किया है मकान के लिये 180 रु० वार्षिक स्थानीय कर देने पड़ते हैं। गोपाल को अन्य साधनों से गतवर्ष में 1,400 रु० की आय प्राप्त होती है उसकी कुल सकल आय की गणना कीजिये।

			Rs.
(a) Salary @ Rs. 800 p.m.	9,600		
Less incidental expenditure @ 20%	1,920		7,680
(b) i. Rent from let out portion @ Rs. 130	1,560		
Less Municipal taxes	60		
	1,500		
Less repair allowance	250	1,250	
ii. Value of the self-occupied portion	3,120		
Less Municipal taxes	120		
	3,000		
Less allowance for self occupation	1,500		
Annual value being resticted to	1,500		
10% of total other income (7,680+1,250+1,400)	1,033		
Less repair allowance	172	861	2,111
(c) Income from other sources			1,400
Gross Total Income			11,191

Notes : (1) Local taxes have been deducted proportionately from the let out and the self-occupied portions.

(2) Interest on loan is not allowed because the amounts has been spent for purposes other than the house in question.

(10) श्री कृपाशकर शर्मा जयपुर में तीन मकानों के स्वामी है जिनके सम्बन्ध में 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिये उन्होंने निम्न आँकड़े प्रस्तुत किए है :—

	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
मकान निर्माण प्रारम्भ हुआ	1 मार्च 1971	1 सितम्बर 1968	1 अगस्त 1967
निर्माण कार्य समाप्त होने की तिथि	31 दिसम्बर 72	31 जनवरी 71	30 सितम्बर 68
प्रयाप्त किराया (मासिक)	150 रु०	100 रु०	स्वयं रहने के लिए
नगरपालिका मूल्यांकन (वार्षिक)	2,000 रु०	1,000 रु०	10,000 रु०
स्थानीय कर	10%	10%	10%
किरायेदार द्वारा दिया गया कर	180 रु०	80 रु०	—
मरम्मत व्यय	मकान मालिक द्वारा	किराएदार द्वारा	मकान मालिक द्वारा
मकान खाली रहा	3 महीने	2 महीने	3 महीने
किराया वसूली व्यय	40 रु०	35 रु०	—
अग्नि बीमा प्रीमियम	15 रु०	20 रु०	10 रु०
वार्षिक प्रभार	—	—	500 रु०
मकान निर्माण के लिये लिये गए ऋण पर ब्याज	100 रु०	520 रु०	300 रु०
मकान का प्रयोग	रिहाइशी	व्यापार	रिहाइशी

श्री शर्मा अपने व्यापार के सिलसिले में बम्बई चले गए तथा 3 महीने वहाँ रहे जब कि उनका जयपुर वाला मकान खाली रहा। गतवर्ष में इनकी अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आय 1,00,000 रु० है। इनकी कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए कुल सकल आय की गणना कीजिए।

पहला मकान

		रु०
नगरपालिका मूल्यांकन अथवा प्राप्त किराया (जो भी अधिक हो)		2,000
घटाए—स्थानीय कर	200	
किराएदार द्वारा दिया गया कर	180	20
		1,980
नए निर्मित मकान के लिए कटौती		1,200
वार्षिक मूल्य		780

घटाए स्वीकृत व्यय :		
मरम्मत के लिये 1/6	130	
खाली रहने की छूट (3 महीने)	195	
किराया वसूली व्यय	40	
बीमा प्रीमियम	15	
ऋण पर ब्याज	100	480
पहले मकान से करयोग्य आय		300

दूसरा मकान

नगरपालिका मूल्यांकन अथवा प्राप्त किराया (जो भी अधिक हो)		1,200
घटाए—स्थानीय कर	100	
किराएदार द्वारा दिया गया कर	80	20
वार्षिक मूल्य		1,180
घटाये स्वीकृत व्यय :		
मरम्मत व्यय	कुछ नहीं	
खाली रहने की छूट (2 माह)	197	
किराया वसूली व्यय	35	
बीमा प्रीमियम	20	
ऋण पर ब्याज	520	772
दूसरे मकान से आय		408

टिप्पणी—इस मकान के सम्बन्ध में मरम्मत के लिये कटौती स्वीकार नहीं की जावेगी क्यों कि मरम्मत व्यय किराएदार द्वारा वहन किए जाते है तथा इस पर भी उसके द्वारा दिया गया किराया नगरपालिका मूल्यांकन से अधिक है। यदि उसके द्वारा दिया गया किराया नगरपालिका मूल्यांकन से कम होता तो वार्षिक मूल्य के नगरपालिका मूल्य पर के आधिक्य के बराबर मरम्मत के लिए कटौती मिलती।

इस मकान पर 1,200 रु० की कटौती नहीं मिलेगी क्यों कि इसका उपयोग रिहाइश के लिए न होकर व्यापार के लिए हो रहा है।

तीसरा मकान

नगरपालिका मूल्यांकन	10,000
घटाए—स्थानीय कर	1,000
	9,000
अपने मकान में स्वयं रहने के लिए वैधानिक कटौती	1,800
वार्षिक मूल्य	7,200
घटाया—1/4 क्यों कि करदाता इसे तीन महीने तक प्रयोग नहीं कर सका था	1,800

घटाया स्वीकृत व्यय :

मरम्मत 1/6	900	
बीमा प्रीमियम	10	
वार्षिक प्रभार	500	
ऋण पर ब्याज	300	1,710
तीसरे मकान से आय		3,690

मकान सम्पत्ति से कुल आय	रु०	रु०
प्रथम मकान से आय	300	
दूसरे मकान से आय	408	
तीसरे मकान से आय	3,690	
		4,398
अन्य शीर्षकों से आय		1,00,000
कुल सकल आय		1,04,398

(11) श्री आर० पी० सेठ 8,000 रु० वार्षिक किराये वाली मकान सम्पत्ति के स्वामी हैं। इसे इन्होंने 7,000 रु० वार्षिक पर किराये पर उठा दिया है तथा मरम्मत व्यय का दायित्व किरायेदार ने अपने ऊपर लिया है। इस मकान के लिए अन्य स्वीकृत कटौती (मरम्मत व्ययों को छोड़ते हुए) 2,500 रु० है। आप सम्पत्ति से करयोग्य आय की गणना कीजिए। क्या इससे कोई अन्तर पड़ता, यदि यह मकान 7,000 रु० वार्षिक के स्थान पर 6,000 रु० वार्षिक पर उठा दिया जाता ?

	Rs.	Rs.
Annual value		8,000
Less Repairs (8,000–7,000)	1,000	
Other permissible expenses	2,500	3,500
Taxable income from house property		4,500

Yes, if the house had been let out at Rs. 6,000 the repair allowance would be 1/6th of Rs. 8,000 (annual value) i.e., Rs. 1,333 and his taxable income from property would come to Rs. 4,167.

Note : When the tenant undertakes to bear the cost of repairs, the repair allowance is restrieted to the difference between the annual value and the rent received or 1/6th of the annual value, whichever is less.

(12) डा० सिनहा राँची में स्थित निम्नलिखित मकान सम्पत्तियों के स्वामी हैं जिन्हें वे अपने ही इस्तैमाल में लाते हैं। आप उनकी मकान सम्पत्ति से आय की गणना कीजिए :

पहला मकान : डाल्टनगंज में स्थित है। इसका मूल्यांकन 2,500 रु० है। इसमें ये स्वयं अपने परिवार के साथ रहते हैं।

दूसरा मकान : इसका नगरपालिका मूल्यांकन 8,000 है, इसमें इनके तीन पुत्र रहते हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं।

तीसरा मकान : बाजार क्षेत्र में स्थित है। जिसमें इनके चाचा रहते है। इसका नगरपालिका मूल्यांकन 5,000 रु० है।

चौथा मकान : 4,000 रु० वार्षिक मूल्य का है। यह यद्यपि डा० सिनहा के कब्जे में है किन्तु उपयोग में नहीं आया है।

स्थानीय कर सभी मकानों के लिए वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत है। इनसे सम्बन्धित व्यय निम्नलिखित हैं :

पहला मकान : इसके बनवाने के लिये डा० सिनहा ने अपने पेरिस स्थित एक मित्र से 60,000 रु० का ऋण 10% ब्याज पर लिया था। सम्बन्धित गतवर्ष में ब्याज का भुगतान किया गया है किन्तु आयकर को उद्गम के स्थान पर नहीं काटा गया है।

दूसरा मकान : इसके बनवाने के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण लिया गया है। इसके सम्बन्ध में 5,000 रु० मूलधन का एवं 1,000 रु० ब्याज का भुगतान किया गया है।

तीसरा मकान : इस मकान के लिए भूमि पर लगान व अग्नि बीमा प्रीमियम के क्रमश: 500 रु० व 200 रु० दिये जाते हैं।

चौथा मकान : मरम्मत व्यय 7,000 रु०

Dr. Sinha can claim the benefit of self-occupied house property in respect of two houses according to his choice. He will certainly select the second and the fourth keeping in view the implications.

First house : Municipal value		2,500		
Less local taxes		250		
Annual value		2,250		
Less Repair allowance		375		1,875
Third house : Municipal value		5,000		
Less local taxes		500		
Annual value		4,500		
Less repair allowance	750			
Land revenue	500			
Fire Insurance	200	1,450		3,050
Second house : Municipal value		8,000		
Less local taxes		800		
		7,200		
Less Deduction for self occupation		1,800	5,400	
Fourth house : Muncipalvalue		4,000		
Less local taxes		400		
		3,600		
Less Deduction for self occupation		1,800	1,800	
			7,200	

Annual value being restricted to 10% of total other incomes (1,875+3,050+40,000)		4,493	
Less Repair allowance	749		
Interest on loan	1,000	1,749	2,744
Income from house property			7,669
Income from other sources			40,000
Gross Total Income			47,669

Notes : (1) Interest on loan paid to a friend in Paris is not allowed because income tax had not been deducted at sources.

(2) Repair allowance is restricted to one-sixth of annual value irrespective of the actual expenses incurred.

(13) श्री एन. एम मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदस्य हैं तथा मकान निर्माण योजना के अन्तर्गत इस से पट्टे पर एक मकान लिया हुआ है। निगम द्वारा इस मकान का उचित किराया मूल्य 7,000 रु० निर्धारित किया गया है जबकि स्थानीय कर 750 रु० है। खर्चों में अग्नि बीमा प्रीमियम के 200 रु०; भूमि के किराये के 500 रु० व सोसाइटी को दिया जाने वाला 500 रु० का ब्याज शामिल है। श्री मिश्रा की कुल अन्य आय 42,000 रु० है। इनकी मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय निकालिए।

	Rs.	
Fair rental value	7,000	
Deduct local taxes	750	
	6,250	
Deduct Statutory Allowance	1,800	
	4,450	
Annual value being restricted to 10% of total other income (42,000)		4,200
Admissible allowances :—		
Repairs 1/6th of A. V.	700	
Fire Insurance Premium	200	
Ground rent	500	
Interest due to society	800	2,200
Taxable income from house property		2,000

(14) अनिल मोहन ने एक मकान दिसम्बर 1971 में बनवा कर तैयार किया जिसमें 4 रिहायशी इकाइयाँ हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई 1 जनवरी 1972 से 220 रु० मासिक की दर से किराये पर उठा दी गई है। प्रति इकाई के लिए स्थानीय कर 250 रु० वार्षिक है। आय कर-निर्धारण वर्ष 1972-73, 1973-74, 1974-75, व 1975-76 के लिए वार्षिक मूल्य की गणना कीजिए।

Assessment year 1972-73	Rs.
Rental value of all the four units @ Rs. 2,640	10,560
Less Municipal taxes	1,000
	9,560
Deduction @ Rs. 1,200 per unit	4,800
Annual Value	4,760
Reduced proportionately for 3 months	1,190

Assessment years 1973-74 and 1974-75

Rental value of all the four units	10,560
Less full amount of municipal taxes	1,000
	9,500
Deduction @ Rs. 1,200 per unit	4,800
Annual value	4,760

Assessment years 1975-76

For 9 months	
Rental value	10,560
Less Municipal taxes	1,000
	9,560
Deduction @ Rs. 1,200 per unit	4,800
	4,760
Proportionately for 9 months	3,570.
For 3 months	
Rental value	10,560
Less Municipal taxes	1,000
	9,560
Proportionately for 3 months	2,390
Annual value for the whole year	= 3,570+2,390
	= 5,960

(15) अरुण एक व्यक्ति है जिनका लाभ हानि खाता 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 38,782 रु० का शुद्ध लाभ दिखाता है। इन्हें केवल मकान सम्पत्ति से ही आय प्राप्त होती है, इनका कुल सकल लाभ 99,876 रु० का था जिसमें से निम्न-लिखित व्यय घटाये गये हैं :

		रु०
(i)	मकान के 9,00,000 रु० के अपलिखित मूल्य पर ह्रास	18,450
(ii)	लिफ्ट की देखभाल व लिफ्टमैन का वेतन	3,876
(iii)	लिफ्ट के 5,000 रु० के अपलिखित मूल्य पर 7% ह्रास	350
(iv)	नगरपालिका कर	6,000
(v)	खाली रहने की छूट	8,000
(vi)	मरम्मत व्यय	16,646
(vii)	दरवान का वेतन	720
(viii)	माली का वेतन	720
(ix)	बैंक चार्ज	332
(x)	कानूनी व्यय	6,000

कर निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय निकालिए।

Since a specific head is provided for 'Income from house property' the income therefrom is to be taxed under this head only. No matter that the assessee's business is only construction of houses and letting them out. Therefore, only those deductions will be allowed here as are permissible under this head and not those which are allowed under the head Profits and Gains from business and profession.

Gross rent received		99,876
Less value of amenities provided by the landlord:		
a. Maintenance of lift and liftman's pay	3,876	
b. Pay of durban	720	
c. Pay of gardener	720	
d. Municipal taxes	6,000	11,316
Annual value		88,560
Deductions		
Repairs 1/6th of A. V.	14,760	
Vacancy	8,000	
Collection charges 6% of annual value	5,314	28,074
Taxable income from house property		60,486

Notes-Expenses incurred on providing some amenities to the tenants are deductibe from the rent received. Collection charges are restricted to 6% of the annual value. Vacancy is allowed on the assumption that the amount has been corrcetly computed in the question.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. मकान सम्पत्ति से प्राप्त आय के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए ।
2. 'सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य' की परिभाषा कीजिए तथा सम्पत्ति से करयोग्य आय की गणना करने के लिए वार्षिक मूल्य में से दी जाने वाली कटौतियों का वर्णन कीजिए ।
3. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :—

   अ. स्थानीय कर ; ब. वैधानिक कटौती;

   स. मरम्मत भत्ता ; द. किराया वसूल करने के व्यय ।
4. निम्नलिखित के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिये :—

   अ. मकान के खाली रहने की छूट; ब. वार्षिक प्रभार;

   स. पूँजीगत भार; द. न वसूल हुए किराये की रकम ।
5. मकान-सम्पत्ति की उन आयों का स्पष्ट वर्णन कीजिए जो आयकर से मुक्त हैं ।

Practical Questions

1. Shri Hemanshu Kumar is the owner of two houses in Bangalore. One was constructed in the year 1968-69 and the completion certificate received on 15th November, 1969. The other was constructed after the first house and the certificate received in April, 1972. "The first house is let out for Rs. 3,000 per annum whereas the second house

is let out to tenants at Rs. 5,000 per annum. Municipal taxes amount to 10 per cent of the rent received. Mr. Kumar lives in a rented house at Rs. 150 per month. His salary amounts to Rs. 20,000 per year with dearness allowance of Rs. 200 p.m. Calculate his income under the two heads.

2. Shri Girish Chandra Gupta is employed in an office at Rs. 600 per month with D. A. Rs. 100 and house rent allowance of Rs.150 per month. He owns a house whose municipal value is Rs. 5,000 with local taxes of Rs. 250. He lives in this house. He had borrowed a loan of Rs. 50,000 at 12 per cent p. a. to construct the house. Mr. Girish Chandra maintains a scooter for going and coming from the office. Compute his income under the two heads.

3. Mr. Arvind Mohan Chopra is employed with a company whose shares equivalent to 20 per cent of the voting power are held by him. The company pays him a salary of Rs. 50,000 per annum with a free car for use in the office as well as at home. He holds Rs. 20,000 7 per cent debentures in Rohtas Industries. He is also the owner of two houses. One with municipal valuation of Rs. 10,000 is in his occupation while the other is let out at Rs. 500 per month. Expenses relating to the two houses are as follows :

	First	Second
Repairs	2,500	1,000
Municipal taxes	10%	15%
Fire insurance	500	100
Theft insurance	1,000	—
Ground rent	500	150
Collection charges	—	300

Compute the income of Mr. Chopra under the three heads of income.

———

व्यापार अथवा पेशे के लाभ 9
(PROFITS AND GAINS OF BUSINESS OR PROFESSION)

आय के इस शीर्षक के अन्तर्गत करदाता व्यापार अथवा पेशे से हुए लाभो पर आयकर देता है। आय के शीर्षकों में इस शीर्षक का काफी महत्व है, क्योंकि इसी शीर्षक के अन्तर्गत आयकर की सबसे अधिक वसूली होती है। आयकर अधिनियम की धारा 28 से 43 तक में वे सभी नियम दिये हुए हैं जिनके अनुसार इस शीर्षक के अन्तर्गत लाभों की गणना की जाती है।

व्यापार (Trade and Commerce)

धारा 2 (13) में 'व्यापार' शब्द को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार इसमें "कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण अथवा अन्य कोई साहस जो व्यापार, वाणिज्य अथवा विनिर्माण की प्रकृति का हो" शामिल होते है। व्यापार की व्यवहारिक परिभाषा बहुत विस्तृत है, तथा इसमें लाभ के उद्देश्य से किये गये सभी लेन देन आते हैं। इसके अन्तर्गत सभी उद्योग धन्धे, बैंकिंग व यातायात आदि आ जाते है। ऐसी क्रियायें जो खेलकूद अथवा सुख के लिए की जाती हैं, व्यापार नहीं कहलाती। वे सभी प्रयास जो व्यक्ति द्वारा अपने लाभ के लिए ध्यान व परिश्रम से किये जाते हैं व्यापार अथवा पेशे के अन्तर्गत आते हैं। इन क्रियाओं को स्थायी रूप से किया जाता है व इनमें एक शृंखला होती है।

व्यवसाय और पेशा (Profession)

साधारण भाषा में व्यवसाय से तात्पर्य किन्ही ऐसे प्रयत्नों से है जिनमें मस्तिप्क सम्बन्धी योग्यता की प्रमुखता रहती है। किसी कार्य में शारीरिक प्रयत्न व शक्ति भी यदि अपेक्षित रहते हैं तो भी यह मस्तिष्क द्वारा ही नियन्त्रित होते है। वकालत एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें केवल मस्तिष्क सम्बन्धी योग्यता ही पर्याप्त है। पेंटिंग, शिल्प-कला आदि में यद्यपि शारीरिक प्रयत्नों का बहुत महत्व होता है किन्तु फिर भी ऐसे प्रयत्न मानसिक योग्यता व दक्षता से प्रभावित रहते हैं।

वृत्ति (Vocation)

साधारणतः वृत्ति से हमारा आशय किसी व्यक्ति के व्यवसाय व पेशे से होता है जिसमें वह नियमित रूप से लगा रहता है। ऐसे क्रिया कलाप जिसमें कोई व्यक्ति अपने समय का अधिकांश भाग लगाता है व जिसे वह अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाता है वृत्ति के अन्तर्गत आते हैं। यह किसी व्यक्ति के ऐसे क्रिया कलापों का क्षेत्र है जिसके लिए उसके पास विशेष योग्यता है जैसे लेखन कला। किसी भी क्रिया के वृत्ति कहलाने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उससे जीविकोपार्जन अवश्य ही होता हो किन्तु ऐसी क्रिया से प्राप्त सभी आय करयोग्य होती है व इसे 'व्यापार' शीर्षक के अन्तर्गत शामिल किया जाता है। इसमें प्रमुख दलाली, बीमा, एजेन्सी आदि हैं।

इन तीनों शब्दों की परिभाषा यद्यपि काफी स्पष्ट है, तब भी सन्देह की स्थिति पैदा हो सकती है किन्तु इससे करदाता के कर-निर्धारण में फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों कार्यों से होने वाले लाभों पर हम एक ही शीर्षक के अन्तर्गत एक ही प्रकार से कर लगाते है।

व्यापार की प्रकृति का उपक्रम
(Adventure in the nature of trade)

'व्यापार' की परिभाषा से एक बात यह सामने आती है कि यह लाभोपार्जन के लिए किया जाता है व यह एक चालू क्रिया है जिसमें वस्तु की खरीद व बेच की बहुत सी लड़ी होती हैं। व्यापार की यही परिभाषा यदि करयोग्यता के लिए काफी होती तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को उन लाभों पर आयकर नहीं देना पड़ता जो उसे वर्ष में केवल एक खरीद व बिक्री से होते हैं। किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि व्यापार शब्द को धारा 2 (13) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिसमें व्यापार की प्रकृति का उपक्रम भी शामिल किया जाता है। अर्थात् किसी एकाकी व्यवहार (Isolated transaction) से उदय हुए लाभ भी करयोग्य हो सकते है बशर्ते कि ये व्यापार की प्रकृति के उपक्रम के अन्तर्गत आते हों।

धारा 2 (13) में 'व्यापार की प्रकृति के उपक्रम' का जो उल्लेख आया है उसके अनुसार यह उपक्रम यद्यपि व्यापारिक सौदों जैसा ही होना है किन्तु अपने आप में यह व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं कहलाता। किसी भी सौदे को 'व्यापार की प्रकृति का उपक्रम' की श्रेणी में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित बातों पर विचार करना आवश्यक है।

1. क्या क्रेता व्यापारी है ? और क्या वस्तु का क्रय उसके व्यापार से सम्बन्ध रखता है ?

2. क्रय व विक्रय की गई वस्तु की क्या प्रकृति है व यह किस परिमाण में क्रय व विक्रय की गई है ?

3. क्या क्रेता ने वस्तु के क्रय के पश्चात् कोई ऐसा कार्य किया है जिससे क्रय की गई वस्तु की किस्म में सुधार हुआ है ?

4. क्रय व विक्रय से सम्बन्धित अन्य घटनायें क्या है ?

5. क्या क्रय व विक्रय बार बार किया जाता है ?

6. क्या वस्तु का क्रय इसे बेचने की भावना से अभिप्रेत होकर किया गया था ?

एक व्यक्ति किसी कलात्मक वस्तु का क्रय करता है तथा कुछ दिनों इसे अपने अधिकार में रखता है। एक अच्छे लाभकारी प्रस्ताव के आने पर इसे वह बेच देता है व लाभ प्राप्त करता है। चूँकि यह वस्तु जब तक इस व्यक्ति के पास रही उसे इसे अपने पास रखने का गौरव (Pride of possession) प्राप्त होता रहा, अत: इस वस्तु के विक्रय से उदित हुआ लाभ 'व्यापार की प्रकृति के उपक्रम' के लाभों के अन्तर्गत नही आता।

कोई एकाकी व्यवहार यदि करदाता के व्यापार से सम्बन्धित नहीं है तो यह सिद्ध करने का दायित्व आयकर विभाग पर है कि यह व्यापार की प्रकृति का उपक्रम है। C. I. T. v. Jalannager Tea Estate [1962] 45 I. T. R. 626,

एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है बाजार भावों में काफी रुचि रखता है। उसने अनुकूल दरों पर चीनी के 50 बोरे खरीद लिये व भावों मे वृद्धि होने पर उन्हें बेच दिया। इस सौदे में उसे 5,000 रु० का लाभ हुआ। यह लाभ 'व्यापार की प्रकृति के उपक्रम' से लाभ है व इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है। इस व्यक्ति ने निश्चित ही लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर इतनी अधिक मात्रा में चीनी खरीदी; अत: उसकी यह क्रिया 'व्यापार' से सम्बन्धित है व इससे होने वाले लाभ आकस्मिक लाभ न होकर इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होंगे।

उदाहरण

एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संचालक की पत्नी (जो करदाता है) ने अपने देवर से अगस्त 1965 में उस कम्पनी के 37 अंश खरीदे तथा 5 महीने बाद 15,000 रु० मुनाफा लेकर उसी कम्पनी के प्रबन्ध संचालक की पत्नी व उसके बहनोई को ये सभी अंश बेच दिये। कर-अधिकारियों ने 15,000 रु० के इस मुनाफे को करयोग्य ठहराया। न्यायालय द्वारा भी यह पाया गया कि करदाता को यह ज्ञात था कि कम्पनी के प्रबन्ध संचालक द्वारा कम्पनी का नियन्त्रण अपने हाथ में लिये जाने की सम्भावना है अत: इन अंशों का मूल्य बढ़ेगा। उसने इस अवसर का लाभ उठाया। यह लाभ 'व्यापार की प्रकृति वाले उपक्रम' से हुआ माना गया व करयोग्य ठहराया गया। V. Amirthan Ammal v. C. I. T. [1969] 74 I. T. R. 739।

इस शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली प्राप्तियाँ—धारा 28 के अनुसार व्यापार व पेशे के लाभों के अन्तर्गत निम्नलिखित आयों पर कर लगता है:

(1) **व्यापार से लाभ** : ऐसे व्यापार, पेशे व वृत्ति से होने वाले लाभ जो करदाता द्वारा गतवर्ष में किसी भी समय किया गया हो। व्यापार के अन्तर्गत बहुत सी क्रियायें आती हैं। "करदाता द्वारा किया गया हो" वाक्यांश धारा 28 में आया है। इसका अर्थ यह है कि व्यापारिक क्रियायें करदाता की होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि सभी क्रियायें उसी के द्वारा की गई हों तथा सम्पूर्ण गतवर्ष में की गई हों। व्यापार करदाता के लिये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, व गतवर्ष में थोड़े समय के लिए भी हो सकता है।

(2) **क्षतिपूर्ति** : क्षतिपूर्ति की राशि साधारणत: पूँजी प्राप्ति होती है तथापि व्यापार के दौरान मिली क्षतिपूर्ति की निम्नलिखित राशियाँ इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती हैं:

(अ) एक व्यक्ति द्वारा जो किसी भी नाम से पुकारा जाता हो तथा जो किसी भारतीय कम्पनी का अथवा भारत में किसी भी कम्पनी का प्रबन्ध करता हो, अपने प्रबन्ध सम्बन्धी प्रसंविदे को समाप्त करने पर अथवा उसमें फेर बदल करने पर मिली क्षतिपूर्ति की रकम।

(ब) किसी भी व्यापारिक एजेन्सी के प्रसंविदे को तोड़ने पर अथवा इसकी शर्तों में फेर बदल करने पर मिली क्षति पूर्ति की रकम।

(स) किसी व्यापार अथवा सम्पत्ति का प्रबन्ध सरकार को अथवा सरकारी कम्पनी को दिये जाने पर मिली क्षति पूर्ति की राशि।

उदाहरण के लिए गरीब दास के पास भाग्यवान् कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने की एजेन्सी है। यह एजेन्सी कम्पनी द्वारा समाप्त कर दी जाती है व क्षतिपूर्ति के लिए 50,000 रु० की राशि गरीबदास को दी जाती है। यह राशि गरीबदास के हाथों में इस शीर्षक के अन्तर्गत कर-योग्य है।

(3) **व्यापारिक संघ की आय** : व्यापारिक संघ एक ऐसा संघ है जिसे किसी व्यापार विशेष में लगे हुए करदाता अपने हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से बनाते हैं। ऐसे सघ के उदाहरण चैम्बर आफ कामर्स, फैडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री आदि हैं। ऐसे सघ को प्राय: दो तरह की आय प्राप्त होती है। एक, सदस्यों द्वारा दिये गये चन्दों से आय, दूसरे, संघ द्वारा विशिष्ट सेवाओं के लिए प्राप्त हुई आय। सदस्यों द्वारा दिये गये चन्दे करयोग्य नहीं होते, जबकि विशिष्ट सेवाओं के लिए मिली धनराशि करयोग्य होती है व इसी शीर्षक के अन्तर्गत आती है। उदाहरण के लिए कानपुर चैम्बर आफ कामर्स को अपने सदस्यों से 100 रु० वार्षिक चन्दा प्राप्त होता है। वर्ष के अन्त में ऐसे चन्दों से प्राप्त राशि में से खर्चों को घटा कर 20,000 रु० का शेष रहा, इस राशि पर आयकर नहीं लगाया जाता। यही चैम्बर अपने सदस्यों को आवास सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करता है, जिसके लिए 10 रु० प्रतिदिन चार्ज किया जाता है। इस सुविधा के लिए वर्ष में 10,000 रु० की प्राप्ति हुई जिसमें से 3,000 रु० इन सुविधाओं को जुटाने में खर्च किये गये। इस प्रकार इस मद में शेष 7,000 रु० की राशि करयोग्य होगी, जो इसी शीर्षक के अन्तर्गत आयेगी।

(4) **व्यापार से होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ** : व्यापार व पेशे से होने वाले अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत आते हैं। ये लाभ मुद्रा में परिवर्तनीय भी हो सकते है अथवा नहीं भी।

(5) **सट्टा** : सट्टे से प्राप्त लाभों को भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत स्थान मिलता है। धारा 43 (5) में दी गई परिभाषा के अनुसार सट्टा-व्यापार लेन देन के ऐसे प्रसंविदों को कहते हैं, जिनमें वास्तविक रूप में वस्तुएं न ली जाती हैं और न दी जाती हैं। अपितु सौदों का निपटारा बाजार मूल्यों तथा प्रसंविदों की दरों के अन्तर को निकाल कर कर दिया जाता है, सट्टा व्यापार के लाभ यद्यपि साधारण व्यापार के लाभों के साथ मिला सकते हैं, किन्तु उसकी हानियाँ साधारण व्यापार के लाभों से पृथक् रखी जाती हैं।

व्यापार अथवा पेशे के लाभ : कुछ साधारण सिद्धान्त

उच्चतर लेखा विज्ञान के अध्ययन करते हुए हमने लाभ-हानि खाता बनाया है व व्यापार का शुद्ध लाभ ज्ञात किया है। इस शीर्षक के अन्तर्गत भी हम व्यापार से गत-वर्ष में होने वाले लाभों की गणना करते हैं। इससे एक सवाल उठता है, क्या लाभ-हानि खाते के अन्तर्गत निकाला गया शुद्ध लाभ इस शीर्षक के अन्तर्गत निकाले गये शुद्ध लाभ से अलग होता है ? उत्तर होगा, हाँ। लाभ हानि खाते के अन्तर्गत शुद्ध लाभ की गणना लेखा विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है जबकि इस शीर्षक के अन्तर्गत आयकर के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लाभ की गणना की जाती है। कौन कौन से खर्चे शुद्ध लाभ निकालते समय व्यापारिक व्यय माने जायेंगे, इस सम्बन्ध में एक विस्तृत योजना आयकर अधिनियम में दी गई है। इसके अतिरिक्त व्यापारिक व स्थानीय परिपाटी को भी ध्यान में रखते है। इसके साथ ही विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिये गए

निर्णय भी हमारी गणना को प्रभावित करते है। शुद्ध लाभों की गणना के लिए हमे निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए :

1. **करदाता द्वारा व्यापार संचालन** —इस शीर्षक के अन्तर्गत उसी व्यक्ति पर कर लगाया जाता है जो व्यापार का संचालन करता है, किन्तु यह आवश्यक नही है कि वह स्वयं ही व्यापार करता हो, उसके लिये कोई अन्य व्यक्ति भी व्यापार चला सकता है, किन्तु उस व्यक्ति को संचालन का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहिये। अवयस्कों के लिये उनके संरक्षक, ट्रस्टी व अन्य नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार का सचालन करता है तो ऐसे व्यक्ति करदाता की श्रेणी में आयेंगे। C. I T. v. National Mills Co. Ltd [1958] 34 I. T. R 155

2. **सभी व्यापार एक ही शीर्षक के अन्तर्गत**—करदाता द्वारा जितने व्यापार किये जाते हैं उनके लाभों की गणना अलग-अलग की जाती है तत्पश्चात् सभी व्यापारिक इकाइयों के लाभों को इस शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ते है। यह कुल योग करदाता की इस शीर्षक के अन्तर्गत हुई आय होती है। कुल योग लगाते समय किसी भी व्यापार से हुई हानि की पूर्ति हम अन्य व्यापार के लाभ से करते हैं। उदाहरण के लिये एक डाक्टर फर्म 'अ' व फर्म ब में साझेदार भी हैं। डाक्टर की अपने पेशे से आय की गणना अलग से होगी। फर्म 'अ' व फर्म 'ब' के लाभ अलग से निकाले जायेंगे। मान लें कि यदि डाक्टर को अपनी डाक्टरी व्यवसाय से 18,500 रु० की आय होती है। फर्म 'अ' के 20,000 रु० के लाभ में इसका हिस्सा 6,400 रु० है। फर्म 'ब' की कुल हानि 9,000 रु० की हुई जिसमें डा० का हिस्सा 4,500 रु० है तो इस प्रकार डाक्टर को इस शीर्षक के अन्तर्गत कुल आय (18,500+6,400—4,500)=20,400 रु० की हुई।

3. **सट्टा व्यापार**—सट्टा व्यापार यद्यपि इसी शीर्षक के अन्तर्गत आता है किन्तु इसके लाभ व हानियों को अलग रखा जाता है। अलग रखने का कारण केवल यही है कि सट्टे से हुई हानि की पूर्ति हम साधारण व्यापार के लाभो से नहीं कर सकते। किन्तु इसके विपरीत सम्भव है, अर्थात् साधारण व्यापार से हुई हानि की पूर्ति सट्टे के लाभों से की जा सकती है।

4. **हानि की पूर्ति**—चूंकि सभी व्यापारों के लाभ को एक ही स्थान पर रख कर संयुक्त रूप से कर लगाते है, अत: एक व्यापार की हानि की पूर्ति दूसरे के लाभों से हो जाती है, किन्तु सट्टा व्यापार की हानि को साधारण व्यापार के लाभों से पूरा नही कर सकते।

5. **गतवर्ष में व्यापार का संचालन**—इस शीर्षक के अन्तर्गत आय के कर योग्य होने के लिये यह आवश्यक है कि करदाता ने गतवर्ष में व्यापार का संचालन किया हो, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि पूरे वर्ष व्यापार चला हो। व्यापार बन्द होने के पश्चात् प्राप्त हुए लाभो पर भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है।

5. **एजेन्सी समाप्त होने पर क्षतिपूर्ति**—एजेन्सी के समाप्त होने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की रकम यद्यपि पूंजीगत प्राप्ति है, किन्तु इसे धारा 28 की विशिष्ट व्यवस्थाओं के अन्तर्गत करयोग्य आय की श्रेणी में रखा गया है।

7. **व्यापार की समाप्ति पर सम्पत्तियों का विक्रय**—व्यापार की समाप्ति पर बेची गई सम्पत्तियों से लाभ करयोग्य नही होते, किन्तु व्यापारिक स्कन्ध के विक्रय से प्राप्त लाभ सदैव करयोग्य होते है भले ही ये लाभ व्यापार बन्द होने के बाद ही क्यों न प्राप्त हुए हों।

8. **लाभकारक स्वामित्व**—व्यापार के लाभों पर उसी व्यक्ति से आयकर वसूल किया जाता है जो कि वास्तव में इन लाभों को प्राप्त करता है अर्थात् बेनामीदारों से आयकर अधिकारी को विशेष सम्बन्ध नही रहता। आयकर अधिकारी को विशेष चिन्ता इस बात की रहती है कि किसी भी लाभ का अन्तिम प्राप्तकर्त्ता कौन है क्योंकि उसी व्यक्ति से कर वसूली की जाती है। उदाहरण के लिए जब कुछ व्यक्ति किसी कम्पनी का प्रवर्तन करते हैं व किसी चलते हुए व्यापार को खरीदते हैं तो इस प्रकार व्यापार चलता रहता है व कम्पनी का रजिस्ट्रेशन आदि होने तक ये प्रवर्तक कम्पनी के लिए इस व्यापार का संचालन करते रहते हैं। कम्पनी द्वारा व्यापार चालू करने पर इन प्रवर्तको द्वारा चलाए गए व्यापार का अनुमोदन कर दिया जाता है व उनके द्वारा अर्जित लाभों पर कम्पनी द्वारा आयकर दिया जाता है क्योंकि प्रवर्तक कम्पनी के बेनामीदार थे।

9. **एकाकी व्यवहार**—कभी ऐसी स्थिति भी आती है जबकि करदाता व्यापारी नही है किन्तु उसने 'व्यापार की प्रकृति का कोई एक लेन देन' लाभोपार्जन की दृष्टि से किया है। ऐसे व्यवहार के लाभों की गणना करते समय हम इसी व्यवहार से सम्बन्धित व्ययों की गणना करते है व इन्हें इस व्यापार की प्रकृति वाले एकाकी व्यवहार के लाभ से समायोजित करते है। ये व्यय गतवर्ष से पहले वर्ष में भी किए गए हो सकते है।

10. **व्यापार वाणिज्य सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन**—इस शीर्षक के अन्तर्गत लाभों की गणना के लिए व्यवहार के सामान्य सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है। उदाहरणार्थ कुछ व्यय ऐसे हो सकते है जिनका विशिष्ट उल्लेख आयकर अधिनियम मे न होते हुए वे भी स्वीकृत माने जाते हों।

11. **प्राप्त लाभ एवं भावी लाभ**—इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल उन्हीं लाभों पर कर लगता है जो प्राप्त अथवा प्राप्य हो गए हों। अनुमानित लाभ अथवा भावी लाभों पर कर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। बाजार भावों मे वृद्धि के कारण यदि करदाता के पास रखी हुई प्रतिभूतियों का मूल्य बढ़ जाता है तो ऐसी वृद्धि करयोग्य नहीं है क्यों कि यह लाभ केवल अनुमानित है व काल्पनिक है किन्तु यदि इन बढ़े हुए मूल्यों पर इन प्रतिभूतियों को बेचकर लाभ प्राप्त किया जाता है तो यह लाभ करयोग्य हो सकता है।

12. **अवैधानिक व्यापार**—आयकर की दृष्टि से अवैधानिक व्यापार के लाभों अथवा अन्य व्यापार के लाभों में अन्तर नही किया जाता। इन दोनों पर सामान्य रूप से आयकर लगता है।

इस शीर्षक सम्बन्धी धारायें

'व्यापार व व्यवसाय के लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत लाभों की गणना की विधि निम्नलिखित धाराओं में दी गई है। धारा 28 कर लगाने वाली धारा है जबकि धारा 29 के अनुसार करयोग्य लाभों की गणना धारा 30 से 44अ तक दी गई व्यवस्थाओं पर आधारित है। ये धारायें संक्षेप में इस प्रकार हैं:

धारा 30 व्यापार भवन का किराया, कर, मरर्म्मत व बीमा व्यय
31 प्लांट, मशीन व फर्नीचर की मरम्मत व बीमा व्यय
32 ह्रास
33 विकास छूट
33A विकास भत्ता
33B पुनर्वास भत्ता
34 ह्रास व विकास छूट प्राप्त करने की शर्तें
35 वैज्ञानिक अनुसंधान का व्यय
35A कापीराइट को प्राप्त करने सम्बन्धी व्यय
35B निर्यात बाजार विकास भत्ता
35C कृषि विकास भत्ता
35D कुछ प्रारम्भिक व्ययों का सम्पत्तिकरण
35E कुछ खनिज पदार्थो के विकास के लिए उन्हें निकालने से सम्वन्धित व्यय
36 अन्य कटौतियाँ
37 साधारण आयोजन
38 भवन आदि जब व्यापार के लिए अंशत: प्रयोग किए जाते हैं
39 प्रबन्ध अभिकर्त्ता कमीशन
40 रकमें जो कटौती योग्य हैं
40A व्यय व भुगतान जो कुछ स्थितियों में कटौती योग्य नहीं होते
41 करयोग्य लाभ
42 खनिज तेल व्यापार की कटौती के लिए विशेष प्रावधान
43 कुछ परिभाषायें
43A मुद्रा की विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन
44 बीमा व्यापार
44A व्यापार संघ आदि के लिए कटौती की विशेष व्यवस्था

लाभों की गणना

कटौतियों सम्बन्धी कुछ सिद्धान्त

व्यापार के लाभों की गणना करते समय सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह करना होता है कि ऐसे कौन से व्यय हैं जो व्यापार की प्राप्तियों में से घटाये जायेंगे। ऐसे कौन से व्यय हैं जो करदाता ने यद्यपि लाभ-हानि खाते में दिखा दिये हैं किन्तु जो या तो पूंजीगत हैं अथवा व्यापार से सम्बन्धित हैं ही नहीं। आयकर अधिनियम में यद्यपि स्वीकृत व्यय की एक सूची दी गई है किन्तु व्यापारिक व्ययों की कोई भी सूची व्यापक नहीं हो सकती। अत: अधिनियम की विशिष्ट व्यवस्थाओं को ध्यान में रखने के साथ ही न्यायालयों के निर्णयों पर भी विचार करना पड़ता है। व्ययों की कटौतियों के सम्बन्ध में कुछ सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार हो सकते है :

1. किसी भी व्यय को स्वीकृत करने से पहले यह देख लेना चाहिए कि व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए वह व्यय किया गया है अथवा उसके करने में कोई अन्य दृष्टिकोण रहा है। रकम का भुगतान यदि केवल व्यापारिक हितों के लिए ही किया गया है तो यह स्वीकृत होगा। C. I. T. v. Chandulal Keshawlal & Co. [1960] 38 **I. T. R. 601.**

2 ऐसे व्यय जो किन्हीं अन्य शीर्षकों से सम्बन्धित है इस शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं हो सकते।

3. ऐसी समस्त हानियाँ जो व्यापार से ही सम्बन्धित हैं स्वीकृत कटौती होंगी। परन्तु यह पूँजीगत नहीं होनी चाहिए।

4. केवल वही व्यय स्वीकृत होते हैं जो कि गतवर्ष में किए गए हों। गतवर्ष से पहले किए गए व्यय गतवर्ष के लाभ हानि खाते में नहीं दिखाने चाहिए। इसी प्रकार आने वाले समय में होने वाले सम्भव व्यय तथा सम्भावित हानियों को भी आय की गणना में कोई स्थान प्राप्त नहीं है।

5. एक व्यक्ति यदि एक से अधिक व्यापारों का संचालन करता है तो किसी एक व्यापार से सम्बन्धित व्यय उसी व्यापार के लाभों में से स्वीकृत कटौती होगी। सभी व्यापारों के लाभों को पृथक्-पृथक् दिखाया जाता है।

6 व्यापार स्थापित होने से पहले किए गए व्यय स्वीकृत नहीं होते, परन्तु व्यापार की स्थापना के बाद के तथा व्यापार आरम्भ होने से पहले के व्यय स्वीकृत किए जाते हैं।

7. जब कभी कोई करदाता किसी व्यय की कटौती का प्रस्ताव रखता है तो यह सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है कि व्यय केवल व्यापार के हितों की रक्षा के लिए किया है।

8. हमारे आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अवैधानिक व्यापार भी साधारण व्यापार की भाँति करयोग्य होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए C. I. T. v Piara Singh [1972] 83 I.T.R. 678 में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जब अवैधानिक व्यापार के लाभ करयोग्य होते हैं तो इनसे होने वाली हानि को अस्वीकृत करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कटौतियाँ जो स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं
(Expressly allowed deductions)

व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय जो व्यय स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं उनकी सूची आयकर अधिनियम की धारा 30 से 37 तक दी हुई है, जो निम्नलिखित हैं—

1. **भवन के लिये दिया गया किराया, कर, मरम्मत व बीमा आदि**—धारा 30 के अन्तर्गत उस भवन से सम्बन्धित, जिसमें व्यापार का संचालन होता है, अथवा व्यापार के काम में आता है, किराया, कर, मरम्मत व बीमा प्रीमियम आदि की कटौती निम्नलिखित रूप से स्वीकृत है :

अ. जब करदाता उस भवन में किराएदार है तो किराया तथा जब करदाता ने मरम्मत सम्बन्धी व्ययों का दायित्व भी अपने ऊपर लिया हुआ है तो मरम्मत के व्यय भी स्वीकृत कटौती होंगे। परन्तु यदि करदाता उस भवन में किरायेदार नहीं है तो उसके द्वारा किए गए मरम्मत सम्बन्धी चालू व्यय ही स्वीकृत होंगे।

ब. भूमि का लगान, स्थानीय दरें व नगरपालिका द्वारा लगाए गए कर जो मकान के सम्बन्ध में दिये गये हों।

स. मकान को नुकसान व बरबादी से सुरक्षित रखे जाने से सम्बन्धित बीमे की प्रीमियम जैसे अग्नि बीमा आदि।

समझने योग्य बात यह है कि यदि करदाता ऐसे भवन का स्वयं ही मालिक है तो किराया स्वीकृत व्यय नहीं हो सकता। पूरे भवन के किसी भाग में यदि करदाता का निवास स्थान है तो निवास स्थान सम्बन्धी व्यय स्वीकृत नही हो सकते। पूरे भवन के समस्त व्यय का वह भाग ही स्वीकृत होता है जिसमें व्यापार चल रहा है।

2 **फर्नीचर, मशीन व प्लांट की मरम्मत व बीमा व्यय**—व्यापार तथा पेशे के संचालन में प्रयुक्त फर्नीचर, मशीन व प्लांट के सम्बन्ध में **चालू मरम्मत के लिये किये** गये सभी व्यय तथा इनको **नुकसान व बरबादी से बचाने के लिये दिया गया बीमा प्रीमियम स्वीकृत व्यय** है। फर्नीचर आदि का कुछ भाग व्यापारी यदि अपने निजी प्रयोग में लाता है तो इन खर्चों में से उतनी रकम घटा दी जाती है जो आयकर अधिकारी की दृष्टि में करदाता के अपने निजी प्रयोग से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि मरम्मत पर दिये गए व्ययों से सम्पत्ति के कार्यशील जीवन में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और न उसकी उपयोगिता में वृद्धि होनी चाहिए; ऐसा होने पर ये पूँजीगत व्यय होंगे। वही मरम्मत व्यय स्वीकृत होते है जिनसे मशीन आदि को काम चलाऊ हालत में रखा जाता है।

3. **ह्रास**—भवन, फर्नीचर, मशीनरी व प्लाट जब करदाता के अपने निजी होते हैं तथा इनका प्रयोग करदाता द्वारा अपने व्यापार व पेशे के संचालन में किया जाता है तो इन सम्पत्तियों से सम्बन्धित ह्रास स्वीकृत व्यय होता है। ह्रास सम्बन्धी नियमों के लिए अगला अध्याय देखिये।

4. **विकास छूट**—यह एक प्रकार का प्रोत्साहन है जो सरकार द्वारा आय की छूट के रूप में उद्योगों को दिया जाता है। प्रोत्साहन का स्वरूप उद्योगों के लिए खरीदी गई नई मशीन पर अधिक दरों से ह्रास जैसी ही कटौती स्वीकार करने से सम्बन्धित है। पूर्ण विवरण के लिए अगला अध्याय देखिये।

5. **वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय**—किसी भी उद्योग के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान का बहुत महत्व है। चूँकि इन पर किये गये व्ययों से तुरन्त ही आय की वृद्धि नहीं होती अत: इनके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। करदाता द्वारा अपने व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए सभी व्यय-पूँजीगत व लाभगत दोनों-स्वीकृत व्यापारिक व्यय माने जाते हैं। करदाता द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान अपने कारोबार की जगह में ही कराया जा सकता है अथवा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, विश्वविद्यालय, कालिज व संघ के द्वारा अपनी समस्या पर खोज कराई जा सकती है। किन्तु शर्त यह है कि ये विश्वविद्यालय आदि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित होने चाहिए।

धारा 35 (2A) के अन्तर्गत अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ आदि को इस सम्बन्ध में दिये गये भुगतान पर भारित कटौती देने का प्रावधान है जो किये गये भुगतान का $1\frac{1}{3}$ गुना होगा। यह कटौती तभी स्वीकृत होगी जबकि वैज्ञानिक

अनुसंधान निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्रोग्राम के अन्तर्गत किया गया हो जो भारत की सामाजिक, आर्थिक व औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

स्पष्टीकरण—ऐसा पूँजीगत व्यय यदि व्यापार आरम्भ प्रारम्भ होने से पहले की 3 वर्षों की अवधि में हुआ है तो यह माना जावेगा कि यह सम्पूर्ण व्यय गतवर्ष में हुआ है तथा इसी के अनुसार कटौती आदि स्वीकृत होगी।

वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण—ऐसा हो सकता है कि कुछ पूँजी सम्पत्तियाँ कुछ दिनों बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोगी न रह जायें तथा उन्हें व्यापार में ही किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाय अथवा व्यापार के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होने पर इन्हें बेच दिया जावे। व्यापार में ही यदि इनका उपयोग होता है तो इनके लिए साधारण ह्रास नहीं मिलेगा क्यों कि धारा 35 के अन्तर्गत इन्हें पूर्ण रूप से अपलिखित कर दिया गया है। इन अपलिखित सम्पत्तियों को यदि बेच दिया जाता है तो प्राप्त मूल्य व्यापार की करयोग्य आय माना जावेगा।

6. **पेटेन्ट राइट अथवा कापीराइट को प्राप्त करने के लिए किये गये व्यय** : 28-2-1966 के बाद में इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किए गए व्ययों को 14 समान किस्तों में प्रतिवर्ष व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय स्वीकृत कटौती माना जाता है। पहला गतवर्ष वह होगा जिसमें कि इनको प्राप्त किया गया है। इन अधिकारों का असमाप्त जीवन (unexpired life) यदि 14 वर्षों से कम है तो यह रकम इस कम अवधि में ही कटौती के रूप में स्वीकृत होगी। इन अधिकारों को यदि इस रकम के भुगतान से 14 वर्षों पहले प्राप्त किया था, परन्तु अभी तक भुगतान न होने के कारण कटौती नहीं मिली है तो भुगतान करने वाले वर्ष में सम्पूर्ण रकम कटौती के लिए स्वीकृत होगी। उदाहरणार्थ एक करदाता गतवर्ष 1967-68 में 56,000 रु० की लागत से एकस्व अधिकार खरीदता है तो इस करदाता को 1968-69 कर-निर्धारण वर्ष से 1982-83 कर-निर्धारण वर्ष तक प्रतिवर्ष 4,000 रु० की कटौती स्वीकृत होती रहेगी। परन्तु यदि अधिकारों की प्राप्ति 1961-62 गतवर्ष में हो गई हो और भुगतान 67-68 गतवर्ष में हुआ हो तो 56,000 रु० की यह रकम अब शेष वर्षों में ही स्वीकृत कटौती होगी। अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 1968-69 से कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 तक 7,000 रु० वार्षिक की दर से स्वीकृत कटौती होगी।

इसके विपरीत यदि किसी गतवर्ष में समय से पहले ही इन अधिकारों की समाप्ति हो जाती है तो इस गतवर्ष में उस सम्पूर्ण रकम को लाभ-हानि खाते में कटौती का रूप दिया जा सकेगा जिस रकम की कटौती होनी शेष रह गई है। इन अधिकारों को यदि बेच दिया जाता है तो शेष लागत (कटौती का समायोजन होने के बाद) से अधिक मिली रकम करयोग्य होती है जबकि यदि विक्रय मूल्य इस शेष रकम से कम हो तो इस कमी की पूर्ति सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लाभ-हानि खाते से की जा सकती है।

उदाहरणार्थ यदि किन्हीं पेटेन्ट अधिकारों का 14,000 रु० की लागत पर क्रय किया था जिसमें से 5,000 रु० की कटौती 5 वर्षों में स्वीकृत हो चुकी है व छठे वर्ष में यदि इन अधिकारों को 10,000 रु० में बेच दें तो 1,000 रु० करयोग्य लाभ

होगा। परन्तु यदि इसका विक्रय केवल 6,000 रु० में ही हो सकता हो तो 3,000 रु० को लाभ-हानि खाते में स्वीकृत व्यय के रूप में दिखाया जा सकता है।

उदाहरण

एक भारतीय दवा बनाने वाली कम्पनी ने सन् 1968 में 35,000 रु० की लागत से एक दवा के सम्बन्ध में किसी अनिवासी दवा निर्माण करने वाले से पेटेन्ट अधिकार खरीदे। यह बताइयें कि भारतीय दवा निर्माता अपने करयोग्य लाभों की गणना करते समय इस समय कौन सी कटौती प्राप्त कर सकेगा। करदाता का गतवर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होता है।

चूँकि एकस्व अधिकारों को प्राप्त करने के लिए व्यय 28 फरवरी 1966 के बाद में किया गया है अत: धारा 35A के अन्तर्गत मिलने वाली कटौती का यह करदाता अधिकारी है यह कटौती एकस्व अधिकारों के लिए दिये गये मूल्य का $\frac{1}{14}$ वाँ भाग होगी जो 14 वर्षों तक 'व्यापार से लाभ' की गणना करते समय मिलती रहेगी। प्रथम बार कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए 2,500 रु० (35,000 रु० का $\frac{1}{14}$) की कटौती मिलेगी जो कर-निर्धारण वर्ष 1982-83 तक मिलती रहेगी।

(7) **निर्यात बाजार विकास भत्ता** (Export Markets Development Allowance) : यह साधारण ज्ञान का विषय है कि निर्यात बढ़ाने के लिए करदाता को अथक परिश्रम तो करना ही पड़ता है इसके लिए बहुत से व्यय भी करने पड़ते हैं। विदेशों में निर्यातकों द्वारा आफिस स्थापित किए जाते है विज्ञापन किया जाता है व ऐसी अन्य क्रियायें की जाती हैं। सरकार द्वारा निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाना स्वाभाविक है। यह भत्ता इसी दिशा में एक कदम है।

धारा 35 B के अन्तर्गत निर्यात बाजार के विकास के लिए भत्ता एक घरेलू कम्पनी अथवा भारत मे निवासी अन्य करदाताओं को मिलता है। यह भत्ता निम्नलिखित व्ययों के लिए भारित कटौती के रूप में दिया जाता है। भत्ते की रकम अनुमोदित व्ययों की $1\frac{1}{3}$ गुना होती है अनुमोदित व्यय इस प्रकार हैं।

(i) करदाता द्वारा अपने व्यापार सें सम्बन्धित माल, सेवाओं अथवा सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रचार स्वरूप विज्ञापन ,

(ii) ऐसे माल, सेवाओं व सुविधाओं के लिए विदेशी बाजार सम्बन्धी सूचनाओं की प्राप्ति ;

(iii) इस माल, सेवाओं व सुविधाओं का भारत के बाहर के बाजारों में वितरण ;

(iv) इन वस्तुओं आदि की भारत के बाहर बिक्री बढ़ाने के लिए ब्रांच, आफिस व एजेन्सी की स्थापना।

(v) भारत के बाहर इन वस्तुओं आदि को भेजने के लिए आवश्यक टेण्डरों आदि के दाखिल करने से सम्बन्धित व्यय भी इसी भत्ते के अन्तर्गत आते है ।

(vi) भारत के बाहर व्यक्तियों को ऐसे माल आदि की बिक्री बढ़ाने हेतु सैम्पिलों का वितरण ।

(vii) ऐसे माल आदि की भारत के बाहर की बिक्री बढ़ाने के लिए किया गया भारत के बाहर जाने एवं आने से सम्बन्धित यात्रा व्यय ।

(viii) ऐसे माल आदि की सप्लाई वाले अनुबन्ध को पूरा करने से सम्बन्धित सभी व्यय अनुमोदित होते हैं व भत्ते की गणना इन पर आधारित होती है ।

टिप्पणी : ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि जिन व्ययों के लिए इस धारा के अन्तर्गत निर्यात बाजार विकास भत्ता मिलता है, उन व्ययों को व्यापार से लाभों की गणना करते समय कटौती के लिए स्वीकृत नहीं करते ।

ऐसी घरेलू कम्पनियाँ जिनमें जनता का सारवान हित है, यह भत्ता अनुमोदित व्ययों का $1\frac{1}{2}$ की दर से मिलता है ।

उदाहरण

एक भारतीय कम्पनी ने, जो साइकिल बनाती है, इसके निर्यात को बढ़ाने के लिए विदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया जिसमें लगभग 3,00,000 रु० की लागत आई । इनमें से उन खर्चों पर किए गए व्यय जिनका विवरण धारा 35-B में दिया गया है, 1,80,000 रु० है । यह कम्पनी सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में 'निर्यात व्यापार विकास भत्ते' से अन्तर्गत $1,80,000 \times 1\frac{1}{3}$ अर्थात् 2,40,000 रु० की कटौती प्राप्त करेगी । महत्वपूर्ण बात यह है कि 1,80,000 रु० की राशि व्यापारिक खर्चों के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं होगी । शेष 1,20,000 रु० की यह राशि व्यापारिक व्ययों के अन्तर्गत स्वीकृत होगी ।

8. **कृषि विकासार्थ भत्ता** (Agricultural Development Allowance) [35C] : यह भत्ता उस कम्पनी करदाता को मिलता है जो कृषि, पशुपालन, डेयरी-फार्म अथवा कुक्कुट पालन से प्राप्त होने वाले उत्पाद से वस्तुओं का निर्माण करती है अथवा इस उत्पाद का प्रसंस्करण करती है । अन्य शब्दों में ऐसे उत्पादन को या तो कच्चे माल की तरह उपयोग किया जाता है जैसे दूध से पनीर बनाना अथवा गेहूँ से मैदा व सूजी बनाना । दूसरी ओर ऐसे उत्पादन का प्रसंस्करण करके बेचने योग्य भी बनाया जा सकता है जैसे प्राप्त दूध को पैस्चराइज करके बोतलों में भरकर बेचना । यह भत्ता उन व्ययों के लिए मिलेगा, जो यह कम्पनी उपरलिखित उत्पादन को उगाने वाले कृषक अथवा इसके उत्पादक को निम्नांकित माल, सुविधायें अथवा सेवायें उपलब्ध कराने में व्यय करती है । यह भत्ता इन अनुमोदित व्ययों का $1\frac{1}{3}$ के बराबर होगा :

(i) ऐसे कृषक, उगाने वाले अथवा उत्पादक को उसके द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले खाद, बीज, मारकजीव-नाशी (Pesticides), कुक्कुट अथवा पशुओं के लिए खाद्य सामग्री (Concentrates for cattle and poultry feed), औजार अथवा उपकरण (Tools and Implements) उपलब्ध कराना ।

(ii) कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्म अथवा कुक्कुट पालन के आधुनिक तरीको एव तकनीको की जानकारी सलाह एवं प्रदर्शन तथा इन सम्बन्धी जानकारी का प्रसार।

(iii) अन्य ऐसे माल, सेवायें अथवा सुविधायें जो निर्धारित की जायें।

स्पष्टीकरण—इसी धारा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कम्पनी को ऐसे माल, सेवाओं व सुविधाओं को कृषक को उपलब्ध कराने में यदि कोई अनुदान, सहायता व क्षतिपूर्ति की रकम सरकार आदि किसी अन्य पक्ष से मिलती है तो किये गये व्ययों में से यह रकम घटाकर कृषि विकास भत्ता मालूम किया जाता है।

उदाहरण

एक कम्पनी मक्खन बनाती है। इसके लिये उसने उन कृषकों को जो उसे दूध सप्लाई करते है गतवर्ष में विभिन्न सलाह, जानकारी, औजार व उपकरण बाँटने में 20,000 रु० व्यय किये, ये सभी व्यय धारा 35C के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त है। इसी के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इस कम्पनी को 5,000 रु० का अनुदान दिया है। इस धारा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा किया गया व्यय 15,000 रु० माना जावेगा तथा कृषि विकास भत्ता 18,000 रु० $(15,000 \times 1\frac{1}{5})$ का स्वीकृत होगा।

(9) **कुछ प्रारम्भिक व्ययों का सम्पत्तिकरण** (Amortisation of certain preliminary expenses)—धारा 35D के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार किसी भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा किये गये निम्नलिखित व्ययों का सम्पत्तिकरण किया जा सकेगा। यह व्यय व्यापार प्रारम्भ होने से पहले होने चाहिये। किन्तु किसी औद्योगिक संस्थान के विस्तार की स्थिति में अथवा किसी चालू उद्योग मे एक नवीन इकाई की स्थापना के सिलसिले में ये व्यय व्यापार प्रारम्भ होने के बाद भी हो सकते हैं। इन व्ययों का 10% प्रतिवर्ष कटौती के लिए स्वीकृति किया जावेगा तथा इस प्रकार दस वर्ष बाद ये व्यय पूर्णतः अपलिखित हो सकेंगे। इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय अनुमोदित माने जाते है :—

अ. किसी भी व्यापार का बाजार सर्वेक्षण अथवा अन्य सर्वेक्षण कराने सम्बन्धी व्यय, व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व तैयार कराई गई सम्भावना रिपोर्ट व प्रोजैक्ट रिपोर्ट।

ब. करदाता व किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी समझौते को लिखाने सम्बन्धी वैधानिक व्यय। यह समझौता व्यापार की स्थापना व संचालन सम्बन्धी होना चाहिए।

स. कम्पनी करदाताओं के हाथ में निम्नांकित व्यय :

(i) कम्पनी के सीमानियम व अन्तर्नियमावली के लिखने का व्यय।

(ii) इन दोनों के छपाने के व्यय।

(iii) कम्पनी के पंजीयन व्यय।

(iv) अभिगोपन, कमीशन, दलाली, लिखाने सम्बन्धी व्यय, टाइप के वे व्यय व प्रविवरण के विज्ञापन सम्बन्धी सभी व्यय जो अंश अथवा ऋणपत्रों के निर्गमन से सम्बन्धित हैं।

द. ऐसे अन्य व्यय जो लाभ-हानि खाते में समायोजित नहीं किये जा सकते किन्तु जो इसी धारा के लिए अनुमोदित हैं।

अधिकतम सीमा :—सम्पत्तिकरण के लिए किये गये व्ययों की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है—

अ. प्रोजैक्ट की लागत का 2.5 प्रतिशत। व्यापार प्रारम्भ होने वाले गतवर्ष के अन्तिम दिन भूमि, भवन, पट्टा, मशीन, प्लांट, फर्नीचर, रेल लाइन आदि अचल सम्पत्ति का किताबी मूल्य प्रोजैक्ट की लागत में सम्मिलित किया जाता है।

ब. भारतीय कम्पनी की दशा में व्यापार में लगी हुई पूँजी का 2·5 प्रतिशत। यह विकल्प केवल कम्पनी करदाता को ही प्राप्त है। व्यापार में लगी हुई पूँजी की गणना करने के लिए व्यापार प्रारम्भ करने वाले गतवर्ष के अन्तिम दिन कम्पनी की निर्गमित अंश पूँजी, ऋणपत्र दीर्घकालीन ऋण शामिल किये जाते है।

10. **कुछ खनिज पदार्थों के अन्वेषण पर किये गये व्यय**—धारा 35E के अन्तर्गत सम्पत्तिकरण का लाभ एक भारतीय कम्पनी व भारत में निवासी किसी भी करदाता को मिला हुआ है। कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं के लिए अपने खातों को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण करा लेना चाहिये तथा इसकी रिपोर्ट एक निर्धारित फार्म पर उस वर्ष में अपने आय के नक्शे के साथ भेजनी चाहिए जिसमें कि व्ययों के सम्पत्तिकरण का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस धारा के अन्तर्गत भी सम्पत्तिकरण वाले व्यय 10% की दर से अपलिखित किए जाते है।

इस धारा के अन्तर्गत उन्हीं व्ययों का सम्पत्तिकरण किया जाता है जो अधि-नियम की सातवीं अनुसूची में वर्णित खनिज उद्योग में लगे हुए करदाता द्वारा किये गये हों। ये व्यय इन खनिजों की खोज अथवा इनकी खानों के विकास में व्यय किये जाने चाहिए। वही व्यय सम्पत्तिकरण के लिए स्वीकृत किए जाते हैं जो व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ होने वाले वर्ष के पहले के चार वर्षों में किये गये हों। व्ययों को सर्वप्रथम उस वर्ष में अपलिखित किया जाता है जिस वर्ष में व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ होता है। जिन व्ययों का इस धारा के अन्तर्गत सम्पत्तिकरण किया जाता है उन्हे व्यापार के लाभों की गणना के लिए स्वीकृत व्यय नहीं माना जा सकता।

किसी वर्ष में यदि करदाता के लाभ इतने कम है जिनसे कि सम्पत्तिकरण किए हुए व्ययों का 10% अपलिखित नहीं किया जा सकता तो केवल उतनी ही राशि अप-लिखित की जावेगी जितने कि लाभ उपलब्ध है। अशोधित राशि को इस कर-निर्धारण वर्ष से आगे के 9 वर्षों तक ले जाया जा सकता है।

11. **अन्य कटौतियाँ**—धारा 36 के अन्तर्गत निम्नलिखित कटौतियाँ व्यापार तथा पेशे के लाभों की गणना करते समय स्वीकृति होती है :

i. **बीमा प्रीमियम**—व्यापार व पेशे के लिए प्रयोग में आने वाले माल को नुकसान व बरबादी से बचाने के लिए दिए गए बीमा की प्रीमियम।

ii. **कर्मचारियों को दिया गया कमीशन व बोनस**—कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के लिए दिया गया ऐसा बोनस व कमीशन जो उन्हें यदि यह बोनस व कमीशन न मिलता तो यही रकम उन्हें लाभों व लाभांशों के रूप में प्राप्त न हो सकती। परन्तु इसके साथ ही निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए बोनस की यह रकम उचित होनी चाहिए :—

अ. कर्मचारी का वेतन तथा उसकी नौकरी की शर्तें।

ब. व्यापार व पेशे के गतवर्ष के लाभ।

स. इसी प्रकार के अन्य व्यापार व पेशों में सामान्य प्रथा।

iii. **उधार ली गई पूँजी पर ब्याज**—व्यापार व पेशे के कार्यों के लिए ली गई पूँजी पर दिया गया ब्याज। इस सम्बन्ध में करदाता पर यह सिद्ध करने का भार है कि यह पूँजी व्यापार के उद्देश्यों के लिए ही प्रयोग की गई है।

iv. **प्राविडेन्ट फण्ड व किसी ऐसे ही फण्ड में दिया हुआ मालिक का अंश दान**—करदाता द्वारा प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड में अथवा अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड में दिया गया अंशदान। इसकी सीमायें आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची में दी गई है।

v. **अनुमोदित ग्रेच्यूटी फन्ड में दिया हुआ मालिक का अंशदान**—कर्मचारियों की सुविधा के लिये ही रखे गए एक ऐसे ग्रेच्यूटी फण्ड में दिया अंशदान जो कि अनुमोदित हो तथा अखंडनीय ट्रस्ट के अधीन हो।

vi. **पशुओं से सम्बन्धित हानि**—ऐसे पशुओं के स्थायी रूप से अयोग्य होने पर अथवा मृत होने पर हुई हानि, जो व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते रहे है। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मूल लागत में से खाल आदि बेचने से प्राप्त रकम को घटा देते है।

vii. **डूबे हुए ऋण**—व्यापार से सम्बन्धित ऋणों की वे रकमें जो गतवर्ष में डूब चुकी है, परन्तु निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है :—

(a) डूबतऋण की रकम तभी कटौती के रूप में स्वीकार होगी जबकि यह ऋण गतवर्ष में अथवा उससे पहले के वर्षों के व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय शामिल कर लिया गया हो अथवा यह रकम करदाता द्वारा संचालित बैंकिग व्यवसाय व रुपयों के लेन-देन के व्यापार के दौरान में दी गई हो।

(b) इस रकम को करदाता ने अपने खातों में अपलिखित कर दिया हो।

(c) करदाता ने यदि इस रकम को इस गतवर्ष से पहले ही किसी गतवर्ष में अपलिखित कर दिया था, परन्तु आयकर अधिकारी ने उस वर्ष मे डूबत ऋण नहीं माना तथा स्वीकार नही किया। बाद में किसी गतवर्ष में आयकर अधिकारी इसे डूबत ऋण स्वीकार कर लेता है।

(d) करदाता ने यदि इस डूबत ऋण को गतवर्ष पें अपलिखित किया है। परन्तु आयकर अधिकारी यह समझता है कि यह ऋण गतवर्ष से पहले की 4 वर्षो की अवधि में ही डूब चुका था तो आयकर अधिकारी इस डूबत ऋण को स्वीकृत कटौती मानते हुए उस सम्बन्धित गतवर्ष के लाभों की पुनः गणना (Reassessment) करेगा।

(e) कभी-कभी ऐसा होता है कि आयकर अधिकारी किसी भी ऐसे ऋण की पूरी रकम को डूबत नहीं मानता, परन्तु इसका थोड़ा सा भाग ही स्वीकृत व्यय मानता है। इसलिए यदि भविष्य में जब अन्तिम बार ऐसे ऋणदाता से कुछ रकम वसूल हो जाती है तो फिर शेष रकम को उसमें डूबा हुआ माना है।

viii. **विशेष निधि में हस्तान्तरण**—ऐसे वित्त निगम द्वारा जो भारत में औद्योगिक अथवा कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है, विशेष संचय (Special reserve) में हस्तान्तरित रकम जो निम्नांकित से अधिक न हो :

(अ) एक ऐसे वित्त निगम अथवा संयुक्त वित्त निगम की दशा में जो राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत स्थापित किये गये हों ....40 प्रतिशत;

(ब) किसी अन्य वित्त निगम की दशा में.... . .

(i) जब निगम की प्रदत्त पूँजी 3 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.... 25 प्रतिशत;

(ii) जब निगम की प्रदत्त पूँजी 3 करोड़ रुपये से अधिक है .. .. 10 प्रतिशत ।

ix. **परिवार नियोजन पर व्यय**—कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन के प्रोत्साहन व प्रचार के लिए किए गए लाभगत (Revenue) व्यय स्वीकृत होते है, परन्तु यदि इस सम्बन्ध में कुछ पूँजीगत व्यय हुए हों तो इनका $\frac{1}{5}$ पहले गतवर्ष में तथा शेष को 4 अगले गतवर्षों में समान किश्तों में स्वीकृत व्यय माना जाता है ।

सामान्य कटौतियाँ [37)

जैसा पहले लिखा जा चुका है, व्यापारिक व्ययों की एक व्यापक सूची बनाना बहुत कठिन कार्य है, अतः ऐसे व्ययों के लिए जो यद्यपि व्यापार व पेशे के लिए किये गये हैं, किन्तु जो उपर्युक्त स्वीकृत व्ययों की सूची में स्थान नही पाते, इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत व्यय समझे जाते है । इस धारा में प्रयुक्त वाक्याश "व्यापार व पेशे के उद्देश्यों के लिए" वाक्याश "लाभोपार्जन के लिए" से अधिक व्यापक है । ऐसे सभी व्यय जो व्यापार के संचालन के लिये किये जाते है; जो पूँजीगत व्यय नहीं है तथा जो 'स्पष्टतया स्वीकृत व्ययों' की सूची में नही आते इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत होगे ।

धारा 37 के अन्तर्गत स्वीकृत कुछ सामान्य कटौतियाँ

1. किसी प्रसंविदे के टूटने के लिए चलाए गए मुकद्मे में किये गये सभी व्यय ।

2. डायरेक्टर, मैनेजर, एजेन्ट अथवा कर्मचारियों को दिया गया वह पारिश्रमिक जिसकी गणना व्यापार के लाभों के एक निश्चित प्रतिशत के द्वारा होती है ।

3. करदाता द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धी को इसलिए किया गया भुगतान कि वह कुछ टेण्डरों में कम दरें न लिखें ।

4. आयकर सलाहकारों को उनकी सेवाओं के लिए दी गई फीस ।

5. एक बैंकर द्वारा अपने ग्राहक से रुपया वसूल करने सम्बन्धी समस्त व्यय । ध्यान देने योग्य बात यह है कि बैंकर के यहाँ रुपया व्यापारिक स्कन्ध की भाँति प्रतिपादित होता है ।

6. किसी कम्पनी के अंशधारियों ने कम्पनी के समापन के लिए प्रार्थनापत्र दिया, जिससे अपनी रक्षा के लिए कम्पनी ने कुछ कानूनी व्यय किए, ये इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत है ।

7. करदाता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा व्यापार संचालन में किसी भूल के कारण दी गई क्षतिपूर्ति की रकम ।

8. व्यापार चलते समय यदि कर्मचारी द्वारा कुछ गबन किया जाता है ।

9. वे सभी चन्दे जो करदाता को अनिवार्य रूप से अपने व्यापारिक समाज में बने रहने के लिए देने ही पड़ते हैं।

10. कर्मचारियों को स्वेच्छा से पुरस्कार स्वरूप दी गई कोई धन राशि । इस सम्बन्ध में सामान्य प्रथा, व कर्मचारी के वेतन आदि के सम्बन्ध में जाँच की जाती है ।

11. बिक्रीकर की रकम ।

12. व्यापार को चलाने के लिए किये गए सामान्य व्यय ।

13. कामगर क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दी गई हर्जाने की रकम ।

14. किसी एजेन्सी, नौकरी व प्रबन्ध अभिकर्त्ता के प्रसंविदे को समाप्त करने के लिये दिया गया हर्जाना व क्षतिपूर्ति की रकम ।

15. दीवाली पर किए गये मुहूर्त व्यय स्वीकृत माने जाते हैं ।

16. नये टेलीफून लगवाने पर दी गई एक मुश्त राशि जो इन दिनों 3,000 रु० है ।

17. कर्मचारी द्वारा किया गया गबन ।

18. ऋणपत्रों को निर्गमन करने के सम्बन्ध में किये गए व्यय । किन्तु अंश-पूँजी के निर्गमन पर किये गए व्यय स्वीकृत नहीं होंगे । India Cements v C.I.T. [1966] 60 I.T.R. 52.

19. कर्मचारी के व्यापार से सम्बन्धित आर्डर लाने पर दिया गया कमीशन ।

20. खानों के उपयोग पर दी गई रायल्टी ।

वे हानियाँ जो व्यापार से सम्बन्धित हैं

व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय बहुत सी ऐसी हानियों से सम्पर्क पड़ता है जिनके स्वीकृत व्यय होने आदि के विषय में निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है । विभिन्न निर्णयों के आधार पर नीचे ऐसी ही हनियों की एक सूची दी जा रही है जो लाभों की गणना के समय स्वीकृत होती है :—

1. अग्नि से हुई हानि को स्वीकृत हानि माना गया है जबकि करदाता अनाज, जूट व अन्य परचून विक्रेता था तथा अग्नि से उसका स्टाक जल गया था । Motamal Jethumal v. C.I.T. [1947] 15 I.T.R. 155.

2. दीमक से हुई हानि । Hiralal Phoolchand v. C.I.T. [1947] 15 I.T.R. 205.

3. बैंक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय में हुई हानि स्वीकृत हानि मानी गई जबकि बैंक ने रुपए के अभाव में प्रतिभूतियों को बेचा ।

4. करदाता को किसी का जमानती बनने के सम्बन्ध में कुछ हानि उठानी पड़ी । ऐसी जमानत देने की प्रथा उस व्यापारी समाज में थी । यह हानि स्वीकृत है ।

5. कर्मचारी वेतन बाँटने के लिए रुपया ले जा रहा था । रास्ते में उसे लूट लिया गया । हानि व्यापारी से सम्बन्धित मानी गई । Motipur Sugar Factory v. I.T.R. [1955] 28 C.I.T. 128.

6. बैंकिंग कम्पनी को डकैती से हुई हानि व्यापारिक हानि है ।

7. करदाता ने किसी प्रसंविदे के अन्तर्गत कुछ रकम जमा की थी । प्रसंविदे में किसी गड़बड़ी के कारण यह राशि जब्त कर ली गई, यह व्यापारिक हानि मानी गई ।

कुछ व्ययों पर प्रतिबन्ध : धारा 37 यद्यपि साधारण व्ययों की स्वीकृत कटौती से सम्बन्धित है, किन्तु कुछ व्यय ऐसे है जिन पर कुछ पाबन्दी लगी हुई है । ये व्यय व इनसे सम्बन्धित पाबन्दियाँ इस प्रकार हे :

(1) **मनोरंजन व्यय** : धारा 37 (2B) में यह निर्देश हे कि किसी भी प्रकार के मनोरंजन व्यय स्वीकृत कटौती नहीं माने जायेंगे । किन्तु इस प्रकार का प्रतिबन्ध उन्हीं व्ययों के लिए है जो भारत में किये जाते है । करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये मनोरंजन भत्ते भी स्वीकृत नही हो सकते ।

(2) **विज्ञापन व्यय, रहने के मकान (जिसमें अतिथि गृह भी सम्मिलित है) तथा यात्रा व्यय**—धारा 37 (3) के अनुसार निम्नलिखित व्यय उसी सीमा तक स्वीकृत कटौती होंगे जो कि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है । इसके अतिरिक्त जो अन्य शर्तें आदि बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेंगीं उनका पालन भी करदाता द्वारा होना आवश्यक है :

i. विज्ञापन ;

ii. किसी रहने के मकान के रखने पर व्यय जिसमें अतिथि गृह भी सम्मिलित है ।

iii. किसी कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए यात्रा-व्यय जिसमें रहने व भोजन सम्बन्धी व्यय भी शामिल है ।

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रकाशित नियमों के अनुसार ये व्यय तभी स्वीकृत होंगे जबकि निम्नलिखित नियमों का पालन करदाता द्वारा किया जाता है ।

अ. विज्ञापन व्यय

1. विज्ञापन के लिए भेंट के रूप में दी गई वस्तुओं का मूल्य 50 रु० प्रति वस्तु से अधिक नही होगा । अधिक होने पर आधिक्य को अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

2. देश के बाहर विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले विज्ञापन व्यय उसी सीमा तक स्वीकृत होंगे, जितनी विदेशी मुद्रा सम्बन्धी स्वीकृति मिली हो ।

3. आयकर अधिकारी को विज्ञापन व्यय का वह भाग अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है जो उसकी सम्मत्ति में करदाता के व्यापार की आवश्यकताओं एवं ऐसे व्यय से प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए अनुचित एवं अत्यधिक है, किन्तु ऐसी अस्वीकृति निम्नलिखित दशाओं में ही हो सकती है :

i. जब ऐसे व्ययों का भुगतान एक ऐसे व्यक्ति अथवा उसके किसी रिश्तेदार को किया जावे जिसका व्यापार मे हित है ।

ii. जब भुगतान ऐसे व्यक्ति को किया जावे जो विज्ञापन अभिकर्त्ता का व्यापार व पेशा करता है तथा उसके व्यापार में इस करदाता का सारवान हित है ।

4. विज्ञापन व्यय के सम्बन्ध में जब कोई एक मुश्त भुगतान 2,500 रु० से अधिक का हो तथा यह क्रास चैक व क्रास बैंक ड्राफ्ट के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से किया गया हो तो यह व्यय अस्वीकृत होता है ।

टिप्पणी—एक व्यक्ति का किसी व्यापार में सारवान हित माना जाता है जबकि उसे व्यापार के लाभों में कम से कम 20% लाभ पाने का अधिकार होता है । कम्पनी की दशा में इस व्यक्ति के पास कम्पनी की कुल वोटिंग शक्ति का कम से कम 20% होना चाहिए ।

ब अतिथि गृह

अतिथि गृहों पर किए गए व्यय—किसी भी करदाता द्वारा अपने अतिथि गृहों पर किए गए व्यय व्यापारिक व्यय नहीं माने जावेंगे व इनके लिए कोई कटौती स्वीकृत नहीं होगी। इसी प्रकार अतिथि-गृहों के भवन अथवा उसमें प्रयुक्त अन्य सम्पत्तियों के लिए ह्रास सम्बन्धी कोई कटौती स्वीकृत नही होगी।

यह व्यवस्था उन अतिथि-गृहों के लिये लागू नहीं होगी जो अवकाश गृहो (Holiday Homes) की भाँति रखे जाते हैं।

टिप्पणी—करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए किसी होटल मे कोई स्थान गतवर्ष में यदि 182 दिन अथवा अधिक के लिए सुरक्षित रखा गया है तो उस स्थान के लिए किया गया व्यय अतिथि-गृह के लिए किया गया माना जावेगा। भुगतान किया गया किराया अतिथि-गृह पर हुआ व्यय माना जाता है; अत: अस्वीकृत होगा।

स. अवकाश गृह

अतिथि-गृह वाली व्यवस्था अवकाश गृहों के लिए लागू नहीं होती। अर्थात् अवकाश गृहों पर किये गये व्यय स्वीकृत होंगे बशर्ते कि :—

क) यह ऐसे करदाता द्वारा रखे जाते है जिसके व्यापार में गतवर्ष में कम से कम 100 पूर्णकालिक कर्मचारी कार्य करते रहे हों; तथा

ख) ऐसे अवकाश गृह इन्हीं कर्मचारियों के लाभार्थ रखे जाते हैं जिससे वे अवकाश लेकर इन अवकाश गृहों का लाभ उठा सकें।

द. यात्रा व्यय

(A) **विदेशी यात्रा**—करदाता द्वारा अथवा उसके कर्मचारी द्वारा व्यापार व पेशे के उद्देश्य से की गई विदेश यात्रा का व्यय स्वीकृत होगा। यह यात्रा यदि कुछ व्यक्तिगत उद्देश्यों के साथ जुड़ी हुई है तो विदेशी यात्रा पर किया गया व्यय आयकर अधिकारी द्वारा व्यापार व व्यक्तिगत उद्देश्यों में विभाजित कर दिया जाएगा। व्यापार से सम्बन्धित व्यय स्वीकृत होता है। व्यय की राशि रिजर्व बैंक से मिली विदेशी मुद्रा व व्यय की गई भारतीय रुपयों की राशि का योग होगी।

(B) **भारत में यात्रा**—करदाता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा अपनी यात्रा पर किये गए व्यय निम्न सीमा तक ही स्वीकृत होते है :

(अ) रेल, सड़क, हवाई जहाज व पानी के जहाज द्वारा सम्पन्न की गई यात्रा पर वास्तविक व्यय।

(ब) अन्य व्यय (जिसमें होटल के व्यय भी सम्मिलित है) :

(i)	1,000 रु० मासिक अथवा अधिक पाने वाले कर्मचारियों के लिए	100 रु० प्रतिदिन
(ii)	किसी अन्य कर्मचारी के लिए	50 रु० प्रतिदिन
(iii)	किसी अन्य व्यक्ति के लिए	उन कर्मचारियों को स्वीकृत भत्ते की दरों के अनुसार जिन्हें सबसे अधिक वेतन मिलता है।

उपर्युक्त कर्मचारी व करदाता यदि अपने मुख्यालय को छोड़कर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में ठहरता है तो उपर्युक्त भत्ते की दरों में 50% की वृद्धि कर दी जाती है।

(3) **कुछ दशाओं में किये गये भुगतान को स्वीकृत न करना** : धारा 40 A (2) ने आयकर अधिकारी को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह किसी भी व्यय को अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी दृष्टि में व्यापार की आवश्यकताओं व ऐसे व्ययों से प्राप्त लाभों को देखते हुए ये व्यय अनुचित है। ये व्यय उसी समय अस्वीकृत होंगे जबकि इनका भुगतान करदाता ने अपने जीवन-साथी, भाई, बहिन अथवा वंशागत रिश्ते-दारों को किया गया हो। कम्पनी की दशा में ये भुगतान डाइरेक्टर आदि को होने चाहिए।

(4) **2,500 रु० से अधिक का भुगतान** : करदाता ने यदि कुछ ऐसे व्यय किए है जिनका भुगतान 2,500 रु० से अधिक का होता है तो ये व्यय उसी समय स्वीकृत होंगे जबकि भुगतान रेखाँकित चैक अथवा रेखांकित माँग ड्राफ्ट द्वारा किया जाता है। भुगतान यदि अन्य ढंग से किया गया है तो इसे अस्वीकृत करार दे दिया जायेगा। भुगतान यदि किसी ऐसे स्थान में किया जाता है जहाँ बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं अथवा जब यह भुगतान कृषक को किया जाता है तो चैक की पाबन्दी लागू नहीं होगी।

(5) **पारिश्रमिक पर पाबन्दी** : धारा 40 A (5) द्वारा कर्मचारियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर भी पाबन्दी लगा दी गई है। वेतन की अधिकतम सीमा 5,000 रु० मासिक तथा अनुलाभों के लिए वेतन का 1/5 अथवा 1,000 रु० मासिक (दोनों में से जो भी कम हो) निर्धारित की गई है। इस सीमा से अधिक दिया गया पारिश्रमिक अथवा अनुलाभ अस्वीकृत कर दिये जाते हैं।

व्यय जो स्पष्टतया अस्वीकृत हैं [धारा 40]

धारा 40 के अनुसार 'व्यापार व पेशे के लाभों' की गणना करते समय निम्न-लिखित व्ययों को स्वीकृत नहीं किया जाता—

अ. किसी भी करदाता के लिए

1. कोई ऐसी ब्याज जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है व करदाता द्वारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दी गई है किन्तु न तो इसमें से निर्धारित दर से उद्गम स्थान पर आयकर काटा गया है और न ब्याज पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रतिनिधि भारत में है जिससे आयकर की वसूली की जा सके।

2. व्यापार व पेशे के लाभों पर दिया गया कोई अन्य कर, जिसकी गणना लाभों के प्रतिशत के रूप में होती है।

3. किसी भी सम्पत्ति पर दिये जाने वाले सम्पदा कर को आयकर के लिए गणना किये जाने वाले लाभ में से नहीं घटाया जाता।

4. भारत के बाहर दिया गया वेतन यदि इसमें से उद्गम स्थान पर आयकर नहीं काटा गया है तथा वेतन पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रतिनिधि भी भारत में नहीं है जिससे आयकर की वसूली की जा सके।

5. प्राविडेन्ट फन्ड अथवा किसी ऐसे ही अन्य फन्ड में दिया गया **मालिक** का अंशदान यदि करदाता ने ऐसे फन्ड में से कर्मचारी को किये जाने वाले भुगतान के समय उद्गम स्थान पर आयकर काटने की व्यवस्था नहीं की है जबकि ये रकम कर्मचारी के हाथों में करयोग्य है।

ब. किसी भी फर्म की स्थिति में

फर्म के द्वारा साझीदारों को दिया गया कोई ब्याज, वेतन, वोनस, कमीशन व अन्य पारिश्रमिक अस्वीकृत है। किन्तु व्यापार चलाने वाले भवन का स्वामी यदि कोई साझेदार हो जिसे किराया दिया जाता है तो यह स्वीकृत व्यय होगा।

हिन्दू अविभाजित परिवार तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी साझेदारी फर्म से अलग है अत: इनके सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिए दिया गया उचित पारिश्रमिक स्वीकृत कटौती होगा।

स. किसी कम्पनी की स्थिति में

कम्पनी की दशा में आयकर अधिकारी को यह देखना पड़ता है कि इसके द्वारा किये गये व्यय व्यापारिक आवश्यकताओं को देखते हुए उचित है। यदि ये व्यय आवश्यकता से अधिक पाये जाते हैं तो इन्हें निम्नलिखित स्थितियों में अस्वीकृत कर दिया जाता है :

1. कोई ऐसा व्यय जिससे किसी डाइरेक्टर व कम्पनी में सारवान हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अथवा इनके रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी पारिश्रमिक देने की व्यवस्था हो अथवा इनको लाभ व अनुलाभ मिलते हों।

2. कम्पनी के ऐसी सम्पत्तियों के खर्चे आदि जिनका प्रयोग डाइरेक्टर व कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अथवा इनके रिश्तेदारों द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभों के लिये होता हो तथा आयकर अधिकारी की दृष्टि में यह व्यय कम्पनी की आवश्यकतायें देखते हुए उचित से अधिक हो।

टिप्पणी :—ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपर्युक्त सुविधायें यद्यपि प्राप्तकर्त्ता के हाथों में करयोग्य होती है किन्तु कम्पनी के करयोग्य लाभों की गणना करते समय इन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है।

द. बैंकिंग कम्पनी की स्थिति में

बैंक द्वारा किये गये वे व्यय जो इसे 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' की गणना करते समय स्वीकृत कटौती के रूप में स्वीकार किये जा चुके हों।

व्यय एवं भुगतान जो कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति नहीं होते [40A]

जब किसी करदाता द्वारा कोई ऐसा व्यय किया जाता है जिसका भुगतान निम्नांकित व्यक्तियों को किया जाता है तथा आयकर अधिकारी की सम्मत्ति मे यह व्यय व्यापार की आवश्यकताओं को देखते हुए अधिक है अथवा जिस सेवा, माल तथा सुविधा के लिए भुगतान किया जा रहा है उसके बाजारू मूल्य को देखते हुए भी यह अधिक है तो आयकर अधिकारी द्वारा व्यय का यह आधिक्य धारा 40A के अन्तर्गत अस्वीकार किया जा सकता है।

जिन व्यक्तियों का उल्लेख ऊपर किया गया है वे इस प्रकार हैं :—

i. करदाता के व्यक्ति (Individual) होने पर ;	करदाता के रिश्तेदार ।
ii. करदाता के कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय अथवा सम्मिलित हिन्दू परिवार होने पर;	कम्पनी का संचालक, फर्म का साझेदार, समुदाय अथवा परिवार का सदस्य अथवा इनके रिश्तेदार ।

iii. ऐसा व्यक्ति जिसका करदाता के व्यापार व पेशे में सारवान हित है अथवा ऐसे व्यक्ति का कोई रिश्तेदार ।

iv कोई अन्य व्यक्ति जिसका करदाता के व्यापार में सारवान हित है अथवा कोई ऐसा तृतीय पक्ष जो ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है ।

2,500 रु० से अधिक के व्यय

धारा 40 ए (3) के अन्तर्गत 2,500 रुपये से अधिक के वही भुगतान व्यापारिक व्ययों के लिये स्वीकृत होंगे, जो रेखांकित चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा किये जायें ।

ऐसे स्थान जहाँ पर बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नही है अथवा जहाँ व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2,500 रु० से अधिक के भुगतान रोकड़ में किये जाने आवश्यक होते है तो सरकार द्वारा घोषणा की जा सकती है तथा भुगतानों को इस पावन्दी से मुक्त किया जा सकता है । पिछले दिनों जब में बम्बई बैंक कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी तो सरकार द्वारा ऐसी घोपणा कर दी गई थी । किन्तु ऐसी स्थिति में करदाता द्वारा आयकर अधिकारी को भुगतान के सम्बन्ध में आश्वस्त कराने का भार उसी पर हैं ।

निम्नलिखित व्यय ऐसे है जो धारा 40 A (3) की सीमा में नही आते :—

1. जब भुगतान हिसाबी पुस्तकों में प्रविष्टियों के द्वारा ही होता है तथा भुगतान के बदले में करदाता द्वारा कुछ वस्तुयें व सेवायें दी जाती हैं ।

2. ऐसे ग्रामों व कस्बों में भुगतान जहां बैंकिंग सेवायें उपलब्ध नहीं है ।

3. ऐसे कृषकों आदि को भुगतान जो अपने द्वारा उगाई गई उपज को वेचने के लिए प्राप्त करते हैं ।

4. बैंकों, जीवन बीमा निगम आदि को किये गये भुगतान ।

5. अवकाश ग्रहण करते समय किये गये अन्तिम भुगतान, जैसे ग्रेच्यूटी आदि ।

कर्मचारियों को पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा

सरकार का ऐसा विचार है कि राजकीय अधिनियमों के द्वारा हम ऐसे ऊँचे वेतनों के भुगतान पर रोक लगा सकते है जो हमारी घोषित समाजवादी नीति के विपरीत बैठते हैं । इस उद्देश्य से प्रेरित होकर उस वेतन व अनुलाभों की अधिकतक सीमा निर्धारित की गई है जो करयोग्य लाभों के निर्धारण के समय स्वीकार्य व्यय होते हैं ।

धारा 40 A (5) के द्वारा करदाता द्वारा दिये जाने वाले वेतन की अधिकतम सीमा 5,000 रु० मासिक व अनुलाभों की सीमा वेतन का 20% अथवा 1,000 रु० (जो भी कम हो) मासिक निर्धारित की गई है । करदाता द्वारा यदि इससे अधिक भुगतान किया जाता है तो ऐसे आधिक्य को करयोग्य लाभों की गणना के समय छोड़

देते है। यह सीमा केवल उस अवधि के लिए है जिसमें कि कर्मचारी भारत में सेवा करता है व रहता है अर्थात् भारत से बाहर रहने व सेवा करने पर कितना भी अधिक वेतन व अनुलाभ दिये जा सकते है। इस धारा के अन्तर्गत पाबन्दी वाले अनुलाभ निम्नलिखित है :—

i. किरायामुक्त निवास स्थान।

ii. किराये में रियायत।

iii. किसी सुविधा आदि की नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर व्यवस्था।

iv. कर्मचारी के किसी दायित्व का करदाता द्वारा भुगतान।

v. कर्मचारी के लाभार्थ उसी के जीवन पर जीवन बीमा की प्रीमियम।

निम्नलिखित लाभ अपरलिखित सीमा के अन्तर्गत नहीं आते :—

अ. यात्रा सम्बन्धी सुविधा या सहायता जो धारा 10 (5) व 10 (6) (i) के अन्तर्गत करमुक्त है।

ब करदाता द्वारा प्रमाणित प्राविडेण्ड फण्ड, अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड व ग्रेच्यूटी फण्ड में अंशदान।

स. कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन की भावना फैलाने पर किये गये व्यय।

द. भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए किया गया भुगतान।

ह विदेशी प्रविधिज्ञों को दिये गये वे भुगतान जो धारा 10 (6)(vii) व 10 (6)(viia) के अन्तर्गत आते है;

ब. ऐसे कर्मचारी को दिये अनुलाभ व अन्य भत्ते जिसकी वेतन शीर्षक के अन्तर्गत वार्षिक आय 7,500 रु० से अधिक नहीं है।

करयोग्य लाभ [धारा 41]

किसी कर-निर्धारण वर्ष मे यदि कोई हानि, व्यय अथवा अन्य किसी व्यापारिक दायित्व को करयोग्य लाभों की गणना करते समय स्वीकृत कर लिया जाता है व यदि किसी दूसरे कर-निर्धारण वर्ष में इस हानि में कमी हो जाती है अथवा व्यय की गई रकम में से कुछ प्राप्त हो जाती है तो यह कमी व प्राप्ति आदि करयोग्य होते है। उदाहरण के लिए यदि हम मानलें कि गतवर्ष 1973-74 में मशीनों की मरम्मत पर करदाता ने 15,000 रु० की राशि व्यय की जो कि आयकर अधिकारी ने स्वीकार कर ली। मरम्मत के इस बिल का भुगतान अगले वर्ष अर्थात् 1974-75 में किया गया जबकि इसमें 2,000 रु० की छूट प्राप्त की गई। यह 2,000 रु० की राशि गतवर्ष 1974-75 के लिए करयोग्य लाभ की श्रेणी में जायेगी।

अंशत: कृषि आय

1. **चाय कम्पनियों से लाभ**—जैसा कि दूसरे अध्याय में दिया जा चुका है कि चाय कम्पनी के लाभ कुछ अंश में कृषि आय होते हैं तथा कुछ अंशों में व्यापारिक लाभ। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों के अनुसार चाय कम्पनी के लाभों का 60% कृषि आय है अर्थात् कर से पूर्णतया मुक्त है तथा शेष 40% व्यापार से प्राप्त होने वाला लाभ माना जाता है जिस पर आयकर देना पड़ता है।

2. **चीनी मिलों के लाभ**—चीनी मिलों को प्राप्त होने वाले लाभ करयोग्य होते है परन्तु यदि कोई मिल अपना गन्ना स्वय उगाती है तो गन्ने उगाने से सम्बन्धित लाभ कृषि लाभ होते हैं जो कर से मुक्त हैं तथा चीनी निर्माण के लाभ व्यापार के लाभ है व करयोग्य होते हैं। कृषि लाभों को व्यापारिक लाभों से पृथक करने का सबसे अच्छा ढंग यह है कि लाभ-हानि खाते में गन्ना उगाने की लागत के स्थान पर गन्ने का औसत बाजार मूल्य दिखा देना चाहिए। इससे लाभ-हानि खाता केवल व्यापार से प्राप्त लाभ ही दिखा सकेगा।

मानी गई आय (Deemed Incomes)

A. **नकद साख** (Cash Credit)–कुछ व्यापारी अपनी आय को अपने ही नाम में न दिखाकर विभिन्न व्यक्तियों के नाम से उनके खातों में जमा कर लेते हैं। ऐसी जमा रकमें जब आयकर अधिकारी की दृष्टि में आती हैं तो वह करदाता से इन रकमों की प्रकृति व स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह करदाता इन सबके स्पष्टीकरण से यदि आयकर अधिकारी को सन्तुष्ट नहीं कर पाता तो ये सभी रकमें करदाता को गतवर्ष में प्राप्त आय मानी जाती हैं तथा कर योग्य होती हैं [68]

B. **स्पष्ट न किये जाने वाले विनियोग** (Unexplained Investments)—कभी कभी ऐसा होता है कि आयकर अधिकारी को करदाता के पास से कुछ ऐसे विनियोग प्राप्त होते हैं जिनका उल्लेख उसके वहीखाते में नहीं मिलता और न करदाता इन विनियोगों की प्रकृति व स्रोत के बारे में आयकर अधिकारी को सन्तुष्ट ही कर पाता है तो ऐसी स्थिति में धारा 69 के अन्तर्गत इन विनियोगों का मूल्य करदाता की उस गतवर्ष की आय में जोड़ दिया जाता है जिस गतवर्ष में आयकर अधिकारी की जानकारी में आते हैं [69]

C. **स्पष्ट न किया गया धन आदि** (Unexplained money etc.)—किसी, वित्त वर्ष में आयकर अधिकारी को करदाता के पास से यदि कोई ऐसा धन, जेवर सोना, चाँदी अथवा अन्य बहुमूल्य वस्तुयें आदि मिलती है जिनको उसने अपने बहीखाते में नहीं दिखाया है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देकर वह आयकर अधिकारी को सन्तुष्ट नहीं कर सका है व इस धन के स्रोत व प्रकृति के सम्बन्ध में भी यदि आयकर अधिकारी को कुछ पता नहीं लगा है तो इन सभी के मूल्यों का योग कर-दाता की गतवर्ष की आय मानी जाती है तथा इसको कुल आय में शामिल किया जाता है [69A]

D. **ऐसे विनियोग आदि जिनको बहीखाते में पूरा नहीं दिखाया गया**—धारा 69 B के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि यदि करदाता ने किसी वित्त वर्ष में कुछ धन, सोना, चाँदी अथवा बहुमूल्य वस्तुओं को क्रय करने में व्यय किया है अथवा कुछ धन विनियोगों में लगाया है व इन सबके प्राप्त करने में जो धन लगा है उसका सम्पूर्ण विवरण उसके बही-खातों में नहीं मिलता तो जिस रकम का उल्लेख बहीखातों में नही है उस रकम को उस गतवर्ष की आय माना जाता है तथा कुल आय में जोड़ दिया जाता है।

अन्तिम स्टाक का मूल्यांकन

व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय अन्तिम स्टाक के मूल्यांकन का काफी महत्व है। मूल्यांकन यदि सही प्रकार से तथा सही तरीकों से नहीं किया जाता तो व्यापार के लाभों की गणना सही प्रकार से नहीं हो सकती।

इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह बताना अनुपयुक्त न होगा कि अन्तिम स्टाक का मूल्यांकन निम्नलिखित तीन विधियों से किया जाता है––

i. लागत मूल्य सिद्धान्त;
ii. बाजार मूल्य सिद्धान्त;
iii. लागत व बाजार मूल्य में से जो भी कम हो।

अब लगभग सभी न्यायालयों द्वारा यह स्वीकार किया जा चुका है कि करदाता लागत मूल्य व बाजार मूल्य में जो भी कम हो, उसके आधार पर अपने स्टाक का मूल्यांकन कर सकता है। परन्तु इस वर्ष के अन्तिम स्टाक का जो मूल्य होगा वही मूल्य अगले वर्ष के प्रारम्भिक स्टाक का होगा। करदाता इन दोनों रकमों में हेर-फेर नहीं कर सकता। एक बात इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य यह है कि एक बार जो सिद्धान्त काम में लाया जाता है वही सिद्धान्त आगे भी काम में लाया जाता रहेगा जब तक कि सिद्धान्त को बदलने की अनुमति आयकर अधिकारी से प्राप्त नहीं हो जाती।

करारोपण कानून (संशोधन) विधेयक, 1973, के अनुसार इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं :

अ. धारा 35C को सशोधित करके कृषि विकास छट का लाभ कम्पनियों के साथ साथ सहकारी समितियों को भी मिलेगा।

ब. एक नई धारा 44 B आयकर अधिनियम में जोड़ने का प्रास्ताव है जिसके अनुसार उन सभी करदाताओं को, जिनकी इस शीर्षक के अन्तर्गत रु० 25,000 अथवा अधिक की आय होती है अथवा जिनको बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि रु० 2,50,000 अथवा अधिक है, अपनी हिसाब की पुस्तकों व अन्य विवरण अनिवार्य रूप से रखने होंगे।

व्यापार व पेशे के लाभों की गणना किस प्रकार की जाती है ?

1. लाभ-हानि खाते में दिखाये गये लाभ को लेकर गणना प्रारम्भ करते हैं।

2. लाभ हानि खाते के नाम (Debit) की ओर की रकमों पर दृष्टि डालिये तथा यह भी देखिये कि ऐसे कौन से व्यय हैं जो इसमें दिखाये गये हैं परन्तु जो स्वीकृत व्यय नहीं हैं।

3. उपर्युक्त 2 के अन्तर्गत छाँटे गये समस्त अस्वीकृत व्ययों का योग कीजिए तथा लाभ-हानि खाते वाले लाभ में जोड़ दीजिए। शीर्षक यह हो सकता है "जोड़िये अस्वीकृत व्यय" (Add : "disallowed expenses")।

4. अस्वीकृत व्ययों को छाँटते हुए प्रश्न के नीचे दी गई विभिन्न सूचनायें व टिप्पणियाँ भी देखी जानी चाहिये।

5. इसी प्रकार लाभ हानि खाते के जमा (Credit) की ओर दृष्टि डालिये तथा ऐसी आयों को ढूँढ निकालिये जो व्यापार व पेशे के लाभों के अन्तर्गत न आकर किन्हीं अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आती हैं। ऐसी आयों को घटा देना चाहिये—"घटाइये ऐसी आय जो अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आयेगी।" ("Less : Income to be shown under other heads")।

6. प्रश्न के नीचे दी गई सूचनाओं से यह भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि कुछ ऐसी आयें तो नहीं हैं जो लाभ हानि में नहीं दिखाई गई हैं। ऐसी आयों को लाभ में जोड़ देना चाहिए।

इस प्रकार से उपर्युक्त समायोजनाओं के पश्चात् जो धनराशि शेष रहती है वही व्यापार के करयोग्य लाभ होती है।

उदाहरण

(1) निम्नलिखित के बारे में आप क्या करेंगे :

(a) आफिस के काम के घंटों के दौरान एक अजनबी व्यक्ति ने गल्ले से रोकड़ चुराई।

(b) अंशधारियों द्वारा कम्पनी के समापन के लिए दिये गये पिटीसन से बचाव के लिए कम्पनी ने व्यय किया।

(c) ग्राहकों द्वारा बैंक के पास रहन रखे गये गहनों को चोर चुरा ले गये; तथा बैंक को इस हानि की पूर्ति करनी पड़ी।

(d) रायल्टी के वार्षिक भुगतान के एवज में मिली एक मुश्त रकम।

(c) चीनी की मिल द्वारा गन्ना उत्पादकों को दिया गया धन सूखे की स्थिति के कारण वसूल न हो सका।

(a) It is not a trading loss being not incidental to business. It is immaterial th t the theft took place durinh office hours.

(b) Expenditure incurred by the company to sustain and maintafn its existence should be treated as revenue expenses and therefore allowable.

(c) Though the bank was not obliged to make good the loss due to theft being a bailee, yet the payment is made to saue the reputation and goodwill of the bank. The expenditure was incurred wholly and exclusively for the business and so allowed.

(d) Lump sum received in liew of annual payment of royalty is a revenue recipt and therefore taxable like any other trading receipt.

(e) The loss the sugar mill on account of non-recovery of advances to the sugarcane growers is of revenue nature and so allowable.

(2) श्री कस्तूरीमल का 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ-हानि खाता निम्नाँकित है :

वेतन	30,000	सकल लाभ नी/ला	1,50,000
आफिस के खर्चे	15,000	बैंक ब्याज	500
प्रतिभूतियों पर ब्याज की वसूली व्यय	50	प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	1,000
बिक्री पर कमीशन	12,000	भवन सम्पत्ति से प्राप्त किराया	5,000
किराया	10,000		
मनोरंजन व्यय	1,000		
किराये पर दिये गये मकान के लिए नगरपालिका कर	500		
मरम्मत	3,000		
बुरे ऋण	8,500		
शुद्ध लाभ	76,450		
	1,56,500		1,56,500

बुरे ऋणों में 1,500 रु० की ऐसी धनराशि सम्मिलित है जिसे भविष्य में होने वाले बुरे ऋणों के लिए संचित किया गया है। आप श्री कस्तूरीमल को व्यापार व पेशे से होने वाले करयोग्य लाभ एवं अन्य शीर्षकों से हुई करयोग्य आय की गणना कीजिए।

		Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account		76,450
Add Expenses not allowed :		
a Collection charges on interest	50	
b. Entertainment expenses	1,000	
c. Municipal taxes	500	
d. Bad debts reserve	1,500	3,050
		79,500
Less Incomes to be shown separately		
1. Interest on securities	1,000	
2. Rent from house property	5,000	6,000
Taxable Profits		73,500
Gross Total Income :		
1. Interest on securities	1,000	
Less collection charges	50	950
2. Rent from house Property	5,000	
Municipal taxes	500	
Annual Value	4,500	
Less 1/6th for repairs	750	3,750
3. Profits from business		73,500
Gross Total Income		78,200

Notes :
1. Entertainment expenses are not allowed.
2. Bad debts reserve is not business expenditure and, therefore, not allowed.
3. Collection charges and municipal taxes belong to other heads of income and, therefore, disallowed.

(3) आदर्श घुट्टी हाल एक एकाकी व्यापार है जो भारतीय ढंग की दवायें बनाने का कारोबार करते है। 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी प्राप्तियाँ व भुगतान नीचे दिये गये हैं।

		रु०		रु०
कच्चा माल		1,10,000	कुल प्राप्तियां	5,40,500
विज्ञापन		1,20,000	किराये की आय	6,000
वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय :				
आयगत	10,000			
पूँजीगत	70,000			
		80,000		
विक्रेताओं को दिया गया कमीशन		85,700		
रोकड़िया द्वारा गबन		3,300		
आयकर का आग्रिम भुगतान		1,000		
विविध व्यय		10,000		
ह्रास के लिए संचय		30,000		
बुरे ऋण		5,000		
बुरे ऋण के लिए संचय		10,000		
शुद्ध लाभ		91,500		
		5,46,500		5,46 500

अन्य महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार है :

1. 'विज्ञापन' व्ययों में साइनबोर्डों की कीमत का 1,00,000 रु० शामिल है, जिन्हें एजेन्टों में बाँटा गया है।
2. स्वीकृत ह्रास 22,000 रु० ।

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आदर्श घुट्टी हाल की कुल सकल आय निकालिए।

Net Profit as per P. & L. Account		91,500
Add Expenses not allowed :		
Advance income-tax paid	1,000	
Depreciation reserve	30,000	
Bad debts reserve	10,000	
Capital expenditure on advertisement	1,00,000	1,41,000
		2,32,500
Less Admissible depreciation		22,000
		2,10,500
Less Rental income to be shown separately		6,000
	Taxable profit	2,04,500

Incomo from House property :

Rental income	6,000
Less Local taxes	—
Annual Value	6,000
Less 1/6th for repairs	1,000
Taxable Income from house property	5,000

Gross Total Income :

Income from house property	5,000
Profits from business	2,04,500
Gross Total Income	2,09,500

Notes—

1) Embezzlement by cashier is allowed as it is incidental to business.
2) No reserve is allowed. In view of this, depreciation reserve and bad debts reserve are not allowed.
3) Cost of permanent boards is capital expenditure and therefore, not allowed.

(4) डा० (श्री मती) गायत्री वर्मा, कारवार में चिकित्सक हैं। उन्होंने 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपना आय व्यय लेखा इस प्रकार बनाया है :

	रु०		रु०
दवाओं की लागत	10,300	बिक्री	20,430
वेतन व मजदूरी	12,000	परामर्श शुल्क	12,300
प्रयोगशाला व्यय	5,000	निरीक्षण शुल्क	9,250
फर्नीचर खरीदा	8,000	रोग-विज्ञान परीक्षा	8,500
क्लिनिक का किराया	5,000	सिविल हास्पीटल से मानदेय	12,000
जनसघ को दान	1,100	पोस्ट आफिस बचत खाते पर ब्याज	200
अखिल भारतीय मैडिकल		मरीजों से उपहार	5,000
एसोसिएशन को चन्दा	200		
घरेलू व्यय	8,800		
कार के खर्चे	6,000		
आधिक्य	11,280		
	67,680		67,680

कार के खर्चों में एक तिहाई व्यक्तिगत इस्तैमाल से सम्बन्धित है । मरीजों से उपहार में 2,000 रु० ऐसे है जो उन्हें अपने पिता से व्यक्तिगत उपहार के रूप मे प्राप्त हुए है । आप डा० वर्मा की आय निकालिए ।

			Rs.
Total receipts from profession :			
1.	Sale Proceeds	20,430	
2.	Consultation charges	12,300	
3.	Visits	9,250	
4.	Pathological tests	8,500	
5.	Honourarium from Hospital	12,000	
6.	Gifts from Patients 5,000 –2,000	3,000	65,480
Less : **Admissible Expenses :**			
1.	Cost of Medicines	10,300	
2.	Salaries and wages	12,000	
3.	Laboratory expenses	5,000	
4.	Rent of Clinic	5,000	
5.	Subscription	200	
6.	Car expenses (6,000 – 2,000)	4,000	36,500
	Total gains from profession		28,980

Notes :—

1. Gifts received from patients are taxable as business profits. Gifts received in personal capacity are, however, cannot be taxed.
2. Car expenses attributable to private use have been adjusted.
3. Interest on Post Office S. B. is completely tax-free.
4. Honourarium received from Civil Hospital is not salary.
5. Donation is never a business expenditure.
6. Furniture bought is capital expenditure.

(5) श्रीमती गीता भार्गव बीजापुर में चार्टर्ड एकाउण्टेट हैं तथा प्रैक्टिस करती है । उनके रोकड़ी लेनदेन का सारांश नीचे दिया गया है :

	रु०		रु०
आफिस के खर्चे	10,000	आडिट शुल्क	20,510
आफिस के लिए दिया गया किराया	5,000	परामर्श शुल्क	10,000
वेतन व मजदूरी	12,050	अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का शुल्क	15,000
स्टेशनरी व छपाई	1,000	विविध	20,000
चार्टर्ड एकाउण्टेंट इन्स्टीट्यूट को दिया गया चन्दा	3,000	प्रातिभूतियों पर ब्याज (शुद्ध)	7,700
पुस्तकें खरीदीं	1,300	प्राप्त किराया	10,000
यात्रा व्यय	5,800	मुवक्किलों से उपहार	10,000
बैंक से लिए ऋण पर ब्याज	3,000		
राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान	5,000		
आधिक्य	47,060		
	93,210		93,210

श्री मती भार्गव जिस मकान में रहती है, उस मकान को बनवाने के लिये बैंक से ऋण लिया गया था। मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 5,000 रुपये है, जिस पर स्थानीय करों के 500 रु० वार्षिक दिया जाता है। यात्रा व्यय का ¼ भाग अस्वीकृत है। श्री मती भार्गव की पेशे से आय व अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत होने वाली कर योग्य आय निकालिए।

Gross receipts from Profession :

1.	Audit fees	20,510	
2.	Consultation	10,000	
3.	Appellate Tribunal appearance	15,000	
4.	Miscellaneous receipts	20,000	
5.	Presents from clients	10,000	75,510

Admissible expenses :

1.	Office expenses	10,000	
2.	Rent paid	5,000	
3.	Salaries and wages	12,050	
4.	Stationery and Printing	1,000	
5.	Subscription	3,000	
6.	Travelling expenses (5,800—1,450)	4,350	
7.	Books bought	1,300	36,700
	Taxable gains		38,810

Income frome House Property :

Let out house : Rent received	10,000
Local taxes	—
Annual Value	10,000

Self occupied house :

Municipal value	5,000	
Less Local taxes	500	
	4 500	
Less Statutory deduction	1,800	2.700
Annual Value of both houses		12,700
Less Repairs 1/6th of A. V.	2,117	
Interest on bank loan	3,000	5,117
Taxable income from house property		7,583

Gross Total Income :

1. Interest on securities $\frac{7,700 \times 100}{77}$	10,000
2. Income from house property	7,583
3. Profit and gains from business	38,810
Gross Total Income	56,393

Notes :—

(1) Net amount of interest on securities has been made gross by multiplying it by 100/77.

(2) Books are known as plants. In case the actual cost of plant does not exceed Rs. 750, it is to be allowed in full. Assuming that no single book costs more than Rs. 750, the cost of the books purchased is to be allowed in full.

(3) Interest on bank loan has been deducted from annual value of house property for which the loan amount was utilised.

(4) Donation to National Defence Fund is not business expense.

(5) Presents from clients is taxable as income from profession.

(6) कलबुर्गी मिष्ठान भन्डार गुलबर्गा का व्यापार व लाभ-हानि खाता इस प्रकार है।

	रु०		रु०
कच्चे माल का प्रारम्भिक स्टाक	21,600	बिक्री	1,50,000
चीनी, मैदा व तेल	60,500	अन्तिम स्टाक	25,310
कोयला तथा अन्य ईंधन	10,200		
कारीगरों का वेतन	12,000		
सकल लाभ नी/ग	71,010		
	1,75,310		1,75,310

आफिस स्टाफ का वेतन	12,000	सकल लाभ नी/ला	71,010
आयकर सलाहकार की फीस	500	ग्राहकों से ब्याज	510
आयकर	2,700	बैंक से ब्याज	3,200
व्यापारिक स्थान का किराया	5,000	किराया प्राप्त हुआ	10,700
रिहाइशी मकान का किराया	3,700		
विज्ञापन	10,800		
नगरपालिका कर	700		
कर्मचारियों को बोनस	5,000		
विविध व्यय	8,000		
शुद्ध लाभ	37.020		
	85.420		45,420

विविध व्ययों में 3,000 रु० दण्ड के सम्मिलित है जो मिलावट के लिए करदाता पर लगाया गया था। आयकर अधिकारी द्वारा बुरे ऋण 500 रु० एवं ह्रास के 3.000 रु० स्वीकृत माने जाते है। आय गतवर्ष के लिए मिष्ठान्न भण्डार की कुल सकल आय की गणना कीजिए।

			Rs.
Net Profit as per Profit and Loss a/c			37,020
Add Expenses disallowed :			
Income tax paid		2,700	
Rent of residential house		3,700	
Fine for adulteration		3,000	
Municipal taxes		700	10,100
			47,120
Less expenses not shown in P. & L. A/c			
Bad debts	500		
Depreciation	3,000		3 500
			43.620
Less Income to be shown separately—Rent received			10,700
Taxable profits from business			32,920
Income from house property :			
Rent received		10.700	
Less Municipal taxes		700	
Annual Value		10,000	
Less 1/6th for repairs		1,667	
		8,333	
Gross Total Income :			
Taxable Income from house property			8,333
Profit from business			32,920
Gross Total Income			41,253

Notes : 1. Interest from bank is assumed to be on deposits of business funds.
2. Income-tax paid is not expense.
3. Fine for adulteration cannot be allowed in computing business profits.

7. मैसर्स आर० वी० नायर एण्ड कम्पनी कोयम्बटूर सिले हुए कपड़े बनाने व निर्यात करने का व्यवसाय करते हैं। उनका व्यापार व लाभ हानि खाता यहाँ दिया गया है जिससे आपको कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए उनकी कुल आय निकलनी है।

	रु०		रु०
कपड़े तथा अन्य कच्चे माल का प्रारम्भिक स्टाक	72,500	बिक्री	2,10,900
खरीद	3,40,300	निर्यात	8,00,100
विनिर्माण व्यय	1,20,000	अन्तिम स्टाक	61,200
मजदूरी	2,10,000		
सकल लाभ नी/ग	3,29,400		
	10,72,200		10,72,200

आफिस के खर्चे	55,300	सकल लाभ नी/आ	3,29,400
प्राविडेन्ट फण्ड में अंशदान	5,100	इकट्ठी खरीदारी के लिए मिला बोनस	50,000
ब्याज	10,000	बुरे ऋणों की वसूली	30,000
यात्रा व्यय	30,000		
लन्दन आफिस के व्यय	50,000		
विदेशी यात्रा व्यय	80,000		
पेटेन्ट अधिकारों की लागत	42,000		
बुरे ऋण	10,000		
शुद्ध लाभ	1,27,000		
	4,09,400		4,09,400

अन्य सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है :

स्वीकृत ह्रास 7,000 रु०, बुरे ऋणों की वसूली में 7,500 रु० की एक ऐसी धनराशि सम्मिलित है जो आयकर अधिकारी ने उस समय अस्वीकृत कर दिया था जबकि बुरे ऋणों का दावा प्रस्तुत किया था; वेतन में 20,000 रु० की एक ऐसी राशि है जो अनिवासी करदाता को दी गई है किन्तु जिसमें से उद्गम स्थान पर आयकर नहीं काटा गया, इस अनिवासी करदाता का भारत में कोई ऐसा प्रतिनिधि भी नहीं है जिससे आयकर वसूल किया जा सके। प्राविडेन्ट फंड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

		Rs.
Net Profit as per Profit & loss A/c		1,27,000
Add : Expenses not allowed :		
Cost of patent rights	42,000	
Salary paid without deduction of tax	20,000	
Provident Fund contribution	5,100	67,100
		1,94,100
Less Admissible expenses : Depreciation		7,000
		1,87,100

Less Bad debts recovered not allowed earlier as bad debts		7,500
		1,79,600
Add Expenses to be claimed differently		
Travelling outside India	80,000	
London office expenses	50,000	1,30,000
		3,09,600
Less Export Markets Development allowance 1 and 1/3 of Rs. 1,30,000		1,73,333
		1,36,267
Less patent rights being written off (1/14th of Rs. 42,000 each year)		3,000
	Taxable profits	1,33,267

Notes :

1. Contribution to unrecognised provident fund cannot be allowed.
2. Cost of patent rights is to be written off over a period of 14 years.
3. Travelling outside India and maintaining of an office in London, both for increasing exports qualify for export markets development allowance which is 1⅓rd times of actual expenses.
4. Amount of bad debts recovered cannot be taxed if it had not been allowed by the Income-tax officer as bad debts is the past.
5. Salary paid to non-resident without deduction of tax at source is not allowed.

8. मैसर्स तोन्गल मठ एण्ड सन्स ज्यादातर एजेन्सी व्यापार करते हैं। इन्हें भवन सम्पत्ति से किराया एवं ब्याज भी प्राप्त होता है। निम्नलिखित सूचना से आपको सम्बन्धित गतवर्ष के लिए उनकी कुल आय निकालनी है :

1. हिन्दुस्तान लीवर से 3,00,000 रु० की बिक्री पर 7% की दर से कमीशन।
2. ब्रुकबाण्ड आफ इन्डिया की चाय की 2,70,000 रु० की बिक्री पर 5% कमीशन।
3. ग्लैक्सो प्रोडक्ट्स की 2,00,000 रु० की बिक्री पर 6½% कमीशन।
4. टाटा आयल की एजेन्सी समाप्त होने पर मिली क्षतिपूर्ति 15,000 रु०।
5. करदाता द्वारा भट्ट एण्ड सन्स उडीपी के साथ एजेन्सी समझौते मे किये गये कुछ सुधारों के लिए दी गई क्षतिपूर्ति, 5,000 रु०।
6. भवन सम्पत्ति से प्राप्त किराया 5,000 रु०; नगरपालिका कर जो किराएदार द्वारा दिये गये 250 रु०।
7. टाटा आयरन एण्ड स्टील क० लि० के 7% ऋणपत्रों पर मिला ब्याज, शुद्ध राशि 5,390 रु०।

निम्नलिखित व्यय भी किए गए हैं :

दुकान का किराया 5,000 रु०, लिपिकों को वेतन 12,000 रु०, विज्ञापन 30,000 रु०; प्रिंटिंग व स्टेशनरी 10,000 रु०, मजदूरों को मजदूरी 15,000 रु०, आयकर का भुगतान 10,000 रु०, आयकर अपील के व्यय 3,000 रु०, विविध व्यय 15,000 रु०। आप फर्म की कुल सकल आय निकालिए।

Total Receipts :

1.	Commissission from Hindustan Lever 7% of Rs 3,00,000		21,000
2.	Commission from Brooke Bond 5% on 2,70,000		13,500
3.	Commission from Glaxo, 6,1/2% on 2,00,000		13,000
4.	Commission for termination of agency		15,000
			62,500
	Less Admissible expenses :		
1.	Compensation paid by the assessee	5,000	
2.	Shop rent	5,000	
3.	Clerical staff salaries	12,000	
4.	Advertisements	30,000	
5.	Printing & Stationery	10,000	
6.	Wages	15,000	
7.	Income-tax appeal expenses	3,000	
8.	Miscellaneous expenses	15,000	95,000
	Loss from business		—32,500

Income from house property :

Rent received	5,000	
Municipal Taxes	—	
Annual Value	5,000	
Less 1/6th for repairs	833	4,167

Gross Total Income :

1.	Interest on securities $\frac{5,390 \times 100}{77}$	7,000
2.	Income from house property	4,167
3.	Loss from business	—32,500
	Loss	—21,333

Notes :—

1. Compensation received for termination of agency is taxable.
2. Similary any compensation paid by the assessee for termination of agency or modifying the terms of agreement is allowable deduction.
3. Income-tax paid is not business expense.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. निम्नलिखित मदें व्यापार से कर-योग्य लाभ की गणना करने में किन परिस्थितियों में अस्वीकृत कटौती हैं।

(i) मरम्मत (ii) बीमा प्रीमियम (iii) ब्याज (iv) कानूनी व्यय (v) विनियोगों पर ह्रास।

2. 'व्यापार' शब्द की परिभाषा कीजिये एवं उन कटौतियों का वर्णन कीजिए जो व्यापार की करयोग्य आय निकालने में स्पष्टतया स्वीकृत हैं।

3. उन कटौतियों का स्पष्ट उल्लेख कीजिये जो व्यापार की कर-योग्य आय निकालने के लिए स्वीकृत होती हैं।

4. उन कटौतियों का वर्णन कीजिए जो व्यापार की कर-योग्य आय निकालने में स्पष्टतया अस्वीकृत हैं।

5. उन व्ययों का स्पष्ट वर्णन कीजिए जो व्यापार की कर-योग्य आय निकालने में स्वीकृत हैं तथा उन व्ययों अथवा हानियों को बताइये जो अस्वीकृत हैं।

6. निम्नलिखित के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये– (i) चीनी कम्पनियाँ, और (ii) चाय कम्पनियाँ

7. निम्नलिखित के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति का स्पष्टीकरण कीजिए:— (अ) नकद साख (ब) न स्पष्ट किये गये विनियोग (स) न स्पष्ट किया गया धन आदि, एवं (द) व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन ।

8. एक भारतीय दवा निर्माता ने 1968 में 35,000 रु० की लागत से एक अनिवासी दवा निर्माता से एक दवा के लिए पेटेन्ट अधिकार खरीदे तथा इसका बनाना शुरू कर दिया । आप बताइये कि दवा निर्माता पेटेन्ट अधिकारों की लागत को करयोग्य लाभ निकालने के लिए किस प्रकार दिखा सकता है । ?

9. व्यापार के लाभों की गणना में निम्नलिखित मदों को स्वीकृत किए जाने के बारे में लिखिये :

a. मृत कर्मचारी की विधवा को दी गई पेन्शन
b. एक व्यापारिक सम्बन्ध को तोड़ने के लिए किये गए व्यय जिससे कि भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा जा सके ।
c. दूसरे व्यक्ति की साख को प्रयोग करने पर दिया गया भुगतान जो बिक्री पर एक निश्चित दर के अनुसार दिया गया था ।
d. कस्टम अधिकारियों द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड से बचाव करने पर किये गये कानूनी व्यय ।
e. अपने ग्राहकों में आफिस बैग वितरित करने पर हुआ खर्चा ।

10. करदाता द्वारा प्राप्त निम्नलिखित धनराशियों की करयोग्यता पर प्रकाश डालिए :

a. समय से पहले नौकरी समाप्त किये जाने पर कर्ममचारी को अपने नियोक्ता से मिली क्षतिपूर्ति की राशि ।

b. निश्चित समय से पहले एजेन्सी समाप्त किये जाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, करदाता के पास आय का साधन यही एजेन्सी थी ।

c. सरकार ने करदाता की वह जगह ले ली जहाँ छापाखाना चलता था । छापाखाना वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया । इस हटाने में करदाता को जो लाभ कमाने में कमी पड़ी, उसके लिए सरकार से क्षतिपूर्ति मिली ।

Practical Questions

1. The following is the Income and Expenditure Account of Mr. L.N. Vakil for the year ending 31st March, 1975. You are required to prepare a statement showing his Gross Total Income.

Income and Expenditure Account for the year ending 31st March, 1975.

	Rs.		Rs.
To Household expenses	9,455	By Legal fees	26,030
To Office expenses	7,300	By Income from acting as special Commission	400
To Charity	500	By Gains on race course	2,850
To Income-tax	900	By Dividends on shares(net)	1,540
To Loss on shares sold	2,800	By Profits on sale of Govt. securities	1,010
To Gratuity to one of his disabled clerks	600		

To Net Income	14,250	By Interest on advances	890
		By Presents from clients	1,000
		By Director's Fees	300
		By Bank interest	335
		By Interest on Postal Saving Bank	450
		By Dividends from Co operative societies declared out of profits	1,000
Total	35,805	Total	35,805

2. Dr. Panna Lal Varshney is a leading medical practitioner at Agra who has summarised his cash dealings of the year 1974-75 as under. You, as an Income-tax Consultant, are required to prepare a statement showing profit from profession.

	Rs.		Rs.
Balance B/D	4,544	Income-tax	700
Consultation fees	8,854	Rent of the clinic	500
Visiting fees	8,000	Household expenses	3,000
Loan from Bank	1,500	Car expenses	1,000
Sale of medicine	8,000	Cost of medicines	4,000
Gains on race course	1,500	Local taxes on house	180
Profit on sale securities	1,000	Surgical equipment	2,000
Gifts from patients	1,500	Purchase of a car	2,500
Interest on Post Office Savings Bank a/c	100	Interest on loan	100
Dividends (gross)	1,400	Donation to approved institution	500
Rent from house property	1,800	Salary to compounder	900
		Life Insurance Premium	500
		Gift to sister	400
		Loan repaid	1,500
		Balance c/d	20,418
	38,198		38,198

Allowable depreciation on surgical equipments and the car is Rs. 500. 1/4th of the car expenses are considered to be on personal use. Dr. Varshney had advanced a loan of Rs. 10,000 to his friend Ghosh who promised to pay him interest of Rs. 1,800 p.a. For the assessment years 1973-74 and 1974-75 he had taken into account the interest receivable from Ghosh though not actually received. In March, 1975, the loan turns out to be not recoverable and he now claims a deduction of Rs. 3,600 on the plea that it had been taxed earlier but the amount has never been received.

Dr. Varshney undertook a tour of several hospitals in Europe in order to keep himself uptodate in the techniques of his profession and

spent a sum of Rs. 10.000 excluding his personal expenses during the period The amount is claimed as a deduction.

3. From the following Profit and Loss Account of a business for the period ended 31-3-1975 ascertain the taxable profits from business and the Gross Total Income, for the assessment year 1975-76.

	Rs.		Rs.
Office Salaries	10.000	Gross Profit	58,000
Proprietor's Salary	5.000	Profit on sale of residential house	20,000
Interest on Proprietor's capital	2.000	Bad debts recovered (not allowed as deduction by I.T.O. in previous year for lack of proof)	5,000
General Expenses	5 000	Interest from Govt. securities (Gross)	4.000
Bad debts	2.000	Dividends from agricultural companies (Gross)	2,000
Advertisements	4.500	Interest from Post Office Cash Certificates and on $3\frac{1}{2}\%$ National Savings Certificates	2,000
Fire Insurance Premium	2.000		
Depreciation	4.000		
Reserve for Sales tax	10.000		
Income-tax on last assessment	4.000		
Advance Income-tax paid	2.000		
Donations to Delhi University	1.000		
Legal charges for defending a suit for alleged breach of a trading contract	500		
Motor Car Expenses	1.000		
Net Profit	38.000		
	91,000		91.000

General expenses include Rs. 1,000 paid as compensation to an old employee whose services were terminated as his continuing in service was considered detrimental to the profitable conduct of the company's business and Rs. 200 by way of help to a poor university student. The depreciation is found to be in excess by Rs. 1,800.

The advertisement cost includes one new sign board Rs. 500, calendars and diaries Rs. 1.500. Motor Car expenses include Rs. 500 attributable to private use of the car. The assessee has received demand notices of sales tax for earlier years amounting to Rs. 10,000 and he has not disputed the liability.

4. The following is the Trading and Profit and Loss Account of Hide Profits (P) Ltd.. for the year ended 31st Dec., 1974 :

Dr.		Rs.	Cr.	Rs.
Opening stock of :—			Sales of finished products	6,00,000
i) Fully treated hides and skins		2,00,000	Closing stock of:—	
ii) Raw hides and skins		1,50,000	i) Fully treated hides and skins	1,50,000
iii) Tanning materials		50,000	ii) Raw hides & Skins	70,000
Purchases of—			Sundry receipts	5,000
i) Raw hides and skins		1,00,000		
ii) Tanning materials		50,000		
Wages for labour		80,000		
Salaries		50,000		
Rent for godowns and factory		12,000		
Depreciation		5,000		
Reserve for—				
i) Bonus to staff	20,000			
ii) Bad debts	20,000	40,000		
Interest		30,000		
Director's Fees		3,000		
Net Profits		55,000		
		8,25,000		8,25,000

The following information is available from the records :—

(a) The closing stock of finished products has been marked down by 15% below cost on the ground that the Market has fallen.

(b) There was a balance of stock of tanning materials at the end of the accounting year, to the value of Rs. 30,000. This was transferred to the personal account of one of Directors who had agreed to purchase it.

(c) Wages include Rs. 25,000 transferred to an approved superannuation account maintained for the benefit of the employees.

(d) Salaries include Rs. 10,000 remitted to the agent employed in London.

(e) Depreciation is for the godown and factory and has been calculated correctly at the rates prescribed for such buildings.

(f) Reserve for bonus of Rs. 20,000 is on accouut of bonus payable to workmen for the year 1971-72 as a result of an agreement reached with them on 1st April, 1974.

(g) Interest is to a bank on a loan taken by pledging raw hides and skins worth Rs 2,50,000. The full loan is shown as outstanding on 31st Dec., 1974 in the Balance Sheet.

(h) Sundry receipts include Rs. 3,000 being dividend from Units purchased from the Unit Trust of India.

(i) No dividend is declared for the year by the Company.

Compute profits from business of the company for the assessment year 1975-76.

ह्रास तथा विकास सम्बन्धी छूट 10

(DEPRECIATION AND DEVELOPMENT REBATE)

पिछले अध्याय में व्यापार के लाभों की गणना के समय हमने कुछ कटौतियों का जिक्र किया था। इनमें ह्रास एवं विकास छूट भी शामिल थे। इस अध्याय मे हम इन छूटों का विस्तृत अध्ययन करेंगे।

ह्रास

आयकर अधिनियम में कहीं भी ह्रास की परिभाषा नहीं दी गई है परन्तु साधारण बोलचाल की भाषा में इससे आशय किसी भी पूँजी सम्पत्ति में होने वाली घिसावट से है। यह घिसावट सम्पत्ति के प्रयोग से अथवा कभी कभी समय के गुजरने से भी हो जाती है, व्यापार के लिए सम्पत्ति की घिसावट लागत का एक आवश्यक अंग है। अत: जब तक लाभ हानि खाते में ह्रास नहीं दिखाया जाता, शुद्ध लाभ अथवा हानि का सही ज्ञान होना कठिन है। ह्रास से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के विभिन्न प्राव-धान इस प्रकार हैं :—

1. **भवन, मशीन, प्लांट व फर्नीचर**—धारा 32 (1) के "अनुसार ऐसे भवन, मशीन, प्लांट व फर्नीचर के लिए ही ह्रास सम्बन्धी कटौती मिलती है जिसका प्रयोग करदाता अपने व्यापार संचालन के लिए करता है"। इनके अतिरिक्त किसी अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में ह्रास नहीं मिलता। प्लांट शब्द में पुस्तकें, सर्जीकल औजार, जहाज व सभी वाहन आदि शामिल होते हैं। परन्तु इसमें पशु तथा व्यापारिक स्टाक नहीं आता है। 'भवन शब्द के अन्तर्गत पुल, गोदाम, भण्डार खाने आदि सभी आ जाते हैं।

2. **करदाता को सम्पत्तियों का स्वामी होना चाहिये**—ह्रास सम्बन्धी कटौती उस समय मिलती है जबकि करदाता के व्यापार व पेशे के संचालन में काम आने वाली सम्पत्तियाँ उसी के स्वामित्व में हों। सम्पत्तियों को यदि किराये पर लिया गया है तो फिर ह्रास का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्गमित विभागीय सूच-नाओं मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सम्पत्ति किराया खरीद (Hire purchase) द्वारा क्रय की जाती हैं उन पर ह्रास देने की व्यवस्था है बशर्ते कि करदाता आयकर अधिकारी को किराया खरीद से सम्बन्धित प्रपत्र दिखादें।

3. **पट्टे पर लिए गये व्यापारिक भवन** : व्यापार व पेशा यदि पट्टे पर अथवा किराये पर लिए हुए भवन में चलाया जाता है तथा करदाता द्वारा इस भवन में सुधार, नवीनीकरण अथवा विकास के लिए कुछ पूँजी व्यय किये जाते हैं जिनके फलस्व-रूप या तो भवन का विस्तार होता है अथवा कोई अन्य ढाँचा तैयार होता है तो इनके लिए भी करदाता को साधारण ह्रास एवं अन्तिम ह्रास पाने का अधिकार होगा। यह अधिकार उन्ही पूँजी व्ययों के सम्बन्ध में है जो 31 मार्च, 1970 के बाद में किये जाते हैं।

4. **वास्तविक प्रयोग**--सम्पत्ति के वास्तविक प्रयोग के लिए ही ह्रास स्वीकृत होता है। अर्थात् यदि आधी सम्पत्ति का प्रयोग करदाता के व्यक्तिगत कार्यों के लिये तथा आधी का प्रयोग व्यापार के लिये होता है तो केवल आधी सम्पत्ति पर ही ह्रास की छूट मिल सकेगी।

5. **पशु आदि**—यह स्पष्ट है कि प्लांट की परिभाषा में पशुओं को शामिल नहीं किया जाता। अतः यदि मृत पशु पर कोई हानि हुई है अथवा किसी निरर्थक पशु को बेचने से कोई हानि हुई है तो यह हानि स्वीकृत होगी। यदि कोई निरर्थक पशु व्यापार में बना रहता है तो उसकी दिन प्रतिदिन घटने वाली कीमत के सम्बन्ध मे ह्रास की छूट नहीं मिल सकती।

6. **सम्पत्ति की बिक्री आदि**—जिस गतवर्ष में सम्पत्ति को हस्तांतरित किया गया है, बेचा गया है अथवा सम्पत्ति नष्ट हो गई है उस वर्ष में इस सम्पत्ति पर ह्रास की छूट देने की व्यवस्था नहीं होती क्योंकि ऐसी बिक्री आदि से होने वाला लाभ अथवा हानि किसी अन्य धारा के अन्तर्गत व्यापार की ही लाभ-हानि समझी जाती है जिसे कर-योग्य लाभ अथवा अन्तिम ह्रास भी कह सकते हैं।

7. **सम्पूर्ण ह्रास की रकम सम्पत्ति की लागत से ज्यादा नहीं हो सकती**—मशीन, फर्नीचर आदि पर मिला हुआ ह्रास (जिसमें प्रारम्भिक ह्रास भी शामिल है) उसके लागत मूल्य से अधिक नही हो सकता। विकास सम्बन्धी छूट इसमे सम्मिलित नहीं है।

8. **सम्पत्ति जिनका प्रयोग डाइरेक्टर करते हैं**—यदि कम्पनी की कुछ सम्पत्तियों का प्रयोग कम्पनी के डाइरेक्टरों द्वारा पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से होता है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी को यह निश्चित करने का अधिकार होगा कि किन सम्पत्तियों पर कितना ह्रास कम्पनी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त है।

9. **सम्पत्ति का विवरण दाखिल होना**—किसी सम्पत्ति पर ह्रास की छूट तभी मिल सकती है जबकि करदाता द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम संख्या 12 के अन्तर्गत निर्धारित फार्म पर सम्पत्ति के सभी विवरण तथा सूचनायें लिखकर आयकर अधिकारी के पास जमा कर दिये जायें।

10. **वास्तविक लागत तथा अपलिखित मूल्य**—ह्रास की गणना समुद्र में चलने वाले जहाजों को छोड़कर सभी सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्यों पर आधारित रहती है। जहाजों पर ह्रास निकालने के लिए प्रत्येक बार वास्तविक लागत पर ही ह्रास की गणना की जाती है। सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रथम वर्ष में तो वास्तविक मूल्य ही महत्वपूर्ण है।

ह्रास के प्रकार

1. **साधारण ह्रास** : साधारण ह्रास का वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 32 (1) व आयकर नियम संख्या 5 के अन्तर्गत दिया गया है। ह्रास की राशि इस बात पर निर्भर नहीं होती कि गतवर्ष में सम्पत्ति कितने महीनों तक प्रयोग में लाई गई है। प्रत्येक सम्पत्ति के लिए पूर्ण ह्रास उपलब्ध होता है भले ही गतवर्ष में सम्पत्ति का प्रयोग मात्र एक दिन के लिए ही हुआ हो।

भवन—भवन को ह्रास के लिए निर्माण की किस्म के अनुसार 4 भागों मे वर्गीकृत किया गया है : ह्रास की दरें प्रथम श्रेणी के लिए 2.5%, द्वितीय श्रेणी के लिए 5% तथा तृतीय श्रेणी के लिए 7.5% निर्धारित की गई है। फैक्टरी के लिये प्रयुक्त भवन पर दूनी दरों से ह्रास मिलता है। चतुर्थ श्रेणी में अस्थायी निर्माण (Temporary erections) के लिए ह्रास की दर 100% रखी गई है।

फर्नीचर व फिटिंग—फर्नीचर के लिए ह्रास की साधारण दर 10% ही रखी गई है। होटल, रेस्टरां, बोर्डिंग हाउस, सिनेमा, स्कूल, कालिज, पुस्तकालय, कल्याण केन्द्र आदि में प्रयुक्त फर्नीचर के लिए 15% की दर निर्धारित की गई है।

मशीन व प्लांट—मशीन व प्लांट को 6 वर्गों में रखा गया है जिसके लिए ह्रास की दरें 5%, 10%, 15%, 20%, 30% व 40% हैं। सामान्य दर 10% रखी गई है।

750 रु० तक की लागत वाले नये मशीन व प्लांट पर साधारण ह्रास निकालने हुए निर्धारित दरों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि जितनी इनकी वास्तविक लागत होती है वह सम्पूर्ण रकम ह्रास के रूप मे प्रथम वर्ष में ही मिल जाती है बशर्ते कि गतवर्ष में इनका प्रयोग व्यापार व पेशे के लिए किया गया हो।

प्लांट व मशीन के लिए अन्य दरें इस प्रकार हैं :—

(a) हिसाब करने की मशीन, वातानुकूल करने की मशीन, टाइप की मशीन, सड़क बनाने के प्लांट, सीने व बुनने की मशीनें, चाय फैक्टरी—15 प्रतिशत;

(b) साइकिल, मोटरकार, गन्ना पेरने के क्रशर्स, प्रिंटिंग मशीन—20 प्रतिशत

(c) मोटर बसें, लारी, टैक्सी, ट्रैक्टर, हवाई जहाज व खनिज तेल में लगी फर्मे—30 प्रतिशत;

(d) गैस सिलिन्डर, दियासलाई के कारखाने, चीनी बनाने वाले रौलर—100 प्रतिशत

(e) अन्तर्देशीय जल यातायात में लगे जहाज—10 प्रतिशत

(f) समुद्री जहाज—20 प्रतिशत

विदेशी कारें : ऐसी मोटर कारों पर जो विदेश में निर्मित हैं, तथा जो 28 फरवरी, 1975, के बाद में करदाता द्वारा अपने व्यापार में प्रयोग करने के लिए खरीदी गई है किसी भी प्रकार का ह्रास स्वीकृत नहीं होता। यह बात अलग है कि करदाता टूरिस्ट टैक्सी चलाने का व्यापार करता हो, तो ऐसी स्थिति में इन कारों पर उपर्युक्त बन्धन लागू नहीं होगा।

मौसमी फैक्टरी में प्रयोग की गई सभी सम्पत्तियों के लिए पूरा ह्रास मिलता है चाहे गतवर्ष में ये कितने ही दिनों प्रयोग की गई हों।

टिप्पणी—साधारण ह्रास की गणना समुद्री जहाजों के लिये प्रतिवर्ष वास्तविक लागत पर होती है जबकि अन्य सम्पत्तियों के लिये प्रथम वर्ष में वास्तविक लागत पर व बाद के वर्षों मे अपलिखित मूल्य पर की जाती है।

2. **अतिरिक्त पारी की छूट** (Extra-shift allowance) करदाता द्वारा यदि अपनी फैक्टरी में एक से अधिक पारी मे काम किया जाता है तो यह निश्चित ही है कि ऐसी दशा में उत्पादन में लगी हुई मशीनों की घिसावट सामान्य से अधिक होगी। अतः इनके लिए अतिरिक्त पारी की छूट देने की व्यवस्था की गई है। यह छूट फैक्टरी की

इमारत, फर्नीचर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। छूट की दर प्रत्येक अतिरिक्त पारी के यिए सामान्य ह्रास का 50 प्रतिशत होती है। छूट की गणना के लिए हमें उन दिनों का हिसाब रखना पड़ता है जिन दिनों में अतिरिक्त पारियों में काम हुआ है। छूट की गणना के लिए वर्ष के कार्यशील दिवसों का ज्ञात होना आवश्यक है जो साधारण उद्योग के लिए 240 दिनों में कम नही होने चाहिये। मौसमी फैक्टरी के लिए यह संख्या 180 दिन रखी गई है।

उदाहरण

(1) एक फैक्टरी ने सम्बन्धित गतवर्ष मे 270 दिन कार्य किया जिसमें से 135 दिन तीन पारियाँ चलीं व अन्य 90 दिन दो पारियों में कार्य हुआ। मशीन व प्लांट पर साधारण ह्रास पूरे वर्ष के लिए 9,000 रु० है। मशीन का वर्ष के प्रारम्भ में अपलिखित मूल्य 90,000 रु० है। अतिरिक्त पारियों की छूट एवं मशीन का अगले वर्ष के लिए अपलिखित मूल्य निकालिए।

साधारण ह्रास	9,000 रु०
तीन पारियों की छूट	$\frac{9,000 \times 135}{270} = 4,500$ रु०
दो पारियों की छूट	$\frac{9,000 \times 90 \times 50}{270 \times 100} = 1,500$ रु०
कुल कटौती 9,000+4,500+1,500	1,5,000 रु०
अगले वर्ष के लिए अपलिखित मूल्य	90,000—15,000=75,000 रु०

(2) मुजफ्फर नगर सहकारी चीनी मिल एक मौसमी फैक्टरी है। गतवर्ष 1974-75 मिल के एक विभाग ने 150 दिन कार्य किया व दूसरे ने 190 दिन। पहले विभाग में 2,00,000 रु० की मशीन लगी हुई हैं व दूसरे में 2,50,000 रु० के मूल्य की। ह्रास की दर 10 प्रतिशत है। दोनों विभागों ने 90 दिन दो पारियों में व 60 दिन तीन पारियो में कार्य किया है। आप ह्रास आदि की गणना कीजिए।

	पहला विभाग		दूसरा विभाग	
कार्यशील दिवस	150	रु०	200	रु०
साधारण ह्रास	$\frac{2,00,000 \times 10}{100}$	20,000	$\frac{2,50,000 \times 10}{100}$	25,000
दो पारियों में काम हुआ	90 दिन		90 दिन	
दो पारियों की छूट	$\frac{20,000 \times 50 \times 90}{100 \times 180}$	5,000	$\frac{25,000 \times 50 \times 90}{100 \times 200}$	5,625
तीन पारियों में काम हुआ	60 दिन		60 दिन	
तीन पारियों की छूट	$\frac{20,000 \times 60}{180}$	6,667	$\frac{25,000 \times 60}{200}$	7,500
कुल ह्रास व छूट		31,667		38,125
अपलिखित मूल्य	2,00,000–31,667	1,68,333	2,50,000–38,125	2,11,875

(3) अग्रवाल एन्ड कम्पनी की दो फैक्टरियाँ खुर्जा व आगरा में स्थित है। इनके उत्पादन विषयक सूचना इस प्रकार है :

खुर्जा : फैक्टरी ने गतवर्ष में 150 दिन दो पारियों में व अन्य 50 दिन तीन पारियों मे काम किया। वर्ष में कार्यशील दिवस 300 है। ह्रास आदि के लिए मशीन का अपलिखित मूल्य 3,00,000 रु० है व ह्रास की दर 10% है।

आगरा : गतवर्ष में फैक्टरी 230 दिन चली जिसमें से 40 दिन तीन पारियाँ चलीं व 120 दिन दो पारी। मशीन का अपलिखित मूल्य 1,50,000 रु० है व ह्रास की दर 10%।

आप साधारण ह्रास, अतिरिक्त पारियों की छूट व अगले गतवर्ष के लिए अपलिखित मूल्य निकालिए

	खुर्जा	रु०	आगरा	रु०
कार्यशील दिवस	300		230	
साधारण ह्रास	$3,00,000 \times \frac{10}{100}$	30,000	$1,50,000 \times \frac{10}{100}$	15,000
दो पारियों का काम	150 दिन		120 दिन	
दो पारियों की छूट	$30,000 \times \frac{150}{300} \times \frac{50}{100}$	7,500	$15,000 \times \frac{120}{240} \times \frac{50}{100}$	3,750
तीन पारियों का काम	50 दिन		40 दिन	
तीन पारियों की छूट	$30\,000 \times \frac{50}{00}$	5,000	$15,000 \times \frac{40}{240}$	2,500
कुल ह्रास व छूट		42,500		21,250
अगले वर्ष का अप.मू.	3,00,000--42,500	2,57,500	1,50,000--21,250	1,28,750

(3) **प्रारम्भिक ह्रास** (Initial Depreciation) : प्रारम्भिक ह्रास एक प्रकार का प्रोत्साहन है जो चुने हुए क्षेत्रों में भवन निर्माण एवं मशीन आदि खरीदने के लिए मिलता है। यह ह्रास साधारण ह्रास के अलावा मिलता है। निम्नलिखित सम्पत्तियाँ इससे सम्बन्धित हैं :

(अ) **कर्मचारियों के लिए भवन :** 31 मार्च, 1961, के बाद में बनवाई गई ऐसी इमारतों पर प्रारम्भिक ह्रास मिलता है। जो व्यापार में निम्नलिखित उद्देश्यों में काम आती है :

(i) 7,500 रु० वार्षिक वेतन तक पाने वाले कर्मचारियों के निवास स्थान के लिए ये कर्मचारी करदाता के अपने व्यापार आदि से सम्बन्धित होने चाहिए।

(ii) उपर्युक्त कर्मचारियों के कल्याण कार्यो के लिए, जैसे अस्पताल,कैंटीन, आरामगृह भोजनालय, आमोद-प्रमोद भवन आदि ।

इन इमारतों के लिए प्रारम्भिक ह्रास की दर इनकी वास्तविक लागत का 20 प्रतिशत है।

(ब **होटल व्यापार के लिए इमारत** : होटल व्यापार में काम आने वाली इमारतों पर लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रारम्भिक ह्रास मिलता है जबकि ये 31 मार्च 1967, के बाद में बनी है। ये इमारत एक कम्पनी के स्वामित्व में होनी चाहिए तथा इनका होटल केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कटौती के लिए स्वीकृत होना चाहिये।

(स) **प्लांट व मशीन** : 31 मई 1974 के बाद में खरीदी गई निम्न-लिखित मशीनों के लिए लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रारम्भिक ह्रास देने का प्राव-धान है :

(i) नये समुद्री जहाज व हवाई जहाजों पर उस करदाता को जो इस तरह के यातायात का कारोबार करता है ।

(ii) बिजली व अन्य किसी ऊर्जा के उत्पादन व वितरण एवं अधिनियम की नवी अनुसूची में वर्णित उद्योगों में काम आने वाले मशीन व प्लांट ।

(iii) लघु उद्योगों में किसी भी वस्तु के निर्माण में काम आने वाले प्लांट व मशीन पर ।

प्रारम्भिक ह्रास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें :

(1) प्रारम्भिक ह्रास किसी भी ऐसी मशीन के लिए नहीं मिलता जो दफ्तर में अथवा कहीं रिहायशी भवन में लगाई गई हो ।

(2) यह किसी ऐसे प्लांट मशीन, जहाज व हवाई जहाज के लिए भी नहीं मिलता जिन पर धारा 33 के अन्तर्गत विकास छूट मिलती है ।

(3) इसे अगले वर्ष का अपलिखित मूल्य मालूम करने के लिए लागत मूल्य में से नही घटाया जाता । इसे उस समय घटाया जाता है जबकि सम्पत्ति टूट फूट जाती है, बेच दी जाती है अथवा अन्य प्रकार से नष्ट हो जाती है व जब हम अन्तिम ह्रास की गणना करते हैं ।

(4) यह ह्रास केवल एक बार मिलता है जबकि पूँजी सम्पत्ति खरीदी जाती है तथा इस्तैमाल होती है ।

(5) 'नये जहाज' व 'नये हवाई जहाज' में पुराने जहाज व हवाई जहाज भी सम्मिलित होते हैं बशर्ते कि ये खरीदने से पहले किसी भारत में निवासी व्यक्ति के स्वा-मित्व में नहीं थे ।

(6) पुरानी मशीनों पर भी प्रारम्भिक ह्रास मिल सकता है बशर्ते कि इन्हें भारत में आयात किया गया है ।

(7) लघु उद्योग से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक संस्थान से है जिसमें सम्बन्धित गतवर्ष के अन्तिम दिन प्लांट व मशीन की कीमत 7,50,000 रु० से अधिक नहीं थी ।

(8) प्रारम्भिक ह्रास उसी अवस्था में मिलेगा जबकि निर्धारित अधिकारी से एक प्रमाणपत्र इस आशय का प्राप्त कर लिया जावे कि प्लांट व मशीन को निर्धारित उद्देश्य के लिए ही काम में लाया गया है। ऐसा प्रमाणपत्र आय के नक्शे के साथ भेजा जाना चाहिए।

4. **अन्तिम ह्रास** (Terminal Depreciation)—जिस वर्ष, में मशीन, प्लांट, भवन अथवा फर्नीचर नष्ट हो जाते हैं, बेच दिये जाते हैं अथवा व्यापार में काम आने योग्य नहीं रहते तो इनको किसी भी कीमत पर बेच देते हैं। अपलिखित मूल्य से जितने कम रुपयों में ये बिकते हैं, इस कमी के लिए अन्तिम ह्रास के रूप में छूट मिल जाती है।

अनुपयोगी सम्पत्ति के बेचने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे अवशिष्ट मूल्य (Scrap value) कहते हैं।

उदाहरणार्थ एक मशीन जिसका अपलिखित मूल्य 8,000 रु० है, 3,000 रु० में बेच दी जाती है तो इस पर अन्तिम ह्रास (8,000—3,000) की छूट 5,000 रु० की मिलेगी। ऐसी नष्ट भ्रष्ट सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त रकम से आशय अवशिष्ट मूल्य, बीमा कम्पनियों से प्राप्त रकम, क्षतिपूर्ति की रकम व विक्रय मूल्य के प्राप्त होने से है।

5. **सन्तुलित चार्ज या करयोग्य लाभ** (Balancing Charge or chargeable profits)—ऐसे अनुपयोगी मशीन, प्लांट, फर्नीचर व भवन आदि को, जो व्यापार में काम आने योग्य नहीं रह गये हैं बेचने से प्राप्त रकम यदि उनके अपलिखित मूल्य से अधिक होती है तो प्राप्त रकम का अपलिखित मूल्य पर का आधिक्य संतुलित चार्ज कहलाता है जिस पर आयकर देना पड़ता है। इस लाभ को कर-योग्य लाभ भी कहते हैं, तथा व्यापार व पेशे के लाभों के अन्तर्गत इसकी गणना होती है।

उदाहरणार्थः—एक मशीन का अपलिखित मूल्य 3,000 रु० है, जिसको बेचने पर 5,000 रु० की प्राप्ति होती है अतः 3,000 रु० पर 5,000 रु० का आधिक्य अर्थात् 2,000 रु० संतुलित चार्ज होगा।

टिप्पणी—1. अन्तिम ह्रास व संतुलित चार्ज की गणना करते समय अपलिखित मूल्य में से सर्वप्रथम वह प्रारम्भिक ह्रास घटा देते हैं जो अब तक नहीं घटाया गया है।

2. यदि पुरानी सम्पत्ति बेचने पर कभी उसकी वास्तविक लागत से भी अधिक रकम प्राप्त होती है तो प्राप्त रकम का वास्तविक लागत पर का आधिक्य पूँजी-लाभ होगा। अपलिखित मूल्य व वास्तविक लागत का अन्तर करयोग्य लाभ होता है।

उदाहरण—4. मशीन की वास्तविक लागत 80,000 रु०, प्रारम्भिक ह्रास जो मशीन प्राप्त करने के प्रथम वर्ष में मिला था 16,000 रु०, साधारण ह्रास जो अब तक प्राप्त हुआ है 10,000 रु०, मशीन को बाजार में 83,000 रु० में बेच दिया।

सन्तुलित चार्ज की गणना निम्न प्रकार से होगी—

वास्तविक लागत	80,000
घटाया—साधारण ह्रास	10,000

अपलिखित मूल्य	70,000
घटाया-प्रारम्भिक ह्रास	16,000
समायोजित अपलिखित मूल्य	54,000
कुल लाभ (83,000—54,000)	29,000
घटाया—पूँजीलाभ (83,000—80,000)	3,000
संतुलित चार्ज	26,000

6. **अशोधित ह्रास** (Unabsorbed depreciation)—किसी गतवर्ष में यदि व्यापार से लाभों के न होने अथवा उनके अपर्याप्त होने के कारण साधारण ह्रास, अतिरिक्त पारी की छूट अथवा प्रारम्भिक ह्रास नहीं घटाया जा सकता, अथवा थोड़ी रकम ही इस लाभ में से घटाई जा सकती है तो ह्रास की वह रकम जो लाभों में से न घटायी जा सकी हो, अशोधित ह्रास कहलाती है जिसे अगले वर्षों में ले जाते है तथा वहाँ के लाभों में से इसे घटाते हैं।

अशोधित ह्रास की वह रकम जो अगले कर-निर्धारण वर्ष में ले जाई जाती है उस कर-निर्धारण वर्ष के ह्रास में इसे जोड़ दिया जाता है। पिछले वर्ष का यह अशोधित ह्रास अगले वर्ष के ह्रास के समान ही समझा जाता है।

ह्रास की रकम सर्वप्रथम उस व्यापार के लाभों में से घटाई जाती है जिसमें कि सम्पत्तियों का प्रयोग किया गया है। लाभों के अपर्याप्त होने पर व्यापार के अन्य लाभो में से इसे घटा देते है। यदि 'व्यापार के शीर्षक' के अन्तर्गत रकम अपर्याप्त हो तो किसी भी अन्य आय में से इसे घटाया जा सकता है इससे स्पष्ट हो जाता है कि अशोधित ह्रास को जब अगले वर्ष में ले जाया जाना है तब उसे भी किसी अन्य आय में से घटाया जा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अन्तिम ह्रास को साधारण ह्रास से नहीं मिलाया जा सकता।

उदाहरण 5-1 अप्रैल 1973 को मशीन का अपलिखित मूल्य रु० 1,50,000 है तथा इससे सम्बन्धित साधारण ह्रास की दर 10% है। 1974-75 एवं 1975-76 कर-निर्धारण वर्ष में व्यापार को होने वाले लाभ क्रमशः 10,000 रु० तथा 25,000 रु० है, करयोग्य लाभों की गणना इस प्रकार होगी—

हिसाबी वर्ष 1973-74		**कर-निर्धारण वर्ष** 1974-75
ह्रास के लिये उपलब्ध लाभ		रु० 10,000
सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य	रु० 1,50,000	
ह्रास 10% की दर से	15,000	15,000
सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य	1,35,000	
अशोधित ह्रास		5,000

हिसाबी वर्ष 1974-75	**कर-निर्धारण वर्ष** 1975-76
ह्रास के लिए उपलब्ध लाभ	25,000

मशीन का अपलिखित मूल्य	1,35,000		
ह्रास @ 10%	13,500		
1975-76 के लिये अपलिखित मूल्य	1,21,500		
साधारण ह्रास		13,500	
1974-75 से लाया गया अशोधित ह्रास		5,000	18,500
करयोग्य लाभ			6,500

महत्वपूर्ण परिभाषायें

वास्तविक लागत—किसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह लागत है जो करदाता द्वारा सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये व्यय की गई है। सम्पत्ति के क्रय मूल्य में से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा सत्ता द्वारा इस सम्बन्ध में दी गई रकम घटा दी जाती है। उदाहरणार्थ, एक मशीन जिसकी लागत 23,000 रु० है, तथा जिसके खरीदने के लिये सरकार ने 2,000 रु० का उत्पादन (Subsidy) दिया है, तो उस मशीन की करदाता के लिए लागत 20,000—2,000=रु० 18,000 होगी।

वास्तविक लागत का महत्व निम्नलिखित कारणों से है—

1. समुद्री जहाजों पर ह्रास उसकी वास्तविक लागत के आधार पर निकलते हैं।

2. अपलिखित मूल्य निकालते हुए भी वास्तविक लागत का निकाला जाना आवश्यक है।

धारा 54 (2) (i) के अनुसार किसी भी सम्पत्ति का ह्रास उसका वास्तविक लागत से अधिक नहीं हो सकता।

धारा 43 में विभिन्न सम्पत्तियों की भिन्न-भिन्न स्थितियों में निकाली गई वास्तविक लागत का विवरण दिया गया।

(1) **31 मार्च 1967 एवं 1 मार्च 1975 के बीच खरीदी गई मोटरकार :** इस अवधि के बीच में खरीदी गई मोटर कार, जो व्यापार में काम आती है, का मूल्य 25,000 रु० से अधिक नही होना चाहिए। इसके 25,000 रु० से अधिक होने पर ऐसे आधिक्य को छोड़ देते है। व ह्रास केवल 25,000 रु० पर ही स्वीकृत होता है। किन्तु यदि करदाता टूरिस्टों के लिए टैक्सी चलाने का कार्य करता है व यह कार इसी प्रकार के कार्य में आती है तो इस प्रकार की सीमा लागू नहीं होती।

(2) **सम्पत्ति जिनका प्रयोग व्यापार से सम्बन्धित वैधानिक अनुसंधान में हो चुका है :** ऐसी सम्पत्ति जो व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये खरीदी गई थी तथा जिस पर धारा 35 के अन्तर्गत छूट मिल चुकी है; ये सम्पत्ति यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अब उपयोगी नहीं तो इन्हें या तो बेच देते है अथवा व्यापार के लिए उपयोग में लेने लगते है। व्यापार में प्रयोग करने पर इन पर ह्रास मिलने की व्यवस्था है किन्तु ह्रास उसी मूल्य पर मिलेगा जो सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से धारा 35 के अन्तर्गत मिली छूट को घटाकर आती है। यह छूट 1967 से पहले खरीदी

गई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग की गई सम्पत्तियों पर पाँच वर्ष तक प्रतिवर्ष 20% की दर से छूट मिलती थी। 1967 के बाद में खरीदी गई सम्पत्तियो पर यह छूट 100% मिलती है।

एक सम्पत्ति 1969 में 30,000 रु० की लागत से खरीदी गई जिसका उपयोग 2 वर्षों तक व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये हुआ। पहले वर्ष में ही यह सम्पूर्ण लागत धारा 35 के अन्तर्गत छूट के लिए उपलब्ध हुई। अब यदि यह सम्पत्ति व्यापार के लिए प्रयुक्त होती है तो इस पर ह्रास नहीं मिलेगा क्योंकि इस सम्पत्ति को धारा 35 के अन्तर्गत पहले ही पूर्ण रूप से अपलिखित कर चुके हैं।

3. **ऐसी सम्पत्तियाँ जो भेंट में अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त होती हैं**—जो सम्पत्ति करदाता ने भेंट स्वरूप अथवा पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की है, उसका वास्तविक मूल्य निम्नलिखित (में से जो भी कम हो) होगा :—

i सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी के लिये हस्तांतरित सम्पत्ति का हस्तांतरण के दिन अपलिखित मूल्य; अथवा

ii हस्तांतरण के समय बाजार का मूल्य।

4. **कर-दायित्व घटाने के लिये सम्पत्ति का हस्तांतरण**—करदाता द्वारा ये सम्पत्तियाँ प्राप्त करने से पहले यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इनका प्रयोग अपने व्यापार व पेशे के लिये किया जाता था तथा आयकर अधिकारी को अब यह विश्वास हो जाता है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन सम्पत्तियों के हस्तांतरण से वह व्यक्ति अपने कर-दायित्व में कमी कर सका है तो करदाता के लिए इन सम्पत्तियों की वास्तविक लागत आयकर अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी। ऐसा करते समय वह इन्सपैक्टिंग असिस्टैन्ट कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त कर लेगा।

5. **सम्पत्तियों को पुनः प्राप्त करना**—कुछ सम्पत्तियाँ यदि ऐसी हैं जो कर-दाता के व्यापार में कुछ समय पहले उपयोग की जाती थीं तथा जिनको करदाता पिछले वर्षों में ही हस्तांतरित कर चुका था, अब उसने पुनः वे सम्पत्तियाँ व्यापार के लिये प्राप्त की हैं तो ऐसी सम्पत्तियों की लागत निम्नलिखित लागतों में से जो कम होगी वही मानी जायेगी :

i सम्पत्तियों की पहली लागत जिसमें से पिछले वर्षों में प्राप्त ह्रास तथा अन्तिम ह्रास घटा देना चाहिये अथवा यदि सन्तुलित चार्ज (कर योग्य लाभ) मिला हो तो उसे जोड़ देना चाहिये।

ii. सम्पत्तियों के पुनः प्राप्त करने के लिये दिया गया मूल्य, इन दोनों में से जो कम हो।

टिप्पणी—सम्पत्ति का हस्तांतरण यदि एक नियन्त्रक कम्पनी तथा इसकी 100 प्रतिशत नियन्त्रित कम्पनी के बीच मे हुआ है तो ऐसे हस्तांतरण से होने वाले लाभ-हानि पर आयकर की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता।

अपलिखित मूल्य : धारा 43 (6) के अनुसार अपलिखित मूल्य से हमारा आशय निम्नलिखित से है :

1. सम्पत्ति यदि गतवर्ष में प्राप्त की गई है तो करदाता की वास्तविक लागत।

2. यदि सम्पत्ति गतवर्ष से पहले प्राप्त की गई है तो करदाता की वास्तविक लागत में से मिला हुआ ह्रास घटा देना चाहिये, परन्तु प्रारम्भिक ह्रास नहीं।

प्रारम्भिक ह्रास उस समय घटाया जाता है जबकि सम्पत्ति का हस्तांतरण होते समय हम अन्तिम ह्रास अथवा सन्तुलित चार्ज निकालते हैं।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि अपलिखित मूल्य निकालने के लिए अशोधित ह्रास से तात्पर्य स्वीकृत ह्रास से होता है। उदाहरण के लिए, एक पूँजी सम्पत्ति 50,000 रु० की खरीदी जाती है, जिस पर स्वीकृत ह्रास 5,000 रु० का होता है। अब यदि इस गतवर्ष में केवल 3,000 रु० लाभ के उपलब्ध हैं तो केवल 3,000 रु० का ह्रास समायोजित हो सकेगा। व शेष 2,000 रु० अशोधित ह्रास के अगले वर्ष के लिए ले जाये जायेंगे। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य 45,000 रु० (50,000–5,000) होगा, यद्यपि इस पर केवल 3,000 रु० का ह्रास ही समायोजित हो सका है।

आँशिक प्रयोग की दशा में अपलिखित मूल्य : जब कोई पूँजी सम्पत्ति आंशिक रूप से व्यापार के लिए प्रयोग की जाती है, तो अपलिखित मूल्य निकालने के लिए ह्रास की वही राशि घटायी जानी चाहिए जो वास्तव में स्वीकृत की गई है न कि वह ह्रास जो सम्पत्ति के पूर्ण रूप से व्यापार मे प्रयोग किये जाने पर मिलता। उदाहरण के लिये 20,000 रु० मूल्य की एक कार का व्यापार के लिए उपयोग 3/4 भाग होता है जबकि व्यक्तिगत कार्यों के लिये 1/4 भाग। ह्रास की दर 20 प्रतिशत है तथा इस प्रकार 4,000 रु० का ह्रास इस कार के लिए स्वीकृत होता। चूँकि कार का व्यापार के लिए केवल $\frac{3}{4}$ भाग ही प्रयोग हुआ है अत: स्वीकृत ह्रास 3,000 रु० होगा। अगले वर्ष के लिए कार का अपलिखित मूल्य 17,000 रु० (20,000—3,000) होगा।

उदाहरण

6. एक कम्पनी ने 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले हिसाबी वर्ष के लिए अपने प्लांट व मशीन के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है :

	रु०
1 अप्रैल 1974 को अपलिखित मूल्य	5,00,000
15-6-1974 को और नई मशीनें खरीदीं	80,000
30-6-1974 को पुरानी मशीनें खरीदी	20,000

बिक्री : एक मशीन जो 1 अक्टूबर 1974 तक व्यापार के लिए उपयोग में आई है, इस दिन 10,000 रु० में बेच दी जाती है। इस मशीन का 1 अप्रैल 1974 को अपलिखित मूल्य 5,400 रु० था, जिस पर 10 प्रतिशत की दर से साधारण ह्रास मिलता रहा है। इसी मशीन पर वास्तविक लागत के 20% की दर से 1,600 रु० का प्रारम्भिक ह्रास मिला था। आप कुल ह्रास, पूँजी-लाभ, करयोग्य लाभ व इस पूँजी सम्पत्ति का अगले वर्ष के लिए अपलिखित मूल्य निकालिये।

	रु०
1-4-1974 को अपलिखित मूल्य	5,00,000
घटाया : बेची गई मशीन का अपलिखित मूल्य	5,400
शेष मशीन का अपलिखित मूल्य	4,94,600

ह्रास

(i) 4,94,600 रु० पर 10%	49,460	
(ii) 80,000 रु० पर 10%	8,000	
(iii) 20,000 रु० पर 10%	2,000	59,460

धारा 41 (2) के अन्तर्गत करयोग्य लाभ

मशीन का विक्री मूल्य		10,000	
घटाया अपलिखित मूल्य	5,400		
घटाया प्रारम्भिक ह्रास	1,600	3,800	
कुल लाभ		6,200	
घटाया पूँजी लाभ		2,000	4,200

पूँजी लाभ

विक्रय मूल्य का वास्तविक लागत पर आधिक्य (10,000—8,000) 2,000

वास्तविक लागत : लागत का 20% चूँकि 1,600 रु० होता है अतः मशीन का वास्तविक मूल्य 8,000 रु० हुआ।

अपलिखित मूल्य—4,94,600+80,000+20,000—59,460=5,35,140

विकास सम्बन्धी छूट (Devlopment Rebate)

विकास सम्बन्धी छूट आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। इसका प्रारम्भ 1955 में किया गया जबकि कुछ उद्योगों को छूट देने की आवश्यकता प्रतीत हुई। यह भारत के औद्योगिक विकास के सम्बन्ध में हमारी सरकार द्वारा किये गए विभिन्न प्रयासों में से एक है।

विकास सम्बन्धी छूट का स्वरूप यह है कि व्यापार के लिये जब नई मशीन व प्लांट खरीदे जाते हैं तो इस लागत का निश्चित प्रतिशत (उदाहरणार्थ 15%, 20%, 30%) व्यापार के लाभों में से घटाने की व्यवस्था है जिससे इसके करयोग्य लाभ कम हो जाते हैं इस प्रकार आयकर दायित्व में कमी हो जाती है।

ऐसे नवीन जहाजों, मशीनों व प्लाटों को जिन्हें 31 मार्च 1954 के बाद खरीदा गया हो, अथवा लगाया गया हो तथा जिनका प्रयोग करदाता द्वारा पूर्णरूप से अपने व्यापार के लिए किया गया हो, विकास सम्बन्धी छूट मिलती है।

यह छूट आफिस में काम आने वाले उपकरणों एवं सड़क यातायात के वाहनों पर नहीं दी जाती।

केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1971-72 वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय यह घोषणा की गई थी कि विकास छूट का भरपूर उपयोग हमारे उद्योगों के द्वारा कर लिया गया है व अब इसकी उपादेयता लगभग समाप्त हो गई है। अतः यह केवल उन्हीं मशीन, प्लांट व जहाजों के लिये मिलेगी जो 31 मई 1974 तक स्थापित कर लिये गये हैं।

चूँकि बहुत से कारणों से भारतीय व विदेशी दोनों ही देशों के मशीन निर्माता समय पर डिलीवरी न दे सके, जो कि सामान्य काल में हो सकती थी। अतः ऐसी परिस्थिति में विकास छूट उन मशीन आदि के लिये मिलेगी जो 31 मई 1975 तक स्थापित की जायेंगी किन्तु शर्त यह है कि करदाता द्वारा ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये गये हों जिनके अनुसार मशीन आदि खरीदने का अनुबन्ध 1 दिसम्बर 1973 से पहले ही पूरा हो गया था। जहाजों के लिए यह छूट 1 जनवरी 1977 तक मिलती रहेगी, बशर्ते कि इनके खरीदने के अनुबन्ध 1 दिसम्बर 1973 से पहले ही पूरे हो गये हों।

दरें

जहाज

1 जनवरी 1958 से पहले खरीदे गये समुद्री जहाजों की लागत की 25% विकास सम्बन्धी छूट मिलती थी। अब 1 जनवरी 1958 से छूट की दर 40% हो गई है। यह छूट अन्तर्देशीय जल यातायात में लगे हुये जहाजों के लिए उपलब्ध नहीं है।

मशीन व प्लांट

(1) जब मशीन व प्लांट उन वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन के लिए लगाये जाते हैं जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची में हुआ है तो विकास छूट की दर इस प्रकार होगी :

(अ) 1-4-1970 से पूर्व लगाये जाने की स्थिति में, वास्तविक लागत का 35%, तथा
(ब) 31-3-1970 के बाद में, लागत का 25%।

(2) मशीन व प्लांट जब कम्पनी करदाता द्वारा ऐसे होटल व्यापार के चलाने के लिये लगाये जाते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस छूट के लिए मान्यता प्राप्त घोषित कर दिये गए है तो दरें ये होंगी :

(अ) 1-4-1970 से पहले लगाए गए मशीन व प्लांट की वास्तविक लागत का 35%; तथा

(ब) 31-3-1970 के बाद मे ऐसी लागत का 25%।

(3) मशीन व प्लाट की स्थापना जब 31-3-1967 के बाद मे होती है तथा इनका प्रयोग करदाता के व्यापार में सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये होता है :

(अ) 1-4-1970 से पहले लगाये जाने की स्थिति में वास्तविक लागत का 35%; तथा

(ब) 31-3-1970 के बाद में 25%।

(4) अन्य किसी स्थिति में :

(अ) 1-4-1970 से पहले लगाये गए मशीन व प्लांट की वास्तविक लागत का 20%; तथा

(ब) 31-3-1970 के बाद ऐसी लागत का 15%

पुरानी सम्पत्तियाँ खरीदने पर विकास सम्बन्धी छूट [33(1A)]

जहाज : गतवर्ष में खरीदे गये पुराने जहाजों के लिए भी विकास सम्बन्धी छूट मिलती है। जहाज के बनने की तिथि के सात वर्षों के अन्दर यदि इसे खरीद लिया गया

है तो छूट की दर वास्तविक लागत का 30 प्रतिशत होगी व अन्य स्थितियों मे लागत का 20 प्रतिशत । इसके लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :

(a) जहाज 31-3-1964 के बाद में खरीदा गया है ।

(b) जहाज इससे पहले भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था ।

(c) जहाज पूरी तरह से करदाता के अपने व्यापार के काम में लाया जा रहा है ।

मशीन व प्लांट—ऐसी मशीन व प्लांट, जो करदाता द्वारा खरीदे जाने से पहले भारत के बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किये जाते थे, भी विकास सम्बन्धी छूट के लिये सम्मिलित किए जा सकते है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायें :

i. करदाता द्वारा ऐसी मशीन प्राप्त किए जाने के पूर्व यह कभी भी भारत में प्रयोग नहीं की गई थी ।

ii. करदाता द्वारा इस मशीन का आयात भारत के बाहर किसी भी देश से किया गया है ।

iii. इस मशीन की स्थापना से पहले इस पर कभी भी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई ह्रास अथवा विकास सम्बन्धी छूट नहीं मिली है ।

iv. ऐसी मशीन आदि का प्रयोग करदाता द्वारा अपने व्यापार के लिए किया जाता है; तथा

v. ऐसी अन्य शर्तें जो निर्धारित हों ।

vi. छूट की दर वास्तविक लागत का 10 प्रतिशत है ।

विकास सम्बन्धी छूट के लिए आवश्यक शर्तें

विकास सम्बन्धी छूट प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित सभी शर्तों का पूरा होना आवश्यक है :—

1. मशीन व प्लांट सम्बन्धी सभी विवरण आयकर अधिकारी के पास निर्धारित फार्म पर जमा कर दिये जाने चाहिए ।

2. विकास सम्बन्धी छूट की रकम का कम से कम 75% करदाता द्वारा सम्बन्धित गतवर्ष के लाभ हानि खाते से एक विशेष संचित कोष में हस्तांतरित होना आवश्यक है । इस कोष का प्रयोग व्यापार के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए ही हो सकता है । इस कोष को 8 वर्षो की अवधि तक निम्नलिखित प्रयोग में नहीं ला सकते—

i. लाभांश तथा लाभों का वितरण करने में, अथवा

ii. भारत के बाहर लाभों के भेजने के लिए अथवा किसी सम्पत्ति को बनाने के लिए इस संचित कोष में से धन का हस्तांतरण नहीं हो सकता ।

परन्तु ये शर्तें वहाँ लागू नहीं होती जहाँ कि करदाता एक ऐसी कम्पनी है जो Electricity Supply Act 1948 के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त किये हुए है । ऐसे जहाजों के लिए जो 28 फरवरी 1966 के बाद में क्रय किये जाते हों, विकास सम्बन्धी छूट की रकम का 50% ही इस विशेष संचित कोष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है 75% की नहीं ।

3. ऐसी मशीन व प्लांट जिन पर विकास सम्बन्धी छूट प्राप्त हो चुकी है, 8 वर्षों की अवधि के अन्दर न तो करदाता द्वारा बेचे ही जा सकते हैं और न उनका हस्तांतरण ही हो सकता है, यदि ऐसी मशीन आदि का विक्रय कर दिया जाय तो विकास सम्बन्धी छूट वापिस करली जाती है तथा सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में उचित संशोधन कर दिये जाते हैं। परन्तु यह शर्त निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं होती—

i. जहाँ 1-1-1958 से पहले जहाज खरीदा गया हो, अथवा मशीनरी आदि की स्थापना हुई हो।

ii. जहाँ इन सम्पत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरण सरकार, स्थानीय सत्ता सरकारी कम्पनी अथवा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निगम को किया गया है।

iii. जहाँ इनकी बिक्री अथवा हस्तांतरण एकीकरण (Amalgamation) अथवा अनुविलयन (Succession) के कारण हुआ हो।

चाय के बगीचों के लिए विकास सम्बन्धी छूट अथवा भत्ता [33A]
(Development Allowance for Tea Plantations)

इस छूट की व्यवस्था सर्वप्रथम वित्त अधिनियम 1965 के द्वारा की गई। चाय फाइनेन्स समिति की सिफारिश के आधार पर तथा चाय उद्योग के प्रोत्साहन के लिए यह कदम उठाया गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि चाय उगाने वाले बागों के क्षेत्रफल में विस्तार हो।

दरें : विकास छूट चाय के पौधों को भारत में उस भूमि पर लगाने के लिए दी जाती है जिस पर पहले कभी चाय के पौधे नहीं थे। एक दूसरी शर्त इस सम्बन्ध में यह है कि यह भूमि उस करदाता के स्वामित्व में होनी चाहिए जो भारत में चाय को उगाने व इसके बनाने का काम करता है। इसकी दर पौधे लगाने की लागत का 50 प्रतिशत है।

व्याख्या : एक ऐसा करदाता जिसने भूमि को पट्टे पर लिया हुआ है अथवा किसी अन्य तरीके से भूमि उसके अधिकार में है जिस पर वह चाय के पौधे लगाता है, तो इस छूट की गणना के लिए यह व्यक्ति भूमि का स्वामी माना जाता है।

छूट की गणना

छूट की गणना निम्नलिखित दो चरणों में की जाती है :

प्रथम चरण—जिस गतवर्ष में पौधे लगाने के लिए भूमि को तैयार किया जाता है, उस वर्ष में तथा उससे अगले गतवर्ष में इस सम्बन्ध में जो व्यय किया जाता है उसे वास्तविक लागत कहते हैं तथा प्रथम कटौती इन दोनों गतवर्षों में की गई वास्तविक लागत के लिये मिलती है।

द्वितीय चरण—तत्पश्चात् भूमि को तैयार करने वाले वर्ष के बाद में तीसरे और चौथे गतवर्ष के अन्त तक पौधे लगाने की वास्तविक लागत की पुन: गणना की जायेगी। यदि पुन: निकाली गई छूट प्रथम चरण मे निकाली गई छूट से अधिक हो तो यह आधिक्य भूमि तैयार करने वाले गतवर्ष के बाद मे आने वाले चौथे गतवर्ष में कटौती के रूप में स्वीकृत होगी।

पौधे लगाने की वास्तविक लागत—इसमें निम्नलिखित रकमें शामिल की जाती है—

1. भूमि को तैयार करने का व्यय ।
2. बीजों का मूल्य व पौधे काटने छाँटने व नर्सरी की लागत ।
3. पौधे लगाने अथवा पुनः लगाने की लागत ।
4. पौधे लगाने वाले गतवर्ष तथा उससे अगले 3 गतवर्षों में लगाये हुए पौधों की देखभाल करने की लागत ।

इस लागत में से वह रकम घटा दी जाती है जो सहायता के रूप में किसी अन्य व्यक्ति अथवा सत्ता से मिली है । परन्तु इस लागत के पहाड़ी स्थानो में 12,500 रु० प्रति हैक्टेयर से अधिक तथा अन्य स्थानों मे 10,000 रु० प्रति हैक्टेयर से अधिक होने पर आधिक्य को वास्तविक लागत मे नहीं गिना जाता ।

विकास भत्ते को आगे ले जाना—किसी वर्ष में यदि करदाता की कुल आय शून्य है, अथवा इतनी नहीं है कि विकास सम्बन्धी छूट की पूरी रकम स्वीकृत की जा सके तो छूट की वह रकम जिसको इस वर्ष व्यापार के लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता, आगे आने वाले 8 वर्षों तक ले जाते हैं तथा वहाँ इसको पूरा करते है । विभिन्न छूटों व ह्रास को लाभों में से पूरा करने का क्रम निम्नलिखित होता है :—

1. चालू वर्ष का साधारण ह्रास
2. पीछे से लाई गई हानि
3. पीछे से आया ह्रास
4. पीछे से आई विकास छूट
5. चालू वर्ष से सम्बन्धित विकास छूट
6. पीछे से आया विकास भत्ता
7. चालू वर्ष का विकास भत्ता

विकास भत्ते की प्राप्त करने की शर्तें वही है जो कि विकास छूट को प्राप्त करने से सम्बन्धित है । उदाहरणार्थ, भूमि के सम्बन्ध में सभी विवरण भेजना, विकास छूट की 75% राशि एक विशेष संचिति कोष में ले जाना तथा इस कोष को लाभांश व लाभ आदि बाँटने के लिये वर्जित रखना आदि ।

विकास भत्ता प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित भूमि को अगले 8 वर्ष तक बेचा अथवा हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता । बेचने की अवस्था में यह छूट वापिस कर ली जायेगी तथा छूट मिलने वाले गतवर्ष के कर-निर्धारण में आवश्यक संशोधन कर दिये जायेंगे ।

उदाहरण

(7) मैसर्स नीलगिरि टी एस्टेट ने अपने चाय बागानों से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है । आप विकास छूट भत्ते की गणना कीजिये जिसको वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं :

अपनी वर्तमान चाय बागानों के पास स्थित ऐसी जमीन दो लाख रुपये की लागत से खरीदी जिस पर कभी पहले चाय के बाग नहीं थे । इन पर चाय के पौधे लगाये गये जिसके लिए यह व्यय किया गया—1971-72, 1972-73, 1973-74 व 1974-75 में क्रमशः 50,000 रु०, 25,000 रु०, 15,000 रु० एवं 12,000 रु० ।

कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 : चूँकि चाय के पौधे लगाने का प्रथम वर्ष है अतः विकास भत्ते की कोई रकम स्वीकृत नहीं होगी।

कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 : प्रथम दो वर्षों अर्थात् 1971-72 व 1972-73 मे कुल व्यय 75,000 रु० हुआ है जिसका 50 प्रतिशत अर्थात् 37,500 रु० विकास भत्ते के स्वीकृत होंगे।

कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 : इस वर्ष मे भी छूट स्वीकृत नहीं होगी :

कर-निधारण वर्ष 1975-76 : चाय के पौधे लगाने का प्रथम चार वर्षों में कुल व्यय 1,02,000 रु० हुआ है, जिसका 50 प्रतिशत अर्थात् 51,000 रु० की छूट मिलेगी। चूँकि 37,500 रु० की छूट पहले ही मिल चुकी है, अतः शेष 13,500 रु० की छूट इस वर्ष प्राप्त होगी।

पुनर्वास छूट (Rehabilitaion Allowance) [33B]

यह धारा उन औद्योगिक संस्थानों पर लागू होती है जो करदाता द्वारा भारत में चलाये जाते हैं तथा वस्तुओं के निर्माण व उत्पादन में लगे हुए है। ये संस्थान यदि किसी गतवर्ष में कुछ विशिष्ट कारणों से (जो धारा में स्पष्ट दिये हुये है) भवन सम्पत्ति, मशीन व प्लांट अथवा फर्नीचर को भारी क्षति पहुँचने अथवा नष्ट होने के कारण बन्द हो गये है तथा उस गतवर्ष के समाप्त होने के 3 वर्ष की अवधि अन्दर करदाता द्वारा उनकी पुनः स्थापना कर दी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में पुनःस्थापना वाले गतवर्ष में करदाता को पुनर्वास छूट मिलेगी जो करदाता को मिलने वाले अन्तिम ह्रास की रकम का 60% होगी।

स्मरण रखने योग्य बात यह है कि जिस वर्ष में भवन, मशीन व फर्नीचर आदि को क्षति पहुँची हो उस गतवर्ष के लिये इन सम्पत्तियों से सम्बन्धित अन्तिम ह्रास करदाता को मिलता बशर्ते कि व्यापार व उद्योग अगले गतवर्षो में चालू रहता। परन्तु दी गई स्थितियों में करदाता अन्तिम ह्रास का लाभ न उठा पाया, क्योंकि व्यापार बन्द हो गया था। इस धारा के द्वारा करदाता को प्रोत्साहन दिया गया है कि वह ऐसे बन्द व्यापारों की 3 वर्ष की अवधि के अन्दर पुनः स्थापना कर सके।

सम्पत्ति नष्ट होने की परिस्थितियाँ इस प्रकार है :—

1. बाढ़, तूफान, आँधी, भूकम्प तथा दैवी प्रकोप।
2. जनता द्वारा दंगा, फिसाद, गृह, युद्ध।
3. अग्नि दुर्घटना, दुश्मन का आक्रमण, विस्फोट आदि।

उदाहरण

(8) एक मशीन सन् 1959 में 20,000 रु० की लागत से क्रय की गई जिसका 1 जनवरी 1967 को अपलिखित मूल्य 12,000 रु० है। मशीन बेकार हो जाती है जिसे 16,000 रु० में बेच दिया गया। करदाता को इस विक्रय पर 500 रु० दलाली के देने पड़ते है। संतुलित चार्ज निकालिये।

	रु०
विक्रय मूल्य	16,000
घटाया अपलिखित मूल्य	12,000
संतुलित चार्ज	4,000

मैसूर हाईकोर्ट द्वारा राज बाई मिक्कम बनाम कमिश्नर आफ इन्कमटैक्स वाले मामले में यह निर्णय दिया गया है कि मशीन की बिक्री से सम्बन्धित दलाली को विक्रय मूल्य में से नहीं घटाया जा सकता।

(9) एक सूती कपड़े की मिल का हिसावी वर्ष 31 दिसम्वर 1974 को समाप्त होता है उसकी विभिन्न सम्पत्तियों का ह्रास सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है :—

	1-1-74 को अपलिखित मूल्य	1974 में नवीन क्रय	ह्रास को दर
मिल की इमारत (प्रथम श्रेणी)	15,47,380	—	5%
गोदाम (द्वितीय श्रेणी)	2,15,740	—	5%
मिल की मशीन	33,17,695	4,45,970	10%
मोटर ट्रक	45,700	—	30%
फर्नीचर	25,170	—	10%

एक गोदाम (जिसका 1-1-1974 को अपलिखित मूल्य 1,15,600 रु० था) मई 1974 में जलकर समाप्त हो गया। इसके लिये बीमा कम्पनी से 1,00,000 रु० प्राप्त हुआ। कर निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए उपर्युक्त विवरण के आधार पर विकास छूट एवं ह्रास की गणना कीजिये यह मानते हुये कि अतिरिक्त मशीन की स्थापना 30 जून 1974 को हुई थी।

विकास छूट :

	रु०
4,45,970 रु० पर 15% की दर से	66,896

ह्रास :

i) मिल का भवन, 15,47,380 रु० पर 5%		77,369
ii) शेष गोदाम, 1,00,140 रु० पर 5%		5,007
iii) नष्ट हुये गोदाम के लिये अन्तिम ह्रास 1,15,600 – 1,00,000		15,600
iv) मिल मशीन, 33,17,695 रु० पर 10%	3,31,770	
4,45,960 रु० पर 10%	44,596	3,76,366

v) मोटर ट्रक, 45,700 रु० पर 30%	13,710
vi) फर्नीचर, 25,170 रु० पर 10%	2,517
कुल ह्रास	4,90,569

यह मान लिया गया है कि विकास छूट (66,896 रु०) का 75% विकास छूट कोष में हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा मशीन खरीदने के लिए विक्रेता के साथ एक प्रसंविदा 1 दिसम्बर 1973 से पहले कर लिया गया था।

(10) एक सूती कपड़े की मिल अपना हिसाबी वर्ष 31 मार्च को समाप्त करती है। निम्नलिखित विवरण से ह्रास तथा विकास छूट की गणना कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए कीजिये :

1.	1 अप्रैल 1974 को प्लांट व मशीन का अपलिखित मूल्य	15,00,000
2.	प्रथम श्रेणी के फैक्टरी भवन का 1-4-74 को अपलिखित मूल्य	2,50,000
3.	1 मई 1974 को फैक्टरी भवन का निर्माण	20,000
4.	विदेश से नई सूती मिल मशीन का आयात जिसका प्रयोग 1 दिसम्बर 1974 से किया गया	1,75,000
5.	एक स्थानीय मिल से पुरानी मशीन का क्रय जिसका प्रयोग 1 जुलाई 1974 से किया गया	30,000
6.	एक विदेशी नई मोटर गाड़ी को क्रय किया जिसका प्रयोग 15 मार्च 1975 से किया गया	80,000

फैक्टरी ने वर्ष भर एक पारी कार्य किया। विकास छूट के लिये कोष में आवश्यक धनराशि का हस्तान्तरण कर दिया गया है।

———

ह्रास :

1. प्लांट व मशीन, 15,00,000 रु० पर 10%	1,50,000
2. प्रथम श्रेणी के भवन पर 2,50,000 रु० पर 5%	12,500
3. नवीन निर्मित भवन पर ह्रास 20,000 रु० पर 5%	1,000
4. आयात की गई मशीन पर ह्रास 1,75,000 रु० पर 10%	17,500
5. पुरानी मशीन, 30,000 रु० पर 10%	3,000
कुल ह्रास	1,84,000

विकास छूट :

विदेश से आयात की गई नई मशीन पर 1,75,000 रु० पर 15%	26,250
कुल ह्रास एवं विकास छूट	2,10,250

टिप्पणी

(1) फैक्टरी भवन, पुरानी खरीदी गई मशीन तथा सड़क यातायात वाहन के लिये विकास छूट नहीं मिलती।

(2) 28 फरवरी 1975 के बाद में खरीदी गई विदेशी मोटर कार पर ह्रास का प्रावधान नहीं है।

(3) यह मान-लिया गया है कि 1 दिसम्बर 1974 को प्रयोग में आने वाली नई मशीन के खरीदने का प्रसंविदा 1 दिसम्बर, 1973 से पहले कर लिया गया था।

(11) एक कम्पनी अपना हिसाब वित्त वर्ष के आधार पर रखती है। इसने जनवरी 1972 में एक करोड़ की लागत से नई मशीनें लगाईं। कर निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिये इसे व्यापार से होने वाले लाभ 10 लाख रुपये के हैं। इसके बाद के तीन कर निर्धारण वर्षों 1973-74, 1974,75 व 1975-76 के लिये इसे क्रमशः 10 लाख रु०, 15 लाख रुपये व 20 लाख रुपये के लाभ हुए हैं। 1972-73 वित्त वर्ष में भी कम्पनी ने 60 लाख रुपये की और मशीनें लगवाईं। कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 से 1975-76 तक के लिये निम्नलिखित की गणना कीजिए :

अ. स्वीकृत विकास छूट;
ब. वास्तव में मिली छूट;
स. छूट जो आगे ले गये; तथा
द. विकास छूट कोष में हस्तान्तरण।

कर निर्धारण वर्ष		विकास छूट कोष
उपलब्ध लाभ	10,00,000	
15% की दर से विकास छूट	15,00,000	
वास्तविक स्वीकृत छूट	10,00,000	7,50,000
विकास छूट आगे ले गये	5,00,000	
कर निर्धारण वर्ष 1973-74		
उपलब्ध लाभ	10,00,000	
15% की दर से विकास छूट	9,00,000	6,75,000
	1,00,000	
1972-73 की विकास छूट	1,00,000	75,000
कर निर्धारण वर्ष 1974-75		
उपलब्ध लाभ	15,00,000	
पिछली अशोधित विकास छूट	4,00,000	3,00,000
कर योग्य लाभ	11,00,000	

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76

इस वर्ष में चूँकि पीछे से लाई गई अशोधित विकास छूट की कोई रकम नहीं है अत: 20 लाख रुपये का सम्पूर्ण लाभ करयोग्य लाभ होगा।

(12) श्री गोयल ने बहुत सी मशीनें कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित गतवर्ष में 2,50,000 रु० में बेचीं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत है :

		रु०
(i)	बेची गई मशीनों का वास्तविक मूल्य	1,50,000
(ii)	सामान्य ह्रास जो इनके लिये मिला है	37,500
(iii)	अतिरिक्त ह्रास	25,000
(iv)	तीन पारियों की छूट	10,000
(v)	प्रारम्भिक ह्रास	20,000
(vi)	विकास छूट	10,000

(vii) इन्हीं मशीनों को बेचने का एक अन्य अनुबन्ध किया था जिसके लिये 7,500 रु० की राशि जमा स्वरूप मिली थी। चूँकि बात आगे न बढ़ सकी अत: जमा की राशि को जब्त कर लिया गया।

आप धारा 41(2) के अन्तर्गत आने वाले कर योग्य लाभों की गणना कीजिए तथा इस बिक्री पर होने वाले पूँजी लाभ को भी निकालिए।

मशीनों का वास्तविक मूल्य		1,50,000
घटाया :		
सामान्य ह्रास	37,500	
अतिरिक्त ह्रास	25,000	
तीन पारियों की छूट	10,000	
प्रारम्भिक ह्रास	20,000	
पेशगी जो जब्त की गई	7,500	1,00,000
समायोजित अपलिखित मूल्य		50,000
कर योग्य लाभ : वास्तविक मूल्य		1,50,000
घटाया : समायोजित अप० मूल्य		50,000
लाभ		1,00,000
पूँजीलाभ : बिक्री मूल्य		2,50,000
मशीनों का वास्तविक मूल्य		1,50,000
पूँजी लाभ		1,00,000

(13) From the following particulars of the fixed assets of West Bengal Paper Mills Ltd., you are required to work out the amount of development rebate and depreciation allowable for the assessment year 1975-76.

Fixed Assets	Written down value on 1-4-1974	Additions during 1974-75 (Accounting year)	Rate of depreciation
	Rs.	Rs.	Rs.
Building (1st class)	10,20,000		2.5%
Building (2nd class)	2,25,000		5%
Plant and Machinery	30,28,200	4,30,000	10%
Motor vehicles	42,000	10,000	30%
Furniture	30,500	...	10%

Part of the second class buildings whose written down value on 1-4-74 was Rs. 1,10,000 was completey destroyed by fire on 5-6-74 and Rs. 95,000 was received from the insurance company in respect thereof.

The additions to the Plant and Machinery and Motor vehicles were all new and installed an 1-10-74, through the orders for their purchase were placed before 1-12-73.

		Rs.
Building : I class	: Normal @ 2.5% on W. D. V. Rs. 10,20,000	25,500
II class	: Normal dep. on building in existence @ 5% on W. D. V. Rs. 1,15,000	5,750
	On destroyed buildings discarded as balancing allowance Rs. 1,10,000—95,000	15,000
Plant & Machinery :		
	Normal @ 10% on W. D. V. Rs. 30,28,200	3,02,820
	@ 10% on additions of Rs. 4,30,000	43,000
Motor Vehicles :		
	Normal @ 30% on W. D. V. Rs. 42,000	12,600
	@ 30% on additions of Rs. 10,000	3,000
Furniture :		
	Normal @ 10% on W.D.V. Rs. 30,500	3,050
	Allowable depreciation	4,10,720
Development Rebate @ 25% on Rs. 4,30,000	107,500	

Notes : 1. Depreciation on additions has been computed for the whole year in view of the rules.

2. Development rebate is allowed @ 25% as the paper industry is a priority industry as per 5th Schedule and the machinery was bought after 31-3-1970.

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत आई हुई विकास सम्बन्धी छूट तथा विकास भत्ता का अन्तर स्पष्ट कीजिये।

2. निम्नांकित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :—

(i) प्रारम्भिक ह्रास (ii) अशोधित ह्रास (iii) प्रयोग के लिये अनुपयुक्त सम्पत्ति (iv) संतुलित प्रभार (v) अन्तिम ह्रास (vi) अतिरिक्त पारी की छूट।

3. विकास सम्बन्धी छूट तथा विकास भत्ता के आगे ले जाने के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये।

4. ह्रास के सम्बन्ध में 'वास्तविक लागत' तथा 'अपलिखित मूल्य' शब्दों का स्पष्टीकरण कीजिये तथा दोनों के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिये।

5. 'ह्रास' शब्द से आप क्या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिये कि एक वर्ष का अशोधित ह्रास आगामी वर्षों में किस प्रकार स्वीकृत किया जा सकता है। क्या ह्रास का आगे ले जाना हानियों के आगे ले जाने से किसी प्रकार भिन्न है ? इस सम्बन्ध में दी गई व्यवस्थाओं का पूर्ण उल्लेख कीजिये।

टिप्पणी—प्रश्न संख्या 3, 4 तथा 5 के उत्तरों के लिये कृपया अध्याय 13 भी देखे।

PRACTICAL QUESTIONS

1. The accounting year of a cotton mill company ends on 31st December 1974, and following are the details of its depreciable assets: —

Assets	W.D.V. on 1-1-1974 Rs.	Additions in 1974 Rs.	Depreciation Rate
Mill building (First class)	15,47,380	...	5%
Godowns (II class)	2,15,740	...	5%
Mill machinery	33,17,695	4,45,970	10%
Motor truck	45,700	...	25%
Furniture	25,170	...	10%

One godown (whose written down value on 1-1-1974 was Rs. 1,15,600) was completely destroyed by fire in May, 1974 and Rs. 1,00,000 was received from the insurance company in respect thereof

Work out the development rebate and depreciation allowable for the assessment year 1975-76 assuming that additional machinery was installed on 30th June, 1974.

---

2. A machine costs Rs. 2,00,000. Its written down value is Rs. 1,00 000. Initial depreciation is Rs. 40,000. It is insured and is destroyed leaving a scrap value of Rs. 20,000, to be taken over by the insurance company. What would be the position as regards balancing depreciation if the insurance money received were Rs. 30,000, Rs. 40,000, Rs 1 00,000, Rs. 1,80,000 and Rs. 2,20,000 ?

---

3. A paper manufacturing mill, which closes its accounts on 31st December every year, purchased a plant on 5th January, 1971 and started manufacturing paper on it from 1-6-1971. Out of the cost of Rs. 20 00,000, a sum of Rs. 6,00,000 was received from the Government of India as an outright grant.

The plant was reduced to ashes by fire on 5-6-1974 and a claim of Rs. 4,50,000 was met by the insurance company and the scrap was sold by the company for a sum of Rs. 10,000.

You are required to work out the profit or loss from the asset destroyed.

---

4. A cotton textile mill closes its books of accounts on 31st March. From the following information work out the amount of depreciation allowance and development rebate admissible for the assessment year 1975-76 : —

		Rs.
1.	Written down value of plant and machinery on 1st April, 1974	15,00,000
2.	Written down value of first class factory building on 1st April, 1974	2,50,000
3.	New additions to factory building completed on 1st May, 1974 and brought into use in the same month.	20,000
4.	New textile machinery imported from abroad and brought into use on 1st December, 1974	1,75,000
5.	Second hand textile machinery purchased from a local mill and brought into use on 1st July, 1974	30,000
6.	One new motor lorry purchased and brought into use on 15th March, 1975	40,000

During the year of account, the mill company had created the necessary reserve for development rebate as required under section 34 (3) of the Income-tax Act, 1961. The factory worked single shift throughout the year.

5. From the following particulars work out the amount of depreciation admissible for the assessment year 1975-76 to K. Engineering Co. which closes its books of account on 31st December, each, year.

(a) Machinery—Total cost on 31st December, 1974, Rs. 4,50,000 which includes the cost of new machinery purchased on 1st January, 1974 Rs. 1,00,000 the total amount of depreciation claimed in respect of this sum upto and including 1974-75 assessment year is Rs. 1,00,000. The rate of depreciation is 10%. In the year 1974 the whole machinery was employed double shift for 100 days and triple shift for another 90 days. The factory worked 250 days in the year 1974.

(b) Building—Total cost to 31st Dec. 1974, Rs. 3,00,000 which includes the cost of additions made on 1st June 1972, Rs. 75,000 and on 1st July 1974 Rs. 25,000. The total amount of depreciation claimed in respect of this asset upto and including the 1974-75 assessment year is Rs. 75,000. The rate of depreciation is 2.5%.

पूँजी लाभ 11
(CAPITAL GAINS)

भारत में पूँजी लाभों पर कर लगाने की शुरुआत सन् 1947 में हुई जबकि आयकर अधिनियम, 1922 में धारा 12B जोड़ी गई। यह कर 31 मार्च, 1948 तक चालू रहा। तत्पश्चात् 1956 में एक बार फिर पूँजी लाभों पर कर लगाया गया जो आज तक चालू है।

पूँजीलाभ [45]

गतवर्ष में पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ 'पूँजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता है तथा यह उस गतवर्ष की आय माना जाता है जिसमें कि सम्पत्ति का हस्तान्तरण सम्पन्न होता है। इस शीर्षक के अन्तर्गत करदायित्व के उदय होने के लिए करदाता को आय की प्राप्ति होना आवश्यक नहीं है, उसे आय को प्राप्त करने का अधिकार होना ही पर्याप्त है।

पूँजी सम्पत्ति [2(14)]

'पूँजी सम्पत्ति' से आशय करदाता द्वारा अपने पास रखी गई किसी भी प्रकार की सम्पत्ति से है जो व्यापार व पेशे से सम्बन्धित भी हो सकती है अथवा नहीं भी। 'किसी भी प्रकार की सम्पत्ति' पदावली बहुत विस्तृत अर्थ रखती है तथा इसमें सभी प्रकार की सम्पत्ति—चल, अचल दृश्य व अदृश्य शामिल होती है। यह परिभाषा सभी परिभाषाओं में अधिक व्यापक है तथा इसमें प्रत्येक प्रकार के उस सम्भावित 'हित' का बोध होता है जो किसी करदाता के स्वामित्व के अन्तर्गत आ सकता है।

'पूँजी सम्पत्ति' में क्या सम्मिलित नहीं है ?

धारा 2 (14) के अन्तर्गत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्पत्तियों को पूँजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता :

अ. कोई ऐसा व्यापारिक स्कन्ध, उपभोग्य सामिग्री व कच्चा माल जिसे व्यापार व पेशे के लिये रखा जाता है।

ब. व्यक्तिगत मालमत्ता (जिसमें पहिनने के कपड़े व फर्नीचर शामिल हैं किन्तु जेवर नहीं), जो करदाता अथवा उसके परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों द्वारा प्रयोग किये जाते है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि जेवर 'पूँजी सम्पत्ति' मे शामिल किये जाते है व इनकी बिक्री पर होने वाला लाभ 'पूँजी लाभ' के अन्तर्गत करयोग्य होता है।

स. भारत में स्थित कृषि भूमि जो शहरी क्षेत्रों में नहीं आती।

द. $6\frac{1}{2}$% स्वर्ण बॉण्डस, 1977; 7% स्वर्ण बॉण्डस, 1980; अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉण्डस 1980।

स्पष्टीकरण—उपर्युक्त 'ब' में वर्णित जेवर से अभिप्राय उन सभी आभूषणों से है जो सोना, चाँदी, प्लेटीनम व अन्य मूल्यवान धातुओं से अथवा इनके मिश्रण से तैयार किये जाते हैं। हीरे, जवाहरात व मूल्यवान पत्थरों को भी जेवर में शामिल किया जाता है।

निम्नलिखित को पूँजी सम्पत्ति मे सम्मिलित किया गया है :

1. फर्म की ख्याति;
2. किसी कम्पनी के अंशों को क्रय करने का अधिकार;
3. किसी फर्म में साझेदार का हिस्सा;
4. खानों की लीज तथा किन्हीं वस्तुओं के बनाने का लाइसेन्स।

शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि-भूमि

कर-निर्धारण वर्ष 1969-70 तक कृषि भूमि पूर्ण रूपेण पूँजीलाभ कर से मुक्त थी। यह भूमि कहीं भी स्थित हो सकती थी। किन्तु कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 से स्थिति में परिवर्तन हो गया है। सरकार अब शहरी क्षेत्रों में भूमि के हस्तान्तरण से होने वाले लाभों के बारे में सतर्क है। अब स्थिति यह है कि 10,000 व इससे अधिक की जनसंख्या वाले नगरपालिका, नगरनिगम, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, कैन्टोनमेट बोर्ड के क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाले लाभ पूँजी लाभों की श्रेणी में आ जाते है व करयोग्य होते हैं। सरकार ने अपने लिये एक अन्य अधिकार रख छोड़ा है जिसके अन्तर्गत इन क्षेत्रों की सीमाओं से 8 किलो मीटर की दूरी तक सभी कृषि भूमि पूँजीलाभों के अन्तर्गत लाई जा सकती है। इसके लिये राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित केन्द्रीय सरकार की घोषणा ही काफी है।

पूँजी सम्पत्ति के प्रकार

(1) **लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति**—लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से आशय किसी ऐसी पूँजी सम्पत्ति से है जो करदाता के पास 60 महीने तक रहती है तथा इस अवधि के अन्दर ही हस्तान्तरित करदी जाती है। इस सम्पत्ति से होने वाला लाभ लघुकालीन पूँजीलाभ कहलाता है [धारा 2(42A)]। कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 तक यह समय सीमा 24 महीना थी।

(2) **दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति**—ये वे सम्पत्तियाँ है जो लघुकालीन सम्पत्ति की श्रेणी में नहीं आती हैं। इनके हस्तान्तरण से होने वाला लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ कहलाता है।

हस्तान्तरण

धारा 2 (47) के अनुसार पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से आशय बिक्री, विनिमय व सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकारों के त्याग से है। सरकार द्वारा की गई खरीद हस्तान्तरण में सम्मिलित की जाती है। न्यायालय के आदेश पर कमिश्नर अथवा रिसीवर द्वारा की गई बिक्री को भी कई मामलों में हस्तान्तरण ठहराया गया है। किसी खान अथवा भूमि को किराए पर देने से मिला नजराना व सलामी पूँजी लाभ ठहराए गये है क्योंकि खानों को पट्टे पर देना हस्तान्तरण माना गया है। पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर हुए लाभ करयोग्य होते हैं। हस्तान्तरण की तिथि वह तिथि मानी जाती है जिस दिन 'बिक्री पत्र' सम्वन्धी क्रिया सम्पन्न होती है न कि वह तिथि जिस दिन कि बिक्री सम्वन्धी समझौता सम्पन्न होता है।

कोई फर्म जब किसी कम्पनी द्वारा खरीद ली जाती है तथा इससे उस खरीदी जाने वाली फर्म को लाभ होता है तो यह लाभ पूँजीलाभ की श्रेणी में आता है एवं करयोग्य होता है। परन्तु यदि किसी फर्म के साझीदार अपनी फर्म को कम्पनी मे बदल लेते हैं तथा वे सभी व्यक्ति अपने पुराने अनुपात में ही कम्पनी के अंशों को खरीद ले तो इस बिक्री से होने वाला लाभ पूँजी लाभ नहीं होता। यह आन्तरिक व्यवस्था है तथा स्वामित्व की किस्म (Form of ownership) में परिवर्तन है अतः इससे होने वाले लाभों पर आयकर नहीं लगाया जा सकता।

पूँजीलाभ के आवश्यक तत्व

किसी भी धनराशि को पूँजीलाभ की श्रेणी में रखने के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है :—

अ. पूँजी सम्पत्ति का होना;
ब. हस्तान्तरण होना, तथा
स हस्तान्तरण से लाभ होना।

इन तत्वों में से किसी भी एक तत्व के अभाव मे लाभों को पूँजीलाभ नही माना जा सकता। पूँजी सम्पत्ति का यदि ऐसा स्वामित्व परिवर्तन हुआ है जिसे धारा 47 के अन्तर्गत हस्तान्तरण नही मानते तो ऐसे स्वामित्व परिवर्तन से हुआ लाभ आयकर अधिनियम की दृष्टि में पूँजीलाभ नहीं हो सकता।

व्यवहार जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता

धारा 47 में ऐसे व्यवहारों की सूची दी गई है जो 'हस्तान्तरण' नही माने जाते अतः इन व्यवहारों से उदय होने वाले लाभ पूँजी लाभ नही माने जाते। ये आय 'कुल आय' में सम्मिलित भी नहीं की जाती। ऐसे व्यवहार निम्नांकित है : —

i. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर पूँजी सम्पत्तियों का वितरण।

ii. किसी फर्म, व्यक्तियों के समूह अथवा जनमण्डल के विघटन (Dissolution) के समय पूँजी सम्पत्तियों का वितरण।

iii. भेट (gift) अथवा इच्छा-पत्र (will) अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट द्वारा पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण।

iv. एक सूत्रधारी कम्पनी (Holding company) द्वारा अपनी शतप्रतिशत सहायक कम्पनी को पूँजी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण, यदि ऐसी सहायक कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

v. एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को हस्तान्तरण जिसके पास इस सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अंश पूँजी है तथा वह कम्पनी भारतीय कम्पनी है।

vi. दो अथवा दो से अधिक कम्पनियाँ जब आपस में मिलना चाहती है तो इसे एकीकरण कहते है। एकीकरण की योजना को सरकार से अनुमोदित कराया जाता है। ऐसी योजना के अन्तर्गत मिलने वाली कम्पनियाँ अपनी-अपनी पूँजी सम्पत्तियों को मिलाने वाली कम्पनी को हस्तान्तरित कर देती है। ऐसे हस्तान्तरण को पूँजीलाभ के लिए 'हस्तान्तरण' नहीं माना जाता। मिलने वाली कम्पनी amalgamating company तथा मिलाने वाली कम्पनी amalgamated company कहलाती है।

(vii) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक अंशधारी द्वारा मिलने वाली कम्पनी (amalgamating company) के अंशों का हस्तान्तरण, यदि—

(अ) ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल स्वरूप मिलाने वाली कम्पनी (amalgamated company) के अंशों का उसे बंटन हुआ है; तथा

(ब) मिलाने वाली कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है।

(viii) 1 मार्च 1970 से पहले भारत में हुआ कृषि भूमि का हस्तान्तरण भी पूँजी लाभ की दृष्टि से 'हस्तान्तरण' नहीं माना जाता था।

पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर पूँजी लाभों की गणना [धारा 48]

किसी पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर उससे होने वाले करयोग्य पूँजी लाभों की गणना के लिये पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मिली हुई धनराशि में से निम्नलिखित राशियों के योग को घटाकर कर-योग्य लाभ निकाले जाते हैं :—

1. ऐसे हस्तान्तरण के लिये किये गये सम्पूर्ण व्यय।

2. पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उसमें किये गये सुधारों की लागत (Cost of improvement)।

प्राप्त करने की लागत (Cost of Acquisition)

भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में पूँजी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत भिन्न-भिन्न होती है तथा इसकी गणना करने की विधि अलग अलग होती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

1. **विभिन्न परिस्थितियाँ**—निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि पूँजी सम्पत्ति प्राप्त की गई है तो इसकी प्राप्त करने की लागत में इसके भूतपूर्व स्वामी द्वारा इसके प्राप्त करने के लिये दिया गया मूल्य व इसमें सुधारों को करने के लिये भूतपूर्व स्वामी अथवा करदाता द्वारा किये गये व्यय भी सम्मिलित रहते हैं :—

i. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर सम्पत्ति का वितरण।
ii. भेंट अथवा इच्छापत्र के अन्तर्गत (under a gift or will) ;
iii. उत्तराधिकार आदि पर (Succession, inheritance or devolution) ;
iv. फर्म, व्यक्तियों के समूह तथा जनमण्डल के विघटन पर सम्पत्ति का विवरण ;
v. कम्पनी के समापन पर सम्पत्ति का वितरण ;
vi. एक खण्डनीय अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत हस्तान्तरण ;
vii. किसी सूत्रधारी (Holding) कम्पनी द्वारा अपनी शतप्रतिशत सहायक कम्पनी को हस्तान्तरण अथवा ऐसी सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को हस्तान्तरण।

2. **समामेलित (मिलाने वाली) कम्पनी के अंश** : करदाता को यदि एकीकरण की योजना के अन्तर्गत मिलने वाली कम्पनी के अंशों के बदले में मिलाने वाली कम्पनी के अंश प्राप्त होते हैं तो इस कम्पनी के अंशो को प्राप्त करने की लागत वह लागत होगी जिस पर कि उसने मिलने वाली कम्पनी के अंशों को खरीदा था।

3. **1 जनवरी 1954 से पहले प्राप्त की गई सम्पत्ति**—यदि कोई पूँजी सम्पत्ति करदाता के स्वामित्व में 1-1-1954 से पूर्व आई थी तो करदाता द्वारा इस सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत अथवा उस सम्पत्ति का 1-1-1954 को बाजार मूल्य (दोनों में जो भी कम हो) ऐसी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत होगी।

4. **विरासत में मिली सम्पत्ति**—यदि करदाता को सम्पत्ति विरासत आदि में मिली है तो सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत निम्नलिखित होगी—

i. सम्पत्ति के भूतपूर्व मालिक को सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत; अथवा
ii. सम्पत्ति का 1-1-54 को बाजार मूल्य बशर्ते कि भूतपूर्व मालिक के पास यह सम्पत्ति 1-1-54 से पहले स्वामित्व में आगई थी; जो भी करदाता के पक्ष मे हो।

ऐसी सम्पत्ति के बारे में यदि यह निश्चित नही हो सकता कि भूतपूर्व मालिक के लिये इसे प्राप्त करने की लागत क्या थी तो इस सम्पत्ति का 1-1-1954 को प्रचलित बाजार मूल्य का निर्धारण किया जावेगा तथा वही करदाता के लिये सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत होगी।

5. **ह्रास योग्य सम्पत्ति**—सम्पत्ति यदि ह्रास योग्य है तो इसकी प्राप्त करने की वास्तविक लागत में से स्वीकृत ह्रास की राशि निकाल कर अपलिखित मूल्य ज्ञात किया जाता है। 1-1-1954 से पहले यदि कोई सम्पत्ति करदाता ने प्राप्त की है तथा यदि उसने इसके प्राप्त करने की लागत इस सम्पत्ति का 1-1-1954 का बाजार मूल्य माना है तो इस रकम में से 1-1-1954 के बाद मे मिला हुआ स्वीकृत साधारण ह्रास घटा दिया जाता है तत्पश्चात् इसमें संतुलित चार्ज जोड़ देते है व अन्तिम ह्रास (यदि कोई हुआ है) घटाकर जो रकम आती है वही इस सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत होगी।

6. **पूँजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में पेशगी प्राप्त होना**—यदि किसी पूँजी सम्पत्ति के विक्रय आदि के सम्बन्ध में पहले कुछ बातचीत हो चुकी है तथा इनसे सम्बन्धित कुछ पेशगी धन की प्राप्ति भी हो चुकी है तो प्राप्त हुई पेशगी की रकम को सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत अथवा अपलिखित मूल्य में से घटा दिया जाता है।

7. **कम मूल्य पर हस्तान्तरण**—कभी आयकर अधिकारी को यदि यह पता लगता है कि पूँजी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करदाता द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को किया गया है जो किसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इससे सम्बन्धित है तथा पूँजी लाभ पर आयकर बचाने की दृष्टि से जानबूझकर इस हस्तान्तरण को वास्तविक से कम मूल्य पर दिखाया गया है तो आयकर अधिकारी को यह अधिकार धारा 52 के अन्तर्गत दिया गया है कि वह हस्तान्तरित पूँजी सम्पत्ति के विक्रय मूल्य अथवा विक्रय प्रतिफल का निश्चय कर सके।

मूल्यांकन अधिकारी से निर्देशन प्राप्त करना—धारा 55 A में ऐसा आयोजन है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी द्वारा किसी पूँजी सम्पत्ति का मूल्यांकन सम्बन्धी मामला मूल्यांकन अधिकारी को आवश्यक निर्देशन के लिए भेजा जाता है। ऐसा निम्नलिखित दो दशाओं में किया जाता है :

(अ) जब करदाता ने सम्पत्ति का मूल्यांकन रजिस्टर्ड मूल्यांकक से कराया है व वह अपना दावा इसी मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तुत करता है किन्तु आयकर अधिकारी की सम्मत्ति में यह मूल्य सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम है।

(ब) अन्य स्थितियों में जबकि आयकर अधिकारी की सम्मति में यदि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके करदाता द्वारा बताये गये मूल्य से उसके 15% से अधिक है अथवा रु० 25,000 से अधिक है, तो वह इस सम्पत्ति के मूल्याकन का मामला मूल्यांकन अधिकारी को सुपुर्द कर देगा।

उदाहरण

(1) करदाता, जो एक निर्माण कम्पनी है, ने एक मशीन 1951 में 45,000 रु० में खरीदी व गतवर्ष में इसे 60,000 रु० में बेच दिया। इस मशीन का 1 जनवरी 1954 को उचित बाजार मूल्य 50,000 रु० था। तब से गतवर्ष तक कुल मिलाकर 10,000 रु० का साधारण ह्रास स्वीकृत हुआ है।

ऐसी स्थिति में मशीन की लागत इसका 1 जनवरी 1954 को उचित बाजार मूल्य (50,000 रु०) मानी जावेगी तथा पूँजीलाभ आदि की गणना इस प्रकार होगी—

	रु०
विक्रय मूल्य	60,000
घटाया : मशीन की 1-1-1954 को लागत	50,000
पूँजीलाभ	10,000
मशीन की लागत	50,000
घटाया : अपलिखित मूल्य	40,000
अन्तिम ह्रास	10,000

करमुक्त पूँजी लाभ

(Exempted Capital Gains)

कुछ व्यवहारों से उत्पन्न पूँजी लाभ कर से पूर्णतया मुक्त रहते हैं तथा कुल आय में शामिल भी नही किये जाते। ये व्यवहार कुछ ऐसे हो सकते है जो कि आयकर अधिनियम द्वारा दी गई "हस्तान्तरण" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते। कुछ पूँजी लाभ मकान सम्पत्ति से उत्पन्न होते है जिन्हें यदि पुनः मकान सम्पत्ति में ही विनियोजित कर दिया जाय तो इन्हें करमुक्त कर दिया जाता है। यह एक प्रोत्साहन है जो कि मकान बनाने वालों को अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में पूँजी लाभ कुल आय में सम्मिलित नहीं किए जाते :—

(1) **ऐसे व्यवहारों से लाभ जो हस्तान्तरण नहीं हैं :** ऐसे व्यवहारों से होने वाले पूँजी लाभ जो 'हस्तान्तरण' की परिभाषा में नहीं आते, कर की परिधि से बाहर रहते हैं।

(2) **कम्पनी के समापन पर वितरण :** कम्पनी द्वारा अपने समापन पर जब अपनी पूँजी सम्पत्तियों का अंशधारियों में वितरण किया जाता है तो यह वितरण भी हस्तान्तरण नहीं है अतः पूँजी लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) **मकान सम्पत्ति का हस्तान्तरण :** धारा 53 के अनुसार ऐसी मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाले लाभ करयोग्य नहीं होंगे जिसे 25,000 रु० तक मूल्य के लिए बेचा गया है तथा जहाँ करदाता के पास कुल मकान सम्पत्ति (इस हस्तान्तरित सम्पत्ति सहित) 50,000 रु० मूल्य तक की है। यह दोनों ही शर्तें पूरी होनी चाहिए यह छूट उन्हीं मकानों के लिए मिलती है जिनसे होने वाली आय 'मकान सम्पत्ति की आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है।

(4) **करदाता द्वारा अपने रिहाइशी मकान का हस्तान्तरण :** धारा 54 के अन्तर्गत ऐसी मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाले पूँजी लाभ भी कर मुक्त रहते हैं जिसमें हस्तान्तरण के दो वर्ष पहले से करदाता अथवा करदाता के माता-पिता का निवास स्थान रहा है बशर्ते—कि

(i) हस्तान्तरण से 1 वर्ष पहले से 1 वर्ष बाद तक की अवधि में ही करदाता ने इस पूँजी लाभ को अपने निवास स्थान के लिए किसी अन्य मकान सम्पत्ति को क्रय करने में व्यय कर दिया है ; अथवा

(ii) हस्तान्तरण की तिथि के बाद में 2 वर्ष की अवधि के भीतर ही ऐसे पूँजी लाभ को अपने निवास स्थान बनवाने के लिए ही करदाता ने व्यय कर दिया है।

टिप्पणी—(अ) इन दोनों ही स्थितियों में यदि मकान बनवाने अथवा खरीदने में पूँजीलाभ की सम्पूर्ण राशि व्यय नहीं की जा सकी है तो पूँजीलाभ की शेष राशि करयोग्य होती है।

(ब) यदि (i) व (ii) में वर्णित खरीदे गए व बनवाए गए नये मकानों को 3 वर्ष की अवधि के अन्दर ही पुनः हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो इससे उत्पन्न पूँजीलाभ में पुराने पूँजीलाभ (जो उस समय करमुक्त था) को जोड़ दिया जाता है तथा यह सम्पूर्ण राशि उस वर्ष के लिए करयोग्य होगी जिस वर्ष में नये मकान का हस्तान्तरण हुआ है।

(स) यदि नए मकान के हस्तान्तरण से कुछ हानि हुई है तो पुराने पूँजीलाभ (जो उस समय करमुक्त था) में से हानि की यह रकम घटाकर जो शेष राशि रहती है वह करयोग्य पूँजीलाभ होते है, जिन पर नए मकान का हस्तान्तरण होने वाले वर्ष के लिये आयकर लिया जाता है।

(5) **कृषि भूमि के हस्तान्तरण से पूँजी लाभ** [54B]: साधारणतः कृषि भूमि 'पूँजी सम्पत्ति' में शामिल नहीं होती। किन्तु उस कृषि भूमि को, जो शहरी सीमा में आती है, पूँजी सम्पत्ति मानते हैं व इसके हस्तान्तरण से होने वाला लाभ करयोग्य होता है। धारा 54B में कुछ ऐसी शर्तों का वर्णन है जिनके पालन करने पर शहरी सीमा में स्थित कृषि भूमि के हस्तान्तरण से हुए पूँजीलाभ भी करमुक्त रहते है। ये शर्तें इस प्रकार हैं :

(अ) हस्तान्तरित की गई भूमि करदाता अथवा उसके माता पिता द्वारा हस्तान्तरण से पहले की कम से कम 2 वर्षों की अवधि में कृषि के काम में लाई जा रही थी।

(ब) करदाता ने भूमि के हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्षों की अवधि में दूसरी ऐसी भूमि खरीद ली है जिसे कृषि के काम में लाया जावेगा।

(स) कृषि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाला पूँजी लाभ इस प्रकार नई भूमि को खरीदने में व्यय कर दिया गया है।

(द) भूमि के हस्तान्तरण पर हुए पूँजी लाभ की राशि यदि नवीन कृषि योग्य भूमि खरीदने में पूरी तरह से व्यय करदी गई है तो पूँजी लाभ पर आयकर नहीं लगता। किन्तु यदि ऐसे पूँजी लाभ का केवल एक भाग ही भूमि खरीदने में विनियोजित किया गया है तो शेष पूँजी लाभ पर आयकर लगाया जायेगा।

(ह) पूँजी लाभों को व्यय करके इस प्रकार ख़रीदी गई कृषि भूमि को अगले तीन वर्षो की अवधि मे हस्तान्तरित नहीं किया जाना चाहिये।

उदाहरण

(1) बालकराम के पास दिल्ली नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित कृषि भूमि है; वह इसे बेचकर 50,000 रु० का पूँजीलाभ प्राप्त करता है। इसे बेचने के दो वर्षो की अवधि में ही वह 35,000 रु० की लागत से कोई दूसरी कृषि भूमि खरीदता है जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 1971 को होता है। इस प्रकार खरीदी गई भूमि 30 अक्टूबर 1972 को 45,000 रु० में बेचदी जाती है।

इस उदाहरण में प्रथम बिक्री पर हुए 50,000 रु० के पूँजीलाभ में से केवल 15,000 रु० पर कर लगेगा क्योंकि शेष 35,000 रु० कृषि भूमि खरीदने में व्यय कर दिया गया है। 35,000 रु० से खरीदी गई यह कृषि भूमि 3 वर्षों से पहले ही बेचदी जाती है व पुनः 10,000 रु० का पूँजीलाभ प्राप्त होता है। इस बार गतवर्ष 1972-73 के लिए न केवल 10,000 रु० की यह राशि ही करयोग्य होगी वरन् पिछले उस 35,000 रु० के पूँजीलाभ पर भी कर लगेगा जिसे पहले करमुक्त कर दिया गया था।

(6) **आभूषणों को बेचने पर पूँजीलाभ** [54C]—जब करदाता अथवा उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा जेवर अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाये जाते हैं तो इनके हस्तान्तरण पर होने वाला लाभ 'पूँजीलाभ' के अन्तर्गत करयोग्य होता है। धारा 54C के अधीन ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि करदाता द्वारा अपने जेवर बेचने से प्राप्त विक्रय राशि 6 महीने की अवधि मे ही अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के प्रयोगार्थ अन्य जेवर ख़रीदने में व्यय करदी जाती है तो ऐसे पूँजी लाभ पर कर नहीं लगाया जाता। व्यय की गई राशि यदि विक्रय राशि से कम है तो ऐसी छूट उसी अनुपात में कम कर दी जाती है।

उदाहरण

(2) श्री राम मनोहर ने अपने परिवार में व्यक्तिगत उपयोग में लाये जा रहे कुछ जेवर 40,000 रु० मूल्य पर बेचे जिससे उन्हें 10,000 रु० का पूँजीलाभ हुआ। ऐसी विक्री के 6 महीनों की अवधि में ही उन्होंने कुछ अन्य नये जेवर खरीदे जिसमें उन्होंने 30,000 रु० की राशि व्यय की। चूँकि विक्रय राशि का $\frac{3}{4}$ भाग ही नवीन जेवरों के खरीदने में लगाया गया है, अतः पूँजी लाभ (10,000 रु०) का $\frac{3}{4}$ भाग (7,500 रु०) करमुक्त होगा व $\frac{1}{4}$ अर्थात् 2,500 रु० पर 'पूँजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत आयकर देना होगा।

(7) **भूमि व भवन के अभिग्रहण से होने वाले पूँजीलाभ** [54D]—यह एक नई धारा है जिसके अन्तर्गत ऐसे करदाताओं को उस पूँजीलाभ के सम्बन्ध में कुछ छूट मिलती है जो सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई के अनिवार्य अभिग्रहण करने से होते है। इस छूट से सम्बन्धित प्रमुख बातें इस प्रकार है:

(1) भूमि भवन से सम्बन्धित पूँजीलाभों पर ही छूट मिलती है।

(2) ये भूमि व भवन करदाता की अपनी औद्योगिक इकाई का एक हिस्सा होना चाहिए।

(3) अनिवार्य अभिग्रहण की तिथि से पहले कम से कम दो वर्षों तक इसका प्रयोग करदाता द्वारा होना चाहिए।

(4) सरकार द्वारा अभिग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि में ही नया भवन लिया जाना चाहिए अथवा बनवा लिया जाना चाहिये जिसका उपयोग नवीन औद्योगिक इकाई अथवा पुराने उद्योग मे हो सकता है।

(5) यह सम्पत्ति करदाता द्वारा तीन वर्षों की अवधि में हस्तान्तरित नहीं की जा सकती।

(6) पूँजीलाभ उसी सीमा तक करमुक्त होगा जितनी रकम नवीन भवन खरीदने अथवा बनवाने में लगा दी गई है। उदाहरणार्थ, सरकार द्वारा उद्योग में इस्तैमाल की गई भवन सम्पत्ति का अभिग्रहण रु० 5,00,000 में किया गया है। इस पर रु० 2,00,000 का पूँजीलाभ हुआ। यह करदाता यदि एक नये उद्योग की स्थापना करता है व रु० 1,70,000 के मूल्य का एक भवन उद्योग में इस्तैमाल करने के लिए खरीदता है इस करदाता को रु० 30,000 के पूँजीलाभ पर कर देना होगा।

पूँजीलाभों पर कर की गणना

कम्पनी करदाता—लघुकालीन पूँजीलाभों पर साधारण लाभ की भाँति आयकर लगाया जाता है यथा इसके लिये किसी भी प्रकार की विशेष दरें प्रस्तावित नहीं हैं। दीर्घकालीन पूँजीलाभों पर आयकर की गणना कम्पनी करदाता के लिये निम्नलिखित ढंग से की जाती है :

अ. भूमि भवन के हस्तान्तरण से हुए दीर्घ कालीन पूँजीलाभ पर :

(i) ऐसी कम्पनी के लिए जिसमें जनता का सारवान हित है व जिसके ऐसे पूँजीलाभों को छोड़कर कुल आय 1,00,000 रु० से अधिक नहीं है, 47 प्रतिशत की दर से,

(ii) अन्य कम्पनियों की स्थिति में 55 प्रतिशत की दर से,

ब. अन्य दीर्घकालीन पूँजी लाभों पर 47 प्रतिशत की दर से।

गैर-कम्पनी करदाता—कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं की स्थिति में लघुकालीन पूँजीलाभ अन्य साधारण आय की भाँति करयोग्य होते हैं। इसके विपरीत दीर्घकालीन पूँजीलाभों के लिये धारा 80T के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत होती है। इस कटौती का पूर्ण विवरण चौदहवें अध्याय में देखें।

उदाहरण

(3) बृजकिशोर अपना हिसाबी वर्ष 31 मार्च को प्रतिवर्ष समाप्त करते हैं। इन्होंने 31 मार्च 1974 को अपना व्यापार समाप्त कर दिया तथा जुलाई 1974 में प्लांट व मशीन को 90,000 रुपये में हस्तान्तरित कर दिया। इस मशीन को सन् 1950 में 58,000 रुपये की लागत पर खरीदा गया था, तथा इसका बाजार मूल्य 1 जनवरी 1954 को 80,000 रु० था। इस तिथि के बाद में इस मशीन पर 35,000 रु० ह्रास मिला।

यह मानते हुये कि बृजकिशोर ने मशीन के 1 जनवरी 1954 के बाजार मूल्य का विकल्प स्वीकार किया है, उपर्युक्त प्रश्न का हल इस प्रकार होगा—

	रु०
1 जनवरी 1954 को बाजार मूल्य	80,000
घटाया साधारण ह्रास	35,000
अपलिखित मूल्य	45,000
मशीन से प्राप्त विक्रय मूल्य	90,000
कुल लाभ	45,000
घटाया : विक्रय मूल्य का 1-1-54 के बाजार मूल्य पर का आधिक्य	10,000
अन्तिम ह्रास	35,000

इस प्रकार जुलाई 1974 में अर्जित 45,000 रु० का लाभ कर-निर्धारण वर्ष 1975 76 में करयोग्य होगा भले ही व्यापार मार्च 1974 में बन्द कर दिया गया था। इस रकम में से 10,000 रु० पूँजी लाभ माने गये।

(4) 'अ' ने अपना मकान, जिसे वह अपने निवास स्थान के लिये प्रयोग करता था, 3 मार्च 1973 को 3,10,000 रु० में बेच दिया। यही मकान उसने सन् 1965 में 1,90,000 रु० में क्रय किया था। 20 जनवरी 1973 को उसने 85,000 रु० में अपने रहने के उद्देश्य से दूसरा मकान खरीदा। यह मानते हुये कि नया खरीदा हुआ मकान इसके द्वारा 3 अगस्त 1974 को 1,05,000 रु० का बेचा जाता है, कर निर्धारण वर्ष 1975-76 में करयोग्य पूँजीलाभ की गणना कीजिए।

कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 में 1,20,000 रु० (3,10,0001,—90,000) का पूँजीलाभ हुआ लेकिन चूँकि इसमें से 85,000 रु० एक वर्ष की अवधि के अन्दर ही एक अन्य मकान को खरीदने में लगा दिये गए है, अतः शेष पूँजीलाभ (1,20,000 रु०—85,000 रु०=35,000 रु०) ही करयोग्य होगा। यह मानते हुए कि नया खरीदा गया मकान भी 3 अगस्त 1974 को 1,05,000 रु० का बेच दिया जाता है, कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये पूँजीलाभ की गणना निम्नलिखित प्रकार से होगी :

पूँजीलाभ (1,05,000—85,000)	20,000
पुराना पूँजीलाभ जिसे करमुक्त कर दिया गया था	85,000
कुल करयोग्य पूँजीलाभ	1,05,000

(5) एक करदाता ने भूमि का एक प्लाट सन् 1960 में 10,000 रु० का खरीदा। कुछ कठिनाईयों के कारण वह इस भूमि पर अपना अधिकार न जमा सका। इसी बीच में उसने एक अन्य प्लाट 5,000 रु० में खरीद लिया व उस पर 25,000 रु० की लागत से एक मकान बनवा लिया। 1971 में जब पुराने प्लाट को उसने अपने

अधिकार में लिया तो उसे मालूम हुआ कि यह भूमि उसके पास फालतू है। उसने इसे 30,000 रुपये में बेच दिया तथा इस प्रकार 25,000 रुपये का पूँजीलाभ किया। करदाता का कथन है कि यह पूँजीलाभ करमुक्त है क्योंकि यह लाभ भूमि व भवन के हस्तान्तरण से हुआ है व यह 25,000 रुपये से कम है। करदाता के तर्क की समीक्षा कीजिए।

करदाता का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नही है। यह पूँजीलाभ निम्नलिखित कारणों से करयोग्य है—

अ. यह लाभ उस भवन सम्पत्ति के हस्तान्तरण से नही हुआ है जिससे प्राप्त किराया 'भवन सम्पत्ति से आय' के अन्तर्गत करयोग्य होता है। यह केवल भूमि के हस्तान्तरण से हुई आय है जिससे प्राप्त किराया 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत आता है।

ब. चूँकि भूमि का विक्रय मूल्य 25,000 रु० से अधिक है अतः इससे हुआ पूँजीलाभ करमुक्त नहीं हो सकता।

(6) निम्नलिखित दशाओं में करयोग्यता पर प्रकाश डालिए :

	अरविन्द	विनय	करीम
सम्पूर्ण भवन सम्पत्ति का 17-7-74 को उचित बाजार मूल्य	45,000	53,000	34,000
18-7-74 को बेचा मकान	22,000	23,000	28,000
बेचे गये मकान का लागत मूल्य (15-2-1964)	15,000	10,000	18,000
अन्य साधनों से कुल आय	12,000	18,000	12,000

अरविन्द

दीर्घकालीन पूँजीलाभ (22,000—15,000)	7,000
अन्य साधनों से आय	12,000

पूँजीलाभ इस दशा में करमुक्त होंगे क्योंकि न तो कुल मकान सम्पत्ति का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है और न मकान को 25,000 रुपये से अधिक में बेचा गया है।

विनय

दीर्घकालीन पूँजीलाभ (23,000—10,000)	13,000
अन्य साधनों से आय	8,000
कुल सकल आय	21,000

दीर्घकालीन पूँजीलाभ को कुल आय में इसलिए जोड़ा जायेगा क्योंकि करदाता के पास कुल भवन सम्पत्ति 50,000 रु० से अधिक की है।

करीम

दीर्घकालीन पूँजीलाभ		10,000
अन्य साधनों से आय		12,000
	कुल सकल आय	22,000

दीर्घकालीन पूँजीलाभ कुल आय में जोड़ा जायेगा क्योंकि मकान को 25,000 रु० से अधिक मूल्य में बेचा गया है।

(7) श्री मुरारीलाल को एक मकान अपने चाचा से 15 नवम्बर 1971, को वसीयत में मिला है। इस तारीख को मकान का उचित बाजार मूल्य 1,25,000 रु० था। उसके चाचा ने यह मकान 1950 में 25,000 रु० में खरीदा था तथा 1 जनवरी 1954 को इसका उचित बाजार मूल्य 54,000 रु० था। उसके चाचा ने मकान में कुछ आवश्यक सुधार कराये व इसके लिए सन् 1962-63 में 10,000 रु० व्यय किये। श्री मुरारीलाल ने भी इस पर 5,000 रु० खर्च किये। यह मकान 15 अक्टूबर 1974 को 1,58,000 रु० में बेच दिया जाता है। पूँजीलाभ की गणना कीजिये व इसकी प्रकृति भी बताइये।

मकान की लागत

मकान का खरीद मूल्य अथवा 1-1-1954 को उचित बाजार मूल्य		54,000
भूतपूर्व मालिक द्वारा सुधारों के लिये किये गये व्यय		10,000
श्री मुरारीलाल द्वारा किया गया व्यय		5,000
		69,000
	विक्रय मूल्य	1,58,000
	पूँजीलाभ	89,000

चूँकि यह मकान श्री मुरारीलाल के पास 60 महीनों से कम अवधि तक रहा रहा है अतः यह लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति हुई व यह लाभ लघुकालीन पूँजीलाभ हुआ।

(8) श्री विजयेन्द्र मेरठ के जमीदार हैं जिनके पास मेरठ के आस पास भवन सम्पत्ति है व खतौली की बाहरी सीमा पर कृषि योग्य भूमि है। वे स्वयं एक मकान में रहते हैं जिसे 1961 में 1,34,000 रु० में खरीदा गया था। यह जमीन 15 एकड़ है तथा पिछले सभी वर्षों में इनके पिता द्वारा खेती के लिए काम में लाई गई है। उपर्युक्त रिहायशी मकान अक्टूबर 1973 में 3,34,000 रु० में बेचा जाता है जिससे 2,00,000 रु० का पूँजीलाभ हुआ। इस बिक्री के तीन महीनों के अन्दर इन्होंने एक दूसरा रिहाइशी मकान 1,75,000 रु० में खरीद लिया। कृषि भूमि को भी 5,00,000 रु० में बेच दिया गया, जिस पर 1,30,000 रु० का पूँजीलाभ हुआ। इसको बेचने के दो वर्षों के भीतर ही 3,75,000 रु० में उन्होंने एक दूसरा कृषि फार्म खरीद लिया। इसी वर्ष उन्होंने कुछ सोने के आभूषण भी 25,000 रु० में बेचे जिन पर 10,000 रु०

का पूँजीलाभ हुआ। इनके बेचने के छह महीने के अन्दर ही उन्होंने 20,000 रु० की लागत से कुछ अन्य गहने अपने इस्तैमाल के लिये खरीदे। आप कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिये करयोग्य पूँजीलाभों की गणना कीजिये :

करयोग्य पूँजीलाभ

रिहाइशी मकान पर लाभ		2,00,000
नया रिहाइशी मकान खरीदा		1,75,000
मकान से करयोग्य लाभ		25,000
कृषि भूमि को बेचने पर लाभ	1,30,000	
दूसरी कृषि भूमि खरीदने में लगाई राशि	3,75,000	
शेष करयोग्य लाभ	—	
गहनों को बेचने पर लाभ	10,000	
करमुक्त राशि $10,000 \times \frac{20,000}{25,000}$	8,000	2,000
करयोग्य पूँजीलाभ		27,000

टिप्पणी

रिहाइशी मकान व कृषि भूमि को बेचने पर होने वाले पूँजी लाभों को ही नये मकान व अन्य भूमि में विनियोजित होना देखते हैं जबकि आभूषणों को बेचने से प्राप्त सम्पूर्ण राशि ही अन्य गहनों में विनियोजित की जानी चाहिये।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. भारत में पूँजी लाभों के कर-निर्धारण पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

2. निम्नलिखित करदाताओं के पूँजी लाभों पर आप आयकर की गणना किस प्रकार करेंगे :—

   i. कम्पनी के अतिरिक्त करदाता।

   ii. कम्पनी।

3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :—

   अ. ऐसे व्यवहार जो हस्तान्तरण नहीं समझे जाते;

   ब. लघुकालीन पूँजीलाभ;

   स. सम्पत्ति का लागत मूल्य;

   द. करमुक्त पूँजीलाभ।

4. 'पूँजीलाभ' से आप क्या समझते हैं ? इस पर आयकर लगाने की विधि लिखिये।

5. आप किसी भी पूँजी सम्पत्ति को प्राप्त करने का लागत मूल्य किस प्रकार निकालेंगे ?

6. कितनी प्रकार के पूँजी लाभ आयकर से मुक्त हैं ?

Practical Questions

1. Brahmanand owns house properties valuing Rs. 85,000, out of which he transfers a house for Rs. 18,000 on 18-7-74. the cost of acquisition of the house being Rs. 13,000. His total income from all other sources comes to Rs. 4,000. Explain the position of Anil in respect of his assessment for the year 1975-76. Would it make any difference if his income from other sources had been Rs. 6,000 ?

---

2. Mr. Mensinkai sold a house which was being used for his residential purposes for Rs. 3,10,000 on 3rd March, 1973. The same house was purchased by him in the year 1965 for Rs. 1,90,000. On 20th January, 1974 he purchased another house to be used for residence for Rs. 85,000. Assuming the new house is sold by him for Rs. 1,05,000 on 3rd August, 1974, calculate the amount of capital gains (if any) chargeable to tax.

---

3. Mutalik-Patil sold a residential house for Rs. 3,00,000 on 5-9-70 which he had purshased for Rs. 1,90,000 in the year 1961. On 10-3-71 the construction of a residential house was completed with an investment of Rs. 1,50,000. This newly constructed house is disposed of by him on 18-8-74 for Rs. 1,10,000. Give your comments on tax liability of X.

---

4. Mrs. Rama made a profit of Rs. 60,000 in transferring her residential house on 5-9-69 and invested Rs. 47,000 on 12-1-70 in purchasing another house to be used for her own residential purposes. The house is sold on 1-1-73 for Rs. 70,000. What is the position of capital gains tax ?

---

5. Ajay Prasad sold machinery on 12-2-73 for Rs. 40,000 which he had purchased ten years ago for Rs. 33,000 and thus made long term capital gains. His total income from all other sources comes to Rs. 2,500. Explain the position with regard to computation of tax.

अन्य साधनों से आय 12
(INCOME FROM OTHER SOURCES)

'अन्य साधनों से आय' कुल आय के विभिन्न शीर्षकों में अन्तिम शीर्षक है। वे समस्त आयें जो प्रथम शीर्षकों में कहीं भी नहीं रखी जा सकतीं, इसी शीर्षक के अन्तर्गत आती हैं व करयोग्य होती हैं।

अन्य साधनों से आय [56(1)]

धारा 56 (1) के अन्तर्गत वे सभी प्रकार की आय जो कुल आय में शामिल की जाती हैं तथा जो कुल आय के प्रथम पाँचों शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक के अन्तर्गत नहीं आ सकती, इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है। इस शीर्षक का क्षेत्र बहुत व्यापक है तथा प्रत्येक प्रकार की आय इसके अन्तर्गत शामिल की जा सकती है। परन्तु यदि कभी आयकर अधिकारी किसी भूल के कारण किसी आय को उसके सही शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय में शामिल नहीं कर पाता तो वह आय कभी भी इस धारा के अन्तर्गत करयोग्य नहीं बनाई जा सकती। आय को इस शीर्षक के अन्तर्गत लाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे किसी भी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत शामिल न किया जा सके।

ऐसी आकस्मिक प्राप्तियाँ जो 1,000 रु० से अधिक की है व कुल आय में शामिल की जाती है, इसी शीर्षक के अन्तर्गत आती हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि आकस्मिक प्राप्तियाँ तभी करयोग्य होती है, जब कि ये 1,000 रु० से अधिक हों व इसके प्रथम 1,000 रु० पूर्णरूपेण करमुक्त होते है जिसे कुल आय में शामिल नहीं किया जाता।

ऐसे व्यापार के लाभ, जो गतवर्ष से पहले ही बन्द हो चुका है, यदि गतवर्ष में प्राप्त होते है तो इसी धारा के अन्तर्गत करयोग्य होते हैं। इसी प्रकार एक बैरिस्टर को प्राप्त होने वाली फीस यदि उसकी मृत्यु के बाद प्राप्त होती है तो यह भी सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में करयोग्य होगी।[1]

विशिष्ट आयें (Specific Incomes) [56(2)]

धारा 56 (2) के अन्तर्गत कुछ ऐसी आयें दी गई है जो इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य हैं, यद्यपि इस सूची से इस धारा का क्षेत्र सीमित नहीं होता। ये विशिष्ट आयें इस प्रकार हैं :

(i) लाभांश ;

(ia) वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली वार्षिकी की रकम। कुछ वर्षों पहले यह योजना चालू थी। इसके अन्तर्गत एक निश्चित सीमा से अधिक आय प्राप्त करने वालों को अनिवार्य रूप से कुछ राशि सरकार के पास जमा करनी

1. Mrs. Roma Bose v I.T.O. [1974] 95 I.T.R. 299

पड़ती थी जिसकी वापिसी मय ब्याज के दस वार्षिक किस्तों में होनी थी। ये वार्षिक किस्तें जब मिलती हैं तो कुल आय में इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है।

(ib) लाटरी, पहेलियों, दौड़, ताश के खेल व अन्य किसी भी खेल अथवा शर्त व किसी भी प्रकार के जुए से प्राप्त आय।

(ii) करदाता द्वारा अपनी मशीन, प्लांट व फर्नीचर को किराये पर उठाने से हुई वह आय जो "व्यापार व पेशे के लाभ" के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है।

(iii) जब कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट व फर्नीचर को किराये पर उठाने के साथ भवन को भी किराये पर उठाता है तथा भवन का किराया यदि मशीन, प्लांट व फर्नीचर के किराये से पृथक् नहीं किया जा सकता तो इस भवन को किराये पर उठाने से हुई आय, यदि 'व्यापार व पेशे से लाभ' के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है।

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आयों की यह सूची पूर्ण नहीं है तथा ऐसी अनेकों आय और भी हो सकती है जो इसी शीर्षक के अन्तर्गत आती है, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

1. कोयले की खानों को उठाने से प्राप्त हुई रॉयल्टी आदि।
2. भूमि को ईंटों के भट्टे के लिये उठाने पर हुई आय।
3. डाइरेक्टरों को कम्पनी से प्राप्त फीस।
4. कम्पनी के अंशों, भवन आदि को बिकवाने के लिये किसी व्यक्ति अथवा डाइ-रेक्टर को मिला कमीशन।
5. घाटों व बाजारों से प्राप्त आय।
6. किराये पर ली गई सम्पत्ति को शिकमी किराये पर उठाने (Sub-letting) से हुई आय।
7. किसी ऋण, बचत खाते तथा निश्चित जमा (Fixed Deposit) पर मिला ब्याज।
8. किसी ऐसे उद्यम की आय जिसको पेशे की आय के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता, जैसे अखबारों के लिये लिखना तथा परीक्षा पुस्तकें जाँचना आदि।
9. किसी विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेन्शन।
10. प्रतिभूतियों के ब्याज को छोड़कर अन्य प्राप्त ब्याज।
11. भूमि का किराया।
12. भारत के बाहर से प्राप्त कृषि आय।
13. छिपे हुए साधनों से प्राप्त आय।
14. विदेशी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज।
15. अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किन्हीं दूसरों की आय जो करदाता की कुल आय में सम्मिलित की जाती है।
16. मछली क्षेत्र से हुई आय।
17. बीमा कमीशन।

लाभांश (dividend) [2(22)]

साधारण दैनिक भाषा में लाभांश से तात्पर्य कम्पनी द्वारा उपार्जित लाभों के उस अंश से होता है जो अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है। यह वितरण या तो नकद रुपयों में होता है अथवा वस्तुओं में भी हो सकता है। विदेशी कम्पनी द्वारा वितरित धनराशि "लाभांश" की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती जब तक कि यह कम्पनी धारा 2(17) के अन्तर्गत दी गई कम्पनी की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती हो। किन्तु यह धनराशि करयोग्य अवश्य होती है। आयकर अधिनियम की धारा 2 (22) में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अपने एकत्र लाभों में से किये गये पाँच प्रकार के वितरणों की सूची दी गई है। ध्यान रखने के योग्य बात यह है कि अंशधारी द्वारा प्राप्त कोई धनराशि जो साधारण नियम के अनुसार 'लाभांश' के नाम से जानी जाती है, करयोग्य होती है तथा उस समय यह नहीं देखा जाता कि यह प्राप्ति कम्पनी के एकत्र लाभों में से हुई है अथवा पूँजी में से। लाभांश का भुगतान यदि पूँजी में से होता है तब भी यह करयोग्य लाभांश रहता है।[1] ऐसे वितरण जो लाभांश के अन्तर्गत आते हैं, निम्नलिखित है :—

1. **लाभों से वितरण :** लाभांश का वितरण लाभों में से ही होना चाहिए, पूँजी में से नहीं। पूँजी सम्पत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से हुए लाभों को लाभांश के रूप में नहीं बाँटा जा सकता। एक अन्य मुद्दा इस सम्बन्ध में यह है कि लाभांश के वितरण से कम्पनी की सम्पत्तियों में कमी आनी चाहिए। जो लाभांश नकद बाँटा जाता है, उससे कम्पनी की नकदी कम होती है अतः यह वितरण 'लाभांश' हुआ। दूसरी ओर यदि लाभों का पूँजीकरण करके साधारण अंशधारियों को बोनस अंश दिये जाते है तो ये 'लाभांश' नहीं है क्योंकि इनसे कम्पनी की सम्पत्ति प्रभावित नहीं होती।

2. **ऋण-पत्र जमा पत्र**—कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों में वितरित किए गये सभी प्रकार के ब्याज व बिना ब्याज वाले ऋण-पत्र अथवा जमा-पत्र (Deposit Certificates) तथा पूर्वाधिकार अंशधारियों (Preference Shareholders) को दिए गये बोनस अंश उस सीमा तक लाभांश माने जायेंगे जितने कि कम्पनी के पास एकत्रित लाभ (Accumulated profits) हैं।

3. **कम्पनी के समापन पर वितरण**—कम्पनी के समापन पर इसके अंशधारियों को मिला हुआ वितरण भी लाभांश के अन्तर्गत आता है किन्तु इसकी अधिकतम सीमा समापन से ठीक पहले कम्पनी के पास एकत्रित लाभों (Accumulated profits) तक ही निर्धारित होगी। कम्पनी के समापन पर यदि उन बोनस अंशों का भुगतान किया जाता है जिनको वितरण के समय लाभांश नहीं माना गया तो यह अब करयोग्य होंगे।

उदाहरण

(1) एक भारतीय कम्पनी की प्रदत्त अंश पूँजी 10 लाख रुपये की है जो 100, 100 रु० के 10 हजार अंशों में विभाजित है। इसका 30 जून 1974 को समापन होता है। इस तिथि को कम्पनी के पास 7 लाख रुपये का साधारण कोष व 50 हजार रुपये लाभ हानि खाते में जमा थे। कम्पनी के परिसमापक ने सभी सम्पत्तियों को उनके लिखित मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर बेचा तथा सभी दायित्वों के भुगतान के बाद 26,25,000 रु० की राशि 1 मार्च 1975 को अंशधारियों में बाँट दी। एक

1. Kishinchand Chellaram v. C.I.T. [1972] 76 I.T.R. 640 (S.C.)

अंशधारी सुरेश के पास 500 अंश थे जिन्हें उसने 1 जुलाई 1966 को 60,000 रु० में खरीदा था। आप से सुरेश के कर-निर्धारण के विषय में राय देने को कहा गया है।

कम्पनी के पास 10 लाख रुपये की अंश पूँजी के लिये 7,50,000 रु० के एकत्रित लाभ है। अत: कम्पनी के समापन के समय अंश पूँजी को लौटाने के अतिरिक्त परिसमापक द्वारा जो भी राशि अंशधारियों में वितरित की जायेगी वह 7,50,000 रु० तक लाभांश का वितरण समझा जावेगा। इसके अतिरिक्त अंशधारी को जो भी धन प्राप्त होगा वह पूँजीलाभ की श्रेणी में जायेगा।

10,000 अंशों के लिये 26,25,000 रु० की धनराशि वितरित की गई अतः प्रति अंश रु० 262·50 प्राप्त हुआ।

	रु०
सुरेश द्वारा अपने 500 अंशों पर प्राप्त रकम	1,31,250
इन अंशों का सुरेश के लिए क्रय मूल्य	60,000
	71,250
धनराशि जो लाभांश मानी जावेगी (75 रु० प्रति अंश की दर से)	37,500
धनराशि जो दीर्घकालीन पूँजी लाभ है	33,750

यह मानते हुए कि वित्तवर्ष ही सुरेश का गतवर्ष है उपर्युक्त धनराशि कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 में करयोग्य होगी।

4. **अंश पूँजी के घटाने पर वितरण :** कम्पनी के द्वारा अपनी अंशपूँजी को घटाने पर किया गया वितरण लाभांश माना जा सकता है बशर्ते कि कम्पनी के पास इतने एकत्रित लाभ हों। उदाहरणार्थ, एक कम्पनी के पास 10 लाख रुपये की अंशपूँजी है तथा 5 लाख रुपये का साधारण कोष व व्यापारिक लाभ है। यदि कम्पनी अपनी अंश पूँजी 10 लाख से घटा कर 7 लाख करती है तो ऐसी दशा में 3 लाख रुपये का वितरण लाभांश के रूप में अंशधारियों के हाथों में करयोग्य होगा।

5. **अंशधारियों को ऋण आदि :** इस वाक्यांश के अन्तर्गत अंशधारी को दिया गया ऋण, अंशधारी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया भुगतान अथवा अंशधारी के लाभार्थ किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया भुगतान लाभांश माना जाता है, किन्तु इसके लिए निम्नलिखित तीनों शर्तें पूरा होना चाहिए :

अ. कम्पनी में जनता का सारवान हित नहीं है।

ब. कम्पनी में ऐसे अंशधारी का सारवान हित है अर्थात् इसके पास कम्पनी की साधारण अंश पूँजी का 20% अथवा अधिक भाग है।

स. ऐसा ऋण देते समय कम्पनी के पास पर्याप्त एकत्रित लाभ हैं।

इस वाक्यांश में 'अंशधारी' से तात्पर्य रजिस्टर्ड अंशधारी से ही है, उसके परिवार के किसी अन्य सदस्य से नहीं। इसी प्रकार अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये ऋण एवं उसके नाम में रजिस्टर्ड अंशों के बीच भी किसी प्रकार का सम्बन्ध भी स्थापित नहीं किया गया है।

उदाहरण

अमरीप कुमार एक कम्पनी के अंशधारी हैं जिनके पास कम्पनी की 30 प्रतिशत अंशपूँजी है। कम्पनी के पास 3 लाख रुपये के सामान्य रिजर्व हैं। कम्पनी द्वारा 2 लाख रुपये का ऋण श्री अमरीप कुमार को व 50 हजार रुपये का ऋण उनके भाई को दिया जाता है। 2 लाख रुपये श्री अमरीप कुमार के हाथों में लाभांश की भांति कर योग्य होंगे तथा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि इनके पास कुल पूँजी का केवल 30 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार इनके भाई को दिया गया 50 हजार रुपये का ऋण इनके हाथों में लाभांश नहीं होगा।

लाभ श में निम्नलिखित रकमें शामिल नहीं होतीं :

(1) कम्पनी के समापन पर अथवा पूँजी के घटाने पर उन अंशों के लिए लौटाई गई रकम जो नकद खरीदे गये थे तथा जिनके धारकों को कम्पनी के आधिक्य में हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता।

(2) किसी ऐसी कम्पनी द्वारा दिया गया ऋण आदि जो ऋण देने के कार्य में लगी हुई है तथा जिसने यह ऋण अपने सामान्य व्यापार के दौरान दिया है।

(3) कम्पनी द्वारा दिया गया लाभांश जिसे पहले दिये गये ऋण में समायोजित कर दिया गया है जबकि पहले दिया गया ऋण उपर्युक्त प्रावधानों के अन्तर्गत लाभांश मान लिया गया था।

स्पष्टीकरण—कम्पनी के एकत्रित लाभों में 1 अप्रैल, 1946 से पहले व 31-3-48 तथा 1-4-56 के बीच में हुए पूँजी लाभों को शामिल नहीं करते। इसके अतिरिक्त और सभी आयें शामिल की जाती हैं।

लाभांश सम्बन्धी कुछ अन्य नियम

1. **पूँजीलाभों में से लाभांश का वितरण**—कम्पनी से मिलने वाला लाभांश अंशधारी के हाथों में लाभ होता है तथा यह अवश्य ही करयोग्य होना चाहिए। इससे तनिक भी अन्तर नहीं पड़ता कि कम्पनी के लाभांशों का वितरण उन पूँजी लाभों में से किया गया है जो कर से मुक्त है।

2. **अनेक वर्षों का लाभांश एक साथ घोषित**—कुछ वर्षों में यदि कम्पनी द्वारा लाभांश घोषित नहीं किए जाते तथा फिर एक अवधि के बाद इन लाभांशों को एक साथ ही घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में घोषित लाभांश की सम्पूर्ण रकम करदाता के हाथों में उसी गतवर्ष के लिए करयोग्य होती है।

3. **लाभांश पर कर-निर्धारण**—लाभांश उस वर्ष में ही करयोग्य माने जाते हैं जब इन्हें घोषित किया है तथा करदाता इस रकम को बिना किसी शर्त आदि के प्राप्त कर सकने की स्थिति में होता है। परन्तु यदि अन्तरिम लाभांश (Interim Dividend) का प्रश्न है तो यह उस समय करयोग्य होगा जबकि लाभांश सम्बन्धी प्रपत्र (Dividend warrant) अंशधारियों को भेज दिए जायें।

4. **लाभांश का भारत के बाहर चुकाया जाना**—यदि लाभांश का भुगतान किसी ऐसी कम्पनी द्वारा भारत के बाहर किया जाता है जो भारतीय कम्पनी है तो यह लाभांश भारत में ही उदित तथा अर्जित हुआ माना जाता है।

5. **सम्पूर्ण रकम करयोग्य**—करदाता के हाथों में लाभांश की सम्पूर्ण रकम करयोग्य होती है भले ही कम्पनी ने इसका भुगतान अपनी कर-मुक्त आय में से किया हो। उदाहरणार्थ यद्यपि चाय की कम्पनी के केवल 40% लाभ ही करयोग्य होते हैं, परन्तु इसके द्वारा दिए गए लाभांश की सम्पूर्ण रकम ही करदाता के हाथों में करयोग्य होती है।

6. **धारा 80-J के अन्तर्गत आने वाले नए उद्यमों से लाभांश**—उन नए उद्यमों, होटलों व जहाज से प्राप्त लाभांश जो आवश्यक शर्तों को पूरा करके धारा 80J के अन्तर्गत आते है, कुल सकल आय में से कटौती योग्य होते हैं बशर्ते कि यह उसी लाभ में से दिया गया है जो इस धारा के अन्तर्गत कर-मुक्त है।

7. **उद्गम स्थान पर कटौती** (Deduction of tax at source)—आयकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी का यह कर्तव्य है कि वह लाभांश का भुगतान करते समय निर्धारित दरों से भुगतान की जाने वाली राशि में से आयकर काटकर सरकारी खजाने में जमा कर दे। आयकर काटने व जमा करने वाली रसीद अंशधारियों के पास भेज देनी चाहिए क्योंकि यह आयकर अंशधारी के खाते में तथा उसी के लिए जमा किया जाता है। अंशधारी जब अपनी कुल आय पर आयकर देता है उस समय उद्गम स्थान पर काटे गए आयकर की रकम की छूट मिल जाती है। परन्तु उसकी कुल आय में लाभांश की सकल रकम ही जोड़ने का नियम है।

8. **विदेशों से प्राप्त लाभांश**—विदेशों से प्राप्त लाभांश पर विदेशी सरकार के लिए उद्गम स्थान पर यदि आयकर काट लिया गया है तथा भारत सरकार को उसमें से तनिक भी धन नहीं मिला है तो करदाता की कुल आय में लाभांश की केवल वही रकम जोड़ी जायेगी जो उद्गम स्थान पर आयकर कटने के बाद करदाता को प्राप्त हुई है।

9. **कृषि आयकर लगी हुई कृषि-आय से प्राप्त लाभांश**—ऐसी कृषि आय से यदि लाभांश प्राप्त हुए है जिन पर राज्य सरकार द्वारा कृषि आयकर लगाया जा चुका है तो भी उस पर आयकर लगाने की व्यवस्था है।

उद्गम स्थान पर कटौती

(1) **लाभांश:**—लाभांश वितरित करते समय इस रकम में से निर्धारित दरों से उद्गम स्थान पर आयकर काट लिया जाता है जिसे सरकारी खजाने में अंशधारी के नाम से जमा करा देना चाहिए। 1974-75 वित्तवर्ष में उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती की निर्धारित दर 23% थी अर्थात् 100 रु० के लाभांश के भुगतान में से 23 रुपये उद्गम के स्थान पर काट लिये जाते रहे तथा 77 रु० की राशि करदाता को मिली। परन्तु करदाता की कुल आय में 'अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत लाभांश की रकम 100 रु० दिखाई जायेगी न कि 77 रु०। जब करदाता आयकर का भुगतान करेगा उस समय 23 रुपये की इस राशि का समायोजन हो जायेगा। 77 रु० शुद्ध प्राप्त लाभांश; 100 रु० सकल लाभांश तथा 23 रु० उद्गम के स्थान पर काटा गया आयकर कहलाता है। वित्त वर्ष 1975-76 में भी वितरित लाभांश में से उद्गम स्थान पर 23% की दर से आयकर काटा जावेगा।

अतः यदि लाभांश की वह रकम प्रश्न में दी गई है जिसमें से उद्गम स्थान पर आयकर काटा जा चुका है तो कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए इसमें $\frac{१००}{७७}$ का गुणा करके लाभांश की उस सकल रकम की गणना करली जाती है जो करदाता की कुल आय में सम्मिलित होगी।

(2) **बीमा कमीशन** : कोई भी बीमा कम्पनी जो अपने एजेन्ट को उसके द्वारा लाई गई पालिसी पर कमीशन देती है, इसमें से 10 प्रतिशत की दर से उद्गम स्थान पर आयकर काट लेगी व शेष रकम का भुगतान करेगी ।

(3) **ब्याज** : ब्याज की रकम में से उद्गम स्थान पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर काटने का प्रावधान है, किन्तु यह रकम जभी काटी जाती है जवकि भुगतान की जाने वाली एक मुस्त रकम 400 रु० से अधिक की हो । वित्त वर्ष 1975-76 में भुगतान की जाने वाली ब्याज की राशि में से 10 प्रतिशत की दर से आयकर काटा जायेगा वशर्ते कि वर्ष में ब्याज का भुगतान 400 रु० से अधिक का हो । इस वात से सरोकार नहीं है कि एक वार में भुगतान की राशि 400 रु० है अथवा 40 रुपया ।

कटौतियाँ [57]

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय निकालते समय निम्न लिखित कटौतियाँ की जाती हैं :—

1. **लाभांश में से**—करदाता द्वारा अपने बैंक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को लाभांश की वसूली के लिए किया गया व्यय स्वीकृत होता है ।

2. **किराए की आय में से**—यदि करदाता को मशीन, प्लांट व फर्नीचर को किराये पर उठाने से आय की प्राप्ति होती है तो निम्नलिखित व्यय स्वीकृत होंगे :—

(i) भवन पर चालू मरम्मत ।
(ii) भवन आदि को नुकसान, दैवी प्रकोप व वरवादी से बचाने के लिये दिया गया वीमा प्रीमियम ।
(iii) मशीनों, प्लांट व फर्नीचर की मरम्मत तथा व्यय ।
(iv) ह्रास ।

ये व्यय तव ही स्वीकृत होंगे जवकि करदाता द्वारा मशीन व प्लांट सम्बन्धी सभी निर्धारित विवरण आयकर अधिकारी के पास जमा करा दिये गए हों ।

3. **अन्य लाभों में से**—कोई अन्य व्यय जो पूँजीगत न हो तथा पूर्णरूप से इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय के उपार्जन के लिए ही किया गया हो। इस प्रकार हम देखते है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी व्यय को स्वीकृत करने से पहले निम्नलिखित शर्तों का पालन करना आवश्यक है :—

(1) व्यय पूर्णरूप से ऐसी आय के उपार्जन के लिये किया गया है ।
(2) यह पूँजीगत व्यय की श्रेणी में नहीं आता ।
(3) यह व्यक्तिगत व्यय भी नहीं है ।
(4) यह सम्वन्धित हिसाबी वर्ष में ही किया गया है । उससे पहले किसी वर्ष में अथवा वाद में आने वाले किसी अन्य वर्ष में नही ।
(5) यह व्यय किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत समायोजित नहीं किया जा सकता ।

न काटी जाने वाली रकमें [58]

'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय निम्न लिखित रकमें नहीं घटाई जातीं :

(अ) किसी भी करदाता के लिये

(1) करदाता के व्यक्तिगत व्यय ।

(2) ऐसा ब्याज, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है, तथा जिसका भुगतान भारत के बाहर किया गया है परन्तु भुगतान करते समय उद्‌गम स्थान पर आयकर नहीं काटा गया है और न भुगतान पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रतिनिधि ही भारत में है जिससे आयकर वसूल किया जा सके ।

(3) 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत भारत के बाहर किया जाने वाला भुगतान यदि इसमें से भी निर्धारित दरों से आयकर नहीं काटा गया है और न भुगतान पाने वाले व्यक्ति का भारत में ऐसा कोई प्रतिनिधि है जिससे आयकर की वसूली हो सके ।

(4) धारा 40 (a) (v) के अन्तर्गत अस्वीकृत व्यय तो किसी कर्मचारी के के लाभार्थ किया गया है । इसका विवरण 'व्यापार व पेशे के लाभ' अध्याय में किया गया ।

(ब) कम्पनी की दशा में

कम्पनी द्वारा किए गये ऐसे व्यय जो आयकर अधिकारी की राय में कम्पनी की आवश्यकता व इस धनराशि को ध्यान में रखते हुए अनुचित है व जरूरत से अधिक हैं । ये व्यय उसी दशा में अस्वीकृत होंगे जबकि इनके द्वारा कम्पनी के संचालक, समुचित हित रखने वाले व्यक्ति अथवा इनके रिश्तेदारों को कोई पारिश्रमिक, लाभ अथवा अन्य कोई सुविधा मिलती है ।

इसी प्रकार ऐसी सम्पत्तियों पर किये गये व्यय भी आयकर अधिकारी द्वारा जाँच पड़ताल करके स्वीकार किये जायेंगे जिनका प्रयोग संचालक आदि करते है ।

हिसाब रखने की विधियाँ [145]

धारा 145 के अनुसार 'व्यापार व पेशे के लाभ' तथा 'अन्य साधनों से आय' शीर्षकों के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना करदाता द्वारा नियमित रूप से रखे गये हिसाब-किताब रखने की विधि के अनुसार की जा सकती है । ऐसी स्थिति में जहाँ हिसाब-किताब तो सही है व आयकर अधिकारी को इससे सन्तोष भी है परन्तु हिसाब रखने की विधि ऐसी है कि आयकर अधिकारी की सम्मति में इससे आय की सही गणना नहीं हो सकती तो आय की गणना आयकर अधिकारी द्वारा निश्चित की गई विधि से ही की जायेगी । यदि करदाता द्वारा रखे गये हिसाब की सत्यता व पूर्णता के बारे में आयकर अधिकारी को असन्तोष है अथवा जहाँ करदाता द्वारा नियमित रूप से हिसाब रखने की कोई निश्चित विधि नहीं अपनाई जाती तो आयकर अधिकारी करदाता के हिसाब किताब को न मानकर सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण (Best Judgment Assessment) के द्वारा कर-निर्धारण कर सकेगा । ऐसा करते समय उसे अपने पास उपलब्ध सामिग्री तथा करदाता द्वारा दी गई सूचनाओं का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिये ।

यह सोचना सही नहीं है कि यदि करदाता द्वारा हिसाब-किताब की एक पद्धति नियमित रूप से अपनाई गई है तो ऐसी पद्धति से निकाले गये लाभ आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लेने चाहिए । आयकर अधिकारी प्रत्येक स्थिति में जाँच करेगा कि हिसाब-किताब रखने की विधि ऐसी है जिससे लाभों को सही रूप में निकाला जा सकता है ।

करदाता को यह अधिकार अवश्य ही दिया गया है कि वह हिसाब रखने की कोई भी पद्धति प्रयोग में ला सकता है तथा आयकर अधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब तक कि विधि ऐसी न हो कि उससे सही लाभों की गणना न की जा सकती हो।

हिसाब किताब रखने की बहुत सी विधियाँ प्रचलित हैं जिनमें से कोई एक विधि करदाता द्वारा अपनाई जा सकती है।। मुख्य विधियाँ तीन हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

1. **रोकड़ पद्धति** (Cash System) :—इस विधि के अन्तर्गत केवल नकद प्राप्तियों तथा नकद भुगतानों का ही लेखा रखा जाता है। उधार लेन-देन यद्यपि लिखे जाते हैं परन्तु लाभ-हानि निकालते हुए इन लेन-देनों को जोड़ दिया जाता है। व्यापारी केवल एक रोकड़ वही रखता है जिसमें नकद लेन देन रखे जाते हैं। उधार लेन-देन या तो होते ही नहीं हैं अथवा यदि होते भी हैं तो केवल स्मृति के लिए कहीं लिख लिये जाते है। अदत्त (Outstanding) अथवा पूर्वदत्त (Paid in Advance) व्यय व आय का कोई लेखा नहीं रखा जाता। यह पद्धति उस व्यापार के लिए अपूर्ण है जहाँ उधार लेन-देन बहुत से होते है, परन्तु वकील, डाक्टर आदि इसका उपयोग भली प्रकार कर सकते हैं।

2. **व्यापारिक पद्धति** (Mercantile System)—यह पद्धति अधिक प्रचलित है तथा पूर्ण एव वैज्ञानिक भी है। इसके अन्तर्गत न केवल नकद लेन-देन ही लिखे जाते हैं बल्कि उधार लेन-देन, अदत्त व पूर्वदत्त राशियों का लेखा भी किया जाता है। लाभ-हानि निकालते हुए वे सभी व्यय ध्यान में रखे जाते है जिनका लाभ तो उठाया जा चुका है परन्तु भुगतान नहीं हो सका। इसी प्रकार वे सभी आयें भी लाभ में शामिल की जाती हैं जो यद्यपि उपार्जित हो चुकी हैं परन्तु प्राप्त नहीं हुई हैं। यह पद्धति सही व्यापारिक लाभ निकालने के लिए सर्वोत्तम है तथा लगभग सभी व्यापार घरों द्वारा अपनाई जाती है। परन्तु इस पद्धति में भी वे लाभ शामिल नहीं किये जाते जो केवल अनुमानिक हैं अथवा वे रकमें, जिनके प्राप्त होने में सन्देह है, लाभ में सम्मिलित नहीं की जातीं।

3. **मिश्रित पद्धति** (Mixed or Hybrid System)—यह पद्धति ऐसी है जिसमें उपर्युक्त दोनों सिद्धान्त काम में लाये जाते हैं। व्यापार के कुछ व्यवहार रोकड़ पद्धति तथा कुछ व्यापारिक पद्धति से लिखे जाते हैं। उदाहरणार्थ क्रय-विक्रय व्यापारिक पद्धति द्वारा लिखे जा सकते हैं जबकि आय व व्यय रोकड़ी पद्धति के अनुसार लिखे जा सकते है। यह पद्धति भी अधिक उपयुक्त नहीं है। लाभ-हानि निकालन के लिए इस पद्धति में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं।

हिसाब की पद्धति में परिवर्तन—करदाता को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह हिसाब की पद्धति में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता है परन्तु ऐसा करने से पहले उसे आयकर अधिकारी को सन्तुष्ट करना आवश्यक है। पद्धति ऐसी अपनाई जानी चाहिए जिसका प्रयोग नियमित रूप से भविष्य में होता रहे।

उदाहरण

(1) वित्तवर्ष 1974-75 के दौरान श्री चरणसिंह को निम्नलिखित रकमों की प्राप्ति हुई है :

संचालक शुल्क 2,000 रु०, पाकिस्तान स्थित कृषि भूमि से आय 5,000 रु० पठानकोट में स्थित भूमि का किराया 10,000 रु०, पोस्ट आफिस बचत खाते पर ब्याज 100 रु०; औद्योगिक वित्त निगम में जमा राशि पर ब्याज 500 रु०; विदेशी कम्पनी से प्राप्त लाभांश 700 रु०; शिकमी किरायेदारों से प्राप्त किराया 26,250 रु०; इस मकान के लिए श्री सिंह द्वारा दिया गया किराया 12,000 रु०; अन्य व्यय जो इस मकान के लिए किए गये हैं 1,000 रु०; घुड़दौड़ से प्राप्त लाभ 12,300 रु० ।

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए श्री सिंह की 'अन्य साधनों से आय' निकालिए ।

			रु०
संचालक शुल्क			2,000
पाकिस्तान स्थित भूमि से कृषि आय			5,000
भूमि का किराया			10,000
औद्योगिक वित्त निगम से ब्याज			500
घुड़दौड़ से आय			12,300
शिकमी किराये की आय		26,250	
घटाया किराया	12,000		
अन्य व्यय	1,000	13,000	13,250
अन्य साधनों से आय			43,050

(2) श्री गौरीशंकर लखौटिया इण्डिया यूनाइटेड मिल्स लि० में 2,000 रु० मासिक वेतन पर जनरल मैनेजर नियुक्त हैं जिन्हें 500 रु० मासिक मँहगाई भत्ता मिलता है। वित्त वर्ष 1974-75 के दौरान उन्होंने कम्पनी के ग्राहकों के मनोरंजन पर 2,000 रु० व पुस्तकों पर 1,200 रु० व्यय किये हैं। उनकी अन्य आय इस प्रकार है :

a. स्टेट बैंक आफ इण्डिया में जमा रकम पर ब्याज रु० 1,800

b. कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तर पुस्तिकाओं के जाँचने पर मिला पारिश्रमिक रु० 2,400

c. इलस्ट्रेटेड वीकली से पहेलियों के लिए मिला पुरस्कार रु० 25,000

d. आकस्मिक आय की प्राप्ति रु० 23,000 ।

e. लेखा विधि की पुस्तक के लिए मिली रायल्टी रु० 10,000; इसकी पाण्डुलिपि तैयार करने में 3,000 रु० व्यय हुए हैं।

f. 10, 10 रुपये के 1,000 साधारण अंशों पर मिला 10 प्रतिशत की दर से लाभांश ।

g. 100 पूर्वाधिकार अंशों पर 8 रुपये प्रति अंश की दर से मिला लाभांश ।

श्री लखौटिया ने अपने बैंक को 25 रु० बसूली व्यय के दिये हैं। आप इनकी कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए कुल सकल आय की गणना कीजिए ।

वेतन

		रु०	
वेतन		24,000	
मँहगाई भत्ता		6,000	
		30,000	
घटाया : आवश्यक व्यय		3,500	26,500
अन्य साधनों से आय			
स्टेट बैंक से ब्याज		1,800	
परीक्षा पारिश्रमिक		2,400	
पहेलियों से पुरस्कार		25,000	
1,000 रु० से अधिक आकस्मिक आय		22,000	
रायल्टी	10,000		
आवश्यक व्यय	3,000	7,000	
लाभांश : साधारण अंश		1,000	
पूर्वाधिकार अंश		800	
		60,000	
घटाये : वसूली व्यय		25	59,975
कुल सकल आय			86,475

(3) निम्नलिखित विवरण से आप कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए श्री बैंजल की 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना कीजिए :

(i) टाटा कैमीकल्स के 10, 10 रुपये के 10,000 साधारण अंशों पर 12% की दर से मिला लाभांश। ये अंश श्री बैंजल ने 1965 में 9 रु० प्रति अंश की दर से खरीदे थे। लाभांश की वसूली के लिए बैंक ने 20 रु० चार्ज किया है।

(ii) इन्होंने एक ऐसी इमारत जिसमें प्लांट व मशीनरी लगी हुई है, 1,000 रु० मासिक किराये पर उठाई है। इमारत व मशीन आदि की मरम्मत के लिए श्री बैंजल ने 1,500 रु० खर्च किया है।

(iii) श्री पाल इण्डस्ट्रीज के समापन पर श्री बैंजल को 20,000 रु० मिले हैं जिसमें से 5,000 रु० कम्पनी के एकत्रित लाभों से व शेष पूँजी की वापिसी है।

(iv) भारत निधि के 1,000 अंशों पर 2,500 रु० करमुक्त लाभांश मिला है।

(v) लाइबिलिटीज लि० भिलाई से 2,400 रु० का ऋण लिया है। कम्पनी एक ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता का सारवान हित है।

(vi) इन्हें वीनस इण्डस्ट्रीज से 10,000 रु० का ऋण मिला है। कम्पनी में श्री बैजल का सारवान हित है।

(i)	10,000 अंशों पर 12% की दर से लाभांश	12,000	
	घटाया वसूली खर्चा	20	11,980
(ii)	प्लांट, मशीनरी व इमारत से किराया	12,000	
	घटाया मरम्मत व्यय	1,500	10,500
(iii)	समापन पर मिली धनराशि जो कम्पनी के लाभों से सम्बन्धित है		5,000
(iv)	भारत निधि से प्राप्त कर-मुक्त लभांश	$2,500 \times \frac{100}{77}$	3,247
(v)	वीनस इण्डस्ट्रीज से मिला ऋण		10,000
	अन्य साधनों से करयोग्य आय		40,727

टिप्पणी : ऐसी कम्पनी से लिया ऋण जिसमें जनता का सारवान हित है, लाभांश नहीं माना जाता।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. 'लाभांश' की परिभाषा कीजिये तथा इसके कर-निर्धारण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उन दशाओं को भी स्पष्ट कीजिये जब लाभांश की रकम को सकल बनाया जाता है।
2. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :—
   i. अन्य साधनों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में स्वीकृत कटौतियाँ।
   ii. स्वत्व अंश।
3. वे कौन सी आयें हैं जो 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मिलित की जाती हैं ?

भाग ३

कुल आय की गणना

हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना 13

(SET OFF AND CARRY FORWARD OF LOSSES)

पिछले अध्यायों में हमने विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना पर प्रकाश डाला है। इन सभी शीर्षकों से प्राप्त आय का समूहीकरण करके हमें कुल सकल आय ज्ञात होती है। समूहीकरण करते समय एक शीर्षक से होने वाली हानि की पूर्ति दूसरे शीर्षक से हुए लाभों से की जाती है। ऐसा भी हो सकता है जबकि हमें किसी कर-निर्धारण वर्ष में होने वाली हानि अन्य शीर्षकों के लाभों से अधिक हो। ऐसी स्थिति में हम उस हानि को, जो इस वर्ष में पूरी नहीं हो सकी है, आगे ले जाते हैं।

आय का समूहीकरण

सभी शीर्षकों के अन्तर्गत निकाली गई आय को जोड़ने की विधि को समूहीकरण कहते हैं। इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह है कि हम कुछ ऐसी आय भी जोड़ते हैं जो कर से मुक्त है तथा कुछ ऐसी रकमें भी जोड़ी जा सकती हैं जो यद्यपि कर-दाता की आय नहीं है किन्तु जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा माना जाता है।

A. **करमुक्त आय :** निम्नलिखित आय ऐसी हैं जो यद्यपि कर से मुक्त है किन्तु जिन्हें करदाता की कुल आय में शामिल किया जाता है। इन्हें केवल दर के लिए कुल आय में जोड़ते है :—

अ. अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों में करदाता का हिस्सा, जबकि फर्म अपनी आय पर कर दे चुकी है।

ब. करदाता जब व्यक्तियों के ऐसे समुदाय का सदस्य है जिसने अपनी आय पर आयकर का भुगतान कर दिया है तो इस समुदाय के लाभ में से करदाता को मिला अपना हिस्सा।

स. कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियो पर ब्याज कुल आय मे शामिल करते है तथा इस पर आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}\%$ (जो भी कम हो) की दर से आयकर की छूट दी जाती है।

B. **अन्य आय :** नीचे कुछ ऐसी रकमें दी जा रही है जो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से करदाता की आय नहीं हैं किन्तु जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत करदाता की आय में शामिल करते हैं :

(1) **साझेदार का फर्म में हिस्सा :**—साझेदार को फर्म से जो भी आय जिस किसी भी रूप में प्राप्त होती है, उसका फर्म के लाभों में हिस्सा माना जाता है। उदाहरण के लिए, पूँजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि।

(2) **नकद साख :** यह वह राशि है जो करदाता के खाते मे विभिन्न नामों से जमा पाई जाती है इनको करदाता द्वारा स्पष्ट नही किया जाता तथा आयकर अधिकारी द्वारा इसे करदाता की गतवर्ष की आय मान लिया जाता है।

(3) **अस्पष्ट विनियोग :** आयकर अधिकारी को कभी ऐसे विनियोग दिखाई देते हैं जो कि करदाता के स्वामित्व हैं किन्तु जिन्हें खरीदने के लिए दिया गया धन कर-दाता द्वारा आयकर के खातों में नहीं दिखाया गया है। यह करदाता की उस गतवर्ष की आय समझे जाते है जब यह आयकर अधिकारी की दृष्टि में आते है।

(4) **अस्पष्ट धन :** ऐसा धन, आभूषण, सोना व चाँदी की मूल्यवान वस्तुएँ जिनका करदाता स्वामी है किन्तु जिनके सम्बन्ध में न तो उसकी बहियों में कहीं उल्लेख है और न उसके द्वारा कोई सन्तोषजनक उत्तर ही दिया गया है, करदाता की आय माने जाते हैं।

(5) विनियोग जो पूरी तरह से नहीं दिखाये गये है। उदाहरण के लिए आयकर अधिकारी द्वारा यह पता लगाया जाता है कि करदाता द्वारा दो लाख रुपये के विनियोग किये गये है किन्तु उसकी पुस्तकों में इस मद में केवल रु० 50,000 का लेखा पाया जाता है अत: रु० 1,50,000 की रकम ऐसी है जो आयकर अधिकारी द्वारा करदाता की आय मानी जावेगी।

हानियों की पूर्ति तथा आगे ले जाना

आयकर एक ऐसा कर है जो कुल आय पर लगता है न कि विभिन्न प्राप्त रकमों पर। अत: कुल आय प्राप्त करने के लिये सभी शीर्षकों से प्राप्त रकमों को एक साथ जोड़ देते हैं। ऐसा करते समय यदि किसी शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली हानि इतनी अधिक है कि अन्य शीर्षकों के लाभों से पूरी नहीं हो सकती तो हानि का वह भाग जो पूरा नहीं हुआ अगले वर्षों में ले जाते हैं तथा वहाँ के लाभों से इनकी पूर्ति हो जाती है। हानियों की पूर्ति तथा आगे ले जाने से सम्बन्धित कुछ नियम आयकर अधिनियम में दिये हुए हैं जो निम्नलिखित है :—

हानियों की पूर्ति

(1) **एक साधन से हानि व दूसरे से लाभ :** एक ही शीर्षक के अन्तर्गत आने वाले एक साधन की हानि को दूसरे साधन के लाभों से पूरा कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, 'मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत एक मकान से हुई हानि को दूसरे मकान से हुए लाभ से पूरा कर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दो अपवाद हैं :

अ. सट्टा व्यापार से हुई हानि की पूर्ति सट्टे के लाभ से की जा सकती है, अन्य किसी आय से नहीं।

ब. दीर्घकालीन सम्पत्तियों से होने वाली हानि की पूर्ति दीर्घकालीन लाभों से ही हो सकती है, अन्य किसी लाभ से नहीं।

(2) **लघुकालीन पूँजी हानि :** लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से होने वाले लाभों को किसी भी पूँजी सम्पत्ति से हुए लाभों से पूरा किया जा सकता है। इसे अन्य शीर्षकों से हुए लाभों से भी पूरा कर सकते है।

(3) **दीर्घकालीन पूँजी हानि :** दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से होने वाली हानि को केवल ऐसी ही सम्पत्ति से हुए लाभों से पूरा कर सकते है, अन्य किन्हीं लाभो से इसे पूरा नहीं किया जा सकता।

(4) **सट्टा व्यापार से हानि** : सट्टा व्यापार से हुई हानि को सट्टे व्यापार के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी लाभ से नहीं। दूसरी ओर यह सम्भव है कि अन्य व्यापारों की हानियों को सट्टे व्यापार के लाभों से पूरा कर लें।

(5) **'अन्य साधनों से आय' शीर्षक** [धारा 74A]—जब निम्नलिखित साधनों से आय के स्थान पर हानि होती है तो उसे उसी साधन के अन्तर्गत होने वाली आय से ही पूरा किया जा सकता है, किसी अन्य साधन के अन्तर्गत प्राप्त आय से नहीं। उदाहरणार्थ, घुड़दौड़ से हुई हानि को पहेलियों से प्राप्त लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता। आय की गणना के उद्देश्य से आय के निम्नलिखित साधनों को अलग-अलग शीर्षक माना गया है जिनसे प्राप्त आय 'अन्य साधनों से प्राप्त आय' के अन्तर्गत आती है। ये साधन निम्नलिखित है :—

a. लाटरी,
b. पहेलियाँ,
c. घुड़दौड़ सहित सभी प्रकार की दौड़ें,
d. ताश के खेल,
e. अन्य प्रकार के खेल,
f. किसी अन्य प्रकार का जुआ, व शर्त जो उपर्युक्त वाक्यांशों में नहीं आता।

(6) **घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामी को हुई हानि** : कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो घुड़दौड़ के घोड़ों को रखते है व इन्हें दौड़ाते हैं। इन पर इन्हें व्यय करना पड़ता है। इनकी आय घुड़दौड़ के लिए इनके घोड़ों पर लगाई गई शर्त की रकम व घुड़दौड़ जीतने से होती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए घुड़दौड़ से हुए लाभों में से घोड़ों पर किये गये व्यय को घटाने का प्रावधान है। घोड़ों पर किया गया व्यय यदि घुड़दौड़ के लिए मिलने वाली आय से अधिक है तो ऐसे आधिक्य को अगले वर्ष के घुड़दौड़ के लाभों से पूरा करने के लिए आगे ले जाते हैं। इस हानि को किसी भी अन्य आय से पूरा नही किया जा सकता।

(7) **एक शीर्षक की हानि दूसरे शीर्षक के लाभ से** : एक शीर्षक से होने वाली हानि को दूसरे शीर्षक से हुए लाभों से पूरा कर देते हैं। यह हानि दोनों प्रकार के पूँजी लाभों से भी पूरी की जा सकती है किन्तु यदि करदाता चाहता है तो इस हानि की पूर्ति केवल लघुकालीन पूँजीलाभों से ही हो सकेगी, दीर्घकालीन पूँजीलाभों से नहीं। दूसरी ओर लघुकालीन पूँजी हानि को किसी भी शीर्षक के लाभ अथवा दीर्घकालीन पूँजी लाभों से भी पूरा किया जा सकता है।

उदाहरण

(1) भारत में निवासी श्री बरुआ द्वारा अपनी कुल सकल आय की गणना के लिए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे आपको कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए कर-निर्धारण करना है :

		रु०
1.	प्रतिभूतियों से ब्याज	15,000
2.	मकान सम्पत्ति 'अ' से आय	4,000
	मकान सम्पत्ति 'ब' से हानि	—5,000
3.	रिहाइशी मकान से आय (गणना की हुई)	500
4.	रजिस्टर्ड फर्म से लाभ	20,000

5.	सट्टा व्यापार से लाभ		45,000
6.	लघुकालीन पूँजी सम्पत्तियों से हानि		—5,000
7.	दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से लाभ		4,000
8.	भवन के हस्तांतरण से हुआ दीर्घकालीन पूँजी लाभ		10,000

1.	**प्रतिभूतियों पर ब्याज**		रु० 15,000
2.	**मकान सम्पत्ति से आय**		
	i) 'अ'	4,000	
	ii) रिहायशी मकान	500	
		4,500	
	(iii) 'ब' मकान से हानि	—5,000	—500
3.	**व्यापार से लाभ**		
	i) सट्टा व्यापार से लाभ	45,000	
	ii) रजिस्टर्ड फर्म से हानि	—20,000	25,000
4.	**पूँजी लाभ**		
	लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि		—5,000
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,000	
	दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि	—10,000	
	आगे ले गये	—6,000	
	कुल सकल आय		34,500

(2) निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री चन्द्रदेवसिंह की कुल आय की गणना कीजिए :

a.	करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	रु० 10,000
b.	'भवन सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत हानि	8,300
c.	सोना चाँदी व्यापार से लाभ	22,000
d.	कपास के सट्टे से हानि	17,500
e.	अंशों के बेचने पर हानि (लघुकालीन)	6,000
f.	दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से लाभ	5,000
g.	क्रासवर्ड पहेलियों में प्राप्त प्रथम इनाम	10,000
h.	घुड़दौड़ से हानि	9,000
i.	कर्नाटक प्रदेश लाटरी से प्रथम इनाम	25,000
j.	तामिलनाडु लाटरी के टिकट खरीदे किन्तु इनाम न मिला	5,000
k.	सोने के सट्टे से लाभ	10,000

सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज		रु० 10,000
सोना चाँदी व्यापार से लाभ	22,000	
भवन सम्पत्ति से हानि	—8,300	13,700
सोने के सट्टे से लाभ	10,000	
कपास के सट्टे से हानि	—17,500	
सट्टे की हानि को आगे ले गये	—7,500	
कर्नाटक लाटरी से प्रथम इनाम	25,000	
तामिलनाडु लाटरी के खरीदे गये बेकार टिकट	5,000	20,000
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	5,000	
लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि	—6,000	—1,000
कुल सकल आय		42,700

टिप्पणी—घुड़दौड़ से हुई हानि को अन्य लाभों से पूरा नहीं किया जा सकता।

(3) श्रीमती तबस्सुम द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए अपनी कुल आय का निम्नलिखित विवरण दिया जाता है :

		रु०
1.	अरिस्टोक्रैसी प्रा० लि० से वेतन	20,000
2.	टिस्को के अंशों से लाभांश (सकल)	1,500
3.	प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	7,500
4.	स्टेट बैंक में जमा राशि पर ब्याज	3,200
5.	एजेन्सी व्यापार से लाभ	10,000
6.	अंशों के सट्टे व्यापार से हानि	20,000
7.	चाँदी के सट्टे व्यापार से लाभ	9,000
8.	लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि	5,000
9.	केरल राज्य की लाटरी से इनाम	1,00,000
10.	क्लब में ब्रिज खेलने से लाभ	5,500
11.	आफिस में रमी खेलने से लाभ	1,000
12.	फ्लैश खेलने से हानि	7,000
13.	महाराष्ट्र राज्य की लाटरी टिकट खरीदे	10,000
14.	रेसकोर्स में हानि	20,000
15.	घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने पर व्यय	40,000
16.	घोड़ों के लिए शर्त व इनाम मिला	90,000

आप इनकी कुल सकल आय की गणना कीजिए।

वेतन				
प्राप्त वेतन		20,000		
घटाये आकस्मिक व्यय		3,000		17,000
प्रतिभूतियों पर ब्याज				
प्राप्त ब्याज (सकल)				7,5000
व्यापार के लाभ				
एजेन्सी व्यापार				10,000
चाँदी के सट्टे से लाभ		9,000		
अंशों के सट्टे में हानि		—20,000		
सट्टे की हानि आगे ले गये		—11,000		
पूँजी लाभ				
लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से हानि				—5,000
अन्य साधनों से आय				
टिस्कों के अंशों से लाभांश			1,500	
जमा राशि पर ब्याज			3,200	
लाटरी से इनाम		1,00,000		
टिकट खरीदे		10,000	90,000	
ब्रिज से लाभ		5,500		
रमी से लाभ		1,000		
		6,500		
फ्लैश से हानि		—7,000		
ताश के खेल से हानि		—500		
घुड़दौड़ आदि				
शर्त का रुपया मिला		90,000		
घोड़ों पर व्यय	40,000			
घुड़दौड़ में हानि	20,000	60,000	30,000	1,24,700
कुल सकल आय				1,54,200

हानियों को आगे ले जाना तथा पूरा करना
(Carry forward and set off of losses)

किसी गतवर्ष में यदि इतनी अधिक हानि आती है जो कि नियमानुसार उपलब्ध लाभों से इसी गतवर्ष में पूरी नहीं की जा सकती तो ऐसी हानि को पूरा करने के लिए अगले वर्ष में ले जाते है। इसके सम्बन्ध में एक बात तो यह है कि सभी शीर्षकों से हुई हानि को आगे नहीं ले जाते तथा दूसरी यह कि हानि को आगे ले जाने के लिए कुछ शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। केवल निम्नलिखित हानियाँ ही आगे ले जाई जा सकती है :

(1) व्यापार व पेशा; (2) सट्टा व्यापार;
(3) लघुकालीन पूँजी लाभ; (4) दीर्घकालीन पूँजी लाभ;
(5) घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने पर हानि।

1. **व्यापार की हानियाँ**—किसी कर-निर्धारण वर्ष में 'व्यापार व पेशे से लाभ' के अन्तर्गत आय की गणना करते समय जब ऐसी हानि होती है जो पूर्णरूप से इस कर-निर्धारण वर्ष के अन्य 'लाभों' से पूरी नहीं की जा सकती तो इसे अगले कर-निर्धारण वर्ष में ले जाते हैं तथा—

(अ) इसकी पूर्ति उस वर्ष में व्यापार व पेशे के अन्तर्गत आने वाले लाभ से करते हैं परन्तु शर्त यह है कि करदाता द्वारा यह व्यापार संचालित किया जा रहा हो जिसकी हानि को इस कर-निर्धारण वर्ष में पूरा करना चाहते है।

(ब) यदि अगले कर-निर्धारण वर्ष में भी हानि पूरी नहीं हो पाती तो उसे और आगे ले जाते हैं। यह हानि सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से आगे के आठ वर्षों तक ही आगे ले जा सकती है।

(स) यदि किसी वर्ष पीछे से लाई गई व्यापारिक हानि के साथ अशोधित ह्रास की भी कोई रकम लाई गई है तो पहले व्यापारिक हानि पूरी की जायेगी; तत्पश्चात् अशोधित ह्रास को पूरा किया जायेगा।

2. **सट्टा व्यापार की हानि**—सट्टे व्यापार से होने वाली हानि की पूर्ति करदाता द्वारा सट्टे व्यापार से लाभों में ही की जा सकती है परन्तु यदि किसी कर-निर्धारण वर्ष में सट्टे के अन्तर्गत लाभ नहीं है अथवा अपर्याप्त है, तो हानि की वह रकम जो पूरी नहीं की जा सकी, अगले कर-निर्धारण वर्षों में सट्टे से होने वाले लाभों से पूरी करने के लिये ले जाई जाती है। ऐसी हानि को आगे ले जाने की अधिकतम अवधि 8 वर्ष है।

3. **लघुकालीन पूँजी लाभ**—लघुकालीन पूँजी सम्पत्तियों से हुई हानि को आगे ले जाकर लघुकालीन पूँजी सम्पत्तियों के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है किसी अन्य लाभ से नहीं। आगे ले जाने की सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से आगे के आठ वर्ष है।

4. **दीर्घकालीन पूँजी लाभ**—दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियों से हुई हानि को आगे ले जाकर केवल दीर्घकालीन पूँजी लाभों से ही पूरा किया जा सकता है। यह हानि आगे केवल चार 'कर-निर्धारण' वर्षों तक ही ले जाई जा सकती है।

टिप्पणी—दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियों से होने वाली हानि यदि 5,000 रु० से अधिक नहीं है तो करदाता (कम्पनी को छोड़कर) इस हानि की पूर्ति के लिये इसे अगले कर-निर्धारण वर्षों में नहीं ले जा सकता।

5. **घुड़दौड़ के घोड़ों पर हानि**—करदाता यदि घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने व उनके दौड़ाने का कार्य करता है तो इन पर किये गये खर्चों के घुड़दौड़ से हुई कुल आय से अधिक होने पर ऐसा आधिक्य हानि कहलायेगा व इसे पूरा करने के लिए अगले कर-निर्धारण वर्ष में ले जायेंगे। वहाँ इसे घुड़दौड के लाभों से ही पूरा किया जा सकेगा। किन्तु यदि करदाता ऐसा व्यक्ति है जो यद्यपि घोडों को नहीं रखता है किन्तु उसे घुड़दौड में हानि होती है, तो इसे आगे नहीं ले जाया जा सकता।

कुछ विशेष दशाओं में आगे ले जाना

(1) **पुनः स्थापित व्यापार की स्थिति में हानि को आगे ले जाना तथा पूरा करना**—इससे लाभान्वित होने वाले वे औद्योगिक संस्थान हैं जो धारा 33 B में वर्णित किन्हीं दुर्घटनाओं के शिकार हो गये थे तथा जिनकी व्यापार व उद्योग की सम्पत्तियों को भारी क्षति पहुँचने के कारण इनके मालिकों द्वारा इन्हें उस समय बन्द कर दिया गया था। चूँकि उस गतवर्ष में व्यापार बन्द कर दिया गया था अतः उस वर्ष में हुई हानि को आगे ले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। अब यदि ऐसे संस्थान 3 वर्षों की अवधि में ही पुनः स्थापित कर दिये जाते हैं तो पुनः स्थापित होने वाले गतवर्ष से सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में दुर्घटना वाले वर्ष की हानि की पूर्ति इस वर्ष के व्यापार व पेशे से होने वाले लाभों से कर दी जायेगी। यदि व्यापार के लाभों की अपर्याप्तता के कारण हानि की सम्पूर्ण रकम पूरी नहीं हो पाती तो अगले 7 कर-निर्धारण वर्षों तक ऐसी हानि आगे ले जाई जा सकती है तथा उन कर-निर्धारण वर्षों के व्यापार के लाभों से पूरी की जा सकती है। शर्त यही है कि पुनः स्थापित व्यापार करदाता द्वारा इस अवधि में संचालित होता रहना चाहिये।

(2) **रजिस्टर्ड फर्म की हानि**—किसी कर-निर्धारण वर्ष में यदि रजिस्टर्ड फर्म को इतनी हानि होती है कि उसे पूरा न किया जा सके तो हानि की वह रकम जो फर्म के लाभों से पूरी नहीं की जा सकती, फर्म के भागीदारों में उनके लाभ-हानि के अनुपात में बाँट दी जाती है तथा इस हानि को आगे ले जाने एवं कार्य पूरा करने का अधिकार केवल भागीदारों का ही होता है। एक निर्णय के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म को सट्टा व्यापार से होने वाली हानि अगले कर-निर्धारण वर्षों में ले जाकर सट्टा व्यापार के लाभ से ही पूरा करने का अधिकार दिया गया है।

ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म जिसको धारा 183 (ब) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मान लिया गया है, को भी हानि आगे ले जाने का अधिकार नहीं है।

(3) **अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि**—अनरजिस्टर्ड फर्म की हानि यदि ऐसी कोई रकम है जिसको पूरा नहीं किया जा सका तो ऐसी हानि केवल अनरजिस्टर्ड फर्म द्वारा ही पूर्ति के लिये अगले कर-निर्धारण वर्षों में ले जाई जा सकती है। साझेदारी को इसे आगे ले जाने का तथा अगले कर-निर्धारण वर्षों में अपने लाभों से इसकी पूर्ति करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। समय सीमा 8 वर्ष है।

(4) **अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार**—करदाता यदि अनरजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है तथा फर्म में हानि होने के कारण इस साझेदार के हिस्से में लाभ के स्थान पर हानि आती है तो यह साझेदार अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली अपने हिस्से की हानि

की पूर्ति अपनी अन्य आयों से नहीं कर सकता। किन्तु साझेदार अपने किसी अन्य व्यापार में होने वाली हानि की पूर्ति अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त होने वाली लाभ की रकम से कर सकता है।

(5) **फर्म के संगठन में परिवर्तन होने पर**—किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर अथवा किसी साझेदार की मृत्यु पर फर्म के सगठन में परिवर्तन होता है। ऐसी दशा में बाहर जाने वाले साझेदार की हानि के भाग को न तो फर्म आगे ले जा सकती है और न कोई अन्य साझेदार ही इस हानि की पूर्ति अपने लाभों से करने का अधिकारी ही है। फर्म के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर भी हानि को आगे ले जाकर पूरा नहीं किया जा सकता।

(6) **फर्म के उत्तराधिकार की दशा में**—कभी-कभी ऐसा होता है कि फर्म में कोई साझेदार कार्य करने में अक्षम होने के कारण अवकाश ग्रहण कर ले व अपने स्थान पर अपने उत्तराधिकारी को फर्म में साझेदार बना दे तो ऐसी दशा में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की हानि की पूर्ति उसका उत्तराधिकारी भावी लाभों से कर सकता है।

(7) **कुछ विशेष कम्पनियों की स्थिति में हानि को ले जाना**—यदि कोई ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है तो उसके अंशधारण (Shareholding) में परिवर्तन होने पर कम्पनी अपनी हानियों को तभी आगे ले जा सकती है जब कि—

(अ) पूँजी का कम से कम 51% अंश तथा मताधिकार गतवर्ष के अन्तिम दिन भी उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में हो जिनके पास वे हानि वाले गतवर्ष की अन्तिम तिथि को थे; अथवा

(ब) आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि अंशधारण में परिवर्तन कर दायित्व को समाप्त करने व कम करने के उद्देश्य से नहीं किया गया।

(8) **समाप्त हुये व्यापार की हानि**—व्यापार बन्द होने के पश्चात् यदि किसी पूँजी सम्पत्ति को वेचकर करयोग्य लाभ (Balancing charge) अथवा बुरे ऋणों की वसूली होती है तो ऐसी राशि से व्यापार बन्द होने वाले वर्ष की अथवा उससे पहले की हानि नियमानुसार पूरी की जा सकती है।

(9) **अशोधित ह्रास**—व्यापार में हानि की दशा में स्वीकृत ह्रास का समायोजन नहीं हो सकता, अतः ऐसा ह्रास जो व्यापार में लाभों के न होने की वजह से अथवा अपर्याप्त लाभों के कारण पूरा नहीं हो सका हो, अशोधित ह्रास कहलाता है। यह अशोधित ह्रास अगले वर्ष पूरा करने के लिये ले जाया जाता है। इसे अगले वर्ष में उसी वर्ष के सामान्य ह्रास की तरह मानते हैं व इसीलिये उसकी पूर्ति किसी भी अन्य लाभ से की जा सकती है।

उदाहरण के लिए किसी गतवर्ष में व्यापार से 12,000 रु० की होती हानि है, प्रतिभूतियों पर ब्याज 2,000 रु० तथा स्वीकृत ह्रास 4,000 रुपए है। व्यापार की हानि को 2,000 रुपए तक प्रतिभूतियों पर ब्याज से पूरा कर लेंगे व 10,000 रु० की व्यापारिक हानि तथा अशोधित ह्रास के 4,000 रु० अगले वर्ष ले जायेंगे।

अगले गतवर्ष में व्यापारिक लाभ 10,000 रु०, प्रतिभूतियों पर ब्याज 6,900 रु० तथा स्वीकृत ह्रास 2,000 रु० है। इस कर-निर्धारण में सर्वप्रथम पीछे से लाई गई 10,000 रु० की व्यापारिक हानि इस वर्ष के व्यापारिक लाभों से पूरी की जायेगी,

तथा पिछले वर्ष का 4,000 रु० का अशोधित ह्रास व चालू वर्ष का 2,000 रु० का स्वीकृत ह्रास प्रतिभूतियों के ब्याज से पूरा कर दिया जाएगा। अब इस वर्ष प्रतिभूतियों पर ब्याज के 900 रु० शेष रह गए जो इस वर्ष की कुल आय होगी।

(10) **अशोधित विकास छूट**—अपर्याप्त लाभों के कारण यदि विकास छूट का लाभ नहीं मिल पाता तो ऐसी अशोधित रकम को आगे 8 वर्षों तक ले जाया जाता है जहाँ इसकी पूर्ति व्यापार के लाभों से ही हो सकती है।

(11) **अशोधित अन्तिम ह्रास**—अशोधित अन्तिम ह्रास को व्यापारिक हानि की तरह ही अगले 8 वर्षों तक पूरा करने के लिए ले जाया जाता है। इसकी पूर्ति भी व्यापारिक लाभों से ही हो सकती है।

हानि का नक्शा दाखिल करना—धारा 80 के अन्तर्गत हानि को तब ही आगे ले जाया जा सकता है जबकि करदाता द्वारा कर-निर्धारण वर्ष की निर्धारित अवधि में ही अपनी हानि का नक्शा आयकर अधिकारी के पास जमा कर दिया जाता है तथा आयकर अधिकारी द्वारा इसकी व्यापारिक हानि की गणना कर ली जाती है।

विभिन्न कटौतियों व आगे लाये जाने वाले भत्तों व हानियों के पूरा करने का प्राथमिकता क्रम

1. चालू ह्रास
2. आगे लाई गई हानियाँ
3. आगे लाया गया ह्रास
4. पिछले वर्षों से लाई गई अशोधित विकास छूट
5. चालू विकास छूट
6. पिछले वर्षों से लाया गया अशोधित विकास भत्ता
7. चालू विकास भत्ता

उदाहरण—(4) एक करदाता की पिछले तीन वर्षों का आय का विवरण नीचे दिया गया है जिसके आधार पर आपको तीनों वर्षों की कुल आय की गणना करनी है :

	हिसाबी वर्ष		
	1972-73	1973-74	1974-75
व्यापार से लाभ अथवा हानि (ह्रास अथवा विकास छूट घटाने से पहले)	50,000	–45,000	90,000
चालू वर्ष का ह्रास	10,000	8,000	12,000
चालू वर्ष की विकास छूट	18,000	15,000	10-000
चाय की झाड़ियों के लिए मिला विकास भत्ता	8,000	10,000	11,000

हिसाबी वर्ष 1972-73 **कर-निर्धारण वर्ष** 1973-74

		रु०
व्यापार से लाभ		50,000
घटाया ह्रास	10,000	
विकास छूट	18,000	

विकास भत्ता	8,000	36,000
करयोग्य लाभ		14,000

हिसाबी वर्ष 1973-74 **कर-निर्धारण वर्ष** 1974-75

आगे ले गये—

व्यापार से हानि	— 5,000
ह्रास	8,000
विकास छूट	15,000
विकास भत्ता	10,000

हिसाबी वर्ष 1974-75 **कर-निर्धारण वर्ष** 1975-76

व्यापार से लाभ	90,000
घटाया—चालू वर्ष का ह्रास	12,000
	78,000
पिछले वर्ष की व्यापार से हानि	45,000
	33,000
पिछले वर्ष का अशोधित ह्रास	8,000
	25,000
पिछले वर्ष की विकास छूट	15,000
	10,000
चालू विकास छूट	10,000

आगे ले गये—

अ. 1974-75 कर निर्धारण वर्ष का विकास भत्ता, 10,000 रु० ।

ब. 1975-76 कर निर्धारण वर्ष का विकास भत्ता, 11,000 रु० ।

(5) मैसर्स राजस्थान हौजरी कम्पनी एक अनरजिस्टर्ड फर्म है जिसका कर-निर्धारण सर्वप्रथम 1974-75 के लिए हुआ। कर-निर्धारण प्रपत्र के अनुसार करदाता को इस वर्ष में 6,000 रु० की हानि हुई तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित छूटें भी उसे न मिल सकीं जो अगले वर्ष में ले जाई गई :

अशोधित ह्रास	रु० 6,000
विकास छूट	रु० 9,000
व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूँजी व्यय	रु० 3,200

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए करदाता को व्यापार से हुए लाभ की राशि 10,000 रु० है जिसमें से 5,200 रु० ह्रास के लिए दिए जाते है। अन्य

साधनों से इस वर्ष में करदाता को 4,600 प्राप्त होते है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए करदाता की कुल आय की गणना कीजिए।

	रु०
अ. व्यापार से लाभ	10,000
घटाया चालू ह्रास	5,200
	4.800
घटाया—आगे लाई गई हानि	4,800
ब. अन्य साधनों से आय	4,600
पीछे से आया अशोधित ह्रास	4,600
कुल सकल आय	—

कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए आगे ले गए

1. 1974-75 का अशोधित ह्रास 1,400 रु०
2. 1974-75 की अशोधित विकास छूट 9,000 रु०
3. 1974-75 की व्यापार से हानि 1,200 रु०
4. 1974-75 से व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूँजी व्यय 3,200

टिप्पणी : अशोधित ह्रास को किसी भी शीर्षक के लाभों से पूरा किया जा सकता है।

(6) श्री हनुमन्तय्या को गतवर्ष 1974-75 में होने वाली विभिन्न आय का विवरण नीचे दिया गया है। आप इनकी कुल सकल आय का निर्धारण कीजिए—

		रु०
(i)	भवन सम्पत्ति से आय	10,000
(ii)	व्यापार से लाभ	12,000
(iii)	चालू ह्रास	3,000
(iv)	पिछले वर्ष से लाई गई व्यापारिक हानि	—8,000
(v)	पिछले वर्ष से लाया गया अशोधित ह्रास	4,000

अ.	भवन सम्पत्ति से आय		10,000
ब.	व्यापार से लाभ	12,000	
	घटाया चालू ह्रास	5,000	
		7,000	
	पिछले वर्ष से आई व्यापार की हानि	−8,000	
	व्यापारिक हानि को आगे ले गये	−1,000	
	पिछले वर्ष से लाया गया अशोधित ह्रास		−4,000
	कुल सकल आय		6,000

टिप्पणी—पिछले वर्ष से लाई गई व्यापार की हानि को केवल व्यापार के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है अन्य किसी शीर्षक के लाभ से नहीं। अशोधित ह्रास को किसी भी शीर्षक की आय से पूरा कर सकते हैं।

(7) श्री घोषाल जो भारत में निवासी हैं, कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं :

	रु०
किराये की आय (शुद्ध)	7,000
रिहाइशी मकान का किराया मूल्य	4,000
रेडियो व्यापार से लाभ	19,600
रजिस्टर्ड फर्म से लाभ	1,800
सट्टा व्यापार से आय	1,000
लघुकालीन पूँजी लाभ	3,200
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	8,600

पिछले वर्ष से निम्नलिखित राशियाँ इस वर्ष लाई गई है :

(i)	साइकिल व्यापार से हानि, यह व्यापार 1973-74 में बन्द हो चुका है	3,900
(ii)	फर्म की हानि में हिस्सा	2,700
(iii)	रेडियो व्यापार से हानि	1,900
(iv)	अशोधित ह्रास	1,000
(v)	अशोधित विकास छूट	1,100
(vi)	परिवार नियोजन व्यय	2,600
(vii)	सट्टे से हानि	3,200
(viii)	1972-73 से लघुकालीन पूँजी हानि	4,100
(ix)	1972-73 से दीर्घकालीन पूँजी हानि	7,900

चालू वर्ष का स्वीकृत ह्रास 500 रु० है तथा चालू विकास छूट 2,000 रु० है। आप कुल सकल आय की गणना कीजिए।

भवन सम्पत्ति से आय

			रु०
किराये पर उठे हुए मकान से आय		7,000	
रिहाइशी मकान का किराया मूल्य	4,000		
घटाया वैधानिक कटौती	1,800		
	2,200		
दूसरी कुल आय के 10% तक सीमित	2,130		
घटाया मरम्मत व्यय 1/6	355	1,775	8,775

व्यापार के लाभ

रेडियो व्यापार	19,600		
जोड़ा वि० छू० कोष	1,500	21,100	
रजिस्टर्ड फर्म मे लाभ		1,800	
		22,900	
घटाया चालू ह्रास		500	
		22,400	
घटाया : पीछे से आगे आई राशियाँ			
रेडियो व्यापार से हानि	1,900		
रजिस्टर्ड फर्म से हानि	2,700		
अशोधित ह्रास	1,000		
अशोधित विकास छूट	1,100		
चालू विकास छट	2,000	8,700	13,700
सट्टा व्यापार से लाभ	1,900		
पीछे से आई हानि	—32,00		
हानि 1976-77 में ले गये	—1300		

पूँजी लाभ

लघुकालीन पूँजी लाभ	3,200		
घटाई : पीछे से हानि	—4,100		
1976-77 में ले गये	—900		
दीर्घकालीन पूँजी लाभ	8,500		
पीछे से आई हानि	—7,900		600
	कुल सकल आय		23,075

टिप्पणी : चूँकि विकास छूट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका 75% विकास छूट कोष में हस्तांतरित कर दिया जावे, अतः रेडियो व्यापार के लाभ में 2,000 का 75% (1,500 रु०) जोड़ दिया गया है।

रिहाइशी मकान का वार्षिक मूल्य कुल अन्य आय (7,000+13,700 +600) के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

परिवार नियोजन व्यय कम्पनी करदाता के लिए ही स्वीकृत होते है अन्य दशा में नहीं।

(8) श्री कुमारमगलम दिल्ली के व्यापारी है, जिन्होंने भिन्न वर्षों के लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है :

हिसाबी वर्ष 1-4-72 से 31-3-73

		रु०
1	प्रतिभूतियों से ब्याज (सकल)	9,000
2	मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय—दिल्ली	18,500
	अलीगढ	5,500
3.	चाँदी व्यापार से हानि	36,000
4.	सट्टा व्यापार से लाभ	6,000
5.	लाभांश (सकल)	12,000
6.	दीर्घकालीन पूँजी हानि	6,000

हिसाबी वर्ष 1-4-73 से 31-3-74

1.	प्रतिभूतियों से ब्याज (सकल)	9,000
2.	भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय—दिल्ली	19,600
	अलीगढ़	5,500
3.	चाँदी व्यापार से लाभ	18,000
4.	सट्टा व्यापार से हानि	25,500
5.	लाभांश (सकल)	14,500
6.	लघुकालीन पूँजी हानि	22,600
7.	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	9,000

हिसाबी वर्ष 1-4-74 **से** 31-3-75

1.	प्रतिभूतियों पर ब्याज	4,200
2.	भवन सम्पत्तियों से करयोग्य आय—दिल्ली	19,600
	अलीगढ़	6,400
3.	कपड़ा व्यापार से हानि	13,500
4.	सट्टा व्यापार के लाभ	37,500
5.	लाभांश (सकल)	7,300
6.	लघुकालीन पूँजी लाभ	19,200
7	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	7,600

आप सभी कर-निर्धारण वर्षों की कुल सकल आय निकालिए।

कर-निर्धारण वर्ष 1973-74

			रु०
1.	प्रतिभूतियों पर ब्याज		9,000
2.	भवन सम्पत्ति से आय—दिल्ली	18,500	
	अलीगढ़	5,500	24,000
3.	सट्टा व्यापार से लाभ		6,000
4.	लाभांश		12,000
			51,000

चाँदी व्यापार से हानि	—36,000
कुल सकल आय	15,000

दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति से हुई हानि जो 6,000 रु० है, आगे ले जाई जायेगी।

कर-निर्धारण वर्ष 1974-75

1.	प्रतिभूतियों पर ब्याज		9,000
2.	भवन सम्पत्तियों से आय—दिल्ली	19,600	
	अलीगढ़	5,500	25,100
3.	चाँदी व्यापार से लाभ		18,000
4.	पूँजी लाभ दीर्घकालीन पूँजी लाभ	9,000	
	लघुकालीन पूँजी हानि	—22,600	—13,600
5.	लाभांश (सकल)		14,500
	कुल सकल आय		53,000

सट्टा व्यापार की हानि 25,500 रु० तथा कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 की दीर्घकालीन पूँजी हानि 6,000 रु० पूरा करने के लिए आगे ले गये।

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76

1.	प्रतिभूतियों पर ब्याज		4,200
2.	भवन सम्पत्ति से आय—दिल्ली	19,600	
	अलीगढ़	6,400	26,000
3.	सट्टा व्यापार से लाभ	37,500	
	1974-75 से लाई सट्टे से हानि	25,500	
		12,000	
	कपड़ा व्यापार से हानि	—13,500	—1,500
4.	लघुकालीन पूँजी लाभ		19,200
5.	दीर्घकालीन पूँजी लाभ	7,600	
	1973-74 से आई हानि	—6,000	1,600
6.	लाभांश		7,300
	कुल सकल आय		56,800

(9) रेगे ब्रदर्स बम्बई ने कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित कर-निर्धारण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए है ।

	रु०
ह्रास से पूर्व व्यापार से लाभ	20,000
सामान्य स्वीकृत ह्रास	5,000
अतिरिक्त शिफ्ट ह्रास	1,000
भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय	8,000
प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,00,000
अन्य साधनों से आय	20,000
1974-75 से लाई व्यापारिक हानि	50,000
1974-75 का अशोधित ह्रास	80,000

———

प्रतिभूतियों पर ब्याज	1,00,000	
भवन सम्पत्तियों से आय	8,000	
अन्य साधनों से आय	20,000	1,28,000
घटाया : व्यापारिक हानि	20,000	
सामान्य ह्रास	5,000	
अतिरिक्त शिफ्ट ह्रास	1,000	
1974-75 का अशोधित ह्रास	80,000	—1,06,000
कुल सकल आय		22,000

टिप्पणी

यद्यपि पीछे से लाई गई व्यापारिक हानि अशोधित ह्रास से पहले घटाई जाती है किन्तु यह समायोजन व्यापारिक लाभों से ही हो सकता है । इस वर्ष चूँकि व्यापारिक लाभों का अभाव है अतः व्यापारिक हानि पूरी नहीं की जा सकती । अशोधित ह्रास को किसी भी अन्य आय से पूरा कर लिया जाता है ।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. कुल सकल आय में विभिन्न आयों के समूहीकरण सम्बन्धी आयकर अधिनियम की प्रमुख व्यवस्थायें दीजिये ।

2. कर-निर्धारण वर्ष में हानियाँ पूरी करने के नियमों पर प्रकाश डालिये ।

3. "किसी एक शीर्षक के अन्तर्गत हुई हानि को अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत हुए लाभों से कर सकते हैं ।" इस नियम की व्याख्या करते हुए इसके अपवाद समझाइये ।

4. ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब "व्यापार व पेशे के लाभ" शीर्षक के अन्तर्गत हुई हानि पूरी करने के लिए अगले कर-निर्धारण वर्षों से ले जाई जाती हैं ।

5. व्यापार की हानियों तथा अशोधित ह्रास को पूरा करने विषयक व्यवस्थाओं को लिखिये तथा बताइये कि इस प्रबन्ध से करदाता को क्या लाभ होता है ।

Practical questions

1. For the assessment year 1974-75 M/s Srinivasan & Co. had arrived at the following figures of income and losses ;

Loss from business before allowing despreciation and development rebate Rs. 48.000. Depreciation Rs. 10,000; Development rebate Rs. 6.000; Interest on securities Rs. 3,000; Income from other sources Rs. 12.000. For the assessment year they have profit from business before depreciat on Rs. 80,000. Allowable depreciation Rs. 25.000; Income from other sources Rs. 14,000. Long-term capital gains Rs 23,000

You are required to compute the gross total income of the assessee for the aseessment years 1974-75 and 1975-76.

2. The following particulars relate to the three assessees for the assessment years 1975-76 :

Mr. Pran Chopra : Salary 10.000; Interest on securities Rs. 12,000 Income from house properety Rs. 10,000; Losses from horse race Rs. 6,000; Loss from long-term capital assets Rs. 25,000. Won the first prize in Haryana Lottery Rs. 50.000; Short-term capital gains Rs. 2,500.

Mr. Shashi Kapoor : Profit from business Rs. 12,000; Loss from another business Rs. 2.000; Share of loss from unregistered firm Rs. 10 000; Share of loss from registered firm Rs. 5,700; Long-term capital gains Rs. 12.000; Commission from Life Insurance Corporation for doing insurance work Rs. 4,500.

Miss Lina Chandavarkar : Income from acting Rs. 50.000; Remuneration received for dance performances Rs. 29,000; Gains from long-term capital assets Rs. 25,000; Loss in races Rs. 19,000; Loss on speculation Rs. 18.000; Interest on securities Rs. 10.000.

You are required to compute gross total income of the three assessees for the assessment year 1975-76.

3. The following particulars are supplied by Shri Dantwala for the relevant Previous year :

	Rs.
His salary as Member of Parliament	6,000
Daily Allowance	8.000
Office expenses Claimed	4,000
Income from let house property	10,000
Rental value of the self occupied house	5,000
Income from bullion business	16,000
Income from agency business	6,500
Loss from speculation in oil (since discontinued)	25,000
Gains from card games	3,000
Income from sub-tenancy	2.560
Long-term capital gains on the sale of a house	25.000
Loss on sale of investments (Long-term)	21,675
Brought forward short-term capital loss	2,450

You are required to prepare the assessment of Shri Dantwala for the assessment year 1975-76.

———

कुल सकल आय में से कटौतियाँ 14

(DEDUCTIONS FROM GROSS TOTAL INCOME)

यह अध्याय उन सभी कटौतियों से सम्बन्धित है जो कुल सकल आय में से की जाती हैं। इन कटौतियों के पश्चात् जो राशि शेष रहती है वह कुल आय होती है जिस पर आयकर की गणना की जाती है। कुल सकल आय निकालने के लिए हमें निम्न-लिखित कदम उठाने पड़ते हैं :

1. सभी शीर्षकों के अन्तर्गत करदाता को होने वाली आय की गणना।

2. किसी शीर्षक की हानि को अन्य शीर्षक के लाभों से पूरा करना, पिछली हानि (यदि कोई है) को आगे लाकर पूरा करना, इस वर्ष यदि कोई हानि ऐसी है जो पूरी नहीं की जा सकती, उसे आगे ले जाने के लिए छोड़ देना। उदाहरण के लिए यदि किसी दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से कोई हानि हुई है जो दीर्घकालीन पूँजी लाभों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकती, तो उसे आगे ले जाने के लिए छोड़ देते हैं।

3. कुछ आयें ऐसी होती हैं जो यद्यपि प्रत्यक्ष में करदाता को प्राप्त नहीं होतीं किन्तु अधिनियम की धारा 64 में दिये गये प्रावधान इन रकमों को करदाता की आय मानते हैं। उदाहरण के लिए करदाता द्वारा कोई सम्पत्ति यदि अपने अवयस्क पुत्र को हस्तान्तरित कर दी जाती है तो ऐसी सम्पत्ति से हुई आय करदाता की आय मानी जाती है। (इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के लिए अगला अध्याय देखिए)

यहाँ जिन कटौतियों का विवरण दिया गया है वे विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौतियों से भिन्न हैं। आय के विभिन्न शीर्षकों में जो स्वीकृत कटौतियाँ हैं वे आयोपार्जन के लिए किये गये खर्चों से सम्बन्धित हैं। दूसरी ओर यहाँ दी गई कटौतियाँ कुछ अन्य उद्देश्यों के लिए हैं। इनमें से कुछ करदाता में भविष्य के लिए बचाने की भावना जागृत करती हैं (जैसे जीवन बीमा प्रीमियम आदि के लिए) व कुछ करदाता में उदार भावना के लिए दी जाती हैं, जैसे दान के लिए कटौती। कुछ कटौतियाँ नवीन उद्योगों के विकासार्थ दी जाती हैं व कुछ कर की तीव्रता को कम करने के लिए।

सभी कटौतियों का वर्णन धारा 80 C से 80 U तक दिया गया है। धारा 80 A में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन सभी कटौतियों का योग करदाता की कुल सकल आय से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् ऐसी कटौतियों के फलस्वरूप कर-दाता को हुई आय हानि में परिवर्तित नहीं की जा सकती।

धारा 80 G, H, HH, J, K, MM, N, O, QQ, S व T में जिन कटौतियों का उल्लेख है वे साझेदारी फर्म के कर-निर्धारण के समय भी स्वीकृत की जा सकती हैं अथवा करदाता के अपने व्यक्तिगत कर-निर्धारण के समय भी इन्हें दिया जा सकता है। किन्तु धारा 80A में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये कटौतियाँ केवल एक ही पक्ष के कर-निर्धारण में मिलेंगी। अर्थात् साझेदारी फर्म के कर-निर्धारण के समय जो

कटौती स्वीकृत हो चुकी हैं उन्हीं को एक वार फिर साझेदारों के व्यक्तिगत कर-निर्धारण के समय नहीं माँगा जा सकता। विभागीय सूचनायें इस प्रकार की हैं कि इन धाराओं से सम्बन्धित कटौतियाँ साझेदारों के व्यक्तिगत कर-निर्धारण के समय मिल सकती हैं यदि इन्हें फर्म के कर-निर्धारण में नहीं माँगा गया है।

I. व्ययों से सम्बन्धित कटौतियाँ

1. **विशिष्ट बचतों के लिए कटौती योग्य राशि** [80C] : इस शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित रकमें कटौती योग्य ठहराई जाती हैं :

A. **जीवन बीमा प्रीमियम**—किसी करदाता द्वारा अपने अथवा अपने जीवन साथी व अपने वच्चों के जीवन बीमा पर अपनी करयोग्य आय में से दी गई प्रीमियम अथवा अपने व अपने जीवन साथी तथा अपने वच्चों के जीवन से सम्वन्धित आस्थगित वार्षिकी (deferred annuity) के प्रसंविदे के लिए दी गई रकम।

करदाता यदि हिन्दू अविभाजित परिवार है तो परिवार में किसी भी पुरुष सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन बीमा पर दी गई प्रीमियम भी कटौती योग्य होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कटौती योग्य प्रीमियम बीमित राशि के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रीमियम यदि 10% से अधिक है तो आधिक्य को छोड़ देते हैं।

B. **प्राविडेन्ट फन्ड में अंशदान**—करदाता कर्मचारी यदि वैधानिक प्राविडेण्ट फण्ड अथवा प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड का सदस्य है तो उसके द्वारा फन्ड में दिया अंशदान। प्रमाणित फण्ड में दिया गया अंशदान गतवर्ष के वेतन का 1/5 अथवा 8,000 रु० (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिए।

C. **सार्वजनिक प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान**—केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सार्वजनिक प्राविडेण्ट फण्ड में एक जुलाई 1968 के वाद में जमा की गई धनराशि, जो 100 रु० से कम तथा 15,000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिये।

D. **सुपरएनुएशन फण्ड में अंशदान**—करदाता कर्मचारी द्वारा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में दिया गया अंशदान भी कटौती योग्य होता है।

E. **आस्थगित वार्षिकी**—करदाता यदि सरकारी कर्मचारी है तथा सरकार ने कर्मचारी के बच्चों व पत्नी के लिए आस्थगित वार्षिकी की व्यवस्था के लिए वेतन में से यदि कुछ कटौती की है तो यह धनराशि (वेतन के 1/5 तक) भी इस धारा के अन्तर्गत कटौती योग्य होती है।

F. **पोस्ट आफिस की संचयी जमा योजना**—करदाता द्वारा यदि कोई रकम पोस्ट आफिस की संचयी जमा योजना के 10 अथवा 15 वर्षीय खाते में जमा की जाती है तो यह जमा इस धारा के अन्तर्गत आती है।

G **यूनिटों से सम्बद्ध बीमा योजना**—यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 के अधीन यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना 1971 के अन्तर्गत दी गई धनराशि धारा 80C के अन्तर्गत कटौती योग्य होती है।

कटौती योग्य राशि की सीमा—करदाता यदि एक व्यक्ति है तो इस धारा के अन्तर्गत आने वाली उपर्युक्त समस्त राशियाँ कुल सकल आय के 30% अथवा 20,000

(जो भी कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिये। करदाता यदि अविभाजित परिवार है तो यह सीमा क्रमशः 30% एवं 30,000 रु० (जो भी कम हो) है।

करदाता यदि एक ऐसा व्यक्ति है जो लेखक, संगीतज्ञ, नाटककार अथवा अभिनेता है तो जीवन बीमा प्रीमियम आदि की अधिकतम कटौती योग्य राशि निम्नलिखित हो सकती है :—

i. उसके ऐसे व्यवसाय से हुई आय का $33\frac{1}{3}\%$ तथा कुल सकल आय में सम्मिलित शेष आय का 30% : अथवा
ii. 25,000 रु० ; जो भी इन दोनों में कम हो।

कटौती की दर :—ऊपर निकाली गई कटौती योग्य राशि को निम्नलिखित दरों के आधार पर करदाता की कुल सकल आय में से घटाया जाता है।[1] :

अ.	कटौती योग्य राशि के प्रथम 2,000 रु०	100 प्रतिशत
ब.	कटौती योग्य राशि के अगले 3,000 रु०	50 प्रतिशत
स.	कटौती योग्य राशि का शेष	40 प्रतिशत

उदाहरण

(1) गिरीश एक व्यक्ति करदाता है, निम्नलिखित विवरण से उसकी कुल सकल आय, कटौती योग्य राशि व कुल आय की गणना कीजिए :

वेतन 15,000 रु० ; मँहगाई भत्ता 1,500 रु० ; विभिन्न अनुलाभों का मूल्य 7,000 रु० ; अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आय 20,000 रु०

उसके द्वारा किए गए भुगतान इस प्रकार हैं : अपने जीवन बीमा की 40,000 रु० की पालिसी पर दिया गया प्रीमियम 5,000 रु०, अपने अवयस्क पुत्र की 10,000 रु० की पालिसी पर दी गई प्रीमियम 800 रु०; प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में दिया गया अंशदान 12% ; इतना ही अंशदान नियोक्ता द्वारा दिए जाने की व्यवस्था है। फण्ड में 5% की दर से 800 रु० ब्याज मिलता है। उसने पोस्ट आफिस की संचयी जमा योजना के 10 वर्षीय खाते में 1,500 रु० की राशि जमा की है।

		रु०
A.	वेतन	15,000
	मँहगाई भत्ता	1,500
	विभिन्न अनुलाभ	7,000
	नियोक्ता का प्रमाणित प्रा० फ० में 10% से अधिक अंशदान	300
		23,800

---

1. कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 से कटौती की दर निम्नलिखित होगी :

अ.	कटौती योग्य राशि के प्रथम 4,000 रु०	100 प्रतिशत
ब.	कटौती योग्य राशि के अगले 6,000 रु०	50 प्रतिशत
स.	कटौती योग्य राशि का शेष	40 प्रतिशत

घटाया : आकस्मिक व्यय :			
प्रथम 10,000 रु० पर 20%	2,000		
शेष 13,800 रु० पर 10%	1,380	3,380	20,420
B. अन्य शीर्षकों से आय			20,000
कुल सकल आय			40,420
जीवन बीमा प्रीमियम आदि के लिए कटौती :			
प्रथम 2,000 रु०	रु० 2,000		
अगले 3,000 रु० का 50%	1,500		
शेष 3,100 रु० का 40%	1,240		4,740
कुल आय			35,680

जीवन बीमा आदि के लिए कटौती योग्य राशि

a.	प्रमाणित प्रा० फ० में अंशदान	रु० 1,800
b.	जीवन बीमा प्रीमियम जो बीमित राशि के 10% तक सीमित है	4,000
c.	अवयस्क पुत्र के लिए जीवन बीमा प्रीमियम	800
d.	संचयी जमा योजना	1,500
		8,100

(2) श्री नारंग एक कलाकार हैं जिनको अपने व्यवसाय से 30,000 रु० की आय होती है। इन्हें अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत 15,000 रु० की आय प्राप्त हुई। इन्होंने अपने जीवन के लिए 80,000 रु० के मूल्य की बीमा पालिसी ली हुई है जिस पर 8,500 रु० वार्षिक प्रीमियम जाता है। संचयी जमा योजना के अन्तर्गत इन्होंने पोस्ट आफिस में 10 वर्षीय खाते में 700 रु० जमा कराये हैं। इनकी कुल आय की गणना कीजिए।

		रु०
व्यवसाय से लाभ		30,000
अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आय		15,000
कुल सकल आय		45,000
बीमा प्रीमियम आदि के लिए कटौती :		
प्रथम 2,000 रु०	2,000	
अगले 3,000 रु० का 50%	1,500	
शेष 9,500 रु० का 40%	3,800	7,300
कुल आय		37,700

कटौती योग्य राशि

जीवन बीमा प्रीमियम बीमित राशि के 10% तक	8,000
संचयी जमा योजना	8,400
	16,400

अधिकतम स्वीकृत राशि :	
व्यवसायिक आय का $33\frac{1}{3}\%$	10,000
शेष आय का 30%	4,500
	14,500

2. **चिकित्सा व्यय** [80D]—अपने पर आश्रित अपाहिज रिश्तेदार को चिकित्सा के लिए गतवर्ष में करदाता ने यदि अपनी करयोग्य आय में से कुछ व्यय किया है तो इसके सम्बन्ध में कटौती इस प्रकार होगी :—

i. यदि आश्रित रिश्तेदार किसी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में 182 दिन अथवा अधिक रहा है तथा चिकित्सा सम्बन्धी व्यय करदाता ने किए हैं तो 2,400 रु० ।

ii अन्य स्थिति में 600 रु० ।

iii. कटौती उस समय स्वीकृत होती है जबकि व्यक्ति की बीमारी ऐसी हो जिससे उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो गयी हो तथा किसी रजिस्टर्ड डाक्टर का प्रमाण-पत्र भी इस सम्बन्ध में प्राप्त कर लिया गया हो ।

iv. बीमार व्यक्ति को यदि गतवर्ष में कुछ आय प्राप्त होती है तो मिलने वाली कटौती में से आय की रकम कम करदी जाती है ।

v. करदाता ने यदि एक से अधिक आश्रितों पर चिकित्सा व्यय किया है तो कटौती केवल एक आश्रित के लिए ही मिलेगी जिसका चुनाव करदाता स्वयं ही कर सकेगा ।

टिप्पणी—धारा 80 B(8)में दी गई 'रिश्तेदार' की परिभाषा में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होते है :—

अ. व्यक्ति के माता, पिता, पति अथवा पत्नी; अथवा
ब. पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, भतीजा व भतीजी ; अथवा
स. पौत्र व पौत्री; अथवा
द. उपर्युक्त ब में वर्णित लोगों की पत्नी ।

उदाहरण

(3) श्री रमण गुप्त एक कर्मचारी है जिनको गतवर्ष 1974-75 में 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत 20,000 रु० की प्राप्ति हुई है । इनका प्रमाणित प्रा० फण्ड में अंशदान 2,000 रु० है । इन्होंने अपने आश्रित भाई की चिकित्सा पर 3,000 रु० व्यय किए हैं, जो अपने मस्तिष्क की रसौली (Brain tumour) की चिकित्सा के लिए आठ

महीने अस्पताल में रहा। इनके भाई को गतवर्ष में प्रतिभूतियों से 800 रु० ब्याज के मिलते हैं। श्री गुप्त की कुल आय निकालिए। कुल आय की गणना में क्या अन्तर पड़ता यदि अस्पताल में चिकित्सा सम्बन्धी व्यय श्री गुप्त को न चुकाने पड़ते।

	'वेतन' से आय			20,000
	घटाये : आकस्मिक व्यय			3,000
	कुल सकल आय			17,000
i.	प्रा० फण्ड में अंशदान के लिए कटौती		रु० 2,000	
ii.	चिकित्सा व्यय	2,400		
	भाई को ब्याज की आय	800	1,600	3,600
	कुल आय			13,400

चिकित्सा सम्बन्धी अस्पताल के व्यय यदि श्री गुप्त को न देने पड़ते तो उन्हें इस सम्बन्ध में धारा 80 D के अन्तर्गत कोई कटौती नही मिलती।

3. **अवकाश प्राप्त वार्षिकी के लिये किया गया भुगतान** (Payment for securing retirement annuities) [80E]—इस धारा के अन्तर्गत उन पेशेवर व्यक्तियों को कटौती दिए जाने की व्यवस्था है जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, सालिसिटर, वकील, आरचीटैक्ट अथवा उन पेशों में लगे हुए है जो सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए घोषित किए जा चुके है। इसके अन्तर्गत ये पेशेवर व्यक्ति अपने लिए अवकाश प्राप्ति की आयु के बाद में वार्षिकी को प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिए जो रकम देते हैं उनके लिए कुल सकल आय में से कटौती प्राप्त होती है। अन्य नियम इस प्रकार है :—

1) करदाता को व्यक्ति (individual) होना चाहिए।

2) उसका भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

3) वह भारत का निवासी होना चाहिए।

4) उसका रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार होना व पेशे (Profession) में लगना भी आवश्यक है।

5) उसकी प्रतिभूतियों पर ब्याज, मकान सम्पत्ति से आय, पूँजीलाभ एवं अन्य साधनों से आय के अन्तर्गत आने वाली वह आय जिसमें मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता अर्थात् अनुपार्जित आय 10,000 रु० वार्षिक से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6) इस धारा के अन्तर्गत कटौती योग्य प्रीमियम कुल सकल आय का $\frac{1}{10}$ अथवा 5,000 रु० (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होती।

7) इस धारा के अन्तर्गत कटौती की राशि कभी भी उस राशि से अधिक नहीं होगी जो व्यापार व पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कुल सकल आय में सम्मिलित की गई है।

उदाहरण

(4) श्री राम निवास कुलकर्णी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की एक फर्म में साझेदार हैं। इस फर्म से उनकी व्यवसायिक आय 30,000 रु० होती है जबकि उनकी अन्य शीर्षकों से आय 9,000 रु० है। वे अवकाश प्राप्त वार्षिकी की व्यवस्था के लिए 700 रु०

वार्षिक का प्रीमियम दे रहे है, यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है। वे अपनी पत्नी के 25,000 रु० की बीमा पालिसी पर 3,000 रु० की वार्षिक प्रीमियम भी दे रहे हैं। श्री कुलकर्णी की कुल आय की गणना कीजिए।

			रु०
व्यवसाय से लाभ			30,000
अन्य शीर्षकों से आय			9,000
कुल सकल आय			39,000
अ. जीवन बीमा के लिए कटौती :			
प्रथम 2 000 रु०	2,000		
शेष 500 रु० का 50%	250	2,250	
ब. अवकाश प्राप्त वार्षिकी के लिए दिया गया प्रीमियम (8,400 रु०) जो कुल सकल आय के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए		3,900	6,150
कुल आय			32,850

टिप्पणी—जीवन बीमा प्रीमियम को बीमित राशि के 10% तक सीमित कर दिया गया है।

4. **शिक्षा सम्बन्धी व्यय** [80F]—यह कटौती उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो भारत में निवासी है किन्तु भारत का नागरिक नहीं है तथा जिस पर आश्रित बच्चे (जिनकी आयु 21 वर्ष से कम है) भारत के बाहर किसी शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। वह कटौती प्रति बच्चे के लिए 1,500 रु० है तथा कटौती की अधिकतम सीमा 3,000 रु० है अर्थात् दो से अधिक बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने पर भी यह कटौती 3,000 रु० तक सीमित रहती है।

उदाहरण

(5) श्री डैनियल दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में पिछले कुछ वर्षों से प्रोफेसर हैं, जिन्हें 2,000 रु० मासिक वेतन मिलता है। वे विश्वविद्यालय के वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड में वेतन का 10% अंशदान करते हैं व अपने दो पुत्रों की शिक्षा पर 5,000 रु० वार्षिक व्यय करते हैं। ये दोनों पुत्र कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं व 21 वर्ष से कम आयु के हैं। श्री डैनियल की कुल आय की गणना कीजिए।

		रु०
वेतन		24,000
घटाया : स्वीकृत व्यय		
प्रथम 10,000 रु० पर 20%	2,000	

शेष 14,000 रु० पर 10%	1,400		3,400
कुल सकल आय			20,600
अ. घटाया प्राविडेन्ट फण्ड आदि के लिये कटौती			
प्रथम 2,000 रु०	2,000		
शेष 400 रु० का 50%	200	2,200	
ब. शिक्षा सम्बन्धी व्यय की अधिकतम राशि		3,000	5,200
कुल आय			15,400

टिप्पणी—यह हल इस मान्यता के आधार पर दिया गया है कि श्री डैनियल भारत में निवासी हैं किन्तु भारत के नागरिक नहीं हैं। शिक्षा सम्बन्धी व्ययों के लिए घटाई जाने वाली अधिकतम राशि 3,000 रु० है।

5. **कुछ दशाओं में उच्च शिक्षा पर खर्च के लिये कटौती** [80FF]—इस धारा के अन्तर्गत उस भारतीय नागरिक को कटौती का लाभ मिलेगा जिसकी कुल सकल आय 12 000 रु० से अधिक नहीं है। कटौती उस व्यय के लिए होगी जो करदाता द्वारा अपने आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा पर किये जाते हैं। डाक्टरी, इन्जीनियरिंग, वास्तुशिल्प अथवा औद्योगिकी में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के लिए 1,000 रु० प्रति बच्चा तथा इन्हीं विषयों मे डिप्लोमा की शिक्षा के लिए व अन्य विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 500 रु० प्रति बच्चा कटौती मिलती है। कटौती केवल 2 बच्चों तक ही स्वीकृत होगी।

यह धारा कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 से लागू होगी।

6. **पुण्यार्थ किये गये दान** [80G]—इस धारा के अन्तर्गत उस दान की राशि के लिये आंशिक कटौती का प्रावधान है जो अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को दी जाती है। यह कटौती सभी करदाताओं को मिलती है, केवल शर्त यही है कि दान की राशि निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं के बीच में हो। निम्नलिखित दान इस धारा के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त दान है :

i. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया गया दान।
ii. जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि में दिया दान।
iii. प्रधान मन्त्री सूखा सहायता कोष में दिया दान।
iv. किसी अन्य फण्ड अथवा सस्था को दिया गया दान जिस पर यह धारा लागू होती है।
v. केन्द्रीय सरकार व स्थानीय सत्ता को दिए गए दान जिनका प्रयोग पुण्यार्थ होता है।

कटौती योग्य दान की सीमायें इस प्रकार है :

(अ) **न्यूनतम सीमा**—गतवर्ष में अनुमोदित संस्थाओं को दिए गए कुल दानों की रकम यदि 250 रु० से कम है, तो किसी भी प्रकार की कटौती का प्रावधान नहीं है।

(ब) **अधिकतम सीमा**—दान की अधिकतम सीमा समायोजित कुल सकल आय की 10% है। समायोजित कुल सकल आय से हमारा तात्पर्य उस सकल आय से है जिसमें से इस अध्याय के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियाँ घटा दी जाती हैं। ऐसी आय जिस पर आयकर नहीं दिया तथा जो केवल आयकर की दर के लिए कुल आय में सम्मिलित की जाती है, भी घटा दी जाती है।

अधिकतम दूसरी सीमा 2,00,000 रु० है। इन दोनों में जो भी कम हो, वही सीमा लागू होती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि, प्रधानमन्त्री सूखा सहायता कोष में दिये गये दानों के लिए अधिकतम सीमा लागू नहीं होती।

दान यदि किसी मन्दिर, मस्जिद, चर्च अथवा अन्य किसी ऐसे स्थान की मरम्मत एवं नवीनीकरण (renovation) के लिए दिया जाता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में ऐतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के अथवा किसी राज्य में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा के स्थान घोषित कर दिए गए है तो दान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर रु० 5,00,000 कर दी जाती है किन्तु 10% वाला प्रतिबन्ध तब भी लागू रहता है।

यह वृद्धि मन्दिर आदि के लिए दिए गए दानों पर ही लागू होती है। सर्व प्रथम अन्य दानों की रकम व सीमा देख लेते हैं तत्पश्चात् नवीनीकरण के लिए दिए गए दान की रकम को शेष दान की गई राशि में जोड़कर 5,00,000 रु० वाली सीमा लागू करते है।

कटौती की दर—कटौती योग्य दान की रकम के लिए निम्नलिखित दरों से कुल सकल आय में से कटौती दी जाती है :—

(अ) कम्पनी करदाता के लिए : कटौती योग्य दान की रकम का 50%

(ब) गैर कम्पनी करदाता के लिए : कटौती योग्य दान की रकम का 55%

ऐसी पुण्यार्थ संस्थायें व ट्रस्ट आदि जो इस धारा में आती हैं—इस धारा के अन्तर्गत वे सभी पुण्यार्थ संस्थायें आदि आ जाती है जो निम्नलिखित शर्तें पूरा करती है :

(1) ऐसी संस्था की आय धारा 10 (22), 10 (22A) 10 (23), 11, व 12, के अन्तर्गत करयोग्य नहीं होती।

(2) ऐसी संस्था की आय केवल पुण्यार्थ कार्यो के लिए ही प्रयोग की जाती है।

(3) फण्ड की आय किसी भी विशेष धार्मिक जाति व सम्प्रदाय के लिए प्रयोग में नहीं आती।

(4) संस्था की प्राप्ति एवं व्ययों का नियमित हिसाब रखा जाता है।

(5) यह सस्था किसी भी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।

कुछ अन्य बातें

(1) दान केवल नगदी में ही दिए जाने चाहिए। वस्तुओं में दिए गए दान कटौती के लिए स्वीकृत नहीं होते।

(2) इससे कोई सरोकार नहीं है कि दान करयोग्य आय में से दिए गए हैं अथवा करमुक्त आय में से। दान देने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा अन्य शर्तों के पूरा होने पर ही कटौती मिल सकेगी।

(3) चाय कम्पनियों द्वारा दिए गए दान भी कटौती के लिए स्वीकृत होते हैं भले ही इनकी आय का केवल 40% भाग ही करयोग्य होता है।

उदाहरण

(6) निम्नलिखित स्थितियों में कुल आय की गणना कीजिए :

(a) 'अ' की कुल सकल आय 5,00,000 रु० है। उसने एक पुण्यार्थ संस्था को 60,000 रु० व राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 15,000 रु० दान दिए।

(b) अरविन्द की कुल सकल आय 45,00,000 रु० है। उसने 2,40,000 रु० दान एक पुण्यार्थ संस्था को दिया है तथा 4,00,000 रु० का दान एक ऐसे गुरुद्वारे को दिया है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कलात्मक महत्व का घोषित कर दिया गया है।

(c) विमल की कुल सकल आय 10,00,000 रु० है उसने 4,50,000 रु० एक ऐसे मन्दिर को दान दिया है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐतिहासिक महत्व का घोषित कर दिया गया है।

(d) रामस्वरूप की कुल सकल आय 4,50,000 रु० है; उसने एक विश्वविद्यालय को 21,000 रु० एवं एक चर्च (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कलात्मक महत्व की घोषित कर दी गई है) को 29,000 रु० दान दिया है। उसने अपनी 2,00,000 रु० की जीवन बीमा पालिसी पर 15,000 रु० का प्रीमियम दिया है।

(e) प्राग मिल्स लि० की कुल सकल आय 10,00,000 रु० है। इसने गतवर्ष में 1,00,000 रु० का दान दिया है जिसमें से 50,000 रु० काँग्रेस पार्टी को दिए गए है।

(f) श्री गुप्ता की कुल सकल आय 12,000 रु० है जिसमें से वे 2,000 रु० श्री वार्ष्णेय कालिज को तथा 1,000 रु० एक अनाथालय को दान देते हैं।

———

			रु०
(a)	कुल सकल आय		5,00,000
	स्वीकृत दान की राशि 65,000 रु० का 55%		35,750
	कुल आय		4,64,250
	दान जो पुण्यार्थ संस्था को दिया गया है कुल सकल आय के 10% तक सीमित	50,000	
	राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया दान	15,000	
		65,000	
(b)	कुल सकल आय		45,00,000
	घटाया अनुमोदित दान 4,50,000 रु० का 55%		2,47,500
	कुल आय		42,52,500

अनुमोदित दान :

		रु०
(i)	पुण्यार्थ संस्था को दान (अधिकतम सीमा)	2,00,000
(ii)	गुरुद्वारे को दान	4,00,000

कुल दान की अधिकतम सीमा 5,00,000 रु० अथवा कुल सकल आय के 10% तक सीमित रहती है अर्थात् 45,00,000 रु० का 10%=4,50,000 रु०

(c)	कुल सकल आय	10,00,000
	घटाया स्वीकृत दान 1,00,000 रु० का 55%	55,000
	कुल आय	9,45,000

मन्दिर आदि को दिया गया दान कुल सकल आय के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् 10,00,000 रु० का 10%=1,00,000 रु०

(d)	कुल सकल आय			4,50,000
	अ. धारा 80C की कटौती :			
	प्रथम 2,000 रु०	2,000		
	अगले 3,000 रु० का 50%	1,500		
	शेष 10,000 रु० का 40%	4,000	7,500	
	ब. धारा 80G की कटौती :			
	कटौती योग्य दान (42,250) का 55%		23,338	30838
	कुल आय			4,19,162

धारा 80G के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि

जीवन बीमा प्रीमियम रु० 15,000

दान के लिए स्वीकृत राशि—धारा 80G

विश्वविद्यालय व चर्च को दिये गये दान की राशि समायोजित कुल सकल आय (4,50,000—7,500) के 10% तक की ही स्वीकृत होती है।

4,42,500 रु० का 10%=42,250 रु०

(e)	कुल सकल आय	10,00,000
	घटाया स्वीकृत दान (50,000) रु० का 50%	25,000
	कुल आय	9,75,000

किसी भी राजनैतिक पार्टी को दिए गए दान को स्वीकृत दान को श्रेणी में नहीं रखा जाता। यह मान लिया गया है कि शेष दान अनुमोदित संस्थाओं को दिया गया है।

(f)	कुल सकल आय	12,000
	घटाया स्वीकृत दान (1,200) का 55%	660
	कुल आय	11,340

श्री वार्ष्णेय कालिज आदि को दिया गया दान कुल सकल आय के 10% तक ही स्वीकृत होगा। अनाथालय को दिया गया दान तभी स्वीकृत होगा जबकि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हो गयी हो।

विशेष प्रकार की आय से सम्बन्धित कटौतियाँ

7. **विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने वाले नवीन औद्योगिक संस्थान** (New Industrial undertaking employing displaced persons)[80H]—

यह एक नवीन व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत पूर्वी पाकिस्तान तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति पर अन्य देश जैसे बर्मा, श्रीलंका एवं मोजम्बिक से आये विस्थापित तथा अपने देश को लौटे व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए आयकर विषयक प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं :

(1) औद्योगिक संस्थान द्वारा निर्माण व उत्पादन कार्य का प्रारम्भ 1 अप्रैल 1967 से 31 मार्च 1970 तक प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

(2) उद्योग नवीन स्थापित होना चाहिए जो पुराने उद्योग को तोड़ कर व नवीनीकरण अथवा पुनर्निमाण द्वारा स्थापित न हुआ हो।

(3) गतवर्ष में प्रत्येक कार्यशील दिवस को 40 अथवा अधिक व्यक्ति निर्माण व उत्पादन कार्य में लगे होना आवश्यक है।

(4) पूरे वर्ष भर विस्थापित कर्मचारियों की संख्या औसत उपस्थिति की 60% से कम नहीं होनी चाहिए।

(5) कटौती की अधिकतम राशि उत्पादन व निर्माण से प्राप्त लाभों की 50 प्रतिशत अथवा 1,00,000 रु० (जो भी कम हो) होती है यह कटौती दस कर निर्धारण वर्षों तक मिलती है।

उदाहरण

मैमर्स आर० एस० गुप्ता एण्ड सन्स ने 1 जून 1970 को विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने के उद्देश्य से एक कारखाना प्रारम्भ किया। इसमें औसत उपस्थिति 80 व्यक्तियों की थी जिसमें विस्थापित व्यक्तियों की दैनिक औसत उपस्थिति किसी भी दिन 60 प्रतिशत से कम नहीं थी। 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कारखाने में उत्पादन से आय 10,00,000 रु० एवं लाभांश से सकल आय 80,000 रु० है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए करयोग्य आय की गणना कीजिए।

		रु०
(1)	उत्पादन प्रक्रिया से लाभ	10,00,000
(2)	लाभांश (सकल)	80,000
	कुल सकल आय	10,80,000

धारा 80 H की कटौती : उत्पादन प्रक्रिया के लाभों का 50% अथवा 1,00,000 रु० जो भी कम हो	1,00,000
कुल आय	9,80,000

8. पिछड़े क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक संस्थान व होटल व्यापार से लाभ [80HH]

इस धारा के द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक संस्थान व होटल व्यापार प्रारम्भ करने को प्रोत्साहन दिया जाना है। पिछड़े क्षेत्रों की सूची आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में दे दी गई है। इन क्षेत्रों में नवीन स्थापित उद्योगों आदि से हुए लाभों में से 20 प्रतिशत की कटौती दी जाती है। कटौती प्राप्त करने के लिए अन्य शर्तें इस प्रकार हैं।

औद्योगिक संस्थान

(1) इसने पिछड़े क्षेत्र में वस्तुओं का निर्माण 31-12-1970 के बाद में प्रारम्भ किया हो।

(2) यह पिछड़े क्षेत्र में पहले से ही स्थापित किसी व्यापार को तोड़कर अथवा पुर्ननिमाण द्वारा शुरू नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु धारा 33B के अन्तर्गत पुर्नस्थापित उद्योगों को यह लाभ मिलेगा।

(3) पिछड़े क्षेत्रों में ही पहले से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्लाट व मशीनरी को हस्तान्तरित करके यह उद्योग न बना हो।

(4) शक्ति संचालित विनिर्माण प्रक्रिया में कम से कम 10 श्रमिक व बिना शक्ति के होने वाली विनिर्माण प्रक्रिया में कम से कम 20 श्रमिक लगे होने चाहिए।

(5) नवीन व्यापार में प्रयुक्त सम्पूर्ण प्लांट व मशीनरी का 20 प्रतिशत तक के मूल्य की पुरानी मशीनें इस उद्योग द्वारा खरीदी जा सकती हैं।

होटल

(1) होटल व्यापार किसी भी पिछड़े क्षेत्र में 31-12-1970 के बाद में प्रारम्भ किया जाना चाहिए।

(2) यह होटल पहले से ही स्थापित किसी पुराने होटल के विखण्डन अथवा पुर्ननिर्माण के द्वारा न बनाया गया हो।

(3) होटल इस धारा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

कटौती की अवधि : नवीन स्थापित उद्योग ने यदि उत्पादन प्रक्रिया तथा होटल ने अपना व्यापार 31-3-1973 के बाद में प्रारम्भ किया है तो इस धारा की कटौती 10 कर-निर्धारण वर्षों तक मिलेगी। प्रथम कर-निर्धारण वर्ष उस गतवर्ष से सम्बन्धित होगा जिसमें कि व्यापार आदि आरम्भ किया गया है। किन्तु यदि व्यापार 1-4-1973 के पहले तथा 31-12-1970 के बाद में शुरू किया गया है तो छूट के लिए 10 कर-निर्धारण वर्षों में उतनी कमी कर दी जायेगी जितने कर-निर्धारण वर्ष 1-4-1974

से पहले समाप्त हो गये हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापार 1971-72 कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष में प्रारम्भ होता है तो यह छूट 1974-75 कर-निर्धारण वर्ष से शुरू होकर केवल सात वर्षों के लिए ही मिलेगी।

अन्य बातें

(1) यह छूट सभी श्रेणी के करदाताओं जैसे कम्पनी, व्यक्ति, सहकारी समिति आदि सभी को मिलेगी।

(2) इस कटौती को पाने वाले सभी करदाता अपने हिसाब को विधिवत रखेंगे तथा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उनका अंकेक्षण करा कर अंकेक्षण रिपोर्ट सहित आय के नक्शे के साथ लगायेंगे।

(3) करदाता यदि धारा 80 H के अन्तर्गत भी कटौती पाने का अधिकारी है तो पहले वह कटौती मिलेगी तथा शेष रकम पर इस कटौती की गणना की जायेगी।

9. **नवीन स्थापित औद्योगिक संस्थान, जहाज व होटल व्यापार के लाभ** [80 J]

इस धारा के अन्तर्गत नवीन स्थापित औद्योगिक संस्थान, जहाज व होटल व्यापार के लाभों में से कटौती मिलती है। कटौती की दर ऐसे संस्थानों में लगी हुई पूँजी का 6 प्रतिशत है।

यह कटौती सर्वप्रथम उस गतवर्ष के लिए मिलती है जिनमें कि नवीन स्थापित इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ किया है, जहाज का प्रयोग आरम्भ किया गया है, होटल ने काम करना शुरू किया है अथवा शीतागार ने अपनी प्रक्रिया आरम्भ की है। इसके बाद यह बाद के चार और कर-निर्धारण वर्षों के लिए मिलेगी। अन्य शब्दों में यह छूट केवल पाँच कर-निर्धारण वर्षों के लिए ही है। औद्योगिक संस्थान आदि यदि सहकारी समिति के स्वामित्व में हों तो यह छूट पाँच वर्षों के स्थान पर सात कर-निर्धारण वर्षों के लिए मिलेगी। इस छूट को कर-अवकाश कहते हैं।

छूट की अधिकारी इकाईयों में लाभों के न होने की दशा में अथवा अपर्याप्त होने की दशा में यदि यह कटौती पूरी तरह से प्राप्त नहीं की जा सकती तो ऐसी कमी को पूरा करने के लिए अगले वर्ष ले जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी औद्योगिक इकाई में 1,00,000 रु० लगे हुए हैं तथा लाभ केवल 5,000 रु०,। 6 प्रतिशत की दर से कटौती की राशि 6,000 रु० होती है जिसे लाभों के अपर्याप्त होने की वजह से 5,000 रु० तक ही प्राप्त किया जा सकता है। 1,000 रु० की कमी अगले वर्ष ले जाई जायेगी।

आवश्यक शर्तें

औद्योगिक इकाइयाँ

(1) यह पुराने व्यापार के विखण्डन, पुनर्गठन अथवा पुनर्निर्माण से न बनी हो।

(2) इसको ऐसी भवन सम्पत्ति व मशीन आदि हस्तांतरित न किये गये हों जिनका प्रयोग पहले किसी उद्देश्य के लिए हो चुका हो। एक अपवाद इस विषय में यह है कि व्यापार आदि में लगी हुई समस्त मशीन व प्लांट के 20% मूल्य तक की पुरानी मशीनरी व्यापार में लगाई जा सकती है।

(3) जो 1 अप्रैल 1948 के बाद में 33 वर्षों की अवधि के अन्दर वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण प्रारम्भ करे अथवा एक या एक से अधिक शीत संग्रहण प्लाटों (Cold Storage Plant) का कार्य प्रारम्भ कर सके ।

(4) जब औद्योगिक इकाई निर्माण कार्य में लगी हो तो वहाँ बिना शक्ति संचालित संस्थानों में 20 से कम तथा शक्ति संचालित संस्थानों में 10 से कम कर्मचारी नहीं होने चाहिए ।

इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित होटल आते हैं :—

अ. जो 1 अप्रैल 1961 को अथवा बाद में कार्यारम्भ करें तथा जो पिछले व्यापार के विखण्डन, पुनर्गठन तथा पिछले व्यापार में प्रयुक्त इमारत, मशीन व प्लांटों के हस्तांतरण से न बना हो ।

ब. होटल का स्वामित्व भारत में रजिस्टर्ड ऐसी कम्पनी के पास होना चाहिए जिसकी प्रदत्त पूँजी 5,00,000 रु० से कम न हो ।

स. होटल ऐसी कम्पनी की अपने स्वामित्व वाली इमारत में ही चलता हो ।

द. होटल में निर्धारित ढंग के कमरे तथा स्थान के महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधा का प्रबन्ध करना चाहिए ।

य. केन्द्रीय सरकार द्वारा वह होटल इस धारा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो ।

धारा 80 J उन जहाजों पर लागू होती है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते है :—

i. जो भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में हों तथा पूर्णरूप से कम्पनी के व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते हों ।

ii. कम्पनी के स्वामित्व में आने से पहले यह जहाज न तो भारतीय जल में चलाया गया था और न किसी ऐसे व्यक्ति (Person) के स्वामित्व में ही था जो भारत में निवासी था ।

iii यह भारतीय कम्पनी द्वारा 1 अप्रैल 1948 के बाद में 33 वर्ष की अवधि के अन्दर ही प्रयोग में लाया गया है ।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें

(1) कर अवकाश का लाभ प्रत्येक इकाई के लिए अलग मिलता है क्योंकि इनकी स्थापना की तिथियाँ अलग अलग हो सकती हैं ।

(2) यह लाभ संस्थान को मिलता है न कि उसके स्वामी को । अत: औद्योगिक इकाई के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर भी यह छूट मिलती रहेगी ।

(3) रजिस्टर्ड फर्म के साझेदारों को भी यह छूट प्राप्त करने का अधिकार है, बशर्ते कि फर्म ने अपने कर-निर्धारण में इस सुविधा का उपयोग नहीं किया है ।

(4) इस छूट की गणना हिसाबी वर्ष के प्रारम्भ में लगी सम्पत्तियों पर ही मिलती है ।

(5) इस कटौती को देने से पहले सामान्य ह्रास का समायोजन कर दिया जाना चाहिए ।

व्यापार के लाभों के अभाव में पूर्ण कटौती का उपयोग न होने पर शेष को आगे ले जाना (Carry forward of the deficiency)—जब किसी नवीन औद्योगिक संस्थान आदि के उस व्यापार से लाभ जो इस धारा के अन्तर्गत आते हैं, इसमें लगी हुई पूँजी के 6% से भी कम होते हैं जिससे कि पूर्ण कटौती नहीं मिल पाती तो कटौती में जितनी कमी शेष रह जाती है उसे अगले कर-निर्धारण वर्ष में पूरी करने के लिये आगे ले जाते हैं किन्तु यह कमी प्रारम्भिक कर-निर्धारण वर्ष के आगे 7 कर-निर्धारण वर्षों तक ही ले जाई जा सकती है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 1967 को अथवा इसके बाद में प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्षों तक ही सीमित है।

लगी हुई पूँजी की गणना

धारा 80 J के लिये उद्योग आदि में लगी हुई पूँजी की गणना आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम संख्या 19A के अनुसार की जाती है, जो निम्नलिखित हैं :

प्रथम चरण

गतवर्ष के प्रथम दिन ऐसे औद्योगिक संस्थान व होटल में लगी सम्पत्तियों के मूल्यों की गणना इस प्रकार होनी चाहिए :

i. ह्रास योग्य सम्पत्तियों का अपलिखित मूल्य।

ii. जिन सम्पत्तियों को खरीदा गया है तथा जो ह्रास योग्य नहीं हैं, उनकी करदाता के लिए वास्तविक लागत।

iii. जिन सम्पत्तियों को खरीद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए प्राप्त किया गया है तथा जो ह्रास योग्य नहीं हैं उनके लिए दिए गए प्रतिफल की करदाता को वास्तविक लागत।

iv. देनदारों का सामान्य मूल्यांकन।

v. हाथ की रोकड़ अथवा बैंक की बाकी।

ऐसी भवन सम्पत्ति, मशीन व प्लांट, जिनको पहले कभी प्रयोग किया गया है तथा जिनको अब नवीन उद्योग अथवा होटल व्यापार में हस्तांतरित कर दिया है, के मूल्यों को व्यापार में लगी हुई पूँजी की गणना करते समय सम्पत्तियों के मूल्य में नहीं जोड़ते बशर्ते कि ऐसी हस्तान्तरित भवन सम्पत्ति व मशीन एवं प्लांट व्यापार में लगी हुई कुल भवन सम्पत्ति व प्लांट के 20% से अधिक नहीं है। ऐसी पुरानी हस्तान्तरित सम्पत्तियाँ यदि व्यापार में लगी हुई कुल सम्पत्तियों के 20% से अधिक है तो ऐसे व्यापार व उद्योग को नवीन उद्योग नहीं माना जाता व उसे इस धारा के अन्तर्गत कोई छूट नहीं मिलती।

द्वितीय चरण

प्रथम चरण के अन्तर्गत आये हुए सम्पत्तियों के मूल्यांकन के योग में से गतवर्ष के प्रथम दिन जो लेनदारियां व ऋण आदि देते हैं, उन्हें घटा देते हैं। करदायित्व को भी लेनदारियों की भाँति घटा देते हैं। किन्तु निम्नांकित रकमें ऐसी हैं जो नहीं घटाई जातीं :—

i. करदाता के कम्पनी होने की स्थिति में ऋणपत्रों की राशि ।

ii. किसी भी करदाता की स्थिति में (कम्पनी को शामिल करते हुए) किसी भी ऐसे ऋण को सम्मिलित नहीं करते जो अनुमति प्राप्त स्रोतों से प्राप्त किया गया है तथा जिसका भुगतान 7 वर्षों की अवधि के बाद में ही होगा ।

द्वितीय चरण की गणना से जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें से वे विनियोग घटा दिए जाते हैं जिनसे प्राप्त आय व्यापार की आय में सम्मिलित नहीं की गई है । इन विनियोगों को क्रय करने के लिए भी यदि कोई ऋण लिया गया है जो उपर्युक्त द्वितीय चरण में घटाया गया हो, तो केवल वही विनियोग घटायेंगे जो कि इनके लिए दिये गये ऋणों से अधिक हों ।

जहाज में लगी हुई पूँजी की गणना के लिये इसका अपलिखित मूल्य लिया जाता है ।

उदाहरण

(9) चीनी की एक मिल ने एक नया उद्योग चालू किया जिसमें कागज का निर्माण होता है । इस नवीन उद्योग ने 1 जुलाई 1974 को कार्यारम्भ किया । कम्पनी अपना हिसाबी वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त करती है । इस नवीन इकाई ने निम्नलिखित सम्पत्तियाँ खरीदीं :

	रु०
भवन सम्पत्ति	1,50,000
फर्नीचर	50,000
नई मशीन	6,75,000
पुरानी मशीन	75,000

कम्पनी ने इस क्रय को सम्पन्न करने के लिए 1,50,000 रु० का ऋण लिया जिसमें से 1,00,000 रु० एक अन्य कम्पनी के अंशों को खरीदने में लगा दिया । इन अंशों पर प्राप्त लाभांश इस वर्ष के लाभों में सम्मिलित नहीं है । वर्ष का लाभ 1,80,000 रु० है । आप यह बताइए कि कम्पनी के कितने लाभ धारा 80 J के अन्तर्गत कटौती योग्य हैं ।

अ. व्यापार में लगी हुई पूँजी की गणना

प्रथम चरण : नवीन सम्पत्तियों को क्रय किया

भवन सम्पत्ति	रु० 1,50,000
फर्नीचर	50,000
मशीन	6,75,000
	8,75,000
द्वितीय चरण : घटाया वह ऋण जो व्यापार के लिए ही इस्तैमाल किया गया है (1,50,000—1,00,000)	50,000
व्यापार में लगी हुई पूँजी	825,000
कुल सकल आय	1,80,000

घटाया : लगी हुई पूँजी का 3% अर्थात् 8,25,000 रु० का 3%	24,750
कुल आय	1,55,250

टिप्पणी—चूँकि पुरानी सम्पत्ति कुल अचल सम्पत्ति के 20% से कम ही है अतः व्यापार को धारा 80J के अन्तर्गत मिलने वाली छूट प्राप्त करने का अधिकार है। चूँकि अंशों पर प्राप्त लाभांश व्यापार के लाभों में सम्मिलित नहीं किए गए है अतः ऋण का वह भाग जो अशों को क्रय करने में लगाया गया है, सम्पत्तियों में से नहीं घटाया जायेगा। यह उद्योग सम्बन्धित गतवर्ष में केवल छः महीने ही चला है और चूँकि छूट की दर 6% वार्षिक है अतः आनुपातिक छूट ही मिलेगी जो छः महीनों के लिये 3% की दर से निकाली जायेगी।

(10) एक भारतीय कम्पनी ने कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है :

	रु०
भवन सम्पत्ति से आय (शुद्ध)	25,000
ह्रास से पहले व्यापारिक लाभ	2,00,000
स्वीकृत ह्रास	50,000
विकास छूट	25,000
अन्य साधनों से आय—एक अन्य भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश	25,000

कम्पनी का व्यापार नवीन स्थापित उद्योग है जिसकी गतवर्ष के प्रारम्भ एवं अन्त में लगी हुई पूँजी क्रमशः 45,00,000 रु० एव 50,00,000 रु० थी। आप कम्पनी की कुल आय की गणना कीजिए।

———

			रु०
भवन सम्पत्ति से आय			25,000
व्यापार से लाभ		2,00,000	
घटाया : ह्रास	50,000		
विकास छूट	25,000	75,000	1,25,000
अन्य साधनों से आय—लाभांश			40,000
कुल सकल आय			1,90,000
धारा 80 J की कटौती : 45,00,000 रु० पर 6%			2,70,000
कमी जो आगे ले गये			80,000
कुल आय			कुछ नहीं

10. **पशुधन प्रजनन, पोल्ट्री फार्म एवं डेयरी फार्म से होने वाले लाभों के लिए कटौती** [80 J J]—

इन व्यापारों से प्राप्त लाभों के 10,000 रु० तक होने पर सम्पूर्ण लाभ कटौती के लिए स्वीकृत होता है, लाभ यदि 10,000 रु० से अधिक है तो कटौती की अधिकतम सीमा 10,000 रु० है।

यह कटौती 1976-77 कर-निर्धारण वर्ष से मिलेगी।

11. **नवीन उद्योग, होटल व्यापार व जहाज से लाभांश** [80 K]—धारा 80K के अन्तर्गत अंशधारियों को मिले उस लाभांश के लिये भी स्वीकृत कटौती की व्यवस्था है जो उन्हें धारा 80 J वाले नवीन उद्योग, होटल व जहाज से प्राप्त होना है। ऐसे लाभांशों को कुल सकल आय में से घटा देते हैं बशर्ते कि यह लाभांश इन कम्पनियों की धारा 80 J के अन्तर्गत आये करमुक्त लाभों में से दिया गया हो।

12. **लाभांश व ब्याज आदि के लिये कटौती**[80L]—इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त लाभांश व ब्याज के लिए 3,000 रु० तक की कटौती कुछ करदाताओं को मिलती है :

i. सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (वार्षिकी जमा की ब्याज छोड़कर)

ii. किसी सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के लिए प्रकाशित किसी अन्य संस्थान द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों पर ब्याज;

iii. केन्द्रीय सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि पर ब्याज;

iv. किसी भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश;

v. यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों पर प्राप्त लाभांश;

vi. किसी भी बैंक में जमा राशि पर ब्याज;

vii. किसी ऐसे वित्त निगम मे जमा राशि पर ब्याज जो भारत में लम्बी अवधि के लिए औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करता है तथा जिसे केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

viii. ऐसी सहकारी समिति में जमा की गई राशि पर ब्याज जिसमें कि करदाता सदस्य है।

ix. सहकारी समिति से लाभ।

यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों पर प्राप्त लाभांश के लिये 2,000 रु० की अतिरिक्त कटौती का भी प्रावधान है। अर्थात् यूनिटों पर प्राप्त लाभांश पर कटौती देने के लिए इस धारा के अन्तर्गत कटौती की अधिकतम सीमा 5,000 रु० हो सकती है। ऐसी स्थिति में जबकि करदाता को धारा 80 K के अन्तर्गत भी कटौती प्राप्त करने का अधिकार हो, इस धारा के अन्तर्गत उस शेष रकम पर कटौती मिलेगी जो 80K वाली कटौती घटाने के पश्चात् बची है।

इस धारा के अन्तर्गत केवल निम्नलिखित करदाताओं को ही कटौती मिलने की सुविधा है :

अ. एक व्यक्ति

ब. एक अविभाजित हिन्दू परिवार

स. अन्य व्यक्तियों का समुदाय

उदाहरण

(11) श्री प्रदीप कुमार घोष कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के अपनी आय का निम्नलिखित विवरण देते है :

	रु०
वेतन	12,000
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	2,000
यूनिटों से आय	3,200
साधारण अंशों पर लाभांश (सकल)	500
बैंक आफ इण्डिया में जमा पर प्राप्त ब्याज	270

श्री घोष ने 350 रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान दिया है व अपने जीवन पर 25,000 रु० की पालिसी के लिए 3,000 रु० का प्रीमियम दिया है। आप कुल आय निकालिये।

		रु०		रु०
वेतन		12,000		
घटाया : आकस्मिक व्यय				
10,000 रु० पर 20%	2,000			
2,000 रु० पर 10%	200	2,200		9,800
प्रतिभूतियों पर ब्याज				2,000
अन्य साधनों से आय :				
अ. यूनिटों से		3,200		
ब. लाभांश		500		
स. बैंक से ब्याज		270		3,970
कुल सकल आय				15,770
घटाई : स्वीकृत कटौतियाँ :				
1. धारा 80C : प्रथम 2,000		2,000		
शेष 500 रु० का 50%		250	2,250	
2. धारा 80 G : दान, 350 रु० का 55%			193	
3. धारा 80 L : लाभांश आदि—				
a. प्रतिभूतियों पर ब्याज		2,000		
b. लाभांश		500		
c. बैंक से ब्याज		270		
d. यूनिटों से आय		230		
		3,000		

e. अतिरिक्त कटौती यूनिटों से आय के लिए	2,000	5,000	7,443
	कुल आय		8,327

टिप्पणी : पहली बार में यूनिटों से हुई आय का केवल 230 रु० कटौती के लिए स्वीकार किया गया है जिससे 80 L के अन्तर्गत 3,000 रु० की कटौती मिल सके। इसके पश्चात् 2,000 रु० की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत की गई है।

(12) कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए निम्नलिखित स्थितियों में धारा 80 L की कटौती की गणना कीजिए :

	अजय	बिमल	करीम
लाभांश आदि	4,000	2,000	1,000
यूनिटों से आय	1,000	4,000	5,000
	रु०	रु०	रु०
धारा 80L की कटौती :			
लाभांश आदि	3,000	2,000	1,000
यूनिटों से लाभ जिससे कि कटौती 3,000 रु० तक हो जाये—		1,000	2,000
कटौती	3,000	3,000	3,000
अतिरिक्त कटौती	1,000	2,000	2,000
कुल कटौती	4,000	5,000	5,000

13. **अन्तर्कम्पनी लाभांशों** (Inter-corporate dividends) **के लिए कटौती** [80M] :—एक कम्पनी करदाता की कुल सकल आय में यदि किसी अन्य घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश सम्मिलित है तो इन लाभांशों में से निम्नलिखित कटौती दिए जाने की व्यवस्था है :

अ. जब करदाता कम्पनी घरेलू कम्पनी है : प्राप्त लाभांशों का 60%

ब. जब करदाता कम्पनी विदेशी कम्पनी है : प्राप्त लाभांशों का 65%

कोई कम्पनी यदि ऐसी है जिसे इस धारा के अतिरिक्त धारा 80H के अन्तर्गत भी कटौती मिलती है तो प्राप्त लाभांशों में से पहले धारा 80 H के अन्तर्गत मिली कटौती घटा दी जावेगी तत्पश्चात् शेष लाभों में से इस धारा की कटौती को कम करेंगे।

कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 से नई स्थापित उन कम्पनियों से प्राप्त लाभांश के लिए पूरी कटौती मिलेगी जो कि नवीं अनुसूची में शामिल उद्योगों में लगी हुई है।

उदाहरण

(13) भारत कम्पनी लि० की कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए कुल सकल आय 10,00,000 रुपये है। इन्होंने सम्बन्धित गतवर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय को 1,00,000 रु० का दान दिया। इसी लाभ में एक नई स्थापित औद्योगिक इकाई

का 3,00,000 रु० का लाभ भी सम्मिलित है जिसमें लगी हुई पूँजी 20,00,000 रु० है। इस औद्योगिक इकाई ने पिछले दो वर्षों से कार्यारम्भ किया है। इसी आय में 50,000 रु० का ऐसा लाभांश सम्मिलित है जो इस कम्पनी को दूसरी घरेलू कम्पनी से मिला है। कम्पनी की कुल आय की गणना कीजिए।

			रु०
व्यापार से लाभ			9,50,000
अन्य साधनों से आय—लाभांश			50,000
		कुल सकल आय	10,00,000

कटौतियाँ

अ.	धारा 80 G : दान, [जो कुल सकल आय (अन्य कटौतियों को घटाकर) के 10% तक सीमित है] की रकम का 50% : 10,00,000—1,20,000 —30,000=8,50,000 का 10% =85,000 का 50%	रु० 42,500	
ब.	नए स्थापित उद्योग के लिए कटौती—20,00,000 रु० का 6%	1,20,000	
स.	अन्तर्कम्पनी लाभांशों के लिए कटौती—50,000 रु० का 60%	30,000	1,92,500
		कुल आय	8,07,500

14. **भारतीय कम्पनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भारत में किसी संस्था से प्राप्त रायल्टी आदि** [धारा 80 MM]—यह धारा ऐसी प्राप्त रायल्टी के सम्बन्ध में कटौती प्रदान करती है जो भारत में निवासी किसी कम्पनी को किसी अन्य व्यक्ति से जो भारत में व्यापार करता है, तकनीकी जानकारी देने के प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुई है। प्राप्त रकम रायल्टी, कमीशन, शुल्क अथवा अन्य किसी भी नाम से जानी जा सकती है। यह रकम ऐसे समझौते के अन्तर्गत प्राप्य होनी चाहिए जो करदाता ने 1 अप्रैल 1969 को अथवा इसके बाद में रायल्टी देने वाले व्यक्ति के साथ किया हो तथा इसका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसी उद्देश्य के लिए नियुक्त बोर्ड ने कर दिया हो। कटौती की दर प्राप्य रायल्टी आदि की 40% है।

तकनीकी जानकारी से इस धारा में आशय ऐसी सेवाओं से है, जिनसे वस्तुओं के निर्माण अथवा निर्माण के सन्दर्भ में मशीन व प्लांट की स्थापना, खनिज उद्योग, खनिज तेल के कुएें व खोज, कृषि, पशु पालन, डेरी, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, जंगली उद्योग आदि में सहायता प्राप्त होती हो।

यह कटौती किसी भी उस आय के सन्दर्भ में नहीं मिलती जिसके लिए धारा 80 O के अन्तर्गत कटौती की व्यवस्था है।

15. **विदेशी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश** [धारा 80N]—जब किसी भारतीय कम्पनी करदाता को विदेशी कम्पनी द्वारा ऐसे अंश आबटित होते हैं जो

इस करदाता द्वारा किसी पेटेन्ट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला अथवा किसी अन्य तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त किए गए है तो ऐसे अंशों पर मिले लाभांश की सम्पूर्ण रकम (जो कुल सकल आय में सम्मिलित होती है) घटाने का आयोजन है। इस सम्बन्ध में एक शर्त यह है कि करदाता एवं विदेशी कम्पनी के मध्य हुआ तकनीकी जानकारी सम्बन्धी समझौता हमारी सरकार द्वारा इसी उद्देश्य के लिये नियुक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यह अनुमोदन सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से पूर्व ही प्राप्त होना आवश्यक है।

एक अन्य शर्त यह है कि यह कटौती उसी आय के लिए मिलेगी जो परिवर्तनीय विदेशी विनिमय के रूप में भारत में प्राप्त हुई है। यह लाभांश यदि भारत के बाहर प्राप्त हुआ है तो इसे विदेशी विनिमय कानून के अन्तर्गत भारत में लाया गया है। विदेश में मिला लाभांश यदि रिजर्व बैंक की अनुमति से किन्ही निर्धारित उद्देश्यों के लिए व्यय कर लिया जाता है तो यह लाभांश भारत में प्राप्त माना जावेगा।

16. **विदेशी कम्पनियों से प्राप्त रायल्टी** [**धारा** 80 O]—यह धारा उस रायल्टी की सम्पूर्ण रकम के लिए कटौती प्रदान करती है जो कि भारतीय कम्पनी करदाता को उपर्युक्त (15) में वर्णित तकनीकी जानकारी देने के प्रतिफल स्वरूप किसी विदेशी कम्पनी से प्राप्त होती है यह कटौती प्राप्त करने के लिये भी यह आवश्यक है कि विदेशी कम्पनी के साथ इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध का केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा इस उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर दिया जावे। ऐसा अनुमोदन सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के 1 अक्टूबर से पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए।

यह कटौती उसी रायल्टी के लिए मिल सकती है जो कि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में भारत में प्राप्त हो गई हो। यह राशि यदि भारत के बाहर प्राप्त हुई है तो इसे करदाता के लिए विदेशी विनिमय कानून के अन्तर्गत भारत में लाया जाना आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने यदि इस विदेशी मुद्रा को भारत के बाहर ही व्यय करने की अनुमति दे दी है तो यह राशि भारत में लाई मानी जावेगी।

17, **सहकारी समितियों के कर-निर्धारण में कटौती** [**धारा** 80 P]—धारा 80 P के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति को अपने सदस्यों को साख देने, कुटीर उद्योग-सदस्यों की कृषि उपज बेचने आदि से हुई आय की सम्पूर्ण रकम कटौती के लिए स्वीकृत होती है। प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समिति को सदस्यों से एकत्र किए दूध को बेचने से हुए लाभ की रकम भी कटौती के लिए उपलब्ध है। अन्य सहकारी समितियों की कुल सकल आय में से 20,000 रु० तक के लाभों को घटा दिया जाता है।

18. **पुस्तकों के प्रकाशन से होने वाले लाभों के लिये कटौती** [**धारा** 80] QQ]—करदाता की कुल सकल आय में यदि पुस्तकों के प्रकाशन से होने वाले लाभ शामिल हैं तो ऐसे लाभों का 20% कुल सकल आय में से घटा दिया जाता है। यह कटौती कर-निर्धारण वर्ष 1980-81 तक स्वीकृत होगी। ध्यान रखने योग्य बात यह है है कि अखबार, डायरी, पत्रिकायें आदि पुस्तक नहीं कहलाते।

करदाता को यदि धारा 80 H 80 J व 80 P के अन्तर्गत भी यदि लाभों में से कटौती मिलती है तो इन तीनों धाराओं के अन्तर्गत मिली कटौतियों को घटाने के पश्चात् जो लाभ रहेगा उसी शेष लाभों मे से यह कटौती प्राप्त होगी।

19. प्रोफेसरों आदि को विदेश में सेवाओं के लिए मिला पारिश्रमिक [80 R]—ऐसे प्रोफेसर जो भारत के नागरिक हैं तथा भारत के बाहर विश्वविद्यालय अथवा शैक्षिणिक संस्थाओं में सेवाओं व शोध कार्य के लिये पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं तो उनकी आय का 50% कुल आय की गणना करते हुए घटा दिया जाता है। यह कटौती केवल 36 महीने की अवधि तक में प्राप्त पारिश्रमिक के लिए स्वीकृत होती है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रोफेसर यदि लगातार भारत के बाहर रहता है तो गतवर्ष के लिए अनिवासी होगा तथा ऐसी स्थिति में भारत के बाहर मिला पारिश्रमिक पूर्णरूप से करमुक्त होगा।

20. कुछ दशाओं में विदेशी स्रोतों से पेशे की प्राप्त आय [80 RR]—किसी लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ अथवा अभिनेता, जो भारत मे निवासी है तथा जो अपने पेशे द्वारा विदेशी स्रोत से आय प्राप्त करता है, को इस धारा के अन्तर्गत विदेश से भारत में लाई गई इस आय के 25% तक की कटौती प्राप्त करने का अधिकार है। यह आय विदेशी मुद्रा से तथा विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 1947 (Foreign Exchange Regulation Act 1947) के अन्तर्गत आनी चाहिये। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रकाशित परिपत्र के अनुसार फोटोग्रेफर व टी० वी० कैमरामैन भी इस धारा के अन्तर्गत 'कलाकार की परिभाषा में आते हैं।

21. विदेशी नियोक्ताओं से मिले पारिश्रमिक के लिए कटौती [80 RRA]—इस धारा के अन्तर्गत उस व्यक्ति को यह कटौती मिलती है जो भारत में निवासी है तथा भारत का नागरिक है तथा जो विदेशी सरकार का कर्मचारी है अथवा विदेशी उद्यम में प्रविधिज्ञ है। कटौती की दर प्राप्त पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत है। इसे प्राप्त करने के लिए सेवा का प्रसंविदा या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए अथवा नौकरी ही सरकार द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। धारा 80 RRA (2) में इस सन्दर्भ में आये प्रविधिज्ञ को परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत वह व्यक्ति आते हैं जो विनिर्माण प्रक्रिया, खदान उद्योग, बिजली उत्पादन व वितरण, कृषि, पशुपालन, डेयरी फार्म, व्यापार संगठन, लेखा शास्त्र आदि में विशेष योग्यता रखते हैं। यह कटौती भी 36 महीनां की अवधि तक ही मिलती है। यहाँ भी महत्वपूर्ण यही है कि यदि व्यक्ति लगातार 46 महीने तक भारत के बाहर रहता है तो वह अनिवासी हुआ जिसे भारत के बाहर प्राप्त वेतन पर भारत में आयकर नहीं देना पड़ता अतः कटौती को प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं है।

22. एजेन्सी आदि की समाप्ति पर मिला पारिश्रमिक [855] :— करदाता को यदि कभी मैनेजिंग एजेन्सी अथवा अन्य किसी एजेन्सी को समाप्त करने आदि से सम्बन्धित कोई ऐसी क्षतिपूर्ति मिली है जो व्यापार व पेशे के लाभों के अन्तर्गत कर-योग्य है तो करदाता की कुल आय की गणना के समय ऐसी क्षतिपूर्ति का 25% घटा दिया जाता है किन्तु किसी भी दशा में वह कटौती 1,00,000 रु० से अधिक नहीं होगी। यह कटौती गैर कम्पनी करदाता के लिए ही स्वीकृत होती है।

23. दीर्घकालीन पूँजी लाभ [80T]:—इस धारा के अन्तर्गत दीर्घकालीन पूँजी लाभों के लिये कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं की स्थिति में कटौती दिये जाने की व्यवस्था है। कटौती के लिए नियम इस प्रकार हैं :—

1- जब कुल सकल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं होती अथवा दीर्घ-कालीन पूँजी लाभ 5,000 रु० से अधिक नहीं होते तो सम्पूर्ण दीर्घकालीन पूँजी लाभों को घटा दिया जाता है।

2. जब दीर्घकालीन पूँजी लाभ 5,000 रु० से अधिक होते हैं तो कटौती निम्नलिखित होगी :—

अ. जब दीर्घकालीन पूँजी लाभ भूमि व भवन से सम्बन्धित हो तो प्रथम 5,000 रु० तथा शेष लाभ का 25 प्रतिशत।

ब. जब दीर्घकालीन पूँजी लाभ भूमि व भवन से सम्बन्धित नहीं होते हैं तो प्रथम 5,000 रु० तथा पूँजी लाभ का 45 प्रतिशत

स. जब दीर्घकालीन पूँजीलाभ दोनों प्रकार की सम्पत्तियों से उदय होते हैं (भूमि भवन तथा अन्य सम्पत्तियाँ) तो 5,000 रु० सर्वप्रथम भूमि व भवन से सम्बन्धित पूँजी लाभों में से घटाये जायेंगे। यदि भूमि व भवन वाले पूँजी लाभ 5,000 रु० से कम है तो यह कमी अन्य सम्पत्तियों से उदय हुए पूँजी लाभों से पूरी की जायेगी तत्पश्चात् अन्य सम्पत्तियों से प्राप्त शेष पूँजी लाभों पर 50% वाली दर लागू की जाती है।

अल्पकालीन पूँजीं लाभों को अन्य सामान्य आयों की भाँति ही माना जाता है तथा इससे सम्बन्धित कोई व्यवस्था नहीं है।

उदाहरण

(14) निम्नलिखित करदाताओं के लिए कुल आय की गणना कीजिए :

		रु०
असलम :	व्यापार व पेशे से लाभ	5,000
	लघुकालीन पूँजीलाभ	3,000
बहादुर :	व्यापार से लाभ	5,800
	मकान के हस्तान्तरण पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	4,000
चन्द्रशेखर :	कुल अन्य आय	8,000
	मकान को बेचने पर दीर्घकालीन पूँजी लाभ	10,000
	(विक्रय मूल्य 25,500 रु०; इसी करदाता के पास एक अन्य मकान है जिसका उचित बाजार मूल्य 20,000 रु० है)	
धर्मदेव :	व्यापार के लाभ	8,000
	एजेन्सी के समाप्त होने पर मिली क्षतिपूर्ति	21,000
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ जो भूमि व भवन से सम्बन्धित नहीं है	12,000
	लघुकालीन पूँजी लाभ	3,000

———

		रु०
असलम :	व्यापार व पेशे के लाभ	5,000
	लघुकालीन पूँजी लाभ	3,000
	कुल सकल आय	8,000
	कटौती	—
	कुल आय	8,000

बहादुर :	व्यापार से लाभ		5,800
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ—भूमि व मकान		4,000
	कुल सकल आय		9,800
	पूँजी लाभ के लिए कटौती		4,000
	कुल आय		5,800
चन्द्रशेखर :	कुल अन्य आय		8,000
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ (मकान)		10,000
	कुल सकल आय		18,000
	पूँजी लाभ के लिए कटौती :		
	प्रथम	5,000	
	5,000 रु० का 25%	1,250	6,250
	कुल आय		11,750
धर्मदेव :	व्यापार से लाभ		8,000
	एजेन्सी की समाप्ति पर मिली क्षतिपूर्ति		21,000
	लघुकालीन पूँजी लाभ		3,000
	दीर्घकालीन पूँजी लाभ (अन्य सम्पत्तियाँ)		12,000
	कुल सकल आय		44,000
	कटौतियाँ :—		
	1. 80 S—क्षतिपूर्ति : 21,000 का 25%	5,250	
	2. 80 T—पूँजी लाभ : प्रथम 5,000	5,000	
	अगले 7,000 का 45%	3,150	3,400
	कुल लाभ		3,600

24. **लाटरी से जीत में मिली राशि [धारा 80TT]** :—करदाता की कुल सकल आय में यदि लाटरी से प्राप्त कोई धनराशि शामिल है तो इसके लिए निम्नलिखित कटौती की व्यवस्था है :

अ. जब कुल सकल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है अथवा जब लाटरी से प्राप्त राशि 5,000 रु० से अधिक नहीं है तो लाटरी से प्राप्त सम्पूर्ण राशि ।

ब. अन्य स्थिति में लाटरी से प्राप्त रकम में से सर्वप्रथम 5,000 रु० घटा देंगे तथा शेष राशि का 50% घटा देंगे ।
वह कटौती केवल गैर कम्पनी करदाताओं को उपलब्ध है ।

25. **निवासी करदाता के पूर्ण नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अपाहिज होने पर कटौती** [80U] :—करदाता व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय निम्न-लिखित शर्तों के पूरा होने पर 5,000 रु० की कटौती दिये जाने की व्यवस्था है :—

1. करदाता भारत में निवासी व्यक्ति है;
2. वह पूर्ण रूप से नेत्रहीन है अथवा स्थायी रूप से शारीरिक अयोग्यता से पीड़ित है जिससे उसकी धनोपार्जन योग्यता में पर्याप्त मात्रा में कमी आ गई है।
3. उसने आयकर अधिकारी के समक्ष उस कर-निर्धारण वर्ष में एक अधिकृत चिकित्सा से अपनी नेत्रहीनता अथवा शारीरिक अयोग्यता विषयक प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है जबकि यह कटौती प्रथम बार माँगी गई है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. जीवन बीमा प्रीमियम व प्राविडेन्ट फण्ड के लिए आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जो सुविधायें प्राप्त हैं, उनका वर्णन कीजिए।

2. कुल सकल आय में से कुछ कटौतियाँ करदाता द्वारा किये गये भुगतानों के लिए की जाती है ऐसी कौन सी कटौतियाँ हैं ? उदाहरण देकर समझाइये।

3. ऐसे कौन से पुण्यार्थ दान हैं जिनके लिए कुल सकल आय में से कटौती स्वीकृत होती है ? इस सम्बन्ध में विभिन्न नियमों एवं सीमाओं को लिखिये।

4. नवीन औद्योगिक संस्थानों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मिली छूटों को उदाहरण सहित समझाइये।

5. व्यापार में लगी हुई पूँजी की गणना की विधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

6. पूँजी लाभ किसको कहते हैं ? दीर्घकालीन पूँजी लाभ कितने भागों में विभाजित किये जाते हैं तथा इस सम्बन्ध में विभिन्न कटौतियाँ कौन सी हैं ? उदाहरण देकर प्रकाश डालिये।

7. निम्नलिखित कटौतियों पर टिप्पणियाँ लिखिये :—

i. चिकित्सा व्यय ;
ii. अवकाश प्राप्त वार्षिकी के लिए दिया प्रीमियम ;
iii. शिक्षा सम्बन्धी व्यय ;
iv. विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने से सम्बन्धित कटौती।

भाग ४

करदाता गण

व्यक्ति
(INDIVIDUALS)

15

आयकर अधिनियम की धारा 2 (31) में वर्णित विभिन्न करदाताओं में यही करदाता एक प्राणी है अन्यथा सभी अन्य करदाता निष्प्राण होते हैं। 'व्यक्ति' से तात्पर्य पुरुष अथवा महिला दोनों ही करदाताओं से है। ये अपनी कुल आय पर चालू दरों से आयकर देते हैं।

हमारे यहाँ आयकर प्रगतिशील (progressive) दरों से लगाया जाता है अर्थात् कुल आय में वृद्धि के साथ ही आयकर की दरें भी बढ़ती जाती है। अतः करदाताओं का स्वाभाविक प्रयास यह रहता है कि आय को परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों में बाँट दें जिससे कि उनके कर-दायित्व में कमी हो सके। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति को अपनी 20,000 रु० की कुल आय पर 2,453 रु० आयकर के देने होते हैं किन्तु यदि यही आय वह अपने व अपनी पत्नी के बीच वैधानिक व सही तरीकों में बाँट कर आयकर अधिकारी से दोनों की दस दस हजार रुपयों की आय पर कर लगाने को कहे तो दोनों में से प्रत्येक को 528 रुपये देने होंगे अर्थात् उसी 20,000 रु० पर दो करदाताओं के हाथों में कुल कर-दायित्व 1,056 रुपये का हुआ व इस प्रकार 1,397 रुपयों की बचत हुई। अपने कर-दायित्व में इस प्रकार की कमी करने के उद्देश्य से धनी करदाता अपनी अचल सम्पत्तियाँ अपने बच्चों व पत्नी को हस्तांतरित करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

आयकर अधिनियम की धारा 60 से 65 तक ऐसे प्रावधान दिये गये हैं जिनके अनुसार ऐसी विभिन्न आयें जो यद्यपि प्रत्यक्ष में करदाता को प्राप्त नहीं होतीं किन्तु जिनका लाभ वास्तविक रूप में करदाता अथवा उसके परिवार के सदस्यों को मिलता है करदाता की कुल आय में सम्मिलित की जाती है। इस अध्याय में व्यक्ति की कुल आय का कर-निर्धारण करने के साथ ही हम इन धाराओं का भी अध्ययन करेंगे।

अन्य व्यक्तियों की आय जो करदाता की कुल आय में शामिल की जाती है।

इस शीर्षक के अन्तर्गत हम धारा 60 से धारा 65 के अन्तर्गत दिये गये वे प्रावधान दे रहे है जिनके अन्तर्गत करदाता द्वारा हस्तांतरित सम्पत्तियों आदि की आय को हम करदाता की कुल आय में जोड़ते हैं।

1. **सम्पत्तियों का हस्तांतरण किए बिना आय हस्तांतरण** [धारा 60] :— करदाता कभी यदि किसी सम्पत्ति का स्वामित्व अपने पास रख ले किन्तु उसकी आय को पाने का अधिकार अपने किसी नामित (Nominee) को हस्तांतरित कर दे तो इस हस्तांतरित आय को करदाता की आय में शामिल करेंगे तथा वही इस आय पर कर देगा न कि उसका नामित।

2. **सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण** [धारा 61]।— खण्डनीय हस्तांतरण से हमारा अभिप्राय ऐसे हस्तांतरण से है जो हस्तांतरक की इच्छा पर उसकी सद्भावना

बनी रहने तक ही सार्थक होता है अर्थात् हस्तांतरक के चाहने मात्र से उसके द्वारा हस्तांतरित की गई सम्पत्ति उसके पास वापिस आ जाती है। इस प्रकार की हस्तांतरित सम्पत्ति से होने वाली आय हस्तांतरक के हाथों में ही करयोग्य होती है।

'खण्डनीय हस्तांतरण' से हमारा तात्पर्य निम्नलिखित से है :

अ. हस्तांतरण करते समय जब कोई ऐसी शर्त लगा दी जावे जिससे हस्तांतरित सम्पत्ति अथवा इससे प्राप्त होने वाली आय अथवा इनका कोई अंश प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरक को पुनः हस्तान्तरित हो सकता हो : अथवा

ब. किसी भी प्रकार से हस्तांतरक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित सम्पत्ति या इससे प्राप्त होने वाली आय को अपने अधिकार में ले लेने की व्यवस्था हो।

अपवाद :—धारा 62 के अनुसार निम्नलिखित हस्तान्तरण उपर्युक्त धारा 61 की परिधि में नहीं आते :

i. सम्पत्ति का हस्तान्तरण जब किसी ऐसे ट्रस्ट को किया जाता है जो लाभ पाने वाले के जीवन काल में अखण्डनीय है। अन्य ऐसे हस्तान्तरण जो हस्तान्तरी (Transferee) के जीवन के जीवन काल में अखण्डनीय है, भी धारा 61 के अन्तर्गत नहीं आते।

ii. ऐसे हस्तान्तरण जो 1 अप्रैल 1961 से पहले किए गए थे तथा जो 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए अखण्डनीय थे।

इन दोनों ही स्थितियों में यह आवश्यक है कि हस्तान्तरक को इन हस्तान्तरणों से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए। अन्य शब्दों में (i) तथा (ii) के अन्तर्गत आने वाली हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय प्राप्त करने वाले के हाथों में करयोग्य होगी न कि हस्तान्तरक के हाथों में।

3. **जीवन साथी की आय**—एक व्यक्ति की कुल आय में उसके जीवन साथी की वह आय शामिल की जाती है जो उसे ऐसी फर्म से मिली है जिसमें यह व्यक्ति तथा उसका जीवन-साथी साझेदार है तथा फर्म व्यापार से आय प्राप्त करती है व्यवसाय (Profession) से नहीं। जीवन साथी से तात्पर्य पति अथवा पत्नी से है।

एक व्यक्ति की कुल आय में जीवन-साथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त हुई आय भी शामिल की जाती है जो इस व्यक्ति ने अपने जीवन-साथी को बिना किसी प्रतिफल के हस्तान्तरित की है।

फर्म की साझेदारी से प्राप्त लाभ उस जीवन-साथी की आय में जोड़ा जाता है जिसकी कुल आय (इस फर्म के लाभों को छोड़कर) दूसरे जीवन साथी की आय से अधिक हो। उदाहरण के लिए यदि एक फर्म में जो व्यापार करती है पति व पत्नी दोनों ही साझेदार है। पति की इस फर्म के अलावा अन्य शीर्षकों से होने वाली आय 40,000 रु० है जबकि पत्नी की अन्य आय 50,000 रु० है। इस फर्म से पति को 15,000 रु० व पत्नी को 10,000 रु० लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में चूँकि पत्नी को अन्य शीर्षकों से होने वाली आय (50,000 रु०) पति की आय (40,000 रु०) से अधिक है, अतः फर्म से पति को प्राप्त हुआ लाभ (15,000) पत्नी

की आय में शामिल होगा व उसे आयकर देना होगा। पत्नी की कुल आय (50,000) +15,000+10,000) 75,000 रु० होगी व पति को केवल 40,000 रु० पर आयकर देना होगा :

4. **अवयस्क बच्चे की आय**—व्यक्ति की कुल आय में अवयस्क बच्चे को ऐसी फर्म में प्राप्त लाभ भी जोड़ दिये जाते हैं जो उसी फर्म की साझेदारी से प्राप्त हुए हों जिसमें कि यह व्यक्ति साझेदार है। ऐसी स्थिति में जब बच्चे के माता व पिता दोनों ही साझेदार हों तो दोनों में से उसकी आय में अवयस्क बच्चे को प्राप्त लाभ जोड़ा जावेगा जिसकी कुल आय (फर्म से प्राप्त लाभों को छोड़कर) अपने जीवन साथी से अधिक है।

करदाता ने अपनी किसी सम्पत्ति को यदि बिना किसी प्रतिफल के ही अपने अवयस्क बच्चे को हस्तान्तरित कर दिया है तो अवयस्क बच्चे को इस सम्पत्ति से प्राप्त आय करदाता के हाथों में करयोग्य होगी; अवयस्क बच्चे के हाथों में नहीं। इस धारा के अन्तर्गत अवयस्क बच्चे से तात्पर्य विवाहित पुत्री से नहीं है।

5. **हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति** [धारा 64 (2)] :

31 दिसम्बर 1969, पश्चात् किसी व्यक्ति ने यदि अपनी स्वयं अर्जित सम्पत्ति अपने अविभाजित हिन्दू परिवार को हस्तान्तरित कर दी है तो कर-निर्धारण वर्ष 1971-72 से निम्नलिखित प्रावधान कार्यान्वित होंगे :—

1. यह माना जावेगा कि व्यक्ति ने परिवार के माध्यम से परिवार के सदस्यों को यह सम्पत्ति हस्तान्तरित की है जो संयुक्त रूप से उनके स्वामित्व में होगी।

2. ऐसी सम्पत्ति का आनुपातिक भाग जो करदाता के अपने हिस्से से सम्बन्धित है व इस अंश से सम्बन्धित आय हस्तान्तरणकर्त्ता की अपनी निजी आय मानी जावेगी, परिवार की नहीं।

3. ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति का वह अंश जो उसके जीवन साथी व अवयस्क बच्चों के अनुपात में सम्बन्धित है, यह माना जाता है कि हस्तान्तरक ने इसे अपने जीवन साथी व बच्चों के कल्याण के लिये हस्तान्तरित किया है अतः इस अंश से सम्बन्धित आय हस्तान्तरक के हाथों में कर-योग्य होती है।

करदाता का विभिन्न स्थितियों में कर-निर्धारण

करदाता की कुल आय में उपर्युक्त सभी रकमें जोड़ दी जाती हैं तब उसकी कुल आय का निर्धारण आयकर अधिकारी द्वारा किया जाता है। आय की प्राप्ति करदाता को विभिन्न स्थितियों में होती है जिसका कर-निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है—

1. **हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य की स्थिति**—करदाता को यदि ऐसे हिन्दू अविभाजित परिवार से कोई आय मिलती है जिसका कि वह सदस्य है तो आय की वह रकम उसकी कुल आय में शामिल नहीं करते भले ही हिन्दू अविभाजित परिवार की अपनी कुल आय करयोग्य है अथवा नहीं।

2. **अनरजिस्टर्ड फर्म की साझेदारी**—करदाता को अनरजिस्टर्ड फर्म का सदस्य होने के सम्बन्ध में जो आय प्राप्त होती है वह करदाता की कुल आय में व्यापार व पेशे के लाभों के अन्तर्गत करयोग्य है। परन्तु चूँकि इन लाभों पर आयकर फर्म

स्वयं देनी है अतः साझेदारों को इस फर्म से प्राप्त लाभ यद्यपि उनकी कुल आय में शामिल किये जाते हैं परन्तु इन पर आयकर की औसत दर से छूट मिलती है। फर्म से साझीदार को लाभ के स्थान पर यदि हानि उठानी पड़ती है तो ऐसी हानि की पूर्ति भी साझीदार द्वारा नहीं की जा सकती। अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय यदि 6,000 रु० से कम है तो इसे आयकर नहीं देना पड़ेगा। ऐसी आय का कोई भाग यदि साझेदार को प्राप्त होता है तो इन पर आयकर की छूट का कोई प्रश्न ही नहीं है तथा उसे इस पर आयकर देना होता है।

3. **रजिस्टर्ड फर्म से लाभ**—करदाता यदि रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है तो ऐसी फर्म से प्राप्त लाभों की रकम उसकी कुल आय में जोड़ दी जाती है व करयोग्य होती है। रजिस्टर्ड फर्म की आय के 10,000 रु० से अधिक होने पर इसे भी आयकर देना होता है जो बहुत हल्की दरों से केवल नाम मात्र के लिए लगाया जाता है। फर्म द्वारा चुकाये गये इस आयकर का करदाता से सम्बन्धित आनुपातिक भाग उसे प्राप्त लाभों में से घटा देते हैं। उदाहरण के लिए एक रजिस्टर्ड फर्म, जिसको 15,000 रु० लाभ होते हैं, को 275 रु० आयकर देने होते हैं। फर्म के इस लाभ में यदि करदाता आधे हिस्से के लिए साझीदार है तो उनकी कुल आय में हम रु० 7,262·50 (7,500—137·50) जोड़ेंगे न कि 7,500 रु०।

4. **सदस्यों के समुदाय का सदस्य**—करदाता यदि सदस्यों के अन्य समुदाय का सदस्य है तो उससे प्राप्त लाभों को अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभों की भाँति माना जाता है।

5. **कम्पनी का सदस्य**—करदाता यदि किसी कम्पनी का सदस्य है तो कम्पनी से प्राप्त लाभांश करदाता की कुल आय में 'अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत जोड़ देते हैं तथा इस आय पर आयकर देना पड़ता है। कम्पनी ने यदि कोई आयकर दिया है तो इससे इस करदाता को कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, लाभांश वितरण के समय जो आयकर उद्गम स्थान पर काटा गया है उस का समायोजन करदाता द्वारा अपनी आय पर आयकर का भुगतान करते समय कर लिया जायगा।

(1) श्री अमरनाथ घोष एक कम्पनी में प्रबन्धक के पद पर कार्य करते हैं, उनकी कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए निम्नलिखित आय है—

i. वेतन 2,000 रु० मासिक जिसमें से 10% काटकर अप्रमाणित प्राविडेन्ट फन्ड में जमा कर दिया जाता है तथा कम्पनी द्वारा भी अपने पास से इतनी राशि फण्ड में जमा की जाती है।
ii. सवारी भत्ता 250 रु० मासिक
iii. किरायामुक्त सुसज्जित मकान जिसका वार्षिक मूल्यांकन 2,800 रु० है। तथा जिसे 10,000 रु० का फर्नीचर लगाकर सुसज्जित किया गया है।
iv. जूट मिल के 100, 100 रु० के 250 अंशों पर 6% की दर से मिला लाभांश।
v. पूँजीलाभ शीर्षक के अन्तर्गत हानि 4,000 रु०।
vi. श्री घोष के बच्चों के नाम में डाकखाने के बचत खातों पर प्राप्त ब्याज 750 रु०।
vii. इन्होंने कम्पनी से 3,500 रु० यात्रा भत्ता प्राप्त किया है जिसमें से 2,300 रु० बचा है।

viii. श्री घोष का पुत्र एक इन्जीनियरिंग कालिज में अध्ययन करता है जिनके लिए कम्पनी द्वारा 250 रु० मासिक व्यय किया जाता है।

ix. वर्ष भर में इन्होंने 6,000 रु० बीमा प्रीमियम दिया है।

x. श्री घोष ने डाकखाने के 10 वर्षीय संचयी बचत खाते में 5,000 रु० तथा सार्वजनिक प्राविडेण्ट फण्ड में 2,000 रु० जमा किये हैं।
श्री घोष की कुल आय की गणना कीजिए।

वेतन

(a)	मूल वेतन 2,000 रु० मासिक		24,000	
(b)	किरायामुक्त मकान मूल्याकन		4,300	
(c)	पुत्र की शिक्षा पर व्यय		3,000	
(d)	यात्रा भत्ता जो बचाया गया		2,300	
		सकल वेतन	33,600	
		खर्चों के लिए कटौती	1,000	
				32,600
अन्य साधनों से आय				
	लाभांश 250 अंशों पर 6%			1,500
		कुल सकल आय		34,100

कटौती :

a.	80 C : प्रथम रु० 2,000	2,000		
	3,000 रु० का 50%	1,500		
	5,230 रु० का 40%	2,092	5,592	
b.	80 L : लाभांश		1,500	7,092
		कुल आय		27,008

कटौती योग्य रकम

जीवन बीमा प्रीमियम	6,000
संचयी जमा खाते में जमा	5,000
सार्वजनिक प्रा० फ०	2,000
	13,000

कु० स० आ० के 30% तक सीमित रु० 10,230

टिप्पणी

(1) असुज्जित मकान के लिए वेतन (24,000+3,000+2,300) का 10 प्रतिशत अर्थात् 2,930 रु० अथवा वार्षिक मूल्य (2,800) जो भी कम हो, अर्थात् 2,800 रु०। इसमें जोड़ा फर्नीचर की लागत (10,000) का 15 प्रतिशत। 2,800+1,500=4,300 रु०।

(2) यह मान लिया गया है कि सवारी भत्ते की सम्पूर्ण राशि श्री घोष द्वारा सवारी पर व्यय करदी गई है।

(3) सवारी की सुविधा अथवा सवारी भत्ता मिलने पर वेतन में से कटौती की अधिकतम सीमा 1,000 रु० है।

(4) यह मानते हुए कि 'पूँजीलाभ' शीर्षक वाली हानि दीर्घकालीन है, किसी अन्य आय से पूरा नहीं की जा सकती। चूंकि यह राशि 5,000 रु० से कम है अतः उसे आगे भी नहीं ले जाया जा सकता।

(5) डाकखाने के बचत खाते पर मिला ब्याज कुल आय में शामिल नहीं होता।

(2) श्रीमती कल्याणी की आय का विवरण नीचे दिया गया है—

i. 50,000 रुपये का $7\frac{1}{2}\%$ उत्तर-प्रदेश सरकार का कर-मुक्त ऋण।

ii. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्गमित 10,000 रुपये के $3\frac{3}{4}\%$ बौण्ड जिनका विमोचन 102 रु० की दर से 31 मार्च 1976 को किया जावेगा।

iii. 18,000 रु० के 7% स्वर्ण बौण्ड।

iv. 3,000 रु० के $3\frac{1}{2}\%$ राष्ट्रीय नियोजन प्रमाणपत्र।

v. नकद लाभांश प्राप्त किया—अ० ब० कम्पनी से 4,620 रुपये हिन्दुस्तान उपभोक्ता सहकारी समिति से 300 रुपये।

vi. करदाता द्वारा ब्याज व लाभांश वसूल करने के लिए बैंक को 800 रु० दिए गए।

आप श्रीमती कल्याणी की कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 से सम्बन्धित गतवर्ष की आय निर्धारण कीजिए। (बी० कॉम० आगरा 1970)

---

1. प्रतिभूतियों से ब्याज

अ.	$7\frac{1}{2}\%$ उ० प्र० सरकार का करमुक्त ब्याज	3,750	
ब.	$3\frac{3}{4}\%$ के सरकार के बौण्ड	375	
स.	7% स्वर्ण बौण्ड	1,260	5,385

2. अन्य साधनों से आय

अ.	अ० ब० कम्पनी से लाभांश $4{,}620 \times \frac{100}{77}$	6,000	
ब.	हिन्दुस्तान उपभोक्ता सरकारी समिति से लाभांश	300	6,300
			11,685
	घटाया बैंक कमीशन		800

कुल सकल आय	10,885
कटौतियाँ : u/s 80-L लाभांश	3,000
कुल आय	7,885

टिप्पणी : $3\frac{1}{2}$% राष्ट्रीय नियोजन प्रमाणपत्रों पर मिली ब्याज पूर्ण रूप से करमुक्त है तथा इसे कुल आय में भी नहीं जोड़ा जाता।

(3) श्रीमती कमला घोष स्टेट्समैन कलकत्ता में पत्रकार है जिन्हें 800 रु० मासिक, मँहगाई भत्ता 100 रु० मासिक तथा सिटी कम्पैन्सेटरी भत्ता 100 रु० मासिक की दर से मिलता है। ये अप्रमाणित प्रा० फ० में 10 प्रतिशत अंशदान देती हैं तथा अपने पति को जीवन बीमा की 30,000 रु० की पालिसी पर 2,000 रु० प्रीमियम दिया है।

इन्हें एक अनरजिस्टर्ड फर्म जो प्रकाशन व्यवस्था करती है, से अपने हिस्से का लाभ 10,000 रु० मिलता है। सम्बन्धित गतवर्ष में इन्हें अपने पिता से वहाँ होने वाली कृषि उपज से 10,000 रु० की राशि अपने हिस्से के लिए मिली है, ये प्राप्ति पूर्ण रूप से ऐच्छिक है तथा इसे कानून का रूप नहीं दिया जा सकता। इन्हें बंगाल लाटरी का 20,000 रु० का तीसरा इनाम मिला है, इन्होंने अन्य राज्यों के 15,000 रुपयों के लाटरी के टिकट खरीदे हैं किन्तु उनसे कोई इनाम नहीं मिला। गतवर्ष में इन्हें लघुकालीन पूँजी सम्पत्ति से 5,000 रु० की हानि हुई है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए इनकी कुल आय निकालिए।

— — — —

Salary				
Basic salary @ Rs. 800 per month		9,600		
Dearness allowanse @ Rs. 100 p. m.		1,200		
C.C.A. @ Rs. 100 p. m.		1,200		
Gross Salary		12,000		
Less Incidental expenditure :				
20% of the first Rs. 10,000	2,000			
10% of Rs. 2,000	200	2,200		9,800
Profit and gains from business				
Share of profit from an unregistered firm				10,000
Capital Gains				
Short term capital loss				−5,000
Income from other sources				
Third prize in Bengal Lottery		20,000		
Tickets of other States bought		15,000		5,000
Gross Total Income				19,800
Deductions : life insurance prem. u/s 80C			2,000	
u/s 80TT			5,000	7,000
Total Income				12,800

(4) श्रीमती कुमुदिनी मालूजा रेडियो एवं पार्श्व गायिका है। इनका प्राप्तियों व व्यय का विवरण नीचे दिया गया है आप कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए इनकी कुल आय का निर्धारण कीजिए।

रेडियो कार्यक्रम	8,950	टेलीफून व टेलीग्राम	5,000
फिल्म कारपोरेशन	10,540	टाइपिस्ट व क्लर्क	12,000
अन्य निर्माताओं से प्राप्ति	50,450	परिचारक	10,000
किराया प्राप्त हुआ	8,000	प्राइवेट सेक्रेटरी	12,000
लाभांश प्राप्त हुआ	7,700	विदेशी दौरा	50,000
यूनिट ट्रस्ट से ब्याज	2,000	कार के खर्चे	18,460
विशेष प्रोग्राम	3,000	नगरपालिका कर (किराये)	800
लन्दन व न्यूयार्क में किये गये		नगरपालिका कर (रिहाइश)	1,000
प्रोग्रामों से प्राप्ति	1,00,000	आधिक्य	81,380
	1,90,640		1,90,640

यह मालूम हुआ है कि कार के खर्चों का एक चौथाई व्यक्तिगत इस्तैमाल से सम्बन्धित है। परिचारक घरेलू कार्यों के लिए नियुक्त किये गये हैं व श्रीमती सालूजा के व्यवसायिक क्रिया कलाप से इनका सम्बन्ध नहीं है। इन्हे 1965 में खरीदी गई कार को वेचने पर 10,000 रु० की हानि हुई।

Income from house property				
Let out house : Rent received		8,000		
Municipal taxes		800	7,200	
Self-occupied : Rental value		10,000		
Municipal taxes		1000		
		9,000		
Statutory allowance		4,500	4,500	
Annual value			11,700	
Less 1/6th for repairs			1,950	9.750
Income from the other sources				
Radio programmes		8,950		
Film corporation		10,540		
Other producers		50,450		
Dividends (gross)		10,000		
UTI interest		2,000		
Special programmes		3,000		
Receipts from tour		1,00,000	1,84,940	
Less expenses :				
Telephone telegrams		5,000		
Typist and clerk		12,000		
Private secretary		12,000		
Tour abroad		50,000		
Car expenses	18,460			
Less private use	4,615	13,845	92,845	9,2095
Gross Total income				1,01,845

Less deductions allowed :			
80 L : Dividends etc.	3,000		
Additional for UTI	2,000	5,000	
80 RR : 25 percent of the icome brought into Indian from foreign sources		12,500	17,500
Total Income			84,345

(5) श्री विजयनाथन म्यूजिक हाउस कारपोरेशन में प्रोग्राम डाइरेक्टर के पद पर 2,000 रु० मासिक वेतन पर कार्य करते हैं। इन्हें 500 रु० मासिक मँहगाई भत्ता मिलता है जिसे अवकाश ग्रहण व सुपरएनुएशन पर मिलने वाले लाभों की गणना के लिए जोड़ा जाता है। ये अपने वेतन का 12 प्रतिशत प्रा० फण्ड में अंशदान देते हैं, इतना ही अंशदान कारपोरेशन द्वारा प्रमाणिक प्रा० फ० में दिया जाता है इस फण्ड में 8% की दर से 1,000 रु० ब्याज स्वरूप जमा कर दिया जाता है। इन्हे 1953 से ही 8,000 रु० वार्षिक की दर से मनोरंजन भत्ता मिलता है जब इन्होंने नौकरी प्रारम्भ की थी। इन्हें किरायामुक्त सुसज्जित मकान मिलता है जिसके लिए 1,000 रु० मासिक का किराया कारपोरेशन द्वारा दिया जाता है तथा जिसको फर्नीचर युक्त बनाने के लिए 20,000 रु० व्यय किये जाते हैं। इसके अलावा श्री विजयनाथन को निम्नलिखित प्राप्तियाँ होती है :

(1)	टिसको के साधारण अंशों पर लाभांश	रु० 2,000
(2)	सहकारी समिति से लाभांश	रु० 500
(3)	यूनिट ट्रस्ट से यूनिटों पर ब्याज	रु० 4,000
(4)	घुड़दौड़ में जीत	रु० 8,000
(5)	पंजाब लाटरी से प्रथम पुरस्कार	रु० 1,00,000

इन्होंने ताश खेलने में 5,000 रु० हारे है। श्री विजयनाथन ने अपनी पुरानी कार को 6,000 रु० की हानि पर बेचा है। इसे 1963 में खरीदा गया था तथा जब से ही इसका इस्तैमाल पूरी तरह से निजी कार्यों के लिये ही किया गया है। आप कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए इनकी कुल आय निकालिए।

Salary

Basic salary		24,000	
Dearness pay		6,000	
Employers contribution to R. P. F. exceeding 10 per cent		600	
Interest credited to R. P. F. exceeding 6 per cent in rate		500	
Entertainment allowance		8,000	
Rent-free furnished house		11,680	
Gross salary		50,780	
Less Incidental expenses	3,500		
Entertainment allow.	4,800	8,300	42,480

Income from other sources			
Dividends : TISCO	2,000		
Co-operative society	500		
UTI	4,000		
	———	6,500	
Winnings in horse race		8,000	
Prize in Punjab Lottery		1,00,000	1,14,500
Gross Total Income			1,56,980
Deductions :			
u/s 80C : First Rs, 2,000	2,000		
Next Rs. 1,600 @ 50%	800	2,800	
u/s 80L : Dividends	2,500		
UTI	500		
	3,000		
Additional UTI dividends	2,000	5,000	
u/s 80TT : First Rs. 5,000	5,000		
50% of Rs. 95,000	47,500	52,500	60,300
Total Income			96,680

(6) नीचे दिया गया आय का विवरण श्री पी० एस० जोसेफ का है जो एक कम्पनी में मैनेजर हैं :—

(i) वेतन 2,000 रु० मासिक जिसमें से 10% अप्रमाणित प्रा० फ० के लिए काट लिया जाता है, इतना ही अंशदान कम्पनी द्वारा भी दिया जाता है। 500 रु० मासिक की दर से मँहगाई भत्ता भी इन्हें मिलता है।

(ii) 15 हार्स पावर की एक कार इन्हें आफिस व घरेलू कार्यों के लिये मिलती है, जिसके व्ययों के (निजी प्रयोग से सम्बन्धित) का भुगतान श्री जोसेफ करते हैं किन्तु ड्राइवर का व्यय कम्पनी देती है।

(iii) कम्पनी द्वारा इनके लिये 3,000 रु० का आयकर दिया जाता है।

(iv) बिजली भत्ता 100 रु० मासिक।

(v) कम्पनी द्वारा दिया गया पेशे सम्बन्धी कर रु० 2,000।

(iv) किरायामुक्त बंगला जिसका वार्षिक किराया मूल्य 5,800 रु० है।

(vii) जूट मिल के 100, 100 रु० के 250 अंशों पर 6% लाभांश मिला।

(viii) दीर्घकालीन पूँजी सम्पत्तियों से हानि 4,000 रु०।

(ix) डाकखाने के बचत खाते पर 750 रु० ब्याज। ये खाते इनके बच्चों के नाम में खुले हुये हैं।

(x) इन्हें कम्पनी से 3,500 रु० यात्रा भत्ता मिला है जिसमें से इन्होंने 2,300 रु० बचाये हैं।

(xi) इनका पुत्र एक इन्जीनियरिंग कालिज में विद्यार्थी है जिसको कम्पनी 250 रु० मासिक खर्चे के लिये देती है।

(xii) वर्ष में जीवन बीमा प्रीमियम के लिये के लिये 6,000 रु० दिये हैं।

(xiii) इन्होंने डाकखाने में संचयी जमा योजना के 10 वर्षीय खाते में 5,000 रु० जमा किये हैं व सार्वजनिक प्रा० फ० में 2,000 रु०।

(xiv) बीमा कम्पनी मे इन्हें बीमा व्यापार प्राप्त करने के लिये कमीशन मिला —प्रथम वर्ष का कमीशन 10,000 रु०; नवीनीकरण कमीशन 18,000 रु० ।

(xv) कर्नाटक लॉटरी का प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रु० ।

(xvi) पूना में घुड़दौड़ से हानि 30,000 रु० ।

आप इनकी कुल आय की गणना 1975-76 वर्ष के लिये कीजिए ।

---

1. Income from salary :				
a. Basic salary @ Rs. 2 000 p.m.				24,000
b. Dearness pay @ Rs. 500 p. m.				6,000
c. Free use of a car @ Rs. 250. p. m. (150+100)				3,000
d. Income-tax paid by the Co.				3,000
e. Electricity allowance @ Rs. 100 p. m.				1,200
f. Profession tax paid by the Co.				2,000
g. Education expenses of his son				3,000
h. Travelling allowance saved				2,300
i. Rent-free bungalow : 10% of Rs. 41,500 (24,000+6,000+3,000+1,200+2,000+3,000+2,300) 4,150 or Annual letting value 5,800 whichever is lower				4,150
				48,650
Less incidental expenses restricted to			1,000	47,650
a. 6% dividend on 250 shares of Rs. 100 each			1,500	
b. Insurance Commission		28,000		
Less expenses :				
40% of Rs. 10,000	4,000			
15% of Rs. 18,000	2,700	6,700	21,300	
c. Karnatak Lottery first prize			1,00,000	1,22,800
Gross Total Income				1,70,450
Deductions :—				
a. u/s 80 C : First Rs. 2,000		2,000		
50% of Rs. 3.000		1,500		
40% of Rs. 8.000		3,200	6,700	
b. u/s 80 L : Dividends etc.			1,500	
c. u/s 80 TT : Lottery winnings				
First		Rs. 5,000		
50% of Rs. 95,000		Rs. 47,500	52,500	60,700
Total Income				1,09,750

Qualifying amount:

i) Life insurance premium	6,000
ii) Deposits in a 15 year account C.T.D. in a post-office	5,000
iii) Contribution to Public Provident Fund	2,000
	13,000

Notes : 1. No relief is available in respect of the employee's contribution to unrecognised provident fund, and the contribution is to be ignored.

2. Since the amount of loss from capital gains does not exceed Rs. 5,000 the assessee is not entitled to carry it forward to the next year and set off. It is assumed to be a long term capital loss.

3. Interest on Postal Savings Bank Deposits is totally exempt.

4. Dearness pay is not dearness allowance and so it is included in salary for house rent allowance.

5. Income-tax paid by the employer forms part of the salary.

6. Electricity allowances and profession tax should also be taken into account for determining the value of rent-free house. The use of a car is not an allowance and so is not taken into account for determining the value of rent free accommodation. *C. I. T. v. C.W. Steel [1972] 86 I. T. R. 821.*

7. Loss from horse race could not be set off as there were no profits under that head. There is also no provision to carry forward the loss.

(7) निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार हल करेंगे :

(अ) एक कर-निर्धारण में आयकर अधिकारी यह चाहता है कि वह करदाता के अपने निजी व्यापार से हुई हानि को उसे अनरजिस्टर्ड फर्म से मिलने वाले अपने हिस्से के लाभ से पूरा कर दे। करदाता को यह स्वीकार्य नहीं है।

(ब) करदाता बीमा एजेन्ट है तथा वह यह चाहता है कि उसके द्वारा प्राप्त किये गये बीमा व्यवसाय पर पहले वर्ष का कमीशन पूरी तरह से खर्चों के रूप में स्वीकार कर लिया जावे। आयकर अधिकारी इससे असहमत है।

(अ) अपने निजी व्यापार की हानि को अनरजिस्टर्ड फर्म के करदाता के हिस्से के लाभ से पूरा नहीं किया जा सकता। चूँकि अनरजिस्टर्ड फर्म का लाभ करदाता साझीदार के हाथों में करयोग्य नहीं होता, उसे केवल आयकर की दरों के लिए जोड़ा जाता है अतः ऐसी हानि को अन्य आयों से पूरा करना चाहिए। इसके बाद भी यदि हानि रहती है तो इसे पूरा करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है।

(ब) बीमा एजेन्ट ने यदि अपने खर्चों का विवरण नहीं रखा है तो इनके लिये निम्नलिखित कटौती स्वीकार की गई है :

(i) प्रथम वर्ष के कमीशन का 40% तथा नवीनीकरण कमीशन का 15%।

(ii) कमीशन की धनराशि यदि अलग अलग मालूम नहीं है तो सम्पूर्ण कमीशन का 25% खर्च के लिये स्वीकृत होता है।

यह कटौती 20,000 रु० के कमीशन तक अधिकतम 6,000 रु० हो सकती है तथा कमीशन की प्राप्ति अधिक होने पर कटौती की राशि 10,000 रु० तक हो सकती है बशर्ते कि इतनी अधिक कटौती के लिये न्यायोचित कारण हों। नियमित हिसाब किताब रखने पर कितने भी खर्च स्वीकृत हो सकते हैं।

(8) श्री विशनलाल ने 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये अपनी लाभ हानि खाते को इस प्रकार लिखा है, आप इनके व्यापार की करयोग्य आय एवं कुल आय की गणना कीजिए :

	रु०		रु०
आफिस वेतन	4,800	सकल लाभ	35,672
सामान्य व्यय	1,200	कटौती	751
बुरे ऋण अपलिखित हुये	2,100	कमीशन	1,205
बुरे ऋण के लिये संचय	3,000	बुरे अपलिखित ऋणों की वसूली	150
अग्नि बीमा प्रीमियम	450	5% सरकारी बॉण्ड पर ब्याज	2,500
विज्ञापन व्यय	2,500	विनियोगों की बिक्री पर लाभ	3,000
आयकर	2,375	विविध प्राप्तियाँ	52

कार बेचने पर हानि		1,200	
पूँजी पर ब्याज		1,000	
बैंक ऋण पर ब्याज		1,550	
दान		150	
व्यापार भवन की अग्नि दाह से हानि		1,500	
ह्रास : इमारत	1,000		
फर्नीचर	200	1,200	
शुद्ध लाभ		20,305	
		43,330	43,330

मोटरकार का इस्तैमाल व्यापार व निजी उपयोग दोनों के लिये बराबर हुआ है। अपलिखित मूल्य के आधार पर भवन व फर्नीचर पर स्वीकृत ह्रास क्रमशः 800 रु० व 150 रु० है। विज्ञापन में 1,700 रु० एक विशेष विज्ञापन अभियान से सम्बन्धित हैं जिसे एक नये उत्पादन को वेचने के सिलसिले में चालू किया गया था।

		Rs.
Profit as per P & L a/c		20,305
Add Inadmissible expenses :		
Reserve for bad debts	Rs. 3,000	
Income-tax	2,375	
Interest on capital	1,000	
Charity	150	
Excess depreciation	250	
Expenses (special advertising company)	1,700	
½ of loss on sale of motor car	600	9,075
		29,380
Less Incomes to be shown separately :—		
Interest on Govt. Bonds	2,500	
Profit on sale of Investments	3,000	5,500
Profits from business		23.880

Computation of Total Income

1. Interest on securities		2,500
2. Profit from business		23,880
3. Long-term capital gains		3,000
Gross Total Income		29,380
Less Deduction u/s 80L Dividend etc.	2,500	
Deduction u/s 80T	3,000	5,500
Total Income		23,880

(9) श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, जो एक वकील हैं, कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिये अपना आय व व्यय का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं :

	रु०		रु०
घरेलू व्यय	7,000	कानूनी शुल्क	30,000
आफिस व्यय	5,000	पेशेवर कमीशन की नियुक्ति से आय	5,000
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान	1,500	घुड़दौड़ में लाभ	3,000
दान	400	अंशों पर लाभांश	2,000
अंशों के बेचने पर हानि	1,300	सरकारी प्रतिभूतियों की	
आयकर	600	विक्री पर लाभ	1,000
अनरजिस्टर्ड फर्म से हानि	700		
एक विकलांग क्लर्क को ग्रेच्यूटी	500	रजिस्टर्ड फर्म से आधा लाभ	4,400
शुद्ध आय	31,600	पेशगी पर व्याज	500
		एक मुवक्किल से उपहार	600
		बैंक व्याज	500
		12 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्रों पर व्याज	400
		संचालक शुल्क	500
		सहकारी समिति से लाभांश	700
	48,600		48,600

श्री गुप्त संसद के सदस्य है, व उन्हें 500 रु० मासिक वेतन मिलता है। वर्ष में उन्होंने 3,000 रु० का दैनिक भत्ता प्राप्त किया है। उन्होंने वेतन में से 2,000 रु० आफिस खर्चों के काटने का प्रस्ताव किया है। गतवर्ष में उनका रिहाइशी मकान जल कर समाप्त हो गया जिसे उन्होंने 1962 में 80,000 रु० मूल्य पर खरीदा था। श्री गुप्ता ने कुछ अंशों को वेचा है जिससे उन्हें गतवर्ष में 50,000 रु० का दीर्घकालीन पूँजीलाभ हुआ है। उनकी कुल आय निकालिये।

		Rs.	Rs.
1. Profits and gains of business and professions :			
(a) Share of Profit in a registered firm		4,400	
(b) Legal fees		30,000	
(c) Special commission from profession		5,000	
		39,400	
Less Office expenses		5,000	34,400
2. Capital gains :			
Profit on sale of securities		1,000	
Profit on sale of shares		50,000	
		51,000	
Loss on sale of shares		1,300	49,700
3. Income from other sources :			
(i) Dividends on shares		2,000	
(ii) Interest on advance		500	
(iii) Bank Interest		500	
(iv) Director's fees		500	
(v) Dividends from a co-operative society		700	
(vi) Salary as M. P.	6,000		
Less Office expenses	2,000	4,000	
(vii) Gain on race course		3,000	11,200
Gross total income			95,300

Less deductions :

a. Donations (55% of Rs. 1,500)		825	
b. Dividends u/s 80L (2,000+500+700) not exceeding		3,000	
c. Long-term capital gains u/s 80T			
First Rs. 5,000	5,000		
45% of Rs. 44,700	20,115	25,115	28,940
Total Income			66,360

(10) 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री राजकुमार ने अपनी आय से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है।

(i) इन्हें गतवर्ष 1974-75 में व्यापार से 7,500 रु० का लाभ होता है।

(ii) श्री राजकुमार एक साझेदारी फर्म में अपनी पत्नी के साथ साझेदार हैं। फर्म रजिस्टर्ड है जिसका वर्ष भर का लाभ आयकर को घटा कर) 30,000 रु० है। पति पत्नी दोनों बराबर के साझेदार हैं, यद्यपि सम्पूर्ण श्री राजकुमार द्वारा लगाई गई है।

(iii) श्री राजकुमार एक अवस्थापन-पत्र (deed of Settlement) के हस्ताक्षरी है जिसकी आय पत्नी के जीवनकाल में पत्नी को ही मिलेगी। इस स्रोत से वर्ष में 20,000 रु० की आय होती है।

(iv) श्री राजकुमार ने एक दूसरा बन्दोबस्त किया है जिसकी आय उनके तीन अवयस्क बच्चों में समान रूप से बाँटी जायेगी। इन बच्चों में एक विवाहित पुत्री भी है। इस बन्दोबस्त की वार्षिक आय 60,000 रु० है।

(v) हिन्दू अविभाजित परिवार से इन्हें 75,000 रु० की आय प्राप्त होती है।

(vi) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 2,000 रु०।

(vii) पोल्ट्री फार्मिंग से लाभ 15,000 रु०।

(viii) कर-अवकाश छूट से सम्बन्धित लाभ में से मिला लाभांश 5,000 रु०।

(ix) माइको लि० से सकल लाभांश 3,000 रु०।

(x) यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों से ब्याज 2,500 रु०।

(xi) ताश खेलने में लाभ 1,500 रु०।

(xii) क्रासवर्ड प्रतियोगिता में इनाम 12,000 रु०।

(xiii) बीमा एजेन्सी कमीशन 10,000 रु०।

श्री राजकुमार ने वर्ष में 10,000 रु० जीवन बीमा प्रीमियम के दिये हैं जो उनकी पत्नी एवं उनके अवयस्क बच्चों से सम्बन्धित हैं। इन्होंने पोस्ट आफिस के 15 वर्षीय संचयी जमा योजना खाते में 5,000 रु० जमा किये हैं।

			Rs.
1 Interest on tax-free securities			2,000
2 Profit from business :			
i) Own business	7,500		
ii) Share from the registered firm	15,000		22,500
3 Income from other sources :			
a. Wife's share from the firm		15,000	
b. Income from settlement (wife)		20,000	

c. Income from settlement (minor children excluding married daughter)		40,000	
d. Dividends attributable to tax holiday		5,000	
e. Dividends from MICO Ltd.		3,000	
f. Interest from UTI on units		2,500	
g. Card game winning		1,500	
h. Crossword puzzles prize		12,000	
i. Insurance agency commission	10,000		
Less expenses @ 25%	2,500	7,500	1,06,500
Gross Total Income			1,31,000
Deductions :			
(1) Sec. 80C : First Rs. 2,000	2,000		
50% of Rs. 3,000	1,500		
40% of Rs. 10,000	4,000	7,500	
(2) Sec. 80K : Dividends from tax holiday profits		5,000	
(3) Sec. 80L : Dividends from MICO	3,000		
Additional deduction for Units	2,000	5,000	17,500
Total Income			1,13,500

Qualifying amount

	Rs.
i) Life Insurance Premium	10,000
ii) Deposit in C.T.D. in Post Office	5,000
	15,000

अभ्यासार्थ प्रश्न

(1) उन परिस्थितियों को लिखिये जब पत्नी अथवा अवयस्क बच्चे को होने वाली आय करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाती है।

(2) उन सभी शीर्षकों को विस्तार से लिखिये जिनके अन्तर्गत किसी भी करदाता की कुल आय की गणना की जाती है।

(3) आयकर की दृष्टि से निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :

a. आकस्मिक आय b. भवन सम्पत्ति का वार्षिक मूल्य

c. ह्रास d. पत्नी की आय।

(4) क्या निम्नलिखित पर भारत में आयकर लगाया जा सकता है ?

a. भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिक को विदेश में सेवा के लिए दिया जाने वाला वेतन।

b. 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय यदि इसे भारत में उपार्जित किया गया है।

c. भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर दिया गया लाभांश।

d. भारत में स्थापित किसी व्यापारिक सम्बन्ध से हुए लाभ।

(5) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कर की छूट पर प्रकाश डालिए :

a. भारत सरकार द्वारा निर्गमित कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज।

b. अनरजिस्टर्ड फर्म से एक साझीदार को मिला लाभ।

c. नेशनल प्लान सर्टीफिकेटों पर ब्याज।

d. ग्रेच्यूटी

(6) निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए :

a. ऐसे व्यवहार जो 'हस्तान्तरण' नहीं है ;

b. अनुलाभ ;

c. भारत में निवास ;

d. अपलिखित मूल्य ।

PRACTICAL QUESTIONS

1 From the following particulars determine the income on which tax is payable by Shri R. P. Sayal for the year ended March 31, 1975 :

a Salary Rs. 600 p.m. Contribution to Recognised Provident Fund by the employer Rs. 800 the employee contributing an equal amount. Interest on Provident Fund @ 5% Rs. 500.

b Investments : Rs. 10,000 in 8% Preference Shares of a Company Rs. 4,000 in 4% tax free Government Securities. Rs. 5,000 in 4% Govern ment Loan. Rs. 4.000 in the Post Office Savings Bank. interest on which is 5% p. a.

c. Income from unregistered firm Rs. 4,800 being half share.

d. He lives in his own house, the municipal valuation of which is Rs. 3 000 and which is subject to municipal taxes of Rs 300 per year.

e. He pays life insurance premium of Rs. 2,500 on a policy on the life of his wife for Rs. 20,000.

2. K. an individual resident in India, owns certain lands in Andhra on which tobacco leaves are grown by him. These lands are assessed to land revenue in India. The tobacco leaves grown thereon are dried and sold in the market by B He derived a net profit of Rs. 15,000 during the year ended 31st March by sale of such dried tobacco leaves

State how this profit would be dealt with in B's income-tax assessment for the relevant assessment year. Give reasons.

3. From the following particulars find out the income-tax payable by Mr. P. :

a) Salary of Rs. 900 p. m;

b) Profits from an unregistered firm representing half share-Rs. 1,800

c) Director's fees—Rs. 1,200.

d) Interest on Bank deposit—Rs. 460;

e) P has won a cash prize in a lottery—Rs. 2,000.

f. 6% Dividend from A Co. Ltd.—Rs. 6,000.

g) Income from 5% Republic Bonds—Rs. 2.000;

h) P pays life premium—Rs. 4,000 yearly. (Delhi B. Com. 1962)

4. From the following particulars of Mr. Tyabjee find out the tax payable by him :

a) 5% dividend on Rs. 16,000 shares in the Steel Equipment Co. Ltd.;
b) 6% (free of tax) dividend on Rs. 3,000 shares as the Mining Syndicate Ltd.;
c) 5% interest on Rs. 24,000 Government Bonds issued free of tax;
d) 6% interest on Municipal Debentures of Rs. 15,000;
e) Rs. 200 interest on a Post Office Savings Bank Deposit;
f) Rs. 500 interest on fixed deposits with the United Bank of India Ltd.;
g) He is employed in a factory getting a salary of Rs. 500 per month plus 10% as D. A. He contributes 5% to his provident fund (recognised). He gets free quarter, the rental value of which is Rs. 650. (Delhi B. Com. 1960)

5. Shri X works as the director of a Mill Company at Calcutta. He has furnished you the following particulars :

i. Salary—Rs. 30,000,
ii. Directors meeting fee—Rs. 1,000.
iii. Company's contribution to Recognised Provident Fund—Rs. 4,000.
iv. Interest on Provident Fund at 6%—Rs. 12,000.
v. His contribution to Provident fund out of his Salary given in (i) above—Rs. 4,000.
vi. Life Insurance premium on his own policy of Rs. 1,00,000—Rs. 6,000.
vii. He has been provided with unfurnished rent free accommodation, for which the company pays yearly rent of Rs. 2,000.

You have to work out the total income of Mr X, giving brief reasons for the inclusion of the different items. Also indicate the items and the extent of rebate due to Mr. X.

6. Mr. A is the Managing Director of a private limited company. From the following particulars furnished by him, compute the total Income of Mr. A.

i.	Salary from the Company	24,000
ii.	Dividend Gross	6,000
iii.	Sitting Fee	500
iv.	Company's contribution to a Recognised Provident Fund	. ,400
v.	Interest allowed on Provident Fund at 6% per annum	3,000
vi.	Mr. A contributed to the P. F.	2,400
vii.	Conveyance allowance received from the company (The car belonged to him)	2,500
viii.	Medical expenses of Mr. A paid by Company	2,000
ix.	The Company provided a furnished rent free bungalow. The Municipal valuation of the bungalow is	6,500
x.	Life Insurance Premia paid by Mr. A on the life of his wife	5,000

The reason of inclusion or exclusion of the different items should be briefly indicated.

7. The following are the particulars of the income of a University professor during the year ending 31 March ... ..

a. Salary Rs. 1.200 per month from which 8% is deducted for provident fund to which the university contributes 12 percent.
b. Rent free bungalow of the annual letting value of Rs. 960.
c, Wardenship allowance Rs. 1,200 per annum
d. 4% tax free interest on Government Loan of Rs. 5,000.
e. Income from house property Rs. 1,800.
f Interest on postal savings banks deposit Rs. 300.
g. Royalty from books Rs. 2,500
h Examinership remuneration Rs. 3,500
i. Amount received on Prize Bonds Rs. 500

During the year he paid Rs. 2,400 as life insurance premium on his own policies and spent Rs 600 on books purchased for his own use

Find out his total income and exempted income.

8. Shri Goswami is employed in a business office at Rs. 600 p. m. He owns Rs. 30,000 5% Government tax free securities. He owns a big house, the municipal valuation of which is Rs. 1.200. He has let out one-half of the house at Rs. 75 p. m. and the remaining half is occupied by him for his own residence. The house has been given on mortgage to meet the expenses of his daughter's marriage. The interest on mortgage amounted to Rs. 400 per annum and the local taxes paid in respect of the house amounted to Rs. 200.

Find the taxable income of Shri Goswami.

9. The following are the particulars of the income of a professor of Lucknow University during the the year ending 31st March, 1975 :

(a) Salary Rs 1,200 per month from which 8% is deducted for provident fund to which the University contributes 12%.
(b) Rent-free bungalow of the annual letting value of Rs. 960.
(c) Wardenship allowance of Rs. 1.200 per annum.
(d) Dearness allowance of Rs. 1,500 per annum.
(e) Interest on postal savings bank deposit Rs. 300.
(f) Royalty from books Rs. 2,500.
(g) Examinership remuneration Rs. 3,500.

During the year he paid Rs. 2,400 as life insurance premium on his own policies and spent Rs. 600 on books purchased for his own use. Find out his total income.

हिन्दू अविभाजित परिवार 16

(HINDUUNDIVIDED FAMILIES)

आयकर अधिनियम में परिभाषित करदाताओं के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित परिवार दूसरे स्थान पर आता है अर्थात् इसका एक पृथक स्वत्व है व इसे भी व्यक्ति की तरह अपनी आय पर प्रगतिशील दरों से आयकर देना होता है। कर निर्धारण के समय यह ध्यान नहीं रखा जाता कि परिवार की आय का विभाजन इसके सदस्यों के बीच में किस प्रकार होता है। इसका कारण यह है कि हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों के हाथ में परिवार से मिली आय करयोग्य नहीं है। आयकर के उद्देश्य से जैन व सिख परिवार भी हिन्दू परिवारों के अन्तर्गत आते हैं।

हिन्दू विधि में संयुक्त परिवार : हिन्दू विधि के अनुसार संयुक्त परिवार में किसी एक ही पूर्वज के वंशज रहते हैं जो उससे कितनी भी दूर हो सकते हैं। इसमें विधवा व अविवाहित पुत्रियाँ भी शामिल रहती हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो हिन्दू धर्म में आस्था रखता है तथा जो अपने ही पूर्वज के वंशजों के साथ सम्मिलित रूप से रहता है हिन्दू संयुक्त परिवार के अन्तर्गत आता है।

हिन्दू विधि के सम्प्रदाय

हिन्दू विधि के अनुसार हिन्दू परिवारों के नियन्त्रण से सम्बन्धित दो प्रमुख सम्प्रदाय है—मिताक्षरा एव दायभाग।

(1) **मिताक्षरा :** यह सम्प्रदाय सारे भारत में प्रचलित है केवल बंगाल को छोड़कर। इसके अन्तर्गत पुत्र का जन्म होते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों से प्राप्त सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त होता है। उसे परिवार के विभाजन की माँग का भी पूरा अधिकार है। यही कारण है कि परिवार की सम्पत्ति में परिवार के सदस्यो का हित सदैव ही अनिश्चित रहता है, क्योंकि प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु पर इन हितों में परिवर्तन अवश्यम्भावी है।

(2) **दायभाग :** यह सम्प्रदाय केवल बंगाल में ही प्रचलित है। इसके अन्तर्गत पुत्र को अपने जन्म पर किसी भी प्रकार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। पैतृक सम्पत्ति पिता के जीवन काल में उन्हीं के पूर्ण स्वामित्व व अधिकार में रहती है। पुत्र को इस सम्पत्ति में किसी भी अधिकार की प्राप्ति पिता की मृत्यु पर ही होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में यह अधिकार पूर्व नियोजित अनुपात में मिलता है समान रूप से नहीं। चूँकि सम्पत्ति में किसी भी अन्य सदस्य को कोई अधिकार नहीं होता अत: पिता ही पूर्ण स्वामी होते हैं तथा उन्हें व्यक्ति की हैसियत से आयकर देना पड़ता है।

उदाहरण

(1) श्री केशवदेव के पास व्यापार एव भवन सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति के रूप में है उसके तीन पुत्र हैं। मिताक्षरा सम्प्रदाय के अन्तर्गत इन सभी का इस सम्पत्ति में

बराबर का अधिकार होगा। अन्य शब्दों में यदि सम्पत्ति का विभाजन हो तो इन चारों को इसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा। जहाँ तक श्री केशवदेव द्वारा अर्जित की गई अपनी निजी सम्पत्ति का प्रश्न है वे इसके स्वयं स्वामी होंगे तथा तीनों ही पुत्रों को इसमें कोई अधिकार नहीं होगा।

दूसरी ओर यदि यही परिवार दायभाग सम्प्रदाय के अन्तर्गत आता है तो श्री केशवदेव अपनी निजी सम्पत्ति के साथ पैतृक सम्पत्ति के भी पूर्ण स्वामी होंगे तथा इनके पुत्रों को इनके जीवन काल में इस सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होगा अतः सम्पत्ति के विभाजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। केशवदेव की मृत्यु पर ही ये पुत्र सम्पत्ति के अधिकारी होंगे तथा उस समय ही इन्हें अविभाजित हिन्दू परिवार का दर्जा प्राप्त होगा।

सहभागिता : हिन्दू सहभागिता संयुक्त परिवार से संकीर्ण निकाय है इसमें केवल वे व्यक्ति रहते हैं जिन्हें परिवार की पैतृक सम्पत्ति में जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो जाता है इनमें पुत्र, पौत्र एव प्रपौत्र आते हैं। यही वे व्यक्ति हैं जो परिवार के विभाजन की माँग के अधिकारी होते है।

हिन्दू अविभाजित परिवार : 'हिन्दू अविभाजित परिवार' शब्दावलि का प्रयोग आयकर अधिनियम में हुआ है अतः इसके विशेष अर्थ हैं। हिन्दू अविभाजित परिवार में समान सम्पत्ति का होना आवश्यक है, यह सम्पत्ति पैतृक भी हो सकती है अथवा परिवार के सहभागियों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति भी परिवार की समान सम्पत्ति में हस्तान्तरित की जा सकती है। यह कथन कि अविभाजित हिन्दू परिवार की मान्यता के लिए कम से कम दो पुरुष सदस्यों का होना आवश्यक है, निराधार है। किन्तु यह आवश्यक है कि परिवार केवल एक व्यक्ति से ही नहीं बन सकता। परिवार में एक से अधिक सदस्य होने चाहिए जो पुरुष हो सकते हैं अथवा महिला भी।

परिवार की सम्पत्ति : हिन्दू सम्मिलित परिवार को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार की मान्यता तभी मिलती है जबकि परिवार के पास ऐसी सम्पत्ति हो जिसका उपयोग सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो। इसका स्वामित्व भी सम्मिलित रूप से परिवार के पास होना चाहिए। ऐसी सम्पत्ति में निम्न-लिखित तीन प्रकार की सम्पत्तियाँ आती है।

1. पूर्वजों से मिली हुई सम्पत्ति जो एक व्यक्ति को अपने प्रत्यक्ष व सीधे पुरुष पूर्वज से प्राप्त होती है तथा उसके द्वारा अन्य सहभागियों के साथ रखी जाती है। सम्पत्ति यदि अपने सीधे पूर्वज से प्राप्त न होकर किसी अन्य रिश्तेदार से प्राप्त होती है जैसे चाचा, भतीजा, मौसा आदि, तो वह इस श्रेणी में नहीं आती।

2. पूर्वजों से प्राप्त हुई उपर्युक्त (1) वर्णित सम्पत्ति की सहायता से प्राप्त की गई अन्य सम्पत्ति। उदाहरण के लिए पूर्वजों से प्राप्त मकान के किराये से खरीदे गये विनियोग आदि भी परिवार की सम्पत्ति मानी जाती है।

3. परिवार के सहभागियों द्वारा उपार्जित उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति जो उन्होंने परिवार को साधारण सम्पत्ति में ही मिला दी हो। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि सदस्य ने बड़े स्पष्ट रूप से अपनी स्वयं उपार्जित सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति में मिलाने का ऐसा व्यवहार किया है जिससे कोई शक व सन्देह नहीं रह जाता। एक निर्णय में यह तय किया गया है कि यदि हिन्दू परिवार का कोई सदस्य अपनी उपार्जित

सम्पत्ति परिवार को हस्तान्तरित करता है तो इस पर उपहार कर नहीं लगाना चाहिये। केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विभाग के लिये दी गई सूचनाओं के अनुसार सदस्य एक शपथपत्र द्वारा ही अपनी स्वयं उपार्जित की गई सम्पत्ति परिवार की सम्मिलित सम्पत्ति मे मिला सकता है। इस सम्बन्ध में अन्यत्र दी गई धारा 64 (2) को ध्यान में रखना चाहिये।

हिन्दू अविभाजित परिवार व फर्म

हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य कभी भी साझेदार नहीं हो सकते क्योंकि साझेदारों के परस्पर कर्तव्य व अधिकारों का निर्णय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा होता है जबकि हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों के अधिकार व कर्तव्यों का निर्धारण हिन्दू विधि के अनुसार होता है। केवल एक समानता इन दोनों सगठनों मे है, वह यह कि दोनों के अन्तर्गत ही सभी सदस्य आपस में मिलकर व्यापार संचालन करते है। शेष सभी बातों में दोनों में कोई समानता नहीं है।

1. साझेदारी फर्म में किसी साझेदार के हित का निर्धारण व निर्णय आपसी प्रसंविदे के द्वारा होता है जबकि पारिवारिक व्यापार में प्रसंविदे को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति परिवार के सदस्यों को उत्तराधिकार नियमों के अन्तर्गत प्राप्त हो जाती है।

2. किसी भी साझेदार की मृत्यु होने पर साझेदारी फर्म का विघटन कर दिया जाता है किन्तु परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर पारिवारिक व्यापार के विघटन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

3. किसी साझेदार के दिवालिया होने पर वह फर्म का सदस्य नही रहता किन्तु परिवार के सदस्य के दिवालिया होने पर उसकी सदस्यता समाप्त नहीं हो सकती।

4. साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत सभी साझेदारों का यह कर्तव्य है कि वे परिश्रम पूर्वक कार्य करें तथा फर्म की सभी पुस्तकों का निरीक्षण आदि करने का अधिकार भी उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किया गया है किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नही होता।

5. साझेदारी फर्म में एक नवीन साझेदार को तभी प्रवेश दिया जा सकता है जबकि फर्म के सभी साझेदार इसके लिए सहमत हों किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार की सदस्यता परिवार में बच्चे के जन्म पर उसे स्वतः ही मिल जाती है।

6. साझेदारी फर्म में साझेदारों के लाभ-हानि का अनुपात पूर्व निर्धारित रहता है तथा इसमें परिवर्तन तभी हो सकता है जबकि यह सभी इस सम्बन्ध में एकमत हों। किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों का लाभ हानि अनुपात उस परिवार में होने वाले प्रत्येक जन्म व मृत्यु पर परिवार होता रहता है।

7. साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित सख्या 20 है किन्तु परिवार के सदस्यो की संख्या पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

8. साझेदारी फर्म के सदस्यों का दायित्व परिवार में उनके हिस्से की सम्पत्ति तक ही सीमित रहता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार को हस्तान्तरित की गई सम्पत्ति [64(2)] : इस धारा के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि अविभाजित परिवार का कोई सदस्य यदि अपनी स्वयं की उपार्जित निजी सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति में मिलाता है व हस्तान्तरण करता है तो यह माना जायेगा कि उसने वह सम्पत्ति परिवार के सदस्यों

को हस्तान्तरित की है जिसमें वह स्वयं व उसकी पत्नी और बच्चे सभी शामिल है। ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति की वह आय जो हस्तान्तरक के हिस्से से सम्बन्धित है, उसकी अपनी आय मानी जायेगी व उसी के हाथों में करयोग्य होगी, परिवार के हाथों में नहीं। हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय का वह भाग जो हस्तान्तरक की पत्नी व अवयस्क पुत्रों के हिस्से से सम्बन्धित है, हस्तान्तरक के हाथों में धारा 64 (1) (iii) व (iv) के अनुसार करयोग्य होगा।

उदाहरण

(2) श्री नायडू अपनी निजी सम्पत्ति को परिवार की सम्पत्ति में मिलाते है जिनसे 1,00,000 रु० वार्षिक की आय होती है। परिवार में श्री नायडू, उनकी पत्नी, एक अवयस्क पुत्र एवं दो वयस्क पुत्र हैं। अर्थात् परिवार की सम्पत्ति से इन सभी को समान रूप से 1/5 भाग मिलेगा। अत: 1,00,000 रु० का 1/5 अथवा 20,000 रु० इनकी अपनी आय मानी जायेगी। पत्नी के 20,000 तथा अवयस्क पुत्र के 20,000 रु० भी श्री नायडू के हाथों मे क्रमश: 64 (1) (iii) व (iv) के अन्तर्गत करयोग्य होंगे। शेष 40,000 रु० पर दोनों वयस्क पुत्रों को आयकर देना पड़ेगा।

हिन्दू परिवार का निवास स्थान

निवासी—आयकर अधिनियम की धारा 6 (2) के अनुसार एक हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष में भारत में निवासी होगा यदि इसका नियन्त्रण व प्रबन्ध इस वर्ष में पूर्णतया भारत के बाहर न रहा हो अर्थात् यदि परिवार के नियन्त्रण व प्रबन्ध का कुछ भी अंश गतवर्ष में भारत में विद्यमान है तो यह परिवार इस गतवर्ष के लिये अवश्य ही निवासी होगा। नियन्त्रण व प्रबन्ध से आशय वास्तविक नियन्त्रण से है जहाँ से व्यापार के संचालन सम्बन्धी आवश्यक निर्देश दिये जाते हों तथा नीति निर्धारित होती हो। यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार वहीं से चलता है।

असाधारण निवासी—धारा 6 (6) (ब) के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार गतवर्ष के लिए असाधारण निवासी माना जायेगा यदि उसका कर्त्ता गतवर्ष से पहले के 10 वर्षों में 9 वर्षों से कम भारत में निवासी रहा है : अथवा

वह गतवर्ष से पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिनों से कम भारत में रहा है।

परिवार के यदि एक से अधिक कर्त्ता रहे हैं तो निवासी अथवा असाधारण निवासी का पता लगाने के लिए सभी मैनेजरों के भारत में रहने की अवधि जोड़ ली जाती है।

उदाहरण

(3) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्त्ता अपनी व पत्नी बच्चों के साथ बहुत वर्षों से श्रीलंका में रहता था तथा परिवार के व्यापार की देखभाल वही करता था। परिवार के पास अचल सम्पत्ति तथा कुछ विनियोग भारत में थे जिनकी देखभाल एक क्लर्क द्वारा की जाती थी। मदुराई के मकान में करदाता की माँ रहती थी तथा करदाता जब भी भारत आता था अपनी माँ के साथ इसी मकान में ठहरता था। गतवर्ष 1972-73 में करदाता सात बार भारत में आया तथा उसने कुल मिलाकर 101 दिन यहाँ निवास किया। अपने इस निवास के दौरान उसने अपने भूमि सम्बन्धी मुकद्दमों व परिवार की आयकर सम्बन्धी अपील की पैरवी की। आप बताइये कि क्या करदाता कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिये भारत में निवासी है ?

इस मामले में यह निर्णय किया गया है कि परिवार के नियन्त्रण व प्रबन्धक का पूरा-पूरा अधिकार कर्त्ता के पास था तथा जब वह भारत आया तो भी यह अधिकार उसी के पास केन्द्रित रहा। उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान परिवार के कार्यों का देखा व इस प्रकार हम यह नही कह सकते कि परिवार का प्रबन्ध व नियन्त्रण पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित था। अतः आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत यह परिवार भारत में निवासी करदाता है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण

1. हिन्दू अविभाजित परिवार का अपना अलग स्वत्व है तथा उसका कर निर्धारण अलग से सम्पन्न होता है।

2. किसी परिवार का कर निर्धारण यदि एक बार हो चुका है तो उसका कर-निर्धारण इसी प्रकार होता रहेगा जब तक कि धारा 171 के अनुसार आयकर अधिकारी द्वारा इसका विभाजन स्वीकार न कर लिया गया हो।

हिन्दू अविभाजित परिवार व धारा 80C

धारा 80 C के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त रकमों जैसे बीमा प्रीमियम आदि के लिये अधिकतम सीमा 30,000 रु० अथवा कुल सकल आय का 30 प्रतिशत (जो भी कम हो) निर्धारित की गई है।

हिन्दू अविभाजित परिवार व वित्त अधिनियम 1975

इस अधिनियम के अनुसार व्यक्ति व हिन्दू अविभाजित परिवार को कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 में तभी आयकर देना होगा जबकि उनकी कुल आय 6,000 रु० से अधिक हो। कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 से यह सीमा बढ़ा कर 8,000 रु० कर दी गई है।

आयकर की गणना के लिये इन परिवारों को दो वर्गों में रखा गया है, एक, वे परिवार जिनके किसी भी सदस्य की अपनी व्यक्तिगत कुल आय 6,000 रु० से अधिक नही हैं। दूसरे वे जिनके एक अथवा एक से अधिक सदस्य ऐसे हैं जिनकी अपनी कुल आय 6,000 रु० से अधिक है। इनमें से पहले की तरह के परिवार को व्यक्ति पर लागू होने वाली दरों से ही आयकर देना पड़ता है। दूसरे वर्ग के परिवार के लिये एक विशेष दर सूची बनाई गई है जिसके अनुसार आय के विभिन्न टुकड़ों पर लागू होने वाली दरें साधारण दरों से एक स्थान अधिक है। उदाहरण के लिये दर तालिका का एक अंश प्रस्तुत है।

कुल आय	आयकर की दरें	
	प्रथम वर्ग व व्यक्ति	द्वितीय वर्ग
प्रथम 6,000 रु० पर	कुछ नही	कुछ नहीं
अगले 4,000 रु० पर	12%	15%
अगले 5,000 रु० पर	15%	20%
अगले 5,000 रु० पर	20%	30%
अगले 5,000 रु० पर	30%	40%

दरों की पूरी सूची 'आयकर की गणना' में देखिये।

सरचार्ज की दर दोनों ही प्रकार के परिवारों के लिये आयकर का 10 प्रतिशत है।

स्त्रीधन--हिन्दू स्त्री को अपने पिता, पति अथवा किसी रिश्तेदार आदि से मिली हुई प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति स्त्रीधन में शामिल की जाती है चाहे वह विवाह से पहले मिली हो अथवा बाद में। दायभाग नियम के अन्तर्गत पति से मिली अचल-सम्पत्ति स्त्रीधन के अन्तर्गत नहीं आती। स्त्रीधन का महत्व इसलिये है कि इसका स्वत्व भी पृथक होता है तथा इसे पति की सम्पत्ति के साथ किसी भी दशा में सम्मिलित नहीं किया जाता।

जैन तथा सिख परिवार—जैन तथा सिख अविभाजित परिवार भी आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अविभाजित हिन्दू परिवार समझे जाते है। यदि विशेष परिस्थितियाँ हों तथा करदाता यह चाहे कि उसका परिवार हिन्दू अविभाजित न माना जाये तो उसे आयकर अधिकारी के समक्ष यह सिद्ध करना होगा कि उसके परिवार में ऐसी प्रथायें व रीति-रिवाज चालू हैं जिनके कारण उसका परिवार हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं माना जा सकता है।

परिवार के अपने व्यापार की दशा में परिवार के सदस्यों व कर्त्ता को दिया गया वेतन—परिवार के व्यापार सचालन मे यदि व्यापार का कोई सदस्य क्रियात्मक रूप से भाग लेता है व इसके लाभोपार्जन में सहायता करता है तो ऐसे सदस्य को इसके एवज में व्यापार द्वारा वेतन दिया जा सकता है। यह वेतन स्वीकृत व्यय होगा यदि यह उचित परिमाण में है व इसे लाभो के वितरण का माध्यम नहीं बनाया गया है। दिया गया वेतन व्यापार के लिये कार्योचित होना चाहिए।

हिन्दू अविभाजित परिवार व इसके कर्त्ता के मध्य यदि कोई वेतन सम्बन्धी समझौता हुआ है तथा यदि वेतन यथार्थ मे दिया गया है, वह उचित मात्रा में है तथा इसका भुगतान पूर्णत: व्यापार के हित में लगा हुआ है तो यह वेतन भी स्वीकृत व्यय होगा वेतन की राशि प्राप्तकर्त्ता के हाथों में व्यक्तिगत रूप से करयोग्य होगी।
[Jugal Kishore Baldeo Sahai v. C. I. T. [1967] 63 I. T. R. 238 (Supreme) Court)]

विभाजन

हिन्दू परिवार का विभाजन— आयकर अधिनियम की धारा 171 के अनुसार विभाजन से निम्नलिखित तात्पर्य है—

अ. यदि सम्पत्ति वास्तविक विभाजन (physical partition) के योग्य है तो इसका वास्तविक विभाजन ही अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन माना जाता है, आय का विभाजन नहीं।

ब. यदि सम्पत्ति ऐसी है जिसका वास्तविक विभाजन सम्भव नही है तो विभाजन से तात्पर्य ऐसे बँटवारे से है जो सम्पत्ति के लिये सम्भव हो।

आंशिक विभाजन—आंशिक बँटवारा ऐसा विभाजन है जिसमें या तो परिवार के सदस्यों में से केवल कुछ सदस्य पृथक हो जाते है तथा शेष उसी परिवार में सम्मिलित रहते है अथवा कभी-कभी समस्त सम्पत्तियों का विभाजन न होकर केवल कुछ सम्पत्तियाँ ही सभी सदस्यो में विभाजित कर दी जाती हैं तथा शेष सम्पत्तियों का स्वामित्व परिवार में ही बना रहता है।

विभाजन के पश्चात् कर-निर्धारण

आयकर अधिनियम की धारा 171 में निम्नलिखित प्रावधान दिये गये हैं :

1. हिन्दू परिवार जो अब तक अविभाजित परिवार की भाँति कर देता रहा है, आगे भी इसी प्रकार देता रहेगा जब तक कि आयकर अधिकारी द्वारा परिवार का विभाजन स्वीकृत व घोषित न कर दिया गया हो।

2. जब कर-निर्धारण के समय अविभाजित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य द्वारा यह घोषित किया जाय कि परिवार का पूर्ण अथवा आँशिक विभाजन हो चुका है तो आयकर अधिकारी द्वारा इन तथ्यों की जाँच की जायेगी। तत्पश्चात् वह इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि विभाजन हुआ है अथवा नहीं। यदि विभाजन हुआ है तो वह किस तिथि को हुआ है ; तथा यह पूर्ण विभाजन है अथवा आंशिक।

3. जब गतवर्ष में हुआ विभाजन आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो विभाजन की तिथि तक होने वाली आय का कर-निर्धारण अविभाजित परिवार की तरह होता है तथा कर के चुकाने का दायित्व सभी सदस्यों का सम्मिलित व पृथक-पृथक (jointly and severally) होता है।

सदस्य को पारिवारिक आय की प्राप्ति

आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) का साराश इस प्रकार है—करदाता को अविभाजित हिन्दू परिवार से मिलने वाली रकम उसकी कुल आय में शामिल नहीं की जाती बशर्ते कि—

अ. अविभाजित हिन्दू परिवार वास्तविकता में मौजूद है :

ब. करदाता इस परिवार का सदस्य है;

स. उसे इस रकम की प्राप्ति ऐसे परिवार की सदस्यता के कारण ही हुई है; तथा

द. प्राप्त हुई रकम परिवार की आय में से ही दी गई है।

यदि इन शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी नहीं होती तो यह आय करदाता की कुल आय में शामिल कर दी जाती है।

आयें जो पारिवारिक आयें नहीं मानी जातीं

निम्नलिखित आयें ऐसी है जो अविभाजित हिन्दू परिवार की आय नहीं मानी जातीं :—

1. अविभाजित परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्वयं उपार्जित की हुई रकम पर व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत आय की भाँति आयकर देना होता है।

2. दायभाग नियम लागू होने वाले परिवार की पैतृक सम्पत्ति से होने वाली आय का कर-निर्धारण पिता के जीवन काल में व्यक्ति (individual) की भाँति होता है बशर्ते कि पिता के भाई आदि उसके साथ सहभागी नहीं है। पुत्रों को पिता के जीवन-काल में पैतृक सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता।

3. पिता के द्वारा स्वयं उपार्जित की गई सम्पत्ति में पुत्र को पिता के जीवन-काल में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। अत: पिता का कर-निर्धारण व्यक्ति की भाँति होता है। पिता द्वारा अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों को दिये जाने पर इस सम्पत्ति की आय

सम्मिलित परिवार की आय मानी जाती है। परन्तु यदि पिता द्वारा यह हस्तान्तरण वास्तव में कर बचाने का प्रयत्न है तो इस सम्पत्ति पर पुत्र को एक व्यक्ति की भाँति कर देना पड़ेगा।

4. यदि अविभाजित हिन्दू परिवार का एक सदस्य अपने व्यक्तिगत नाम में कोई व्यापार चलाता है तो इस व्यापार के लाभ उसके हाथों में व्यक्ति की भाँति करयोग्य होंगे। हो सकता है कि व्यापार चलाने के लिए रुपये पैसे का प्रबन्ध सम्मिलित परिवार के धन से ही हुआ हो।

5. मिताक्षरा नियम लागू होने वाले परिवारों के कर्त्ता को पारिवारिक सम्पत्ति विषयक समस्त अधिकार प्राप्त हुए रहते हैं। यदि वह चाहे तो किन्हीं सीमाओं के अन्दर परिवार की सम्पत्ति अपनी पत्नी, पुत्री अथवा किसी अन्य सदस्य को हस्तान्तरित कर सकता है तथा इस हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय पर आय प्राप्त करने वाले को व्यक्ति की भाँति कर देना पड़ेगा। ऐसे हस्तान्तरण के लिए कर्ता को वयस्क सहभागियों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं पड़ती।

6. परिवार के सदस्यों ने यदि एक साझेदारी प्रारम्भ की है तो इससे प्राप्त होने वाला लाभ फर्म के लाभ की भाँति करयोग्य होगा, परिवार की आय की भाँति नहीं।

अविभाज्य सम्पत्ति (Impartible estate)

इस सम्पत्ति से हमारा आशय परिवार की उस सम्पदा से है जो यद्यपि परिवार के स्वामित्व में है तथा जिसका लाभ परिवार के प्रत्येक सदस्य को होना है किन्तु जिसका विभाजन नहीं हो सकता। ऐसी सम्पत्ति में प्राय: भूमि व भवन आदि होते हैं जो किसी भी पूर्वज द्वारा अपने इच्छापत्र द्वारा छोड़े जाते हैं तथा ऐसे इच्छापत्र में यह आदेश रहता है कि इस सम्पत्ति का धारक प्राय: ज्येष्ठ पुत्र होगा आदि। ऐसी सम्पत्ति से होने वाली आय परिवार के हाथों में करयोग्य नही होती व इसका कर-निर्धारण इस सम्पत्ति के धारक (Holder of estate) के हाथों में व्यक्तिगत कर-निर्धारण की भाँति होना है।

उदाहरण

(4) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा आपको निम्नलिखित विवरण दिया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए परिवार की कुल सकल आय एवं कुल आय की गणना कीजिए—

		रु०
i.	व्यापार के लाभ	32,000
ii.	परिवार के सदस्यों को प्राप्त वेतन	8,000
iii.	कर्ता द्वारा प्राप्त संचालक शुल्क	6,000
iv.	किराए पर उठी सम्पत्ति का किराया	12,000
v.	नगरपालिका कर	300
vi.	लाभांश (सकल)	450
vii.	भवन के हस्तान्तरण से प्राप्त दीर्घकालीन पूँजीलाभ	4,500
viii.	विनियोगों के हस्तान्तरण से प्राप्त दीर्घकालीन पूँजीलाभ	10,000
ix.	पुण्यार्थ दान	5,000
x.	अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ	10,000

————

1. मकान सम्पत्ति से आय		
किराया	12,000	
घटाया नगर पालिका कर	300	
वार्षिक मूल्य	11,700	
घटाया मरम्मत भत्ता $\frac{1}{6}$	1,950	9,750
2. व्यापार से लाभ		
परिवार का अपना व्यापार	32,000	
अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ	10,000	42,000
3. दीर्घकालीन पूँजीलाभ		
भूमि भवन से	4,500	
विनियोगों से	10,000	14,500
4. अन्य साधनों से आय : लाभांश		450
कुल सकल आय		66,700

कटौतियाँ			
i. लाभांश		450	
ii. पूँजीलाभ-प्रथम	5,000		
9,500 का 45%	4,275	9,275	
iii. पुण्यार्थ दानः 4,698 का 55%		2,584	12,309
		कुल आय	54,391

टिप्पणी

1. सदस्य को प्राप्त वेतन परिवार की आय न होकर सदस्य विशेष की आय है।
2. अन्य सूचना के अभाव में संचालक शुल्क कर्त्ता की आय ही मानी गई है।
3. पुण्यार्थ दान की राशि कुल सकल आय (जिसमें से वे राशियाँ जो आयकर से मुक्त है अथवा जिस पर कटौती मिलती है घटा दी जाती है) के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गणना निम्न प्रकार की गई है :—

कुल सकल आय		66,700
घटाया—अनरजिस्टर्ड फर्म से आय	10,000	
लाभांश की कटौती	450	
पूँजीलाभ की कटौती	9,275	19,725
		46,975

दान के लिए अधिकतम सीमा इस प्रश्न में 46,975 रु० का 10% अर्थात् 4,698 रु० होगी।

4. अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ पर औसत दर से आयकर की छूट मिलेगी।

(4) निम्नलिखित विवरण एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता श्री राजकुमार द्वारा दिया जाता है। आप इस परिवार की कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए कुल सकल आय एव कुल आय की गणना कीजिए:

		रु०
1.	व्यापार से लाभ	38,000
2.	किराये पर उठी मकान सम्पत्ति का मूल्यांकन	20,000
3.	परिवार द्वारा दिए गए नगरपालिका कर	2,000
4.	अल्पकालीन पूँजीलाभ	10,000
5.	भूमि व भवन के हस्तान्तरण से प्राप्त दीर्घकालीन पूँजीलाभ	15,000
6.	विनियोगों के हस्तान्तरण से प्राप्त दीर्घकालीन पूँजीलाभ	8,000
7.	लाभांश (शुद्ध)	3,850
8.	अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ	12,500
9.	परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त वेतन	20,800
10.	रजिस्टर्ड फर्म से लाभ	19,100
11.	कर्ता द्वारा प्राप्त संचालक शुल्क	8,700

कर्त्ता द्वारा पृथक से दी गई सूचनाओं के आधार पर आयकर अधिकारी द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि संचालक बनने के लिए निर्धारित अंश परिवार के धन से क्रय किए गए हैं वर्ष के मध्य में परिवार द्वारा 2,500 रु० एक पुण्यार्थ संस्था को दान किये जाते हैं। यह संस्था आयकर विभाग से आयकर की छूट के लिए मान्यता प्राप्त है।

(रायपुर एम० कॉम 1969)

1.	मकान सम्पत्ति से आय		
	किराया	20,000	
	घटाया नगरपालिका कर	2,000	
	वार्षिक मूल्य	18,000	
	घटाया मरम्मत कटौती $\frac{1}{6}$	3,000	15,000
2.	व्यापार में लाभ		
	अपना व्यापार	38,000	
	अनरजिस्टर्ड फर्म से लाभ	12,500	
	रजिस्टर्ड फर्म से लाभ	19,100	69,600
3.	पूँजीलाभ		
	अल्पकालीन	10,000	
	दीर्घकालीन (भूमि व भवन)	15,000	
	दीर्घकालीन (विनियोग)	8,000	33,000

4. अन्य साधनों से आय

लाभांश (सकल) $3,850 \times \frac{100}{77}$		5,000	
संचालक शुल्क		8,700	13,700
कुल सकल आय			1,31,300
कटौती—			
i. लाभांश		3,000	
ii. पुण्यार्थ दान 1,500 का 55%		825	
iii. दीर्घकालीन पूँजीलाभ : प्रथम	5,000		
10,000 का 25%	2,500		
8,000 का 45%	3,600	11,100	14,925
कुल आय			1,16,375

(6) श्री महेशचन्द्र सक्सैना, उनके दो भाई तथा एक वयस्क पुत्र एक अविविवाहित हिन्दू परिवार के सदस्य हैं। इनके द्वारा कर-निर्धारण के लिए आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया जाता है :

(a) व्यापार, जो कर्ता द्वारा परिवार के लिए चलाया जाता है, से लाभ 90,000 रु० (इसमें से से 3,000 रु० परिवार के सदस्य श्री भगवान् को सफरी ऐजेन्ट के रूप में काम करने के लिए व कर्ता श्री सक्सैना को व्यापार के प्रबन्ध के लिए 10,000 रु० पहले से ही दे दिये गये हैं।)

(b) परिवार का अपना एक मकान है जिसका किराया मूल्य 10,000 रु० वार्षिक है। इस पर स्थानीय कर 500 रु० है। यह परिवार का रिहाइशी मकान है। श्री सक्सैना ने स्वयं ही इस मकान पर एक वार्षिक प्रभार की व्यवस्था की है जिसके अनुसार इनकी बहन को 5,000 रु० वार्षिक दिया जाने का प्रावधान है। इसके लिए अग्नि बीमा प्रीमियम 100 रु० व चोरी रक्षा बीमा प्रीमियम के लिए 200 रु० दिये गये हैं।

(c) विनियोगों के विक्रय से 25,000 रु० का दीर्घकालीन पूँजी लाभ हुआ है। परिवार के निजी प्रयोग में आने वाली कार को बेचने पर 4,000 रु० की हानि भी हुई है।

(d) श्री सक्सैना को राजस्थान लाटरी का 50,000 रु० का पुरस्कार मिला है जो वे अपनी व्यक्तिगत प्राप्ति मानते हैं। टिकट खरीदने के लिये यद्यपि एक रुपया व्यापार में से दिया गया था किन्तु टिकट इन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम में ही खरीदा था।

(e) लाभांश से परिवार को आय 5,000 रु० (सकल)

(f) दोनों भाइयों के जीवन बीमा के लिए 1,300 रु० का प्रीमियम गतवर्ष में दिया गया है।

(g) सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियों से ब्याज 9,000 रु०।

(h) दुश्मन के आक्रमण से युद्ध में 1,000 रु० का व्यापारिक स्कन्ध नष्ट हुआ।

आप कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए परिवार की कुल आय निकालिए।

					Rs.
1.	Interest on tax-free Government securities				9,000
2.	Income from house property :				
	Rental Value		10,000		
	Local taxes		500		
			9,500		
	Allowance for self-occupation		1,800		
	Annual Value		7,700		
	Less : Repairs allowance	1,283			
	Fire ins. prem.	100	1,383		6,317
3	Profit from business		90,000		
	Loss from enemy action		1,000		89,000
4.	Capital gains : from long term capital assets				25,000
5.	Income from other sources : Dividends				5,000
	Gross Total Income				1,34,317
	Deductions :				
	u/s 80C : Life insurance premium			1,300	
	u/s 80L : Dividends			3,000	
	u/s 80T : Long term capital gains :				
	First		Rs. 5,000		
	45% of 20,000		9,000	14,000	18,300
	Total Income				1,16,017

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये—
   (i) दायभाग (ii) मिताक्षरा
2. आयकर की कौन सी छूटें हिन्दू अविभाजित परिवारों को उपलब्ध है ? लिखिये ।
3. हिन्दू अविभाजित परिवार के कर-निर्धारण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए ।
4. हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण किन-किन बातों में फर्म केकर-निर्धारण से भिन्न है ।

साझेदारी फर्म व व्यक्तियों का समुदाय 17

(PARTNERSHIP FIRM AND ASSOCIATION OF PERSONS)

फर्म

परिभाषा—आयकर अधिनियम की धारा 2 (23) के अन्तर्गत 'फर्म', 'साझीदार' तथा 'साझेदारी' शब्दों के वही अर्थ है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 मे दिये गये है, किन्तु आयकर सम्बन्धित सभी विषयो के लिए साझेदार के अन्तर्गत वह अवयस्क भी आ जाता है जो केवल साझेदारी के लाभ के लिए फर्म में शामिल किया गया है।

भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार 'साझेदारी' उन व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध को कहते हैं जो व्यापार के लाभों में हिस्सा लेने के लिए व्यापार चलाते हैं। व्यापार चलाने वाले व्यक्तियों को 'साझेदार' कहते है तथा जिस नाम से व्यापार संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते है। साझेदारी एक अदृश्य सम्बन्ध है जो फर्म के साझेदारों को आपस में बाँधकर रखता है जबकि इस सम्बन्ध में बंधे हुए सभी साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म का नाम दिया जाता जाता है।

महत्वपूर्ण बातें

1. साझेदारी के निर्माण के लिए तीन तत्वों का होना आवश्यक है—(अ) साझेदारी प्रलेख जो सभी साझेदारों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए ; (ब) इस प्रलेख मे साझेदारी फर्म के लाभ व हानि को सभी साझेदारो मे एक निश्चित अनुपात में वितरित करने का उल्लेख होनी चाहिए ; (स) साझेदारी व्यापार सभी साझेदारों द्वारा अथवा सभी साझेदारों के लाभार्थ संचालित किया जाना चाहिए।

2. वैधानिक साझेदारी के लिए दो वयस्कों का होना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जबकि एक अवयस्क को साझेदारी फर्म में पूर्ण साझेदार का दर्जा देकर शामिल किया जाता है व इस प्रकार फर्म की हानि के लिये भी उसे उत्तरदायी बनाया जाता है साझेदारी को वैध नहीं कहा जा सकता।

3. चूँकि कम्पनी को एक विशेष दर्जा व स्वत्व मिला होता है व उमका एक वैधानिक व्यक्तित्व होता है, दो अथवा दो से अधिक कम्पनियों द्वारा निर्मित साझेदारी वैध होती है।

4. एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता अपने परिवार के साथ साझेदारी नहीं बना सकता किन्तु यही कर्ता अपनी व्यक्तिगत स्थिति में एक अजनबी के साथ साझेदारी का निर्माण कर सकता है। ऐसी साझेदारी में वह परिवार का प्रतिनिधित्व भी कर सकता है उस दशा में इस फर्म से मिले सभी हानि व लाभ परिवार के हाथों में ही करयोग्य होंगे।

5. फर्म को चूँकि किसी प्रकार का वैधानिक स्वत्व अथवा व्यक्तित्व प्राप्त नहीं होता अतः ऐसी कोई साझेदारी वैध नहीं हो सकती जिसमें फर्म को एक साझेदार का दर्जा मिला हो ।

6. मृत साझेदार की विधवा को फर्म के लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार है भले ही फर्म में वह साझेदार का दर्जा प्राप्त न कर सकी हो ।

7. सभी साझेदारों को फर्म में हुए लाभ के अपने हिस्से पर आयकर देना पड़ता है चाहे फर्म के लाभों का साझेदारों में वास्तविक वितरण हुआ हो अथवा नहीं ।

8. कर-निर्धारण के लिये फर्मों को दो भागों में रखा जाता है रजिस्टर्ड व अनरजिस्टर्ड । रजिस्टर्ड फर्म से अभिप्राय ऐसी फर्म से है जिसे आय-कर अधिनियम की धारा 184 व 185 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड किया गया है । ऐसी फर्म जिसे आयकर अधिकारी द्वारा रजिस्टर नहीं किया जाता, अनरजिस्टर्ड फर्म कहलाती है ।

फर्म का रजिस्ट्रेशन

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हुआ फर्म का रजिस्ट्रेशन भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत हुए रजिस्ट्रेशन से भिन्न होता है । भारतीय साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन फर्मों के रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है, जबकि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को ही फर्म के रजिस्टर करने का अधिकार प्राप्त है । यह सम्भव है कि फर्म एक प्रकार से रजिस्टर्ड हो तथा दूसरी प्रकार से न हो। इस अध्याय के अन्तर्गत जिस रजिस्ट्रेशन पर प्रकाश डाला गया है वह आयकर अधिनियम के अन्तर्गत होने वाला रजिस्ट्रेशन है ।

फर्म की रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी व्यवस्थायें आयकर अधिनियम की धारा 184 से 186 तक तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियम संख्या 22 से 25 तक दी गई हैं ।

रजिस्ट्रेशन से लाभ : रजिस्टर्ड फर्म को अपनी आय पर 10,000 रु० तक आयकर नहीं देना पड़ता । इससे अधिक आय होने पर आयकर मामूली दरों से लगाया जाता है । इस फर्म का लाभ साझेदारी प्रलेख के अनुसार साझेदारों में बाँट दिया जाता है व उन्हें ही इस आय पर कर देना होता है अनरजिस्टर्ड फर्म को दूसरी ओर अपनी आय के लिए व्यक्ति पर लागू होने वाली दरों से आयकर देना पड़ता है जो काफी अधिक होता है । उदाहरण के लिए एक फर्म जिसकी कुल आय 15,000 रु० है, इसके अनरजिस्टर्ड होने की दशा में इसे 1,353 रु० आयकर के रूप में देने होंगे, चाहे जितने ही साझेदार इस फर्म में हों । माना फर्म रजिस्टर्ड है तथा इसके चार साझेदार हैं, इसे आयकर के रूप में 275 रु० देने होंगे व इन चारों साझेदारों में से प्रत्येक को 3,681·25 रु० का लाभ मिलेगा । यदि इन साझेदारों की और कोई आय नहीं है, तो इन्हें इस आय पर आयकर नहीं देना पड़ेगा ।

रजिस्ट्रेशन कराने की विधि

रजिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना पत्र (धारा 184)

1. फर्म की ओर से रजिस्ट्रेशन विषयक एक प्रार्थना-पत्र आयकर अधिकारी को तब ही दिया जा सकता है जबकि—

i. साझेदारी एक प्रलेख के अनुसार बनी हो, तथा

ii. उस प्रलेख में सभी साझेदारों के बीच में बँटने वाले लाभ व हानि के अनुपात का स्पष्ट उल्लेख हो ।

2. ऐसा प्रार्थना पत्र फर्म के जीवन काल में अथवा इसके विघटन के बाद में भी दिया जा सकता है ।

3. प्रार्थना पत्र उस आयकर अधिकारी को दिया जाना चाहिये जिसके कार्य क्षेत्र में यह फर्म आती है अर्थात् जो आयकर अधिकारी इसका कर-निर्धारण करता है । प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए :—

अ. **चालू फर्म की स्थिति में,** अवयस्कों को छोड़कर सभी साझेदारों द्वारा;

ब. **विघटित फर्म की स्थिति में,** उन सभी साझेदारों (अवस्यक को छोड़कर) द्वारा जो विघटन से पहले फर्म में साझेदार थे । मृत साझेदार की ओर से उसका कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता है ।

कोई साझेदार यदि भारत के बाहर है, पागल है, कमबुद्धि वाला है अथवा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है तो उसके लिए इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्ति अथवा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जिसे इसका प्रतिनिधित्व करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो ।

4. प्रार्थना पत्र सम्बन्धित गतवर्ष की समाप्ति से पहले दिया जाना चाहिए । आयकर अधिकारी यह प्रार्थना पत्र गतवर्ष की समाप्ति के बाद में भी स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि उसे उन कारणों की पर्याप्तता के बारे में विश्वास हो जाय जिनके परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में नहीं दिया जा सका ।

5. प्रार्थनापत्र निर्धारित फार्म पर भेजा जाता है तथा उसमें सभी निर्धारित विवरण लिखा जाना चाहिए । देर से प्रार्थनापत्र दाखिल करने पर यदि आयकर अधिकारी इसे रद्द कर देता है अथवा स्वीकार नहीं करता तो इसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है ।

6. प्रार्थना पत्र के साथ में साझेदारी प्रलेख की मूल प्रतिलिपि को संलग्न किया जाना चाहिए किन्तु यदि प्रलेख को सुविधाजनक ढंग से प्रस्तुत न करने के ऐसे पर्याप्त कारण हैं जिनसे आयकर अधिकारी संतुष्ट है तो वह प्रलेख की प्रतिलिपि भी स्वीकार कर सकता है जिस पर सभी साझेदारों (अवस्यक को छोड़कर) के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं ।

प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के बाद में रजिस्ट्रेशन की विधि—धारा 185 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद आयकर अधिकारी फर्म की यथार्थता ((genuinences) की तथा साझेदारी प्रलेख में दिये गये विधान के सम्बन्ध में जाँच करता है । अब यदि आयकर अधिकारी इससे सन्तुष्ट है कि गतवर्ष में साझेदारी प्रलेख में दिये गए विधान के अनुसार वास्तविकता में फर्म विद्यमान थी तो वह एक लिखित आदेश द्वारा उस कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कर देता है । किन्तु यदि यह अपनी जाँच के परिणाम से सन्तुष्ट नहीं है तो फर्म को रजिस्टर्ड करने के लिए दिया गया प्रार्थनापत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है ।

रजिस्ट्रेशन के लिये कोई भी फर्म विशुद्ध (genuine) **नहीं मानी जावेगी यदि फर्म का कोई भी साझेदार फर्म की आय अथवा सम्पत्ति के किसी भी भाग के लिये किसी अन्य साझेदार का बेनामीदार है । यह बेनामीदार दूसरे साझेदार का जीवन**

साथी अथवा अवयस्क बच्चा हो सकता है। अन्य शब्दों में बेनामीदार साझेदार वाली फर्म उसी स्थिति में यथार्थ मानी जावेगी जबकि बेनामीदार हिताधिकारी साझेदार का जीवन साथी अथवा अवयस्क बच्चा है।

प्रार्थना पत्र भरने में यदि कोई गलती हो गई है तो प्रार्थना-पत्र केवल इसी गलती के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता, वरन् आयकर अधिकारी द्वारा फर्म को एक महीने की अवधि इस गलती को ठीक कराने के लिए दी जाती है। यह गलती यदि इस अवधि में ठीक नहीं की जाती तो आयकर अधिकारी रजिस्ट्रेशन के इस प्रार्थना-पत्र को अस्वीकृत कर सकता है।

जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आयकर अधिकारी साझेदारी प्रलेख पर अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पर यह तसदीक कर देगा कि अमुक कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म रजिस्टर्ड हो गई है।

जब फर्म के द्वारा उस कर-निर्धारण वर्ष में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे उस फर्म का कर-निर्धारण आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार करता है तो आयकर अधिकारी फर्म को रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा C. I. T. v. Abdul Rahim & Co. [1965] 55 I. T. R. 651 में दिए गए निर्णय में आयकर अधिकारी के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी अधिकार का विवेचन किया गया है। इसके अनुसार फर्म यदि यथार्थ में विशुद्ध है व इस के द्वारा आयकर अधिनियम की सभी व्यवस्थाओं का सही पालन किया गया है तो आयकर अधिकारी इसके रजिस्ट्रेशन के लिये मना नहीं कर सकता।

रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण—धारा 184 (7) के अनुसार जब किसी एक कर-निर्धारण वर्ष के लिये फर्म रजिस्टर्ड कर ली जाती है, तो यह रजिस्ट्रेशन आने वाले प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के लिये चालू रहता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जावें :

(अ) सम्बन्धित वर्ष में न तो नया साझेदार आया है और न पुराने साझेदार ने अवकाश ग्रहण किया है।

(ब) सभी साझेदार उसी अनुपात में लाभ हानि ले रहे हैं जो उस साझेदारी प्रलेख में दिखाया गया है जिसके आधार पर फर्म रजिस्टर्ड हुई है।

(स) इसके सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र आयकर अधिकारी को आय के नक्शे के साथ भेज दिया गया है। ऐसे घोषणा पत्र को देरी से भेजने पर आयकर अधिकारी इसे स्वीकृत कर सकता है अथवा अस्वीकृत।

उपर्युक्त किसी भी शर्त के पूरा न होने पर रजिस्ट्रेशन के लिये दुबारा नवीन प्रार्थना पत्र देना चाहिए। इसके अभाव में अगले वर्ष के लिये पुराना रजिस्ट्रेशन प्रभावकारी नहीं रहेगा। उपर्युक्त घोषणा-पत्र निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग से ही प्रमाणित करके दिया जाना चाहिए। घोषणा पत्र में यदि कोई गलती रह गई है तो इसे ठीक करने के लिये आयकर अधिकारी द्वारा एक महीने का समय दिया जाता है।

किसी गत वर्ष में यदि कोई परिवर्तन साझेदारी के गठन में हो जाता है तो सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिये रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र नये सिरे से दिया जाना चाहिए।

Delight Stores v. C. I. T. [1971]79 I.-T. R. 749 के मामले में एक निर्णय दिया गया है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी फर्म के नाम बदले जाने की स्थिति में भी रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण को मना नहीं कर सकता। नाम बदलने से फर्म के विधान में परिवर्तन का बोध नहीं होता। फर्म का नाम यद्यपि साझेदारी चलाने के लिये सुविधाजनक है किन्तु फर्म के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, अतः नाम के परिवर्तन का फर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता।

रजिस्ट्रेशन का रद्द करना

(1) आयकर अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाये कि किसी गतवर्ष में यथार्थ में फर्म का अस्तित्व ही नहीं था तो वह उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है।

(2) रजिस्ट्रेशन रद्द करने से पहले इन्सपैक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है तथा करदाता फर्म को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का एक समुचित अवसर भी दिया जाता है।

(3) कर-निर्धारण हो चुकने के बाद यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाता है तो उस वर्ष का कर-निर्धारण इस आधार पर दुबारा किया जाता है कि फर्म अनरजिस्टर्ड थी।

(4) किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के आठ वर्षों की अवधि के अन्दर ही किया जा सकता है। इस अवधि के बाद ऐसा नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिये कर-निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिये यदि किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द करना है तो इसे 31 मार्च 1979 तक किया जा सकता है।

(5) रजिस्ट्रेशन प्राप्त किसी फर्म ने यदि ऐसी गलती करदी है जिसके कारण उस फर्म का कर-निर्धारण आयकर अधिकारी ने अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द करने सम्बन्धित 14 दिनों की अवधि का एक नोटिस फर्म को देता है। यह अवधि फर्म को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये दी जाती है। अवधि समाप्त होने पर रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाता है।

रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रभाव—रजिस्ट्रेशन रद्द किये जाने पर आयकर अधिकारी उस फर्म के कर-निर्धारण में आवश्यक संशोधन कर देता है तथा साझेदारों का कर-निर्धारण भी अनरजिस्टर्ड फर्म की भाँति कर दिया जाता है।

फर्म की आय में साझेदार के हिस्से की गणना करने की विधि

1. धारा 67 के अनुसार फर्म की आय में साझेदार को मिलने वाले हिस्से की गणना निम्न प्रकार से की जाती है :

अ. फर्म की आय में से साझेदारी प्रलेख के अनुसार दिया गया पूँजी पर ब्याज; वेतन, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक जो गतवर्ष के लिए इसके साझेदारों को दिया गया है, फर्म की कुल आय में से घटा दिया जाता है, फर्म के रजिस्टर्ड होने की दशा में आयकर की वह रकम भी घटा दी जाती है जो फर्म द्वारा देय हो। पत्पश्चात् शेष रकम को साझेदारों में लाभ हानि के अनुपात में बाँट देते हैं।

ब. व्याज व वेतन आदि घटाने के बाद यदि शेष रकम लाभ हो तो साझेदारों को फर्म से मिलने वाली व्याज व वेतन आदि की रकम में साझेदारों को प्राप्त यह लाभ जोड़ दिया जाता है तथा जो इन सभी का योग आता है वह साझेदार का फर्म की आय से मिला हिस्सा होता है।

स. यदि ऊपर (अ) के अन्तर्गत शेष रकम फर्म की हानि आती है तो फर्म से मिली व्याज की रकम साझेदार के फर्म के हानि में हिस्से में समायोजित कर दी जाती है तथा समायोजन के परिणामस्वरूप जो रकम आती है वही फर्म के लाभ व हानि में साझेदर का हिस्सा होता।

2. साझेदार ने यदि फर्म में पूँजी का विनियोग करने के लिये कोई ऋण लिया हुआ है जिस पर उसे व्याज देना होता है तो दी जाने वाली व्याज की रकम साझेदार को फर्म से प्राप्त लाभ में से घटा देते हैं।

3. साझेदार ने यदि फर्म से आय अर्जित करने में कोई अन्य रकम यदि व्यय की है तो इसे भी फर्म से प्राप्त आय में से घटा देते हैं। साझेदार द्वारा विभिन्न फर्मों ने अपनी साझेदारी सम्हालने के लिए क्लर्क, आफिस, टेलीफोन, कार आदि पर व्यय किया जा सकता है। यह व्यय फर्म की आय में से घटा देने का प्रावधान है।

4. रजिस्टर्ड फर्म से साझेदार को यदि कोई हानि होती है तो साझेदार फर्म की अपने हिस्से की हानि को अन्य आयो से पूरा कर लेता है अथवा उसे पूरा करने के लिये अगले कर-निर्धारण वर्ष में ले जाता है।

5. फर्म की आय व हानि को उसके साझेदारों के कर-निर्धारण के लिए आय के उन्हीं भिन्न-भिन्न शीर्षकों में बाँट दिया जाता है जिनके अन्तर्गत फर्म की आय की प्राप्ति हुई है।

महत्वपूर्ण टिप्पणी—कुल सकल आय में से धारा 80 G; 80H; 80HH; 80J; 80K; 80MM; 80N; 80O; 80QQ; 80S व 80T के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कटौतियाँ केवल एक बार ही मिलती हैं, अर्थात् इन्हें साझेदारी फर्म की करयोग्य आय निर्धारण के समय लिया जा सकता है अथवा साझेदारों की करयोग आय निकालते समय। ऐसी स्थिति में करदाता को चाहिए कि अनरजिस्टर्ड होने की दशा में फर्म के लिये कटौती ली जावे व रजिस्टर्ड फर्म होने की दशा में साझेदारों को अपना कर-निर्धारण कराते समय इनका लाभ प्राप्त करना चाहिए।

फर्म की कुल आय निकालने की विधि

फर्म के लाभ हानि खाते में दिखाये गए लाभ में वे सभी व्यय जोड़ दिए गए जाते है जो व्यापार के लाभों की गणना करते समय आयकर अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। स्मरणीय यह है कि साझेदार को दिया गया कमीशन, वेतन बोनस आदि सभी अस्वीकृत है। व्यापार के लाभों की गणना करते समय वे सभी समायोजन किये जाते हैं जिनका उल्लेख हम व्यापार व पेशे से लाभों की गणना करते समय कर चुके हैं। फर्म की कुल आय निकालने की विधि भी उसी अध्याय में लिखी जा चुकी है।

उदाहरण

(1) अ, ब और स एक रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म में साझेदार हैं जो परस्पर 3 : 2 : 1 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते है। 31 दिसम्बर, 1974 को

समाप्त हुए वर्ष का शुद्ध लाभ 1,18,000 रु० है जो लाभ-हानि खाते में निम्नांकित राशियों को डेबिट करने के बाद निकाला गया है :

i. स को 4,000 रु० वेतन;

ii. अ को उस भवन का 9,000 रु० किराया जिसमें व्यापार संचालन होता है। अ इस भवन का स्वामी है।

iii. अ, ब तथा स को उनकी पूँजी पर क्रमशः 1,000 रु०, 2,000 रु० व 3,000 रु० का ब्याज।

iv. बिक्री पर कमीशन ब को 10,000 रु०।

v. अ से किराये पर लिये गये भवन की मरम्मत पर 1,000 रु० का व्यय।

vi. अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को दान 5,000 रु०।

लाभ की उपर्युक्त 1,18,000 रु० की राशि में सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज (शुद्ध) के 9,240 रु० शामिल हैं, आप 1975-76 कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म की कुल आय की गणना कीजिये।

			रु०
लाभ हानि खाते के अनुसार लाभ			1,18,000
घटाया : प्रतिभूतियों पर ब्याज जो पृथक् शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है			9,240
			1,08,760
जोड़ा—अस्वीकृत व्यय : स को वेतन		4,000	
साझेदारों को पूँजी पर ब्याज—			
अ	रु० 1,000		
ब	2,000		
स	3,000	6,000	
दान जो व्यय नहीं हैं		5,000	
ब को दिया गया कमीशन		10,000	25,000
व्यापार से लाभ			1,33,760
प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) $\frac{9,240 \times 100}{77}$			12,000
कुल सकल आय			1,45,760
कटौतियाँ			—
कुल आय			1,45,760

टिप्पणियाँ—1. फर्म की कुल आय का गणना के समय किसी भी साझेदार को दिया गया वेतन, कमीशन, पूँजी पर ब्याज, बोनस आदि कुछ भी स्वीकृत व्यय नहीं है।

2. भवन सम्पत्ति, जिसमें व्यापार सचालन होता है, का किराया स्वींकृत व्यय है चाहे वह किराया किसी साझेदार को ही क्यों न दिया गया हो।

3. यह मानते हुए कि भवन को किराये पर लेते हुए फर्म द्वारा भवन सम्पत्ति की मरम्मत सम्बन्धी दायित्व को भी अपने ऊपर ले लिया गया है, मरम्मत व्यय स्वीकृत है।

4. फर्म चूँकि रजिस्टर्ड है अत: धारा 80 G के अन्तर्गत दान सम्बन्धी कटौती साझेदार अपने कर-निर्धारण के समय माँगेंगे न कि फर्म के कर-निर्धारण के समय यह स्वीकृत होगी। यह मार्ग अधिक उपयुक्त है।

(2) अजय बसन्त तथा सन्तोष एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ-हानि खाता नीचे दिया गया है —

		रु०			रु०
साधारण व्यय		8,800	सकल लाभ		12,800
अजय को वेतन		1,500	प्रतिभूतियों पर ब्याज		2,000
कमीशन		4,000	शुद्ध हानि		
पूँजी पर ब्याज			अजय	1,400	
अजय	1,200		बसन्त	1,400	
सन्तोष	-1,000	2,200	सन्तोष	1,400	4,200
दान		500			
बुरे ऋण		1,500			
दुकान का किराया		500			
		19,000			19,000

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा उसे फर्म के साझेदारों में विभाजित कीजिए (निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए)—

i. कमीशन में बसन्त को दिया गया 1,000 रु० शामिल है।

ii. दुकान का स्वामी बसन्त है।

iii. बुरे ऋणों में 900 रु० करीमुद्दीन से शेष है जो पिछले वर्ष फर्म में साझेदार था तथा यह रकम उससे वसूल न की जा सकी।

		रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार हानि		—4,200
जोड़ा—प्रतिभूतियों पर ब्याज जो पृथक् शीर्षक में आता है		2,000
		—6,200
घटाये अस्वीकृत व्यय—		
अजय को वेतन	रु० 1,500	
बसन्त को कमीशन	1,000	

अजय व सन्तोष को व्याज	2,200	
दान	500	
करीमुद्दीन से सम्बन्धित बुरा ऋण	900	6,100
व्यापार से हानि		—100
प्रतिभूतियों पर व्याज		2,000
कुल सकल आय		1.900
कटौतियाँ		—
कुल आय		1,900

कुल आय का साझेदारों में विभाजन

	अजय	वसन्त	सन्तोष	कुल योग
वेतन	1,500	—	—	1.500
कमीशन	—	1,000	—	1,000
पूँजी पर व्याज	1,200	—	1,000	2,200
शेष हानि	—1,600	—1,600	—1,600	—4,800
व्यापार से लाभ	1,100	—600	—600	—100
प्रतिभूतियों से व्याज में भाग	667	667	666	2,000
फर्म की कुल आय में हिस्सा	1,767	67	66	1.000

टिप्पणी : Girdharilal Gian Chand v C.I.T. [1971] 79 I.T.R. 561 के अनुसार भूतपूर्व साझेदार के पूँजी खाते में यदि कोई डेबिट शेष है जिसकी वसूली नहीं हो सकी है तो वह बुरा ऋण स्वीकृत नहीं होगा।

(3) असली, वदलू व संजय एक फर्म में बराबर के साझीदार हैं। इनका सम्वन्धित गतवर्ष का लाभ-हानि खाता 40,000 रु० का लाभ दर्शाता है। इसमें निम्नलिखित रकमों को डेबिट किया गया है :

असली को व्याज	रु० 3,000
वदलू को वेतन	2,000
संजय को दुकान का किराया	1.000
वदलू व संजय के भोजन व्यय	1,200

साझेदारी प्रलेख में इस बात का उल्लेख है कि असली द्वारा पूँजी जुटायी जायेगी, वदलू फर्म के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेगा व संजय अपनी दुकानों में से एक दुकान व गोदाम फर्म को देगा। इसमें साझेदारों को दिये जाने वाले वेतन आदि का कोई उल्लेख नहीं है। फर्म की कुल आय का निर्धारण कीजिए व इसके द्वारा फर्म को रजिस्टर कराने से सम्बन्धित दिये गये प्रार्थना पत्र पर आदेश दीजिए।

लाभ-हानि खाते के अनुसार व्यापार से लाभ		रु० 40,000
जोड़िये : अस्वीकृत धनराशियाँ—		
असली की पूँजी पर ब्याज	3,000	
बदलू को वेतन	2,000	
बदलू व संजय के भोजन व्यय	1,200	6,200
कुल सकल आय		46,200
कटौतियाँ		—
कुल आय		46,200

टिप्पणियाँ : 1. संजय को दिया गया दुकान का किराया स्वीकृत व्यय है।

2. साझेदारों द्वारा फर्म के व्यापार के लिए किये गये होटल व्यय स्वीकृत होंगे किन्तु भोजन सम्बन्धी व्यय अस्वीकृत।

धारा 185 के अन्तर्गत फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी आदेश : फर्म का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर साझेदारों के हस्ताक्षर हैं। साझेदारी प्रलेख भी इस प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। फर्म के लाभों को प्रलेख में दिखाये गये अनुपात में बाँटा गया है। मैंने सभी तथ्यों की जाँच की है तथा मेरी सम्मति में फर्म गतवर्ष में यथार्थ में विद्यमान थी। अतः कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए फर्म को रजिस्टर किया जाता है।

(4) अ, ब और स एक फर्म में बराबर के साझीदार हैं। इनके 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाते का सारांश इस प्रकार है :

आफिस व्यय			10,600	सकल लाभ	60,000
विविध व्यय			3,300	लाभाँश (सकल)	6,000
बुरे ऋणों के लिए संचय			1,000		
'अ' को वेतन			5,000		
कमीशन :	अ	3,000			
	ब	2,000			
	स	4,000	9,000		
पूँजी पर ब्याज :	अ	2,400			
	ब	3,200			
	स	5,800	11,400		
साझेदारों को लाभ	अ	8,567			
	ब	8,567			
	स	8,566	25,700		
			66,000		66,000

फर्म की कुल आय निकालिए व इसे साझेदारों में विभाजित कीजिए।

Net Profit as per Profit and Loss Account			25,700
Add expenses not allowed :			
Bad Debts Reserve		1,000	
Salary to A		5,000	
Commission to partners :			
A	3,000		
B	2,000		
C	4,000	9,000	
Interest on capital :			
A	2,400		
B	3,200		
C	5,800	11,400	26,400
			52,100
Less Dividends to be treated separately			6,000
Profit from business			46,100

Computation of total income

Business Profits	46,100
Income from other sources—dividends	6,000
Gross total income	52,100
Deductions	nil
Total Income	52,100

Allocation of Total Income amongst the partners

	A	B	C	Total
Salary	5,000	—	—	5,000
Commission	3,000	2,000	4,000	9,000
Interest on capital	2,400	3,200	5,800	11,400
	10,400	5,200	9,800	25,400
Balance of business profits (46,100-25,400)	6,900	6,900	6,900	20,700
Share in business profits	17,300	12,100	16,700	46,100
Share in dividend income	2,000	2,000	2,000	6,000
Share in Total Income	19,300	14,100	18,700	52,100

(5) एम, एन और ओ एक फर्म में 2:1:1 के अनुपात में लाभ-हानि के लिए साझेदार है। इनका 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संक्षिप्त लाभ हानि खाता इस प्रकार है :

आफिस वेतन	5,680	सकल आय	60,570
टेलीफून तार	2,000	किराया प्राप्ति	6,000
एम से लिए गए ऋण पर ब्याज	2,000	प्रतिभूतियों पर ब्याज	4,000
किराये पर दिये गये भवन पर स्थानीय कर	1,000		
एन को वेतन	3,000		

साझेदारों को कमीशन :			
एम	4,000		
एन	5,000		
ओ	6,000	15,000	
प्रतिभूतियों पर ब्याज के वसूली व्यय		50	
बुरे ऋणों के लिए संचय		1,000	
साझेदारों को लाभ :			
एम	20,420		
एन	10,210		
ओ	10,210	40,840	
		70,570	70,570

फर्म की कुल आय निकालिए व इसे साझेदारों में विभाजित कीजिए ।

Net Profit as per P. & L. Account			40,840
Add Inadmissible items :			
Interest on loan to M		2,000	
Local taxes		1,000	
Salary to N		3,000	
Commission to partners :			
M	4,000		
N	5,000		
O	6,000	15,000	
Collection charges		50	
Bad debts reserve		1,000	22,050
			62,890
Less incomes to be treated separately ;			
Rent received		6,000	
Interest on sec.		4,000	10,000
Profits from Business			52,890

Rent received	6,000
Less Local taxes	1,000
Annual value	5,000
Less repairs 1/6	833
Taxable income from property	4,167
Interest on securities	4,000
Collection charges	50
Taxable interest	3,950

Computation of Total Income

Interest on securities	3,950
Income from house property	4,167
Business Profits	52,890
Total Income	61,007

Allocatio n or firm's total Income

	M	N	O	Total
Interest	2,000	—	—	2.000
Salary	—	3,000	—	3.000
Commission	4,000	5,000	6,000	15.000
Balance of profit (52,890—20,000)	16,445	8,222	8,223	32,890
Share in business profit	22,445	16,222	14,223	52,890
Share in interest on Sec. (3,950)	1,975	987	988	3,950
Share in property income (4,167)	2,083	1,042	1,042	4,167
Share in total income	26,503	18,251	16,253	61.007

रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण

1. धारा 182 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय ज्ञात करने के बाद फर्म द्वारा देय आयकर की गणना की जाती है तथा फर्म की कुल आय में से कर-दायित्व घटाकर शेष आय को साझेदारों में लाभ-हानि के अनुपात में बाँट दिया जाता है।

2. प्रत्येक साझेदार को फर्म मे मिलने वाली आय उसकी कुल आय में जोड़ दी जाती है तथा उसकी कुल आय पर नियमानुसार कर-निर्धारण हो जाता है।

3. किसी साझेदार को फर्म से यदि हानि होती है तो यह हानि साझेदार द्वारा अपनी अन्य आय से पूरी की जा सकती है। अन्य आयों से पूरी न हुई हानि को उसके द्वारा अगले कर-निर्धारण वर्षों में पूर्ति के लिए ले जाया जाता है।

4. फर्म का कोई साझेदार यदि अनिवासी है तो उसको फर्म से मिलने वाले हिस्से पर आयकर फर्म के द्वारा ही चुकाया जायेगा। आयकर की दरें वही होंगी जो कि उस साझेदार पर उसके व्यक्तिगत रूप से कर-निर्धारण होने पर लागू होती।

5. एक रजिस्टर्ड फर्म साझेदार को अपने से होने वाली आय का 30% तक अपने पास तब तक रोक सकती है जब तक कि साझेदार द्वारा अपने आयकर दायित्व का भुगतान न कर दिया जाये। साझेदार द्वारा यदि आयकर का भुगतान नहीं किया जाता तो फर्म करदाता की रोकी गई रकम तक के कर दायित्व के लिए उत्तरदायी है परन्तु रोकी गई रकम 30% से कम नहीं होनी चाहिए।

आयकर की दरें

कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर निकालने के लिए रजिस्टर्ड फर्म को दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम, वे फर्म जो व्यवसाय में लगी हुई है तथा जिनकी व्यवसाय से आय कुल आय की 51 प्रतिशत अथवा अधिक है। दूसरी, वे फर्म जो प्रमुख रूप से व्यापार आदि से आय प्राप्त करती है। इनके लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी :

आय	पेशेवर फर्म	अन्य फर्म
कुल आय के प्रथम 10,000 रु० पर	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल आय के अगले 15,000 रु० पर	4%	5%
कुल आय के अगले 25,000 रु० पर	7%	7%
कुल आय के अगले 50,000 रु० पर	13%	15%
शेष आय पर	22%	24%

आयकर पर सरचार्ज : उपर्युक्त दरों के अनुसार आयकर निकाल कर उसमें 10% की दर से सरचार्ज जोड़ देते हैं।

लाभ का विभाजन—रजिस्टर्ड फर्म द्वारा जब आयकर दिया जाता है तो फर्म की कुल आय में से देय आयकर की राशि घटाकर शेष को सभी साझेदारों में लाभ-हानि के अनुपात में बाँट देते हैं।

लाभों का गलत वितरण

धारा 271 (4) के अनुसार आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर को कर-निर्धारण के समय यदि यह प्रतीत होता है कि साझेदारों के बीच लाभ का वितरण साझेदारी प्रलेख में दिये गये लाभ-हानि के अनुपात में न किया जाकर किसी अन्य अनुपात में किया गया है तो आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टैन्ट कमिश्नर द्वारा उस साझेदार पर अर्थदण्ड (Penalty) लगाया जाता है जिसने इस प्रकार से वितरित कम आय अपने आय के नक्शे में दिखाई है। अर्थदण्ड उस रकम के डेढ़ गुने से अधिक नहीं होना चाहिए जो कर के रूप में देने से बच जाती बशर्ते कि आयकर अधिकारी इस कम आय पर ही आयकर निर्धारण करता।

उदाहरण

(6) अरविन्द विनोद व सरन एक रजिस्टर्ड साझेदारी फर्म में "बराबर के लिए हिस्सों के साझेदार हैं"। इनका गतवर्ष 1974-75 से सम्बन्धित विवरण इस प्रकार है :

			रु०
व्यापार से लाभ (जिसमें से निम्नांकित को घटा दिया गया है)			81,000
अरविन्द को वेतन		9,000	
पूँजी पर ब्याज :			
अरविन्द	5,000		
विनोद	4,000		
सरन	3,000	12,000	
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान		2,000	
प्रतिभूतियों पर ब्याज			9,000
भवन सम्पत्ति से आय (सब कुछ घटाने के बाद)			14,100
लाभांश (सकल)			500

साझेदारों की की अन्य आय इस प्रकार है :

अरविन्द : सट्टा व्यापार से लाभ	10,000
किराये से आय (शुद्ध)	12,000

सरन : अनरजिस्टर्ड फर्म से आय 20,000
सट्टा व्यापार से हानि 50,000

फर्म का कर-दायित्व निकालिये व यह बताइये कि प्रत्येक साझेदार का कर-निर्धारण किस प्रकार होगा।

लाभ-हानि खाते के अनुसार लाभ		81,000
जोड़े : अस्वीकृत व्यय : वेतन	9,000	
पूँजी पर ब्याज	12,000	
दान	2,000	23,000
व्यापार से लाभ		1,04,000

कुल आय की गणना

1. प्रतिभूतियों पर ब्याज	9,000
2. भवन सम्पत्ति से आय	14,100
3. व्यापार से लाभ	1,04,000
4. अन्य साधनों से आय—लाभांश	500
कुल सकल आय	1,27,600
कटौतियाँ	—
कुल आय	1,27,600

आयकर की गणना

कुल आय के प्रथम 10,000 रु० पर	कुछ नहीं
कुल आय के अगले 15,000 रु० पर 5%	750
कुल आय के अगले 25,000 रु० पर 7%	1,750
कुल आय के अगले 50,000 रु० पर 15%	7,500
कुल आय के शेष 27,600 रु० पर 24%	6,624
	16,624
सरचार्ज 10%	1,662
कर-दायित्व	18,286

साझेदारों में विभाजन

	अरविन्द	विनोद	सरन
वेतन	9,000	—	—
पूँजी पर ब्याज	5,000	4,000	3,000
फर्म की आय में हिस्सा [1,27,600—(18,286+21,000)]	29,438	29,438	29,438
	43,438	33,438	32,438

साझेदारों का कर-निर्धारण

1. अरविन्द की कुल सकल आय 65.438 रु० (43,438 + 10.000 + 12,000) है। वह फर्म द्वारा दिये गए दान के अपने अनुपातिक भाग 667 रु० पर धारा 80 G के अन्तर्गत 55% की दर से कटौती प्राप्त करेगा।

2. विनोद की कुल सकल आय 33,438 रु० है। तथा उसे भी 667 रु० पर 55% की दर से कटौती मिलेगी।

3. सरन की कुल आय (32,438 + 20,000) 52,438 रु० है। इसे भी धारा 80 G के अन्तर्गत 55% की दर से 666 रु० पर कटौती मिलेगी उसे अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त 20,000 रु० के लाभों पर आयकर की औसत दर से छूट मिलेगी। सट्टा व्यापार की हानि को पूरा करने के लिए अगले वर्ष ले जायेंगे।

4. लाभांश के लिए धारा 80 L के अन्तर्गत मिलने वाली कटौती फर्म को स्वीकृत नहीं होती।

(7) अजय व आलोक वकीलों की एक रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार हैं। वे अपने कर-निर्धारण के विषय में आपको निम्नलिखित जानकारी देते हैं :—

		रु०
व्यवसाय से आय (जिसमें से अजय को 10,000 रु० वेतन के दिये गये हैं)		80.000
साझेदारों की अन्य आय इस प्रकार है :		
अजय : प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल)	रु० 9,000	
किराया प्राप्त हुआ	6,000	
आलोक : सट्टा व्यापार से हानि	20,000	
करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	30,000	

फर्म का कर-दायित्व निकालिये व साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिए।

व्यवसाय से आय जो प्रश्न में दी गई है	80,000
जोड़ा—अजय को दिया गया वेतन	10,000
कुल सकल आय	90,000
कटौतियाँ	—
कुल आय	90,000

आयकर की गणना

कुल आय के प्रथम 10,000 रु० पर	कुछ नहीं
कुल आय के अगले 15,000 रु० पर 4%	600
कुल आय के अगले 25,000 रु० पर 7%	1,750
कुल आय के शेष 40,000 रु० पर 13%	5,200
	7,550
सरचार्ज 10%	755
फर्म का कर-दायित्व	8,305

साझेदारों में विभाजन

	अजय	आलोक
वेतन	10,000	—
लाभ में हिस्सा 90,000—(10,000+8,305)	35,848	35,847
	45,848	35,847

साझेदारों का कर-निर्धारण

अजय

1. प्रतिभूतियों पर ब्याज		9,000
2. प्राप्त किराया	6,000	
नगरपालिका कर	—	
वार्षिक मूल्य	6,000	
मरम्मत व्यय $\frac{1}{6}$	1,000	5,000
3. रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ		45,848
कुल सकल आय		59,848
कटौतियाँ		—
कुल आय		59,848

आलोक

1. करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	30,000
2. फर्म से लाभ	35,847
कुल सकल लाभ	65,847
धारा 80L के अन्तर्गत ब्याज के लिए कटौती	3,000
कुल आय	62,847

आलोक के लिए यह बचतपूर्ण कदम है कि वह अपनी करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज में से सर्वप्रथम धारा 80L की कटौती प्राप्त करे तथा शेष रकम अर्थात् 27,000 रु० पर आयकर की औसत दर अथवा $27\frac{1}{2}\%$ (जो भी कम हो) की दर से आयकर की छूट प्राप्त करले।

(8) पीछे दिये गये उदाहरण (4) में दी गई अ, व और स की फर्म यदि रजिस्टर्ड है तो आप इसका कर-दायित्व निकालिए व इसके लाभों का विभाजन कीजिए।

Total Income as calculated earlier	Rs. 52,100
Tax on the first Rs. 10,000	nil
Tax on the next Rs. 15,000 @ 5%	750
Tax on the next Rs. 25,000 @ 7%	1,750
Tax on the balance of Rs. 2,100 @ 15%	315
	2,815

Surcharge at 10 per cent	282
Total tax liablity	3, 097

Allocation of firm's total Income

	A	B	C	Total
Salary	5,000	—	—	5,000
Commission	3,000	2,000	4,000	9,000
Interest on capital	2,400	3,200	5,800	11,400
	10,400	5,200	9,800	25,400
Balance of business profits (461,00—25.400—3,097)	5,868	5,868	5,867	17,603
Share is businees profit	16,268	11,068	15,667	43,003
Share in devidend	2,000	2,000	2,000	6,000
Share in total income	18,268	13,068	17,667	49,003

अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण

1. अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण एक व्यक्ति की तरह होता है अर्थात् इसे अपनी आय के 6,000 रु० तक होने पर आयकर नहीं देना पड़ता। कुल आय के अधिक होने पर उन्हीं दरों के अनुसार कर-दायित्व की गणना की जाती है जो एक व्यक्ति (Individual) की दशा में लागू होती है।

2. आयकर अधिकारी द्वारा धारा 183 (a) के अन्तर्गत अनरजिस्टर्ड फर्म की कुल आय का निर्धारण करने के पश्चात् आयकर की देय राशि निकाल ली जाती है।

3. धारा 67 में दी गई विधि के अनुसार (जिसका उल्लेख किया जा चुका है) साझेदार को फर्म से प्राप्त होने वाली राशि निकाल कर उसकी कुल आय में जोड़ देते हैं।

4. फर्म की कुल आय पर इसके द्वारा यदि आयकर दिया जाता है तो साझेदारों को फर्म से प्राप्त होने वाली आय उनकी कुल आय में केवल दर-निर्धारण के लिए जोड़ी जाती है। अन्य शब्दों में फर्म ने यदि अपनी कुल आय पर आयकर दिया है तो ऐसी फर्म से मिलने वाली आय साझेदारों की कुल आय में सम्मिलित कर देते हैं। इसके बाद आयकर की औसत दर से इस रकम पर छूट मिल जाती है।

5. फर्म की कुल आय के कर-योग्य सीमा से कम होने के कारण यदि इसके द्वारा आयकर नहीं दिया जाता तो फिर साझेदारों को इस फर्म से प्राप्त होने वाली आय पर कोई छूट नहीं मिलती।

6. धारा 183 (b) के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि आयकर अधिकारी जब यह समझता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण रजिस्टर्ड फर्म की भाँति करने से अधिक आयकर प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसी फर्म का कर-निर्धारण रजिस्टर्ड फर्म की भाँति ही उक्त धारा के अन्तर्गत किया जाता है।

अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि की पूर्ति साझेदार अपनी अन्य आयों से नहीं कर सकते। हानि की पूर्ति तथा उसे आगे ले जाने का अधिकार आयकर अधिनियम के अन्तर्गत फर्म को ही प्राप्त है।

अनरजिस्टर्ड फर्म को धारा 183 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म मानकर कर-निर्धारण :—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि साझेदारों का हित इसी में निहित है कि फर्म को रजिस्टर करा लिया जावे क्योंकि इससे आयकर में बचत होगी किन्तु सदैव ऐसा नहीं होता। जब साझेदारों की अन्य आय फर्म की आय की अपेक्षा अधिक होती हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म द्वारा आयकर का भुगतान कम दर से किया जाता है किन्तु साझेदारों की आय के अधिक होने की वजह से औसत दर अधिक होती है जिससे उनको फर्म से मिले लाभ पर अधिक दर से छूट मिल जाती है। धारा 183 (b) ऐसे गतिरोध का पर्याप्त उपाय है। आयकर अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाये कि अनरजिस्टर्ड फर्म को रजिस्टर्ड फर्म मानकर अधिक आयकर प्राप्त किया जा सकता है तो वह इस फर्म को रजिस्टर्ड मानकर कर-निर्धारण करेगा। इस स्थिति में रजिस्टर्ड फर्म की दशा में लागू होने वाले निम्नलिखित प्रावधान कार्यान्वित होंगे :

1. फर्म के द्वारा रजिस्टर्ड फर्म पर लगने वाला आयकर दिया जायेगा।
2. हानि को आगे ले जाने व पूरा करने वाली व्यवस्था।
3. अनिवासी साझेदार का कर-निर्धारण।
4. प्रत्येक साझेदार को फर्म से मिले हिस्से में से फर्म द्वारा 30% धनराशि आयकर दायित्व के भुगतान के लिये रोके रखना।

रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्म के कर-निर्धारण में अन्तर

1. **करमुक्त आय की अधिकतम सीमा**—रजिस्टर्ड फर्म की आय पर आयकर तभी लगता है जबकि इसकी कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो। अनरजिस्टर्ड फर्म की स्थिति में कुल आय 6,000 रु० से अधिक होने पर ही आयकर लगना प्रारम्भ हो जाता है।

2. **कर की दरें**—रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय पर विशेष दरों से आयकर लगाते हैं जो बहुत कम होती हैं। यह दर 4% से लेकर 24% है। अनरजिस्टर्ड फर्म पर व्यक्ति के लिए लागू होने वाली दरों में आयकर लगता है जो 12% से प्रारम्भ होकर 77% तक जाती है।

3. **साझेदारों में लाभों का विभाजन**—रजिस्टर्ड फर्म द्वारा दिया गया आयकर फर्म की कुल आय में से घटा देते हैं तथा शेष को साझेदारों में बाँटते है, साझेदारों को अपने कर-निर्धारण के समय इस पर आयकर देना होता है। अनरजिस्टर्ड फर्म की दशा में फर्म द्वारा दिया गया आयकर लाभों में से नहीं घटाया जाता, बल्कि सम्पूर्ण लाभ को साझेदारों में बाँट देते हैं। साझेदारों के कर-निर्धारण के समय अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली आय कुल आय में जोड़ते है तथा इस पर आयकर की औसत दर से छूट मिलती है।

उदाहरण के लिए एक व्यापारिक फर्म जिसमें सुभाष व अनिल साझेदार हैं, 20,000 रु० का लाभ गतवर्ष में करती है; रजिस्टर्ड फर्म होने की दशा में फर्म का कर-दायित्व 550 रु० होगा व व्यापार के लाभ का विभाजन करते समय शेष 19,550 रु० सुभाष व अनिल के बीच बाँटे जायेंगे। फर्म के अनरजिस्टर्ड होने की दशा में फर्म का कर-दायित्व 2,453 रु० होगा किन्तु लाभों के विभाजन के समय 20,000 रु० वितरित किये जायेंगे न कि 17,547 रु०।

4. **हानि की पूर्ति**—रजिस्टर्ड फर्म से साझेदारों को होने वाली हानि की पूर्ति उनके द्वारा अपनी अन्य आयों से कर ली जाती है। अनरजिस्टर्ड फर्म मे साझेदारों को होने वाली हानि की पूर्ति साझेदारों द्वारा नहीं की जा सकती। हानि की पूर्ति करने का अधिकार केवल अनरजिस्टर्ड फर्म को ही प्राप्त है।

5. **हानि को आगे ले जाना**—रजिस्टर्ड फर्म की हानि साझेदारों में बाँट दी जाती है। तथा उन्हें इसे आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार प्राप्त है। फर्म को ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है। अनरजिस्टर्ड फर्म की हानियाँ कर-निर्धारण के लिए साझेदारों में नही बाँटी जातीं अतः उनके द्वारा हानियों को आगे ले जाकर पूर्ति करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। हानि को आगे ले जाकर पूर्ति करने का अधिकार केवल फर्म को ही प्राप्त है।

6. **स्थिति परिवर्तन**—रजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण कभी भी अनरजिस्टर्ड फर्म की भाँति नहीं किया जा सकता, जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण धारा 183(b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की भाँति किया जा सकता है बशर्ते कि आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि ऐसा करने से आयकर की अधिक रकम प्राप्त हो सकेगी।

7. **साझेदारों को फर्म से आय तथा उनका कर-निर्धारण**—रजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ साझेदारों की कुल आय में शामिल होना है तथा उस पर कर लगाया जाता है। अनरजिस्टर्ड फर्म चूँकि व्यक्ति की भाँति ही अपनी कुल आय पर आयकर देती है, अत: साझेदारों को इससे प्राप्त लाभ पर आयकर नहीं देना पड़ता किन्तु यह लाभ इनकी कुल आय में सम्मिलित अवश्य किये जाते हैं। तत्पश्चात् इन पर औसत दर से आयकर की छूट मिल जाती है।

(9) एक फर्म में करीम व गरीब दो बराबर के साझेदार हैं जिसे 31 मार्च 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में 30,000 रु० की हानि इस प्रकार हुई है—

	रु०
व्यापार से लाभ (करीम की पूँजी पर 10,000 रु० व्याज देने के बाद)	50,000
भवन सम्पत्ति से हानि	—80,000
हानि	—30,000

साझेदार करीम को इस गतवर्ष में भवन सम्पत्ति से आय 25,000 रु० हुई है तथा गरीब पिछले वर्ष से 10,000 रु० कपड़ा व्यापार की हानि को आगे लाकर पूरा करना चाहता है। इसे अन्य किसी आय की प्राप्ति नहीं होती। कपड़ा व्यापार 31 मार्च 1974 को बन्द किया जा चुका है।

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए यह मानते हुए कि (अ) फर्म रजिस्टर्ड है, (ब) फर्म अनरजिस्टर्ड है,।

	रु०
लाभ-हानि खाते के अनुसार व्यापार से लाभ	50,000
जोड़ा—करीम को दिया गया ब्याज	10,000

व्यापार से लाभ	60,000
भवन सम्पत्ति से हानि	—80,000
फर्म की कुल हानि	—20,000

आय का विभाजन

	करीम	गरीब
पूँजी पर ब्याज	10,000	—
व्यापारिक लाभों में हिस्सा	25,000	25,000
	35,000	25,000
पट्टे पर ली गई सम्पत्ति से हानि	—40,000	—40,000
फर्म की हानि में हिस्सा	—5,000	—15,000

कर-निर्धारण

इस प्रश्न में महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्म को हुई हानि व्यापारिक हानि न होकर यह भवन सम्पत्ति से हुई है जिसे केवल इसी वर्ष में पूरा किया जा सकता है, इसे आगे ले जाकर पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(अ) **जब फर्म रजिस्टर्ड है :** रजिस्टर्ड फर्म अपनी हानि आगे नहीं ले जा सकती। वैसे भी यह हानि पूरा होने के लिए आगे नहीं ले जाई जा सकती। करीम अपनी 5,000 रु० की हानि को अपनी 25,000 रु० की अन्य आय से पूरा करेगा। इस प्रकार उसकी कुल सकल आय 20,000 रु० हुई। गरीब अपनी पिछली व्यापार से हुई हानि को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वह व्यापार बन्द हो चुका है। इस वर्ष की हानि भवन सम्पत्ति **से** सम्बन्धित होने के कारण आगे नहीं ले जाई जा सकती।

(ब) **जब फर्म अनरजिस्टर्ड है**—फर्म को यद्यपि हानि को आगे ले जाने का अधिकार प्राप्त है किन्तु सम्पत्ति से होने वाली हानि को आगे ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। करीम को अपनी 25,000 रु० के लाभों पर आयकर देना होगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि को पूरा करने का अधिकार साझेदार को नहीं है।

(10) क ख ग कम्पनी एक साझेदार फर्म है जिसमें वे क्रमश: 2 : 1 : 1 के लिए साझेदार हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए इसे 37,500 रु० की हानि होनी है जो निम्नलिखित व्ययों को लाभ-हानि खाते में डेबिट करने के बाद आई है।

	क	ख	ग
वेतन	8,000	5,000	6,000
पूँजी पर ब्याज	16,000	1,000	4,000

दान 800 रु० व उपहार 700 रु०।

फर्म की हानि को साझेदारों में बाँटिये तथा यह बताइये कि इनके कर-निर्धारण में हानि को किस प्रकार समायोजित किया जायेगा। फर्म का कर-निर्धारण किस प्रकार होगा, यदि फर्म (अ) रजिस्टर्ड है, अथवा (ब) अनरजिस्टर्ड है।

			रु०
लाभ हानि खाते के अनुसार हानि			—37,500
समायोजित किये गये अस्वीकृत व्यय :			
1. दान व उपहार		1,500	
2. वेतन :			
क	8,000		
ख	5,000		
ग	6,000	19,000	
3. पूँजी पर ब्याज			
क	16,000		
ख	1,000		
ग	4,000	21,000	41,500
		फर्म की आय	4,000

साझेदारों में विभाजन

	क	ख	ग	योग
वेतन	8,000	5,000	6,000	19,000
ब्याज	16,000	1,000	4,000	21,000
शेष हानि	—18,000	—9,000	—9,000	—36,000
फर्म की आय में हिस्सा	6,000	—3,000	1,000	4,000

कर-निर्धारण

अ. **जब फर्म रजिस्टर्ड है**—चूँकि फर्म की आय 10,000 रु० से कम है अतः फर्म द्वारा आयकर देने का प्रश्न ही नहीं हैं। चूँकि क व ग में से प्रत्येक की आय 6,000 रु० से अधिक नहीं है अतः ये आयकर नहीं देंगे। ख अपनी 3,000 रु० की हानि को पूरा करने के लिए अगले 8 वर्षों तक ले जा सकता है। यह मान लिया गया है साझेदारों को अन्य कोई आय प्राप्त नहीं होती।

ब. **जब फर्म अनरजिस्टर्ड है**—चूँकि फर्म की आय 6,000 रु० से कम है अतः कर-योग्य नहीं है। यह मानते हुए कि क, ख अथवा ग में से किसी भी साझेदार को अन्य कोई भी आय प्राप्त नहीं होती है, इनमें से किसी भी साझेदार को आयकर देने की आवश्यकता नहीं है।

(11) श्री अरविन्द मोहन द्वारा गतवर्ष 1974-75 से सम्बन्धित अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है। आप उनकी कुल सकल आय व कुल आय की गणना कीजिए :

अ. प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) 2,400 रु० । उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर 552 रु० ।

ब. भारत एण्ड कम्पनी से प्राप्त हुआ $\frac{5}{8}$वाँ हिस्सा—22,000 रु० । यह फर्म अनरजिस्टर्ड है ।

स. एक रजिस्टर्ड फर्म आलम एण्ड कम्पनी से प्राप्त $\frac{1}{2}$ हिस्से की हानि 10,000 रु० ।

द. सरदार एण्ड कम्पनी, जो रजिस्टर्ड फर्म है, से $\frac{1}{3}$ भाग की हानि 8,000 रु० ।

उपर्युक्त सूचनाओं के आधार पर आप श्री अरविन्द मोहन की कुल आय की गणना कीजिए । इन्होंने इन सभी धनराशियों को अर्जित व प्रबन्ध करने के लिए एक आफिस रखा हुआ है, जिसके लिए 3,000 रु० वेतन व बोनस आदि के रूप में व्यय हुआ है ।

———

		रु०
1. प्रतिभूतियों से आय		2,400
2. व्यापार व पेशे से आय		
अनरजिस्टर्ड फर्म से आय	22,000	
रजिस्टर्ड फर्मों से हानि	—18,000	
	4,000	
घटाया—स्वीकृत व्यय	3,000	1,000
कुल सकल आय		3,400

इस प्रश्न से सम्बन्धित सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये दो निर्णय महत्वपूर्ण हैं :

1. C. I. T. v. Ramniklal Kothari [1969] 74 I. T. R. 57 : यह निर्णय किया गया था कि करदाता द्वारा फर्मों से आय प्राप्त करने के लिये यदि कोई आवश्यक व्यय किये जाते हैं जैसे वेतन, बोनस, ह्रास आदि, तो इन व्ययों को फर्मों से प्राप्त लाभों में से समायोजित कर दिया जाता है ।

2. Seth Jamnadas Daga & Others v. C. I T. 41 I. T. R. 630 : करदाता को रजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि को अगले वर्ष पूरा करने के लिये ले जाने का अधिकार है तथा साथ ही इसे अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों से भी समायोजित किया जा सकता है ।

उदाहरण

(12) करदाता एक संयुक्त साहस में आधे हिस्से के लिये सम्मिलित हुआ । इसका मुख्य कार्य मशीनों का क्रय विक्रय है । संयुक्त साहस के विघटन पर करदाता ने 2,06, 372 रु० मूल्य की मशीन अपने हिस्से के लिये लीं । अपनी हिसाब की पुस्तकों में प्रविष्टि करते समय उसने मशीन खाते में 4 लाख रुपये अधिक डेबिट किये । इसके बाद एक साझेदारी फर्म की स्थापना हुई जिसमें करदाता आधे हिस्से के लिये साझेदार

हुआ। इस नई फर्म को इसने अपनी पूंजी के एवज में यह मशीन 6,07,372 रु० मूल्य के लिये हस्तान्तरित कर दी। आयकर अधिकारी इस आधिक्य को करयोग्य समझता है।

C. I. T. v. Hind Construction Ltd. [1972] 83 I. T. R. 211 में यह निर्णय दिया गया है कि किसी भी बिक्री से दो पक्ष सम्बन्धित होते है—क्रेता व विक्रेता। कोई व्यक्ति यदि अपनी सम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उन सम्पत्तियों पर लाभोपार्जन किया है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने अपने हिस्से की पूंजी के लिए अपनी कुछ सम्पत्ति उस साझेदारी फर्म को हस्तान्तरित की है जिसमें कि वह साझेदार हो तो ऐसा हस्तान्तरण भी 'बिक्री' के अन्तर्गत नहीं आता। इस उदाहरण मे न तो लाभोपार्जन उस समय हुआ है जब कि संयुक्त साहस के बँटवारे पर करदाता ने मशीन ली है और न उस समय जब कि यही मशीन उसके द्वारा साझेदारी फर्म को हस्तान्तरित की गई है।

13 A & B are active partners while C & D are sleeping partners in a firm. A profit and loss account, drawn for the year ending 31st March, 1975 shows a profit of Rs. 25,000. The profit has been arrived at after allowing salary and interest to partners as follows :—

	A	B	C	D
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Salary	5,000	3,000	—	—
Interest	2,000	4,000	6,000	3,000

Partners share the profit or loss equally.

The private income of the partners is as follows :—

	Rs.
A—Earned income	15,000
B—Unearned income	6,000
C—Unearned income	8,000
D—Half share in an unregistered firm	22,000

You are required to show the assessment of the firm if it is unregistered and the assessment of the partners if the firm is registered.

			Rs.
Net profit as per P & L a/c			25,000
Add Inadmissible amounts :			
Salary to A	Rs. 5,000		
Salary to B	3,000	8,000	
Interest :			
A	2,000		
B	4,000		
C	6,000		
D	3,000	15,000	23,000
Total Income			48,000

When the firm is unregistered

Allocation amongst partners

	A	B	C	D
Interest on capital	2,000	4,000	6,000	3,000
Salary	5,000	3,000	—	—
Share in profit (48,000—23,000)	6,250	6,250	6,250	6,250
	13,250	13,250	12,250	9,250
Private Incomes	15,000	6,000	8,000	22,000
Partner's Gross Total Income	28,250	19,250	20,250	31,250

The firm shall pay tax on Rs. 48,000 and partners' share in total income of the firm shall be included in their respective total incomes only for rate purposes.

A shall pay tax on Rs. 15,000 at the rates applicable to Rs. 28,250.
B shall pay tax on Rs. 6,000 at the rates applicable to Rs. 19,250.
C shall pay tax on Rs. 8,000 at the rates applicable to Rs. 20,250.
D shall not pay any tax because he does not have any income other than that from another unregistered firm.

When the firm is registered

	Rs.
Tax payable by the firm	
On the first Rs. 25,000	750
On the next Rs. 23,000 @ 7%	1,610
	2,360
Surcharge @ 10% of tax	236
Tax payable	2,596

Allocation amongst partners

	A	B	C	D
Interest on capital	2,000	4,000	6,000	3,000
Salary	5,000	3,000	—	—
Share of profit [48,000–23,000+2,596]	5,601	5,601	5,601	5,601
	12,601	12,601	11,601	8,601
Private income	15,000	6,000	8,000	22,000
Gross Total Income of the partners	27,601	18,601	19,601	30,601

14 Following is the Profit and Loss Statement for the year 1974 of a firm consisting of 3 partners E, F and G.

		Rs.			Rs.
To Salary of F		5,000	By Profit b/d		15,000
,, Interest on capital :			,, Net loss		
E	1,000		E	4,000	
F	3,000		F	4,000	
G	7,000	11,000	G	4,000	12,000
To Depreciation		6,000			
To Commission to G		5,000			
		27,000			27,000

Other incomes of the partners are as under :	Rs.
E : Income from property (computed)	1,000
Interest on securities (gross)	2,000
F : Profit from an unregistered firm	10,000
Speculation business	5,000
G : Profit from a registered firm 'Triplex'	33,000

He claims a deduction of Rs. 7,500 out of profits from these two firms paid as salary and bonus to staff and other trading expenses expended by him in earning profits.

Explain how the assessment would be made (i) when the firm is registered, and (ii) when it is unregistered.

Computation of Profit

		Rs.
Loss as per Profit and Loss a/c		—12,000
Less Amounts disallowed :—		
i. Salary to F	5,000	
ii. Interest on capital	11,000	
iii. Commission to G	5,000	21,000
Net Profit of the firm		9,000

Allocation amongst partners

	E Rs.	F Rs.	G Rs.
Salary	—	5,000	—
Interest on capital	1,000	3,000	7,000
Commission	—	—	5,000
Net Loss	—4,000	—4,000	—4,000
Income from the firm	—3,000	4,000	8,000

(1) Assessment when the firm is registered

The firm shall not pay tax on its income since it is below the minimum taxable limit i. e., Rs. 10,000.

E E's share of loss in the firm will be set off against his income from other sources. His total income will be calculated as follows :—

	Rs.
1. Interest on securities (gross)	2,000
2. Income from property	1,000
	3,000
Less share of loss in the registered firm	—3,000
Gross Total Income	Nil

F F's computation of total income will be on the following lines :

Profits from business :	Rs.
i. Profit from registered firm	4,000
ii. Profit from unregistered firm	10,000
iii. Income from speculation business	5,000
Gross Total Income	19,000

F is entitled to rebate of income-tax at average rate on Rs. 10,000 being profit from unregistered firm because it must have paid income-tax on its total income.

G	Profit from business :	Rs.
	i. Profit from this concern	8,000
	ii. Profit from registered firm 'Triplex'	33,000
		41,000
	Less expenses claimed and allowed	7,500
	Gross Total income	33,500
	Deductions	Nil
	Total Income	33,500

G is entitled to a deduction of Rs. 7,500 spent by him exclusively to earn his share of profits because the profits and gains of the assessee must be ascertained from the point of view of commercial expediency and not commercial accounting. C. I. T. v. Atma Ram Modi (1969) 71 I. T. R. 199; C. I. T. Ramniklal Kothari (1969) 74 I. T. R. 57.

(II) Assessment when it is unregistered

The firm shall have to pay income-tax on its total income of Rs. 9,000 at appropriate rates.

Assessment of Partners

E E's income from other sources is Rs. 3,000 while he is incurring a loss of Rs. 3,000 in this firm which is unregistered. Since the partners do not have any right to set off or carry forward their shares of loss in an unregistered firm, E's total income for all purposes will be Rs. 3,000 and not zero.

F F's tax liability will be determined as follows :—

Profit from business	Rs.
i. Income from this firm	4,000
ii. Income from another firm which is also unregistered	10,000
iii. Speculation profits	5,000
Gross Total Income	19,000

F is entitled to rebate of income-tax on Rs. 14,000 being profit from unregistered firms. In other words he shall pay tax on Rs. 5,000 at the rates applicable to Rs. 19,000.

G G's total income would be Rs. 33,500 but he is entitled to a rebate of income-tax at average rate on Rs. 8,000 as his share of profit from an unregistered firm.

फर्म के संगठन में परिवर्तन

संगठन में परिवर्तन से आशय—धारा 187 (2) के अनुसार फर्म के संगठन में परिवर्तन माना जाता है यदि—

(अ) एक या एक से अधिक साझेदार साझेदारी छोड़ दें, अथवा एक या एक से अधिक नये साझेदार बन जावें तथा ये परिवर्तन ऐसी परिस्थितियों में हों जब कि पुराने साझेदारों में से कम से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद में भी चलता रहे; अथवा

(ब) साझेदारों में परिवर्तन तो न हो, किन्तु उनके परस्पर लाभ-हानि के अनुपातों में परिवर्तन अवश्य हो गया हो ।

कर निर्धारण–आयकर अधिनियम की धारा 187 (1) के अनुसार कर-निर्धारण के समय फर्म का जो संगठन रहता है उसी पर आयकर-निर्धारण किया जाता है । किन्तु गतवर्ष की आय उन सभी साझेदारों में बाँट देते हैं जिन्हें उस आय को प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था । किसी साझेदार से यदि आयकर की वसूली नहीं हो सकी है तो कर की ऐसी राशि फर्म से वसूल की जा सकती है ।

साझेदार की मृत्यु—मृत साझेदार के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखने की हैं—

1. मृत साझेदार के अपने जीवन-काल में उपार्जित आय पर यदि कुछ आयकर बाकी है तो वह उसके वैध उत्तराधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है ।

2. न चुकाये गये आयकर के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी का वही दायित्व होना है जो कि जीवित रहने की स्थिति में मृत व्यक्ति का होता । किन्तु उत्तराधिकारी का यह दायित्व केवल उस रकम तक ही सीमित रहता है जितनी रकम की सम्पत्ति उसे मृत व्यक्ति से विरासत में मिली है ।

3. मृत व्यक्ति यदि किसी फर्म का साझेदार था तथा उसने अपने जीवनकाल में फर्म से प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर का भुगतान नहीं किया है तो मृत व्यक्ति के जीवन काल में कर-निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई हो अथवा नहीं, उसके उत्तराधिकारी को आयकर देना ही होगा ।

4. अवकाश ग्रहण करने वाले अथवा मृत साझेदार का फर्म की हानि में यदि हिस्सा है तो यह हानि इसी साझेदार की अन्य आय से पूरी की जा सकती है तथा इसे आगे नहीं ले जाया जा सकता ।

एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म का लिया जाना—धारा 188 के अनुसार जब एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म अपने में मिला ली जाती है तो ऐसी स्थिति में फर्म के दो कर-निर्धारण होते हैं, एक कर-निर्धारण स्वामित्व के हस्तान्तरण के पूर्व उपार्जित आय के लिये व दूसरा स्वामित्व के हस्तान्तरण होने के बाद में उपार्जित हुई आय के लिये होता है । प्रथम कर-निर्धारण में करदायित्व का भुगतान, पुरानी फर्म द्वारा तथा दूसरे कर-निर्धारण में आयकर का भुगतान नवीन फर्म द्वारा किया जाता है ।

फर्म का विघटन

1. धारा 189 के अनुसार जब फर्म द्वारा संचालित व्यापार व पेशा बन्द हो जाता है, अथवा यदि फर्म का विघटन होता है तो आयकर अधिकारी ऐसी फर्म की कुल आय का निर्धारण इस प्रकार से करता है जैसे कि फर्म में ऐसा कोई परिवर्तन आदि नहीं हुआ है ।

2. आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर को ऐसी फर्म के द्वारा किये गये कुछ अपराधों का यदि पता चल जाता है तो वे निर्धारित अर्थदन्ड भी इस फर्म पर लगा सकते हैं ।

3. फर्म के आयकर सम्बन्धी सभी दायित्वों के चुकाने का पूरा दायित्व उन व्यक्तियों का है जो इसके समापन अथवा विघटन के समय साझेदार थे ।

4. मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी भी आयकर की रकम चुकाने के लिये बाध्य होता है बशर्ते कि यह दायित्व उसी रकम तक है जितनी रकम की सम्पत्ति मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई है।

5. फर्म के विघटन के समय यदि आयकर-निर्धारण की सुनवाई आयकर अधिकारी द्वारा हो रही हो तो विघटन से इस सुनवाई में जरा भी अन्तर नहीं पड़ता तथा कर-निर्धारण की सभी कार्यवाही पर्ववत् चालू रहती है।

15 A, B, C and D were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 30%, 25%, 20% and 25% respectively. After six months D left the firm and E was taken in and profit ratios were adjusted as under :—

A 25%, B 25%, C 25%, E 25%.

The profits of the firm for the previous year relevant to the assessment year 1975-76 amounted to Rs. 1,20,000 which included net interest of Rs. 5,775 on securities and interest of Rs. 3,000 charged to A on his debit balance. The profit of Rs. 1,20,000 has been arrived at after debiting the following :—

(1) Interest paid to B on his capital account, Rs. 4,000.
(2) Salary paid to C & D Rs. 1,200 and Rs. 6,000 respectively.
(3) Rent of Rs. 5,000 paid to D.
(4) Commission of Rs. 2,400 paid to E.
(5) Donation and charities Rs. 6,000.

Compute the total income of the firm and allocate the same amongst partners.

			Rs,
Net profit as per statement			1,20,000
Less Interest on securities to be treated separately			5,775
			1,14,225
Add Inadmissible items			
(1) Interest to B		4,000	
(2) Salary to—			
C	1,200		
D	6,000	7,200	
(3) Commission to E		2,400	
(4) Donation and charities		6,000	19.600
Taxable profit from Business			1,23,825
Interest on securities (grossed-up amount)			7,500
Gross Total Income			1,41,325
Deduction : under section 80 G : Donation 55% of Rs. 6,000			3,300
Total Income			1,38,025

Assuming that the profit accrued evenly throughout the year Rs. 69,019 represent the profits for the first six months and Rs. 69,013 the next six month. The allocation of profit for the first period shall be as follows :

Interest to B (six months)	2,000
Salary to C (six months)	600
Salary to D (full amount as he retires)	6,000
	8,600

Profit (69,012—8,600) Rs. 60,442 shall be shared as be low :

A	30 per cent	18,133
B	25 per cent	15,110
C	20 per eent	12,088
D	25 per cent	15,111
		60,442

Profit of Rs. 69,013 for the next six months shall be distributed as follows :

Interest to B (six months)	2,000
Salary to C (six months)	600
Commission to E (full amount)	2,400

Profit (69,013—5,000) Rs. 64,013 shall be shared equally :

A	16,003
B	16,003
C	16,003
E	16,004
	69,013

The position is summaried below :

A	(18,133+16,003)	=34,136
B	(2,000+15,110+2,000+16,003)	=35,113
C	(600+12,088+600+16,003)	=29,291
D	(6,000+15,111)	=21,111
E	(2,400+16,004)	=18,404
		1,38,025

व्यक्तियों का अन्य समुदाय

जव दो या दो से अधिक व्यक्ति आय प्राप्त करने व लाभोपार्जन के उद्देश्य मे सम्मिलित होकर एक संगठित इकाई बना लें तो इसे व्यक्तियों का अन्य समुदाय कहते हैं। परन्तु यह समुदाय ऐसा नहीं होना चाहिये जिसे हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी व स्थानीय सत्ता आदि समझा जा सके। इसका उद्देश्य लाभोपार्जन अवश्य ही होना चाहिये। आयकर की दृष्टि से ऐसे समुदाय की स्थिति एक व्यक्ति की भाँति होती है अर्थात् उसे उन्हीं दरों से आयकर देना पड़ता है जो व्यक्ति पर लागू होती है। समुदाय के प्रत्येक सदस्य की कुल आय में इससे मिलने वाला हिस्सा जोड़ देते है। सदस्यों को ऐसे समुदाय से प्राप्त होने वाली आय उसी प्रकार कर-योग्य होती है जिस प्रकार से कि अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त आय पर इन्हें कर देना पड़ता है।

उदाहरण

(16) एक व्यक्ति ने अवस्थापन पत्र (deed of settlement) द्वारा अपने तीन पुत्रों को (जो करदाता है) अपनी जायदाद के स्वामित्व अधिकारों का हस्तान्तरण 19 दिसम्बर 1968 को किया। ये तीनों भाई इस जायदाद की देखभाल व इससे लाभोपार्जन करने के उद्देश्य से सम्मिलित रूप से कार्य करने लगे। जायदाद का न तो बँटवारा हुआ और न निकाय (Corpus) में किसी का हिस्सा परिभाषित किया गया। आयकर अधिकारी इन तीनों को इस जायदाद से होने वाली आय के विषय में 'व्यक्तियों का अन्य समुदाय' की संज्ञा देना चाहते हैं। आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए।

———

इस मामले में तीन भाइयों ने एक सामान्य उद्देश्य से आपस में संगठन बनाया है जिससे कि वे हस्तान्तरित जायदाद से आय का उपार्जन कर सकें। इस सम्बन्ध में मैसूर उच्च न्यायालय का मत यह है कि 'व्यक्तियों का अन्य समुदाय' निश्चित करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि व्यक्तियों के संयुक्त रूप से मिलने का उद्देश्य उत्पादन, आय का उपार्जन, वंशागत सम्पत्ति से लाभोपार्जन अथवा कोई अन्य सम्पत्ति (जो उन्हें इन संयुक्त रूप से मिली है) से लाभोपार्जन है। प्रस्तुत मामले में तीनों व्यक्तियों को सही रूप में आयकर अधिकारी द्वारा 'व्यक्तियों का अन्य समुदाय' माना गया है।

(17) एक साझेदारी फर्म के विघटन के मुकद्दमे के दौरान न्यायालय द्वारा कुछ साझेदारों व एक वकील को फर्म का व्यापार चलाने की अनुमति दे दी गई क्योंकि इस प्रकार फर्म की सम्पत्तियों की वसूली सम्भव होगी व ऋणों की वसूली भी की जायेगी, ऋणों का भुगतान होगा तथा फर्म का शीघ्र समापन सम्भव होगा। इस अवधि के लाभों को भी साझेदारों में बाँटा जावेगा। प्रश्न यह है कि क्या इस वकील व साझेदारों के समुदाय को 'व्यक्तियों का अन्य समुदाय' मान कर कर-निर्धारण किया जा सकता है।

ऊपर दिये गये तथ्यों के आधार पर हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते हैं।

अ. न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये प्राप्ताओं (Receivers) का संगठन 'व्यक्तियों का अन्य समुदाय है'। हालाँकि उनकी नियुक्ति न्यायालय द्वारा हुई है व उन्होंने ऐच्छिक रूप से ही संयुक्त साहस के लिए कार्य किया है।

ब. यह समुदाय व्यापार संचालन में संलग्न था यद्यपि इसके लाभ साझेदारों में विभाजित किये गये।

स. अतः इन प्राप्ताओं को सही तरह से 'व्यक्तियों का अन्य समुदाय' ही माना जा सकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. रजिस्टर्ड एवं अनरजिस्टर्ड फर्म का अन्तर संक्षेप में लिखिए।
2. आयकर की दृष्टि से फर्म के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कार्यवाही को पूर्ण रूप से लिखिए।

निम्नलिखित में अन्तर बताइये—

(अ) रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्मों को होने वाली हानियाँ।

(ब) रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्मों का कर-निर्धारण।

4. रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्मों की हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने सम्बन्धी नियमों की व्याख्या कीजिये।
5. फर्म को रजिस्टर्ड कराने से जो लाभ होते हैं उन्हें लिखिए।
6. एक अनरजिस्टर्ड फर्म को कर-निर्धारण के लिए किन स्थितियों में रजिस्टर्ड माना जाता है।

PRACTICAL QUESTIONS

1. Ram Mohan and Hari are three partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 4 : 3 : 1. The profit and loss account of the firm for the relevant previous year shows a net loss of Rs. 20,000 after charging the following items—

Interest on capital :

Ram Rs. 4,000: Mohan Rs. 3,000; and Hari Rs. 2,000

Salary :

Ram Rs. 1,300; Mohan Rs. 800; and Hari Rs. 2,000

Taxable income of Ram from other sources was Rs. 8,000, while Mohan and Hari had no other income.

Explain how assessment would be made, (a) when the firm is registered, and (b) when it is unregistered.

2. A, B. C, D and E started business in partnership on 1st Jan., under the style of A. B and Company. Each partner contributed Rs. 1,00,000 as capital. The profit and loss account for the calendar year shows a net profit of Rs. 60,000 after providing for the following expenses :—

a. Interest paid to partners Rs. 30,000
b. Salary paid to A and B each at Rs. 2,400 per year.
c. Rent paid to E Rs. 5,000
d. Life Insurance Premium for a policy on the life of B, which has been assigned in the favour of the firm Rs. 1,000.

Compute its total income and allocate it amongst the five partners.

3. A, B, C are the partners of the firm styling A, B. C and Company. It carries on the business of manufacture and sale of pharmaceutical products. The partners share profits and losses equally. The profit and loss account of the firm for the year ended 31st March, disclosed a net profit of Rs. 3,00,000 only. This was arrived at by debiting *inter alia* the following expenses :

a. Rs. 6,000 paid as salary to A a partner who is a chemist and was in-charge of the firm's laboratory.
b. Rs. 3,000 paid as Rent to C, another partner for a godown owned by C and used by the firm for storing new materials and finished prodncts.
c. Rs. 25,000 paid as the cost of scientific instruments parchased on the 1st October, for the firm's laboratory, set up for carrying out research for improving the quality of the firm's products and finding out a cure for insanity and other mental decreases.
d. Rs. 1,500 incurred as law charges in connection with a suit instituted by the firm against the Chemicals Limited for infringing the firm's trade mark.

The firm has been registered by the Income-tax Officer under the Income-tax Act for the relevant assessment year.

Compute the total income of the firm for the assessment year, giving reasons for any adjustment that you may consider necessary in making the computation. Also allocate the total income of the firm among the partners.

भाग ५

प्रबन्ध

आयकर पदाधिकारी 18

(INCOME-TAX AUTHORITIES)

आयकर अधिनियम की कुशल व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत से अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनमें से कुछ अधिकारी प्रशासन से सम्बन्धित होते हैं, जिनका कार्य आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करदाताओं की कुल आय की गणना तथा उस पर आयकर की वसूली करना होता है। दूसरी ओर कुछ अधिकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के न्यायपूर्ण विश्लेषण एवं व्याख्या से सम्बन्धित रहते हैं। इनका मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आयकर की धाराओं का सही अर्थ लगाया जा रहा है। किन्हीं धाराओं की व्याख्या आदि में यदि कहीं सन्देह होता है तो ये सन्देह के निवारण में करदाता की तथा प्रशासन सम्बन्धी अधिकारियों की सहायता करते हैं। इन अधिकारियों का वर्णन हम निम्नलिखित दो भागों में करेंगे।

1. प्रशासन सम्बन्धित (Administrative).
2. न्याय से सम्बन्धित (Judicial)।

प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारी

आयकर अधिनियम की धारा 116 में निम्नलिखित अधिकारियों का उल्लेख है :

a. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड;
b. डाइरेक्टर आफ इन्सपैक्शन;
c. आयकर कमिश्नर;
d. असिस्टेंट कमिश्नर आफ इन्कम टैक्स :
   (i) अपीलेट असिस्टैन्ट कमिश्नर
   (ii) इन्सपैक्टिंग असिस्टेंन्ट कमिश्नर
e. आयकर अधिकारी;
f. आयकर का इन्सपैक्टर।

इन सभी की नियुक्ति सम्बन्धी आयोजन, कार्यक्षेत्र एवं अधिकारों की चर्चा नीचे की गई है।

A. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board of Direct Taxes)

इस बोर्ड की स्थापना सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू अधिनियम, 1963, के अन्तर्गत हुई है। इससे पहले यह बोर्ड सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू कहलाता था जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। यह बोर्ड प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के करों

के लिए सर्वोच्च अधिकारी था। कार्य के विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इस बोर्ड को सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू अधिनियम 1963 के द्वारा दो भागों में बाँट दिया गया है :

1. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड, तथा
2. उत्पादन कर एवं आयातकरों का केन्द्रीय बोर्ड।

आयकर अधिनियम का प्रशासन प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के पास है जिसके इस समय पाँच सदस्य हैं इनमें से एक सदस्य अध्यक्ष है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती।

अधिकार—आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न नियमों के बनाने का इसे पूर्ण अधिकार है। कुशल व्यवस्था के लिए इसके द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनायें, टिप्पणियाँ (Notifications), निर्देश, आदि आयकर अधिकारियों, (जिनमें डाइरेक्टर्स आफ इन्सपैक्शन, आयकर कमिश्नर, इन्सपैक्टिंग असिस्टैन्ट कमिश्नर तथा आयकर अधिकारी सभी सम्मिलित हैं) को भेजे जाते है। ये सभी अधिकारी अपना कार्य करते समय इन निर्देशों का पालन करते हैं। इसके अतिरिक्त इन सभी अधिकारियों के कार्यक्षेत्र को निश्चित करना तथा इन सबके द्वारा होने वाले कार्य पर निगरानी रखना भी इसी बोर्ड के कार्यों में आता है। इन साधारण अधिकारों के अतिरिक्त इस बोर्ड को अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट अधिकार भी दिये गये हैं :—

1. धारा 2 (17) के अन्तर्गत एक ऐसा समूह जो निगमित हुआ हो अथवा नहीं, जो भारतीय हो अथवा नहीं, बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के लिये कम्पनी घोषित किया जा सकता है।

2 धारा 3 (1)(c) के द्वारा इसे व्यक्ति व व्यापारों के गतवर्ष को निश्चित करने का अधिकार है।

3. बोर्ड द्वारा धारा 11 (1)(c) के अन्तर्गत ऐसे निर्देश दिये जा सकते हैं जिनसे पुण्यार्थ कार्यों (जो ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देते हैं जिसमें भारत की रुचि है) के लिये बने न्यास की आय किसी करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती।

4. धारा 126 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अपने अधीन सभी अधिकारियों कमिश्नर आदि) के कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया जाता है।

5. बोर्ड द्वारा धारा 127 के अन्तर्गत एक आयकर अधिकारी से दूसरे आयकर अधिकारी को मुकद्दमे हस्तान्तरित किये जा सकते हैं।

6. जब आयकर अधिकारी 8 वर्षों की समाप्ति पर पुनः कर-निर्धारण का नोटिस देना चाहता है, तो उसे बोर्ड की सहमति धारा 151 के अन्तर्गत प्राप्त करनी पड़ती है।

7. धारा 288 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि अधिकृत प्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्याशी को लेखा विज्ञान (Accountancy) की कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक है।

8. इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए विभिन्न नियम आदि बनाने का अधिकार धारा 295 के अन्तर्गत बोर्ड को दिया गया है।

बोर्ड को इस अधिनियम के अन्तर्गत विस्तृत सामान्य अधिकार मिले हुए हैं। करदाताओं की शिकायतों की सुनवाई बोर्ड द्वारा की जाती है। किसी विशेष क्षेत्र

द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों को किस प्रकार लागू करना है, इसका निर्धारण भी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

B. डाइरेक्टर्स आफ इन्सपैक्शन (Directors of Inspection)

केन्द्रीय सरकार द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई व घटाई जा सकती है। डाइरेक्टर आफ इन्सपैक्शन वह अधिकारी है जो धारा 117 (1) के अन्तर्गत नियुक्त होता है तथा इसमें अतिरिक्त डाइरेक्टर आफ इन्सपैक्शन (Additional Director of Inspection) व उप एवं सहायक डाइरेक्टर्स (Deputy and Assistant Directors भी सम्मिलित हैं। ये केन्द्रीय बोर्ड के नियन्त्रण में रहते हैं तथा उन सभी कार्यों को करते हैं जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा इन्हें बताया जाता है। इनके परस्पर कार्य क्षेत्र का निर्णय भी केन्द्रीय बोर्ड द्वारा होता है।

अधिकार—इन्सपैक्टिंग असिस्टैन्ट कमिश्नर तथा अपने क्षेत्र के आयकर अधिकारियों पर इनका नियन्त्रण रहता है। धारा 135 के अनुसार इन्हें करदाता के सम्बन्ध में वे सभी अधिकार मिले हुए हैं जो कि आयकर अधिकारी को प्राप्त हैं, अर्थात् करदाता को बुलाना, उससे विभिन्न प्रकार की बातों के द्वारा अनेक सूचनाओं का इकट्ठा करना आदि।

C. आयकर कमिश्नर (Commissioner of Income-tax)

इनकी नियुक्ति भी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इनकी संख्या आवश्यकता पर निर्भर है। प्रायः प्रत्येक राज्य के लिए एक कमिश्नर की नियुक्ति होती है परन्तु ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि एक ही कमिश्नर के पास एक से अधिक राज्य हैं तथा ऐसा भी है कि एक राज्य में दो कमिश्नर हैं। ये डाइरेक्टर्स आफ इन्सपैक्शन के अधीन नहीं होते। कमिश्नरों द्वारा उन क्षेत्रों, व्यक्तियों, आय के विशेष प्रकारों तथा निश्चित प्रकार की स्थितियों के लिए किया जाता है जिनका निश्चय बोर्ड द्वारा किया गया है। यदि कोई क्षेत्र आदि बोर्ड द्वारा दो या दो से अधिक कमिश्नरों के लिये दिया गया है तो वे दोनों ही इस क्षेत्र में कार्य करेंगे। इन दोनों अधिकारियों में कार्य का विभाजन एवं निर्धारण बोर्ड द्वारा किया जाता है। कमिश्नरों के द्वारा कुछ कार्य न्याय-व्यवस्था से सम्बन्धित भी किये जाते हैं जिनका उल्लेख धारा 263 व 264 में मिलता है।

अधिकार

(1) **नियुक्ति**—धारा 117 (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों को ध्यान में रखते हुए आयकर कमिश्नर द्वारा आयकर अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) तथा इनकम टैक्स इन्सपैक्टरों की अपनी आवश्यकतानुसार नियुक्ति की जाती है, संख्या के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है।

(2) **विशिष्ट क्षेत्र, विषय व व्यक्ति**—धारा 125 के अन्तर्गत कमिश्नर एक लिखित संदेश द्वारा किन्हीं विशिष्ट मामलों आदि से सम्बन्धित आयकर अधिकारी के अधिकार इन्सपेक्टिंग असिस्टैंट कमिश्नर से तथा अपीलेट असिस्टैंट कमिश्नर के अधिकार कमिश्नर से प्रयोग करने के लिये कह सकता है। आयकर अधिकारी के किन्हीं विशिष्ट क्षेत्रों आदि से सम्बन्धित कुछ कार्य (जो लिखित आदेश में दिये हुये होने चाहिए) इनकमटैक्स इन्सपैक्टर अथवा आफिस के किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिये जा सकते हैं जो कमिश्नर के अधीन हो, अथवा किसी ऐसे अन्य आयकर अधिकारी के अधीन कार्य करता हो जो स्वयं इस कमिश्नर के अधीन है।

(3) **किसी मुकदमे का हस्तान्तरण**—धारा 117 के अन्तर्गत मिले हुये अधिकार के द्वारा इनकमटैक्स कमिश्नर किसी भी करदाता के मामले को अपने अधीन किसी एक आयकर अधिकारी के पास से किसी दूसरे आयकर अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है। ऐसा करने से पहले वह करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये एक उचित अवसर देगा। तत्पश्चात् वह उन कारणों को लिखेगा जिनके लिये वह हस्तान्तरण किया जा रहा है। परन्तु यदि यह हस्तान्तरण उसी नगर में एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को किया जा रहा है तो करदाता को ऐसा अवसर देने की आवश्यकता नहीं है।

(4) **न्यायालय के अधिकार**—धारा 131 के द्वारा आयकर अधिकारी, अपीलेट असिस्टैंट कमिश्नर, इन्सपैक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर तथा कमिश्नर को निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित वे सभी अधिकार मिले हुये है जो Code of Civil Procedure 1908 के अन्तर्गत एक न्यायालय को प्राप्त होते हैं—

(अ) खोज तथा निरीक्षण (Discovery and Inspection);
(ब) किसी व्यक्ति को अपने आफिस में उपस्थित रहने के लिये बाध्य करना तथा शपथ दिला कर उसका ब्यान लेना;
(स) वहीखाते तथा अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना;
(द) कमीशन नियुक्त करना (issuing commissions)।

ये सभी अधिकारी किसी भी उस व्यक्ति पर 500 रु० तक का जुर्माना कर सकते हैं जो जानबूझकर निर्दिष्ट समय व स्थान पर उपस्थित नहीं हुआ अथवा वहीखाते व प्रलेख आदि प्रस्तुत न कर सका। कमिश्नर द्वारा, वहीखातों तथा ऐसे प्रलेखों को जब्त भी किया जा सकता है तथा ऐसा करने के लिये वह कारण बताने को बाध्य नहीं है।

(5) **तलाशी व अभिग्रहण** (Search and Seizure)-धारा 132 के अनुसार यदि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर डाइरेक्टर आफ इन्सपैक्शन अथवा कमिश्नर को यह विश्वास हो जाता है कि आवश्यक नोटिस देने के पश्चात् भी किसी व्यक्ति ने बहीखाते तथा प्रलेख आदि प्रस्तुत नहीं किये है तथा यह आशंका है कि आयकर निर्धारण के लिये जिन बहीखातों व दस्तावेजों की जरूरत है, ऐसा व्यक्ति इन्हें भविष्य में भी प्रस्तुत नहीं कर सकेगा तथा इस व्यक्ति के पास ऐसा रुपया, सोना, चाँदी जेवरात तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुयें है जो उस आय व सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती है जिन पर आयकर नहीं लगा है; तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी डिपुटी डाइरेक्टर आफ इन्सपैक्शन, इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा आयकर अधिकारी को निम्नलिखित कदम उठाने के लिये अधिकृत कर सकता है।

i. किसी उस इमारत में प्रवेश करना तथा तलाशी लेना जिसमें वहीखाते, रुपया सोना, चाँदी, तथा दस्तावेज आदि रखे जाते हैं।

ii. किसी दरवाजे, सन्दूक, लौकर, सेफ अलमारी आदि के तालों को तोड़कर बहीखाते आदि को तलाश करना।

iii. ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप मिले हुये बहीखातों, प्रलेखों, रुपयों, सोना, व चाँदी को अपने अधिकार में ले लेना।

iv. तलाशी में प्राप्त हुये बहीखातों तथा प्रलेखों पर कोई ऐसा चिन्ह डालना अथवा हस्ताक्षर करना जिससे कि इन्हें भविष्य में पहचाना जा सके।
v. तलाशी से प्राप्त हुये रुपये, सोना, चांदी व जेवर आदि की एक सूची तैयार करना।

अधिकृत अधिकारी तलाशी आदि का काम करने के लिये पुलिस अधिकारियों की सहायता ले सकता है। तलाशी में प्राप्त विभिन्न वस्तुओं को अपने अधिकार में रखना यदि ऐसे अधिकारी को व्यवहारिक नहीं मालूम पड़ता तो वह इन वस्तुओं के स्वामी को एक लिखित आदेश द्वारा इन वस्तुओं का हस्तान्तरण करने आदि से रोक सकता है।

(6) **जाँच का अधिकार** – धारा 135 के अन्तर्गत कमिश्नर को किसी भी विषय एवं मुकदमे में जांच करने सम्बन्धी सभी वे अधिकार प्राप्त है जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को मिले हुये हैं।

(7) **करदाता सम्बन्धी सूचना का प्रकटीकरण** (Disclosure of information respecting assessees)—केन्द्रीय बोर्ड अथवा इसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति करदाता के सम्बन्ध में सूचनायें निम्नलिखित सार्वजनिक अधिकारियों को दे सकता है :

i. किसी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा निकाय को जो किसी कर, प्रशुल्क, फीस अथवा विदेशी विनियम के नियमन आदि का प्रबन्ध करते हों।
ii. ऐसे अधिकारी आदि जो किसी ऐसे अधिनियम अथवा क्षेत्र में कार्य करते हों जिनकी घोषणा इस धारा के लिये केन्द्रीय सरकार ने कर दी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी घोषणा तभी की जायेगी जबकि ऐसा करना सार्वजनिक हित में हो।

इस धारा के अन्तर्गत वही सूचना दी जायेगी जो कि उपर्युक्त अधिकारियों के लिये उपयोगी हो। करदाता सम्बन्धी सूचना किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी दी जा सकती है जिसने निर्धारित विधि से इसके लिये आयकर कमिश्नर को प्रार्थनापत्र दिया है तथा आयकर कमिश्नर यह समझते हैं कि सूचना देना सार्वजनिक हित में है। कमिश्नर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस विषय में अन्तिम निर्णय होगा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती।

इस सम्बन्ध में विचारणीय यह है कि यद्यपि आयकर विभाग इस धारा के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य कर-निर्धारण सम्बन्धित सूचना देने अथवा न देने के विषय में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है किन्तु इससे किसी न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना माँगने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता। न्यायालय को यह पूरा अधिकार है कि वह किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को बुलाकर किसी भी प्रपत्र अथवा प्रलेख को तलब कर सकता है जब तक कि ऐसा करना किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न कर दिया गया हो।[1]

D. इन्सपैक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर (Inspecting Assistant Commissioner)

इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है तथा ये कमिश्नर के अधीन कार्य करते हैं। एक कमिश्नर के अन्तर्गत कई इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर होते हैं। इनका

1. Amar Singh Lamba v Seva Singh [1973] 90 I. T. R. I.; Digamber Bhuyan v Nityanand Sahoo [1974] 94 I. T. R. 459

चाहिये। आयकर अधिकारी इन दस्तावेजों तथा बहीखातों पर कुछ चिन्ह बना सकता है अथवा हस्ताक्षर कर सकता है जिससे कि इन्हें पहचानने में कठिनाई न हो। ऐसे बहीखातों आदि की नकल लेने का अधिकार भी आयकर अधिकारी को प्राप्त है।

F. **आयकर इन्सपेक्टर** (Income-tax Inspector)

इनकी नियुक्ति कमिश्नर द्वारा होती है परन्तु नियुक्ति करते समय कमिश्नर को भारत सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न नियमों का पालन भी करना पड़ता है। ये आयकर अधिकारी के अधीन कार्य करते हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ये बहीखाते देखने, जाँच करने, करदाता के सम्बन्ध में विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करने तथा बाजारो में जाकर सर्वे करने का कार्य करते है तथा ऐसे कार्यों में आयकर अधिकारी की सहायता करते हैं।

न्याय सम्बन्धी अधिकारी

A. आयकर अधिकारी (Income-tax Officer)

न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों में भी आयकर अधिकारी को प्रथम स्थान प्राप्त है। न्याय से इसका सम्बन्ध इसलिये है कि कुल आय के निर्धारण में इसे निष्पक्ष होकर कार्य करना पड़ता है। कुछ विशेष मामलों में इसे अपना निर्णय भी देना होता है। अतः ऐसे निर्णय देते हुए उसे कुछ समय के लिए यह भूल जाना चाहिए कि वह आयकर प्रशासन से भी सम्बन्धित है।

अधिकार—न्याय सम्बन्धी इनके अधिकार निम्नलिखित है :—

i. कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 1908 के अन्तर्गत जो अधिकार किसी न्यायालय को प्राप्त होते है वे सभी अधिकार धारा 131 के द्वारा इसे प्राप्त हैं। इनका वर्णन पिछले पृष्ठों पर दिया जा चुका है।

ii. धारा 133 के द्वारा आयकर अधिकारी को सूचनायें माँगने सम्बन्धी विभिन्न अधिकार दिये गये हैं। इन सभी अधिकारों का वर्णन इन्सपैक्टिग असिस्टैन्ट कमिश्नर के अन्तर्गत पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है।

iii. धारा 134 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर, ऋणपत्रधारियों तथा रहनधारियो के रजिस्टरों को भली प्रकार प्रयोग कर सकता है।

B. अपीलेट असिस्टैन्ट कमिश्नर (Appellate Assistant Commissioner)

जब करदाता आयकर अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो पाता तथा उसके द्वारा लगाये गये आयकर के विषय में उसे कुछ कहना होता है तो वह अपीलेट असिस्टैन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है। इनका नियन्त्रण प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के द्वारा ही होता है, कमिश्नर के द्वारा नहीं। परन्तु इनके निर्णय में बोर्ड को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है तथा इनके अधिकार निम्नलिखित हैं—

1. **सूचनायें माँगने का अधिकार** :—धारा 136 के अन्तर्गत इन्हें विभिन्न सूचनायें माँगने के इन्सपैक्टिग असिस्टैन्ट कमिश्नर जैसे ही अधिकार मिले हुए हैं।

2. अपील सम्बन्धी अधिकारों का विवेचन धारा 251 में किया गया है जो इस प्रकार है :—

अ कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता द्वारा की गई अपील से सम्बन्धित कर-निर्धारण को वह सम्पुष्ट, घटा बढ़ा व रद्द कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो आयकर अधिकारी को एक आदेश द्वारा पुनः कर-निर्धारण के लिए कह सकता है ।

ब. अर्थदण्ड के विरुद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में भी वह अर्थदण्ड की सम्पुष्टि कर सकता है, रद्द कर सकता है बढ़ा व घटा सकता है ।

स. किसी अन्य स्थिति में वह ऐसे आदेश दे सकता है जो उसकी दृष्टि में उचित है। परन्तु ध्यान यह रखना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य जिससे करदाता के करदायित्व में वृद्धि होती है, उसके द्वारा तब ही किया जा सकता है जबकि उसने करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दे दिया है ।

K. आयकर कमिश्नर (Commissioner of Income-tax)

आयकर कमिश्नर मुख्य रूप से प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी है परन्तु उसे आयकर अधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण पर कुछ स्थितियों में पुनर्विचार (Revision) करने का अधिकार भी मिला हुआ है ।

अधिकार—धारा 263 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत की गई किसी भी कार्यवाही का विवरण आयकर अधिकारी से माँगा जा सकता है तथा यदि वह समझता है कि आयकर अधिकारी द्वारा दिया कोई आदेश गलत है तथा सरकारी आय के लिए अहितकर (Prejudicial to Revenue) है तो वह करदाता को अपनी बात स्पष्ट करने का एक उचित अवसर देकर तथा मामले में उचित जांच पड़ताल करने के बाद उचित आदेश द्वारा कर-निर्धारण को परिस्थतियों के अनुकूल बढ़ा या घटा सकता है, रद्द कर सकता है अथवा पुनः -कर-निर्धारण का आदेश दे सकता है। परन्तु कमिश्नर द्वारा किसी आदेश पर पुनर्विचार (Revision) दो वर्ष से अधिक बीत जाने पर नहीं हो सकता तथा धारा 147 के अन्तर्गत दिये गये पुनः कर-निर्धारण (Reassessment) के आदेश पर पुनर्विचार नहीं हो सकता ।

धारा 264 के अन्तर्गत कमिश्नर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने अधीनस्थ अफसरों द्वारा विभिन्न कार्यवाहियों में दिये गये आदेशों पर स्वयं ही पुनर्विचार के लिये रिकार्ड मँगवा सकता है, अथवा करदाता द्वारा प्रार्थना किये जाने पर किन्हीं भी आदेशों पर उसके द्वारा पुनर्विचार भी किया जा सकता है तत्पश्चात् उसके द्वारा उचित आदेश दिया जा सकता है, परन्तु यह करदाता के अहित में नहीं होना चाहिए ।

इस धारा के अन्तर्गत कमिश्नर स्वयं ही ऐसे किसी आदेश पर विचार नहीं कर सकता जो एक वर्ष से अधिक पुराना हो। करदाता द्वारा पुनर्विचार का प्रार्थना पत्र आदेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ही 25 रु० फीस सहित भेज दिया जाना चाहिए ऐसे किसी आदेश पर कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार नहीं किया जायगा जिसकी अपील अपीलेट असिस्टैन्ट कमिश्नर के यहाँ की जा चुकी है ।

D. अपीलेट ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)

आयकर के न्याय-सम्बन्धी अधिकारियों में यह सर्वोच्च प्राधिकारी है जो तथ्यों के मामले में अन्तिम न्यायालय है। इसका संचालन कानून मन्त्रालय के अन्तर्गत होता है, वित्त मन्त्रालय द्वारा नहीं। इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। इनमें प्रायः

दो सदस्य होते हैं जो दो विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ होते हैं। एक सदस्य न्याय विशेषज्ञ व दूसरा लेखाशास्त्र विशेषज्ञ होता है। ट्रिब्यूनल के इन दोनों सदस्यों में जुडीशियल सदस्य इसका अध्यक्ष रहता है।

जुडीशियल सदस्य कम से कम दस वर्ष की प्रेक्टिस वाला एडवोकेट, दस वर्ष का अनुभवी नागरिक, न्यायाधिकारी सेवा (Civil Judicial service) का आफीसर अथवा तीन वर्ष के अनुभव वाला केन्द्रीय वैधानिक सेवा (Central Legal Service not below grade III) का व्यक्ति होना आवश्यक है। एकाउन्टेण्ट सदस्य वह चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट हो सकता है जिसने कम से कम दस वर्ष प्रेक्टिस की हो अथवा कम से कम तीन वर्ष तक इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर रहा हो।

तथ्य सम्बन्धी विषयों में ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम निर्णय है। इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, परन्तु कानूनी प्रश्नों पर इसके निर्णय के विरुद्ध हाई-कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। हाईकोर्ट में अपील करने के लिए ट्रिब्यू-नल की स्वीकृति ले लेनी चाहिए। परन्तु यदि ट्रिब्यूनल की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त न हो तो स्वीकृति प्राप्त करने सम्बन्धी विषय को लेकर भी करदाता हाईकोर्ट में जा सकता है।

आयकर अधिनियम की धारा 252 से लेकर 255 तक अपीलेट ट्रिब्यूनल से सम्बन्धित है। धारा 255 (6) के अनुसार अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिये इसे वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो धारा 131 के अन्तर्गत अन्य आयकर अधिकारियों को प्राप्त हैं। ट्रिब्यूनल की स्थिति एक सिविल कोर्ट के बराबर की है। अतः सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) के अध्याय 36 में दिये गऐ विभिन्न अधिकार भी इसे प्राप्त है।

E. उच्च न्यायालय (High Court)

अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से यदि करदाता अथवा आयकर विभाग सन्तुष्ट नहीं है तो इनमें से कोई भी पक्ष ऐसे निर्णय के विरुद्ध निर्णय अथवा आदेश की तिथि से साठ दिन की अवधि के अन्दर ही निर्धारित फार्म पर उच्च न्यायालय में अपील के लिये जा सकता है परन्तु उसे यह सिद्ध करना पड़ता है कि निर्णय के किसी कानूनी मुद्दे पर ही प्रार्थी को असन्तोष है।

अपील करने के पूर्व ट्रिब्यूनल की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है परन्तु स्वीकृति न मिलने पर भी उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। कभी-कभी कोई पक्ष ट्रिब्यूनल से अनुरोध करता है कि वह कानूनी प्रश्न पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त कर ले। यदि ट्रिब्यूनल उच्च न्यायालय में अपील के लिए जाने की अनुमति नहीं देता तो प्रभावित पक्ष मना करने की तिथि के 6 माह के अन्दर हाईकोर्ट में प्रार्थनापत्र दे सकता है। यदि हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के निर्णय को नहीं मानता तो वह ट्रिब्यूनल को पूरे मामले का विवरण बनाकर भेजने के लिए आदेश देता है। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर ट्रिब्यूनल द्वारा मुकद्दमे का विवरण (Statement of case) बनाकर हाईकोर्ट को भेजा जाता है। अपील करने के लिए करदाता को निर्धारित शुल्क जमा करना पड़ता है परन्तु आयकर विभाग द्वारा ऐसा शुल्क जमा नहीं किया जाता।

ऐसी अपील में आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व आयकर कमिश्नर (Commi-ssionor of Income-tax) द्वारा किया जाता है। हाईकोर्ट में दो या दो से अधिक जज ऐसे मामलों को सुनते हैं। निर्णय बहुमत से होता है। निर्णय की एक प्रति ट्रिब्यूनल के पास आवश्यक संशोधनों के लिए भेज दी जाती है।

F. सर्वोच्च न्यायालय (Suprem Court)

भारत में यह अन्तिम न्यायालय है। यदि हाईकोर्ट के निर्णय से किसी पक्ष को असन्तोष है तो वह ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है परन्तु हाईकोर्ट से ऐसा प्रमाणपत्र लेना पड़ता है कि मामला सुप्रीमकोर्ट जाने के योग्य है। यदि हाईकोर्ट से ऐसा प्रमाणपत्र नही मिल पाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय को लेकर जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपील की सुनवाई करता है। यदि ऐसी सुनवाई के परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट के निर्णय में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय की एक प्रति अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दी जाती है जिससे कि वह अपने आदेशों में उचित परिवर्तन कर सके।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. आयकर विभाग के विभिन्न अधिकारियों के नाम बताइये तथा उनके कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।
2. आयकर अधिकारी के अधिकारों एवं कर्तव्यों पर प्रकाश डालिये।
3. आयकर अधिनियम 1961 में वर्णित आयकर कमिश्नर की स्थिति का स्पष्टीकरण कीजिए।
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :—
   (अ) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड।
   (ब) इन्सपैक्टिग असिस्टैन्ट कमिश्नर।
   (स) आयकर संचालक।
   (द) आयकर इन्सपैक्टर।
   (य) अपीलेट असिस्टैन्ट कमिश्नर।
   (र) अपीलेट ट्रिब्यूनल।
5. भारतीय आयकर विधान के शासकीय अधिकारियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
6. कागजात तथा हिसाब की पुस्तकों को माँगने में सम्बन्ध के विभिन्न आयकर अधिकारी के अधिकार एवं कर्त्तव्य लिखिये।
7. क्या आयकर विभाग द्वारा किसी भी कर-निर्धारण सम्बन्धी जानकरी की सूचना किसी अन्य विभाग को दी जा सकती है? यदि हो तो इस विषय में सभी प्रावधान लिखिये।
8. क्या यह सम्भव है कि किसी भी मामले की सुनवाई करते हुए कोई भी अदालत किसी व्यक्ति के कर-निर्धारण सम्बन्धी जनकारी प्राप्त कर सके?

19

कर-निर्धारण की कार्यविधि
(PROCEDURE FOR ASSESSMENT)

आयकर अधिनियम में प्रयुक्त 'कर-निर्धारण' से विभिन्न तात्पर्य निकलते हैं। इसका आशय कभी तो 'कुल आय' की गणना से होता है तथा कभी इसके अन्तर्गत आय-कर दायित्व का निकालना भी आ जाता है। साधारण अर्थों में कर-निर्धारण से हमारा तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनसे कुल आय की गणना सम्पन्न होती है तथा जिनके द्वारा करदाता व आयकर अधिकारी दोनों के परस्पर सहयोग से आयकर के दायित्व को निकाला जाता है।

कुछ सिद्धान्त

आयकर निर्धारण के लिए करदाता का होना अत्यावश्यक है। करदाता के न होने पर कर-निर्धारण की क्रिया प्रारम्भ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अत: किसी ऐसी कम्पनी का कर-निर्धारण नहीं हो सकता, जिसका समापन हो गया है तथा कम्पनी के रजिस्टर से जिसका नाम हट चुका है। C. I. T. v. Express Newspapers Ltd.[1960] 40 I. T. R. 38.

कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जबकि आयकर अधिकारी को किसी आय विशेष की प्राप्ति के विषय में सन्देह होता है कि यह 'अ' को भी प्राप्त हो सकती है व 'ब' को भी। ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह 'अ' अथवा 'ब' में से किसी का भी कर-निर्धारण कर सकता है। Lalji Haridas v. I. T. O. [1961] 43 I T. R. 387

किसी एक कर-निर्धारण वर्ष में कर-निर्धारण की क्रिया अपने आय में सम्पूर्ण क्रिया है तथा इससे किसी अन्य कर-निर्धारण वर्ष का कर-निर्धारण किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता।

कर-निर्धारण का आरम्भ

आय का नक्शा (Return of Income)—धारा 139 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को, जिसकी गतवर्ष की कुल आय आयकर लगने वाली सीमा से अधिक है, आय का नक्शा स्वयं ही दाखिल करना पड़ता है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आयकर लगने की सीमा 6,000 रु० है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय इससे अधिक है, आय का नक्शा जमा करने के लिए बाध्य है अत: इस प्रकार के नक्शे के जमा होने के साथ ही कर-निर्धारण की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है। आय का नक्शा निर्धारित फार्म पर निर्धारित विधि से प्रमाणित करके ही भेजा जाना चाहिए। नक्शा प्रत्येक उस व्यक्ति को भी भेजना पड़ता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए आय प्राप्त करता है।

धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा करने की अन्तिम तिथि :— आय का नक्शा निम्नलिखित अवधि में ही जमा हो जाना चाहिये :—

1. किसी उस व्यक्ति की स्थिति में जिसकी कुल आय में व्यापार व पेशे के लाभ सम्मिलित किये जाते है, गतवर्ष के समाप्त होने के 4 महीने की अवधि के अन्दर (परन्तु गतवर्षो के एक से अधिक होने पर अन्तिम गतवर्ष की समाप्ति से 4 महीने की अवधि गिनी जाती है) अथवा 30 जून तक, इन दोनों में जो भी बाद में आता है।

2. अन्य व्यक्तियों की स्थिति में कर-निर्धारण वर्ष की 30 जून तक ही नक्शा जमा करना पड़ता है।

जैसा कि पहले बता चुके है कि करदाता पर यह दायित्व है कि आय का नक्शा स्वयं ही दाखिल कर दे। ऐसा अनिवासी (Non-resident) को भी करना पड़ता है। [Pannalal Nandlal v. C.I.T. [1971] 41 I.T.R. 76]

उदाहरण के लिए जिन व्यक्तियों का व्यापारिक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, उन्हें 31 जुलाई तक व जिनका वर्ष 31 दिसम्बर को समाप्त होता है, उन्हें 30 जून तक अपनी आय का नक्शा आयकर अधिकारी को दे देना चाहिए। वैतनिक करदाता चूँकि 'अन्य व्यक्तियों' में आता है, अतः उसको आय का विवरण 30 जून तक भेज दिया जाना आवश्यक है।

कुछ वैतनिक करदाताओं की स्थिति में : धारा 139 (1A) के अनुसार अब उन करदाताओं को जिन्हें अपनी आय केवल 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होती है व जिनकी लाभांश आदि की आय 3,000 रु० से अधिक नहीं है, आय का विवरण भेजने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण यह है कि 'वेतन' में से नियोक्ता द्वारा उद्गम स्थान पर आयकर के काटे जाने का प्रावधान है जब कि धारा 80L के अन्तर्गत लाभांश आदि से प्राप्त होने वाली आय के लिए 3,000 रु० तक की कटौती स्वीकृत होती है। संक्षेप में ऐसे व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्तें पूरा करते हैं, आय का विवरण भेजने को बाध्य नहीं हैं।

(1) व्यक्ति यदि कम्पनी में कर्मचारी है, तो वह डाइरेक्टर अथवा ऐसा व्यक्ति न हो जो कम्पनी में सारवान हित रखता है।

(2) व्यक्ति की 'वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कुल मौद्रिक उपलब्धि 18,000 रु० वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए।

(3) ऐसी आय जो धारा 80L के अन्तर्गत कटौती के लिए स्वीकृत है, 3,000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए। UTI के यूनिटों पर इसके अतिरिक्त 2,000 रु० तक का ब्याज भी कर मुक्त है।

(4) वेतन में से धारा 192 के अन्तर्गत सही प्रकार से उद्गम स्थान पर आयकर काट लिया गया है।

अवधि मे वृद्धि (Extension of time)

करदाता कभी यदि यह महसूस करता है कि निर्धारित समय में वह आय का नक्शा दाखिल नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में अवधि में वृद्धि की व्यवस्था है। करदाता द्वारा निर्धारित ढंग से प्रार्थनापत्र देने पर आयकर अधिकारी द्वारा अपने विवेक से नक्शा दाखिल करने की अवधि में वृद्धि की जा सकती है किन्तु अवधि में ऐसी वृद्धि से धारा 139 (8) में दी गई ब्याज सम्बन्धी दायित्व में कमी नहीं आ सकती। निश्चित तिथियों के बाद में नक्शा जमा करने पर ब्याज देनी होती है।

आयकर अधिकारी द्वारा नोटिस [139(2)]

आयकर अधिकारी की सम्मति में यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत गत-वर्ष के लिये अपनी आय अथवा किसी अन्य व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में करयोग्य है तो वह सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से पहले उस व्यक्ति को नोटिस देकर आदेश देगा कि वह अपनी अथवा उस अन्य व्यक्ति की आय का नक्शा नोटिस मिलने की तिथि से 30 दिन की अवधि में दे दे। नक्शा निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग से दाखिल किया जाना चाहिए।

धारा 139 (2) के अन्तर्गत नोटिस का दिया जाना अनिवार्य न होकर वैकल्पिक है किन्तु आयकर अधिकारी यदि बिना आय के नक्शे के ही कर-निर्धारण करना चाहता है तो यह नोटिस अवश्य ही दिया जाना चाहिये। यह जान लेना भी आवश्यक है कि धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा न करने पर अर्थ दण्ड का भागी होना पड़ता है भले ही बाद में करदाता द्वारा धारा 139(2) के उत्तर में यह नक्शा जमा कर दिया गया हो। [C.I.T. v. Indra & Co. (1971) 79 I.T.R. 702]

करदाता यदि इस अवधि में भी वृद्धि कराने का इच्छुक है तो आयकर अधिकारी को इस सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर नक्शा जमा करने की तिथि में वृद्धि की जा सकती है। परन्तु ब्याज के लिए वही स्थिति रहेगी जिसका वर्णन धारा 139 (8) में दिया गया है।

हानि का नक्शा (Return of loss) [139(3)]—किसी व्यक्ति को गतवर्ष में यदि "व्यापार व पेशे के लाभ" अथवा "पूँजी लाभ" के अन्तर्गत हानि होती है जिसको यह करदाता पूरा करने के लिये आगे ले जाना चाहता है परन्तु उसे धारा 139 (2) के अन्तर्गत नोटिस नहीं मिला है, तो भी उस व्यक्ति को निर्धारित अवधि में धारा 139 (1) के अन्तर्गत हानि का नक्शा दाखिल कर देना चाहिए। इस अवधि में हानि का नक्शा दाखिल किये बिना हानि की पूर्ति के लिए अगले कर-निर्धारण वर्षों में नहीं ले जाया जा सकता।

आय का नक्शा देर से दाखिल करना (Belated return)—किसी व्यक्ति ने यदि धारा 139 (1) व 139 (2) के अन्तर्गत दी हुई अवधि में अपनी आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है तो वह कर-निर्धारण होने से पहले ऐसा कर सकता है। इसके लिए समय सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि है। कर-निर्धारण इसी अवधि में सम्पन्न हो जाता है। संक्षेप में कर-निर्धारण हो चुकने के बाद भेजा गया आय का विवरण कानून की दृष्टि में वैध नहीं है।

उदाहरण

याचिकादाता ने गतवर्ष 1953-54 के लिए अपनी आय का नक्शा 28 फरवरी, 1966 को स्वेच्छापूर्वक जमा किया। इस नक्शे के आधार पर आयकर अधिकारी ने 1 अप्रैल 1966 को कर-निर्धारण कर दिया तथा माँग का नोटिस भी भेज दिया। ऐसे कर-निर्धारण के विरुद्ध आयकर कमिश्नर के यहाँ याचिका दी गई जो उसने रद्द कर दी। याचिका दाता ने हाईकोर्ट में इस कर-निर्धारण को रद्द करने के लिये याचिका दी क्योंकि याचिकादाता के दावे के अनुसार यह कर-निर्धारण कालबाधित था।

यह सभी स्थिति Smt. Parbati devi v. C. I. T. (1970) 75 I. T R. 625 से सम्बन्धित है जिसमें हाईकोर्ट द्वारा याचिकादाता के इस तर्क को स्वीकार किया गया कि चूँकि आय का नक्शा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के लगभग

11 वर्षों वाद दिया गया है अतः यह नक्शा अमान्य है। निश्चय ही ऐसे नक्शे पर आधारित कर-निर्धारण को मान्यता नहीं दी जा सकती। अतः हाईकोर्ट द्वारा इस कर-निर्धारण को रद्द कर दिया गया।

ट्रस्ट आदि की दशा में आय का नक्शा [139 (4A)]—इस उपधारा के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति, जो धार्मिक व पुण्यार्थ ट्रस्टों की सम्पत्ति से आय प्राप्त करता है अथवा ऐसे ट्रस्ट आदि के लिये स्वेच्छा पूर्वक दिये हुये चन्दे स्वीकार करता है, आय का नक्शा भेजने के लिये बाध्य है। यह नक्शा तभी भेजा जायेगा जब धारा 11 व 12 में दी गई छूटों को ध्यान में न रखते हुये कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक है। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये यह सीमा 6,000 रु० व 1976-77 के लिये 8,000 रु० है। यह नक्शा निर्धारित फार्म पर तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों के अनुसार भेजा जाना चाहिये।

संशोधित नक्शा (Revised Return)—धारा 139 (1) अथवा (2) के अन्तर्गत आय का नक्शा दाखिल करने के बाद यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि उसके नक्शे में कुछ गलती रह गई है, अथवा कुछ आवश्यक तथ्य उसमें नहीं लिखे जा सके हैं तो वह अपने कर-निर्धारण से पूर्व धारा 139 (5) के अन्तर्गत एक संशोधित नक्शा दाखिल कर सकता है।

इस उपधारा के अन्तर्गत करदाता को उसी समय बचाव मिलता है जबकि उसने यथार्थ में गलती की है। किसी करदाता ने यदि जान बूझकर गलत विवरण भर कर भेज दिया है तो उसे इस उपधारा के अन्तर्गत संरक्षण प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

निर्धारित नक्शा—आय का नक्शा निर्धारित फार्म पर भेजा जाना चाहिये। जो करदाता व्यापार व पेशे में संलग्न है, उसे अपने व्यापार व पेशे का मुख्य स्थान, साझेदारों के नाम व पते, व्यक्ति के समुदाय के सभी सदस्यों के नाम व पते आदि देने चाहिए। साझेदारों के लाभ हानि का अनुपात भी इसी नक्शे के साथ भेजा जाना चाहिए।

देर से भेजे गये आय के नक्शों के लिये ब्याज [139 (8)]

धारा 139 की उपधारा (1), (2) अथवा (4) के अन्तर्गत किसी भी कर-निर्धारण वर्ष के लिये यदि आय का नक्शा निर्धारित तिथि तक नहीं भेजा जाता तो करदाता द्वारा 12% वार्षिक की दर से ब्याज देने की व्यवस्था है। ब्याज की गणना निर्धारित तिथि के अगले दिन से की जाती है व यह उस आयकर की रकम पर देय होती है जो नियमित कर-निर्धारण के समय कुल आय पर लगती है। इसमें से पेशगी दिया गया आयकर व आय के उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर घटा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि आय का नक्शा जमा नहीं किया जाता, ब्याज उस तिथि तक देय होती है जब यह कर निर्धारण सम्पन्न होता है। अन्य स्थितियों में यह नक्शा जमा करने की तिथि तक देय होती है।

बोर्ड द्वारा निर्धारित स्थितियों में आयकर अधिकारी को ब्याज घटाने व समाप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। रजिस्टर्ड फर्म (इसमें वह अनरजिस्टर्ड फर्म भी शामिल है जो धारा 183 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मानी जाती है) की स्थिति में ब्याज आयकर की उस रकम पर दिया जाता है जो फर्म के अनरजिस्टर्ड होने पर उसे देनी पड़ती।

ब्याज को घटाने व समाप्त करने का अधिकार—धारा 139 के अन्तर्गत कर-दाता द्वारा देय ब्याज को आयकर अधिकारी द्वारा कुछ निर्दिष्ट स्थितियों में घटाया जा सकता है अथवा समाप्त भी किया जा सकता है। आयकर नियम संख्या 117 A में इन दशाओं का वर्णन किया गया है। ये निम्नलिखित हैं :

(1) जब आय का नक्शा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसे धारा 163 के अन्तर्गत एक अनिवासी का प्रतिनिधि मान लिया गया है तथा जो उसकी आय के लिए करदाता है।

(2) जब आय का नक्शा ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसकी आय का साधन केवल एक ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म है जिस पर धारा 183 (b) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मानकर कर-निर्धारण किया गया है।

(3) आय का नक्शा जब मृत व्यक्ति के लिये उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा दिया जाता है तथा यह प्रतिनिधि आयकर अधिकारी को उन कारणों के बारे में आश्वस्त कर देता है जिनके कारण नक्शा भेजने में देरी हुई।

(4) आय का नक्शा जब धारा 148 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के उत्तर में भेजा गया है।

(5) किसी भी अन्य दशा में जबकि आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो गया है कि करदाता के पास ऐसे पर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से नक्शा देर में दाखिल हुआ।

ऊपर (4) व (5) में कमी की गई व समाप्त की गई ब्याज आदि 1,000 रु० से अधिक है तो आयकर अधिकारी को इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर की अनुमति ले लेनी चाहिए।

आय के नक्शे पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिये [140]—धारा 139 के अन्तर्गत जमा किये गये आय के नक्शे पर निम्नलिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं :—

1. **व्यक्ति की स्थिति में**—स्वयं व्यक्ति द्वारा। यह व्यक्ति यदि भारत के बाहर है तो उसके लिए किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर काफी होंगे। व्यक्ति करदाता यदि मानसिक अयोग्यता से पीड़ित है तो उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करने चाहिए।

2. **हिन्दू अविभाजित परिवार**—हिन्दू अविभाजित परिवार की स्थिति में उसके कर्त्ता द्वारा। कर्त्ता यदि भारत में उपस्थित नहीं है अथवा अपने परिवार के काम धन्धे को देखने में मानसिक रूप से अयोग्य है तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य हस्ताक्षर कर सकता है।

3. **कम्पनी**—कम्पनी व स्थानीय सत्ता की स्थिति में इसके मुख्याधिकारी (Principal Officer) द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं।

4. **फर्म**—फर्म की स्थिति में प्रत्येक बालिग साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं।

कर-निर्धारण के प्रकार

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-निर्धारण कई प्रकार से होता है। कभी करदाता को स्वयं अपनी कुल आय पर आयकर की गणना करनी पड़ती है कभी आयकर

अधिकारी को बिना किसी आय के विवरण के ही कर-निर्धारण करना होता है। इन सभी का समावेश निम्नलिखित कर-निर्धारणों में हो जाता है।

(a) स्वयं कर-निर्धारण (Self-assessment);
(b) कर की वापिसी के लिये अस्थायी कर-निर्धारण (Provisional assessment for refund);
(c) नियमित कर-निर्धारण (Regular assessment);
(d) सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण (Best Judgement assessment)
(e) पुन: कर-निर्धारण (Re-assessment)

स्वयं कर-निर्धारण [140-A]

धारा 140 A के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किये गये आय के नक्शे पर आयकर का दायित्व पेशगी जमा किये गये व उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर को घटाकर 500 रु० अथवा इससे अधिक आता है तो ऐसे व्यक्ति को नक्शा दाखिल करने के 30 दिन की अवधि के अन्दर आयकर की यह रकम स्वयं ही जमा करनी चाहिये। ऐसी दशा में रुपया जमा करने के लिये आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये माँग के नोटिस (Demand Notice) की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

आयकर की यह अदायगी यदि 30 दिन की अवधि के अन्दर नहीं की जाती तो आयकर अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड लगाने की व्यवस्था है। यह दण्ड आयकर के 50% तक ही हो सकता है तथा करदाता को अपनी सफाई का अवसर देने के बाद ही लगाया जा सकता है।

उदाहरण

करदाता इब्राहीम के आयकर के नक्शे के अनुसार उसकी कुल आय 30,000 रु० है। उसने आयकर का पेशगी भुगतान 2,000 रु० का कर दिया है। इसके अतिरिक्त उसे प्राप्त लाभांश में से 250 रु० उद्गम स्थान पर कटाने पड़े हैं। कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये निर्धारित दरों के अनुसार इब्राहीम का करदायित्व 6,303 रु० का है। इस सम्बन्ध में उसने गतवर्ष में 2,000 रु० पेशगी आयकर व 250 रु० उद्गम स्थान पर आयकर दिया है अर्थात् उसे अभी भी 4,053 रु० आयकर के लिये देने है। चूँकि यह राशि 500 रु० से अधिक है अत: उसे अपनी आय का नक्शा जमा करने के 30 दिनों की अवधि में अपने आयकर दायित्व का भुगतान धारा 140 A के अन्तर्गत कर देना चाहिये।

यह भुगतान यदि समय पर नहीं किया जाता तो आयकर अधिकारी द्वारा अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। यह अनियमितता यदि चालू रहती है तो और अधिक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। किन्तु इस उदाहरण में इस धारा के अन्तर्गत अधिकतम अर्थदण्ड (4053 का 50%) 2,027 रु० तक ही हो सकता है।

नक्शा जमा करने के 30 दिनों के अन्दर ही यदि नियमित कर-निर्धारण अथवा सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण हो जाता है तो अर्थदण्ड का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। सामान्य कर-निर्धारण के समय कर दायित्व की राशि में उस राशि को समायोजित कर देते हैं जिसका भुगतान इस धारा के अन्तर्गत किया जा चुका है।

आयकर की वापिसी के लिए अस्थायी कर-निर्धारण [141 A]

जब धारा 139 के अन्तर्गत करदाता द्वारा आय का नक्शा भेज दिया जाता है तथा करदाता का यदि यह दावा होता है कि इस नक्शे में दिखाई गई आय के लिए आयकर अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पेशगी में आयकर की जो राशि जमा की गई है वह उसके वास्तविक करदायित्व से अधिक है तथा आयकर अधिकारी अपने सम्मुख प्रस्तुत बहीखातो व विभिन्न प्रपत्रो को देखकर करदाता के इस दावे को स्वीकार करने के साथ ही यदि यह महसूस करता है कि नियमित कर-निर्धारण में बिलम्ब होने की आशका है तो वह आयकर की वापिस की जाने वाली रकम का निर्धारण अस्थायी कर-निर्धारण द्वारा कर देगा।

ऐसी स्थिति में जबकि नियमित कर निर्धारण आय का नक्शा मिलने की 6 महीने की अवधि में नहीं होता, आयकर अधिकारी द्वारा इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण कर दिया जाता है।

अस्थायी कर-निर्धारण के समय किये जाने वाले समायोजन [141 A (2)]—इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण करते समय आयकर अधिकारी करदाता द्वारा आय के नक्शे में दी गई आय व हानि की राशि में निम्नलिखित समायोजन करता है :

1. आय के नक्शे, खाते व विभिन्न प्रपत्रों में गणना सम्बन्धी गलतियाँ।

2. आय के नक्श, खाते व प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर निकाली गई ऐसी छूटें व कटौतियाँ जिनका करदाता ने अपने नक्शे में दावा नहीं किया है।

3. ऐसी सभी कटौतियों व छूटों को अस्वीकृत करना जिनका दावा करदाता ने अपने नक्शे में किया है किन्तु जो नक्शे व प्रपत्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर अस्वीकृत की जा सकती है।

4. पिछले गतवर्षो में किये गये नियमित कर-निर्धारण के आधार पर निम्नलिखित समायोजन :—

   i. अशोधित ह्रास;
   ii. अशोधित विकास छूट एवं विकास भत्ता;
   iii. पेटेन्ट अधिकारों व कापीराइट के लिये किए गए पूँजी व्यय का भाग;
   iv. आगे लाई गई व्यापारिक हानि, सट्टे से हानि, 'पूँजी लाभ' शीर्षक के अन्तर्गत हानियाँ।

नियमित कर-निर्धारण के समय आयकर की वापिस की गई रकम को समायोजित कर लिया जाता है। इस धारा के अन्तर्गत हुए कर-निर्धारण के विरुद्ध किसी प्रकार की अपील आदि किए जाने का प्रावधान नहीं है।

नियमित कर-निर्धारण [143]

धारा 139 के अन्तर्गत जब आय का नक्शा जमा कर दिया जाता है तो आयकर अधिकारी बिना करदाता को अपने सम्मुख बुलाये अथवा बिना किसी प्रपत्र को मँगाये कर-निर्धारण कर सकता है व कुल आय व हानि की गणना कर सकता है। ऐसा करते समय आयकर अधिकारी को आय के नक्शे में घोषित व इसके साथ संलग्न हिसाब की पुस्तकों एवं प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर समायोजन करने चाहिए। पिछले वर्षों से सम्बन्धित समायोजन करने के पश्चात् आयकर अधिकारी द्वारा देय आयकर अथवा कर की वापिसी (refund) की गणना की जाती है।

(1) **धारा 143 (1) के अन्तर्गत नक्शे के आधार पर** – करदाता को इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण कराने के लिये अपना नक्शा भेजते हुए सभी आवश्यक रसीदें व प्रपत्र आदि संलग्न कर देने चाहिए। व्यापारी को अपना लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण तथा बीमा आदि की रसीदें भी भेजनी चाहिये।

इस धारा 143 (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी द्वारा गणित सम्बन्धी शुद्धता की जाँच, स्वीकृत कटौतियाँ, अस्वीकृत व्यय, आगे ले जाने वाली हानियाँ व अशोधित ह्रास आदि का ध्यान रखा जाता है। ऐसे सभी समायोजन जो धारा 143 A के अन्तर्गत अस्थायी कर-निर्धारण के समय किये जाते हैं, इस कर-निर्धारण के सम्बन्ध में भी करने चाहिए।

धारा 143 (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण के लिये करदाता की उपस्थिति की की कोई जरूरत नहीं रहती और न किसी भी प्रपत्र को करदाता से माँगा ही जाता है, क्योंकि यह आवश्यक है कि आयकर के नक्शे के साथ पहले से ही सभी आवश्यक प्रपत्र संलग्न किये गए हों। कभी यदि आयकर अधिकारी द्वारा यह समझा जाता है कि मामले के सही निपटारे के लिये करदाता से साक्षात्कार करना अत्यावश्यक है अथवा करदाता से अभी प्रपत्र आदि और मंगाने है तो आयकर अधिकारी धारा 143 (2) के अन्तर्गत एक नोटिस करदाता को भेजेगा जिसमें उसे आफिस में उपस्थित रहने के लिए आवश्यक निर्देश होंगे।

(2) **धारा 143 (2) के अन्तर्गत सबूतों के आधार पर**—आयकर अधिकारी को कभी कभी यह आवश्यकता पड़ती है कि वह करदाता से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण चाहता है अथवा कुछ प्रपत्र व कुछ अन्य सबूत चाहता है। इसके लिये करदाता को अपने आफिस में बुला भेजता है। ऐसा करने के लिए एक नोटिस धारा 143(2) के अन्तर्गत भेजा जाता है जिसमें कि एक निश्चित तिथि को निश्चित समय करदाता को आवश्यक सबूतों के साथ बुलाया जाता है।

ऐसे नोटिस के उत्तर में करदाता को माँगे गये सबूत व प्रपत्र आदि प्रस्तुत करने चाहिए व स्वयं भी उपस्थित होकर आयकर अधिकारी की शंकाओं का समाधान करना चाहिए। इनके आधार पर व करदाता के बयानो को ध्यान में रखते हुए करदाता आयकर निर्धारण कर देगा। करदाता द्वारा यदि इस नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता तो इसके परिणाम स्वरूप सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण का प्रावधान है।

सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर करदाता को भी मिलता है। जब धारा 143 (1)के अन्तर्गत आय के नक्शे के आधार पर जब कर-निर्धारण किया जाता है किन्तु करदाता को इसमें आपत्ति होती है तो वह माँग का नोटिस मिलने के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति आयकर अधिकारी को भेज देगा। जिसके उत्तर में आयकर अधिकारी सभी सबूतों सहित करदाता को अपने आफिस में किसी निश्चित दिन बुला कर उन दस्तावेजों एवं करदाता के कथन की सत्यता की जांच करेगा व कर-निर्धारण कर देगा।

करदाता की उपस्थिति—निम्नलिखित स्थितियों में आयकर अधिकारी कर-दाता को एक नोटिस द्वारा किसी निर्धारित तिथि को अपने आफिस में उपस्थित होने की सूचना देगा तथा उससे अपने आय के नक्शे को आलम्बन (Support) देने वाले प्रपत्र अथवा साक्षियों को प्रस्तुत करने का आदेश देगा :—

अ. जब कर-निर्धारण धारा 143 (1) के अन्तर्गत किया गया है व करदाता द्वारा 'माँग के नोटिस' के मिलने के एक महीने के अन्दर ही आयकर अधिकारी को लिखित में अपने ऐतराज भेज दिये गये है ।

ब. कर-निर्धारण करने से पहले आयकर अधिकारी जब यह समझता है कि करदाता की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा मँगाये जाने वाले सबूत कर-निर्धारण की पूर्णता व विशुद्धता में सहायक होंगे ।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि धारा 143 (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण हो चुका है तथा करदाता की ओर से कोई ऐतराज भी नहीं है तो बिना इन्सपैक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पूर्व अनुमति के आयकर अधिकारी द्वारा करदाता को नहीं बुलाया जा सकता ।

यह ध्यान रखना चाहिए कि धारा 143 (2) के अन्तर्गत दिये गये नोटिस के उत्तर में करदाता द्वारा अपनी आय के नक्शे में दी गई सूचनाओं के प्रमाण में यदि साक्षी अथवा प्रपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसे धारा 144 के अन्तर्गत सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण का सामना तो करना ही पड़ेगा व इसके साथ उसे धारा 271 के अन्तर्गत अर्थदण्ड के लिए भी तैयार रहना चाहिए ।

(3) **धारा 143 (3) के अन्तर्गत कर निर्धारण :** करदाता द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर न उसके कथनों एवं सबूतों पर विचार करके आयकर अधिकारी द्वारा कर निर्धारण कर दिया जाता है । ऐसी दशा में जब कि कर-निर्धारण तो हो चुका है किन्तु करदाता द्वारा आपत्ति की जाती है अथवा आयकर अधिकारी की अपनी राय में ऐसा कर-निर्धारण अशुद्ध अपर्याप्त अथवा अपूर्ण है तो आयकर अधिकारी अपने कर-निर्धारण आदेश में मुक्त आय की गणना दुबारा करेगा ।

कोई भी कर-निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों में अपर्याप्त अथवा अपूर्ण समझा जाता है ।

1. कुल आय का निर्धारण जब गलत हुआ है ।
2. देय आयकर की राशि की गणना में अशुद्ध रह गई है ।
2. हानि की रकम का निर्धारण सही नहीं है ।
4. ह्रास व विकास छूट आदि विभिन्न स्वीकृत कटौतियों में अशुद्धि रह गई है ।
5. आयकर की वापिसी (refund) की गणना में अशुद्धि रह गई है ।
6. करदाता के दर्जे (status) का गलत निश्चय हुआ है ।
   दर्जे से यहाँ तात्पर्य व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म आदि से है ।

कर-निर्धारण से पूर्व जाँच पड़ताल [142]

बहीखातों एवं प्रपत्रों की प्रस्तुति : इस अधिनियम के अन्तर्गत आयकर अधिकारी किसी भी उस करदाता को, जिसने धारा 139 (1) अथवा 139 (2) के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा किया है. अथवा नहीं ; एक नोटिस द्वारा उसमें लिखित तिथि को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है :

अ. ऐसे सभी बहीखातों व प्रपत्र जिनकी आयकर अधिकारी को जरूरत है ।

ब. ऐसी सभी सामिग्री (इसमें करदाता की सम्पत्ति एव दायित्वों का विवरण सम्मिलित है) को निर्धारित ढंग से व निर्धारित फार्मों पर लिखित रूप से भेजना जिसका निर्देश आयकर अधिकारी द्वारा दिया गया है ।

आयकर अधिकारी यदि ऐसी सम्पत्तियों एवं दायित्वों का विवरण मांगता है जिनका उल्लेख वहीखातों में नहीं है तो इसके लिये आयकर अधिकारी को इन्सपैक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर को पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। आयकर अधिकारी द्वारा ऐसा विवरण चार व पाँच वर्षो मे एक बार माँगा जाता है व इससे करदाता के धन में वृद्धि की दर निकाली जाती है। इस विधि से छिपी हुई आय व धनराशि ज्ञात हो सकती है। खातों के बारे में एक सीमितता यह है कि गतवर्ष से पहले के तीन वर्षों की अवधि तक के वहीखाते मँगवाए जा सकते हैं इससे अधिक के नहीं, किन्तु प्रपत्रों के बारे में यह समय सीमा कार्य नहीं करती। आयकर अधिकारी को इस धारा के अन्तर्गत करदाता के व्यापार की किसी भी ऐसी ब्राँच के हिसाब मँगाने का अधिकार है जो भारत के बाहर स्थित है।

धारा 142 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था भी है कि आयकर अधिकारी द्वारा यदि किसी प्रपत्र का प्रयोग करदाता के विरुद्ध किया जाता है तो उसे अपनी बात स्पष्ट करने का एक उचित अवसर प्रदान किया जावेगा।

करदाता यदि वांछित सामिग्री आयकर अधिकारी को यथा समय नहीं दे पाता तो वह इस सामिग्री को किन्हीं अन्य उपायों द्वारा प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उसे साक्षी के रूप में विभिन्न व्यक्तियों को अपने आफिस में बुलाने तथा उनको शपथ दिलाकर बयान लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। वह अन्य पड़ौसी व्यापारियों को तथा व्यवस्थापकों को बुलाकर उनसे प्रश्न कर सकता है तथा करदाता के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार करदाता द्वारा दी गई सामिग्री तथा अन्य साधनों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयकर अधिकारी धारा 143 के अन्तर्गत करदाता की कुल आय की गणना करता है तथा आयकर की चुकाई जाने वाली रकम अथवा यदि आवश्यकता हो तो आयकर वापिसी की रकम की गणना भी उसे करनी पड़ती है।

संक्षिप्त कर निर्धारण
(Summary Assessment)

हमने धारा 143 (1) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा किये जाने वाले कर-निर्धारण का उल्लेख किया है। इसे संक्षेपतः कर-निर्धारण भी कहते हैं। बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में एक विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें इस कर-निर्धारण की निम्न-लिखित विशेषतायें दी गई हैं।

लाभ

(अ) आय को कर-निर्धारण प्रक्रिया सम्पन्न करने के लिए आयकर दफ्तर में नहीं बुलाया जाता।

(ब) आपसे अपने हिसाब किताब प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाता।

(स) आपका आय का नक्शा स्वीकृत कर लिया जाता है जिसमें कुछ वैधानिक समायोजन किये जा सकते हैं।

आप क्या करते हैं

(अ) आप यह देखिये कि आपका आय का नक्शा आपकी आय का सही व यथार्थ विवरण दर्शाता है।

(ब) आप का नक्शा हर प्रकार से सम्पूर्ण होना चाहिए तथा उसमें कुछ भी अधूरी नहीं होनी चाहिए।

(स) उसके साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न होने चाहिए।

(i) हिसाब का विवरण ;

(ii) आय के उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर के प्रमाण पत्र ,

(iii) जीवन बीमा प्रीमियम की रसीदें ;

(iv) अन्य सभी प्रपत्र जो नक्शे में दी गई सूचनाओं को प्रमाणित करते हों।

आयकर विभाग क्या करता है ?

आयकर अधिकारी आय के द्वारा दी गई सूचनाओं, आय के विवरण एवं संलग्न प्रपत्रों के अनुसार बिना आप को बुलाए एवं हिसाब की पुस्तकों को जाँचे ही आय का कर निर्धारण कर देगा। आप यदि ऐसे कर निर्धारण से सतुष्ट नही है तो माँग के नोटिस के मिलने के एक माह के अन्दर ही आयकर अधिकारी को लिखिए इसमें आप अपनी आपत्तियों का उल्लेख कीजिए। वह इस के सम्बन्ध में आपकी बात सुनेगा तथा आय का कर-निर्धारण दुबारा कर देगा।

मामले की पुनः सुनवाई [129]—कुल आय निर्धारण के बीच में ही यदि किसी आयकर अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा किसी अन्य कारण से यदि करदाता उसी अधिकारी के क्षेत्र से नहीं रहता तथा कर-निर्धारण का शेष कार्य किसी दूसरे अधिकारी को करना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में करदाता की प्रार्थना पर दूसरा अधिकारी करदाता के कर-निर्धारण का पूरा मामला सुनकर ही कुल आय निकालेगा।

सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण

इसे एक पक्षीय (ex-parte) कर-निर्धारण भी कहते है। यह ऐसा कर-निर्धारण है जिसमें करदाता का सहयोग प्राप्त न होने पर अथवा। तथा उसके द्वारा बही-खाते व अन्य सबूत आदि प्रस्तुत न करने पर आयकर अधिकारी उपलब्ध सामिग्री के आधार पर स्वयं ही कर-निर्धारण विषयक निर्णय दे देता है।

साधारण सिद्धान्त—धारा 144 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता की कुल आय का निर्धारण करता है। परन्तु ऐसा करते हुये उसे हर प्रकार की ईमानदारी का परिचय देना चाहिए तथा कभी भी करदाता के प्रति बदले की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। कुल आय निर्धारण स्थानीय ज्ञान, करदाता द्वारा पिछले वर्षों में दी गई आयकर की रकम तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं के आधार पर करना ही अधिक उपयुक्त है। केवल कल्पना अथवा हवाई घोड़े दौड़ाकर अन्दाज मात्र से कुल आय की गणना करना सर्वथा वर्जित है। चूँकि सर्वोत्तम निर्णय का प्रयोग करते समय आयकर अधिकारी एक न्यायाधीश का कार्य करता है अतः उसे ऐसी स्थिति में अपना कर्तव्य उचित रूप से निर्वाह करना चाहिए। कर-निर्धारण के समय केवल सुनी हुई बातों पर ही ध्यान देना उपयुक्त नहीं है।

(1) **आवश्यक सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण** : निम्नलिखित परिस्थितियाँ ऐसी हैं जबकि आयकर अधिकारी को सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण करना ही पड़ता है तथा इसके अलावा और कोई रास्ता शेष नही रह जाता :

(अ) जब करदाता द्वारा अपनी कुल आय का नक्शा धारा 139 (2) के अन्तर्गत दिए गए नोटिस के वाद भी निर्धारित अवधि में नहीं भेजा जाता।

(ब) जब आयकर अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर करदाता धारा 142 (1) के अन्तर्गत बहीखाते व अन्य प्रपत्र जमा नहीं कर पाता।

(स) जब आयकर अधिकारी धारा 143 (2) के अन्तर्गत करदाता की उपस्थिति चाहता है अथवा कुछ अन्य प्रमाण चाहता है परन्तु करदाता द्वारा ऐसे आदेश की अवहेलना की जाती है।

उपर्युक्त स्थितियों में आयकर अधिकारी उपलब्ध समस्त सामग्री का प्रयोग करेगा व अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता की कुल आय की गणना करेगा तथा उसके द्वारा चुकाई जाने वाली आयकर की राशि निकालेगा।

इसके परिणाम

1. **अर्थदण्ड** (Penalty)—धारा 271 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की व्यवस्था है जो विभिन्न स्थितियों में भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त धारा 276 (b) व (c) के अन्तर्गत भी अर्थदण्ड लगता है जो 10 रु० प्रतिदिन हो सकता है।

2. **फर्म का रजिस्ट्रेशन**—जब भी आयकर अधिकारी इस प्रकार का सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण करता है तो यह माना जाता है कि करदाता से गलती हुई है। फर्म का एक पक्षीय कर-निर्धारण होने पर आयकर अधिकारी फर्म को सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिये रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर सकता है। फर्म के पहले से ही रजिस्टर्ड होने पर फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जा सकता है परन्तु इसके लिये फर्म को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

इसके विरुद्ध उपाय : सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता के पास दो उपाय हैं :—

i. सर्वोत्तम कर-निर्धारण को रद्द कराना।

ii. इसके विरुद्ध अपील करना।

(i) **सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण को रद्द कराना**—ऐसे करदाता द्वारा जिसका कर-निर्धारण धारा 144 के अन्तर्गत हो चुका है, माँग के नोटिस के मिलने की एक महीने की अवधि के अन्दर ही ऐसे कर-निर्धारण को रद्द कराने के लिए निम्नलिखित आधारों पर प्रार्थना-पत्र दिया जा सकता है :—

(a) धारा 139 (2) के अन्तर्गत दिए हुये नोटिस के उत्तर में करदाता द्वारा आय का नक्शा दाखिल नहीं किया जा सका, जिसके पर्याप्त कारण है।

(b) धारा 142 (1) तथा 143 (2) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस करदाता को प्राप्त न हो सके।

(c) धारा 142 (1) तथा 143 (2) के अन्तर्गत मिले नोटिसों का पालन करने का उसे उचित अवसर न मिला अथवा ऐसे पर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से इन नोटिसों की पूर्ति न की जा सकी।

आयकर अधिकारी यदि करदाता द्वारा दिये गये इन कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह पुराने एवं पक्षीय कर-निर्धारण को रद्द कर देगा तथा कर-निर्धारण पुनः नये सिरे से करेगा।

(ii) **अपील करने का अधिकार** :—आयकर अधिकारी यदि करदाता द्वारा सर्वोत्तम कर-निर्धारण को रद्द करने वाली प्रार्थना को ठुकरा देता है तो करदाता इस निर्णय के विरुद्ध अपीलेट असिस्टैंट कमिश्नर के यहाँ अपील के लिये जा सकता है तथा वहाँ से भी असन्तुष्ट होने पर अपीलेट ट्रिब्यूनल का दरवाजा खुला रहता है। तत्पश्चात् यदि कोई कानूनी प्रश्न शेष रह गया है तो उसके निपटारे के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक जाने की व्यवस्था भी है।

(2) **विवेकीय कर-निर्धारण** :—जब आयकर अधिकारी को करदाता के बहीखातों की सत्यता एवं पूर्णता के विषय में सन्तोष नहीं होता तथा जहाँ बहीखाते रखने की कोई पद्धति नियमित रूप से नहीं अपनाई गई है, तो उसे ऐसे बहीखातों को रद्द करने का पूरा अधिकार है। इन बहीखातों को रद्द करके उसे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर-निर्धारण करना पड़ता है। ऐसा कर-निर्धारण धारा 145 (2) के अन्तर्गत किया जाता है।

आयकर अधकारी द्वारा बही खातों को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि ये जटिल हैं। आय के नक्शे के सम्बन्ध से यदि कुछ प्रमाण करदाता के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं तो आयकर अधिकारी को इन्हें मान लेना चाहिए। परन्तु यदि आयकर अधिकारी समझता है कि बहीखातों को बनाने का मुख्य उद्देश्य आय का छिपाना तथा कर-दायित्व में कमी करना रहा है तो वह बहीखातों को रद्द कर सकता है तथा कुल आय का अनुमान लगा सकता है।

उदाहरण

करदाता द्वारा आय का नक्शा प्रस्तुत न किये जाने अथवा स्वयं भी आयकर अधिकारी के समक्ष उपस्थिति न होने के कारण आयकर अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण किया गया। इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी द्वारा उचित नोटिस दिये जाने की व्यवस्था का पालन हो चुका था। करदाता ने ऐसे निर्णय के अगले दिन ही अपनी आय का नक्शा जमा कर दिया। आयकर अधिकारी द्वारा इसे रद्द कर दिया गया इसके विरुद्ध असिस्टेन्ट अपीलेट कमिश्नर के यहाँ अपील की गई उसने करदाता द्वारा प्रस्तुत लाभ हानि खाता विचारार्थ स्वीकार किया व कर दायित्व में कमी करदी। विभाग द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में अपील की गई जिसका निर्णय था कि अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसी कोई सामिग्री विचारार्थ स्वीकार नहीं करनी चाहिये जो एक पक्षीय कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं थी। अब हाईकोर्ट में अपील करने के लिए आप अपनी राय व्यक्त कीजिए।

यह सभी तथ्य Sundermal and Co. v. C. I. T. [1967] 66 I. T.R. 277 के मामले से मेल खाते हैं जिसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये थे :

1 जब आयकर अधिकारी द्वारा धारा 146 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिका रद्द कर दी जाती है तो करदाता को ऐसी याचिका को रद्द करने तथा कर-निर्धारण आदेश दोनों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है।

2 अपीलेट कमिश्नर इन दोनों याचिकाओं पर विचार करेगा। धारा 146 के आदेश के अन्तर्गत यह देखा जाता है कि क्या करदाता के पास ऐसे पर्याप्त कारण थे जो आयकर अधिकारी के नोटिसों की पूर्ति में करदाता के लिए बाधा बने। कर-निर्धारण के विरुद्ध अपीलेट कमिश्नर को यह देखना होना है कि आयकर अधिकारी द्वारा किया गया एक पक्षीय कर-निर्धारण क्या उस सामग्री पर आधारित है जो उसके समक्ष प्रस्तुत थी अथवा इसे मनमाने ढंग से किया गया है। अत: उसे मामले की जाँच का अधिकार है।

3. अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर हिसाब की उन पुस्तकों को देख सकता है जो करदाता द्वारा आयकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सके।

पुनः कर-निर्धारण [147]

नियमित कर-निर्धारण प्रायः करदाता द्वारा दिये गये आय के नक्शे तथा उसके द्वारा दिये गये प्रमाणों आदि के आधार पर किया जाता है। करदाता प्रायः अपना कर-दायित्व कम करने के लिये बहुत सी आय छिपा लेने का प्रयास करता है जिससे कुछ आय कुल आय में सम्मिलित किये जाने से रह जाती है।

आयकर अधिकारी द्वारा यदि अधिक आयकर लेने का प्रयास किया जाता है अथवा उनकी ओर से यदि कोई अनुचित निर्णय करदाता को प्रभावित करता है तो उसके निर्णय के विरुद्ध करदाता को अपील करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार यदि करदाता द्वारा कर-निर्धारण के समय कुछ तथ्य छिपा लिये जायें जिनसे कुछ आयकर लगने से रह जायें तो आयकर अधिकारी को पुनः कर-निर्धारण का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार यदि कभी आयकर अधिकारियों के पास ऐसे पर्याप्त कारण हैं जिनसे ज्ञात होता है कि नियमित कर निर्धारण के समय कोई आय आयकर लगने से रह गई है अथवा उसके आयकर को गणना कम दर पर हुई है तो धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण किया जायेगा व ह्रास की रकम की गणना भी दुबारा की जायेगी पुनः कर-निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है :—

(1) **धारा** 147 (a) :—जब आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि किसी कर-निर्धारण वर्ष का नक्शा धारा 139 के अन्तर्गत करदाता ने दाखिल नहीं किया अथवा उस वर्ष के कर-निर्धारण के समय उसने बहुत से ऐसे तथ्य छिपा लिये थे जिनके कारण उस वर्ष की कुछ आय आयकर लगने से रह गई अथवा कम रकम पर कर-निर्धारण हुआ है।

इस धारा के अन्तर्गत आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण होना चाहिये कि कर-योग्य आय कर-निर्धारण से बच गई है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह दुबारा से पूरी जाँच पड़ताल करे व ऐसी पड़ताल के बाद में ही पुनः कर-निर्धारण का नोटिस दे। उसके सम्मुख ऐसे तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए जिससे सद्भावना पूर्वक यह विश्वास बन सके कि कुछ आय पर आयकर नहीं लग सका है। R. Dalmia v. Union of India (1972) 84 I. T. R 616।

(2) **धारा** 147 (b) :—इस वाक्यांश के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण उस समय होता है जब यद्यपि करदाता से कोई भूल आदि नहीं हुई है परन्तु आयकर अधिकारी को बाद में कुछ ऐसी सूचनायें व तथ्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर उसे विश्वास है कि कर-निर्धारण के समय कुछ आय कर लगने से छूट गई है। इस वाक्यांश में 'सूचनायें

शब्द से हमारा तात्पर्य किसी बाहरी साधन से प्राप्त ज्ञान अथवा निर्देश है जिनसे कुछ तथ्य अथवा विवरण प्राप्त हों अथवा ऐसे कानूनी मुद्दे ज्ञात हों जो कर-निर्धारण पर प्रभाव डालते हों। आयकर अधिकारी द्वारा किसी मुद्दे से सम्बन्धित अपनी राय बदलने मात्र से पुन: कर-निर्धारण को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। Kasturbhai Lalbhai v. R. K. Mehrotra (1971) 80 I. T. R. 118.

निम्नलिखित परिस्थितियाँ वे हैं जिनमें करयोग्य आय कर-निधर्रण से बची हुई मानी जाती है :—

अ. जहाँ करयोग्य आय कर निर्धारित हो गई है।

ब. जहाँ ऐसी आय पर कम दर से आयकर लगाया गया है।

स. जहाँ ऐसी आय पर अधिक छूट मिल गई है।

द. जहाँ हानि अथवा ह्रास के भत्ते की रकम की अधिक गणना हो गई है।

पुन: कर-निर्धारण के लिए नोटिस का दिया जाना :—धारा 147 के अन्तर्गत पुन: कर-निर्धारण अथवा ह्रास व भत्ते की हानि आदि की दुबारा गणना करने से पहले आयकर अधिकारी एक नोटिस करदाता को देगा तथा नोटिस देने से पहले उन सभी कारणों को लिखेगा जिनसे प्रेरित होकर वह पुन: कर-निर्धारण कर रहा है।

नोटिस देने के लिये अवधि [149]

पुन: कर-निर्धारण के सम्बन्ध में नोटिस दिये जाने की अवधि की सीमा निम्नलिखित है :—

i. सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से आगे के 8 वर्ष, जब कि कर-निर्धारण से बची हुई रकम 50,000 रु० से कम है तथा जहाँ करदाता ने अपनी आय छिपाई है अथवा आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है।

ii. सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से 16 वर्ष जहाँ कि कर-निर्धारण से बची रकम 50,000 रु० अथवा अधिक है तथा उपर्युक्त परिस्थितियों में आयकर-निर्धारण कम हुआ है।

iii. सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से 4 वर्ष, जहाँ न तो आय छिपाई गई है और न जहाँ करदाता के विरुद्ध नक्शा जमा करने सम्बन्धी कोई दोषारोपण है।

iv. सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से 2 वर्ष जब कि करदाता एक अनिवासी का प्रतिनिधि रहा है।

आठ वर्ष की अवधि के बाद में पुन: कर-निर्धारण के लिए आयकर अधिकारी को बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है तथा 4 वर्षों की अवधि के बाद में पुन: कर-निर्धारण के लिये कमिश्नर की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है।

कर निर्धारण के लिए समय सीमा

नियमित कर-निर्धारण व सर्वोत्तम निर्णय कर,निर्धारण [153]

(i) धारा 153 (1) द्वारा नियमित कर-निर्धारण व सर्वोत्तम कर-निर्धारण के लिए समय सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद में दो वर्ष है। अर्थात् कर-निर्धारण वर्ष 1973-74 का कर-निर्धारण 31 मार्च 1976 तक हो जाना चाहिए।

(ii) किसी कर-निर्धारण में यदि करदाता 271 (1) (c) के अन्तर्गत दण्ड का भागी होने की स्थिति में है चूँकि उसने अपनी कुल आय को आयकर विभाग से छिपाया है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 8 वर्ष की अवधि निर्धारण की गई है।

(iii) धारा 139 (4) व (5) के अन्तर्गत संशोधित नक्शा दाखिल करने अथवा देर से नक्शा दाखिल करने की दशा में एक वर्ष की अवधि, जो भी इन सबके बाद में समाप्त होती है।

धारा 153 (2) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण वर्ष की समय सीमा दी गई है जो निम्नलिखित है :

1. जब आय पर कर छूट जाने अथवा कम आयकर लगने का कारण करदाता की भूल है तो समय सीमा 4 वर्ष है जिसकी गणना उस कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से की जाती है जिसमें धारा 148 के अन्तर्गत करदाता को नोटिस दिया गया था।

2. जब आय पर कर छूट जाने अथवा कम आयकर लगने से करदाता का कोई सम्बन्ध नहीं है तो समय सीमा यह होगी—

अ) जिस कर-निर्धारण में वर्ष में पहली बार कर-निर्धारण होना चाहिए था उससे 4 वर्षों के अन्दर।

अथवा

ब) धारा 148 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण का नोटिस देने की तिथि से 1 वर्ष के अन्दर इन दोनों अवधियों में से जो भी बाद में समाप्त होती है।

जब कोई सीमा लागू नहीं होती

धारा 153 (3) में ऐसी परिस्थितियाँ दी गई हैं जो किसी भी समय सीमा के अन्दर नहीं आतीं। इनमें पुनः कर-निर्धारण कभी भी हो सकता है—

(1) जब धारा 146 के अन्दर कर-निर्धारण किया जाता है अर्थात् जब करदाता के कहने पर सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण रद्द कर दिया जाता है व दुबारा कर-निर्धारण होता है।

(2) जब पुनः कर-निर्धारण अपील, पुनर्विचार आदि (धारा 250, 254, 260, 262, 263, 264) में दिये गये आदेशों व निणयों के फलस्वरूप होता है।

(3) जब फर्म पर धारा 147 के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धारण किया जाता है व जिसके परिणाम स्वरूप साझेदार का पुनः कर-निर्धारण होता है :

भूल सुधार (Rectification of Mistakes)

मनुष्य से गलती होती है अतः कर-निर्धारण में भी गलतियाँ होने की सम्भावना रहती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 154 व 155 इस विषय से सम्बन्धित हैं। धारा 154 सिद्धान्त रूप में 'भूल सुधार' का विवेचन करती है जबकि धारा 155 में उन स्थितियों की एक सूची दी गई है जिनमें भूल सुधार किया जाना चाहिये।

धारा 154 के अनुसार यदि भूल ऐसी है जिसका ज्ञान प्रस्तुत व उपलब्ध प्रपत्रों से स्पष्ट रूप (apparent from record) से हो जाता है तो—

i. आयकर अधिकारी अपने द्वारा किये गये कर-निर्धारण व कर की वापिसी के आदेश में संशोधन कर सकता है।

ii. अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपने द्वारा अपील के सम्बन्ध में दिये गये आदेश मे संशोधन कर सकता है।

iii. कमिश्नर पुनर्विचार के लिए अपने द्वारा किये गये आदेश में उचित परिवर्तन कर सकता है।

भूल सुधार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्णय की तिथि के 4 वर्षो के अन्दर ही किया जा सकता है भूल सुधार करदाता द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर भी हो सकता है, व अधिकारियों द्वारा अपने आप भी। यदि कोई भूल अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा हुई है तो आयकर अधिकारी द्वारा भी भूल बताई जा सकती है।

भूल सुधार से आयकर दायित्व में कुछ कमी आई हो तो आयकर अधिकारी द्वारा अधिक वसूल किये गये कर की वापिसी कर दी जायेगी। परन्तु यदि भूल सुधार से किसी प्रकार करदाता के करदायित्व में वृद्धि होती है तो यह वृद्धि तभी की जा सकती है जब कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दे दिया गया हो। यदि भूल सुधार से कर-दायित्व में वृद्धि हुई है तो आयकर अधिकारी द्वारा करदाता को एक नोटिस आयकर की रकम के भुगतान करने के सम्बन्ध में दिया जायेगा।

'भूल सुधार' के विषय में आयकर अधिकारी का अधिकार-क्षेत्र इस बात पर निर्भर रहता है कि भूल का पता रिकार्ड देखने से ही लग जाता है। यह भूल तथ्य सम्बन्धी हो सकती है अथवा कानून सम्बन्धी। आवश्यक रूप से यह गणित सम्बन्धी अशुद्धता अथवा लेखन अशुद्धि हो, ऐसी बात नहीं है।[1] ऐसी भूल जो काफी तर्क व पर्याप्त सोच विचार के बाद मालूम पड़े, इस धारा की परिधि में नहीं आती। एक मामले में प्रारम्भिक कर-निर्धारण के समय किसी सामग्री व तर्क के आधार पर विशेष अधिभार नहीं लगाया गया किन्तु बाद में यह पता लगा कि प्रारम्भिक कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी द्वारा इस विषय में किया गया निर्णय सही नहीं था इस भूल को धारा 154 अथवा 155 के अन्दर ठीक नहीं किया जा सकता।[2] इसी प्रकार एक अन्य मामले में सेफ्टीरेजर बनाने वाली कम्पनी को लोहे व इस्पात में लगी कम्पनी समझ कर विशेष दर से ह्रास की छूट देदी गई। बाद में इस भूल का ज्ञान हुआ। स्पष्ट है कि इस भूल का सुधार सम्भव नहीं है।[3]

धारा 246 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा भूल सुधार आदेश के विरुद्ध करदाता को अपील करने का अधिकार आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दिया हुआ है। परन्तु यदि अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा सुधार हो तो अपील करने सम्बन्धी कोई व्यवस्था दिखाई नहीं देती।

ऐसी भूलों का सुधार जिनका पता रिकार्ड देखने मात्र से नहीं लगता [धारा 155]—धारा 155 में ऐसी भूलों की सूची दी गई है जो यद्यपि रिकार्ड के

1. N.V.N Nagappa Chettiar v. I.T.O [1958] 34 I.T.O. 583
2. C.I.T. v. Balkishan Bhatia [1972] 86 I.T.R. 452 (Delhi)
3. Harbanslal Malhotra & Sons v C.I.T. [1972] 83 I.T.R. 848 (Cal.)

देखने मात्र से पता नहीं लगती किन्तु जिनका सुधार धारा 155 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा किया जाता है। ये भूलें निम्नलिखित है :—

1. साझेदारों के लाभ व हानि के हिस्सों में भूल सुधार किया जा सकता है यदि अपील अथवा पुनर्विचार के कारण अथवा कर-निर्धारण में फर्म के लाभ व हानि की गणना के कारण ऐसा करना आवश्यक जान पड़े।

2. इसी प्रकार की भूल सुधार 'व्यक्तियों के समुदाय' के किसी भी सदस्य के लाभ व हानि की राशि में किया जा सकता है। उदाहरण के लिये समुदाय की कुल आय उसके लाभ हानि खाते के अनुसार 50,000 रु० है जिसका वितरण दस सदस्यों में समान रूप से कर दिया गया। इन सदस्यों का कर-निर्धारण भी सम्पन्न हो गया। अब समुदाय के कर-निर्धारण के समय कुछ ऐसे समायोजित किये जाते है जिनके कारण सदमुाय की आय 70,000 रु० निर्धारित की जाती है। इसके बाद मे सदस्यों में वितरित आय 7,000 रु० होगी व उनके कर-निर्धारण में भूल सुधार किया जायेगा।

3. जब पुन: कर-निर्धारण की कार्यवाही के फलस्वरूप हानि अथवा ह्रास की गणना दुबारा की गई हो तो करदाता की कुल आय की गणना दुबारा होनी ही चाहिए। ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी द्वारा भूल सुधार किया जाता है।

4. जब करदाता द्वारा विकास छूट आदि के लिए निर्धारित शर्तो का उल्लंघन होता है तथा यह मालूम पड़ता है कि विकास छूट गलत प्रकार से दे दी गई थी तो भूल सुधार किया जाता है।

5. जब गतवर्ष में करदाता द्वारा किसी ऋण विशेष को बुरा ऋण मानकर बहीखातों में अपलिखित कर दिया जाता है किन्तु आयकर अधिकारी की सम्मति से यह ऋण पिछले किसी अन्य वर्ष के दौरान बुरा हुआ है तो आयकर अधिकारी द्वारा उस गतवर्ष की कुल आय की गणना में भूल सुधार किया जावेगा।

माँग का नोटिस

इस अधिनियम के अन्तर्गत जब कोई कर, ब्याज, अर्थदण्ड अथवा कोई अन्य रकम किसी आदेश के अनुसार देय होती है तो आयकर अधिकारी द्वारा ऐसी रकम को देने के लिये करदाता को माँग का नोटिस दिया जाता है, जिसमें इस रकम का स्पष्ट उल्लेख होता है।

हानि की सूचना

धारा 157 के अनुसार जब किसी करदाता की कुल आय के निर्धारण के दौरान यह निश्चित हो जाता है कि गतवर्ष में उस करदाता को ऋणात्मक आय अर्थात् हानि हुई है जिसे वह पूरा करने के लिये आगे ले जाने का अधिकारी है तो ऐसी स्थिति में करदाता को आयकर अधिकारी द्वारा यह सूचित कर दिया जाता है कि वह हानि की कितनी राशि आगे ले जाने का अधिकारी है।

बेनामी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्धारित सूचना भेजने में भूल [धारा 281 A]

कर की चोरी एक का प्रमुख ढंग यह रहा है कि बहुत से धनी मानी करदाता सम्पत्तियों को खरीदते समय अथवा मकानों को बनवाते समय यद्यपि उनका भुगतान अपने पास से व अपने निजी साधनों से करते हैं किन्तु उस सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्रों पर स्वामी के रूप में उनका नाम न लिखा जाकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिखवा

दिया जाता है यह अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है किन्तु इसकी आय प्रायः आयकर योग्य नहीं होती । अतः सम्पत्ति से सम्बन्धित आय पर आयकर बचा लिया जाता है । उदाहरण के लिये अमीरचन्द भूमि का एक प्लाट खरीदते हैं व एक मकान बनवाते हैं जिसमें काफी धन व्यय होता है किन्तु इसका स्वामित्व मकान के कागजातों पर उनके रिश्तेदार गरीबचन्द के पास है । अतः मकान से होने वाली आय यद्यपि वास्तविकता में अमीरचन्द के पास आती है किन्तु प्रपत्रों के अनुसार इसकी आय गरीबचन्द को प्राप्त होती है । इस आय पर आयकर गरीबचन्द या तो बिल्कुल नहीं देते हैं अथवा बहुत कम दर से देते हैं क्योंकि उनकी आय अमीरचन्द की अपेक्षा बहुत कम है । इस उदाहरण के अनुसार गरीबचन्द को बेनामीदार कहा जाता है व अमीरचन्द को हिताधिकारी । ऐसी स्थिति से निपटने के लिये आयकर अधिनियम में धारा 281A जोड़ी गई है ।

इस धारा के अनुसार किसी भी ऐसी सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए किसी भी न्यायालय में मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकता जो किसी बेनामीदार के पास है । सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी न तो बेनामीदार के विरुद्ध और न किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ही इस सम्पत्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है । किन्तु निम्नलिखित स्थितियाँ ऐसी हैं जबकि ऐसा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है :—

अ. ऐसी सम्पत्ति की आय (यदि कुछ है) जब सम्पत्ति के दावेदार द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत दाखिल किये जाने वाले आय के नक्शे में दिखाई गई हो ।

ब. जब ऐसी सम्पत्ति इसके दावेदार द्वारा धनकर अधिनियम के अन्तर्गत भेजे जाने वाले धन के नक्शे में दिखाई गई हो ।

स. इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जब इसके दावेदार द्वारा निर्धारित फार्म पर व निर्धारित विवरण सहित एक नोटिस आयकर अधिकारी को दे दिया गया है ।

ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित तरह से निर्धारित शुल्क देकर आयकर अधिकारी से आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम के अन्तर्गत जमा किये गये कुल आय व कुल धन के नक्शे के प्रमाणित उद्धरण प्राप्त कर सकता है । उपर्युक्त (स) में दिये गये नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि भी इसी प्रकार प्राप्त की जा सकती है । प्रार्थना पत्र मिलने के 14 दिनों की अवधि में ही ये प्रतिलिपियाँ प्रार्थी को मिल जायेंगी । यह धारा छोटे-छोटे मामलों में, जहाँ दावा 2,000 रु० मूल्य से अधिक का नहीं हो, लागू नहीं होगी ।

आय के उद्गम स्थान से सूचना (Information at source)

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आयकर अधिकारी को आय के उद्गम स्थान से ही करदाता को होने वाली आय का विवरण प्राप्त हो जाता है । विभिन्न धारायें इस प्रकार हैं—

ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति से सूचना—धारा 285 के अन्तर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को जो प्रतिभूतियों के ब्याज के अतिरिक्त कोई अन्य ब्याज देता है, कर-निर्धारण वर्ष के 30 जून तक उन सभी व्यक्तियों के नाम व पते आयकर अधिकारी को देने होते हैं जिन्हें उसने गतवर्ष में 400 रु० अथवा अधिक की ब्याज का भुगतान किया हो ।

ठेकेदारों से सूचना—धारा 285A के अन्तर्गत उन सभी ठेकेदारों को जिन्होंने 50,000 रु० से अधिक का कोई निर्माण कार्य का ठेका ले लिया है, आयकर अधिकारी को ठेके से सम्बन्धित सभी विवरण ऐसे ठेके के लेने की तिथि के एक महीने के अन्दर भेजना पड़ता है। यदि कोई ठेकेदार इस नियम का उल्लंघन करता है तो आयकर अधिकारी को उस ठेकेदार पर 50 रु० प्रतिदिन तक का जुर्माना करने का अधिकार है।

कम्पनी द्वारा दिये गए लाभांशों की सूचना—धारा 286 में ऐसी व्यवस्था है कि भारत में लाभांश घोषित करने वाली कम्पनी के प्रत्येक मुख्य अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह 15 जून तक उन सभी अंशधारियों के नाम व पते आयकर अधिकारी को भेज दे जिनको गतवर्ष में एक निश्चित रकम से अधिक लाभांश दिया गया है।

करदाता सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन—धारा 287 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी करदाता के कर-निर्धारण की कार्यवाही विषयक कुछ विवरणों का प्रकाशन करना सार्वजनिक हित में है तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सूचनाओं का प्रकाशन कर दिया जावेगा।

उदाहरण

प्रभात कम्पनी का हिसाबी वर्ष कैलेन्डर वर्ष है तथा यह कच्चे लोहे के निर्माण में लगी है। कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए आयकर अधिकारी द्वारा धारा 139 (2) के अन्तर्गत एक नोटिस 30 नवम्बर 1972 को आय का नक्शा भेजने के लिए दिया कम्पनी ने नक्शा जमा करने की अवधि में वृद्धि की माँग की जो आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गई। अन्ततः आय का नक्शा 15 अप्रैल, 1973 को भेजा गया।

नक्शे के अनुसार कुल आय 1,00,000 रु० थी जिस पर कर-दायित्व 55,000 रु० होता है। कम्पनी ने आयकर अधिकारी के आदेशानुसार 30,000 रु० आयकर की पेशगी के रूप में जमा किये है। 31 जनवरी 1974 को यह कर-निर्धारण सम्पन्न हुआ व कुल आय 1,10,000 रु० निर्धारित हुई जिस पर कर दायित्व 60,500 रु० था। कम्पनी द्वारा शेष आयकर के 30,500 रु० 15 फरवरी 1974 को जमा कर दिये गये।

आयकर अधिकारी द्वारा यह दोषारोपण किया जाता है कि कम्पनी द्वारा नक्शा आदि भेजने के बारे में विभिन्न गलतियाँ की गई हैं। आप इस पर प्रकाश डालिये।

---

1. **धारा 139 (1) के अन्तर्गत नक्शा न भेजना**—कर-निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए आय का नक्शा 30 जून तक भेज दिया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। अतः इसे धारा 271 (1) (A) के अन्तर्गत अर्थदण्ड देना होगा। यह 30,500 रु० पर 1 जुलाई 1972 से 15 अप्रैल 1973 तक 2% प्रति माह की दर से होगी। इसके अतिरिक्त उसे 12% की दर से 30 जून 1972 से 15 अप्रैल 1973 तक ब्याज भी देना होगा। जो 30,500 पर निकाला जायेगा।

2. **स्वयं कर-निर्धारण के करदायित्व की अदायगी**—धारा 140 A के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसे करदाता को जिसका कर-दायित्व 500 रु० से अधिक है आय का नक्शा जमा करने के 30 दिनों के अन्दर ही अपने कर-दायित्व की

अदायगी करनी चाहिये। इस स्थिति में यह रकम 25,000 रु० (55,000—30,000) है। ऐसा कर न देने के लिये अर्थ दण्ड की व्यवस्था है जो देयकर के 50% से अधिक नहीं होगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण से आप क्या समझते है ? किन परिस्थितियों में आयकर अधिकारी द्वारा ऐसा कर-निर्धारण किया जाता है करदाता के लिये इस प्रकार के कर-निर्धारण के विरुद्ध उपलब्ध उपायों का वर्णन कीजिये।

2. आयकर अधिनियम की उन व्यवस्थाओं को लिखिये जिनके अन्तर्गत कर-नर्धारण से बची आयों पर कर लगाया जाता है।

3. गतवर्ष की आय का कर-निर्धारण, कर-निर्धारण वर्ष में ही होता है इस साधारण नियम के अपवादों को लिखिये।

4. आयकर निर्धारण की कार्यविधि आयकर अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस से लेकर कर निर्धारण के अन्तिम चरण तक लिखें। यदि करदाता द्वारा आयकर की विभिन्न व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया जाता है तो कर-निर्धारण के लिये आयकर अधिकारी क्या कार्य करेगा ?

5. उन हानियों का वर्णन कीजिये जो करदाता द्वारा निम्नलिखित करने के लिये उसे हो सकती है—

(अ) आय का नक्शा दाखिल न करने के लिए।
(ब) आयकर अधिकारी द्वारा मांगे गये वहीखातों व प्रपत्रों को समय पर न भेजना।
(स) अधूरे बहीखातों को रखना जिससे लाभ हानि आदि की सही गणना न की जा सके।

6. अस्थायी कर-निर्धारण क्या है तथा यह किस आधार पर किया जाता है ?

7. गल्तियों के 'भूल सुधार' सम्बन्धी कौन सी व्यवस्थायें अधिनियम में दी गई हैं ?

———

विशेष स्थितियों में कर-दायित्व 20

(LIABILITY IN SPECIAL CASES)

इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाल रहे हैं :

1. वैध प्रतिनिधि (Legal representative)।
2. प्रतिनिधिक करदाता (Representative assessee)।
3. निष्पादक (Executors)।
4. व्यापार व पेशे का उत्तराधिकार (Succession to business or profession)।
5. अनिवासियों को यदा कदा जहाज व्यापार से लाभ (Profits of non-residents from occasional shipping business)।
6. अनिवासियों से सम्बन्धित कर की वसूली (Recovery of tax in respect of non-residents)।
7. व्यक्ति जो भारत छोड़ रहे हैं Persons leaving India)।
8. व्यक्ति जो अपनी सम्पत्तियों के संक्रमण का प्रयास करते हैं (Persons trying to alienate their assets)।
9. व्यापार का विघटन (Discontinuance or dissolution of business)।
10. रायल्टी व कापी राइट शुल्क (Royalities or copyright fees)।

I वैध प्रतिनिधि [159]

अर्थ—आयकर अधिनियम की धारा 2 (29) के अनुसार "वैध प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) की धारा 2 (11) में दिया गया है। इसके अनुसार वैध प्रतिनिधि से हमारा तात्पर्य प्रत्येक उस व्यक्ति से है "जो कानूनन किसी मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति शामिल है जो मृत व्यक्ति की सम्पत्ति सम्हालता है तथा वैध प्रतिनिधि की स्थिति में होने का दावा करता है। इस पर प्रतिनिधि की हैसियत से दावा किया जा सकता है। इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित किया जाता है जिसे मृत व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है।"

दायित्व—जब कोई व्यक्ति स्वर्गगामी होता है तो उसके वैध प्रतिनिधि को वह सभी रकम देनी होती है जो जीवित रहने की दशा में मृत व्यक्ति को देनी होती। मृत व्यक्ति के कर-निर्धारण व पुन: कर-निर्धारण के लिये अथवा किसी वैध प्रतिनिधि से कोई अन्य रकम प्राप्त करने के लिये हमें निम्नलिखित प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए :

अ. कोई ऐसी कार्यवाही जो मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रारम्भ की गई थी, उसके वैध उत्तराधिकारी के विरुद्ध प्रारम्भ की गई मानी जावेगी तथा उसे उस अवस्था से आगे चालू रखा जावेगा जिस अवस्था में यह कार्यवाही मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय पहुँच गई थी।

ब. ऐसी कोई कार्यवाही जो मृत व्यक्ति के जीवित रहने की दशा में उसके विरुद्ध शुरू की जा सकती थी, उसके वैध प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रारम्भ की जा सकती है।

स. इस अधिनियम की सभी व्यवस्थायें उपर्युक्त दशाओं में लागू होंगी।

इस अधिनियम के लिये मृत व्यक्ति का वैध प्रतिनिधि करदाता माना जायेगा। प्रत्येक वैध प्रतिनिधि आयकर चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी है तथा उसे मृत व्यक्ति से प्राप्त सम्पत्ति को हस्तान्तरित आदि नहीं करना चाहिए। यह ध्यान देने की बात है कि वैध प्रतिनिधि केवल उतनी राशि तक के लिए ही दायी है जितनी राशि मृत व्यक्ति से प्राप्त सम्पत्ति से पूरी की जा सकती है।

II प्रतिनिधिक करदाता [160-167]

अर्थ—धारा 160 के अनुसार प्रतिनिधिक करदाता से हमारा तात्पर्य निम्न-लिलित व्यक्तियों से है :

अ. एक अनिवासी की आय के लिए उसका एजेन्ट जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मि-लित है जिसे धारा 163 के अन्तर्गत अनिवासी का एजेन्ट माना जाता है।

ब. एक अवस्यक, पागल व जड़बुद्धि की आय के सन्दर्भ में उसका अभिभावक अथवा प्रबन्धक जिसे ऐसे अवयस्क आदि की आय के प्राप्त करने का अधिकार है।

स. ऐसे प्रतिपालक अधिकरण (Court of Wards), महा प्रशासक (Adminis-trator General), सरकारी न्यायधारी (Official trustee), अथवा प्रबन्धक जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए व उसके लाभार्थ आय प्राप्त करते है तो ये प्रतिपालक अधिकरण व महाप्रशासक आदि प्रतिनिधिक करदाता कहलाते हैं।

द. ऐसी आय के लिए जिसे किसी लिखित प्रपत्र के अन्तर्गत बने न्यास का न्यासी किसी अन्य व्यक्ति के लाभार्थ प्राप्त करता है, ऐसा न्यासी प्रतिनिधिक करदाता होता है।

दायित्व [161]—प्रत्येक प्रतिनिधिक करदाता का, उस आय के सम्बन्ध में जिसके लिए वह प्रतिनिधिक करदाता है, वही दायित्व होगा जो उसका ऐसी आय के अपना होने पर होता। कर-निर्धारण के लिए वह प्रतिनिधिक करदाता ही होगा तथा उससे कर आदि की वसूली उसी प्रकार होगी जिस प्रकार की उस व्यक्ति से होती जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है।

प्रतिनिधिक करदाता का अपने द्वारा चुकाये गये कर की वसूली का अधिकार [162]—इस धारा द्वारा प्रत्येक प्रतिनिधिक करदाता को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने द्वारा चुकाई गई वह समस्त राशि उस व्यक्ति से वसूल कर ले जिसके लिए यह चुकाई गई है तथा जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसे यह अधिकार भी प्राप्त है कि यदि ऐसे व्यक्ति का कुछ धन प्रतिनिधिक करदाता के पास है तो वह उस

धन में से अपने द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिये चुकाई गई राशि रोक सकता है। इतना ही नहीं, यदि प्रतिनिधिक करदाता को यह आभास हो जाता है कि किसी व्यक्ति के लिए उस पर कर-निर्धारण होने वाला है, तथा यदि ऐसे व्यक्ति का कुछ धन इस प्रतिनिधिक करदाता के पास है तो वह इस धन में से अनुमानिक कर-राशि को रोक सकता है। कभी यदि अनुमानिक करदायित्व की राशि के विषय में प्रतिनिधिक करदाता व ऐसे व्यक्ति, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, के बीच में मतभेद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आयकर अधिकारी को पूर्ण विवरण दिया जा सकता है तथा कर की रकम रोकने सम्बन्धी उसका प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है। इस दशा में प्रतिनिधिक करदाता का दायित्व उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित रकम तक ही सीमित होगा।

हितधिकारियों का आपसी भाग मालूम न होने पर कर दायित्व (Charge of tax where share of beneficiaries is not known) [164]—यह एक ऐसी धारा है जो निम्न प्रकार के प्रतिनिधिक करदाताओं के करदायित्व पर प्रकाश डालती है :

अ. प्रतिपालक अधिकरण (Courts of Ward),

ब. महा प्रशासक (Administrator General);

स. सरकारी न्यासधारी (Official Trustee);

द. प्रबन्धक आदि (Manager)।

इन व्यक्तियों को जब प्रतिनिधिक करदाताओं की हैसियत में कुछ ऐसी आय प्राप्त हो जो किसी एक ही हिताधिकारी के लिए न होकर अधिक हिताधिकारियों के लिये है व ऐसे हिताधिकारियों का आपसी हिस्सा मालूम नहीं है कि वे इस आय को आपस में किस प्रकार वितरित करेंगे तो कर-निर्धारण निम्न प्रकार होगा :

अ. कर-निर्धारण उन दरों से जो व्यक्तियों के अन्य समुदाय के लिये लागू होती है; अथवा

ब. 65% की दर से, इन दोनों में जो भी अधिक हो।

निम्नलिखित स्थितियाँ ऐसी है जबकि कर-निर्धारण व्यक्तियों के अन्य समुदाय की भाँति ही होगा :—

अ. जबकि किसी भी हिताधिकारी को किसी अन्य करयोग्य आय की प्राप्ति नहीं होती।

ब. ऐसी आय जो किसी वसीयत के अन्तर्गत बनाये गए ट्रस्ट के अनुसार प्राप्त होती है।

स. आय जो ऐसे ट्रस्ट के अन्तर्गत मिलती है जिसकी स्थापना 1 मार्च 1970 से पहले बिना किसी प्रलेख द्वारा हुई है तथा आयकर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि ट्रस्ट उन व्यक्तियों के लाभार्थ बना है जो ट्रस्ट निर्माणकर्त्ता के रिस्तेदार है। जब ट्रस्ट किसी अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा बनाया जाता है तो इसका लाभ परिवार के सदस्यों को अथवा उन लोगों को मिलना चाहिए जो मुख्यतया ट्रस्ट बनाने वाले पर आश्रित थे।

द. आय जो ट्रस्टियों द्वारा ऐसे प्राविडेन्ट फण्ड आदि के लिए प्राप्त होती है जो किसी व्यापारी व पेशेवर द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभार्थ बनाया गया है।

प्रतिनिधिक करदाताओं की दशा में सम्पत्ति से वसूली [धारा 167]—प्रतिनिधिक करदाता के प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण में जो भी सम्पत्ति है उनसे आयकर अधिकारी उसी प्रकार आयकर की वसूली कर सकता है जिस प्रकार वह किसी भी अन्य करदाता की सम्पत्ति से करता है चाहे आयकर प्रतिनिधिक करदाता से माँगा गया हो अथवा लाभ हिताधिकारी से।

III. निष्पादक [168-169]

निष्पादक वह व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति मृत व्यक्ति द्वारा अपने इच्छापत्र को कार्यान्वित करने के लिये की जाती है। इच्छापत्र लेखक की यदि किसी व्यक्ति की निष्पादक के रूप में नियुक्ति करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का प्रबन्ध इच्छापत्र में दिये गए निर्देशों के अनुसार कर सके। ऐसे व्यक्ति को प्रबन्धक कहा जाता है। धारा 168 व 169 में निष्पादक व प्रबन्धकों के अधिकार व दायित्वों का उल्लेख किया गया है।

मृत व्यक्ति द्वारा छोडी गई सम्पत्ति से आय पर कर-निर्धारण निष्पादक के हाथों में किया जाता है। जब केवल एक ही निष्पादक होता है तो उसका कर-निर्धारण व्यक्ति की भाँति किया जाता है। एक से अधिक निष्पादकों की दशा में कर-निर्धारण 'व्यक्तियों के अन्य समुदाय' की भाँति किया जायेगा। निवास स्थान निश्चित करने के लिए हम यह देखेंगे कि उस गतवर्ष में जब व्यक्ति की मृत्यु हुई है मृत व्यक्ति का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा क्या था, यही दर्जा सभी गत वर्षों के लिए निष्पादक का होगा। यह स्पष्ट है कि निष्पादक का अपना व्यक्तिगत कर-निर्धारण व उसका निष्पादक के रूप में कर-निर्धारण अलग अलग होता है।

कर-निर्धारण के समय उस सभी आय को घटा दिया जाता है जो निष्पादक द्वारा इच्छापत्र में दिये गए निर्देशों के अनुसार किसी अन्य विशिष्ट व्यक्ति के हितार्थ व्यय की गई है किन्तु इस पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को आयकर देना चाहिए।

पाठक को अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कानूनी प्रतिनिधि व निष्पादक करदाता में क्या अन्तर है? धारा 159 के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु तक उपार्जित आय पर आयकर कानूनी प्रतिनिधि (जिसमें निष्पादक भी सम्मिलित है) से वसूल किया जाता है जबकि मृत्यु के बाद उपार्जित आय पर कर-निर्धारण निष्पादक के हाथों में होता है।

धारा 169 में प्रत्येक निष्पादक को यह अधिकार दिया गया है कि निष्पादक की हैसियत से उसके द्वारा चुकाया गया समस्त कर आदि वह उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से वसूल कर ले जिनके लिए उसने यह राशि चुकाई है।

VI. व्यापार व पेशे का उत्तराधिकार [170]

जब किसी व्यापार व पेशे का स्वामित्व मृत्यु को छोड़ कर किसी अन्य कारण से किसी अन्य व्यक्ति के पास चला जाता है व इस प्रकार व्यापार व पेशा लगातार चालू रहता है तो इसके कर-निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार हैं :

अ. गतवर्ष में प्रारम्भ से लेकर उत्तराधिकार की तिथि तक हुई आय पर कर-निर्धारण पूर्वाधिकारी के हाथों में किया जायेगा।

ब. उत्तराधिकार की तिथि से गतवर्ष के अन्त तक हुई आय पर कर निर्धारण उत्तराधिकारी के हाथों में होगा।

जब पूर्वाधिकारी का पता नहीं चल पाता तो उत्तराधिकार वाले गतवर्ष से पहले गतवर्ष का कर-निर्धारण भी उत्तराधिकारी के हाथों में सम्पन्न होगा तथा उससे उसी प्रकार आय-कर की वसूली होगी जिस प्रकार कि पूर्वाधिकारी से होती। ऐसी दशा में स्वामित्व परिवर्तन वाले गतवर्ष में प्रारम्भ से ऐसे परिवर्तन की तिथि तक की आय पर कर की वसूली भी उत्तराधिकारी से की जावेगी।

हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा चलाये जा रहे व्यापार के उत्तराधिकार पर तथा परिवार के विभाजन पर कर-निर्धारण धारा 171 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा।

1 Sri Suresh purchases the business of a cloth shop from Sri Narayan on 1st May 1974 and continues to maintain like Narayan the calendar year as the previous year for the said business.

Narayan thereafter leaves India for good and his whereabouts are not known. The Income-tax Officer finds that Sri Narayan had left without paying his outstanding tax liability of Rs. 25,000 for the assessment year 1973-74 and also without getting any subsequent assessments completed. It is found that Narayan's income relating to the assessment year 1974-75 consisted of Rs. 50,000 from the cloth shop and Rs. 10,000 from other sources, the tax on the aggregate of these two sums would be Rs. 26,450. It is also found that the profits of the cloth shop for the period from 1st January 1974 to 30th April 1974 were Rs. 20,000 during which period Narayan's other income was Rs. 5,000, he having no other assessable income after 30th April 1974. The tax on the total income of Rs. 25,000 would be Rs. 4,103.

The Income-tax Officer being unable to recover Narayan's outstanding tax from him and also to make assessments of his income for the assessment years 1974-75 and 1975-76 intends to make Suresh liable for the same.

State clearly the nature of Suresh's liability, if any, in this regard and also determine the actual amount of tax, if any, that he may have to bear on Narayan's account. (C.A. Final November, 1968)

The general rule according to section 170 is that the successor is not liable to tax in respect of the income earned upto the date of succession but it is subject to two exceptions—

1. Where the predecessor is not traceable the successor will be under an obligation to pay tax in respect of the income of the previous year in which the succession took place and also the previous year preceding that year. Capital gains accruing to the predecessor from the transfer of the business is also chargeable in his hands.

2. Where the assessment has been made on the predecessor but the tax cannot be recovered from him in respect of the period stated in (1) above the recovery proceedings can be instituted against the successor. But his liability in this respect is limited to the business so succeeded and not to other business.

In the light of the above Mr. Suresh is liable to the following assessments in respect of Shri Narayan.

Assessment Year 1974-75

Suresh is assessable in respect of Narayan's income of Rs. 50,000 from business and the proportionate tax liability is Rs. 22,042.

$$\left(\frac{26,450 \times 50,000}{60,000}\right)$$

Assessment year 1975-76

Suresh will pay tax on Narayan's in come of Rs. 20,000 and the tax liability works out to be Rs. 3,282.

$$\left(\frac{4,103 \times 20,000}{25,000}\right)$$

Besides this Suresh is not liable to pay any tax in respect of Narayan s tax liability.

V. अनिवासियों को यदा कदा जहाज व्यापार से लाभ [172]

भारत के बन्दरगाहों पर जो जहाज व्यापार के दौरान आते है वे प्राय: दो प्रकार के होते हैं; पहले वे जिनके आफिस भारत में स्थित हैं व जो प्राय: हमारे बन्दरगाहों पर आते है । दूसरे वे जिनका आफिस यहाँ पर नही है व जिनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे दुबारा यहाँ पर आयेंगे । पहले प्रकार के जहाजों द्वारा जो व्यापार यहाँ किया जाता है उस सम्बन्ध में नियमित कर-निर्धारण किया जाता है । दूसरे प्रकार के जहाजों द्वारा जो व्यापार किया जाता है उस सम्बन्ध में विशिष्ट आयोजन धारा 172 में दिये गए हैं ।

1. इस धारा के आयोजन ऐसे अनिवासी को जहाजी व्यापार से प्राप्त आय पर लागू होंगे जो भारत के यात्री; पशु, डाक अथवा माल को ले जाने का कार्य करता है व जिसके बारे में आयकर अधिकारी को यह विश्वास है कि इस अनिवासी का भारत में कोई ऐसा एजेन्ट नहीं है जिससे आयकर की वसूली की जा सके ।

2. भारत के किसी बन्दरगाह से यात्री, पशु, डाक अथवा माल को ले जाने के सम्बन्ध में जो भी भाडा जहाज के स्वामी को दिया जाता है उसका 7 5 प्रतिशत भारत में उपार्जित आय माना जाता है फिर चाहे यह किराया भारत में दिया गया हो अथवा भारत के बाहर ।

3. ऐसे जहाज के किसी भी बन्दरगाह से रवाना होने से पहले उसका मास्टर उस बन्दरगाह से ले जाने वाले सभी डाक, पशु, यात्री व सामान की सूची तैयार करेगा जो आयकर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी । ऐसी स्थिति में जबकि आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि जहाज के रवाना होने से पहले ऐसे नक्शे को तैयार करने में जहाज के मास्टर के सम्मुख पर्याप्त कठिनाई है व जहाज के रवाना होने के 30 दिन की अवधि में दाखिल करने का उचित प्रबन्ध कर दिया है तथा यदि इस समय में यह नक्शा आयकर अधिकारी को दे दिया जाता है तो यह मान लिया जावेगा कि जहाज के मास्टर ने यह नक्शा निर्धारित अवधि में दाखिल कर दिया था ।

4. यह नक्शा प्राप्त होने के बाद आयकर अधिकारी उपर्युक्त (2) के अनुसार करयोग्य आय की गणना करेगा व उन दरों से आयकर की देय राशि निकालेगा जो कम्पनी पर लागू होती है । यह रकम जहाज के मास्टर को चुकानी होती है ।

5. आय निर्धारण के दौरान आयकर अधिकारी जहाज के मास्टर से सभी सम्बन्धित प्रपत्र आदि माँग सकता है।

6. बन्दरगाह का हिसाब चुकता होने का प्रमाण पत्र कस्टम अधिकारी द्वारा उस समय तक नहीं दिया जाता जब तक कि उसे यह विश्वास न हो कि इस धारा के अन्तर्गत निर्धारित हुए कर को चुका दिया गया है अथवा इसे चुकाने का पर्याप्त एवं सन्तोषजनक प्रबन्ध कर दिया गया है।

7. जहाज का स्वामी सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में यह माँग भी कर सकता है कि गतवर्ष में उसे हुई कुल आय की व उसके अनुसार देय आयकर की गणना की जावे। ऐसी स्थिति में इस जहाज द्वारा गतवर्ष में दिया गया आयकर आयकर का अग्रिम भुगतान समझा जावेगा जिसे अब आयकर दायित्व की गणना के समय समायोजित कर दिया जावेगा।

VI. अनिवासियों से सम्बन्धित कर की वसूली

धारा 173 में इस विषय में स्पष्ट निर्देश है। इसके अनुसार यदि किसी अनिवासी की आय में से उसके द्वारा देय आयकर की पूर्ण रकम उद्गम स्थान पर नहीं काटी गई है तो कर की शेष राशि अनिवासी की उस किसी भी सम्पत्ति से वसूल की जा सकती है जो भारत में स्थित है। ऐसी स्थिति में जब कि अनिवासी की कोई सम्पत्ति भारत में स्थित नहीं है, आयकर अधिकारी प्रतीक्षा करता है व भविष्य में जब भी ऐसे अनिवासी की कोई सम्पत्ति उसके सम्मुख आती है वह आयकर की वसूली कर लेता है।

VII. व्यक्ति जो भारत छोड़ रहे हैं [174]

1. जब आयकर अधिकारी को यह आभास होता है कि कोई व्यक्ति चालू वर्ष में भारत छोड़ रहा है व उसके यहाँ पर वापस आने की कोई सम्भावना नहीं है तो वह गतवर्ष के अन्त से उसके भारत छोड़ने की तिथि तक हुई समस्त आय पर आयकर निर्धारण करेगा।

2. पिछले सभी गतवर्षों की आय का कर-निर्धारण भी किया जावेगा यदि यह अभी तक सम्पन्न नहीं हुए है।

3. ऐसे व्यक्ति की आय का निर्धारण यदि अधिनियम में दिए गए नियमों के अनुसार नहीं हो सकता तो आयकर अधिकारी ऐसी अवधि के कर-निर्धारण का अनुमान अपने विवेक से लगावेगा।

4. उपर्युक्त (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण के लिए आयकर अधिकारी द्वारा करदाता को एक नोटिस दिया जाता है व उसे आदेश होता है कि वह एक निश्चित अवधि के भीतर (जो सात दिन से कम नहीं होनी चाहिए) अपनी आय सम्बन्धी सभी सूचना व विवरण आयकर अधिकारी को दे दे।

VIII. व्यक्ति जो अपनी सम्पत्तियों के संक्रमण का यत्न करते हैं [175]

धारा 175 के अनुसार यदि कभी आयकर अधिकारी को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति कर बचाने अथवा कर न चुकाने के उद्देश्य से अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण करने वाला है तो ऐसे व्यक्ति की उस कुल आय पर चालू वर्ष के दौरान

ही कर-निर्धारण कर दिया जायेगा जो उसने गतवर्ष की समाप्ति से ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ होने तक अर्जित की है। इस सम्बन्ध में धारा 174 के सभी नियम व व्यवस्थायें लागू होंगी।

IX. व्यापार का विघटन [176]

1. व्यापार व पेशे के बन्द होने की दशा में गतवर्ष के अन्त से व्यापार बन्द होने की तिथि तक उपार्जित किये हुए लाभों पर आयकर अधिकारी के विवेकानुसार उसी कर-निर्धारण वर्ष में आयकर लगाया जावेगा।

2. व्यापार व पेशे के बन्द होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर आयकर अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक है।

3. कोई पेशा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसके अवकाश ग्रहण करने के कारण बन्द हो जाता है तो इसके बन्द होने के बाद प्राप्त हुई समस्त रकमें प्राप्तकर्त्ता के हाथों में करयोग्य होंगीं।

4. जब इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण होता है तो फर्म के विघटन की दशा में किसी भी उस व्यक्ति को जो साझेदार था, कम्पनी की दशा में उसके मुख्य अफसर को तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय की दशा में उसके किसी भी सदस्य को एक नोटिस दिया जाता है जिसमें वह सभी बातें होती हैं जो धारा 139 (2) में दिये गये नोटिस में होती है।

X. रायल्टी व कापीराइट शुल्क [180]

जब किसी व्यक्ति ने किसी साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति के सृजन में 12 महीने से अधिक का समय लगाया है तो इसके कापीराइट के हस्तान्तरण अथवा रायल्टी के प्रतिफल के लिए जो एक मुश्त रकम प्राप्त होती है उसका कर-निर्धारण (करदाता के ऐसा दावा करने पर) आयकर नियम संख्या 9 (2) के अनुसार किया जावेगा। यह इस प्रकार होगा।

जिस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष में कापीराइट आदि की एक मुश्त रकम मिली है उसके लिये करदायित्व निम्नलिखित होगा :—

अ. कुल आय (जिसमें यह रायल्टी शामिल है) में से सम्मिलित रायल्टी का $\frac{2}{3}$ घटाने के बाद शेष आय पर कर-दायित्व।

तथा

ब. कापीराइट व रायल्टी के $\frac{2}{3}$ भाग पर आयकर की उस दर से कर-निर्धारण जो दर $\frac{1}{3}$ रायल्टी पर लागू होती है।

बाद के दो वर्षों में से प्रत्येक का रायल्टी का $\frac{1}{3}$ भाग कुल आय में शामिल किया जायेगा तथा उपर्युक्त (ब) में निकाली गई आयकर की रकम का आधा उसके कर दायित्व में से घटा दिया जायेगा।

उदाहरण

2. श्री राय को 25 फरवरी 1973 को 45,000 रु० रायल्टी के प्राप्त होते है। इस पुस्तक के लिखने में श्री राय को 15 महीने का समय लगा व वह दिसम्बर 1970 में पूरी हुई। उनकी अन्य आय कर-निर्धारण वर्ष 1973-74, 1974-75 व 1975-76 के लिए क्रमशः 20,000 रु०, 25,000 रु० व 30,000 रु० है।

2. श्री रायधारा 180 का लाभ चाहते है। आप इन तीनों वर्षों का कर-दायित्व निकालिये।

कर-निर्धारण वर्ष 1973-74

	अन्य आय	20,000
	रायल्टी	45,000
	कुल आय	65,000
	घटाया रायल्टी का $\frac{2}{3}$	30,000
		35,000
अ.	35,000 रु० पर आयकर	9'775
ब.	$\frac{2}{3}$ रायल्टी अर्थात् 30,000 रु० पर उस दर से आयकर जो $\frac{1}{3}$ रायल्टी अर्थात् 15,000 रु० पर लागू होती है यह दर 9.9% है	2,970
	1973-74 के लिए कर-दायित्व	12,745

कर-निर्धारण वर्ष 1974-75

अन्य आय	25,000	
कापीराइट $\frac{1}{3}$	15,000	
कुल आय	40,000	
40,000 पर आयकर 74-75 की दरों से		12,650
घटाया उपर्युक्त (ब) का आधा		1,485
1974-75 के लिये कर-दायित्व		11,165

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76

अन्य आय	30,000	
कापीराइट $\frac{1}{3}$	15,000	
	45,000	
45,000 रु० पर 75-76 की दरों से आय		14,553
घटाया (ब) का आधा		1,485
1975-76 के लिये कर-दायित्व		13,068

3. Mr. Dayaram Damodar carried on business as General Merchants. The accounting year followed by him was the calendar year. On 1st July, 1972, the business was taken over by Mr. Tanaji. It was found by the I. T. O. that Mr. Damodar had not submitted Returns of Income for the assessment year 1969-70 and onwards. The profits of the business for each of the five previous years ended 31st December, 1972, amounted to Rs. 20,000; Rs. 30,000; 40,000; Rs. 5,000 and Rs. 60,000 respectively. The income of the broken period 1st January, 1972 to 30th June, 1972, was Rs. 20,000. The whereabouts of Mr. Damodar are not known. The I. T. O. indicates his intention to make assessments on Mr. Tanaji as the successor to the business for all the pending years. Advise Mr. Tanaji as to his liability to be so assessed.

(C.A. Final, May, 1974)

This is a case of succession that comes within the jurisdiction of section 170 of the Income-tax Act, 1961. It provides that usually there should be two assessments, one up to the date of succession and the other pertaining from the date of succession to the end of the previous year. The successor is liable to pay the tax liability for the period after succession. In this case an amount of Rs. 40,000 will be the taxable income for Mr. Tanaji whereas Rs. 20,000 should be assessable in the hands of Mr. Dayaram Damodar, being the income of the previous year up to the date of succession.

Since the whereabouts of Mr. Dayaram Damodar are not known, income pertaining to the earlier period of the previous year amounting to Rs. 20,000 will also be assessable in the hands of Mr. Tanaji but then it will be a separate assessment and the amount cannot be clubbed with other incomes of Mr. Tanaji. In addition Mr. Tanaji is also liable to tax for the income pertaining to the year immediately preceding the year in which the succession took place, namely, for the previous year ending 31st December, 1973. Since the income is just Rs. 5,000, it is tax-free because it is a separate assessment altogether though the tax is payable by Mr. Tanaji.

भाग ६

आयकर की गणना एवं वसूली

आयकर की गणना

21

(CALCULATION OF TAX)

जैसा अन्यत्र बता चुके है आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हमारा अध्ययन कुल आय की गणना तक ही सीमित रहता है। आय के विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाली शुद्ध आय किस प्रकार निकाली जाती है तथा ऐसी कौन सी कटौतियाँ हैं जो कुल आय में से की जाती है, एवं विभिन्न प्रकार की छूटें जो करदाना को प्राप्त होती हैं, आदि सभी प्रश्नों के उत्तर हमें आयकर अधिनियम के अध्ययन से मिल जाते हैं। परन्तु जहाँ आयकर के निकालने का प्रश्न आता है, हमें संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष पारित किये गये वित्त अधिनियम की ही शरण लेनी पड़ती है जिसमें आयकर की दरें दी हुई रहती हैं। यह अध्याय वित्त अधिनियम, 1975, में दी गई दरों पर आधारित है।

करारोपण की विधियाँ

1. **आय के अनुसार करारोपण** (Step system)—यह ऐसा सिद्धान्त है जिसके अनुसार पूरी रकम क लिए एक ही दर निर्धारित होती है। आय की रकम बढ़ने पर आयकर की दर भी बढ़ती है अर्थात् आय जितनी अधिक होगी आयकर उतनी ही ऊँची दर से लगाया जायेगा। हमारे यहाँ 1 अप्रेल 1939 के पूर्व कर लगाने में इसी प्रणाली का अनुसरण किया जाता था। तत्पश्चात् यह सिद्धान्त समाप्त कर दिया गया। एक बार पुन: 1 अप्रेल 1946 से 31 मार्च 1948 तक पूँजी लाभों पर कर लगाने के लिये उसी सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ। किन्तु अब इसे पूर्णतया त्याग दिया गया है। पद्धति को भली प्रकार समझने के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा :—

	आय	दर
i.	2,500 रु० तक	कुछ नहीं
ii.	2,500 रु० से अधिक किन्तु 5,000 रु० से अधिक नहीं	5%
iii.	5,000 रु० अधिक किन्तु 10,000 रु० से अधिक नहीं	10%
iv.	10,000 रु० से अधिक किन्तु 20,000 रु० से अधिक नही	20%
v.	20,000 रु० से अधिक की आय पर	30%

एक व्यक्ति की आय यदि 10,000 रु० है तो 10% की दर से 1,000 रु० आयकर के देने होंगे। किन्तु यदि उसकी आय 10,000 रु० से बढ़कर 10,100 रु० हो जाती है तो इसे 10,100 रु० पर 20 की दर से अर्थात् 2,020 रु० आयकर के देने पड़ेंगे अर्थात् आय में 100 रु० की वृद्धि होने पर कर-दायित्व में 10,20 रु० की वृद्धि हो गई। इस प्रकार यह सिद्धान्त न्याय से परे ही नहीं बल्कि असंगत भी है। इस प्रकार करदाता अपनी आय बढ़ाने से पूर्व कई वार यह सोचना पसन्द करेगा कि आय बढ़ाई जाये अथवा नहीं।

2. **आय के विभाग के अनुसार करारोपण** (Slab system of taxation)—इस विधि के अनुसार सम्पूर्ण आय को कुछ टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तथा

विभिन्न टुकड़ों के लिये आयकर की विभिन्न दरें भी होती हैं। प्रत्येक अगले टुकड़े पर बढ़ती हुई दर से कर लगता है। हमारे यहाँ आयकर की प्रचलित दरें इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं। इस विधि के अन्तर्गत आय में वृद्धि होने पर करदाता को किसी प्रकार की हानि नहीं होती।

कृषि आय का कुल आय में आँशिक एकीकरण

कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 से आयकर की दर निकालने के लिए कृषि आय को कुल आय में जोड़ा जाता है। यह सही है कि कृषि आय पर आयकर नहीं दिया जाता व केन्द्रीय सरकार को इस पर कर लगाने का अधिकार नहीं है किन्तु इसे कुल आय में दर निर्धारण के लिये जोड़ा जाता है योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

(अ) इस योजना से केवल गैर-निर्गमित करदाता ही प्रभावित होते है। अर्थात् कम्पनी व सहकारी समितियों के कर-निर्धारण में कृषि-आय को नहीं जोड़ा जाता।

(ब) केवल उन्हीं करदाताओं के लिये यह योजना लागू होगी जिनकी गैर कृषि आय 6,000 रु० से अधिक है। ऐसे करदाता जिनकी गैर कृषि आय 6,000 रु० से कम है, कृषि आय को अपनी आय में नहीं जोड़ेंगे चाहे यह कितनी भी अधिक हो। उदाहरण के लिये एक व्यक्ति जिसकी गैर कृषि आय 6,000 रु० एवं कृषि आय 15,000 रु० है, आयकर नहीं देगा। दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसकी गैर कृषि आय 7,000 रु० है व कृषि आय 3,000 रु० है आयकर देगा व कृषि आय को उसकी कुल आय में सम्मिलित किया जावेगा।

(स) कर-दायित्व निकालने के लिए निम्नलिखित प्रणाली को अपनायेंगे :

(i) कृषि व गैर-कृषि दोनों प्रकार की आयों को मिलाकर आयकर की गणना की जायेगी यह मानते हुए कि यही कुल आय है।

(ii) कृषि आय में 6,000 रु० जोड़ कर आयकर की गणना कीजिए यह मानते हुए कि यही राशि करदाता की कुल आय है।

(iii) उपर (i) के अन्तर्गत निकाले गये आयकर की राशि में से (ii) में निकाली गई आयकर की राशि घटाकर जो रकम आयगी वही करदाता का कर-दायित्व होगा।

कृषि आय की गणना के नियम

(1) कृषि भूमि से प्राप्त किराया अथवा मालगुजारी से हुई आय को 'अन्य साधनों से आय' की तरह निकाला जावेगा अतः धारा 57 से 59 के प्रावधान लागू होंगे।

(2) कृषि आय (इसमें कृषि भूमि से किराया तथा कृषि के काम आने वाले रिहाइशी मकान से होने वाली आय सम्मिलित नहीं है) की गणना इस तरह की जाती है जैसे 'व्यापार व पेशे' के लाभों की गणना करते है तथा उन्हीं सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत स्वीकृति कटौती मिलती है। जिनका उल्लेख 'व्यापार व पेशे के लाभ' शीर्षक अध्याय में किया गया है।

(3) ऐसे मकान की आय, जो कृषक द्वारा रिहायशी उद्देश्य के लिए इस्तैमाल होता है, 'मकान सम्पत्ति से आय' की तरह निकाली जायेगी। व वही कटौतियाँ मिलेगी।

(4) चाय के उगाने व निर्माण से होने वाली आय आयकर नियम संख्या 8 के अनुसार निकाली जावेगी तथा इसका 60 प्रतिशत कृषि आय होगा।

(5) यह योजना चूँकि रजिस्टर्ड फर्मों पर लागू नहीं होती अतः ऐसी फर्मों को हुई कृषि आय इसके सझेदारों में बाँट दी जाती है जिनके हाथों में इसे कुल आय में शामिल करते है।

(6) अनरजिस्टर्ड फर्म अपने कर-निर्धारण के लिए कृषि आय को अपनी कुल आय में जोड़ती हैं, अतः इसके साझेदारों को इसे अपने कर-निर्धारण में जोड़ने की आवश्यकता नहीं हैं।

(7) ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म, जिनकी कर-योग्य आय 6,000 रु० से कम है, अतः इनको हुई कृषि आय कुल आय में नहीं जोड़ी जा सकती, अपनी कृषि आय को अपने साझेदारों में वितरित कर देगी। जहाँ इसे उनके कर-निर्धारण में जोड़ा जावेगा।

(8) किसी वर्ष यदि कृषि आय के स्थान पर कृषि हानि आती है तो इसे कृषि के अन्य साधनों से उसी गतवर्ष में पूरा किया जा सकता है। अनरजिस्टर्ड फर्म को हुई कृषि हानि साझेदारों द्वारा अपनी अन्य कृषि आय से पूरी नहीं की जा सकती।

(9) करदाता द्वारा यदि कृषि आय के लिए कोई आयकर राज्य सरकार को दिया जाता है तो इन नियमों के अन्तर्गत कृषि आय की गणना करते हुए इन्हें घटा दिया जाता है।

(10) कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 में यदि किसी करदाता को कृषि से कुछ हानि हुई थी तो उसे 1975-76 के लिए कृषि आय की गणगा करते समय पूरा कर देंगे। 1975-76 में यदि कृषि से हानि होती है तो 1976-77 के लिए गणना करते समय इसे घटा दिया जावेगा।

(11) कृषि आय की गणना करते समय यदि किसी वर्ष में हानि आती है तो इसे शून्य माना जाता है। तथा इसकी पूर्ति अन्य आय से नहीं की जा सकती।

(12) आयकर अधिनियम की सभी धारायें ऐसी आय की गणना में भी लागू होगीं।

(13) कृषि आय की गणना करते हुए आयकर अधिकारी के वही अधिकार होंगे जो उसे अन्य आय की गणना करते हुए प्राप्त होते हैं।

कुल आय को 10 के निकट लाना (Rounding off of total Income)—धारा 288A के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आयकर की गणना के लिये कुल आय की रकम को 10 के निकटतम ले आते है। सर्वप्रथम हम कुल रकम में पैसों को छोड़ देते है। तत्पश्चात् रकम की अन्तिम संख्या यदि 5 अथवा 5 से अधिक है तो उस पूरी संख्या को 10 तक बढ़ा दिया जाता है। यदि संख्या 5 से कम हो तो इसे छोड़ देते हैं। उदाहरणार्थ 10,514·95 को 10 के निकटतम लाने के लिये वह संख्या 10,510 रु० हो जाएगी तथा रु० 26,915.95 को 10 के निकटतम लाने के लिए 26,920 रु० करना पड़ता है।

आयकर की दरें

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आयकर की दरें वित्त अधिनियम 1975 में दी गई हैं। ये व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म व्यक्तियों के समुदाय व कृत्रिम व्यक्ति के लिए इस प्रकार है :

1.	कुल आय के प्रथम 6,000 रु० पर	कुछ नहीं
2.	कुल आय के अगले 4,000 रु० पर	12 प्रतिशत
3.	कुल आय के अगले 5,000 रु० पर	15 प्रतिशत
4.	कुल आय के अगले 5,000 रु० पर	20 प्रतिशत
5.	कुल आय के अगले 5,000 रु० पर	30 प्रतिशत
6.	कुल आय के अगले 5,000 रु० पर	40 प्रतिशत
7.	कुल आय के अगले 20,000 रु० पर	50 प्रतिशत
8.	कुल आय के अगले 20,000 रु० पर	60 प्रतिशत
9.	कुल आय के शेष पर	70 प्रतिशत

आयकर पर सरचार्ज : ऊपर तालिका के अनुसार निकाले गये आयकर पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज और लगाया जाता है।

ऐसे प्रत्येक हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए जिसके कम से कम एक सदस्य की अपनी व्यक्तिगत आय 1975-76 कर-निर्धारण से सम्बन्धित गतवर्ष के लिए 6,000 रु० से अधिक है, कर-दायित्व निम्नलिखित दरों से निर्धारित होगा :

1.	कुल आय के प्रथम 6,000 रु० पर	कुछ नहीं
2.	कुल आय के अगले 4,000 रु० पर	15 प्रतिशत
3.	कुल आय के अगले 5,000 रु० पर	20 प्रतिशत
4.	कुल आय के अगले 5,000 रु० पर	30 प्रतिशत
5.	कुल आय के अगले 5,000 रु० पर	40 प्रतिशत
6.	कुल आय के अगले 5,000 रु० पर	50 प्रतिशत
7.	कुल आय के अगले 20,000 रु० पर	60 प्रतिशत
8.	कुल आय के शेष पर	70 प्रतिशत

आयकर पर सरचार्ज

ऊपर दी हुई तालिका के अनुसार आयकर निकालकर उस पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज और लगाया जाता है।

आयकर को पूरे रुपयों तक लाना [288B] : धारा 288B में ऐसी व्यवस्था दी गई है जिसके अनुसार आयकर दायित्व, उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर, पेशगी दिये जाने वाले आयकर व्याज, अर्थदण्ड अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत दी जाने वाली किसी भी धनराशि को रुपयों तक ले आते हैं। इसके लिए 50 पैसे से कम की राशि जोड दी जाती है तथा 50 पैसे अथवा अधिक पैसों को 1 रु० में बदल दिया जाता है। उदाहरण के लिए 538 रु० 49 पैसों के स्थान पर 538 रु० दिये जायेंगे जबकि 538 रु० 50 पैसों के लिए हमें 539 रु० देने होंगे।

आयकर निकालने का ढंग

कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आयकर की गणना करते समय निम्न-लिखित बातों को ध्यान मे रखना आवश्यक है :—

1. विभिन्न शीर्षकों से आय की गणना करने के पश्चात् कुल सकल आय निकालिए।

2. तत्पश्चात् कुल सकल आय में से धारा 80 C 80 U तक की सभी कटौतियाँ कीजिए। शेष आय 'कुल आय' कहलाती है।

3. उपरलिखित तालिकानुसार कुल आय पर आयकर की गणना कीजिए।

4. आयकर (3) के अन्तर्गत निकाली गई राशि में सरचार्ज जोड़िए।

5. (4) में निकाली गई धनराशि में कुल आय का भाग देकर तथा 100 से गुणा करके आयकर की औसत दर ज्ञात कीजिए।

6. उन सभी रकमों का योग कीजिए जिन पर औसत दर से आयकर की छूट मिलती है। उदाहरणार्थ अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त लाभ।

7. ऊपर (4) के अन्तर्गत निकाली आयकर एवं सरचार्ज की राशि में से निम्नलिखत रकमें घटा दी जाती है :—

i विभिन्न रकमों पर आयकर की औसत दर व निर्धारित दरों से मिलने वाली छूटें ?

ii उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर।

iii. आयकर की पेशगी भुगतान की गई रकम।

iv. कर साख-पत्रों की रकम।

8. विभिन्न प्रकार के तथा विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत लगाए गए अर्थदण्ड यदि कुछ है तो इस प्रकार उपर्युक्त 7 में बची धनराशि में जोड़कर आयकर की देय रकम मालूम की जाती है। किन्तु यदि '7' के अन्तर्गत आई रकम उपर्युक्त '4' में आने वाली धनराशि से अधिक है तो करदाता को इस आधिक्य की आयकर विभाग द्वारा वापिसी कर दी जाती है।

1. M, an individual supplies you the following information for computation of his tax liability for the assessment year 1975-76.

		Rs.
1.	Interest on securities (gross)	8,000
2.	Interest on tax-free Govt. securities	2,000
3.	Income from house property (Computed)	10,000
4.	Profit from business	5,000
5.	1/3 share of profit from an unregistered firm	10,000
		35,000

He paid Rs. 3,000 as life insurance premium and donated Rs. 5,000 to an institution approved by the Income-tax Deptt. Income-tax was deducted at source @ 23% from the amount of interest on securities.

Computation of Total Income

		Rs.	Rs.
1. Interest on securities			
(a) Ordinary securities		8,000	
(b) Tax-free Government securities		2,000	10,000
2. Income from house property			10,000
3. Profit from business			
(a) Own business		5,000	
(b) Share from an unregistered firm		10,000	15,000
		Gross Total Income	35,000
a. Deduction u/s 80 C : First Rs. 2,000	2,000		
Balance of Rs. 1,000 @ 50%	500	2,500	
b. Deduction u/s 80 G : 55% of Rs. 2,050			
[35,000−(2,000+10,000+2,500)=20,500 10% of Rs. 20,500=2,050		1,128	3,628
			31,372
		or say	31,370

Computation of tax liability

	Rs.
Income-tax on the first 30,000	5,730
Income-tax on the balance of Rs. 1,370 @ 50%	685
	56,415
Add surcharge @ 10%	641·50
Total tax	7,056 50

Average rate of tax $\frac{7,056 \cdot 50}{31,370} \times 100 = 22 \cdot 4$ per cent appx.

		Rs.
Tax as calculated above		7,056·50
Less Rebate of tax on :		
(i) Profit from unregistered firm (Rs. 10,000) @ 22·49	2,249	
(ii) Interest on tax-free securities (Rs. 2,000) @ 22·49	449·80	2,698·80
Tax liability		4,357·70

Calculation of tax payable

	Rs.
Tax liability	4,357·70
Less tax deducted at source @ 23% of Rs. 8,000	1,840·00
	2,517·70
or say	2,518

2.

	Rs.
Total Income	4,000
Net Agricultural Income	1,00,000

The assessee is not required to pay income-tax as his income is less than Rs. 6,000.

3. Total Income 7,000
Net Agricultural Income 3,000

Income-tax on aggregated income i. e.,	480	
Surcharge at 10 per cent	48	
Total tax	528	(A)
Income-tax on net agricultural income as increased by Rs. 6,000 i. e., Rs. 9,000	360	
Surcharge at 10 per cent	36	
Total tax	396	(B)
Income-tax payable by the individual (A–B)	132	

4. Total Income 10,100
Net Agricultural Income 5,000

Income-tax on agregated income of Rs. 15,100	1,250	
Surcharge at 10%	125	
Total Income-tax including S. C.	1,375	(A)
Income-tax on net agricultural income as increased by Rs. 6,000 i. e., Rs. 11,000	630	
Surcharge at 10 per cent	63	
Total tax on agricultural income	693	(B)
Tax payable by the individual (A—B)	682	

5. Total income 10,000
Net Agricultural Income 8,000

Income-tax on total income of Rs. 18,000	1,830	
Surcharge at 10 per cent	183	
Total tax on aggregated income	2,013	(A)
Tax on net agricultural income as increased by Rs 6,000 i. e., Rs. 14,000	1,080	
Surcharge at 10 per cent	108	
Total tax on N. A. I.	1,188	(B)
Total tax payable by the individual (A–B)	825	

6. Total Income 10,000
Net Agricultural Income 15,000

Income-tax on aggregated income of Rs. 25,000	3,730	
Surcharge at 10 per cent	373	
Income-tax and S.C.	4,103	(A)
Income-tax on net agricultural income as increased by Rs. 6,000 i. e,. on Rs. 20,000	2,530	
Surcharge at 10 per cent	253	
Income-tax on N.A.I.	2,783	(B)
Tax payable by the individual (A—B)	1,320	

7. The following particulars of income are supplied by miss Alka who is an executive in Bharat Electronics assessable in the year 1975-76.

Total income	Rs. 35,000
Agricultural income	Rs. 20,000

Loss from agriculture from the assessment year 1974-75 Rs. 12,000.
You are required to compute her tax liability for the assessment year 1975-76.

Total income		35,000	
Agricultural income	20,000		
Loss from 1974-75	12,000	8,000	
Aggregated income		43,000	
Income tax on Rs. 43,000	12,230		
Surcharge at 10%	1,223		13,453
Income tax on Rs. 14,000 (8,000+6,000)		1,080	
Surcharge at 10 per cent		108	1,188
Tax payable			12,265

अभ्यास के प्रश्न

1. करारोपण कितने प्रकार से होता है तथा आप के विचार से कौन सी पद्धति अधिक उपयुक्त है।

2. "कृषि आय को कुल आय में आंशिक रूप से मिलाया जाता है" इस कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए।

3. शुद्ध कृषि आय की गणना करने के नियमों पर प्रकाश डालिए।

4. व्यक्ति का कर-निर्धारण व कर की गणना किस प्रकार की जाती है, स्पष्ट कीजिए।

अनिवार्य जमा योजना

22

(COMPULSORY DEPOSIT)

हमारे आर्थिक इतिहास में जुलाई 1974 को बहुत दिनों तक स्मरण किया जायेगा क्योंकि इसी महीने में भारत सरकार द्वारा मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कई उग्र कदम उठाये गये। सर्वप्रथम भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार लाभांश वितरण पर दो वर्षो के लिए रोक लगा दी गई। दूसरे अध्यादेश द्वारा सभी कर्मचारियों को अपने बढ़े हुए मँहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत तथा अतिरिक्त वेतन वृद्धि का शत प्रतिशत सरकारी खजाने में जमा कराना था। तीसरा अध्यादेश उन करदाताओं के लिए था जिनकी आय 15,000 रु० से अधिक है। ऐसे करदाताओं को अपनी आय का एक निर्धारित प्रतिशत बैंक में जमा कराना था। इन सभी जमा रकमों पर व्याज देने का प्रावधान है। इस अध्याय में हम इसी जमा योजना पर प्रकाश डाल रहे हैं।

योजना किन पर लागू होती है : योजना में निम्नलिखित करदाताओं को शामिल किया जाता है :

अ. व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं ;
ब. हिन्दू अविभाजित परिवार ;
स. विवेकाधीन ट्रस्टों के ट्रस्टी;
द. ऐसे व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उपर्युक्त के लिए आयकर देते है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कम्पनी, साझेदारी फर्म, सदस्यों का समुदाय, कृत्रिम व्यक्ति आदि अनिवार्य जमा योजना से बाहर रखे गये हैं तथा इन्हें अनिवार्य जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

कर-निर्धारण वर्ष : योजना कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 एवं 1976-77 के लिए लागू होगी।

अनिवार्य जमा कब की जाती है : अनिवार्य जमा करने की जरूरत उसी स्थिति में होती है जबकि करदाताओं की सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए चालू आय 15,000 रु० से अधिक होती है। इस सन्दर्भ में 'चालू आय' से हमारा अभिप्राय निम्नलिखित से है :

(अ) ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्हें सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वित्त वर्ष में पेशगी आयकर जमा करना पड़ता है, कुल आय तथा शुद्ध कृषि आय का योग। कुल आय में पूँजी लाभ तथा लाटरी के इनाम, पहेलियों, दौड़ों तथा ताश आदि से हुए लाभ शामिल नहीं किये जाते।

(ब) किसी अन्य व्यक्ति के लिए सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वित्त वर्ष में हुई आनुमानिक कुल आय तथा कृषि आय का योग।

इस उद्देश्य के लिए करदाता की आय की गणना आयकर अधिनियम मे उपलब्ध विभिन्न छूटों एव कटौतियों के आधार पर की जायेगी। इसी प्रकार शुद्ध कृषि आय भी वित्त अधिनियम मे दिये गये नियमों के अनुसार निकाली जायेगी।

जमा की दर: अनिवार्य जमा की राशि निम्नलिखित दरों के अनुसार निकाली जायेगी।

(अ) चालू आय के प्रथम 25,000 रु० पर	4 प्रतिशत
(ब) चालू आय के अगले 50,000 रु० पर	6 ,,
(स) चालू आय के शेष पर	8 ,,

ऐसे व्यक्ति जिनकी चालू आय 15,000 रु० तक है, अनिवार्य जमा की परिधि में नही आते। इसके अतिरिक्त सीमान्त छूट का भी प्रावधान है जो निम्नलिखित है:

(i) जब चालू आय 15,100 रु० तक होती है तो अनिवार्य जमा की जरूरत नहीं होती।

(ii) जब चालू आय 15,100 रु० से अधिक होती है किन्तु 15,620 रु० से अधिक नहीं तो जमा की राशि चालू आय के 15,000 रु० पर के आधिक्य के बराबर होगी।

(iii) चालू आय के 15,620 रु० से अधिक होने पर निर्धारित दरों से जमा की राशि निकाली जाती है।

अतिरिक्त उपलब्धियों के लिए जमा की गई राशि: हमने अतिरिक्त मॅंहगाई भत्ते व अतिरिक्त वेतन के लिए भी जमा की जाने वाली योजना का जिक्र किया है। चूँकि ऐसे कर्मचारियों को (जिनकी चालू आय 15,000 रु० से अधिक है) भी अपने अतिरिक्त मॅंहगाई भत्ते का 50 प्रतिशत व अतिरिक्त वेतनवृद्धि की सम्पूर्ण रकम जमा करनी पडती है अत: ऐसी जमा की गई राशि को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जाने वाली राशि से समायोजत कर देते है। अत: एक स्थिति में जब कि करदाता को अपनी 40,000 रु० की चालू आय पर 1,900 रु० जमा करना है किन्तु इसी करदाता के लिए अतिरिक्त मॅंहगाई भत्ते व वेतन वृद्धि जमा योजना के अन्तर्गत यदि 1,200 रु० जमा हो चुका है तो इसे अब केवल 700 रु० ही जमा करने होंगे।

इस बारे में यह ध्यान रखना है कि जो राशि अतिरिक्त मॅंहगाई भत्ते के लिए जमा की जाती है उसे कुल आय में नहीं जोडा जाता। यह राशि जब वापिस मिलती है उस वर्ष की कुल आय में सम्मिलित की जाती है।

दूसरी ओर इस अनिवार्य बचत योजना के अतर्गत जो राशि जमा की जाती है, वह कुल आय में सम्मिलित रहती है। इस रकम की वापिसी पर इसे कुल आय में जोड़ने का प्रश्न ही नहीं है। इस पर जो ब्याज मिलेगा, वह उस वर्ष की आय मानी जायेगी।

जमा करने का समय: ऐसे व्यक्ति जो पेशगी आयकर जमा करते हैं आयकर की किश्तों के साथ ही अनिवार्य जमा की किश्तें भी जमा कर सकते है। यदि ये चाहे तो सम्पूर्ण राशि एक ही किश्त में जमा की जा सकती है जिसकी अन्तिम तिथि वह होगी जो पेशगी आयकर को जमा करने की अन्तिम तिथि है। यह तिथि प्राय: 15 दिसम्बर अथवा 15 मार्च होती है।

ऐसा व्यक्ति जो पेशगी आयकर देने का दायी नहीं है अनिवार्य जमा कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पहले की 31 मार्च तक कर देनी चाहिए। करदाता यदि चाहें तो ऐसी राशि को किस्तों में भी जमा किया जा सकता है किन्तु एक तिमाही में एक से अधिक किश्त नहीं होगी।

आयकर अधिकारी का आदेश : ऐसे व्यक्ति जो आयकर को पेशगी देने के लिए वाध्य है, उसी अनुमानिक कुल आय के लिए अनिवार्य जमा भी करेंगे। ऐसी दशा में जमा की हुई राशि के लिए आयकर अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे करदाताओं को, जो आयकर को पेशगी जमा नहीं करते, अपनी आनुमानिक कुल आय व शुद्ध कृषि आय के अनुसार अनिवार्य बचत जमा कर देनी चाहिए। यह सम्भव है कि ऐसे व्यक्ति स्वतः ही अनिवार्य जमा न करे ऐसी दशा में आयकर अधिकारी करदाता को अपनी 'सही आय' पर अनिवार्य जमा करने का आदेश देगा। 'सही आय' से तात्पर्य निम्नलिखित से है :

(अ) जब व्यक्ति ने अपनी आय का नक्शा भेजा है तो उसमें सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए दिखाई गई आय (पूँजी लाभ व लाटरी आदि के लाभों को छोड़ते हुए) व कृषि आय का योग।

(ब) ऐसी दशा में जबकि आय का नक्शा जमा नहीं किया गया है वह आय जिस पर आयकर अधिकारी ने कर-निर्धारण किया है।

उपर्युक्त दशा में आयकर अधिकारी करदाता को एक नोटिस देगा जिसके 35 दिनों की अवधि में यह राशि जमा करनी होगी।

जमा करने की विधि : अनिवार्य जमा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया स्टेट बैंक आफ इण्डिया, इसके सहायक बैंकों एवं राष्ट्रीय कृत बैंकों की सभी शाखायें में स्वीकार करेंगी। राशि जमा करने पर एक पास बुक करदाता को मिलेगी जिसमें ऐसी सम्पूर्ण जमा का हिसाब होगा। एक बार में एक ही हिसाब खोला जावेगा। प्रत्येक बार जमा करने के लिए बैंक द्वारा एक रसीद दी जावेगी जिसे करदाता अपनी आय के नक्शे के साथ संलग्न करेगा।

जमा पर ब्याज : अनिवार्य जमा राशि पर उस अधिकतम दर से व्याज मिलेगा जो बैंक द्वारा अपनी जमाओं पर दिया जाता है। आज कल बैंक द्वारा दिया जाने वाला अधिकतम ब्याज 10 प्रतिशत है। व्याज राशि जमा करने वाले महीने के ठीक अगले महीने की पहली तारीख से दिया जायेगा तथा इसे वापिस मिलने वाले महीने के ठीक पहले महीने के अन्त की तिथि तक मिलेगा।

ब्याज : जिस वर्ष यह ब्याज प्राप्त होगा, इसे बैंक जमा पर व्याज समझा जावेगा तथा इस पर धारा 80 L के अन्तर्गत छूट मिल सकेगी।

जमा न करने पर अर्थ दण्ड : ऐसी दशा में जब कि व्यक्ति को पेशगी आयकर देना पड़ता है स्वतः ही यह राशि उस तिथि तक जमा कर देनी चाहिये जब कि पेशगी आयकर की अन्तिम किश्त देय है। ऐसा न करने पर अथवा कम राशि जमा करने पर अर्थ दण्ड का प्रावधान है। राशि जमा करने में भूल पर जमा की राशि 25% तथा कम राशि जमा करने पर ऐसी कमी का 25% तक जुर्माना किया जा सकता है।

ऐसे व्यक्ति जो आयकर को पेशगी जमा करने के दायी नहीं है तथा जो जमा करने में चूक करते हैं जमा योग्य राशि का 25% जुर्माने के रूप में अदा करेंगे। किन्तु

यदि उन्होंने अनिवार्य जमा की है पर यह सही आय पर की जाने वाली अनिवार्य जमा की राशि के 75% से भी कम है तो ऐसी कमी का 25% जुर्माना स्वरूप देना पड़ेगा।

यह जानना आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को अर्थदण्ड अवश्य ही लगाना पड़ेगा उसे इसमें छूट देने का अधिकार नहीं है। और न वह जुर्माने की राशि को बढ़ा या घटा ही सकता है।

(1) 'चालू आय' 'सही आय' तथा आवश्यक **जमा** की राशि को 10 रुपये के निकटतम लाया जाता है। तथा जुर्माने की राशि को एक रुपये के निकटतम लाते हैं।

(2) अनिवार्य जमा की राशि व इस पर मिलने वाले ब्याज को किसी भी न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत कुर्क नहीं कराया जा सकता।

(3) जमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नामजदगी का अधिकार होता है, अर्थात् करदाता की मृत्यु पर अनिवार्य जमा का भुगतान उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी नाम जदगी करदाता द्वारा कर दी जाती है।

1 Shri Amar Narayan Chopra receives a notice under section 210 (1) in respect of advance tax payable in the financial year 1975-76. The tax liability is estimated on the basis of his income regularly assessed for the assesment year 1975-76 which is as follows :

Profit and gains from business	Rs. 32,000	
Taxable income from house property	8,000	40,000
		10,000
Net agricultural income		

"Current income" for compulsory deposit will include total income as stated in the notice for advance tax, that is Rs. 40,000 and agricultural income of Rs. 10,000, aggregating in all Rs. 50,000. In case Shri Chopra accepts the amount fixed in the notice u/s 210 (1), he is liable to make compulsory deposit in respect of the current income of Rs. 50,000 which will come to Rs. 2,500. The amount will have to be deposited on or before the dates on which instalments of advance tax are due.

But Shri Chopra thinks that his income during the financial year 1975-76 will be than what is shown in the notice u/s 210 (1), then be will prepare his estimates and shall make the deposit according to his estimates. Suppose he inghis income as follows

Profit from business		10,000
Interest on securities		5,000
Income from house property		6,000
Interest on bank deposit		2,000
Gross total income		23,000
Less Deduction :		
Under Sec 80C	3,000	
u/s 80L	2,000	5,000
Total income		18,000
Agricultural income		7,000
Current income		25,000

In the case he shall make deposits of Rs. 1,000 on the dates on which instalmemts of advance tax are due.

2. Prof. Venkataramana has been an assesseee for the last many years but the has not received any notice for advance tax. He calculates his income for the financial year 1975-76 as follows :

Income from lottery winnings	50,000
Salary from the university	30,000
Income from house property (computed)	10,000
Interest on bank deposits	8,000
Agricultural income	12,000
Short term capital gains	5,000

Savings qualified for deduction under seciton 80C Rs. 7,000

Since he has not received any notice for advance tax, it is his responsibility to estimate his current income and make deposits. The current income shall be estimated as follows :

	Salary	30.000	
Less :	Incidental expenses	3,500	26,500
	Income from house property		10,000
	Short term capital gains		5,000
	Income from other sources : interest	8,000	
	lottery	50,000	58,000
	Gross Total Income		99,500
	Deductions under section 80C : First	4,000	
	50% of Rs. 3,000	1,500	
	Under section 80L	3,000	
	Under section 80 TT First	5,000	
	50% of Rs. 45,000	22,500	36,000
	Total Income		63,500

Current Income for compulsory deposit would be :

Total Income		63,500
Less Capital Gains	5,000	
Lottery winning included in total income (50,000—27,500)	22.500	27,500
		36,000
Agricultural income		12,000
Current Income		48,000

Compulsory Deposit

First Rs. 25,000 of the current income @ 4%	1,000	
Balance Rs. 23,000 at 6%	1,380	2,380

The amount will have to be deposited before 31-3-1976.

3. Shri sewaram Mittal is asked to pay advance tax during the financial year 1975-76 on Rs. 50,000 which is determined on the basis of the last regular assessed income for the assessment year 1974-75. He pays advance tax as will as compulsory deposit of Rs. 2,500. He however, returns his total income at Rs. 70,000 assessable in the assessment year 1976-77.

Shri Mittal has committed a mistake of not submitting his estimate of income under section 212 (3A) as his income was higher than the one on which advance tax had been asked by the I. T. O. On the returned income of Rs. 70,000, the amount of compulsory deposit comes to Rs 3,700 of which he has deposited Rs. 2,500. Now he will have to deposit Rs 1,2000 when the I. T. O. asks him to pay it. There is no case for penalty.

Supposing there had been no notice served on the assessee for advance tax and he made deposits as above, that is. Rs. 2.500 on his estimated income of Rs. 50,000. In this case Shri Mittal would not only pay the baalnce of Rs. 12.000 towards compulsory deposit but would be required to pay a penalty as follows :

Compulsory deposit on Rs. 70,000		Rs. 3,700
75 per cenr of the above		2,775
Amount deposited		2,500
	Short fall	275

Panalty being 25% of the shortfall, will be Rs. 68.75

सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण 23
(ACQUISITION OF IMMOVABLE PROPERTY BY GOVERNMENT)

यह सामान्य ज्ञान की बात है कि हमारे देश में सम्पत्ति का अल्प-मूल्यन होता रहा है जिसके माध्यम से धनकर. पूँजीलाभ कर व स्टाम्प शुल्क को बचाया जाता है। प्राय: ऐसा धन जो खातों व हिसाबी पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है, मकान सम्पत्ति के निर्माण में लगा दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों में यह आम बात है कि किसी भी भवन सम्पत्ति का सौदा करते समय यह स्पष्ट रूप से तय किया जाता है कि निश्चित किए गए मूल्य में से कितना हिसाबी रुपया होगा व कितना रुपया बिना हिसाब (unaccounted) का। ऐसी प्रवृति से संतृप्त होकर वित्त मन्त्री ने केन्द्रीय सरकार के बजट प्रस्तुत करते समय 28 मई 1971 को अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख करते हुए कहा था कि ऐसी प्रवृत्ति को अवश्य ही रोका जा सकता है यदि सरकार को संसद द्वारा यह अधिकार दे दिया जावे कि वह सम्पत्ति को विक्रय विलेख में उल्लिखित मूल्य पर खरीद सके। इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विधेयक अगस्त 1971 में संसद में प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा आयकर अधिनियम में कुछ नवीन धारायें जोड़ी गई। धनकर अधिनियम एवं उपहारकर अधिनियम में भी संशोधन किए गये।

यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिनियम की धारायें 269A से 269S तक सम्पत्ति के अभिग्रहण से सम्बधिन्त हैं व ये जम्मू व काश्मीर राज्य में लागू नहीं होंगी :

इन धाराओं के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह एक विज्ञप्ति के द्वारा ये प्रावधान किसी भी तिथि से लागू कर सकती है। ऐसी विज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार ने 14 नवम्बर 1972, को प्रकाशित की तथा ये प्रावधान 15 नवम्बर 1972, से लागू किये गये। अत: 15 नवम्बर, 1972, को इसके पश्चात् हस्तान्तरित हुई अचल सम्पत्तियाँ सरकार द्वारा अभिग्रहण को परिधि में आयेंगी।

अचल सम्पत्ति जिसके लिए अभिग्रहण की कार्यवाही चालू की जा सकती है [269 C] :—जब सक्षम प्राधिकारी (Competent authority) को यह विश्वास हो तथा ऐसे विश्वास के पर्याप्त कारण हों कि किसी ऐसी अचल सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है, को एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को

ऐसे प्रत्यक्ष प्रतिफल (apparent consideration) के लिए हस्तान्तरित किया गया है जो उचित्त बाजार मूल्य से कम है तथा क्रेता और विक्रेता के मध्य तय किया गया मूल्य हस्तान्तरण विलेख में नही दिखाया गया है; तो ऐसी स्थिति मे सक्षम अधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। ऐसे अल्पमूल्यन के निम्नलिखित कारण हो सकते है :—

a. ऐसे हस्तान्तरण से हस्तान्तरक को होने वाली आय पर इस अधिनियम के अन्तर्गत करदायित्व को समाप्त करना अथवा इसमें कमी करना।

b. हस्तान्तरी द्वारा ऐसी आय, धनराशि अथवा सम्पत्ति को छिपाने में सुविधा प्रदान करना जो उसे आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम के अन्तर्गत घोषित कर देनी चाहिये थी।

इसी धारा के अन्तर्गत यह आयोजन भी है कि सक्षम प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व उन कारणों को लिखेगा जिनसे प्रेरित होकर सम्पत्ति के अभिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। ऐसी कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ नहीं होगी जब तक कि उसे यह विश्वास न हो कि सम्पति का उचित बाजार मूल्य प्रत्यक्ष प्रतिफल से कम से कम 15% अधिक है।

उदाहरण के लिए यदि किसी इमारत का विक्रय मूल्य जो हस्तान्तरण प्रलेख में दिखाया गया है, 40,000 रु० है जबकि सक्षम प्राधिकारी के अनुसार इसका उचित बाजार-मूल्य 50,000 रु० है। ऐसी स्थिति में अभिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। दूसरी ओर यदि इसका उचित बाजार मूल्य 46,000 रु० से कम है तो इसे अभिग्रहण के योग्य नहीं समझा जाता।

सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य यदि इसके प्रत्यक्ष प्रतिफल के 25% से अधिक है तो यह निश्चयात्मक प्रमाण (conclusive proof) होगा कि हस्तान्तरण विलेख में क्रेता व विक्रेता के बीच ठहरा हुआ प्रतिफल ठीक प्रकार से नहीं दिखाया गया है। इसी प्रकार यदि सम्पत्ति प्रत्यक्ष प्रतिफल इसके उचित बाजार मूल्य से कम है तो जब तथा अन्यथा स्थिति सिद्ध नहीं हो जाती, यह माना जावेगा कि दोनों पक्षों के बीच हस्तान्तरण के लिए ठहरा हुआ प्रतिफल हस्तान्तरण विलेख में ही प्रकार से नहीं दिखाया गया है व इसके लिए उपर्युक्त (a) व (b) में दिये गए उद्देश्य कारण हो सकते है।

प्रारम्भिक नोटिस (Preliminary Notice) [286-D]

सक्षम प्राधिकारी किसी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिये इस सम्बन्ध में एक नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशित करेगा, किन्तु ऐसी कार्यवाही उस महीने के अन्त से नौ महीने की अवधि के अन्दर प्रारम्भ कर दी जानी चाहिये जिसमें अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का विलेख रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908

के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है। एक और समय सीमा निर्धारित की गई है जो उस लागू होगी जब सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में विवाद होता है। इस विवाद का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाता है और तब अभिग्रहण कार्यवाही निम्नलिखित अवधि में प्रारम्भ की जाती है।

i. नौ महीने;

ii. बोर्ड के निर्णय की तिथि से 30 दिन की अवधि; इन दोनों में जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है।

ऐसी स्थिति में जब कि न्यायालय के व्यादेश (Injunction) के परिणामस्वरूप किसी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी तो उपर्युक्त समय सीमा की गणना के लिए वह अवधि कुल अवधि में से घटा दी जाती है जिसमें कि ऐसा आदेश प्रभावशाली रहा।

सक्षम प्राधिकारी किसी भी अचल सम्पत्ति के लिए उसके हस्तान्तरक, हस्तान्तरी तथा उस सम्पत्ति के अधिभोक्ता (Occupant) को तथा उस प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी इस प्राधिकारी के विचार से सम्पत्ति में कुछ रुचि है, एक नोटिस देगा। यह नोटिस उसके आफिस में किसी स्पष्ट स्थान पर लगा दिया जावेगा तथा ऐसी सम्पत्ति के किसी भी स्पष्ट भाग पर भी इसे लगाया जा सकता है।

आपत्तियाँ (Objections) [269-E]

अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण सम्बन्धी नोटिस प्रकाशित होने के 45 दिनों की अवधि के अन्दर, हस्तान्तरक, हस्तान्तरी अथवा अन्य किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका इस अचल सम्पत्ति में कोई हित है, अपनी-अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं। जब नोटिस किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो आपत्ति ऐसे नोटिस मिलने के 30 दिनों की अवधि में भेज देनी चाहिए। आपत्ति लिखित में होगी व सक्षम अधिकारी को दी जावेगी। सम्बन्धित पक्ष यदि यह समझता है कि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके प्रत्यक्ष मूल्य के 25% से अधिक से अधिक नहीं है तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपत्ति की जा सकती है।

आपत्तियों की सुनवाई (Hearing of Objections) [269-F]

सक्षम प्राधिकारी आपत्तियाँ प्राप्त करने के बाद इन्हें सुनने के लिए एक तिथि तथा समय का निश्चय करता है। तथा इसकी सूचना प्रत्येक सम्बन्धित पक्ष को दे दी जाती है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सुनवाई के समय वहाँ उपस्थित रहने का अधिकारी है। सक्षम अधिकारी द्वारा यह सुनवाई समय समय पर स्थगित की जा सकती है व ऐसी जाँच पड़ताल की जा सकती है जिससे मामले के निपटारे में सहायता मिले।

ऐसी आपत्तियाँ सुनने के बाद तथा उपलब्ध सभी सामिग्री को भली प्रकार जाँचने के बाद यदि सक्षम प्राधिकारी इससे सन्तुष्ट है कि अचल सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है तथा इसका उचित बाजार मूल्य इसके प्रत्यक्ष प्रतिफल से 15% से अधिक है तथा दोनों पक्षों के बीच ठहराया गया प्रतिफल हस्तान्तरण विलेख में नहीं लिखा गया है तो वह एक लिखित आदेश सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए देगा। ऐसा करने से पहले कमिश्नर की अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिए।

सक्षम प्राधिकारी यदि सन्तुष्ट नहीं है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा घोषित करेगा कि सम्पत्ति का अभिग्रहण नहीं किया जावेगा। निर्णय की प्रतिलिपि सभी सम्बद्ध पक्षों को भेज दी जावेगी।

अभिग्रहण के आदेश के विरुद्ध अपील [269-G]

धारा 269 F के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण के आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ अपील की जा सकती है। यह अपील किसी भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा की जा सकती है। अपील की समय सीमा सक्षम प्राधिकारी के आदेश की तिथि से 45 दिन अथवा ऐसा आदेश प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की अवधि जो भी बाद में समाप्त हो) है। अप्रीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसी अपील समय सीमा समाप्त होने पर भी प्राप्त की जा सकती है यदि प्रार्थी द्वारा ट्रिब्यूनल को यह आश्वस्त कर दिया जाता है कि कुछ ऐसे कारण थे जिनकी बजह से अपील को समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं दिया जा सका।

प्रत्येक अपील निर्धारित कार्य पर होगी तथा निर्धारित तरह से उसका सत्यापन (Verification) किया जाना चाहिए। इसके साथ 125 रु० का शुल्क भी दिया जाता है। ट्रिब्यूनल द्वारा एक स्थान व तिथि का निश्चय किया जाता है जब कि मामले की सुनवाई होगी। इसकी सूचना प्रार्थी को दे दी जावेगी व सक्षम प्राधिकारी को भी सूचित कर दिया जावेगा। दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का उचित अवसर देकर तथा उनकी बात सुनकर ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय किया जावेगा।

इसी धारा के अन्तर्गत भूल सुधार की भी व्यवस्था है। यदि कोई भूल अभिलेखों से ही स्पष्ट मालूम पड़ जाती है तो ट्रिब्यूनल अपने आदेश में इसकी तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर ही भूल सुधार कर सकता है। ऐसा आदेश यदि किसी पक्ष के प्रतिकूल है तो इस सम्बन्धित पक्ष को अपनी बात प्रस्तुत करने का एक उचित अवसर देना होता है। ऐसे आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थी व कमिश्नकार को भेज दिये जाने की व्यवस्था है।

एक अन्य व्यवस्था यह है कि ट्रिब्यूनल द्वारा अपील को जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयत्न किया जावेगा तथा प्रत्येक प्रयास ऐसा होगा कि अपील प्रस्तुत करने की तिथि से 90 दिनों में ही मामले पर निर्णय दे दिया जावे।

उच्च न्यायालय को अपील [269-H]

कमिश्नर अथवा अन्य कोई ऐसा व्यक्ति, जो धारा 269G के अन्तर्गत ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय से असन्तुष्ट है, निर्णय मिलने की तिथि से 60 दिनों की अवधि में किसी भी कानूनी प्रश्न पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। अपील करने के लिए यदि असतुष्ट पक्ष कुछ अतिरिक्त समय चाहता है तो न्यायालय से इस सम्बन्ध में आवेदन किया जा सकता है। किन्तु समय में वृद्धि का आवेदन निर्धारित 60 दिनों की अवधि में ही कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय यदि असंतुष्ट पक्ष द्वारा दिये गये कारणों से आश्वस्त हो जाता है तो समय में वृद्धि कर दी जाती है। अपील को कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनने की व्यवस्था है।

सम्पत्ति का केन्द्रीय सरकार में निहित होना
(Vesting of property in Central Government) [269-I]

अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण सम्बन्धी धारा 269 F के अन्तर्गत दिया गया आदेश जैसे ही अन्तिम रूप धारण करता है, सक्षम प्राधिकारी एक लिखित आदेश उस व्यक्ति को देता है जो उस समय इस सम्पत्ति को अपने अधिकार में रखे हुए है। इस आदेश में यह आज्ञा होती है कि वह व्यक्ति उस सम्पत्ति को सक्षम प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के अधिकार में दे दे। यह समर्पण इस आदेश के मिलने की तिथि के 30 दिनो की अवधि में हो जाना चाहिए।

सम्पत्ति के अभिग्रहण का आदेश कब अन्तिम होता है (When does the order for acquisition of property become final) ?—धारा 269I के लिए किसी भी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण का आदेश निम्नलिलित परिस्थितियों में अन्तिम माना जाता है :

(a) जब अभिग्रहण के आदेश के विरुद्ध कोई अपील नही की गई है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने की अवधि समाप्त होने पर।

(b) जब ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा 269G के अन्तर्गत अपीलेट ट्रब्यूनल में अपील कर दी गई है तो :

(i) जब अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा ऐसे आदेश की पुष्टि कर दी गई है किन्तु इस आदेश के विरुद्ध धारा 269H के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में अपील नही की जा रही है तो उस अवधि के समाप्त होने पर जिसमें कि अपील की जा सकती है।

(ii) जब अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करदी गई है तो ऐसी अपील के निपटारे पर।

कोई व्यक्ति यदि सम्पत्ति के समर्पण के आदेश के अनुसार कार्य नही करता है तो अधिकारियों द्वारा शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा इसके लिए पुलिस की सहायता लेने की व्यवस्था है। सम्पत्ति का जब समर्पण कर दिया जाता है तो यह सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार में बिना किसी शर्त के निहित हो जाती है व सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त रहती है।

क्षति पूर्ति [269 J]

इस अध्याय के अन्तर्गत जब किसी अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण किया जाता है। तो केन्द्रीय आयकर अधिग्रहण क्षतिपूर्ति देगी जो उस सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रतिफल एव इसके 15% के योग के बराबर होगी।

जब सम्पत्ति को हस्तान्तरण किये जाने के बाद किन्तु केन्द्रीय सरकार में निहित होने से पहले यदि कुछ क्षति होती है तो दिये जाने वाली क्षति पूर्ति की राशि में कमी कर दी जाती है। इस कमी का निर्णय सक्षम प्राधिकारी तथा क्षतिपूर्ति पाने वाले व्यक्ति में आपसी विचार विमर्श से होता है। यह समझौता सम्पत्ति के केन्द्रीय सरकार में निहित होने के 15 दिनों की अवधि में हो जाना चाहिए। ऐसे समझौते के अभाव में यह मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाता है जो यह निश्चित करता है कि कितना धन व्यय करने के बाद सम्पत्ति अपनी पुरानी शक्ल में लाई जा सकती है।

इसी प्रकार यदि सम्पत्ति के हस्तान्तरण के बाद में किन्तु सरकार में निहित होने से पहले कुछ धन राशि व्यय करके सम्पत्ति के कुछ सुधार किये जाते है तो क्षति-पूर्ति की राशि में वृद्धि की जाती है। इसके बारे में भी समझौता आदि ऊपर दी गई विधि के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक स्थिति में जब भी मामला न्यायालय के सुपुर्द निर्देशन के लिए दिया जावेगा, तो इसे सम्पत्ति के सरकार में निहित होने की तिथि से 30 दिनों की अवधि में हो जाना चाहिए। मामला सुपुर्द करते समय यह स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि क्षति पूर्ति की राशि क्या है व सक्षम अधिकारी के विचार से सम्पत्ति की क्षति व प्रतिफल के लिए क्षति पूर्ति की राशि में क्रमश: कितनी कमी अथवा वृद्धि की जानी चाहिए।

क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान अथवा जमा किया जाना
(Payment of deposit of compensation) [269 K]

किसी भी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि इसके सरकार में निहित हो जाने के बाद शीघ्र ही उस व्यक्ति को दे दी जानी चाहिए जो इसको पाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में जब कि क्षति पूर्ति की राशि में कमी अथवा वृद्धि करने का मामला धारा 269 J (2) के अन्तर्गत न्यायालय को सौंप दिया गया है, न्यायालय के निर्णय के बाद ऐसी राशि में उचित संशोधन कर दिये जाने की व्यवस्था है।

ऐसी स्थिति में जबकि क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वालों में इसके विभाजन के बारे में कुछ विवाद होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि न्यायालय में जमा कर दी जावेगी तथा यह विवाद न्यायालय द्वारा तय कर दिया जावेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि सम्पत्ति के निहित होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर क्षतिपूर्ति की रकम नहीं दी जाती तो इस पर 12% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देना होता है।

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा सहायता
(Assistance by Valuation Officer) [269 L]

सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करने के पूर्व उस सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मूल्यांकन अधिकारी की सहायता ली जा सकती है। यह सहायता उस समय भी ली जा सकती है जबकि सम्पत्ति मे तोड़ फोड़ अथवा सुधार के लिए क्षति पूर्ति की रकम को घटाया अथवा बढ़ाया जाता है। इस मूल्यांकन अधिकारी को इस अध्याय के अन्तर्गत वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो कि धनकर अधिनियम की धारा 38 A के अन्तर्गत उसे प्राप्त हैं।

भूल सुधार (Rectification of mistakes)[269 N]

ऐसी भूलें, जो अभिलेखों से स्पष्ट ही पता लग जाती है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुधारी जा सकती हैं। यह भूल सुधार अपने आप अथवा सम्बन्धित पक्षों के कहने पर किया जा सकता है। इसकी समय सीमा व अपील करने की समय सीमा एक ही है। किन्तु ऐसे भूल सुधार यदि किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत होते है तो ऐसे व्यक्ति को अपनी बात कहने का उचित अवसर देकर ही इसे किया जा सकता है।

अधिकृत प्रतिनिधि अथवा पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा पेशी
(Appearance by authorised registered valuer)[269 O]

कोई व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी अथवा अपीलेट ट्रिब्यूनल के सम्मुख जाकर अपनी बात कहने का अधिकारी है, वह ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा कर सकता है। जब अचल सम्पत्ति के मूल्यांकन सम्बन्धी विवाद होता है तो पंजीकृत मूल्यांकक को भी इस कार्य के लिए इन आफिसों में भेजा जा सकता है। अधिकृत प्रतिनिधि से यहाँ वही तात्पर्य है जो धारा 288 में दिया गया है।

अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण

(Statement to be furnished in respect of transfers of immovable property [269 P]

कोई भी पंजीकरण अधिकारी किसी अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से सम्बन्धित कोई प्रपत्र अपने यहाँ पंजीकृत नहीं करेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी निर्धारित विवरण दो प्रतियो में प्राप्त न हो जायें। यह विवरण निश्चित विधि में से सत्यापन किया हुआ होना चाहिए। प्रत्येक पखवाडे के अन्त में यह पंजीकरण अधिकारी सक्षम अधिकारी को निम्नलिखित प्रपत्रों को भेजेगा :

अ. उस पखवाड़े में पंजीकृत हुए सभी अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित प्राप्त विवरणों की एक प्रति।

ब. निर्धारित फार्म व विवरण सहित एक नक्शा जिसमें उस पखवाड़े में पंजीकृत हुई सभी अचल सम्पत्तियों का विवरण होगा।

इसी धारा में एक आयोजन यह भी है कि यह धारा उन्हीं प्रपत्रों पर लागू होगी जिन पर दिया गया प्रत्यक्ष प्रतिफल 10,000 रु० से अधिक है।

रिश्तेदारों को हस्तान्तरित सम्पत्ति [269Q]

इस अध्याय में दी गई कोई धारा उन अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे लागू नहीं होगी जो हस्तान्तरक द्वारा अपने रिश्तेदारों को हस्तान्तरित की जाती है। ऐसे हस्तान्तरण का प्रतिफल उचित बाजार मूल्य से कम होता है किन्तु यह स्वाभाविक प्रेम व स्नेह के कारण ही सम्भव होता है। इस तथ्य का उल्लेख हस्तान्तरण प्रपत्रों में अवश्य ही होना चाहिए।

उदाहरण

निम्नलिखित दशाओं में सम्पत्ति के अभिग्रहण सम्बन्धी प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए :

(1) एक मकान 12 दिसम्बर 1974 को बेचा गया जिसके विक्रय प्रलेख का रजिस्ट्रेशन 25 दिसम्बर 1974 को सम्पन्न हुआ। प्रत्यक्ष मूल्य 9,000 रु० है जबकि सक्षम प्राधिकारी के विचार से इसका मूल्य 20,000 रु० से कम नहीं होना चाहिए।

(2) दो दुकानों का रजिस्ट्रेशन 15 नवम्बर 1974 को 50,000 रु० में हुआ। सक्षम प्राधिकारी के अनुसार इसका उचित बाजार मूल्य 55,000 रु० है।

(3) एक गोदाम का रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी 1975 को 60,000 रु० में हुआ है। इसका उचित बाजार मूल्य 75,000 रु० है। इस गोदाम में कुछ सुधार कराये गये हैं जिन पर 10,000 रु० व्यय किया गया है।

---

(1) इस दशा में चूँकि सम्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रतिफल 25,000 रु० से कम है अतः यह अभिग्रहण की परिधि में नहीं आता। इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि इसका उचित बाजार मूल्य कितना है। चूँकि इसका लिखित मूल्य 10,000 रु० से भी कम है अतः धारा 269P के अन्तर्गत दिया जाने वाला निर्धारित विवरण भी दी जाने की जरूरत नहीं है।

(2) दुकानों का उचित बाजार मूल्य 55,000 रु० है तथा स्पष्ट प्रतिफल 50,000 रु०। इसका उचित बाजार मूल्य स्पष्ट प्रतिफल के 15% (7,500 रु०) से अधिक नहीं है। इसका उचित बाजार मूल्य यदि 57,500 रु० अथवा अधिक होता तो इसका अभिग्रहण किया जा सकता था। चूँकि यह मूल्य 55,000 रु० ही है अतः इसका अभिग्रहण नहीं होगा।

(3) इस गोदाम के उचित बाजार मूल्य व स्पष्ट प्रतिफल का अन्तर (15,000 रु०) इसके स्पष्ट प्रतिफल का 15% (9,000 रु०) से अधिक है अतः इसे अभिग्रहण योग्य माना जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके सम्बन्ध में एक अधिसूचना रजिस्ट्रेशन की तिथि से 9 महीने की अवधि में अर्थात् 8 अक्टूबर 1975 तक सरकारी बजट में प्रकाशित करेगा तथा इसके सम्बन्ध में हस्तान्तरी व हस्तान्तरक को भी नोटिस दिये जायेंगे। सम्बन्धित पक्षों की आपत्तियाँ सुनने के बाद यदि अभिग्रहण की कार्यवाही पक्की हो जाती है तो इसके लिए (60,000+9,000) 69,000 की क्षति पूर्ति निश्चित की जायेगी जो स्पष्ट प्रतिफल (60,000) व इसके 15% (9,000) के योग के बराबर है इसके अतिरिक्त चूँकि क्रेता ने 10,000 रु० गोदाम के सुधार करने पर व्यय किये है अतः सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कुल भुगतान 79,000 रु० (69,000+10,000) का दिया जावेगा।

अपील, पुनर्विचार एवं दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थायें 24

(APPEALS, REVISION AND PENALTY PROVISIONS)

किसी भी असन्तुष्ट पक्ष को अपील करने का अधिकार सम्बन्धित अधिनियम द्वारा दिया जाता है, उसे अपने आप ही प्राप्त नहीं होता। आयकर अधिनियम के सम्बन्ध में भी ऐसा ही है। आयकर अधिकारी के किसी आदेश से यदि करदाता असन्तुष्ट है तो वह इसके विरुद्ध अपील करने के लिए उन अधिकारियों के पास जा सकता है जिन्हें आयकर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। अपील सम्बन्धी एक विस्तृत कार्यक्रम आयकर अधिनियम में दिया हुआ है। कभी-कभी करदाता आयकर अधिकारी के आदेश पर पुनर्विचार (revision) ही चाहता है। ऐसी स्थिति में अधिनियम ने उसे आयकर कमिश्नर के यहाँ जाने के लिये व्यवस्था कर दी है।

असिस्टेन्ट अपीलेट कमिश्नर के यहाँ अपील

आयकर अधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट होकर करदाता सर्वप्रथम अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील करने के लिये जा सकता है जिन आदेशों के विरुद्ध अपील की जा सकती हैं, उनकी सूची अधिनियम की धारा 246 में दी गई है।

धारा 247 के अन्तर्गत उस साझेदार को भी अपील करने का अधिकार मिला हुआ है जो फर्म की कुल आय में से प्राप्त अपने हिस्से पर आयकर देता है। ऐसी स्थिति मे अपील आयकर अधिकारी के उस निर्णय के विरुद्ध की जाती है जिसके द्वारा फर्म की कुल आय अथवा हानि का निर्धारण अथवा कुल आय का विभिन्न साझेदारों में विभाजन किया जाता है। दूसरी ओर यदि साझेदार, करदाता द्वारा अपने आयकर निर्धारण के सम्बन्ध में कोई अपील की हुई है तो उसकी सुनवाई के समय फर्म की कुल आय निर्धारण आदि के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

धारा 248 के अन्तर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील करने का अधिकार है जो धारा 195 से 200 तक में दी गई आयों के उद्‌गम स्थान पर आयकर काटने के दायित्व से इन्कार करता है।

अपील करने का ढंग एवं शर्तें (Form of appeal and limitation)—धारा 249 (1) के अन्तर्गत प्रत्येक अपील एक निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग से सत्यापन करके की जाती है।

धारा 249 (2) में अपील करने की अवधि दी गई है। इसके अनुसार निम्न-लिखित तिथियों के 30 दिन के भीतर ही अपील कर दी जानी चाहिए :—

अ. जब अपील अनिवासी को किए गए भुगतान में से उदगम स्थान पर आयकर की कटौती के सम्बन्ध में है, तो आयकर के भुगतान की तिथि; अथवा

ब. जब अपील किसी कर-निर्धारण अथवा अर्थदण्ड से सम्बन्धित है तो इससे सम्बन्धित माँग के नोटिस प्राप्त करने की तिथि; अथवा

स. किसी भी अन्य दशा में उस आदेश के प्राप्त होने की तिथि, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है।

धारा 249 (3) के अनुसार अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर उपर्युक्त अवधि के बाद में भी अपील स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जावे कि करदाता द्वारा समय के अन्दर अपील न किये जाने के पर्याप्त कारण थे।

अपील की कार्य विधि—धारा 250 के अनुसार अपील प्राप्त करने के पश्चात् अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपील सुनने के लिए एक तिथि तथा समय निश्चित करता है तथा इसकी सूचना करदाता एवं उस आयकर अधिकारी को दे दी जाती है जिसके आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है। धारा 250 (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को अपील की सुनवाई के समय बोलने व अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है :—

अ. अपील करने वाला स्वयं अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि; एवं

ब. आयकर अधिकारी स्वयं अथवा उसका प्रतिनिधि।

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर समय समय पर अपील की सुनवाई स्थगित कर सकता है। उसे इस बात का भी अधिकार प्राप्त है कि अपील पर निर्णय देने से पूर्व वह जैसा भी उचित समझे, स्वयं कोई जाँच पडताल कर ले अथवा आयकर अधिकारी को किसी जाँच के लिये आदेश दे दे तथा उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद अपील पर निर्णय दे।

धारा 250 (5) के अन्तर्गत अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपीलकर्त्ता को अपील की सुनवाई के समय ऐसे वाद बिन्दुओं (Issues) पर बोलने व बहस करने की अनुमति भी दे सकता है जिनका उल्लेख अपील ज्ञापन में नहीं किया है बशर्ते कि वह इस बात से सन्तुष्ट हो कि अपील कर्त्ता ने यह वाद बिन्दु जान बूझ कर अथवा अनुचित रूप से अपील के फार्म में नहीं छोड़े हैं।

धारा 250 (6) के अनुसार अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपील पर अपने निर्णय का आदेश लिखित रूप में देगा तथा उन सभी कारणों का उल्लेख उस आदेश में होना आवश्यक है जिनके आधार पर निर्णय दिया गया है। निर्णय के आदेश की प्रतिलिपि करदाता व आयकर कमिश्नर दोनों को ही भेजी जाने की व्यवस्था है।

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के अधिकार :—धारा 251 के अन्तर्गत अपील की सुनवाई के सम्बन्ध में अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं :—

अ. कर-निर्धारण के विरुद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में वह कर-निर्धारण को सम्पुष्ट, घटा, बढ़ा अथवा रद्द कर सकता है तथा वह इस मामले को आयकर अधिकारी के पास अपने आवश्यक निर्देशों सहित पुनः सुनवाई एवं जाँच पड़ताल के लिये भेज सकता है।

ब. अर्थदण्ड के विरुद्ध की गई अपील में वह अर्थदण्ड को सम्पुष्ट कर सकता है, ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है अथवा अर्थदण्ड की रकम को बढ़ाने व घटाने का आदेश दे सकता है।

स. किसी भी अन्य मामले में की गई अपील के सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकता है जो उसकी दृष्टि में उपयुक्त हों।

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा कर-निर्धारण अथवा अर्थदण्ड को तभी बढ़ाया जा सकता है जबकि उसने करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दे दिया हो।

करदाता को अपील वापिस लेने का अधिकार—अधिनियम द्वारा यद्यपि ऐसा कोई अधिकार करदाता को नहीं दिया गया है परन्तु अपील सुनने वाली अदालत यदि अनुमति प्रदान करदे तो अपीलकर्त्ता द्वारा अपील वापिस लेना अवैधानिक नहीं है। करदाता द्वारा अपील ऐसी स्थिति में वापिस नहीं ली जा सकती जबकि अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा कर-निर्धारण में वृद्धि करने में कोई बाधा उपस्थित होती हो।

अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील

धारा 252 के अन्तर्गत अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है इनमें न्यायपालिका (judicial) व लेखाशास्त्र (Accountancy) विशेषज्ञ होने चाहिए। इन दोनों में से न्याय विशेषज्ञ को ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष बनाया जाता है।

अपील की कार्यविधि–धारा 253 की उपधारा 3, 4, 5 एवं इससे सम्बन्धित हैं जिनके अनुसार अपील की कार्यविधि निम्नलिखित हो सकती है :

1. उस आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, मिलने की तिथि के 60 दिनों की अवधि के अन्दर करदाता अथवा आयकर कमिश्नर द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकती है।

2. अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अपील प्राप्त होने की सूचना विरोधी पक्ष को दे दी जाती है अर्थात यदि करदाता ने अपील की है तो आयकर कमिश्नर को तथा विपरीत स्थिति में करदाता को सूचित किया जाता है।

3. ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन की अवधि में ही विरोधी पक्ष भी अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के निर्णय के किसी भी भाग के विरुद्ध प्रति आपत्तियों का एक स्मरण पत्र (Memorandum of cross objections) दाखिल कर सकता है। इस प्रलेख पर भी अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अपील की भाँति ही विचार किये जाने सम्बन्धी व्यवस्था है।

4. उक्त स्मरण पत्र नियत अवधि के बाद में भी दाखिल किया जा सकता है बशर्ते कि अपीलेट ट्रिब्यूनल को यह विश्वास हो जाये कि ऐसा स्मरण पत्र देर में दाखिल करने के पर्याप्त कारण थे।

5. अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित फार्म पर एवं निर्धारित विधि से सत्यापन करके ही दी जानी चाहिये।

6. करदाता द्वारा यदि अपील की जाती है तो इसके साथ अपील करने का शुल्क 125 रुपये जमा करना होगा किन्तु कमिश्नर द्वारा अपील किए जाने पर ऐसी फीस जमा करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश—अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा दोनों पक्षों को अपनी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर देने के बाद ऐसा आदेश दिया जायेगा जिसे वह ठीक समझे ।

ट्रिब्यूनल द्वारा अपने किसी भी आदेश में इसकी तिथि के 4 वर्ष की अवधि के अन्दर भूल सुधार किया जा सकता है। ऐसी भूल पर करदाता अथवा आयकर अधिकारी द्वारा इसका ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। ऐसे भूल सुधार से यदि कर-निर्धारण में वृद्धि होती हो अथवा किसी भी प्रकार से करदाता का कर-दायित्व बढ़ता हो तो भूल सुधार से पहले करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दिया जायेगा।

अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अपने प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि कमिश्नर को तथा एक प्रतिलिपि करदाता को भेजी जाती है। तथ्यों से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर अपीलेट ट्रिब्यूनल का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती।

अपीलेट ट्रिब्यूनल की कार्यविधि—धारा 255 के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल निम्नलिखित प्रकार से कार्यविधि सम्पन्न करता है :—

1. अपीलेट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा ट्रिब्यूनल को कई बैंचों में बाँट दिया जाता है जिनमें से प्रत्येक बैंच पृथक पृथक रूप से ट्रिब्यूनल के कार्य करती हैं।

2. प्रत्येक बैंच में एक जुडीशियल तथा एक ऐकाउन्टेन्ट सदस्य होता है।

3. ट्रिब्यूनल के किसी सदस्य अथवा उसके अध्यक्ष को अकेले ही किसी भी अपील को सुनने का अधिकार प्राप्त है यदि केन्द्रीय सरकार ने उसे ऐसा करने के लिये अधिकृत कर दिया है। ऐसी सुनवाई से वही करदाता सम्बन्धित हो सकते हैं जिनकी कुल आय 40,000 रुपये से अधिक न हो।

4. किसी विशेष मामले की सुनवाई के लिये ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा तीन या तीन से अधिक सदस्यों की विशेष बैंच बनाई जा सकती है जिनमें कम से कम एक जुडीशियल सदस्य तथा दूसरा एकाउन्टेन्ट सदस्य अवश्य होगा।

5. किसी मामले में यदि बैंच के सदस्यों में मतभेद हो जाता है तो किसी भी विषय पर निर्णय बहुमत से किया जायेगा। किसी विषय पर यदि बहुमत बराबर-बराबर वोटों के कारण न हो सकता हो तो ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा कुछ अन्य सदस्यों को इसकी सुनवाई के लिये कहा जायेगा तत्पश्चात बहुमत से इस विषय पर निर्णय दिया जायेगा।

6. अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपने कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिये वे सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जो धारा 131 के अन्तर्गत आयकर अधिकारियों को प्राप्त है। ट्रिब्यूनल के सम्मुख होने वाली प्रत्येक कार्यवाही सिविल अदालत की कार्यवाही मानी जाती है।

उच्च न्यायालय को निर्देशन अथवा निर्णय के लिए भेजना

धारा 260 के अन्तर्गत करदाता अथवा आयकर कमिश्नर द्वारा अपीलेट ट्रिब्यूनल का निर्णय प्राप्त होने की तिथि के 60 दिन की अवधि के अन्दर ट्रिब्यूनल को इस विषय का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है कि उक्त आदेश में कई ऐसे कानूनी प्रश्न शेष हैं जिन पर निर्णय के लिये इस मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाये।

ऐसी प्रार्थना निर्धारित फार्म पर ही भेजी जानी चाहिए। करदाता द्वारा ऐसी प्रार्थना के साथ 125 रु० फीस भी दी जाती है किन्तु आयकर कमिश्नर को यह फीस जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ट्रिब्यूनल ऐसी प्रार्थना को नियत अवधि के बाद में भी 30 दिन तक स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि उन्हें यह विश्वास हो जाये कि देरी से प्रार्थना पत्र भेजने के पर्याप्त कारण थे। प्रार्थना पत्र मिलने के 120 दिन अवधि में ही ट्रिब्यूनल द्वारा पूरे मामले का एक विस्तृत विवरण तैयार करने के बाद इसे उच्च न्यायालय को भेज दिए जाने की व्यवस्था है।

करदाता की प्रार्थना पर यदि ट्रिब्यूनल इस मामले को उच्च न्यायालय को निर्देशन अथवा निर्णय के लिये भेजने से इसलिए स्पष्ट इन्कार कर देता है कि उक्त मामले में कोई कानूनी प्रश्न शेष नहीं है, और करदाता द्वारा इन्कारी प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर यदि यह प्रार्थना पत्र वापिस ले लिया जाता है तो जमा की गई 125 रु० की फीस भी वापिस मिल जायेगी।

इन्कारी के आदेश प्राप्त होने की तिथि के 6 माह के अन्दर करदाता अथवा कमिश्नर द्वारा इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हाई-कोर्ट यदि ट्रिब्यूनल के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह इसे आदेश देगा कि मामले का पूरा विवरण बनाकर हाईकोर्ट को निर्देश के लिये भेज दे। ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करता है तथा मामले का विवरण हाई कोर्ट को भिजवा देता है।

उच्च न्यायालय में सुनवाई—जब कोई विषय धारा 256 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय को निर्णय के लिए भेजा जाता है तो ऐसे मामले की सुनवाई कम से कम दो जजों के द्वारा होती है तथा निर्णय बहुमत से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय की एक प्रतिलिपि ट्रिब्यूनल को भेज दी जाती है जिससे कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में यदि आवश्यकता हो तो संशोधन किया जा सके। उच्च न्यायालय यदि चाहे तो विरोधी पक्ष से ऐसे निर्देशन का समस्त व्यय उस पक्ष को दे देने के लिये कह सकता है जिसके पक्ष में निर्णय दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट से कुछ मामलों में सीधा निर्देशन

निर्देशन के किसी प्रार्थना पत्र के प्राप्त होने पर यदि ट्रिब्यूनल का विचार है कि इस प्रश्न पर विभिन्न उच्च न्यायालय के भिन्न भिन्न मत हैं तथा उसके विचार में यह अच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में निर्देशन के लिये इस प्रश्न को सीधा सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाये तो वह पूरे मामले का एक विवरण बनाकर अपने अध्यक्ष के द्वारा इसे सुप्रीम कोर्ट को भिजवा देगा।

सुप्रीम कोर्ट में अपील

किसी भी निर्देशन के प्रश्न पर हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध धारा 261 के अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है बशर्ते कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि प्रश्न सुप्रीम कोर्ट में लाने के योग्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय को सुना जाता है तथा इनके निर्णय की एक प्रतिलिपि अपीलेट ट्रिब्यूनल को तथा दूसरी करदाता को भेज दी जाती है।

कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार

आयकर अधिनियम की धारा 263 के अनुसार कमिश्नर द्वारा किसी भी कार्यवाही का पूरा विवरण जाँच करने के लिए मँगाया जा सकता है तथा यदि वह यह सोचता है कि आयकर अधिकारी द्वारा दिया गया कोई निर्णय गलत है तथा राजस्व (Revenue) के अहित में है तो वह करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित अवसर देकर तथा इस बारे में समस्त जाँच पड़ताल करके ऐसा आदेश देगा अथवा आयकर अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों में संशोधन करेगा जिनको वह उचित समझता है। ऐसे आदेश द्वारा कर-निर्धारण बढ़ाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, रद्द भी किया जा सकता है अथवा दुबारा से कर-निर्धारण का आदेश भी वह दे सकता है।

उसके द्वारा किसी ऐसे आदेश पर पुनर्विचार नहीं हो सकता जो दो वर्ष से अधिक पुराना है। धारा 147 के अन्तर्गत हुए पुनः कर-निर्धारण विषयक निर्णय पर वह पुनर्विचार नहीं कर सकता।

अन्य आदेशों पर विचार [धारा 64]—कमिश्नर द्वारा स्वयं अपने आप अथवा करदाता के प्रार्थना करने पर अपने अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया कोई आदेश अथवा कोई भी मामला तथा कोई भी रिकार्ड जाँच पड़ताल के लिये मँगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में यह जाँच पड़ताल करके ऐसे आदेश दे सकता है जिनको वह ठीक समझे। किन्तु उसके किसी भी ऐसे आदेश से करदाता का अहित नहीं होना चाहिए।

कमिश्नर द्वारा किसी भी ऐसे आदेश पर स्वयं अपने आप ही विचार नहीं किया जा सकता जो एक वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो। इस धारा के अन्तर्गत यदि करदाता द्वारा किसी आदेश पर पुनर्विचार के लिये कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो यह भी उक्त आदेश की तिथि के 1 वर्ष के अन्दर ही दे देना चाहिए। पुनर्विचार के प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ 25 रु० फीस का आना आवश्यक है।

निम्नलिखित मामलों में कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार नहीं किया जा सकता :—

धारा 264 (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित मामले ऐसे हैं जिन पर कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार नहीं किया जा सकता।

i. जब आदेश के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील कर दी गई है तथा मामला विचाराधीन है।

ii. जब अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का समय शेष है परन्तु न तो अपील ही हुई है तथा न करदाता अपने अपील करने के अधिकार को छोड़ने की ही भावदशा (mood) में है।

iii. जब अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर दी गई है परन्तु निर्णय न होकर ऐसी अपील विचाराधीन ही है ।

संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है कि करदाता की प्रार्थना पर पुनर्विचार तभी हो सकता है जबकि अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का समय समाप्त हो जाये अथवा करदाता अपने अपील करने का अधिकार छोड़ने के लिए तैयार हो। कमिश्नर द्वारा इस धारा के अन्तर्गत पुनर्विचार करने के विरुद्ध किसी भी अदालत में कोई अपील करदाता द्वारा नहीं की जा सकती। किन्तु धारा 263 के अन्तर्गत कमिश्नर द्वारा जो स्वय अपने आप पुनर्विचार किया जाता है उसके विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार करदाता को दिया गया है।

दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थायें

1. **प्रतिभूतियों सम्बन्धी सूचना न दिया जाना**—कोई व्यक्ति यदि बिना किसी उचित कारण के धारा 94 (6) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस के उत्तर मे गतवर्ष में अपने स्वामित्व में रही प्रतिभूतियों सम्बन्धी सूचना नहीं दे पाता तो आयकर अधिकारी धारा 270 के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर 500 रुपए तक का अर्थदण्ड लगा सकता है।

2 **आय के नक्शे का दाखिल न किया जाना**—आयकरअधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर को यदि यह विश्वास हो जाता है कि करदाता ने बिना किसी उचित कारण के धारा 139 (1), 139 (2) अथवा 148 के उत्तर में आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है तो ऐसी भूल के लिये आयकर दायित्व का 2% प्रतिमाह की दर से अर्थदण्ड लगाया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा करदायित्व का 50% है। निम्नलिखित दशाओं में इस धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड की सीमा अलग होती है :—

अ. जब करदाता की आय करमुक्त सीमा (जो कर-निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिये 5,000 रु० थी, व 1975-76 के लिए 6,000 रु० है।) के 1,500 रु० से अधिक नहीं है व उसके द्वारा आय का नक्शा धारा 139 (1) के अन्तर्गत अपने आप जमा नहीं किया गया है तो किसी प्रकार का अर्थदण्ड नहीं लगेगा।

व जब करदाता की आय करमुक्त सीमा (5,000 रु० अथवा 6,000 रु०) से अधिक नहीं थी व उसने धारा 139 (2) व धारा 148 के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिसों की अवहेलना की है, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम अर्थदण्ड 25 रुपये होगा।

स. जब करदाता एक अनिवासी का एजेन्ट है व उसने धारा 139 (1) के अन्तर्गत आय का नक्शा अपने आप जमा नहीं किया है तो इस धारा के अन्तर्गत कोई अर्थदण्ड नहीं लगता।

3· **हिसाब की पुस्तकों व प्रपत्रों का न दिया जाना** :—करदाता जब धारा 142 (1) अथवा 143 (2) के अन्तर्गत माँगे गये प्रपत्र, साक्षी व हिसाब की पुस्तकों को प्रस्तुत नहीं कर पाता तो आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा उस पर उस कर की राशि का 10% अर्थदण्ड लगाया जा सकता है जो करदाता द्वारा जमा किये गए आय के नक्शे को स्वीकार किये जाने से बचाई जाती। दण्ड की अधिकतम सीमा इस प्रकार बचाई जा सकने वाली कर राशि की 50% है।

4. **आय का छिपाना** :–कोई व्यक्ति यदि अपनी आय के विवरण को छिपाता है अथवा अपनी आय का गलत विवरण प्रस्तुत करता है तो आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा अर्थदण्ड लगाया जाता है जो छिपाई गई आय के 100% से कम व इसके 200% से अधिक नहीं होना चाहिए।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आय के नक्शे में दिखाई गई कुल आय कर-निर्धारण के समय निश्चित की गई कुल आय के 80% से कम होती है तो यह माना जाता है, कि करदाता ने अपनी आय छिपाई है।

उदाहरण के लिये श्री मेहता ने अपनी आय के नक्शे में 64,000 रु० की कुल आय दिखाई है। कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी द्वारा आवश्यक पूछ-ताछ करने के बाद कुछ समायोजन किये जाते है व कुल आय, 90,000 रु० निर्धारित की जाती है। ऐसी दशा में आय के नक्शे में दिखाई गई आय कर-निर्धारण के समय निश्चित हुई कुल आय (90,000 रु०) के 80% (72,000 रु०) से कम है अतः धारा 271 के अन्तर्गत यह माना जावेगा कि श्री मेहता ने अपनी आय छिपाई है। छिपाई गई आय 26,000 रु० है : अब श्री मेहता को 90,000 रु० पर आयकर देना पड़ेगा व छिपाई गई आय के लिए अर्थदण्ड देने का दायित्व भी उनका होगा। अर्थदण्ड 26,000 रु० से कम व 52,000 रु० से अधिक नहीं होगा।

5. **जब व्यापार समाप्त करने का नोटिस नहीं दिया जाता**—जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यापार व पेशे को बन्द (discontinue) करने सम्बन्धी नोटिस नहीं दिया जाता तो आयकर अधिकारी द्वारा उस आयकर दायित्व के 10% से 100% तक अर्थदण्ड लगाये जाने की व्यवस्था है जो अन्तिम गतवर्ष के अन्त से व्यापार बन्द होने की तिथि तक अर्जित आय पर लगता है।

6. **ठेके सम्बन्धी सूचना**—धारा 285 A के अन्तर्गत प्रत्येक उस ठेकेदार पर यह भार है कि वह 50,000 रु० से अधिक मूल्य के ठेके का विवरण ठेका लेने के 1 माह के अन्दर सम्बन्धित आयकर अधिकारी को देना चाहिए। ऐसा न करने पर आयकर कमिश्नर द्वारा 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जावेगा; इसकी अधिकतम सीमा ठेके के मूल्य का 25% है।

7. **स्वयं कर-निधारण पर आयकर का जमा न करना**— धारा 140 A के अन्तर्गत स्वंय कर-निर्धारण की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में यदि आयकर की देय राशि (उद्‌गम स्थान पर काटे गये आयकर व पेशगी जमा किये गये आयकर की रकम घटाकर) 500 रु० से अधिक है तो करदाता को यह राशि अपना नक्शा भेजने के 30 दिन की अवधि के अन्दर चुका देनी चाहिये अन्यथा इस अवधि के पश्चात् अर्थदण्ड की व्यवस्था है जो देय कर की रकम के आधे से अधिक नहीं हो सकता।

8. **माँग के नोटिस मिलने पर**— किसी करदाता द्वारा यदि माँग के नोटिस मिलने के 35 दिनों की अवधि में अपने कर दायित्व का भुगतान नहीं किया जाता तो ऐसी राशि पर 12% की दर से ब्याज लिये जाने की व्यवस्था है।

9. **आयकर के अग्रिम भुगतान के सम्बन्ध में जुर्माना**—अन्यत्र यह दिया जा रहा है कि लगभग प्रत्येक करदाता को आयकर का अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। कभी यह भुगतान आयकर अधिकारी द्वारा अनुमानित कुल आय के आधार पर किया जाता है व कभी कभी करदाता द्वारा अपनी कुल आय का अनुमान स्वयं भेजा जाता है व इसी के आधार पर आयकर का पेशगी भुगतान होता है। कभी यदि आयकर अधिकारी

को यह संतुष्टि होती है कि करदाता ने जान बूझकर अपनी आय का अनुमान भेजने में भूल की है अथवा गलत विवरण दिया है तो निम्नलिखित अर्थदन्ड लगाये जाने की व्यवस्था है :

अ. **आय के गलत अनुमान की दशा में**—करदाता द्वारा चुकाया गया अग्रिम आयकर यदि नियमित कर-निर्धारण पर लगे कर के 75% से कम है ऐसी कमी के 10% व 150% सीमाओं के अन्दर जुर्माना किया जा सकता है।

ब. माँग गये अग्रिम आयकर के जमा न किये जाने पर ऐसी राशि के 10% से 150% तक जुर्माना किया जा सकता है।

स. आय का अनुमान दाखिल न करने पर नियमित कर-निर्धारण पर लगे आयकर के 75% के 10% से 150% तक जुर्माना किया जा सकता है।

अर्थदण्ड लगाने की समय सीमा

निम्नलिखित अवधियों में से जो अवधि बाद में समाप्त होती है, उसके बाद अर्थदण्ड नहीं लगाया जा सकता—

अ. अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही जिस मामले के दौरान प्रारम्भ की गई थी उस मामले के समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की समाप्ति के दो वर्ष बाद।

ब. अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर अथवा अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश आयकर कमिश्नर को प्राप्त होने वाले माह के बाद में 6 महीने की अवधि।

अपराध व अभियोजन

करदाता द्वारा कभी कभी कुछ ऐसी भूलें होती हैं जिनके लिए आयकर विभाग द्वारा उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट द्वारा उसे दन्डित किया जाता है न कि आयकर विभाग द्वारा। आयकर विभाग द्वारा वैधानिक भूलों के लिए करदाता जुर्माना लगाकर ही दण्डित किया जाता है, इसे सजा देने का अधिकार नहीं है। किन्तु यदि विभाग यह समझता है कि करदाता किसी अन्य अपराध का दोषी है तो वे न्यायालय में जाकर इस अपराध को सिद्ध करते है तथा करदाता को मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जा सकता है। ऐसी कार्य-वाही की सुनवाई दण्ड प्रक्रिया संहिता (Code of criminal procedure) के अन्तर्गत होती है।

1. **बहीखाते आदि का हस्तान्तरण किया जाना** :—कभी-कभी अधिकृत आयकर अधिकारी किसी करदाता को यह आदेश देता है कि बिना उसकी पूर्व स्वीकृति के बहीखाते, सोना चाँदी, जेवर अथवा अन्य बहुमुल्य वस्तुयें हस्तान्तरित न की जावें। करदाता द्वारा यदि ऐसे आदेश की अवहेलना की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति को दो वर्ष तक की कड़ी कैद की सजा व अर्थदण्ड अथवा दोनों भोगने पड़ सकते है।

2. **कुछ भूलों के लिए जुर्माना**—निम्नलिखित भूलों के लिए 10 रु० प्रति-दिन तक की दर से उस अवधि के लिये जुर्माना किये जाने की व्यवस्था है जिस अवधि के दौरान भूल जारी रहती है :

अ. किसी व्यक्ति द्वारा कम्पनी के सदस्यों अथवा ऋणपत्र धारियों के रजिस्टरों के निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि लेने में अवरोध उत्पन्न करना।

ब. धारा 133, 206, 285 व 286 में वर्णित किसी सूचना अथवा नक्शे आदि को नियत अवधि में जमा करने में चूक।

स. कर की कटौती करने में अथवा कटौती करने के बाद उसके जमा करने में चूक।

द. उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर के विषय में प्रमाणपत्र देने में चूक।

3. **कुछ भूलों के लिए सजा**—निम्नलिखित भूलें ऐसी है जिनके लिए कम से कम 6 माह व अधिक से अधिक 2 वर्ष तक कड़ी कैद की सजा हो सकती है।

अ कम्पनी के लिक्वीडेटर द्वारा अपनी नियुक्ति की सूचना आयकर अधिकारी को 30 दिन की अवधि के अन्दर न देने पर।

ब. लिक्वीडेटर कम्पनी द्वारा देय आयकर को जब सुरक्षित नहीं रख पाता।

स. आदेश व व्यवस्थाओं की अवहेलना करते हुए जब लिक्वीडेटर कम्पनी की किसी सम्पत्ति को हस्तान्तरित कर देता है।

द. धारा 277 में दी गई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानते हुए झूँठी घोषण करता है तो वह 6 महीने व 2 वर्ष के मध्य सजा का भागी होगा।

4 **आय के नक्शे में चूक** :—कोई व्यक्ति यदि धारा 139 (1) 139 (2) व 148 के अन्तर्गत अपनी आय का नक्शा जान बूझकर जमा नहीं करता तो उसे 1 वर्ष तक की सजा व 4 रु० से 10 रुपये प्रतिदिन तक का जुर्माना अथवा दोनों भी भोगने पड़ सकते हैं। किन्तु यह दण्ड उस समय नहीं लगेगा जब आय का नक्शा कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले ही जमा कर दिया आवे अथवा नियमित कर-निर्धारण पर दिये जाने वाले आयकर की राशि (उद्गम स्थान पर काटे गये व पेशगी जमा किये आयकर का समायोजन करने के पश्चात्) 3,000 रु० से अधिक न हो।

5. **हिसाब आदि को जान बूझकर जमा न करना** :—कोई व्यक्ति यदि धारा 142 (1) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस के उत्तर में जानबूझकर माँगे गए हिसाब अथवा प्रपत्र जमा नहीं करता है तो उसे 4 रु० से 10 रु० प्रतिदिन तक का जुर्माना देना पड़ सकता है अथवा 1 वर्ष तक की कड़ी कैद अथवा दोनों भी दिये जा सकते हैं।

6. **सरकारी कर्मचारी द्वारा किसी सूचना का दिया जाना** :—किसी सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा यदि धारा 138(2) में दी गई व्यवस्थाओं का उल्लंघन करके कोई सूचना व प्रपत्र किसी को दिया जाना है तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ऐसे कर्मचारी को 6 महीने तक का कठिन कारावास दिया जा सकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने की विधि का सक्षेप में वर्णन कीजिए।

2. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर को पुनर्विचार सम्बन्धित मिले अधिकारो का वर्णन कीजिए।

3. आयकर अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर के यहाँ अपील करने की कार्यविधि लिखिये।

4. अपीलेट ट्रिब्यूनल का गठन किस प्रकार होता है तथा इसके क्या कार्य हैं इनका वर्णन कीजिए। वे कौनसी परिस्थितियाँ हैं जिनमें ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट में कोई भी मामला भेजने के लिए कहा जा सकता है।

5. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत किस प्रकार की चूक के लिए कौन सी सजा की व्यवस्था है संक्षेप में लिखिये।

———

कर को एकत्र, वसूल एवं वापिस करना 25

(COLLECTION, RECOVERY AND REFUND OF TAX)

कर को एकत्र करना

आयकर को निम्नलिखित 4 प्रकार से एकत्र किया जाता है :—

1. उद्गम स्थान पर कर की कटौती (Deduction of tax at source)
2. कर का पेशगी भुगतान (Payment of advance tax)
3. आय का नक्शा दाखिल करते समय स्वेच्छा से आयकर का जमा करना (Self assessment)
4. अन्तिम कर-निर्धारण के समय भुगतान (Payment on final Assessment)

1. उद्गम स्थान पर कर की कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 192 से धारा 206 तक इस सम्बन्ध में सारे नियम दिये हुए है। इनके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से भुगतान करते समय निर्धारित दरों से आयकर काट कर सरकारी कोष में जमा करा दे, बशर्ते कि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यह आय 'वेतन' 'प्रतिभूतियों पर व्याज' 'लाभांश' आदि शीर्षकों के अन्तर्गत प्राप्त होती है।

वेतन—धारा 192 के अन्तर्गत 'वेतन' शीर्षक के अन्दर आने वाली समस्त कर योग्य राशियों के भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह भुगतान करते समय निर्धारित दरों से आयकर काट कर सरकारी कोष में जमा कर दे। वेतन के अन्तर्गत उन सभी राशियों का अनुमान लगाया जाता है जिन पर कर्मचारी को अन्तिम कर-निर्धारण के समय आयकर देना होगा।

प्राविडेन्ट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से भुगतान करते हुए भी आयकर काटे जाने की व्यवस्था है बशर्ते कि वह चौथी अनुसूची के अनुसार कर योग्य सीमा में आती हो। ऐसा वेतन, जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है, निर्धारित दर से रुपयों में बदल लेते हैं। यह भी ध्यान रखने की बात है कि वेतत में से आयकर काटते हुए नियोक्ता को कर्मचारी की कुल आय का अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसे वेतन के अन्तर्गत मिलने वाली प्राप्तियों का अनुमान लगाया जाता है। यह प्राप्ति यदि कर योग्य न्यूनतम सीमा से कम है तो आयकर को काटने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। नियोक्ता को आयकर काटते हुए कर्मचारी को मिलने वाली विभिन्न छूटों व कटौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

सभी नियोक्ताओं को वेतन से काटे गये आयकर का पूर्ण विवरण फार्म नम्बर 21 पर प्रति माह आयकर अधिकारी को भेजना चाहिए।

वेतन में से वित्त वर्ष 1975-76 में आयकर काटे जाने की दरें

वित्त वर्ष 1975-76 में दिये गये वेतन की गणना करने के बाद इस पर आयकर निकाला जायेगा। आयकर की दरें वही हैं जिनके अनुसार कर-निर्धारण वर्ष 1975-76 में व्यक्ति की कुल आय पर आयकर की गणना की गई है। इन दरों के लिए 'आयकर की गणना' शीर्षक अध्याय देखिये। अन्य शब्दों में उद्‌गम स्थान पर कटौती के लिए 'वेतन' निकालिए, इसमें से धारा 80 C की कटौती दीजिए। इसके बाद कर-निर्धारण वर्ष में व्यक्ति के लिए लागू होने वाली दरों से आयकर निकालिए।

इस सन्दर्भ में केवल एक संशोधन धारा 80 C में किया गया है। इसके अनुसार कटौती योग्य राशि के लिए कटौती की दरें निम्नलिखित होंगी :

(1)	कटौती योग्य राशि का प्रथम 4,000 रु०	100%
(2)	कटौती योग्य राशि का अगले 6,000 रु० पर	50%
(3)	कटौती योग्य राशि की शेष रकम पर	40%

प्रतिभूतियों पर ब्याज—धारा 193 के अन्तर्गत उस धनराशि का, जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के अन्तर्गत कर-योग्य होती है भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि भुगतान करते समय वह निर्धारित दरों ये आयकर काटकर सरकारी कोष में जमा करा दे। वित्त वर्ष 1975-76 में भुगतान किये जाने वाले प्रतिभूतियों पर 'ब्याज' में से निम्नलिखित दरों से आयकर काटा जावेगा—

	आयकर	सरचार्ज	कुल
1. जब भुगतान प्राप्त करने वाला कम्पनी को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति है			
अ. निवासी होने पर	21%	2%	23%
ब. अनिवासी होने पर	30%	3%	33%
2. जब भुगतान प्राप्त करने वाली 'कम्पनी' है—			
अ. घरेलू कम्पनी की दशा में	22%	1%	23%
ब. जब कम्पनी घरेलू नहीं है	70%	3·5%	73·5%

कुछ सरकारी प्रतिभूतियाँ ऐसी हैं जिन पर दिये जाने वाले ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर आयकर नहीं काटा जाता इनका विवरण 'प्रतिभूतियों से ब्याज' शीर्षक अध्याय में दिया गया है।

लाभांश—धारा 194 के अनुसार प्रत्येक भारतीय कम्पनी अथवा उस कम्पनी के, जिसने भारत में लाभांश घोषित करने व भुगतान करने का निर्धारित प्रवन्ध कर लिया है, मुख्य अधिकारी द्वारा लाभाश बाँटते समय निर्धारित दर से उद्‌गम स्थान पर आयकर काट लिया जाना चाहिए। किन्तु यदि किसी करदाता (जिसमें कम्पनी शामिल नहीं है) के लिए आयकर अधिकारी एक प्रमाण-पत्र दे देता है कि अंशधारी की आय कर मुक्त सीमा से अधिक नहीं है तो इसके आधार पर लाभांश का भुगतान बिना आयकर को काटे ही किया जा सकता है। एक मामले में ऐसा निर्णय दिया गया है कि

कम्पनी के समापन के बाद में उपार्जित आय में से यदि कोई वितरण किया जाता है तो वह लाभांश की श्रेणी में नहीं आता अतः इसमें से आयकर को उद्‌गम स्थान पर काटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।[1]

वित्तवर्ष 1975-76 में कटौती की दरें

जब भुगतान कम्पनी को छोड़कर अन्य व्यक्ति को प्राप्त होता है—

	आयकर	सरचार्ज	कुल
अ. जब व्यक्ति निवासी है—			
(i) "प्रतिभूतियों के ब्याज" को छोड़कर अन्य ब्याज	10%	—	10%
(ii) लाटरी, पहेलियों आदि से आय	30%	3%	33%
(iii) बीमा कमीशन	10%	—	10%
(iv) अन्य आय	21%	2%	23%
ब. जब व्यक्ति अनिवासी है—			
(i) करमुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज को छोड़कर अन्य सभी आय पर	30%	3%	33%
(ii) करमुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज	15%	1.5%	16·5%

वित्तवर्ष 1975-76 में भुगतान किये जाने वाले लाभांश की रकम में से प्रत्येक कम्पनी को 23% की दर से उद्‌गम स्थान पर आयकर काटना होगा जिसे सरकारी कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए ।

अन्य ब्याज [194 A]—इस धारा के अनुसार ब्याज (प्रतिभूतियों से ब्याज को छोड़कर) का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह भुगतान करते समय अथवा प्राप्तकर्ता के खाते में ब्याज की रकम जमा करते समय (जो भी इन दोनों में पहले हो) निर्धारित दर से आयकर काट कर सरकारी कोष में जमा करा दे ।

1975-76 वित्त वर्ष के लिए ब्याज में से उद्‌गम स्थान पर काटे जाने वाले आयकर की निर्धारित दर 10% है जब भुगतान पाने वाला कम्पनी के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति है। जब ब्याज घरेलू कम्पनी को दिया जाता है तो 21% की दर से आयकर काटा जाना चाहिए ।

अपवाद—इस धारा के अन्दर कोई कटौती नहीं की जायेगी जबकि ब्याज प्राप्तकर्ता (इसमें कम्पनी व रजिस्टर्ड फर्म सम्मिलित नहीं हैं) ब्याज के भुगतान करने वाले व्यक्ति के सम्मुख निम्नलिखित प्रपत्र प्रस्तुत कर दे ।

अ. एक शपथ पत्र

ब. एक लिखित बयान जिसमें ब्याज पाने वाले व्यक्ति द्वारा यह घोषणा की गई हो कि उस कर-निर्धारण वर्ष की आय जिसमें इस ब्याज पर आयकर लगाया

1. Kanhiyalal Bhengar & Another v. Official Liquidater [1965] 56 I. T. R. 393.

जा सकता है, करमुक्त अधिकतम आय से कम होगी। यह लिखित बयान एक गजटैड अफसर के सम्मुख लिखा जाना चाहिये।

इस लिखित बयान में सभी निर्धारित विवरण होगा। इसे निम्नलिखित ·व्यक्तियो के सम्मुख भी लिखा जा जकता है—

i. संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य;
ii. जिला परिषद अथवा नगरपालिका सदस्य;
iii. केन्द्रीय मरकार व राज्य सरकार का कोई गजटैड अधिकारी;
iv. किसी बैंक का मैनेजर अथवा एजेन्ट।

निम्नलिखित स्थितियों में भी ब्याज में से आयकर काटने की व्यवस्था नहीं है—

1. जब भुगतान किये जाने वाली अथवा खाते में जमा की गई सम्पूर्ण वर्ष की ब्याज की रकम 1,000 रु० से अधिक नहीं है।

2. जब व्याज का भुगतान निम्नलिखित को किया जाता है।

i. बैंक अथवा सरकारी बैंक;
ii. केन्द्र अथवा राज्य की किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एक वित्त निमम;
iii. जीवन बीमा निगम;
iv. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया;
v. कम्पनी व सहकारी समिति जो बीमा व्यवसाय में लगी है;
vi. कोई अन्य संस्था जिसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है।

3. फर्म द्वारा अपने साझेदार को दी जाने अथवा उसके खाते में जमा की जाने वाली आय।

4. एक सहकारी समिति द्वारा किसी दूसरी सहकारी समिति को दी गई अथवा खाते में जमा कर दी गई ब्याज।

5. भारत सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत दिया जाने वाला ब्याज।

लाटरी व पहेलियों से आय [194B]—प्रत्येक वह व्यक्ति जो लाटरी इनाम अथवा पहेलियों से होने वाले इनामों को बाँटता है तथा यदि वितरित की जाने वाली रकम 1,000 रु० से अधिक है तो इसके भुगतान के समय उद्गम स्थान पर निर्धारित दरों से आयकर काट लेना चाहिए। यह कटौती 1 जून 1972 के बाद में किये जाने वाले भुगतानों से की जायेगी। 1975-76 वित्तवर्ष के लिए कटौती की दर 33% है।

ठेकेदारों को दिये जाने वाले भुगतान [194C]—इस धारा के अनुसार ठेकेदारों को दिये जाने वाले भुगतान में से 2% की दर से आयकर उद्गम स्थान पर काटे जाने की व्यवस्था है। यह कटौती केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता, केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम, कम्पनी अथवा सहकारी समिति के मुख्य अधिकारी को करनी चाहिए। इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा जब कोई भुगतान उप-ठेकेदार (Sub-contractor) को किया जाता है तो उसे ऐसे भुगतात में से 1% की दर से आयकर काट लेना चाहिए। इस धारा के अन्तर्गत कटौती उन भुगतानों में से की जाती है जो 1 जून 1972 के बाद किए जायेंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यदि ठेकेदार अथवा उपठेकेदार को ठेके के लिए दिया जाने वाला प्रतिफल 5,000 रु० से

कम है तो आयकर को नहीं काटा जाता। इस धारा के अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले उन्हीं भुगतानों में आयकर की कटौती होगी जो 1 जून 1973 के बाद में किए जाते है।

बीमा कमीशन [194D]—इसके अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी निवासी को बीमा व्यापार प्राप्त करने, बीमा पालिसी के जारी रखने अथवा बीमा पालिसी के नवीनीकरण आदि के लिए कमीशन देता है, निर्धारित दरों से उद्गम स्थान पर आयकर काटने के लिए बाध्य है। यह आयकर निर्धारित समय के अन्दर व निर्धारित विवरण सहित सरकारी कोष में जमा किया जाता है। यह कटौती कमीशन के नकद भुगतान के समय अथवा इसको प्राप्तकर्त्ता के खाते में जमा करते समय (जो भी पहले हो) की जायेगी। इस धारा के अन्तर्गत वही भुगतान आयेंगे जो 1 जून 1973 के बाद में किये जाते हैं। वित्त अधिनियम 1975 के अनुसार वित्त वर्ष 1975-76 के लिए कटौती की दर 10% है।

अनिवासियों को किये गए भुगतान—धारा 195 के अनुसार यदि किसी अनिवासी को कोई भुगतान किये जाते है तथा ऐसे व्यक्ति का यदि भारतवर्ष में कोई ऐसा प्रतिनिधि नही है जिससे आयकर वसूल किया जा सके तो भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि भुगतान के समय इसमें से निर्धारित दरों से आयकर काट कर यह रकम सरकारी कोष में जमा करा दे।

कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम—उद्गम स्थान पर आयकर की कटौती से सम्बन्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियमों का जानना भी आवश्यक है इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :—

1. उद्गम स्थान पर काटा जाने वाला आयकर उस व्यक्ति की आय में सम्मिलित होता है जिसको आय प्राप्त होती है।

2. जिस व्यक्ति की आय से कर काटा गया है उस व्यक्ति के अन्तिम कर-निर्धारण के समय कर-दायित्व निश्चित करते हुए इस रकम का समायोजन कर दिया जाता है।

3. उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर की रकम यदि करदाता के कर-दायित्व से अधिक हो तो करदाता को अधिक काटे गये कर की वापिसी कर दी जाती है।

4. कटौती करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह काटी हुई रकम एक निश्चित समय के अन्दर ही सरकारी कोष में जमा करा दे।

5. करदाता की कुल आय यदि कम है तथा आयकर अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि करदाता की कुल आय वास्तव में कर-योग्य सीमा से कम है अथवा इतनी है जिस पर कम दर से आयकर काटा जाना चाहिए तो वह जैसा उचित समझे, एक प्रमाण-पत्र इस सम्बन्ध में करदाता को दे सकता है।

6. उद्गम स्थान पर आयकर काटने वाला व्यक्ति उपर्युक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसी दर से आयकर काटता है जिसका उल्लेख इस प्रमाण-पत्र में है।

7. कटौती करने वाला व्यक्ति यदि निर्धारित समय पर काटी गई आयकर की रकम को सरकारी खजाने में जमा नहीं करता तो वह कर के जमा करने के सम्बन्ध में भूल (default) करने वाला करदाता समझा जाता है। व्यक्तिगत रूप से वह इसे जमा करने को बाध्य है तथा उस पर इस सम्बन्ध में अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है।

8. धारा 196 में ऐसी व्यवस्था है कि उन प्रतिभूतियों अथवा अंशों पर ब्याज व लाभांश देते समय उद्गम स्थान पर कोई कटौती नहीं होगी जो कि रिजर्व बैंक अथवा सरकार को दिये जाते हैं।

आयकर का अग्रिम भुगतान अथवा 'जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना
(Advance payment of tax or 'Pay as you earn scheme')

इस योजना के अन्तर्गत यह व्यस्था है कि करदाता जैसे जैसे आय का उपार्जन करता है वैसे वैसे ही वह आयकर का भुगतान करता रहता है। अन्य शब्दों में चालू वर्ष में होने वाली अनुमानिक आय पर आयकर दायित्व की गणना करली जाती है जिसका भुगतान इसी वर्ष में कुछ निर्धारित तिथियों को कर दिया जाता है। वास्तविकता यह है कि यह आयकर का पेशगी भुगतान है जो प्रत्येक करदाता को आय के उपार्जन के समय उसी वित्त वर्ष में कुछ समान किश्तों में करना होता है। किन्तु यह व्यवस्था उसी स्थिति में है जबकि कुल आय निर्धारित सीमा से अधिक है। **एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति में जिसने अभी तक कभी आयकर नहीं दिया है, अपनी चालू आय का अनुमान लगाकर स्वयं ही आयकर का अग्रिम भुगतान कर देना चाहिए किन्तु एक ऐसे व्यक्ति की दशा में जो आयकर देता है, आयकर अधिकारी से नोटिस प्राप्त करके ही अग्रिम कर देने की व्यवस्था** है।

धारा 208 में विभिन्न करदाताओं के लिए अग्रिम कर के भुगतान सम्बन्धी दायित्व की सीमा दी गई है जिसके अनुसार यदि इन करदाताओं की कुल आय (पूँजी लाभों को छोड़ते हुए) इस सीमा से अधिक है तभी इस दायित्व का उदय होता है :—

	रु०
अ. कम्पनी एवं स्थानीय सत्ता के लिये	2,500
ब. रजिस्टर्ड फर्म की स्थिति में	30,000
स. अनिवासी व्यक्ति के लिए	5,000
द. अन्य करदातागण	10,000

अग्रिम कर की गणना—किसी वित्त वर्ष में करदाता द्वारा देय अग्रिम कर की राशि की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है :—

i. सबसे अन्तिम गतवर्ष (latest previous year), (जिसका नियमित कर-निर्धारण सम्पन्न हो गया है) में हुई करदाता की कुल आय अथवा चालू वित्त वर्ष में उसको होने वाली कुल आय का करदाता द्वारा अनुमान मालूम कर लिया जाता है।

ii. ऐसी कुल आय में से पूँजीलाभ घटा दिये जाते हैं तथा शेष आय पर चालू वित्त-वर्ष में प्रचलित दरों से आयकर की गणना करली जाती है।

iii. आयकर की रकम में से वह रकम घटा दी जाती है जिसकी उद्गम स्थान पर इसी वर्ष में कटौती हो गई है।

iv. इन सब समायोजनों के पश्चात् जो राशि शेष बचती है वह देय आयकर की अग्रिम भुगतान की रकम है।

स्पष्टीकरण—करदाता यदि किसी ऐसी रजिस्टर्ड फर्म का साझेदार है जिसका कर-निर्धारण किसी ऐसे गतवर्ष का सम्पन्न हो गया है जो करदाता के नियमित कर-निर्धारण समाप्त होने वाले गतवर्ष से भी बाद में आता है तो ऐसी स्थिति में करदाता को फर्म से मिले हिस्से का अनुमान फर्म के कर-निर्धारण पर आधारित होगा।

आयकर अधिकारी द्वारा आदेश

1. जब किसी करदाता का इस अधिनियम अथवा पुराने अधिनियम के अन्तर्गत नियमित कर निर्धारण हो चुका है तो वित्तवर्ष में एक अप्रैल अथवा उसके बाद में आयकर अधिकारी करदाता को आयकर का अग्रिम भुगतान करने का एक लिखित आदेश देता है।

2. माँग के इस नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि कितनी किश्तों में इस अग्रिम कर का भुगतान करना है।

3. उपर्युक्त आदेश देने के बाद किन्तु करदाता द्वारा आयकर के अग्रिम भुगतान की अन्तिम किश्त देने से 15 दिन पहले तक करदाता का यदि किसी ऐसे गतवर्ष का नियमित कर-निर्धारण अथवा अस्थाई कर-निर्धारण सम्पन्न हो जाता है जो उपर्युक्त आदेश में उल्लिखित गतवर्ष से बाद आता है तो आयकर अधिकारी द्वारा अग्रिम कर की रकम में उचित संशोधन कर दिये जाते हैं। संशोधित रकम यदि पहले निश्चित हुई रकम से अधिक है तो करदाता को शेष किश्तें इतनी अधिक रकम की जमा करनी पड़ेंगी जिससे कि पिछली कमी भी पूरी हो जाय किन्तु यदि यह रकम पूर्व निर्धारित राशि से कम है तो आयकर अधिकारी को आयकर की वापिसी (refund) का प्रबन्ध करना चाहिए।

अग्रिम कर की किस्तें

1. धारा 211 के अन्तर्गत आयकर की अग्रिम राशि का भुगतान आय के उपार्जन होने वाले वित्त वर्ष में तीन किस्तों में किया जावेगा।

2. एक ऐसे करदाता की स्थिति में जिसकी कुल आय का कम से कम 75% ऐसे साधन अथवा साधनों से प्राप्त होता है जिनका गतवर्ष 31 दिसम्बर अथवा उससे पहले समाप्त होता है—अग्रिम कर के भुगतान की तिथियाँ 15 जून, 15 सितम्बर एवं 15 दिसम्बर हैं।

3 किसी भी अन्य स्थिति में कर के अग्रिम भुगतान की तिथियाँ 15 सितम्बर, 15 दिसम्बर एवं 15 मार्च हैं।

बोर्ड द्वारा ऊपर (2) मे वर्णित करदाताओं के व्यापार की प्रकृति, हिसाब रखने की पद्धति तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान मे रखकर यदि उचित समझा जाता है तो अग्रिम कर के भुगतान की अन्तिम किश्त चुकाने की तिथि 15 दिसम्बर के स्थान पर 15 मार्च घोषित की जा सकती है। तिथि में परिवर्तन की घोषणा राजपत्र में की जावेगी व बोर्ड द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ शर्तें भी निर्धारित की जा सकती हैं।

स्पष्टीकरण :—इस धारा में कुल आय से अभिप्राय निम्नलिखित से है:—

अ. जब धारा 210 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी ने अग्रिम कर की माँग का नोटिस भेजा है तो इस नोटिस में दी गई आय।

ब. जब धारा 212 के अन्तर्गत करदाता अपनी आय का स्वयं अनुमान लगाता है तो उसके द्वारा किया गया अपनी कुल आय का अनुमान जिसमें पूँजी लाभ सम्मिलित नहीं है।

4. धारा 210 के अन्तर्गत जारी किए गए माँग का नोटिस यदि उसमें लिखी गई किश्तों की तारीखों मे से किसी एक तारीख के बाद में मिलता है तो अग्रिम कर की रकम का उस नोटिस के प्राप्त होने की तिथि के बाद में आने वाली तिथियों को समान किश्तों में भुगतान कर दिया जाना चाहिए ।

5. उक्त नोटिस यदि 15 दिसम्बर के बाद में मिलता है तो सारी रकम एक मुश्त ही 15 मार्च को चुका देने की व्यवस्था है ।

करदाता का अनुमान (Estimate by the assessee) [212]

1. यदि कोई करदाता, जो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए बाध्य है, अन्तिम किश्त के चुकाने से पहले यह अनुमान लगाता है कि इस वर्ष में उसकी होने वाले पूँजीलाभों को छोड़ कर कुल आय उस आय से कम है जिस पर अग्रिम कर चुकाने के लिये उससे कहा गया है तो ऐसी स्थिति में वह—

i. अपनी कुल आय का अनुमान; तथा
ii. अपने द्वारा चुकाये जाने वाले अग्रिम कर का अनुमान

आयकर अधिकारी को भेज देगा तथा अपने हिसाब से ही अग्रिम कर का भुगतान कर देगा ।

2. करदाता द्वारा अपनी आय का एक संशोधित अनुमान भी भेजा जा सकता है जिसके आधार पर वह चुकाये जाने वाले आयकर की किसी भी किश्त में आवश्यक संशोधन कर सकता है ।

3. कोई व्यक्ति जिसकी कुल आय के करयोग्य सीमा से कम रहने के कारण कभी कर-निर्धारण नहीं हुआ है, यदि वित्त वर्ष के 1 मार्च से पहले यह पता है कि उस वर्ष की उसकी कुल आय कर के अग्रिम भुगतान के अन्तर्गत आने वाली निर्धारित सीमा से अधिक होगी तो वह—

i. उस वर्ष का अपनी चालू आय का एक अनुमान; तथा
ii. अपने द्वारा चुकाये जाने वाले अग्रिम कर का अनुमान

आयकर अधिकारी को भेज देगा तथा अग्रिम कर का भुगतान भी निश्चित तिथियों को स्वय ही करा देगा ।

4. ऐसे करदाता की स्थिति में, जिसे धारा 210 के अन्तर्गत आयकर के अग्रिम भुगतान करने के लिये एक नोटिस मिला है, यदि यह पता है कि उसकी चालू आय उक्त नोटिस में उल्लिखित आय से अधिक है तथा इस प्रकार उसके द्वारा दी जाने वाली आयकर की राशि उसने माँगी जाने वाली राशि के $33\frac{1}{3}\%$ से अधिक है तो उसे अपने अनुमान के अनुसार ही आयकर का अग्रिम भुगतान करना चाहिए ।

5. इस धारा के अन्तर्गत प्रत्येक अनुमान निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित विधि से प्रमाणित करके भेजे जाने की व्यवस्था है ।

कमीशन प्राप्तियाँ [213]—जिस करदाता को कमीशन की सामयिक (periodical) प्राप्ति होती है, उस को इस कमीशन का भुगतान यदि अग्रिम कर को जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त नहीं हुआ है तो वह ऐसे कमीशन से सम्बन्धित कर के अग्रिम भुगतान को रोक सकता है किन्तु आयकर अधिकारी को इस विषय में सूचित कर

दिया जाना चाहिए । ऐसे रुके हुए कमीशन की जब भी प्राप्ति हो उसके बाद में 15 दिन की अवधि में ही रोके हुए आयकर का अग्रिम भुगतान करने के लिए करदाता बाध्य होता है । यदि करदाता द्वारा यह भुगतान नही किया जाता है तो उसे कमीशन प्राप्त होने की तिथि से अग्रिम भुगतान की रकम पर 12% की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा ।

सरकार द्वारा ब्याज—धारा 214 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार उस समय 12% की दर से करदाता को ब्याज देगी जबकि अग्रिम कर की चुकाई गयी सभी किश्तों की रकम नियमित कर-निर्धारण के समय निकाले गये कर दायित्व से अधिक हो । ब्याज कर-निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर उस दिन तक दी जायेगी जिसदिन उस करदाता का नियमित कर-निर्धारण हुआ है तथा कर-दायित्व की गणना की गई है । यदि कभी अन्तिम किश्त का भुगतान 1 अप्रैल के बाद में किया जाता है तो इस भुगतान वाली तिथि से ही सरकार द्वारा ब्याज दी जायेगी । इस धारा के अन्तर्गत करदाता को मिली ब्याज "अन्य साधनों से आय" शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगी ।

करदाता द्वारा ब्याज दिया जाना—किसी गतवर्ष में जब करदाता ने अपने अनुमान के आधार पर ही आयकर का अग्रिम भुगतान किया है तथा यह भुगतान उसके नियमित कर-निर्धारण के समय निकाले गये करदायित्व के 75% से भी कम है तो इस कमी पर करदाता द्वारा 12% की दर से ब्याज दी जाने की व्यवस्था धारा 215 के अन्तर्गत की गई है । ब्याज कर-निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से लेकर उस दिन तक दी जाती है जिस दिन उसका नियमित कर-निर्धारण सम्पन्न होता है ।

धारा 219 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि करदाता द्वारा जो भी अग्रिम आयकर दिया जावेगा उसका समायोजन करदाता के नियमित कर-निर्धारण पर कर-दायित्व निकालते समय कर दिया जायेगा ।

आय का नक्शा दाखिल करते हुए स्वेच्छा से ही आयकर जमा करना—धारा 140-A के अन्तर्गत अपनी आय का नक्शा दाखिल करते हुए यदि करदाता यह समझता है कि उसका कर-दायित्व अग्रिम किये हुए भुगतान का समायोजन करने के पश्चात् 500 रु० से अधिक है तो उसे आयकर का भुगतान नक्शा दाखिल करने के एक माह के अन्दर ही कर देना चाहिये ।

अन्तिम कर-निर्धारण के समय भुगतान—धारा 143 अथवा 144 के अन्तर्गत नियमित कर-निर्धारण करने के पश्चात् आयकर अधिकारी द्वारा आयकर की वसूली के सम्बन्ध में माँग का एक नोटिस करदाता को दिया जाता है जिसके उत्तर में करदाता आयकर जमा करने के लिये बाध्य होता है ।

कर की वसूली (Recovery of tax)

आयकर अधिकारी प्रत्येक प्रकार की रकम (आयकर के पेशगी भुगतान को छोड़कर) को वसूल करने के लिए धारा 156 के अन्तर्गत माँग का नोटिस तैयार करता है जिसके प्राप्त होने पर करदाता को नोटिस मिलने की तिथि के 35 दिनों के अन्दर नोटिस में दिए हुए स्थान पर उसमें उल्लिखित व्यक्ति को कर की रकम चुका देनी होती है । परन्तु यदि आयकर अधिकारी को ऐसा विश्वास है कि 35 दिनों की अवधि देने पर कर की वसूली में बाधा पड़ेगी तो वह इन्सपैक्टिंग असिस्टेंट कमिश्नर की पूर्व अनुमति से इस अवधि को कम भी कर सकता है ।

यदि उपर्युक्त नोटिस में दी गई रकम उसमें दी हुई अवधि के अन्दर नहीं चुकाई जाती है तो अवधि के समाप्त होने की तिथि से उस रकम पर 12% का साधारण ब्याज देय होगा। करदाता द्वारा अवधि के समाप्त होने से पूर्व आयकर अधिकारी को यदि नोटिस की अवधि बढ़ाने अथवा किश्तों में भुगतान करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो आयकर अधिकारी किन्ही शर्तो के साथ यह सुविधा दे सकता है।

अवधि के अन्दर आयकर न चुकाने पर करदाता को दोषी (Assessee deemed to be in default) माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसे आर्थिक दण्ड देने के लिये भी कह सकते हैं।

करदाता को जब अपना आयकर दायित्व किश्तों में चुकाने की अनुमति मिल जाती है किन्तु उसके द्वारा किसी एक किश्त के भुगतान में भूल हो जावे तो करदाता उस तिथि को शेष सम्पूर्ण आयकर दायित्व के भुगतान के लिये दोषी करदाता (assessee in default) मान लिया जाता है तथा भविष्य में भुगतान की जाने वाली सभी किश्तें भूल हो जाने वाली तिथि को देय (due) हो जाती है।

विदेशी आय—किसी करदाता को यदि किसी ऐसे देश से आय प्राप्त होती है जहाँ के कानून के अन्तर्गत वहाँ की आय को नहीं लाया जा सकता व इसलिए करदाता ने विदेशी आय से सम्बन्धित आयकर दायित्व को नहीं चुकाया है तो इस रकम के लिए करदाता को भूल वाला करदाता नहीं माना जा सकता।

भूल के लिए अर्थदण्ड (penalty for tax in default)—आयकर दायित्व का सही तिथि तक भुगतान न होने पर करदाता को 12% की दर से ब्याज तो देना ही पड़ता है, इसके साथ-साथ उस पर अर्थदण्ड भी आयकर अधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है, जो आयकर दायित्व के बराबर तक बढ़ाया जा सकता है अर्थदण्ड लगाने से पहले करदाता को एक अवसर अवश्य दिया जावेगा जिससे वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके।

वसूली के तरीके

धारा 299 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत देय ब्याज अर्थदण्ड अथवा कोई अन्य देय राशि की वसूली कर की बाकी (arrears of tax) की भाँति की जाती है इसके विभिन्न तरीके इस प्रकार हैं।

1. कर वसूली अधिकारी को प्रमाण-पत्र (Certificate to Tax Recovery Officer).

कर वसूली अधिकारी से हमारा तात्पर्य जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश अथवा किसी अन्य ऐसे राजपत्रित अधिकारी से है जिसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया है अथवा जिससे इस सम्बन्धी कार्य करने के लिए कहा गया है।

धारा 222 के अन्तर्गत जब आयकर अधिकारी की दृष्टि में कोई करदाता आयकर के भुगतान के सम्बन्ध में दोषी (assessee in default) हो जाता है तो वह अपने हस्ताक्षरों से युक्त एक प्रमाण-पत्र कर की बाकी रकम को दिखाते हुए कर वसूली अधिकारी को भेजता है जो इसके प्राप्त होते ही निम्नलिखित तरीकों में से कोई भी एक अथवा एक से अधिक तरीके आयकर की वसूली के लिये अपनाता है :—

अ. करदाता की चल सम्पत्ति की कुर्की व बिक्री ;
ब. करदाता की अचल सम्पत्ति की कुर्की व बिक्री ;

स. करदाता की गिरफ्तारी व उसको जेल में भेजना; एवं

द. करदाता की चल व अचल सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिये रिसीवर की नियुक्ति ;

आयकर अधिकारी द्वारा कर वसूली का प्रमाण-पत्र ऐसे कर वसूली अधिकारी को भेजा जाता है जिसके क्षेत्र में करदाता के व्यापार का मुख्य आफिस स्थित है अथवा जहां करदाता का निवास स्थान है व चल और अचल सम्पत्ति स्थित है। यह कर वसूली अधिकारी यदिआयकर की सम्पूर्ण बाकी (arrears) की वसूली में असमर्थ रहता है किन्तु वह यह समझता है कि करदाता की सम्पत्ति किसी अन्य स्थान पर स्थित है जहाँ इस की वसूली हो सकती है तो वह उस स्थान के कर वसूली अधिकारी को यह प्रमाण पत्र भेज देगा। जहाँ वसूली की जावेगी।

धारा 224 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कर वसूली अधिकारी के पास कर वसूली सम्बन्धी प्रमाण पत्र आने पर करदाता द्वारा कर दायित्व की शुद्धता के विषय में उससे कोई आपत्ति नही की जा सकती, आयकर अधिकारी को ही गलतियाँ ठीक करने व इस प्रमाण-पत्र को वापिस लेने का अधिकार है।

कर वसूली कार्यवाही को रोकना (Stay of proceeding) [225]—कर वसूली अधिकारी को प्रमाण-पत्र भेजने के बाद में भी आयकर अधिकारी कर के भुगतान के लिये कुछ समय की स्वीकृति दे सकता है जिस पर कर वसूली अधिकारी कर वसूली सम्बन्धी कार्यवाही को उस समय तक के लिए रोक देगा जब तक कि आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकृत समयावधि समाप्त नहीं हो जाती। आयकर अधिकारी इस बीच करदाता द्वारा चुकाई गई धनराशि के सम्बन्ध में कर वसूली अधिकारी को सूचित करता रहेगा। इसी भाँति कर वसूली कार्यवाही के मध्य यदि अपील आदि में किसी न्यायालय द्वारा कर-दायित्व में कमी कर दी जाती है तो भी कर वसूली अधिकारी को आयकर अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया जावेगा।

2. कर वसूली के अन्य ढंग (Other modes of recovery) [226]

आयकर अधिकारी कर वसूली अधिकारी को कर वसूल करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र भेजने के बाद भी निम्नलिखित तरीकों में से कोई एक अथवा एक भी से अधिक तरीका कर की वसूली के लिए अपना सकता है :—

क. यदि करदाता वेतन पाने वाला व्यक्ति हैं तो आयकर अधिकारी वेतन देने वाले व्यक्ति को वेतन में से कर की बाकी (Arrears of Tax) को काटने का एवं इस रकम को सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दे सकता है। परन्तु यह रकम वेतन के उस भाग में से नहीं काटी जायेगी जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के अन्तर्गत सिविल कोर्ट की कुर्की से मुक्त घोषित कर दिया गया है।

ख. आयकर अधिकारी उन लोगों को जिनके पास करदाता का रुपया जमा है यह आदेश दे सकता है कि वे कर की रकम काटकर शेष रकम ही करदाता को दें।

ग. यदि किसी न्यायालय के यहाँ करदाता की कोई रकम जमा हो तो आयकर अधिकारी न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि करदाता की रकम में से आयकर का भुगतान कर दिया जावे।

घ. कमिश्नर द्वारा अधिकृत होने पर वह करदाता की चल सम्पत्ति को बेचकर अथवा रुकवा कर आयकर की वसूली कर सकता है।

ङ. धारा 227 की व्यवस्था के अनुसार यदि किसी क्षेत्र में कर वसूली का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया है तो कर की वसूली राज्य सरकारों द्वारा उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार स्थानीय कर व लगान की वसूली होती है।

च. धारा 288 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि यदि करदाता की सम्पत्ति पाकिस्तान में है तो उस जिले के कलक्टर को पाकिस्तानी सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू के माध्यम से धारा 222 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र भेजा जा सकता है। भारत में पाकिस्तानी करदाताओं से कर वसूली के लिए भी यह व्यवस्था कर दी गई है।

वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए समय सीमा

धारा 231 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए समय की सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा केवल कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए है, समाप्त करने के लिए नहीं। इसके अनुसार जिस वित्त वर्ष में कर की माँग की गई है उस वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अन्दर ही यह कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए। करदाता को यदि कर के भुगतान के सम्बन्ध में दोषी ठहराया गया है तो यह समय सीमा उस वित्त की समाप्ति के बाद में एक वर्ष है जिसमें कि करदाता दोषी ठहराया गया है।

इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी योग्य बात यह है कि एक वर्ष की उपर्युक्त समय सीमा अनिवासी व उसके प्रतिनिधि से आयकर की वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने में लागू नहीं होगी। जब भी अनिवासी की सम्पत्ति भारत में आ जाये, यह कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। वह समय सीमा उस स्थिति में भी कार्यप्रद नहीं होगी जबकि विदेशी आय पर कर-निर्धारण किया गया है व उस देश से भारत में रुपया लाने पर प्रतिबन्ध है। इस स्थिति में कर वसूली की कार्यवाही तब ही आरम्भ की जा सकती है जबकि उस देश में यह प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया जावे।

कर चुकाने का प्रमाण-पत्र

कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक नहीं है अथवा यदि वह भारतीय नागरिक है तो आयकर अधिकारी की दृष्टि में वह सदैव के लिए भारत छोड़कर जा रहा है ऐसे व्यक्ति को भारत छोड़ने की आज्ञा तब ही प्रदान की जाती है जबकि वह प्रत्यक्ष करों के बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी से प्रत्येक प्रकार की कर-वसूली का प्रमाण-पत्र प्राप्त करले। यदि समुद्री जहाज अथवा हवाई जहाज की कोई कम्पनी कर चुकाने का प्रमाण-पत्र देखे बिना किसी करदाता को भारत छोड़ने में सहायता करती है तो उन्हें कर चुकाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है।

कर की वापिसी

धारा 237 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आयकर अधिकारी को इस बात से सन्तुष्ट करदे कि उसके द्वारा अथवा उसके लिए किसी कर-निर्धारण वर्ष में चुकाया गया आयकर उस रकम से अधिक है जिसके भुगतान करने के लिए वह वास्तव में दायी था तो वह ऐसे आधिक्य की वापिसी का अधिकारी है।

इस धारा के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को वापिसी देते समय अपनी सन्तुष्टि कर लेनी चाहिए। करदाता को आयकर अधिकारी के दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

वापिसी का अधिकार (Person entitled to claim refund)—इस अधिनियम की किन्हीं धाराओं के अन्तर्गत यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय करदाता की आय में जोड़ दी गई है तो इस जोड़ी गई आय से सम्बन्धित आयकर की वापिसी का अधिकार करदाता को ही प्राप्त है।

जब कोई व्यक्ति मृत्यु, अयोग्यता, दिवालियापन अथवा किसी अन्य कारण से कर की वापिसी नहीं माँग सकता तो इसके कानूनी प्रतिनिधि को वापिसी माँगने का पूरा अधिकार होगा।

वापिसी की प्रत्येक प्रार्थना निर्धारित फार्म पर होगी तथा उस कर-निर्धारण वर्ष के अन्तिम दिन के 4 वर्ष की अवधि में ही की जायेगी जिसके लिए कर की वापिसी माँगी जा रही है।

वापिसी रोकने का अधिकार (Right to withhold refund)—धारा 214 के अन्तर्गत यदि आयकर अधिकारी यह समझता है कि किसी कर-निर्धारण के विषय में किसी अदालत में मामले पर सुनवाई हो रही है तथा यदि इस समय कर की वापिसी करदी गई तो राजस्व का अहित हो सकता है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी वापिसी को रोक लेगा।

वापिसी में देरी पर ब्याज (Interest on delayed refund)—धारा 243 के अन्तर्गत यदि आयकर अधिकारी, उस करदाता के लिये जिसकी कुल आय में केवल प्रतिभूतियों की ब्याज व लाभांश ही शामिल है, उसकी कुल आय निर्धारित होने के 3 महीने की अवधि में ही वापिसी का दावा स्वीकार नहीं करता तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अवधि के बाद में वापिसी की रकम पर 12% की दर से ब्याज दी जाने की व्यवस्था है।

अन्य करदाताओं के लिए वापिसी स्वीकार करने की अवधि 6 माह की है जिसके बाद में उस पर ब्याज मिलना प्रारम्भ हो जाता है।

यदि वापिसी स्वीकार करने में देरी करदाता के कारण हुई है तो करदाता को ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं होगा।

न चुकाये गये कर से वापिसी की पूर्ति (Set off of refunds against tax remaining payable)—आयकर अधिकारी, अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अथवा कमिश्नर यदि चाहें तो वे करदाता द्वारा न चुकाऐ गए कर से वापिसी की रकम की पूर्ति कर सकते है परन्तु एक लिखित सूचना करदाता को देनी आवश्यक है।

कर की चोरी अथवा कर बचाने की प्रवृत्ति

भारत में कर की चोरी (evasion of tax) तथा कर बचाने की प्रवृत्ति (tax avoidance) बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इस बारे में सभी कर-विशेषज्ञ एकमत है। प्रो० काल्डर तथा प्रत्यक्ष कर प्रबन्ध जाँच समिति तथा वान्चू समिति ने भी इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है।

कर की चोरी करदाता द्वारा कुछ अवैधानिक कार्यों तथा धोखे से पूर्ण प्रयत्नों का परिणाम है। इसके अन्तर्गत वे प्रयत्न भी सम्मिलित है जिनके द्वारा करदाता जान-बूझकर बहुत सी सूचनायें आयकर अधिकारी से छिपा लेता है, अथवा झूठी सूचना देकर अपने करदायित्व में कमी करता है। ऐसे प्रयत्नों का एकमात्र उपचार हैं आयकर विभाग द्वारा सख्त नियन्त्रण एवं सख्ती। आयकर विभाग का यह कर्त्तव्य हो जाता है। कि वह

ईमानदार करदाताओं को प्रत्येक प्रकार की सुविधा दे तथा झूठे व बेईमान करदाता का किसी भी प्रकार कानून की दृष्टि से न बचने दे।

कर बचाने की प्रवृत्ति (tax avoidance) कर की चोरी से पृथक है। इसमें करदाता द्वारा अधिनियम की विभिन्न धाराओं तथा शाब्दिक अर्थो को अपने लाभ के लिये तोड़ने व मरोड़ने के प्रयत्न सम्मिलिति है। विभिन्न न्यायालयों ने करदाता के कर बचाने की प्रवृति को वैधानिक माना है, इस प्रवृत्ति को तभी रोका जा सकता है जबकि अधिनियम को बनाते हुए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न इस बात का किया जावे कि किसी भी वाक्य का दोहरा अर्थ न निकल सके।

आयकर अधिनियम 1961 की धारायें 92, 93, व 94 करदाता की कर बचाने की प्रवृत्ति रोकने से सम्बन्धित है। ये निम्नलिखित हैं :—

1. जब कोई निवासी किसी विदेशी के साथ इस प्रकार व्यापार करता है कि आयकर अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँच जावे कि इन दोनों व्यक्तियों में घनिष्ठता होने के कारण व्यापार का परिणाम खातों में लाभ में न होकर हानि में दिखाया जा रहा है अथवा खातों में लाभ की रकम वास्तविक से कम दिखाई जा रही है तो वह व्यापार से लाभ की उचित रकम की गणना कर सकता है तथा कर लगा सकता है। धारा (92)।

2. यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति किसी अनिवासी अथवा असाधारण निवासी को इस प्रकार हस्तांतरित करता है जिससे कि उस सम्पत्ति की आय का भुगतान तो विदेशी अथवा असाधारण निवासी को मिल जावे परन्तु तुरन्त अथवा निकट भविष्य में इस आय के उपभोग करने का अधिकार किसी भी प्रकार हस्तांतरक को मिल सके तो आयकर अधिकारी निवासी हस्तांतरक की कुल आय में से इस हस्तांतरित सम्पत्ति से होने वाली आय जोड़ देगा तथा कर वसूल करेगा।

3. कभी-कभी ऐसा भी किया जा सकता है कि निवासी करदाता विदेशी को एक सम्पत्ति हस्तान्तरित कर दे तथा आय का उपभोग भी हस्तान्तरक (Transferor) द्वारा न किया जावे परन्तु एक निश्चित समय बाद कोई अन्य सम्पत्ति इसे मिलने की व्यवस्था हो। ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी हस्तान्तरित सम्पत्ति से होने वाली आय को हस्तान्तरक की कुल आय में जोड़ सकता है।

4. यदि करदाता प्रतिभूतियों की ब्याज की तिथि के आस-पास इनके हस्तान्तरण द्वारा अपने आयकर दायित्व को कम करने की चेष्टा करता है, तो आयकर अधिकारी उसकी इस चेष्टा को विफल कर सकता है तथा हस्तान्तरित प्रतिभूतियों के के ब्याज पर हस्तान्तरक से आयकर की वसूली कर सकता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

1. "जैसे कमाओ वैसे चुकाओ" योजना से आप क्या समझते हैं ?
2. पहले से चुकाये हुए कर की वापिसी की कार्य विधि लिखिये। वे कौन सी परिस्थतियाँ तथा सीमायें हैं जिनके अन्तर्गत वापिसी स्वीकृत होती हैं ?
3. आयकर की उद्गम स्थान पर होने वाली कटौती से सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
4. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये।

   कर की वसूली, कर का बचाना, कर चुकाने के प्रमाण पत्र।

PROBLEMS & SOLUTIONS

PROBLEMS

(1) A's investments for the previous year ended 31st March, 1975 were :

a. Rs. 30,000 5% Municipal Debentures.
b. Rs. 20,000 4½% Port Trust Bonds.
c. Rs. 10,000 4% Bombay Development Loan.
d. Rs. 32,000 3½% Tax-free Govt. of India Loan.
e. Rs. 32,000 5% Tax-free Debentures of a Company.
f. Rs. 16,000 6% Debentures of a Sugar Mill Co.

On 1st September, 1974 he bought Rs. 40,000 5% U. P. Govt. Loan the interest on which is payble on 30th June and 31st December. For this purpose he took a loan of Rs. 30,000 at 6% per annum. The bank charged 1% commission on purchase of securities and 2% commission on realisation of interest.

Find out his taxable income from interest on securities for the assessment year 1975-76.

(2) A is the owner of a house property in Delhi. It has been let out for Rs. 90,000. The tax payable by the owner comes to Rs. 10,000 but the landlord has signed an agreement with the tenant stating that the latter would pay tax direct to the Corporation. The landlord, however, bears the following expenses on tenant's amenities—

Water charges—Rs. 1,000.
Lift maintenance—Rs. 1,000.
Salary of gardener—Rs. 1,200.
Lighting of stairs—Rs. 800.

The landlord claims following deductions :—

Repairs—Rs. 30,000.
Land revenue—Rs. 1,000.
Collection Charges—Rs. 2,000.
Compute taxable income from property for the assessment year 1975-76.

(3) A owns two houses : One whose municipal valuation is Rs. 2,500, is occupied by him for his residence and the other whose municipal valuation is Rs. 3,000 is let out. The expenses in respect of both the houses are :—

	1st House Rs.	2nd House Rs.
Municipal taxes	250	300
Land revenue	100	125
Interest on loan to reconstruct the house	200	100
Fire insurance premium	150	200
Interest on mortgage	—	150
Collection charges	—	45

Assuming that the second house remained vacant for 3 months and that his income from other sources during the year 1974-75 was Rs. 6,000, ascertain his income from property and gross total income.

(4) Mr. Sen, an employee with seventeen years' continuous good service in a company resigns on 1-2-1975. The company accepted his resignation by its letter dated 2-2-1975 as desired by Mr. Sen and agreed to pay in view of his past services four month's salary, i. e., upto May 1975 and also a gratuity of Rs. 25,000. The cheque for Rs. 8,000 being Mr. Sen's four month's salary was sent to him on 2-2-1975. Mr. Sen was told that he could collect the cheque for gratuity at any time. Mr. Sen who was living in the Company's quarters free of any rent vacated the same on 31-5-1975. Mr. Sen's salary for the last three years was as under :—

Year ending	31-3-1972	Rs. 1,700 p. m.
Year ending	31-3-1973	Rs. 1,800 p. m.

Year ending	31-3-1974	Rs. 1,900 p. m.
Year ending	31-3-1975	Rs. 2,000 p. m.

Mr. Sen receives his gratuity in April, 1975. He was occupying rent free quarters of the company althrough. Prepare the return of income of Mr. Sen for 1975-76.

[C. A. Final May 1963]

(5) A company manufacturing steel constructed a new building in 1973 at a cost of Rs. 4,00,000, there being eight units equal in all respects. In four of these the company's offices were situated, one was let out to its steel factory manager at a subsidised rent of Rs. 100 per month, the reasonable rent being Rs. 300 per month; two were let out to a stationery shop at a rent of Rs. 300 per month for each unit, and the eighth unit was let out to an individual for his residence, at Rs. 300 per month. Expenses in respect of the entire building to be evenly allocated to the units, are given below. Determine the income for the assessment year 1975-76 relating to the previous year ended 31st December 1974 under the head "Income from house property"—

	Rs.
Municipal taxes	9,600
Interest on loan taken for constructing the house	8,000
Expenses on repairs	2,400
Fire Insurance premium	1,600

[C. A. Final May, 1970]

(6) Given below are particulars of the income of an individual for the previous year ended 31st March, 1975 :

a. Profits of a proprietory business (including Rs. 15,000 compensation received for loss of an agency) Rs. 30,000.

b. Income from house property Rs. 12,000.

c. Dividends (gross) Rs. 10,000.

d. Capital gain of Rs. 20,000 on the sale of his ancestral house for Rs. 60,000.

e. Capital gain of Rs. 5,000 on the sale of shares purchased five years ago and held as an investment.

On 1st July, 1974 he purchased a house for residence but found it rather small and sold it away in October 1974 at a profit of Rs. 7,000.

On 1st March, 1975 he paid Rs. 15,000 as premium on his life policies.

Compute total income of the assessee for the assessment year 1975-76.

(Jodhpur, M. Com. 1966)

(7) A is a professor in a Delhi College getting a salary of Rs. 1,000 p. m. plus $17\frac{1}{2}\%$ on account of dearness allowance. He contributes 8% of his salary to a provident fund to which the college contributes an equal amount. He is also a hostel warden and is provided with rent-free quarters the annual rental value of which is Rs. 1 000. He owns a bungalow which is let out for Rs. 200 per month and for which he pays municipal taxes amounting to Rs 300 per annum.

During the year ended 31st March 1975, he received the following incomes :—

5 per cent dividend on shares of Rs. 15,000 in the Jai Hind Chemical Ltd.

5 per cent dividend (free of tax) on Rs. 20,000 in the shares of the Mining Syndicate Ltd.

$3\frac{1}{2}\%$ Interest on Rs. 18,000 invested in Govt. securities.

6% interest on debentures of Rs. 15,000.

Rs. 350 dividend on the units of the Unit Trust of India.

Rs. 1,500 being one-third share of profits in an unregistered firm.

He has insured his life for Rs. 25,000 and paid Rs. 1,250 by way of premium on his life policies during the year ended 31st March, 1975.

You are required to ascertain his Total Income.

(8) Mr. Harish Raizada gives the following information for the assessment year 1975-76 :

(a) Received net salary of Rs. 15.972 after deduction of (i) Income-tax Rs. 2,000, (ii) Contribution to recognised provident fund Rs. 3.000, an equal amount being contributed by the employer company and (iii) professional tax Rs. 528.

(b) Received (i) Rs. 4,000 in respect of interest on fixed deposit in a bank on 31st December 1974 (ii) Rs. 300 being interest in Post office savings bank account (iii) Rs 2,310 as interest on Government securities (net) (iv) Rs. 2 300 as interest on Govt. Bonds (gross) and (v) Rs. 1,500 from 4½% National Provident Fund account as interest calculated at the rate of 9% per annum. (vi) Received dividend (gross) amounting to Rs. 600.

(c) He owns a motor car which is used by him for purposes of his employment also

(d) Amounts disbursed during the year (i) Rs. 3,000 on a policy of Rs. 50,000 (ii) donates Rs 1,000 to National Defence Fund.

(e) Pension @ Rs. 200 p.m. as a freedom fighter under a scheme instituted by the Central Government.

Compute total income of Mr. Raizada.

(9) C is a director of S Co. Ltd drawing a salary of Rs. 3,000 per month. In addition to the regular salary he has also received the following sums during the year ended 31st March 1975—

		Rs.
i.	Director's fees for attending meetings	3,000
ii.	Income from agricultural lands in Ceylon✓	1,200
iii.	Grant made by the employer for the education of his children	4,000
iv,	Entertainment allowance received from the employer (fixed amount received since 1952)	10,000

It is learnt that C was a member of the company's recognised provident fund during the year of account and that contributions at the rate of 10% of the salary had been made thereto by the employer as well as by the employee. Interest calculated at the rate of 6% and amounting to Rs 1,500 had been credited to C's Provident Fund account during the year.

C was given the free use of a fifteen H. P. car by his employer, all expenses on running and maintenance having been paid by the company.

C had taken out a policy for the sum of Rs. one lakh on his own life on which he paid a premium of Rs. 10 000 during the year.

Compute C's total income for the assessment year 1975-76 assuming that he had no income during the year other than what has been indicated above.

(C.A. Final, Nov. 1967)

(10) Mr. Alak Ghosh General Manager of the Excelsior Products Ltd. is in receipt of a salary of Rs. 3,000 p m. and an entertainment allowance of Rs 500 p.m. (the allowance was increased to this rate from 1st April. 1969 and he had been getting Rs. 400 p.m. for eighteen years before that date). He is in occupation of a fully furnished house for which the company pays a rent of Rs. 900 p m. to the landlord but does not recover anything from Mr. Ghosh. Cost of the furniture provided by the company is Rs. 10,000. The company has given him the use of a Dodge car, and the pay of the chauffeur and running expenses, repair charges etc., are fully met by the company. The Co. also maintains a Recognised Provident Fund to which he contributes Rs. 500 p. m. and the company contributes an equal amount. Interest credited to the fund (at the rate of 6% p. a.) is Rs. 1,500. During the year ended 31st March. 1975, Mr. Alak Ghosh has the following income also:—

Rent of a house let out at Rs. 1,000 p.m. Municipal taxes Rs. 900 per year.
Gross dividends (fully taxed) Rs. 8,000.
He pays life insurance premia of Rs. 6,000 a year.

Calculate his total income for 1975-76 and indicate the deductions to which he is entitled

(11) For the year ended 31st March 1975, Dr. X has income from the following sources:—

		Rs.
1.	Income from profession	50,000
2.	Income from ground rent	10,000
3.	Income from dividends (Gross)	15,000
4.	Income from property determined in accordance with the provision of section 24 of the Income-tax Act	30,000
5.	Casual income	10,000

Dr. X has created an irrevocable Deed of Trust settlement on April 1, 1974 for Rs. 5,00,000. The trust deed, amongst others, provided as under :—

The whole of the income of the Trust to belong to Mrs. X (wife of Dr. X) absolutely, during her life time and after her demise the whole income to be enjoyed by Dr. X if he should survive his wife. The whole of the trust funds consisted of shares in joint stock companies.

During the year ended 31st march, 1975 dividends of Rs. 30,000 were received and the amount paid to Mrs X.

On 30th March, 1975 all the said shares, held by the trust on account of trust investments were sold pursuant to the powers vested in the Trustees in that behalf which empowered them to change and vary the trust investment from time to time, as the trustees thought best in their absolute discretion. The amount realised on the sale of these shares was Rs 6,00,000.

Compute total income of Dr. X for the assessment year 1975-76.

(12) Reddy owns three residential houses and one bungalow. The three houses are let out and the bungalow is occupied by him for his own residence. the rental value of the let-out properties is Rs. 21,000 and that of the bungalow is Rs. 7,000.

The expenses of the let-out properties are as under :—

	Rs.
Municipal taxes	3,750
Land revenue	496
Ground rent	424
Annual interest on mortgage of one of the properties (interest has not been paid for the last three years)	2,000
Fire insurance premium	800
Rent collection charges	1,200
Legal charges for recovery of rent	300
Repairs and alterations	4,000

One of the tenants is in arrears of rent amounting to Rs. 600 in respect of the year in question and is unable to pay the same.

The expenses of the bungalow are :—

	Rs.
Municipal taxes	1,200
Insurance premium	350
Ground rent	75

Reddy's investments consist of 4% G. P. Notes of Rs. 1,00,000 on which interest has been collected on due dates.

During the year ending 31st March, 1975 he received Rs. 25,000 from Bharat Motor Ltd., as Managing Director's remuneration.

Prepare a statement showing the total income of Shri Reddy for the assessment year 1975-76. He agrees to pay Rs. 500 to you for your services.

(13) Randhawa an Indian National is resident in India. He works as a director of a company in Bombay, and has furnished the following particulars for the assessment year 1975-76.

i. Salary Rs. 30,000.
(Out of this a sum of Rs. 5,000 being salary for 2 months was drawn in London, as the assessee went to England on Official duty for two months)

ii. Sitting fees from the Company Rs. 1,000.

iii. Company's contribution to recognised provident fund—Rs. 4,000.

iv. Interest on provident fund at 6 per cent—Rs. 12,000.

v. Assessee's contribution to provident fund—Rs. 4,000.
[included in the sum of Rs. 30,000 shown at (i)]

vi. Life insurance premium on his own life for a policy of Rs. 80,000—4,000.

vii. Entertainment allowance paid since 1950 by the employer—Rs. 10,000.

The company has provided him with a rent-free unfurnished house owned by the company of the annual municipal valuation of Rs 12,000 Besides, the company has also incurred the following expenses on the house and establishment :

i. Repairs—Rs. 25,000.

ii. Pay of cook and bearer—Rs. 3,000.

iii. Pay of mali—1,200.

iv. Garden expenses—Rs 2,100.

Compute total income of the assessee giving brief reasons for the inclusion or omission of different items. Also indicate the items and the extent of rebate due to the assessee. He owns a car.

(14) Bishan Singh sold on 30th June, 1974, a painting for Rs. 35,000 which had been purchased for Rs. 30,000 on August 24, 1973. He also sold National Defence Gold Bonds on 10th August, 1974 at a profit of Rs. 1,000, these had been purchased on 15th October, 1973. Shares purchased on 10th July, 1968 resulted in a loss of Rs. 4,000 on sale on 3rd May, 1974. Out of the three house properties purchased on 5-1-1965, 10-2-1966 and 10-3-1967 worth Rs. 30,000; 20,000 and Rs. 10,000 respectively, he contracted to sell the last house for Rs. 22,000 and accepted Rs. 2,000 earnest money therefor on that date. The balance money of Rs. 20,000 was paid on 1-2-1974 but the registration of the conveyance deed was done and possession taken on 3-5-1974. The cost of registration of Rs. 1,000 was shared by both parties equally.

For the assessment year 1974-75 loss of Rs. 2,000 due to a sale on 5-6-1973 of shares purchased on 3-8-1972 and another loss of Rs. 1,000 on a sale of a plot of land on 25-6-1973 (purchased on 21-1-1967) could not be set off.

The business income of Bishan Singh during the previous year relevant to the assessment year 1975-76 is Rs. 50,000.

Compute total income of Bishan Singh for the assessment year 1975-76.

(15) Compute total income of Mrs. Sharmila who has furnished following particulars for the assessment year 1975-76.

				Rs.
1. Income from salary duly computed				12,000
2. Income from property-rent received:				
Property B			Rs. 6,000	
Property C			7,200	
			13,200	
Less Municipal taxes :—				
Property A	600			
,, B	1,200			
,, C	1,400	3,200		
Repairs to property :—				
Property A	400			
,, C	300	700		
Interest on mortgage of property B		1,200		

Fire insurance premium—				
Property A	100			
" B	150			
" C	200	450		
Collection charges for all properties		2,400	7,950	5,250
				17,250

Notes

1. The assessee has settled in Bombay for the purpose of her employment where she resides in a rented house.
2. All the three properties are situated at Calcutta. Property A is retained for self-occupation. Properties B and C were let out.
3. The anuual value of properties A, B & C are Rs. 3,000; Rs. 6,000 and Rs. 7,200 respectively.
4. The assessee was on leave for 3 months during the previous year 1974-75. During that period she resided in the property A. No other benefit was derived from the property.
5. Rs. 20,000 raised on mortgage of property B were utilised in the purchase of agricultural land.
6. She has paid Rs. 3,000 as premium on her life policy of Rs. 25,000.
7. Mrs. Sharmila donates Rs. 1.500 to the National Defence Fund set up by the Central Government.

(16) A, who is a resident, files return of his income for the previous year ending 31st March, 1975. Particulars of his income etc. are as under :--

i) Income from salary Rs. 2,000/- p.m.

ii) The employer provided him a 20 h.p. car for his use, bearing all expenses, the car was used both for official and personal purposes.

iii) The employer has provided him a rent-free furnished residence, the annual value of which was Rs. 15,000/-, cost of furniture being Rs. 10,000.

iv) During the year, he went on two months leave on full pay to New York University to deliver lectures and received Rs. 10,000.

v) He had income from Tea gardens as under :—
   a) In Assam one-third share in an unregistered firm. Firm's total income being Rs. 30,000.
   b) In Ceylon Rs 3,000.

vi) Income from Dividends on units of the Unit Trust of India Rs. 2,500.

vii) Income from dividends of Co-operative Societies Rs. 1,600.

viii) A is a member of a recognised provident fund and contributes 10% of his pay to this fund while his employer contributes 12%. During the year, interest of Rs. 1,750/- at 7% rate has been credited in the account.

ix) He donated Rs. 6,000/- to recognised charitable institutions

x) He is insured for Rs. 25,000/- on which he paid annual premium Rs. 3,000/-.

xi) He got his father (who is getting Rs. 150/- p.m. as pension) admitted into a hospital for 12 months for mental treatment and spent Rs. 3,000/- on it.

You have to compute A's total income for the assessment year 1975-76.

(17) A is a professor in Delhi College getting a salary of Rs. 800 per month plus 17½% on account of dearness allowance. He contributes 6¼% of his salary to the provident fund to which the college contributes an equal amount. He is also a hostel warden and is provided with rent-free quarters, the annual rental value of which is Rs. 600. He owns a bungalow which he has let out for Rs. 200 per month and upon which he pays municipal taxes amounting to Rs. 60 per annum. During the year ended 31st March, 1975 he received the following incomes :—

3½% interest on Rs. 18,000 Government securities,

5% dividend on shares of Rs. 15,000 in the Jai Hind Chemicals Ltd.
5% dividend (free of tax) on Rs. 20,000 in shares of the Mining Syndicate Ltd.
6% interest on Municipal debentures of Rs. 15,000.
Rs. 200 as interest on Post Office Savings Bank deposit.
Rs. 350 interest on fixed deposit in the Bank of Jaipur.

Rs. 2,800 being one-third share of profits in an unregistered firm the profits of which have already been taxed.The asssesee claims a deduction of Rs. 300 on account of the expenses and depreciation of the car he has used for the business of the firm.

He has insured his wife for Rs. 25,000 and paid Rs. 1,250 by way of premium on her life policies during the year ended 31st March 1975.

You are required to ascertain his (a) Gross Total Income and (b) Total Income.

(18) Dr. Radhey Mohan a professor in a Medical College is getting a salary of Rs. 1,200 per month with dearness allowance of Rs. 150, and a non-practising allowance of Rs 300 per month. During the previous year ended on 31st March 1975, he contributed one month's salary to provident fund to which the provident Fund Act 1925, applies the college also contributing the same amount The amount of interest credited to his provident fund account for the year was Rs. 6,000 @ 6% per annum.

On April 1, 1974, he sold for Rs. 32,000 his ancestral house in which he was residing. The original cost of this house is not known but its fair market value as on 1st January 1954, was Rs. 15,000. The annual value of a house which he purchased for Rs. 40,000 on 1st July 1974, for his residence is Rs.6,000 as per municipal records. The municipal taxes of this house are Rs 600 per annum which are duly paid.

In September, 1974, Dr. Radhey Mohan received Rs. 2,000 as interest on his Rs. 50,000 4% Government Securities and Rs 1,500 as examiner's remuneration from another University.

During the previous year ended 31st, March 1975 he paid Rs. 1,500 as premium on a policy on the life of his unmarried daughter.

You are required to compute his total income for the assessment year 1975-76.

[Kerala M. Com. 1969]

(19) An Indian national doing business in Nepal since 1953 spends four months in India every year except that in the years 1966 and 1969 when he did not come to India at all. The business in Nepal is controlled in that country. The assessee has got a bank account in India in which he deposits every year a fixed sum of Rs. 10,000 brought by him to this country out of his business profits in Nepal. He has got another business in India which is looked after by his son. He maintains the calendar year as his previous year for both the businesses. The particulars of his income for the year ended December 31, 1974, were as follows :

		Rs.
(a)	Profit of the business in Nepal	50,000
(b)	i) Profits in the Indian business before depreciation	25,000
	ii) Depreciation allowance for the Indian business	40,000
(c)	Income from a house property in Nepal	6,000
(d)	Income from a house property in India	18,000
(e)	He sold in India during the year certain shares purchased by him for investment purposes in 1972 at a cost of Rs. 40,000. The sale proceeds were Rs. 35,000.	

On the basis of the data furnished determine the residential status of the assessee and compute his total income. Reasons must be given wherever necessary.

(C.A. Final, November 1971)

(20) A Muslim family consists of A and his sons B, C and D. They all carry on business jointly sharing profits equally. They also own house property in which they have equal shares.

In whose hands and in what status are the income from business and property assessable.

(C. A. Final May, 1961)

(21) in the partition of H. U. F the assessee received certain shares in a private company and with these shares as nucleous, he acquired house properties shares and deposits. His first son was born on 11-12-73. For the accounting year 1973-74 the assessee claimed that the income of these assets should be assessed in the hands of the H. U. F. consisting of himself and his son which he claimed had come into existence in or about March 1973 when the son was conceived. The I.T.O. recognised family only from Dec. 11, 1973 and assessed his income till Dec. 11,1973 in the hands of the assessee as an individual. Please give your own observation.

(22) An H.U.F. carrying on business in gold, silver, money lending, brokerage and share dealings showed the following particulars in a statement as an enclosure to the return filed for the assessment year 1975-76—

	Rs.		Rs.
Loss in silver	1,00,000	Profit in gold	1,00,000
Loss on sale of securities	20,000	Profit in sovereign	25,000
Loss in share dealing		Profit from brokerage	50,000
(total deficit)	50,000	Interest & Commission	1,50,000
Law charges	30,000	Interest on securities & dividends	50,000
Bad debts	50,000		
Establishment & contingencies	20,000		
Net profit	1,05,000		
	3,75,000		3,75,000

The examination of the books of accounts disclosed the following facts :—

a. Silver account was found debited with loss in hedging contract of Rs. 1,00,000 and loss in speculation of silver of Rs. 50,000.

b. Law charges included expenses of Rs. 10,000 incurred in a criminal case connected with alleged purchase of smuggled gold.

c. Bad debts included loss of cash of Rs. 10,000 by theft from Tijuri (Iron safe) of the business premises and Rs. 20,000 as an irrecoverable loan given without interest to his brother-in-law whose business failed.

d. Establishment expenses included salary of Rs. 3,000 paid to the "Karta" and Rs. 1,000 for purchase of a motor cycle claimed to enable the son of Karta to attend office.

You are required to frame an assessment order giving reasons in support of allowing or disallowing the items of losses claimed and determine the total income.

(23) M/s Rajeshwardayal & Sons is a Hindu Undivided Family of which Shri Raja is the Karta. The family consists of the Karta and his three brothers as coparceners. The family and the coparceners had the following income for the year ended 31-3-1975.

	Rs.
1. Salary of Shri Ramlal a coparcener in the capacity of Manager of Dunlop Rubber Co. Ltd.	18,000
2. Interest on securities :	
i. In the name of Shri Ramlal (Investments made out of salary)	4,200
ii. In the name of all the coparceners (Investments made out of family fund)	2,900
3. Property income :	
i. Ancestral house—net A. L. V.	12,000
ii. In the name of Shri Raja— bought in 1954 out of family funds—net A. L. V.	7,200
4. Business :	
i. Family business income	35,000
ii. Half share of income in a firm in which Raja is a partner in a representative capacity	3,600

iii. Income of profession as a lawyer of a coparcener Shri Krishnalal 9,600

5. Dividends from shares :
   In the name of Mr. Raja bought out of family funds—gross 3,000
   In the name of Mr. Raja bought out of her stridhan 1,200

Compute total income of the family. [*C. A. Final November 1964*]

(24) Calculate depreciation allowance and development rebate and prepare depreciation record from the following data :

Assessment Year 1975-76 (Accounting year ending 31-3-1975)

	W.D.V. as on 1-4-74 Rs.	Rate of Dep.
Building (non-factory 2nd class)	75,000	5%
Building (Factory 2nd class)	1,25,000	10%
Machinery (Initial depreciation allowed in the past Rs. 28,000) scrapped during the year	30,000	10%
Furniture	10,000	10%
Truck	3,000	30%

Additions during the year :

Machinery (new)	1,00,000 on 1-2-74
Furniture	20,000 on 1-8-73
Truck (new)	25,000 on 1-12-73

(25) The following particulars of Plant and Machinery are furnished by a limited company relating to its accounting year ending 31st March, 1975.

	Rs.
W. D. V. on 1st April, 1974	5,00,000
Additions (new and installed on 15-6-1974)	80,000
Additions (Second-hand and installed on 30-6-1974)	20,000

Sale : An item of machinery which was in full use till 1st October, 1974 was sold on that date for Rs. 10,000. The W.D.V. b/f for this item was Rs. 5,400 (at the usual rate of depreciation of 10 percent) on 1st April, 1974 and an initial depreciation of Rs. 1,600 (at 20 per cent of the original cost) had been allowed for it.

You are required to calculate :

a. the total depreciation due and W. D. V to be c/f.
b. the profit or loss u/s 41 (2) of the I. T. Act, 1961, and
c. capital gains, if any.

(26) How do you treat the following in any business ?

1. Donations to recognised political parties.
2. Salary of notice period to an employee whose services were terminated because he became surplus.
3. Reconditioning charges of an old machine purchased.
4. Bad debts on account of loan advanced to the customers as a matter of business expediency.
5. Income from smuggling goods to Nepal Rs.82,000 and expenditure incurred (i) Goods forfeited by the customs Rs. 18,000 (ii) Cash penalty paid Rs. 15,000 and (iii) illegal gratification to border police Rs. 21,000.
6. Managing Director, though entitled to commission of Rs. 3,50,000 accepts only Rs. 1,50,000.
7. An H.U.F. borrowed Rs. 10,00,000 for business and paid interest thereon amounting to Rs. 1,20,000. The withdrawals during the year amount to Rs. 2,00,000. The I.T.O. proposes to reduce the allowable interest proportionately as in his opinion the whole of Rs. 10,00,000 were not spent in the business.
8. Wealth tax on the business assets paid.
9. *Ex-gratia* payment to an employee.

(27) The audited accounts of a company for the calendar year 1974 relevant to the assessment year 1975-76 show a net profit of Rs. 1,35,000. The accounts on examination show that:—

i. Out of preliminary expenses incurred in the year 1966, Rs. 10,000 has been written off to the debit of Profit and Loss Account.

ii. The company had another business as commission agents which was closed in 1973 as a result of difference with the principals who terminated the commission agency agreement. A suit filed by the principals was pending and during the year 1974 it was decided as a result of which the company had to pay Rs 5,000 which is debited to Profit and Loss a/c.

iii. A director of the company went abroad during 1974 to find new customers for the company. Since he returned in late December 1974 the orders for supply secured by him could be executed only in 1975. Rs. 15,000 is debited to the Profit and Loss account on account of travelling and other expenses in connection with his tour abroad.

iv. An amount of Rs. 6,000 stands credited to the Profit and Loss Account for rent from a property, the construction of which was started in June, 1973 and which was let out from 1st July 1974. The ground rent for this property is Rs. 300 and fire insurance premia paid is Rs. 100 and both of them are debited separately to the Profit and Loss Account.

Assuming that apart from the above points there are none others to merit consideration for adjustments, determine total income of the company for the assessment year 1975-76.

(28) The following is the P & L A/c of the Deccan Sugar Mills Ltd., for the year ended 31-12-74 :

	Rs.		Rs.
To Manufacturing expenses	6,85,295	By Sale of Sugar & molasses	11,61,300
" Excise duty	1,07,500	" Rent from agricultural lands	950
" Salary & wages	1,20,495	" Revenue from fisheries	3,700
" Establishment charges	50,150	" Sale proceeds of cane	6,07,055
" General charges	13,750	" Transfer fees	300
" Director's fees	1,750	" Profit on sale of motor truck	1,230
" Interest on debentures	25,000		
" Managing Agent's remuneration	41,000		
" Depreciation	69,000		
" Cultivation expenses	4,57,500		
" Taxation reserve	25,000		
" Net Profit	1,78,095		
	17,74,535		17,74,535

Compute total income of the company for the assessment year 1975-76 after taking the following into consideration.

i. Sale proceeds of cane include Rs. 5,12,000 on account of cane produced and consumed in the factory and debited to manufacturing expenses, the average market price of such cane being Rs. 5,75,000.

ii. The motor truck sold during the year for Rs 3,230 was purchased in the past for Rs. 17,000 the depreciation claimed in respect thereof in the past assessments being Rs. 15,000 including initial depreciation.

iii. General charges include (a) Rs 750 legal expenses incurred in defending a suit regarding the company's title to certain agricultural lands, and (b) Rs. 9,000 paid to a director for a trip to Hawali to study modern methods on confectionery manufacture.

Depreciation in respect of all assets has been agreed at Rs. 75,000.

(29) The business income of an assessee worked out at Rs. 1,75,000 including short term capital gain of Rs. 5,000 for the assessment year 1975-76, before making adjustments of depreciation or development rebate for the year. Determine the

total income for the assessment year 1975-76 taking into consideration the following facts, indicating precisely as to what amounts will be carried forward :—

		Rs.
i)	Depreciation for the assessment year 1975-76	30,000
ii)	Development rebate for the assessment year 1975-76	45,550
iii)	Speculation loss brought forward from the assessment year 1972-73	27,500
iv)	Capital loss incurred in the assessment year 75-76	10,000
v)	Unabsorbed depreciation brought forward from the assessment year 1966-67	30,000
vi)	Business loss brought forward from the same business from the assessment year 1966-67	50,000
vii)	Unabsorbed Development Rebate brought forward from the assessment year 1974-75	20,000

(30) The particulars for the purpose of assessing the income of Lakdawala Co. Ltd. for the assessment year 1972-73 and 1973-74 are given as follows :—

	Assessment year 1972-73 Rs.	Assessment year 1973-74 Rs.
Interest on Securities	+12,000	+12,000
Income from House property (computed)	+15,000	+15,000
a. Textile manufacturing :		
Trading profit or loss before dep. or dev. rebate	−1,00,000	+2,00,000
Depreciation	60,000	75,000
Development Rebate	25,000	20,000
b. Hosiery Manufacturing :		
Trading profit or loss before depreciation	—50,000	+75,000
Depreciation	20,000	18,000
c. Agency Business	—15,000	not carried on
Income from other sources	—5,000	+25,000

Assuming that there is no loss nor depreciation or development rebate, brought forward from any assessment year earlier than the assessment year 1972-73, compute the net assessable result for each of the two assessment years 1972-73 and 1973-74 indicating your reasons for treatment of any particular item in a particular year.

(adapted from C. A. Final Nov. 1968)

(31) A, B and C are partners in a registered firm sharing profits and losses in the ratio of 3 : 2 : 1 respectively. For the assessment year 1975-76 the account books of the firm showed a net profit of Rs. 78,300 after making the following adjustments :—

i) Payment of interest of Rs. 5,000 to A.

ii) Payment of rent of Rs. 9,000 to B for the business premises of the firm owned by B.

iii) Salary of Rs. 10,000 paid to C.

iv) Credit of Rs. 2,000 in interest received account charged to C on his debit balance.

v) Commission paid to B amounted to Rs. 3,000.

vi) Payment of Rs. 6,000 to National Defence Fund.

Compute total income of the firm and allocate it among the three partners.

(32) The total income for the assessment year 1975-76 of a partnership firm ABC in which A, B and C are equal partners is a loss of Rs. 10,000 arrived at after disallowance of the following items:

i)	Salary to A	15,000
ii)	Salary to C	5,000
iii)	Interest to A	12,000
iv)	Interest to B	3,000

The firm is not granted registration. A has a separate business from which the income for the assessment year 1975-76 is Rs 18,000 He has also a house property used by him for his own residence, the annual value whereof is Rs. 5,000. The only expenses in respect of this house during the year were interest of Rs 1,200 on a loan taken for its construction. Compute A's total income for the year 1975-1976 indicating whether the share of income or loss allocated to him from the unregistered firm shall be included in his total income and charged to tax.

(C. A. Final, May 1972)

(33) A registered firm has three partners, Kamal, Vimal and Kranti who share profits and losses in the proportions of 2, 2 and 1 respectively. Kamal retired on September 30, 1974 and D (who was previously a salaried assistant in the firm on Rs. 300 a month) was admitted as a partner on that date, the share of Vimal, Kranti and D being 4, 3 and 3 respectively. Vimal, Kranti and D further agree not to allow or charge any interest on current accounts. The Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1975 is as follows—

	Rs
Income—	
Sales	1,50,000
Stock on 31-3-1975	15,000
Interest on Kranti's Current Account	320
Expenditure—	
Stock on 1-4-1974	20,000
Purchases	80,000
Salaries	12,000
Rent	6,000
General Expenses	1,700
Subscription : Business	60
Charitable	80
Interest on current account-Kamal	560
Interest on current account-Vimal	440

All the partners were actively engaged in the conduct of the business of the firm. The other taxable income of the partners was as follows—

Kamal-Dividends (gross)	5,760
Vimal-Interest on bank deposit	500
Kranti	Nil
D. Salary as assistant in the firm	1,800

Show how the assessment would be made for the year 1975-76 if the taxable profits of the business are attributed equally to the two halves of the year.

(34) Ram Dayal and Deen Dayal are partners in an unregistered firm sharing profits and losses in proportions of 2 : 1 respectively. Their Profit and Loss account for the year ended 31st December, 1974 is as follows—

		Rs.		Rs.
To Sundry expenses		22,800	By Gross profit	55,600
,, Charity		570	,, Commission received	620
,, Reserve for bad debts		1,420		
,, Legal charges		860		
,, Interest on capital				
Ram Dayal	1,280			
Deen Dayal	760	2,040		
,, Profit				
Ram Dayal	19,020			
Deen Dayal	9,510	28,530		
		56,220		56,220

Sundry expenses include salary paid to Ram Dayal Rs. 1,800 and to Deen Dayal Rs. 1,200. It also includes Rs. 1,500 in respect of rent of residential house of the two partners. The house is shared by the two partners equally under the terms of agreement Legal charges were incurred in recovering the amount due from customers. Depreciation of plant and machinery allowable is Rs. 3,340 and interest on a loan amounting to Rs. 1,060 has accrued but has neither been paid nor provided for in the Profit and Loss Account.

Other taxable income of the two partners are given below—

	Ram Dayal Rs.	Deen Dayal Rs.
Interest on securities	400	2,100
Income from property	600	—
Foreign income of which only Rs. 2,000 is remitted	—	7,700
Interest on Post Office Saving Bank Account	27	—
	1,027	9,800

You are required to calculate income of the firm and to prepare assessment of the two partners.

(35) The following is the Profit and Loss Account of Sardar De Hatti a registered firm with A, B and C as partners. According to the terms of partnership, partners are entitled to get interest on capital investment in the business. Partners working in the business are entitled to salary and the partner who owns business premises is entitled to rent.

		Rs.		Rs.
Rent		5,000	Gross profit	1,41,550
Water and electricity		800	Dividends	450
Salaries		16,000	Capital gains on the sale of investments	8,000
Interest		4,000		
Depreciation on furniture @ 10% on Rs. 10,000		1,000		
Travelling expenses of B for going abroad for business of the firm		6,000		
Subscription to trade association of which the firm is a member		500		
Subscription to Gandhi Memorial Fund		1,200		
Goodwill written off		7,500		
Net Profit—				
A ½ share	54,000			
B ¼ share	27,000			
C ¼ share	27,000	1,08,000		
		1,50,000		1,50,000

Rent includes Rs. 1,200 for rent of business premises paid to partner A. Salaries include Rs. 3,000 paid to B and Rs. 2,400 paid to C. Interest includes Rs 1,000 paid to A and Rs. 500 paid to B. Written down value of furniture completed according to the Income-tax Act is Rs. 8,000 and the rate admissible is 10%. Travelling expenses include Rs. 1,500 for boarding expenses of B while on tour.

Compute total income of (a) the firm, and (b) the partners. Mention also what allowance or abatement are admissible in each case.

(36) A, B and C are partners in a registered firm sharing profits and losses in the proportions of 2 : 2 : 1 respectively. Profit and Loss Account for the year ending 31st December, 1974 is as follows—

	Rs.		Rs.
Salaries and wages	16,000	Gross Profit	50,700
Marketing charges	175	Profit on sale of motor car	800
Advertisement	325	Profit on sale of investments	400

General charges		11,700	
Legal expenses		2,500	
Travelling expenses		1,400	
Interest on bank loan		150	
Discount		75	
Reserve for bad debts		125	
Bad debts written off		80	
Payment to retiring partner		1,000	
Interest on capital—	Rs.		
A	300		
B	400		
C	800	1,500	
Net profit		16,870	
		51,900	51,900

The following matters are to be taken into consideration in computing the total income of the firm and in allocating it amongst the partners :—

1. Salaries and wages include partnership salary of Rs. 500 per month to B.
2. General charges include a sum of Rs. 3,000 paid to save business reputation.
3. Legal charges include a sum of Rs. 900 spent in defending a suit in connection with assessee's smuggling of cloth to Pakistan. It also includes a sum of Rs. 600 incurred in connection with a suit brought by the firm to retain the use of its trade mark.
4. Motor car was used wholly for business purposes. At the time of sale the written down value of the car was Rs. 5,000 while it was sold for Rs. 5,800.

(37) A firm of wholesale cloth merchants has the following Hindu partners sharing profits in the proportions indicated—

A 25%
B (aged 25 years and son of ex-partner P who is alive)—15%
C (widow of ex-partner Q)—15%
D (widow of ex-partner R)—15%
E (minor brother of B)—10%
F (minor son of C)—10%
G (minor unmarried daughter of C)—5%
H (minor son of D)—5%
E, F, G and H have been admitted to the benefits of partnership.

It is ascertained that (i) the capital accounts of B and E were opened by dividing into two equal halves the balance to the credit of their father P who had been partner in his individual capacity and not as Karta of the family consisting of himself, B and E, (ii) had effected a partition between himself, C and F during his life time and (iii) D and H (whose capital in the firm was left by R) continue to be members of a joint Hindu family.

The firm's profits for the calendar year 1974 amounted to Rs. 21,000 after debiting the following amounts—

	Interest	Salary	Rent
A	2,300	1,800	—
B	1,150	1,200	—
C	600	—	500
D	750	—	400
E	900	—	—
F	650	—	500
G	400	—	—
H	1,250	—	400

You are required to calculate the total income of the firm for the assessment year 1975-76 and the share income of each partner. If the share income of any partner is to be included in any one else's total income, give details thereof with reasons.

(38) A, B and C are partners in a registered firm who carry on cloth business at Delhi. They share profits and losses in the following proportion—

A	30%
B (wife of A)	20%
C (A's minor son)	25%
D (brother of B)	25%

D looks after firm's business at Karachi and was at Karachi throughout the previous year.

The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31st December, 1974 was as follows—

	Rs.		Rs.
General expenses	30,000	Gross Profit	1,50,000
Salary to A	12,000	Dividends (Gross)	20,000
Shop Rent to D	6,000	Profit on sale of Machinery	40,000
Donation to hospital	20,000		
Sales-tax	20,000		
Income-tax	22,000		
Loss on cloth speculation	20,000		
Net profit	80,000		
	2,10,000		2,10,000

Additional information is as follows :—

i. Machinery which was sold this year was purchased in 1966 for Rs. 3,00,000 and on the date of sale, its written down value was Rs. 2,40,000 and its sale price was Rs. 2,80,000.

ii. A's other incomes were as follows—rent of house property Rs. 1,000 per month, this house was constructed in 1973. Speculation gain in grain Rs. 10,000.

Other partners had no other income except that from the firm.

Find out the total income of the firm, individual share of income of each partner and the amount of tax payable by the firm for assessment year 1975-76.

State how the assessment will be made for incomes of pertners.

SOLUTIONS

(1)

		Rs.
a. Rs. 30,000 5% Municipal Debentures		1,500
b. Rs. 20,000 4½% Port Trust Bonds		900
c. Rs. 10,000 4% Bombay Development loan		400
d. Rs. 32,000 3½% Govt. of India Loan (Tax-free)		1,120
e. Rs. 32,000 5% Tax-free Debentures (Grossed-up)		2,078
f. Rs. 16,000 6% Debentures of a Sugar Mill Co.		960
g. Rs. 40,000 5% U. P. Govt. Loan for 6 months only		1,000
		7,958
Less i. Interest on bank loan of Rs. 30,000 @ 6% for 7 months	Rs. 1,050	
ii. Bank commission @ 2% on Rs. 7,958	159	1,209
Taxable interest on securities		6,749

Notes

1. Commission on purchase of securities is not allowable.
2. Rebate of income-tax on Rs. 1,120 being interest on tax-free Govt. securities will be allowed at average rate or 27½% whichever is less.
3. Grossing up of interest on tax tax-free debentures :

$$\frac{1,600 \times 100}{77} = 2,078$$

(2)

		Rs.
Rent realised		90,000
Add Tax paid by the tenant		10,000
Gross rent		1,00,000
Deduct—Value of tenant's amenities provided by the landlord :—		
i. Water charges	1,000	
ii. Lift maintenance	1,000	
iii. Salary of gardener	1,200	
iv. Lighting of stairs	800	
v. Municipal taxes	10,000	14,000
Annual Value		86,000
Less Admissible deductions :—		
i. 1/6 for repairs	14,333	
ii. Land revenue	1,000	
iii. Collection charges	2,000	17,333
Taxable income from property		68,667

(3) *House Let Out* :

	Rs.
Municipal value	3,000
Less Municipal taxes	300
Annual value	2,700

Less Allowed deductions :		
i. 1/6 for repairs	450	
ii. Land revenue	125	
iii. Interest on loan	100	
iv. Fire insurance premium	200	
v. Collection charges	45	
vi. Vacancy allowance	675	1,595
Taxable income from the house let		1,105

House occupied :			
Municipal value		2,500	
Less Municipal taxes		250	
		2,250	
Less Statutory allowance		1,125	
		1,125	
Annual value being restricted to 10% of total other incomes i. e., of Rs. 6,000+1,105=Rs. 7,105 (10% of Rs. 7,105)		711	
Less Allowed deductions :—			
i. 1/6th for repairs	118		
ii. Land Revenue	100		
iii. Interest on loan	200		
iv. Fire Insurance Premium	150	568	
Taxable income from the house occupied			143
Income from house property			1,248

Statement of Gross Total Income

1. Income from house property	Rs. 1,248
2. Income from other sources	6,000
Gross Total Income	7,248

(4)

Salary for ten months @ Rs. 2,000 p.m. (1-4-74 to 31-1-75)		20,000
4 months salary given as reward for past services		8,000
Value of rent-free accommodation 10% of Rs. 24,000		2,400
Gratuity	25,000	
Less exempted amount	15,938	9,062
Gross Salary		39,462
Less Incidental expenses		3,500
Net salary taken to be Total Income		35,962

Note

1. The word 'year' whenever it occurs in section 10 (10) of the Income-tax Act (except where it is used therein for the first time in the expression year of completed service) should be construed to mean each calendar year and not every period of 12 months reckoned from the date of the employee's joining service with the employer. Thus the expression "three years" in that sub-section refers to three calendar

years immediately preceding the calendar year "in which the gratuity is paid to the employee". In the light of this extract taken from the C.B.D. T's circular No. 4-P (L. VIII-22) of 1964 the average salary has been computed as follows :—

Salary drawn in 1974		
For 3 months @ Rs. 1,900 p.m.	5,700	
For 9 months @ 2,000 p.m.	18,000	23,700
Salary drawn in 1973		
For 3 months @ Rs. 1,800	5,400	
For 9 months @ Rs. 1,900	17,100	22,500
Salary drawn in 1972		
For 3 months @ Rs. 1,700 p.m.	5,100	
For 9 months @ Rs. 1,800 p.m.	16,200	21,300
Total salary drawn in 36 months		67,500
Average salary per month		1,875

Computation of exempted gratuity :—

20 months' salary @ Rs. 1,875 p. m.	37,500
8½ months' salary @ Rs. 1,875 p. m.	15,938
Maximum Amount	30,000
Actual gratuity received	25,000

Whichever is less, that is, Rs. 15,398 is exempted.

2. The benefit of rent-free accommodation for the months of April and May, 1975 will be taxable in the assessment year 1976-77.

(5) Accommodation used by the assessee for his own business is not covered by section 22 and, therefore the first four units are to be ignored for computing 'income from house property.' Similarly the residential quarters let out to its employees by the assessee will be outside the scope of section 22 if the letting out is incidental to business and is for running the business effectively. In this case the manager's staying in the same premises will definitely bring about better results. Income from this unit will, therefore, be not considered under the head 'Income from house property'.

The remaining three units will be valued as below :		Rs.
Rental value of the three units (Rs. 300 × 3 × 12)		10,800
Less Municipal taxes		3,600
		7,200
Deduction for newly constructed house for the unit let out for residential purposes		1,200
Annual Value		6,000
Less Deduction :—		
Repairs 1/6	1,000	
Interest on loan	3,000	
Fire insurance premium	600	4,600
Taxable income from house property		1,400

Interest on loan and fire insurance premium have been reduced proportionately for three units.

		Rs.	Rs.
(6)	Income from house property	12,000	
	Less 1/6th for repairs	2,000	10,000

2. Income from business (including Rs. 15,000 compensation)			30,000
3. Capital Gains			
(i) Short term		7,000	
(ii) Long-term—Sale of ancestral house	20,000		
Sale of shares	5,000	25,000	32,000
4. Income from other sources—dividends			10,000
Gross Total Income			82,000
Deductions :			
a. u/s 80 C : First Rs. 2,000	2,000		
50% of Rs. 3,000	1,500		
40% of Rs. 10,000	4,000	7,500	
b. u/s 80 L : Dividends		3,000	
c. u/s 80 S : 25% of compensation		3,750	
d. u/s 80 T : Capital gains—			
Initial deduction	5,000		
25% of Rs. 15,000	3,750		
40% of Rs. 5,000	2,000	10,750	25,000
Total Income			57,000

(7) 1. Income from salary :

		Rs.	Rs.
(a) Basic salary @ Rs. 1,000 p.m.		12,000	
(b) Dearness Allowance @ 17½%		2,100	
(c) Value of rent free quarters		1,000	
Gross Salary		15,100	
Less Incidental expenses :			
20% of Rs. 10,000	2,000		
10% of Rs. 5,100	510	2,510	12,590
2. Interest on securities :			
(a) 3½% on Rs. 18,000 Govt. securities		630	
(b) 6% on Rs. 15,000 Debentures		900	1,530
3. Income from house property :			
Rental value of the bungalow let out @ Rs. 200 p. m.		2,400	
Less Municipal taxes		300	
Annual Value		2,100	
Less 1/6th for repairs		350	1,750
4. Profits and gains of business :			
⅓rd share of profits from unregistered firm			1,500
5. Income from other sources :			
(a) 5% dividend on Rs. 15,000 shares		750	
(b) dividend (free of tax) on shares of Rs. 20,000			
Grossed up amount $\frac{1{,}000 \times 100}{77}$		1,299	

(c) Income from units of UTI		350	2,399
Gross Total Income			19,769
Deductions :			
(a) U/s 80 C : First Rs. 2,000	2,000		
50% Rs. 210	105		
		2,105	
(b) u/s 80 L : Interest etc. (630+750+1,299)		2,679	
U.T.I.		350	5,134
Total Income			14,635

Notes

1. Qualifying amount includes A's provident fund contribution Rs. 960 and life insurance premium Rs. 1,250.
2. 1/3rd share from an unregistered firm is not available for rebate of income-tax as total income of the firm would be Rs. 4,500 being less than the taxable limit.
3. Deduction u/s 80 L is not available in respect of interest on debentures unless it is notified in the Official Gazette by the Government.

(8)

1. *Salary* (15,972+2,000+3,000+528)		21,500	
Employer's contribution to P. F. in excess over 10% of salary (3,000—2,150)		850	
Interest credited to P. F. account in excess over 6% in rate		500	
Gross Salary		22,850	
Less Incidental expenses :			
20% of Rs. 10,000	2,000		
10% of Rs. 12,850	1,285	3,285	
			19,565
2. Interest on Government securities	$\frac{2,310 \times 100}{77}$	3,000	
Govt. Bonds		2,300	5,300
3. Income from other sources :			
Interest on fixed deposits		4,000	
Dividends		600	
Pension as freedom fighter		2,400	7,000
Gross total income			31,865
Deductions under section			
a. 80 C : First Rs. 2,000	2,000		
50% of Rs. 3,000	1,500		
40% of Rs. 500	200	3,700	
b. 80 G : 55% of Rs. 1,000		550	
c. 80 L : Dividend etc.		3,000	7,250
Total Income			24,615

Qualifying amount :

Own contribution to provident fund	3,000
Life Insurance Premium (restricted to 10% of the sum assured)	2,500
	5,500

Notes

Pension in this case is taxable as it arises from a definite source. It is, however not salary as there is no relationship of the employer and employee which may give rise to this income.

(9)

		Rs.	
Salary			
Salary—basic		36,000	
Grant for education		4,000	
Entertainment allowance		10,000	
Valuation of free use of a car (300+150)		5,400	
Gross Salary		55,400	
Less Incidental exp.	1,000		
Entertainment allow.	7,200	8,200	47,200
Income from other sources :			
Director's fees	3,000		
Income from agricultural land in Ceylon	1,200		4,200
Gross Total income			51,400
Deduction under section 80 C :			
First Rs. 2,000	2,000		
50% of Rs. 3,000	1,500		
40% of Rs. 8,600	3,440		6,940
Total Income			44,460

Qualifying amount

Contribution to Recognised Provident Fund	3,600
Life insurance premium	10,000
	13,600

Note

It is assumed that the car provided by the employer is used partly for official and partly for private purposes. Further assumption is that the provision of chauffeur is there with the car. As a result the addition is at the rate of Rs. 450 which is made of Rs. 300 and Rs. 150.

(10) 1. Income from Salary

			Rs.
a. Salary at Rs. 3,000 p. m.			36,000
b. Entertainment allowance	6,000		
Less allowed u/s 16 (ii) Rs. 400 p.m.	4,800		1,200
c. Value of rent-free furnished house			
10% of salary (36,000+1,200)		3,720	
excess of rental value (10,800) over 20% of salary (7,440)		3,360	
15% of the cost of furniture		1,500	8,580

d. Dodge car (400+150)				6,600
e. Employer's contribution to RPF over 10% of salary (6,000—3,600)				2,400
Gross Salary				54,780
Less Incidental expenses				1,000
Taxable salary				53,780
2. Income from House Property :				
Rental value @ Rs. 1,000 p.m.			12,000	
Less Municipal Taxes			900	
Annual Value			11,100	
Less 1/6th for repairs			1,850	9;250
3. Income from other sources : Gross dividends				8,000
Gross Total Income				71,030
i. Deduction under section 80 C:				
First	Rs. 2,000	2,000		
50% of	Rs. 3,000	1,500		
40% of	Rs. 7,000	2,800	6,300	
ii. Deduction u/s 80 L : Dividends etc.			3,000	
				9,300
Total Income				61,730

Qualifying Amount :

i. Employee's Contribution to P.F.	6,000
ii. Life Insurance premia	6,000
	12,000

Notes

1. In calculating the value of rent free furnished house, salary includes excess of entertainment allowance over exempted limit.

2. The deductible amount of entertainment allowance is worked out as under :
   i) Rs. 400 p. m. i. e., Rs. 4,8`0
   ii) Rs. 500 p.m. i. e. Rs. 6,000
   iii) 1/5th of salary i. e. 7,200
   iv) Rs. 7,500 whichever is the least i. e., Rs, 4,800.
3. It is obvious that the car is of more than 16 H. P. rating.

(11)

		Rs.
1. Income from house property		30,000
2. Professional income		50,000
3. Short-term capital gains arising out of the sale of Trust investments		1,00,000
4. Income from other sources—		
Ground rent	10,000	
Dividends (Gross)	15,000	
Income from the trust in favour of Mrs. X	30,000	
Casual income exceeding Rs. 1,000	9,000	64,000

Gross Total Income	2,44,000
Deduction-Dividends etc.	3,000
Total income	2,41,000

Note

The trust is an irrevocable trust and the whole of the income is to be enjoyed by Mrs. X in her life time and therefore, the income should not be clubbed with the income of Dr. X. But in creating a trust, there is a transfer of assets without adequate consideration to the trustees and for the benefit of wife. Therefore, the income of the Trust amounting to Rs. 30,000 from the trust investment and the capital gains amounting to Rs. 1,00.000 arising out of transfer of the Trust investments shall be included in the total income of Dr. X.

(12) 1.	Remuneration from Bharat Motors			25,000	
	Less Incidental expenses :				
	20% of Rs. 10,000	2,000			
	10% of Rs. 15,000	1,500		3,500	21,500
2.	Interest on securities : 4% G. P. Notes of Rs. 1,00,000				4,000
3.	Income from House Property				
	A. Let out properties :				
	Rental Value			21,000	
	Less Municipal taxes			3,750	
				17,250	
	Less Deductions :				
	i) 1/6 for repairs		2,875		
	ii) Land revenue		496		
	iii) Ground rent		424		
	iv) Fire insurance premium		800		
	v) Rent collection & Legal charges being restricted to 6% of Annual value		1.035		
	vi) Irrecoverable rent		600	6,230	
	Income from let out properties			11,020	
	B. Self-occupied bungalow				
	Rental value		7,000		
	Municipal taxes		1,200		
			5,800		
	Deduction for self-occupation		1,800		
	Annual value		4,000		
	Less permissible deductions :—				
	a. Repairs 1/6th of A.V.	667			
	b. Insurance premium	350			
	c. Ground rent	75	1,092	2,908	13,928
	Gross total income				39,428
	Deduction u/s 80 L : Dividends etc.				3,000
	Total Income				36,428

Note

1. The deduction in respect of repairs is allowed equal to 1/6th of the annual value u/s 24 (1) irrespective of the actual amount incurred on repairs.

2. Section 24 (1) (viii) reads that any sums spent to collect the rent from property will not exceed 6% of the annual value of the property. It is to be noted that rent collection charges and legal charges for recovery of rent fall under this section.

3. It has been assumed that all conditions prescribed for the purpose of unrealised rent have been fulfilled.

4. Anuual value of self-occupied bungalow is within limits of 10% of total other incomes, i. e. 10% of (25,000+4,000+11,020)=4,002.

5. Amount paid to the income-tax practitioner is deductible only from business profits.

			Rs.	
(13)	1. Salary			
	i) Basic		30,000	
	ii) Employer's contribution to RPF exceeding 10% of salary		1,000	
	iii) Entertainment allowance		10,000	
	iv) Value of rent-free accommodation		8,800	
	v) Pay of cook and bearer		3.000	
	vii) Interest on provident fund in excess of 1/3rd of salary (12,000—10,000)		2,000	
	Gross Salary		54,800	
	Deductions :			
	Incidental expenses	3,500		
	Entertainment allow.	6,000	9,500	45,300
	2. Income from other sources : sitting fees			1,000
	Gross Total Income			46,300
	Deduction under section 80 C			
	First Rs. 2,000		2,000	
	50% of Rs. 3,000		1,500	
	40% of Rs. 3,000		1,200	4,700
			Total Income	41,600

Qualifying Amount:

i) Employee's Contribution to R.P.F.	4,000
ii) Life insurance premium	4,000
	8,000

Notes

1. Salary received outside India is taxable in the hands of the assessee as he happens to be a resident in India.
2. Employer's contribution to recognised provident fund in excess over 10% of salary is taxed.
3. The deduction on account of entertainment allowance has been calculated as under :
Rs. 10,000, Rs. 10,000, Rs. 6,000, Rs. 7,500 whichever is the least, i.e, Rs. 6,000.

4. Interest on recognised provident fund is exempted only to the extent of 1/3rd of salary and 6% in rate (whichever is less). Amount exceeding this limit is includible in salary.

5. The value of rent-free accommodation is calculated according to the latest circular of the Board :

		Rs.
Municipal value of the residence	Rs. 12,000	
Add pay of mali	1,200	
garden expenses	2,400	
Value of the house	15,600	
10% of salary including chargeable entertainment allowance (Rs. 30,000+Rs. 4,000)		3,400
Excess of value of the house (15,600) over 30% of salary (10,200)		5,400
Total value		8,800

According to this circular the expenses incurred by the employer on the gardens attached to the house provided by him shall be taken into account by the Income-tax Officer while deciding the value of the house and these expenses shall not be added to the salary of employee. Similarly for the four metropolitan cities excess over 30% shall be added.

6. The cost of repairs to the building is not a perquisite as the repairs are an obligation of the landlord and not that of the tenant.

7. Salary of the cook and bearer is added.

(14)

Business Income		50,000
Short term capital gains		
a. Sale of painting	5,000	
b. B/f short term capital loss	—2,000	3,000
Long term capital gains		
a. Loss in shares	—4,000	
b. Sale of house property (12,000—500)	11,500	7,500
Gross Total Income		60,500
Deduction u/s 80 T		
First	**Rs. 5,000**	
25% of Rs. 2,500	**625**	**5,625**
Total income		54,875

Notes

1. Gain on sale of National Defence Gold Bonds, 1980 is to be ignored as it is not a capital asset within the definition of section 2 (14).

2. Ownership of the house passes on 1-5-74 and so the gain is taxable in the A. Y. 1975-76. Ownership of immovable property passes only when the sale deed is registered with the sub-registrar or registrar and not earlier to it.

3. Brought forward long term capital loss cannot be carried forward as it is below Rs. 5,000.

4. It is assumed that the painting sold on 30th June, 1974 was not a personal effect and had been bought just to give the satisfaction and sell it at a favourable price when available.

(15)

Particulars				Rs.
Salary				12,000
Income from Property				
i) Let out/Letting value				
B		Rs. 6,000		
C		7,200	13,200	
Less Municipal taxes			2,600	
Annual value			10,600	
1/6th for repairs		1,767		
Insurance Premium		350		
Collection Charges (6% of A.V.)		636	2,753	
			7,847	
ii) Letting value of self-occupied property		3,000		
Less Municipal taxes		600		
		2,400		
Less Statutory allowance u/s 23 (2)		1,200		
		1,200		
Proportionate annual value u/s 23 (3)(b) for 3 months		300		
Less 1/6th for repairs	50			
Insurance premium	100	150	150	7,997
Gross Total Income				19,997
(i) Section 80 C .				
First Rs. 2,000		2,000		
50% of Rs. 500		250	2,250	
(ii) Section 80 G : 55% of Rs. 1,500			825	3,075
Total Income				16,922

Notes

1. Collection charges are allowed to the extent of 6% of annual value i. e., Rs. 10,600.
2. Qualifying premium is restricted to 10% of the capital sum assured.

(16)

Particulars	Rs.	Rs.
1. Salary		
Basic @ Rs. 2,000 p. m.	24,000	
Free car 400+150 p.m. for 10 months	5,500	
Rent free furnished house	9,000	
Excess of employer's contribution over 10%	480	
Interest on provident fund over 6 per cent (i. e., 1%)	250	
Gross Salary	39,230	
Less Incidental Expenses	1,000	38,230
2. Profits and gains from business or profession—		
From unregistered firm (Tea Garden)	30,000	
Less agricultural income being 60%	18,000	
	12,000	
1/3rd thereof being his share		4,000

3. Income from other sources—			
Lectures in foreign countries		10,000	
Unit trust		2,500	
Dividends from Co-operative society		1,600	
Tea gardens in Ceylon		3,000	17,100
Gross Total Income			59,330
Deductions under—			
(a) Section 80 C : Qualifying amount			
First Rs. 2,000	2,000		
50% of Rs. 2,900	1,450	3,450	
(b) Section 80 D : Medical Expenses (2,400—1,800)		600	
(c) Section 80 G : Donations 55% of Rs. 4,718		2,595	
(d) Section 80 L : Dividends		4,100	10,745
Total Income			48,585

Qualifying Amount

1. Contribution to recognised provident fund	2,400
2. Life insurance premium	2,500
	4,900

Notes

1. Rebate at average rate is available to the assessee in respect of his share of profit from an unregistered firm, i. e., on Rs. 4,000.

2. Qualifying donation is restricted to 10% of Gross Total Income as reduced by any portion thereof on which income-tax is not payble and by any amount in respect of which the assessee is entitled to a deduction [59,330—3,450—600—4,000—4,100] = 47,180.

3. The benefit of section 80 R is not allowed to the assessee because the draft of the question does not suggest that he worked in the capacity of a professor, research worker or teacher in the New York University.

4. For valuing rent-free accommodation the following working has been adopted :

10% of salary		2,400	
Excess of rental value over 20% of salary			
15,000—4,800	10,200		
50 per cent thereof		5,100	
15 per cent of the cost of furniture		1,500	9,000

The following proviso in Rule 3 is relevant in this working :

"Where the fair rental value of the accommodation is in excess of 20% of the assessee's salary, the value of the perquisite shall be taken to be 10% of the salary increased by a sum equal to the amount by which the fair rental value exceeds 20% of salary; so however, that the I.T.O. may having regard to the nature of the accommodation determine the sum by which 10% of the salary is to be increased as a percentage (not exceeding 100 per cent) of the amount by which the fair rental value exceeds 20 per cent."

In the light of this proviso we have assumed that the I.T.O. has decided to include only 50 per cent of the excess of rental value over 20 per cent of salary.

			Rs.	Rs.
(17)	1. Salary			
	i. Basic salary @ Rs. 800 per month		9,600	
	ii. Dearness allowance		1,680	
	iii. Value of rent-free accommodation		600	
	Gross Salary		11,880	
	Less Incidental expenses			
	20% of Rs. 10,000	2,000		
	10% of Rs. 1,880	188	2,188	9,692
	2. Interest on securities:			
	i. 3½% Rs. 18,000 Government securities		630	
	ii. 6% Rs. 15,000 Municipal debentures		900	1,530
	3. Income from property:			
	Annual letting value @ Rs. 200 per month		2,400	
	Less Municipal Taxes		60	
	Annual value		2,340	
	Less 1/6th for repairs		390	1,950
	4. Profit from business:			
	⅓rd share of profit from an unregistered firm		2,800	
	Less expenses claimed		300	2,500
	5. Income from other sources:			
	i) 5% dividend on share of Rs. 15,000		750	
	ii) 5% dividend (free of tax)—Grossed up amount (Rs. 1000×100/77)		1,299	
	iii) Interest on fixed deposit		350	2,399
	Gross total income			18,071
	Deductions under sections:			
	80 C: First Rs. 1,850		1,850	
	80 L: Interest on securities	630		
	Dividends	2,020		
	Interest on fixed dep.	350	3,000	4,850
	Total Income			13,221

Qualifying amount:

	Rs.
Contribution to R. P. F.	600
Life insurance premium	1,250
	1,850

Notes: 1. Tax free amount of dividend has been grossed up by applying the formula of 100/77.

2. Interst on Post Office Savings Bank account is totally exempted from tax and hence not included in total income.

3. Rebate of income-tax shall be allowed at average rate on Rs. 2,800 being his share of profits from an unregistered firm for the firm must have already paid tax on its income.

4. It has been held in *Matubhai Chunilal Patel v. C. I. T. [1967] 66 I. T. R. 408* that the claim of the assessee to deduct motor expenses including depreciation from his share income from partnership is to be allowed.

5. Maximum deductible amount u/s 80 L is Rs. 3,000.

(18)

		Rs.	Rs.
1. *Salary*			
Basic salary		14,400	
Dearness allowance		1,800	
Non-practising allowance		3,600	
Gross salary		19,800	
Incidental Expenses :			
20% of Rs. 10,000	2,000		
10% of Rs. 9,800	980	2,980	16,820
2. *Interest on securities* : Govt. securities			2,000
3. *Income from house property*			
Annual rental value		6,000	
Less Municipal taxes		600	
		5,400	
Less Self-occupation allowance		1,800	
		3,600	
Reduced to 10% of total other incomes (16,820+2,000+1,500)=20,320		2,032	
Proportionate for 9 months		1,524	
Less 1/6 for repairs		254	1,270
4. *Income from other sources*			
Examinership remuneration			1,500
Gross Total Income			21,590
Deductions under sections			
(a) 80 C : For P. Fund cont. etc.			
First Rs. 2,000	2,000		
Balance of Rs. 700 @ 50%	350	2,350	
(b) 80 L : Interest etc.		2,000	4,350
Total Income			17,240

Qualifying amount

i. Provident fund contribution	1,200
ii. Life insurance premium	1,500
	2,700

Note

Capital gains arising on the sale of the ancestral house is not taxable because the amount has been spent an buying another houe for residential purposes.

(19) **Determination of the residential status**

As the assessee used to come here every year since 1952, when the business in Nepal was commenced and stay here for four months every year, he has stayed for more than 365 days in four years preceding the previous year. In the previous year also he stayed for more than sixty days. By fulfiling this condition, he, therefore, fall in the category of resident. We have to further see whether he is a 'resident' or a 'not ordinarily resident'.

Since he did not come to India in the years 1966 and 1969, he, therefore, would be a non-resident for these two years. In view of this, he is not a resident for 9 or more years out of ten years preceding the previous year (1965-1975). He will be, therefore, a not ordinarily resident for the previous year.

Computation of total income

		Rs.	Rs.
1.	Income from house property in India :		
	Being annual value	18,000	
	Less 1/6th for repairs	3,000	15,000
2.	Profits from business :		
	Indian business before depreciation	25,000	
	Depreciation to the extent of profit	25,000	
3.	Capital gains : (short-term)		
	Actual cost of shares	40,000	
	Sale proceeds	35,000	–5,000
			10,000
	Current year's depreciation to the extent of available income		10,000
	Total Income		Nil

Unabsorbed depreciation of Rs. 5,000 will be carried forward to the following years.

(20) A Muslim family is not granted the status of an assessee separately under the Income-tax Act and, therefore, its income from business and property shall be assessed in the manner given below—

Business—Since the business is carried on by all the four A, B, C and D equally, this is a clear case of partnership. However, as the firm does not seem to have applied for registration it should be assessed as an unregistered firm with four partners sharing equally.

Income from property—Section 26 of the Income-tax Act provides specifically that where the property is owned by two or more persons and their respective shares are definite and ascertainable, such persons shall not be assessable as an association of persons in respect of such property but the share of each of such persons in the income from property shall be computed in accordance with the provisions under sections 22 to 25. The income from property in this case shall be dividend in four equal shares and then each one of them shall pay tax on his share.

(21) The doctrine that under Hindu law a son conceived or in his mother's womb is equal in many respects to a son actually in the existence in the matter of inheritance, partition, survivorship and the right to impeach on an alienation made by his father is not one of universal application and applies mainly for the purpose of determining rights to property and safeguarding such right of the son. The doctrine does not fit in with the scheme of the Income-tax Act and it does not seem to be the intention of the legislature to incorporate the special doctrine into the Act. The I.T.O.'s decision of recognising the H.U.F. only from 11th Dec., 1973 was a correct and most appropriate one. The step is also in line with the judgment given in T. S. Srinivasan v. C.I.T.

(22)	Net profit as per statement		1,05,000
	Less Interest on securities and dividends treated separately		50,000
			55,000
	Add Inadmissible amounts		
	i. Loss in speculation in silver	50,000	
	ii. Expenses incurred in a criminal case (smuggling)	10,000	

iii.	Loss by theft not incidental to business	10,000	
iv.	Irrecoverable loan not connected with business	20,000	
v.	Cost of motor-cycle	1,000	91,000
	Taxable Profit from business		1,46,000
	Interest on securities & dividends		50,000
	Gross Total Income		1,96,000
	Deduction-Dividends, interest etc.		3,000
	Total Income		1,93,000

Notes

1. Loss in speculation is to be set off only against speculation profits. In the absence of speculation profits, loss from speculation in silver has to be carried forward.

2. Loss given to the brother-in-law of Karta is not connected with the usual day to day business, bad debts in this regard are not allowed.

3. Expeness incurred in defence of criminal act are not allowed.

4. Salary given to Karta is allowed, provided it is reasonable and for the service tendered.

(23)

1.	Interest on securities		2,900
2.	Income from property : Ancestral house	12,000	
	In the name of Raja but bought out of family funds	7,200	
		19,200	
	Less 1/6th for repairs	3,200	16,000
3.	Profits from business :		
	Family business	35,000	
	Share from a firm	3,600	38,600
4.	Income from other sources—dividends		3,000
	Gross Total Income		60,500
	Less—Dividends u/s 80 L		3,000
	Total Income		57,500

Notes

1. Interest from investments made out of Shri Ramlal's salary is his personal income.

2. Dividends amounting to Rs. 1,200 is taxable in the hands of P's wife in case her total income exceeds the minimum taxable limit.

(24)

	W.D.V. 1-4-74	W.D.V. 1-4-75	Dep.
1. Non-factory building :			
W.D.V.	75,000		
Dep. @ 5%			3,750
W.D.V. for the next year		71,250	
2. Factory building :			
W.D.V.	1,25,000		

Dep. @ 10%			12,500
W.D.V. for the next year		1,12,500	
3. Machinery :			
W.D.V.	30,000		
Less Initial dep. already allowed	28,000		
Balancing depreciation			2,000
Additions during the year			
New on 1-2-75	1,00,000		
Dep. @ 10%			10,000
W.D.V. for the next year		90,000	
4. Furniture :			
W.D.V.	10,000		
Dep. @ 10%			1,000
Additions on 1-8-74	20,000		
Dep. @ 10%			2,000
W.D.V. for next year (Rs. 30,000—3,000)		27,000	
5. Trucks :			
W.D.V.	3,000		
Dep. @ 30%			900
Addition on 1-12-74	25,000		
Dep. @ 30%			7,500
W.D.V. for next year (Rs. 28,000—8,400)	19,600		
Total depreciation			39,650

Development Rebate :

Development rebate on new machinery of Rs. 1,00,000 @ 15%	15,000
Total dep. allowance and development rebate	54,650

Notes

(1) No development rebate is admissible on trucks.

(2) It is assumed that the contracts for the purchase of machines had been finalised before 1-12-1973.

(25) *a. Computation of depreciation allowance and W.D.V.*

Plant & machinery :	
W.D.V. on 1-4-74	5,00,000
Additions (new and installed on 15-6-74)	80,000
,, (Second-hand and installed on 3-6-74)	20,000
	6,00,000
Less W.D.V. of an item sold on 1-10-74	5,400
W.D.V. (on which depreciation is to be allowed)	5,94,600
Less Depreciation admissible	59,460
W.D.V. to be C/f	5,35,140

b. Computation of Profit u/s 41 (2)

Sale price		10,000
Less W.D.V.	5,400	
Less Initial dep. on Rs. 8,000 @ 20%	1,600	3,800
Total Profit		6,200

Less Difference between sale Price (Rs. 10,000) and Cost Price (Rs. 8,000) being capital gains	2,000
Profits u/s 41 (2)	4,200

(26) 1. Donation is not an expenditure incurred wholly and exclusively for the business and therefore, not allowed, Deduction u/s 80G too is not allowed in this case.

2. Salary of notice period is allowed because the surplus labour is to be dispensed with and it is in the interest of business.

3. Reconditioning charges constitute capital expenses as it goes to improve the utility of the old machine bought, hence disallowed.

4. Bad debts are allowed when incidental to business, Granting of loan to customers is not the business of the assessee—though business expediency demands it. Not allowed.

5. The taint of illegality has nothing to do with the taxing of income. Smuggling is obviously a business—conducted by spending some unlawful expenses which are incidental to it. The expenses are to be allowed and the taxable income in this case comes to Rs. 28,000.

6. The Company is entitled to a deduction of Rs. 3,50,000 and the Managing Director would be required to pay tax thereon. The amount voluntarilly foregone by him will not be a revenue receipt in the hands of the Company.

7. Full amount of interest is allowable as the money was borrowed for purposes of business and the assessee is fully entitled to withdraw any amount he likes either as profit or as withdrawal of capital.

8. Not allowed.

9. Not admissible as the expense cannot be said to be used exclusively and wholly for business.

(27) **Profit from business**

		Rs.	Rs.
Net Profit as per P & L a/c			1,35,000
Add: Inadmissible amount :			
a. Preliminary expenses written off		10,000	
b. Damage paid in respect of a defunct business		5,000	
c. Expenses in respect of house property		1,300	16,300
			1,51,300
Rent received (to be treated separately)			6,000
Taxable income from business			1,45,300
Income from property			
Rental value		6,000	
Less Municipal taxes		—	
Statutory deduction u/s 23 (1) @ 1,200 per year for five years		600	
Annual value		5,400	
Less 1/6th for repairs	900		
Ground rent	300		
F. I. Premia	100	1,300	4,100
Total Income			1,49,400

Notes

Expenses incurred in connection with the director's visit abroad are allowed. It is immaterial that the orders were executed in the year of visit or in the years following. House property is assumed to be let out for residential purposes.

(28)

Net Profit as per Profit and Loss A/c			1,78,095
Add Inadmissible items—		Rs.	
i. Taxation reserve		25,000	
ii. Legal charges for agricultural lands		750	
iii. Depreciation to be treated separately		69,000	94,750
Less Incomes not chargeable here—			2,72,845
i. Rent from agricultural lands		950	
ii. Agricultural Income :			
Market values of cane produced	5,75,000		
Less Cost of cane produced	5,12,000	63,000	63,950
			2,08,895
Less Allowed depreciation			75,000
Taxable profits from business			1,33,895

Notes

1. Agricultural income included in the business profits has been worked out in accordance with rule No. 7 of the Income-tax Rules, 1962 and has been separated from chargeable profits.
2. Legal expenses incurred in respect of agricultural land have nothing to do with the earning of business profits and, therefore, disallowed.
3. Profit on sale of motor truck is correctly given and thus no adjustment is required with regard to this item.

Cost of motor truck	17,000
Less Depreciation allowed	15,000
Written-down value	2,000
Selling Price	3,230
Balancing charge or Chargeable profit	1,230

(29)

Total Business Income		1,75,000
Less Current year's depreciation	30,000	
Unabsorbed depreciation from A. Y. 1966-67	30,000	
Unabsorbed development rebate 74-75	20,000	
Current year's development rebate	45,550	1,25,550
Total Income		49,450
To be carried forward		
1. Speculation loss of A. Y. 1973-74		27,500
2. Capital loss of the current year		10,000

Note

Business loss for the A. Y. 1966-67 cannot be set off as it is from a period beyond eight years.

(30) **Assessment year 1972-73**

i. Interest on securities	12,000
ii. Income from house property	15,000
	27,000

Loss under the head 'Income from other sources'	—5,000
	22,000
Loss from agency business	—15,000
	7,000
Loss from Hosiery	—50,000
Loss from hosiery carried forward to the year 1973-74	—43,000

Other amounts carried forward

		Rs.
i.	Textile manufacturing loss	1,00,000
ii.	Unabsorbed depreciation (60,000+20,000)	80,000
iii.	Development rebate	25,000

Assessment year 1973-74

		Rs.		
i.	Interest on securities			12,000
ii.	Income from house property			15,000
iii.	Business profits :			
	Textile manufacturing	2,00,000		
	Less current depreciation	75,000	1,25,000	
	Hosiery business	75,000		
	Less current depreciation	18,000	57,000	
	B/f Business loss from 1972-73	1,43,000	1,82,000	
	Depreciation from 1972-73	39,000	1,82,000	
iv.	Income from other sources			25,000
				52,000
	Less Depreciation b/f from 1972-73 (80,000—39,000)		41,000	
	Development rebate from 1972-73		11,000	52,000
	Total Income			nil

Carried forward to 1974-75

a.	Development rebate of 1972-73 (Rs. 25,000—11,000)	14,000
b.	Development rebate of 1973-74	20,000
		34,000

(31)	Net Profit as per account books		78,300
	Add Inadmissible expenses—		
	Interest to A	5,000	
	Salary to C	10,000	
	Commission to B	3,000	
	Payment to N. D. F.	6,000	24,000
	Gross Total Income		1,02,300
	Deduction under section 80 G : Donation 55% of Rs. 6,000.		3,300
	Total Income		99,000

Computation of tax

Income-tax on the first Rs. 50,000	2,500
On the balance of Rs. 49,000 @ 15%	7,350
	9,850
Add Surcharge @ 10%	985
Tax Payable	10,835

Allocation amongst partners

	A	B	C
Interest	5,000	—	—
Salary	—	—	10,000
Commission	—	3,000	—
Balance of profit (99,000—18,000—10,835)	35,083	23,388	11,694
	40,083	26,388	21,694

Notes

1. Commission, salary and interest on capital paid to partners is not admissible expenditure.
2. It has been decided in a case that the interest paid by a partner to the firm would be included in the firm's total income. [Shri Ram Mahadeo Prasad v. C. I. T. [1953] 24, I. T. R. 176].
3. The partners are not entitled to any deduction for donation to NDF. Alternatively, if the partners so like, they can forego the deduction in the assessment of the firm and claim it in their assessment proportionately.

(32) The loss given in the question is arrived at after disallowing the items aggregating in all to Rs. 35,000. If they could be allowed, the loss to be allocated to partners would be Rs. 45,000.

Allocation amongst partners

	A	B	C	Total
Salary	15,000	—	5,000	20,000
Interest	12,000	3,000	—	15,000
	27,000	3,000	5,000	35,000
Less Firm's loss before dissallowance	—15,000	—15,000	—15,000	—45,000
Share of each partner	12,000	—12,000	—10,000	—10,000

As the firm is unregistered, the loss amounting to Rs. 10,000 can only be carried forward and set off by it and not the partners. The firm is also not assessable because of the loss. The partner A is deriving an income of Rs. 12,000 as is seen from the scheme of allocation given above.

Since the firm is not paying any tax by virtue of loss, A will not be entitled to any rebate on his share of profit from the firm and the whole amount of Rs. 12,000 will be added to his total income and taxed. His assessment will be as follows :

1. Income from house property :

Annual value of the property occupied	5,000
Deduction for self-occupation	1,800
	3,200
Restricted to 10% of total other income (12,000+18,000)	3,000

Less 1/6th for repairs	500		
Interest on loan	1,200	1,700	1,300
2. Profit from business :			
From unregistered firm		12,000	
From separate business		18,000	30,000
Gross Total Income			31,300

(33) From the details supplied, we have to prepare a Profit and Loss Account in order to find net profit as per Profit and Loss Account during the previous year 1974-75.

Trading and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1975

		Rs.		Rs.
Opening Stock		20,000	Sales	1,50,000
Purchases		80,000	Stock (closing)	15,000
Gross profitt c/d		65,000		
		1,65,000		1,65,000
Rent		6,000	Gross profit b/d	65,000
Salaries		12,000	Interest on Kranti's	
General expenses		1,700	Current Account	320
Subscriptions :				
Business		60		
Charitable		80		
Interest on Current A/cs				
Kamal	560			
Vimal	440	1,000		
Net Profit		44,480		
		65,320		65,320

Computation of Total Income for the Assessment Year 1974-75

		Rs.
Net Profit as per Profit and Loss Account		44,480
Add Expenses disallowed :		
Charitable subscription	80	
Interest on Current Account	1,000	1,080
Gross Total Income		45,560
Deductions		Nil
Total Income		45,560

Computation of tax

Income-tax on the first Rs. 25,000	750·00
On the balance of Rs. 20,560 @ 6%	1,439·20
	2,189·20
Add surcharge @ 10%	218·92
Taax liability	2,408·12

Allocation amongst partners

	Kamal	Vimal	Kranti	D
Interest on current accounts	560	440	—	—
Balance for the first half year	8,430	8,431	4,215	—
Balance for the second half year	—	8,430	6,323	6,323
	8,990	17,301	10,538	6,323

Notes

1. Trade subscriptions are deductible amounts.
2. Donations below Rs. 250 are to be ignored.
3. Interest charged from partners is treated as income of the firm.
4. 45,560—(1,000+2,408)=42,152 50% for 6 months=21,076.

(34) Profit as per Profit and Loss Account Rs. 28,530

		Rs.
Profit as per Profit and Loss Account		28,530
Add Inadmissible Expenses :		
Charity	570	
Reserve for bad debts	1,420	
Interest on capital	2,040	
Salary to Ram Dayal	1,800	
Salary to Deen Dayal	1,200	
Rent of residential house	1,500	8,530
		37,600
Less Admissible expenses :		
Interest on loan	1,060	
Depreciation allowable	3,340	4,400
Gross Total Income		32,660
Deductions		Nil
Total Income		32,660

Allocation amongst partners

	Ram Dayal Rs.	Deen Dayal Rs.
Interest on capital	1,280	760
Salary to partners	1,800	1,200
Rent of residential house	750	750
Share in the balance of profit	17,413	8,707
Share in firms profit	21,243	11,417

Assessment statement of the partners

		Ram Dayal Rs.	Deen Dayal Rs.
1. Interest on securities		400	2,100
2. Income from property :			
Rental value being Annual value	600		
Less 1/6 for repairs	100	500	
3. Profit from business :			
Share in firm's profit		21,243	11,417
4. Income from other sources :			
Foreign Income			7,700

Gross Total Income	22,143	21,217
Deduction u/s 80-L	400	2,100
Total Income	21,743	19,117

Ram Dayal and Deen Dayal will get rebate of income-tax at average rate on Rs. 21,243 and Rs. 11,417 respectively (profit from unregistered firm).

Notes

1. Charity is not an expense and, therefore, not deductible. However, the amount, if given to the approved institution, is available for deduction @ 55% from Gross Total income.
2. Reserves are not admissible.
3. Payment made to the partners in the form of salary etc. and/or in the form of other benefit (rent free accommodation, free lunch etc.) are not allowable as business expenditure.
4. It has been assumed that the amount of interest from securities is already grossed up.
5. The assessee with the status of a resident in India is liable to be taxed on all incomes whether they accrue or arise in India or outside India.
6. Interest on Post Office Savings Bank Account is totally exempt and therefore, not included in total income.

(35)

		Rs.
Net profit as per Profit and Loss Account		1,08,000
Add Disallowed items :		
i. Subscription to Gandhi Memorial Fund	Rs. 1,200	
ii. Salary to partners A and B	5,400	
iii. Interest paid to A and B	1,500	
iv. Excess depreciation	200	
v. Goodwill written off	7,500	
vi. Boarding expenses of B	1,500	17,300
		1,25,300
Less Incomes to be shown separately :		
Dividends	450	
Capital gains	8,000	8,450
Taxable profits from business		1,16,850

Computation of Total Income

Business Profits (as above)			1,16,850
Long-term capital gains			8,000
Income from other sources : Dividends			450
Gross Total Income			1,25,300
Deduction under section :			
i. 80 G—Donation 55% of Rs. 1,200		660	
ii. 80 T-Capital gains First	Rs. 5,000		
40% of Rs. 3,000	1,200	6,200	6,860
Total Income			1,18,440

Computation of tax payable

Income-tax on the first	Rs. 1,00,000	10,000,00
On the balance of	Rs. 18,440 @ 24%	4,425·60
		14,425·60
Add Surcharge @ 10%		1,442·56
	Tax payable	15,868·16

Allocation amongst partners

	A	B	C
Salary	—	3,000	2,400
Interest on capital	1,000	500	—
Share of Profits (1.18,460—6,900—15,868	47,846	23,923	23,923
Share in firm's income	48,846	27,423	26,323

Computation of partners' Total income

		A	B	C
Income from property				
Rent received	1.200			
Less 1/6 for repairs	200			
		1.000	—	—
Profit from registered firm		48,846	27,423	26,323
Gross Total Income		49,846	27,423	26.323

Notes

1. Writing off of goodwill is not a business expense.
2. Expenses incurred by B on travelling are allowed deductions but the partner's boarding expenses are never deductible from business profits. In case the tour was a part of export promotion programme, the firm would be entitled to Export Markets Development Allowance.
3. Rent with regard to business premises and paid to a partner who happens to be the landlord is allowed deduction.

(36)

Net profit as per Profit and Loss Account :		16,870
Add Inadmissible expenses :		
i. Reserve for debts	125	
ii. Payments to retiring partner	1,000	
iii. Interest on capital	1,500	
iv. Salary to B	6,000	
v. Payment for saving business reputation	3,000	
vi. Legal expenses to defend smuggling	900	12,525
Gross Total income		29,395
Deduction under section 80 T :		
Profit on sale of Investments in full		400
Total Income		28,995

Rounded off to Rs. 29,000

Computation of tax paid by the firm

On the first Rs. 25,000	750
On the balance of Rs. 4,000 @ 7%	280

	1,030
Surcharge @ 10% of income-tax	103
Total tax payable	1,133

Allocation amongst partners

	A Rs.	B Rs.	C Rs.
Salary	—	6,000	—
Interest on capital	300	400	800
Share of profits 28,995—[7,500+1,133]	8,144	8,144	4,072
Total Income	8,444	14,544	4,872

Notes

1. The amount of Rs. 1,000 given to the retiring partner is not admissible.
2. Expenses incurred to save business reputation are not deducted.
3. Expenses incurred in connection with illegal and unlawful business are not admissible.
4. Profit derived from sale of securities has been assumed to be long term capital gains, and therefore, allowed in full under section 80 T.
5. Profit on sale of motor car is taxed as chargeable profits or balancing charge.

(37)

Profit as per Profit and Loss Account		21,000
Add Disallowed expenses—		
Interest to partners	8,000	
Salary to partners	3,000	11,0000
Total income of the firm		32,000

Allocation of firm's total income

		Interest	Salary	Share in profit	Total income from the firm
A	25%	2,300	1,800	5,250	9,350
B	15%	1,150	1,200	3,150	5,500
C	15%	600	—	3,150	3,750
D	15%	750	—	3,150	3,900
E	10%	900	—	2,100	3,000
F	10%	650	—	2,100	2,750
G	5%	400	—	1,050	1,450
H	5%	1,250	—	1,050	2,300

Notes

1. Share of profit accruing to E (Minor son of P) would be included in the total income of his father P as it arises fiom the asset transferaed to him by his father.

2. Share of profit of F (Rs. 2,750) and G (Rs. 1,450) who are minor children of C would be included in the total income of C since they have been admitted to the benefit of partnership in a firm in which their mother is also a partner.

3. Likewise Rs. 2,3C0 being the share of profits of H (minor son of D) shall also be ineluded in the total ineome of his mother D as he has also been admitted for the benefits of partnership in which his mother also is a partner.

(38)

Net Profit as per P & L account		80,000
Add Inadmissible amount :		
Salary to A	1 2,000	
Donation to hospital	20,000	
Income-tax	22,000	
Loss from speculation	20,000	74,000

	1,54,000
Less Amount to be shown separately :	
Dividends	20,000
Business Profits	1,34,000

Computation of total income

Business profits	1,34,000
Dividends	20,000
Gross total income	1,54,000
Less deduction u/s 80 G : 55% of Rs. 15,400	8,470
Total Income	1,45,530

Computation of tax

On the first Rs. 1,00,000	10.00,000
On the balance of Rs. 45,530 @ 24%	10,927·20
	20,927·20
Surcharge @ 10%	2,092·72
Tax payable	23,019·92

Allocation amongst partners

	A 30%	B 20%	C 25%	D 25%
Salary	12,000	—	—	—
Share in profit (1,45,530—12,000—23,020)	33,153	22,102	27,627	27,628
	45,153	22,102	27,627	27,628
Share in speculation loss	—6,000	—4,000	—5,000	—5,000

Assessment of A

1. Income from property			
Rent received		12,000	
Local taxes		—	
		12.000	
Deduction for new construction		1,200	
Annual value		10,800	
Less 1/6 for repairs		1,800	9,000
2. Profit from business			
Profit from the firm		45,153	
Speculative gains	10,000		
Loss in speculation	6,000	4,000	49,153
3. Income from other sources			
Wife's (B) share of profit		22,102	
Minor son's (C) share		27,627	49,729
Gross total Income			1,07,882

Notes

1. Donation qualifies for deduction up to 10% of gross total income (Rs. 1,54,000) as reduced by other deductions (nil in this case).

2. Partners are entitled to set off and carry forward their shares in the loss from speculation.

3. Shares in the income of the firm accruing to assessee's wife and minor sons are to be included in the total income of the individual u/s 64.

EXAMINATION PAPERS

Haryana B. Com.

1. Explain clearly the following items with reference to the Income-tax Act, 1961 : Income, Assessee, Previous Year, Agricultural Income.

2. Why is it necessary to distinguish between a capital receipt and revenue receipt? How would you determine whether a particular receipt is a capital receipt or a revenue receipt?

b. State with reasons the nature of the following :

(i) A railway passenger meets with an accident and is disabled. He receives compensation from the Railways.

(ii) A company owning a chalk quarry contracted to supply a customer a certain quantity of chalk yearly for 10 years. The purchaser after sometimes did not wish to take further delivery and the company agreed to release him from the obligation in consideration of a lump sum payment.

(iii) A company made annual payments for trucks bought under a hire purchase agreement extending over a period of years.

(iv) An assessee carried on business in several commodities. In the course of the business he submitted tenders to the Railway and undertook to supply certain commodities. The amount which he had deposited as security for properly carrying out the contract was forfeited as he could not carry out the contract.

3. a. Explain briefly the provision regarding deductions permissible under the Income-tax Act, 1961, while computing income under the head 'salary'.

b. An employee is in receipt of a salary of Rs. 800 p.m. 12 per cent of which he contributes to R.P.F. employer's contribution being the same. He is provided with a rent free house by the employer the rental value of which is Rs. 600 p. a. He also received Rs. 1,200 as bonus. The amount of interest credited to R. P. F. @ 5 per cent is Rs. 450. He paid Rs. 4,000 as life insurance premium. Ascertain his total income for the assessment year 1970-71 if the provident fund is (i) Provident fund to which Provident Funds Act, 1925 applies; (ii) A recognised provident funds, (iii) Unrecognised provident fund.

4. a. What do you understand by the term depreciation ? How is unabsorbed depreciation of a year treated in the following year ? How is the treatment different from the carry forward of business losses ?

b. The written-down value of a machine was Rs. 1,50,000 on 1-4-1968 and the relevant rate of depreciation is 10 per cent. During the previous year 1968-69 and 1969-70 profits from business were Rs. 10,000 and Rs. 25,000 respectively before providing depreciation. Find out taxable profit for the assessment years 1969-70 and 1970-71. The machine was used for triple shifts during the previous year 1969-70 for 25 days.

5. Write short notes on the following :

(a) Administration of the Income-tax Act, 1961. (b) Judicial machinery with respect to Income-tax Act, 1961.

6. Ramnath an employee of a limited company has furnished the following particulars of income for the year ending 31st March, 1970 :

(a) Salary from 1st April, 1969 to 30th September, 1969 at Rs. 1,000 p.m.

(b) Entertainment allowance for the above period at Rs. 250 p.m. prior to 1st April, 1955 he was getting it at Rs.150 p.m.

(c) Premium paid by the company direct to the Life Insurance Corpn. of India on a policy taken on his life, Rs. 240.

(d) Premium paid by Ramnath out of his own income on his onw policy Rs. 2,000.

(e) Amount received by Ramnath from his employer on his voluntarily resigning from service in consideration of his not taking up employment elsewhere for two years therefrom Rs. 24,000.

(f) Interest on saving bank account Rs. 340

(g) Interest on National Savings Certificates Rs. 500

(h) Own house in his home town (built in 1955) which is occupied by his brother-in-law free of rent. Annual value of the house according to municipal register is Rs. 1,800. Municipal tax paid Rs. 400 for the year.

(i) From April, 1969 to 30th September, 1969, the employer had provided him with a 15 h.p. car for private use. Expenses having been met by the employer upto the limit of Rs. 600 p.m. and the balance by Ramnath.
Compute the total income of Ramnath for the year 1970-71.

7. The following details have been supplied by the karta of a Hindu undivided family. You are requested to compute the gross total income and total income of the family for the assessment year 1970-71 :

(a)	Profit from business	52,000
(b)	Salary received by a member of the family	10,000
(c)	Director's fee received by the karta	6,000
(d)	Annual value of property let	12,000
(e)	Municipal taxes	600
(f)	Dividend gross	450
(g)	Long-term capital gains from transfer of building	4,500
(h)	Long-term capital gains from transfer of investment	10,000
(i)	Donation to a college which is an approved institution	4,000
(j)	Profit from an unregistered firm	10,000

8. a. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the proportion of 2, 2 and 1 respectively. The firm's profit and loss account for the year ending 31st December, 1969, showed a net loss of Rs. 40,000 after charging the following items :

	A	B	C
Interest on capital	1,000	2,000	3,000
Salary	3,000	—	—
Bonus	2,000	2,000	2,000

A's taxable income from other sources was Rs. 16,000 while B and C had no other income.

State how the assessment of the firm and of partners will be made if the firm is (1) registered ; (2) unregistered.

b. When can the registration of the firm be cancelled ?

1972

Explain clearly the term 'income'. What are the types of incomes which are neither included in total income nor income-tax is payable on them. Illustrate with suitable examples.

2. a. Distinguish between previous year and assessment year. Under what circumstances can as assessee have more than one previous year in respect of the same assessment year ?

b. What will be the assessment year for the following accounting years :

(i) 1st April, 1970 to 31st March, 1971.
(ii) 1st January, 1970 to 31st December, 1971.
(iii) 1st July, 1970 to 30th June, 1971.

New business commenced on 1st July, 1969 and accounts closed on 31st March, 1971.

3. a. Explain the meaning of free of tax and less tax in connection with 'interest on securities' for the purpose of income-tax. Show by suitable example how 'you will gross up tax free 'commercial securities' interest and tax free Government securities' interest.

b Shri Avtar Singh held the following investment during the year 1970-71 :

(i) Rs. 10,000 7 per cent less tax debenture of a cotton textile Co;
(ii) Rs. 30,000 3½ per cent 10 year National Plan Certificates ;
(iii) Rs. 400 as interest on units of the Unit Trust of India ;
(iv) Rs. 15,000 7 per cent preference shares of a public company;
(v) Rs. 18,000 4 per cent Port Trust Bonds.

Shri Avtar Singh purchased Rs. 30,000 3½ per cent municipal debentures at Rs. 109.50 cum-interest on 1st September, 1970 and disposed of half of National Plan Certificates on 30th September, 1970 at Rs. 107.75 cum interest. Interest on both securities has been payable on 1st May and 1st November. He paid to his bank 25 paise per security of Rs. 100 as commission for purchasing and selling the securities and Rs. 350 as collection charges. He had taken a loan of Rs. 14,000 at 6 per cent p.a. interest for purchasing National Plan Certificates.

Compute his total income.

4. a; Distinguish clearly between the following from the assessment point of view.

(a) Let out and residential properties.

(b) Annual value and annual rental value.

b. Mr. Partap Tandon owns house property (municipal value being Rs. 8,000) which he has let out to Mr. Kampta Parsad Rai at Rs. 7,000 p.a., Mr. Rai has agreed to bear the cost of repairs himself. The municipal taxes paid by Mr. Tandon were Rs. 400.

You are required to compute his total income from house property. Will it make any difference if the house had been let out at Rs. 6,000 p.a. instead of Rs. 7,000 p.a. ?

(ii) Mr. Subhash Chander is the owner of two houses, one of which is occupied by him for his own residence (m. v. being Rs. 1,000 p a.) and the other is let out at Rs. 200 p.m. (m.v. of this house being Rs. 1,600 p.a.). The following are the expenses with respct of the two house : Municipal taxes Rs. 260, Land Revenue (let out house) Rs. 100, Interest on loan taken for repairs of the let out house Rs. 300, Fire premium for both houses Rs. 200. Ascertain the income from house property assuming that his income from other sources during the year 1970-71 was Rs. 15,000.

a. What do you understand by capital gains used in Income-tax Act ? What are the rules regarding exemptions of capital gains.

b. During the year ending 31st March, 1971, Mr. X sold the following assets :

(i)	House purchased for Rs. 28,000 in 1961	30,000
(ii)	Machinery purchased for Rs. 50,000 in 1959 (written down value on 1-1-1970 Rs. 35,000)	60,000
(iii)	Furniture purchased for Rs. 1,000 on 1-5-1969	1,300
(iv)	Machinery purchased for Rs. 10,000 on 1-5-1969	12,000
(v)	Agricultural land situated in Agra purchased for Rs. 10,000 in 1955	14,000
(vi)	Own residential house (occupied by assessee for more than two years) costing Rs. 30,000	50,000

During the year he bought another house for his residence for Rs.40,000.

Work out the amount of capital gains to be included in gross total income. Compute his total income if other income is Rs. 10,000 being from business.

6. Describe how the Income-tax Appellate Tribunal is constituted and discuss its functions. Under what circumstances may the Tribunal be required to refer an appeal to the High Court.

From the following particulars of Yadumohan Upadhyay, compute his total income for the assessment year 1971-72 appending notes where necessary :

(i)	Salary Rs. 3,000 p.m. for the year ending 31-3-71	36,000
(ii)	Bonus	6,000
(iii)	Dearness allowance	1,800
(iv)	Entertainment allowance (never given before)	5,000
(v)	Employers contribution to R.P.F.	4,000
(vi)	Employee's contribution to R P.F.	4,000
(vii)	Education expenses of Mr. Upadhyay's son met by the employer	1,000
(viii)	Interest on P.F. at 4 per cent	2,000
(ix)	Rent free unfurnished house provided by the employer whose rental value is	6,000
(x)	Mali and waterman for maintenance of garden of Mr. Upadhyay's house.Total salary paid to them by the employer	1,200
(xi)	Medical expenses of the employer and free refreshment during office hours	600
(xii)	Gas and electric bill paid by the employer	400
(xiii)	Life insurance premium paid by the employer on a policy off of the assessee	1,000

8. A registered firm is engaged in the manufacturing of drugs. It consists of there partners A, B and C sharing profits and losses in the ratio of 3:2 : A respectively. The firm's accounts for the year ending 31st December, 1970 disclosed a net profit or Rs. 1,80,000 after debiting the following items :

(a) Salary of Rs. 15,000 paid to C who is a chemists and is in charge of the firm's laboratory.

(b) Rent of Rs. 9,000 paid to partner B for the portion of his building in which the firm's office is situated.

(c) Rs. 12,000 paid as interest to A on loan advanced by him to the firm.

(d) Rs. 60,000 paid for purchase of patent rights to manufacturer of a drug.

(e) Rs. 15,000 being the cost of new appliances purchased and installed in the firm's laboratory for carrying on research in July, 1970. Depreciation was debited to Profit and Loss as permissible in the Act. Net profit of Rs. 1,80,000 include Rs. 6,000 being interest received on fixed deposits with State Bank of India. Compute the total income of the firm giving briefly the reasons for inclusion or exclusion of each item. Also show the allocation of firm's total income among partners.

September, 1973

1. What do you understand by annual value of house property ? How is it determind in the case of :—

(a) let out house property ;

(b) house occupied for residence by the owner under different circumstances.

2. What tests would you apply to determine whether an assessee is a (a) resident ; (b) non resident; (c) not ordinarily resident.

3. Distinguish between a registered and unregistered firm from the viewpoint of income-tax assessment.

4. Write short notes on any four of the following :

(a) Casual income; (b) Perquisites; (c) Best judgment assessment; (d) Development rebate; (e) Self-assessment.

5. a. What do you understand by net accrued interest ? Illustrate by giving example.

b. On 1st April Haris investments were as follows :

(i) Rs. 60.000, 4 per cent U. P. State loan, (ii) Rs. 30,000, 5 per cent Improvement Trust debentures; (iii) Rs. 20,000, 5 per cent Debentures of a Sugar Mill Co., (iv) Rs. 15,000 9 per cent Preference shares of a company.

On 1st September, 1971, he sold his sugar mill debentures at a profit of Rs. 750 and purchased Rs. 40,000, 4 per cent Port Trust Bonds having barrowed Rs. 20.000 from ban @ 9 per cent p. a. Bank commission for buying and selling of securities was ½ per cent and collection charges Rs. 50.

Find out his income from Interest on Securities for the previous year ended 31st March, 1972. Such interest being payable in each case on 1st January and 1st July.

6. a. Dr. Seth is employed as a Reader in a University drawing a monthly salary of Rs. 1,000 out of which he contributes 10% to a fund which is governed by the Provident Funds Act, 1925. On 27th April, 1971, he purchased a car which he uses for the purpose of the employment.

During the year ended 31st March, 1972 he paid Rs. 2,500 as premium on life insurance policy of Rs. 20,000 and on 1st June 1971 he opened a 15 year cumulative time deposit account at post office by depositing Rs. 100 per month.

Assuming that he had no other income, compute his total income for assessment year 1972-73 and also the tax liability.

b. A Ltd company engaged in the manufacture of electric goods closed its accounts on 31st March owing to a prolonged strike. Its factory actually worked for 200 days in the year ended 31st March, 1972. When there was double shift working for 60 days and triple shift working for another 100 days.

On 1st April, 1971 the written down value of its plant and machinery was Rs. 3,60,000. Work out the amount of depreciation on plant and machinery allowable for the assessment year 1972-73.

7. a. What do you understand by vacancy allowance.

b. Arun is the owner of a house property in Bombay which has been let put for Rs. 90,000 a year. The municipal tax payable by Arun in respect of this property is Rs. 5,000 but he has taken an agreement from the tenant stating that the tenant would pay this tax direct to municipal corporation. The landlord bears the following expenses on tenant's amenities : water charges Rs. 1,000 ; lift maintenace Rs. 1,000; salary

of gardener 1,200 ; lighting of stars Rs. 800. The claims the following deductions repairs Rs. 30,000; land revenve Rs. 1,000; collection charges Rs. 2,000, Compute his income from house property.

8. Following is the P. & L. Account of a Ltd. Co. for the year ended 31st December, 1972 :

Cotton account	57,08,975	Yarn account	54,05,978
Stores account	9,17,824	Cloth account	48,12,056
Wages and salary	19,15,992	Wages account	60,754
General charges	14,504	Transfer fee	3,108
Donations	5,000	Rent of Bungalow	28,951
Rates and insurance	20,188	Interest on Govt. sec. (gross)	13,700
Brokerage	3,862	Sundry receipts	3,000
Office expenses	1,20,347		
Directors fees	4,500		
Audit fee	2.500		
Research expenditure	60.000		
Interest	1,05.925		
Repairs to building	62,278		
Law charges	2,865		
Net Profit (subject to dep.)	12,16,850		
	1,03,27,547		1,03,27,547

Compute the company's taxable profits and also its total income for the year taking the following into consideration :—

(a) Rs 2,700 brokerage was paid for cotton and stores purchased and the balance was in respect of loan raised for company's business ; (b) Rates Rs. 1,800, Insurance Rs. 1.250 and repair Rs. 2,872 were in respect of bungalow let to employees, (c) Legal charges amounting to Rs. 950 were incurred in connection with the purchase of additional land. (d) 2/3rd of research expenditure is capital expenditure which was incurred in July 1972. (e) depreciation allowable is Rs. 2 75,850, (f) General charges include Rs. 5.000 spent by the company for promoting family planning amongst its employees.

KERALA UNIVERSITY

April/May 1973

1. Ramchand runs a Transport business. His books show the following Receipts and Payments :—

Receipts

Receipts from four buses run by him	2,00,000
Loan from Partapchand credited in the books on the first day of the accounting year. He is not able to prove the identity of the person or produce evidence in support of the loan	15,000
Sale of a bus w/d value was Rs. 10,000 and the orginal cost was Rs. 40,000, Sale amount was	30,000

Income from fisheries	1,500
Interest on National Savings certificate	1,000
Profit from a smuggling business	20,000
Expenses	
Salaries, motor vehicle tax and repairs etc.	1,40,000
Fees paid to an Auditor for setting the income-tax liability	1,000
Travelling expenses on his holiday trip	800
Charity	250
Income-tax	4,000
Advertisements	4,000
Entertainment expenses	1,200
Municipal tax and urban land tax for the business place	4,000
Tips to authorities and penalty in connection with the smuggling business	10,000

Determine his total income.

2. Define 'Dividend' as defined in section 2 (22) with suitable illustrations.

3. From the following particulars compute the total income of Mr. Goswamy for the assessment year 1972-73 :

(a)	Basic salary from Delhi university	7,200
(b)	Dearness allowance	2,400
(c)	City compensatory allowance	1,200
(d)	House rent allowance (He paid Rs. 200 per month for a rented house)	1,080
(e)	Remuneration for acting as examiner	1,500
(f)	Scholarship amount received to meet the cost of research work	1,200
(g)	He spent Rs. 7C0 on purchase of books on his subject.	
(h)	He maintained a scooter for the whole year for going to the college.	

4. Discuss the provisions relating to set off or carry forward and set off of business loss. If these to relates to a registered firm, how is it to be treated ?

5. Discuss the provisions relating to the following :

(a) Medical treatment of handicapped dependent.
(b) Educational expenses of children of a non-citizen.
(c) Donation to charitable institutions.
(d) Income of new industrial undertakings.
(e) Income of blind or physically handicapped assessees.

6. What are the time-limits prescribed for filing of—

(a) Return of income.
(b) Return claiming loss under business; and
(c) Application for registration.

If an assessee faild to file the voluntary return, what is course open to the Income-tax Officer for making the assessment.

7. Explain :

(a) Self-assessment
(b) Provisional assessment for refund.
(c) Rectification of mistakes.

8. What are powers given to the Income-tax authorities in the matter of enforcing the attendance of any person and examining him on oath and regarding 'search and seizure' ?

9. What are the various transfers gains from which are exempted from capital gains tax ?

What concessions are allowed in respect of sale of property used for residence ?

UNIVERSITY OF MYSORE

October 1970

1. a. Define "Annual Value". How is it determined ?

b. Explain how the precedence given to the set off of business losses over unabsorbed depreciation is to the advantage of the taxpayer.

2. a- Distinguish between a "registered firm" and an "unregistered firm", Described procedure of getting of firm registered under section 184 of the Income-tax Act.

b. Discuss the provisions of the Income-tax Act relating to the set off and carry forward of losses.

3. a. Explain the terms "Terminal balance" and "Balancing Charge."

b. Sri Ramesh sold a group of machinery (which he had purchased after 1-4-1955) for Rs. 2,50,400 in the previous year relevant to the assessment year 1969-70. Following particulars are available in the records :—

(a) Original cost of machinery sold	1,50,000
(b) Ordinary depreciation allowed	37,500
(c) Additional depreciation allowed	25,000
(d) Triple shift allowance allowed	10,000
(e) Initial depreciation allowed	20,000
(f) Development rebate allowed	10,000

(g) From another buyer the assessee had received an advance of Rs. 10,000 which was forfeited because the negotiations to sell the machinery to him fell through.

Compute the profit under section 41(2) of the Income-tax Act, 1961 and capital gain arising out of the sale of machinery.

4 From the following particulars, find out the total income (after making permissible deductions) Dr. Raj for the year ending 31st March, 1969 :—

(a) Salary at Rs. 500 per month, Contribution to R. P. F.—his own 8%, by his employer 10% of salary. He purchased books of the value of Rs 1,000 during the year.

(b) His investments were :

i. Rs. 5,000 in 6% Preference shares of Mohan Ltd. The Company declared dividend.

ii. Rs. 6,000 in 5% Fixed Deposit in a bank for six months.

iii. Rs. 10,000 in 4% National Plan Certificates.

iv. Rs. 8,000 in 6% Mortgage Debentures of Bird and Co. Ltd. He paid Rs. 200 interest on loan taken for the purposes of purchasing debentures and Rs. 25 for collection charges.

(c) He owns a house in which he lives himself and paid local taxes Rs. 200, ground rent Rs. 20 and insurance premium Rs. 25. The municipal valuation of the house is Rs. 2 000.

(d) He deposited Rs 240 in Post Office 10 Year Cumulative Time Deposit Rs. 75 were credited in his post office savings bank account.

(e) His share of profit from a registered firm, unregistered firm and Hindu undivided family business is Rs. 2,000; Rs. 1,000 and Rs. 10.000 respectively.

(f) He received Rs. 1,000 as examinership fees.

(g) He paid insurance premium on his life Rs. 400.

3. The following is the Profit and Loss Account of a registered firm where A, B and C are partners :

Rent		5,000	Gross profit b/d	1,41,550
Water and Electricity		800	Dividends	450
Salaries		16.000	Capital gains on the sale of investments (long term)	8,000
Interest		4,000		
Depreciation on furniture		1,000		
Travelling of B for going abroad on firm's business		6,000		
Subscriptions to trade assn.		500		
Subscription to Gandhi Memorial fund		1,200		
Goodwill written off		7,500		
Net Profit :				
A 1/2	54,000			
B 1/4	27,000			
C 1/4	27.000	1.08,000		
		1,50,000		1,50,000

Rent includes Rs. 1,200 for rent of business premises paid to partner A. Salaries includes Rs. 3,000 paid to B and Rs. 2,400 paid to C. Interest inculdes Rs. 1,000 paid to A, and Rs. 500 paid to B. Admissible depreciation on furniture is Rs. 480. Travelling expenses includes Rs. 1,500 for boarding expenses of B while on tour

Compute total income of (a) the firm and (b) the partners.

April 1972

(a) [a] List the deductions permissible in computing the income from 'Salaries' for tax purposes.

[b] What are the bases for taxing rent-free accommodation and house rent allowance given to an employee by an employer.

2. [a] Write short notes on :

Bond Washing Transactions, Tax-free commercial securities.

[b] A person has the following investments during the year 1970—71 :

[1] Rs. 54 000 $3\frac{1}{2}\%$ Government Paper
[2] Rs. 30,000 5% Municipal debentures
[3] Rs. 20,000 $4\frac{1}{2}\%$ Port trust bonds
[4] Rs. 10,000 4% Bombay Development Loan
[5] Rs. 32,000 3% Tax-free Government of India Loan
[6] Rs. 31,200 5% Tax-free Debentures of a Company
[7] Rs. 16,000 6% Debentures of a Sugar Mill Co.

On 1st September, 1970 he bought Rs. 40 000 3% U. P. Govt. Loan for Rs. 45,000, the interest on which is payable on 30th June and 31st December. For this purpose he took a loan from his bankers of Rs. 30,000 at 5% and the balanee of Rs. 15,000 were financed out of a previous loan taken for other some purpose at 6% p.a. The Bank also charged 2% commission on realisation of interest and dividend and 1% commission on purchase of securities. Find out income under the head "interest on securities."

3. [a] What is the purpose of allowing Development Rebate ? State the conditions that should be satisfied for claiming the rebate :—

[b] Calculate the amount of development rebate and depreciation allowance for assessment years 1970-71 and 1971-72 from the following particulars of a firm whose accounting year ends on 31st Dec.

(1) Purchased a new machine for Rs. 40,000 on 30th June. 1969.
(2) The machinery was used double shift for 100 days in 1969 and triple shifts for 160 days in 1970. Actual number of working days in 1969 and 1970 was Rs. 200.
(3) The prescribed rate of depreciation is 10%.

4. Discuss the provisions of Income-tax Act relating to the set off and carry forward of losses.

5. Sri Anand and Sri Binod are equal partners in a registered firm whose Profit and Loss Account for the year ended 31st Dec., 1970 is given below :

Salaries and wages	4,000	Gross Profit	37,000
General Expenses	7,200	Bank Interest	1,000
Sales tax	300	Bad debts recovered	600
Rent rates and taxes	2,500	(disallowed in earlier	
Development rebate reserve	1,500	year's assessment)	
Bad debts written off	300		
Bad Debts reserve	800		
Advertising	2,000		
Subscription any charity	1,000		
Loss on sale of motor car	2,000		

Interest on capital :			
Anand	1,500		
Binod	1,500	3,000	
Partners' salaries :			
Anand	1,000		
Binod	1,800	3,000	
Commission to Binod			
Net Profit :			
Anand	5,000		
Binod	5,000	10,000	
		38,600	38,600

Notes :

(a) General expenses include Rs. 200 being legal charges for drawing up a new partnership deed.

(b) Advertising represents Rs. 700 being cost of permanent sign-board and Rs. 1,300 being cost of insertion in trade journals.

(c) The motor car is entirely used for private purposes of the partners.

(d) Subscription and charity include :—Rs. 200 to Trade Association, Rs. 500 to Bangla Desh Refugee, Rs. 300 donation to a school.

(e) The written down value of old plant and machinery on 1st Jan., 1970 was Rs. 5,000. On 31st August, 1970 a new plant and machinery (complete unit) amounting to Rs. 10,000 was purchased, installed and put into use for commercial production. Depreciation at 10% is allowable on all plant and machinery.

(f) Rent, rates and taxes include Rs. 1,200 being rent paid to Anand for premises used for business. Compute total income of the firm.

April 1973

1. Describe briefly the provisions of the Income-tax Act relating to 'Advance payment of tax'.

2. a. Under what circumstances business losses can be carried forward and set off in subsequent assessment years ?

b. The following particulars are supplied to you by an individual having the status of a resident in India and you are required to compute his total income for the assessment year 1972-73 keeping in view the various provisions relating to set off of losses :—

Interest on securities	Rs. 15,000
Income from house property A	4,000
Loss from house property B	5,000
Income from residential house (computed)	500

Loss from a registered firm	20,000
Profit from speculation business	45,000
Loss from short term capital assets	5,000
Long term capital gains	4,000
Long-term capital loss arising from transfer of a building	10,000

3. Write short notes on : House rent allowance, Entertainment Allowance Deduction of tax at source under the head 'salaries'.

4. a. What conditions must be satisfied before an assessee can be allowed depreciation on any asset ?

b. Written down value of certain plant and machinery is Rs. 1,50,000 as on 1st April, 1970 and the rate of allowable depreciation is 10 per cent. Profits from business for the years 1970-71 and 1971-72 amount to Rs. 10,000 and Rs. 25,000 respectively. Work out the taxable profits.

5. Shri B. S. Shetty is practising as a lawyer at Bangalore. He keeps his books on cash basis and his summarised Receipts and Payments account for the year ended 31st March 1972 is as under :

Balance brought forward	5,000	Subscriptions to law journals	400
Legal fees	30,000	Law books purchased	1,000
Special Commission fees	500	Rent	1,500
Salary as part-time lecturer in law	2,400	Electric charges	1,000
Examiner's fees from Bangalore University	400	Cor expenses	2,000
		Office expenses	5,000
Interest on fixed deposit in a bank	300	Income-tax	2,000
		Gift to daughter	1,000
Sale proceeds of House property	40,000	Household expenses	15,000
		Cost of typewriter purchased for office	700
Dividends from a Co-operative society	1,000	Donation to an approved institution	1,000
Directors fees	100	Car purchased	22,000
		Life insurance prem.	5,000
		Cumulative time dep. (15 years)	1,200
		Balance carried	20,900
	79,700		79,700

The following further information is available :

(a) Rent and electric charges are in respect of the premises occupied by Shri Shetty. One-half of the premises is used by him as his residence.

(b) One-half of the car expenses are in respect of his personal use.

(c) Rs. 500 is allowable as depreciation in respect of car used for professional use.

(d) Life insurance premium has been paid on a policy of Rs. 40,000 taken on his own life.

(e) He claimed Rs. 200 for books purchased out of his salary income and the remaining Rs. 800 against his professional income.

You are required to prepare a statement showing his income from profession and also his total income for the assessment year 1972-73.

BANARAS HINDU UNIVERSITY

B. B. M. Examination

1971-72

1. Discuss briefly the various deductions that are expressly admissible in computing the taxable income from business.

Or

Mr.N.N. Law, and advocate, has submitted the following Income and Expenditure Account for the year ending March 31, 1971—

	Rs.		Rs.
To Office expenses	13,000	By Professional earing	1,25,000
,, Purchase of ornaments for wife	9,000	,, Profit on sale of property purchased in 1950	20,000
,, House-hold evpenses	36,000	,, Ground rent	1,000
,, Wedding expenses of his daughter	10,000	,, Fee as director	3,000
,, Lif insurance premium (own life)	12,000	Interest from tax-free Government securities	8,000
,, Life insurance premium on wife's life	5,000	,, Gifts on the occasion of his daughter's wedding	16,000
,, School and college fees of his children	4,000		
,, Net loss on share bazar transactions (Allowable	15,000		
,, Charitable donation to a Dharmshala	5,000		
,, Balance	64,000		
	1,73,000		1,73,000

He lives in his own bungalow. Its rental value as per municipal valuation is Rs. 16,000. Expenses on this bungalow were : Ground rent Rs. 1,000; Fire insurance premium Rs. 200.

Calculate his total income for the Assessment year 1971-72.

2. Explain briefly the provisions of the Income-tax Act 1961 relating to set-off and carry forward of various losses.

Or

Anand, Basant and Chandra are partners in a registered firm sharing profits and losses in proportion of 3:2:1 respectively. The firms Profit and Loss Account for the year ended 31st December, 1970 showed a net profit of Rs. 1,18,000 after debiting, inter alia the following amounts :—

(i) Salary of Rs. 4.000 paid to Chandra :

(ii) Rent of Rs. 9,000 paid to Anand for the portion of the building owned by Anand in which the firm's office was situated.

(iii) Interest (on capital) of Rs 1,000, Rs 2,000 and Rs. 3.000 to Anand, Basant and Chandra respectively.

(iv) Commission on sale paid to Bansant Rs. 1,000.

(v) Expenses on current repairs of the business premises belonging to partner Anand Rs. 1,000.

(vi) Donation to approved bodies Rs. 5,000.

The net profit of Rs. 1.18,000 included Rs. 10,000 from interest on Government securities (after deduction of tax at source Rs. 2,000).

Compute total income of the firm for the assessment year 1971-72 and allocate the same amongst the partners.

3. Discuss the various assets that are totally exempted from Welth-tax.

Or

Shri Arun Kumar a resident Indian citizen, is a retired Professor On enquiry the following particulars were ascertained regarding his assets and liabilities :—

(i) One house in which he is residing, situated in Varanasi and valued at Rs. 5,000.

(ii) Jewellery worth Rs. 20,000 including personal ornaments of his wife valued at Rs. 5,000.

(iii) One house in Kanpur valued at Rs. 50,000 transferred to his daughter on March 31, 1965. The daughter was married in March 1,1971 at the age of 17.

(iv) Furniture of the value of Rs. 6,000.

(v) A motor car for personal use valued at Rs. 15,000.

(vi) Deposit in a bank in Ceylon for Rs. 1,50,000.

(vii) He owes an amount of Rs. 25,000 borrowed from a bank in Kanpur for the purpose of construction of the house referred to above.

(viii) Ten year treasury savings deposit certificates for Rs. 10,000.

(ix) Agricultural land near Varanasi valued at Rs. 25,000.

(x) He had a life insurance policy for Rs. 50,000 maturing on July 1, 1971, its surrender value on March 31, 1971 being Rs. 49,000 The valuation date is March 31, 1971 Compute the net wealth of the assessee for the assessment year 1971-72.

4. Explain clearly the meaning of a 'Dealer' in U. P. Sales Tax Act and state how are they registered ?

Or

Under what conditions a provident fund is recognised ? How does the membership of a recognised provident fund benefit an assessee in the matters of income-tax ?

5. Write short notes on any THREE of the following :—

(i) Short-term Capital Asset;
(ii) Best Judgment Assessment;
(iii) Revision by the Commission;
(iv) Net Wealth;
(v) Rights of the I.T.O.;
(vi) Advance Payment of Tax.

B.B.M. SIXTH SE MESTER EXAMINATION, 1972-73

1. Explain the provisions of law regarding depreciation allowance and development rebate granted for the purpose of computing assessable profits from business.

Or

From the following Profit and Loss Account of Shri Garibdas for the year ending 31st March, 1972, you are required to calculate his total income for the assessment year 1972-73 :—

	Rs.		Rs.
Office Salaries	5,200	Gross profit	40,575
General expenses	2,000	Discount received	980
Bad debts written off	2,300	Bad debts recovered	990
Reserve for debts	900	Interest on Post Office savings bank account	1,200
Advertising	3,000		
Fire ins. prem.	700	Profit on sale of long-term investment	3,400
Income-tax for 71-72	2,000		
Advance payment of income-tax for 72-73	990	Interest on investment	2,000
		Sundry receipts	45
Interest on capital	2,000		
Charity (acceptable)	2,000		
Interest on loan	3,200		
Loss or stock by fire	1,400		
Depreciation	3,000		
Net Profit	20,500		
	49,190		49,190

50% of the fire insurance premium pertains to the residential house of the assessee which is not owned by him. Included in advertising is a sum of Rs. 2,000 spent on a special advertising campaign undertaken during the year in respect of a new product placed on the market.

2. Describe the conditions essential to the registration of a firm under the Income-tax Act, 1961. How deos the assessment of a registered firm differ from the assessment of an unregistered firm ?

Or

A registered firm with A, B and C as equal partners submits the cllowing information for the previous year ending 31st December 1971 :

(i) Profit from business (after deducting the

following amounts			Rs. 85,000
Salary to A		9,000	
Interest on capital :			
A	5,000		
B	4,000		
C	3,000	12,000	
Donation to N.D.F.		3,000	
		24,000	

(ii) Interest on securities (gross)	10,000
(iii) Income from property (computed)	15,000
(iv) Dividends (gross)	6,000

You are required to compute the total income of the partnership firm and allocated it amongst the partners.

3. How are the following assets valued for wealth Tax purposes :

(a) Interest in a firm

(b) Shares and Debentures.

Or

Following are the particulars revealed by Shri Amirdas who is a resident in India and resides at Bombay. The valuation date being 31st March, 1972 for purposes of wealth-tax. You are required to compute the net wealth of Shri Amirdas giving reasons for exclusion or inclusion of each item.

a.	Agricultural land in U.P.	Rs. 2,00,000
b.	One horse and a carriage valuing Rs. 3,000 and Rs. 2,000 respectively	5,000
c.	Shares in a Ltd. company settled on his wife for the benefit of his minor son	1,00,000
d.	Two residential houses at Bombay valuing Rs. 2,00,000 and Rs. 5,00,000	7,00,000
e.	Investment in business	5,00,000
f.	Ornaments	65,000
g.	He is member of an HUF consisting of himself. his two brothers and mother. The property being valued at	3,00,000
h.	Personal car	20,000
i.	Cash and bank balances	2,50,000

4. Explain the following terms as given in the U. P. Sales Tax Act : Taxable turnover, Sale, Goods and casual trader.

Or

Which profits are chargeable under the head "Capital gains" and how is such taxable income computed ?

5. Write short notes on any three of the following :—

a. Valuation of rent free accommodation for income-tax purposes
b, Deduction of tax at source
c. Assets exempted from wealth-tax
d. Wealth-tax Authorities
e. Registration of dealer under the U.P. Sales tax Act.

B.B.M. SIXTH SEMESTER EXAMINATIO N. 1973-74

Tax Accounting

1. Discuss the provisions of the Income-tax Act, 1961, with regard to the following :—

(a) Valuation of rent free accommodation;
(b) Expressly disallowed expenses;
(c) Permissible deductions under the head 'Income from other sources'.

Or

Following is the Profit and Loss Statement of Ashoka Traders Ltd. for the year ending 31st March, 1973 :—

	Rs.
Opening Stock	5,50,000
Purchases	55,60,000
Railway freight and octroi	4,50,000
Salaries	6,00,000
Directors' fees	6,000
Audit fee	5,000
Legal expenses	45,000
Repairs to building and machinery	19,000
Labour welfare expenses	10,000
General charges	20,000
Interest paid	2,55,000
Reserve for bad debts	20,000
Depreciation	12,000
Managing directors remuneration	35,000
Reserve for taxation	5,50,000
General reserve created	1,00,000
Proposed dividend	6,20,000
Balance of profit carried to B/S	1,70,000
	90,27,000

You are required to compute taxable income of the company from business and also its total income for the relevant assessment year after taking into account the following information :—

(a) General charges include :

(i) Rs. 10,000, entertainment expenses;
(ii) Rs. 8,000, donation to approved institution.

(b) Depreciation allowable is Rs. 10,000.
(c) Legal expenses include Rs. 800 paid to an advocate for conducting income-tax appeal and Rs. 3,000 in connection with the prosecution of the Managing Director for smuggling goods to Pakistan.

2. State the main provisions of the Income-tax Act, 1961 regarding the lavy and computation of Capital Gains Tax. State also the capital gains.

Or

The following are the particulars of Mr. M. N. Rastogi, Professor of Philosophy in Allahabad University, for the previous year ended 31st March, 1974 :—

(a) Salary @ Rs. 1,500 per month from which is deducted his contribution to university provident fund at 10 per cent. An equal amount being contributed by the University.
(b) Wardenship allowance Rs. 200 per month.
(c) He is provided with a rent free bungalow by the University.
(d) Received 10 per cent dividend in respect of 50 shares of Rs. 100 each.
(e) Received interest on bank deposit Rs. 1,000.
(f) Royalty from books Rs. 1,500.
(g) Examination remuneration Rs. 3,000.

During the relevant previous year, he paid Rs. 2,000 as life insurance premium on his life and purchased books necessary for his professional duties for Rs. 900.

You are required to compute his total income for the assessment year 1974-75.

3. Discuss the successive remedies open to an assessee who feels aggrieved by an order of the Wealth Tax Officer.

Or

Following particulars are supplied by Shri D.S. Chauhan, who is resident in India and who resides in Varanasi. You are required to compute his net wealth giving reasons for inclusion and exclusion of every item, the valuation date being 31st March, 1973.

(a) A residential house at Varanasi valued at Rs. 2,35,000.
(b) Agricultural land in Bihar, Rs. 3,50,000.
(c) Tractor used in agriculture, Rs. 25,000.
(d) Shares in a company gifted to him by his father-in-law, Rs. 20,000.
(e) Car used for private purposes, Rs. 23,000.
(f) Jewellery which is claimed to be Stridhan, Rs. 28,000. Half of it was given to his wife by his father-in-law at the time of his marriage; and the other half was given to his wife by his parents.
(g) Cash at hand, Rs. 10,350.
(h) Cash at Bank, 2,30,000.
(i) Deposit in Post Office Saving Bank account, Rs. 18,000.
(j) One residential house let out in Bombay, Rs. 5,60,000.

4. What are the remedies open against a Sales Tax Assessment under the U.P. Sales Tax Act ? Explain the constitution and functions of Appellate Tribunal.

Or

What are the admissible deductions allowed for arriving at the taxable turnover under the U.P. Sales Tax Act ?

5. Write short notes on any three of the following :—
   (a) Treatment of casual incomes under the Income-tax Act;
   (b) Advance payment of tax under the Income-tax Act;
   (c) Valuation of unquoted shares for wealth tax purposes;
   (d) Registration of a firm under the Sales-tax Law.

AGRA UNIVERSITY Pt. II

1971

1. Explain any four of the following—

Exempted income; Vacancy allowance ; Previous year ; Perquisites Balancing charge ; Capital gains ; Annual value.

2. What are the different categories into which the assessee are divided with regard to residence ? Give a brief account of each of them.

3. Discuss the provisions of Income-Tax Act relating to the set-off and carry forward of losses.

4. An individual is in receipt of a salary of Rs. 1,200 per month 8 per cent of which he contributes to a provident fund to which his employer contributes 12 per cent. He is provided with a rent free house by the employer, the rental value of the house being Rs. 1,200 per annum, and he also received from his employer Rs. 2,400 as bonus. The amount of interest credited to his provident fund at 5 per cent per annum is Rs 900. He paid Rs. 5,000 as life insurance premium.

Ascertain his taxable income for the assessment year 1970-71 if the provident fund in question is (a) a statutory provident fund to which the Provident Fund Act. 1925 applies, (b) a recognized provident fund.

5. Ram Gopal is employed in a government office on a monthly salary of Rs. 500. He owns 3½ per cent government securities of Rs. 80,000 and is also the owner of a house of which municipal valution is Rs. 1,600. He has let out one-third of the house at Rs. 60 per month and occupies the remainder for his own residence. The house is subject to property tax levied by the Punjab Government and the amount of such tax paid during the year being Rs. 600. The municipal taxes paid in respect of the house amounted to Rs. 300. Ascertain his taxable income from house property and also his total income for the previous year ended 31st March, 1970.

1972

1. Explain any four of the following :

Resident; Donations ; Earned income ; Admissible expenses ; Normal depreciation ; Casual income ; Assessee.

2. Distinguish between any two of the following :
   (a) Recognised Provident Fund and unrecognised Provident Fund.
   (b) Registered firm and unregistered firm.
   (c) Step system and slab system of Taxation.

3. Explan any ten incomes that are not included in the total income of an assessee.

4. The following are the particulars of Mohan Lal's income for the previous year ended 31st March, 1971 :

i) Salary Rs. 1,000 per month;
ii) Bonus Rs. 1,500 per annum;
iii) A rent-free house whose annual value is Rs. 1,000
iv) His own contribution to the Provident Fund is 10 per cent of his salary;
v) Employer's contribution to the Provident Fund at 15 per cent of his salary;
vi) Interest credited to the Provident Fund at 8 per cent per annum is Rs. 800;
vii) Life Insurance premium paid on his life insurance policy is Rs. 4,000 on a policy of Rs. 38,000;
viii) Income from other sources is Rs. 1,500;

Find out his total income, if the Provident Fund is :

a) A Statutory Provident Fund;
b) A Recognised Provident Fund.

5. The following are the particulars of income of University Professor :

i) Salary Rs. 1,200 per month from which 8 per cent is deducted for provident fund to which the University contributes 12 per cent.
ii) Rent-free bungalow of the annual rental value of Rs. 960.
iii) Wardenship allowance of Rs. 1,200 per annum.
iv) 4 per cent tax-free interest on Govt. securities of Rs. 5,000.
v) Income from house property Rs. 1,800.
vi) Interest on Postal Savings Bank deposit Rs. 300.
vii) Royalty from books Rs. 2,500.
viii) Examinership remuneration Rs. 3,500.

During the year he paid Rs. 2,400 as Life Insurance premium on his own policies and spent Rs. 600 on book purchased for his own use. Find out his total income for the year 1970-71.

1973

1. Explain any four of the following :—

i) Bond-washing transactions;
ii) Extra-shift allowances;
iii) Non-resident;
iv) Person;
v) Previous year;
vi) Income;

2. In computing the taxable income from house property, what deductions are allowed from annual value ?

3. What are the different categories into which the assessee are divided with regard to residence ? Give a brief account of each of them.

4. Mohan Lal is a lecturer in a College of Agra University. The details of his salary and other incomes for the previous year 1971-72 are as follows :

		Rs.
Basic Salary	per annum	7,200
Dearness Allowance	,, ,,	2,400
City Compensatory Allowance	,, ,,	1,200
Examinership Remuneration	,, ,,	1,500

He is a member of statutory provident fund to which he contributes $8\frac{1}{3}\%$ of his salary and the similar amount is contributed by the employer.

During the previous year he spent Rs. 700 on the purchase of books for his profession. He has maintained a Scooter for the whole year for coming from and going to college.

During the previous year he paid Rs. 1,500 as insurance premium on a policy on his own Life for Rs. 25,000.

Compute the taxable income of Mohan Lal for the assessment year 1972-73.

5. A firm had three partners A, B & C with shares in the ratio of 4 : 3 : 1 respectively.

The firm's Profit and Loss Acconnt for the year 1972 showed a net Loss of Rs. 16,000 after charging the following items :—

	Rs.
Interest on capital A	3,000
Interest on capital B	2,000
Interest on capital C	1,000
C's Salary	2,000

A's taxable income from other sources was Rs. 5,000 while B & C had no other income.

Explain how assessment would be made (i) when the firm is registered and (ii) when it is unregistered.

1974

SECTION A

1. Explain any four of the following :—

a) Earned income;
b) assessee;
c) Total income;
d) Hindu undivided family;
e) Income tax officer;
f) Depreciation.

2. How is the residence of assessees determined for income tax purposes ?

3. What relief is allowed from income tax in respect of life insurance premium and contribution to provident fund ? How is the amount of such relief calculated ?

4. Karim is the owner of a house in Delhi which was built in 1952. It has been let out for Rs. 90,000. The tax payable by the owner comes to Rs. 10,000 but the land lord has signed an agreement with the tenant laying down that the latter would, in addition, pay tax direct to the corporation. The land lord, however, bears the following expenses on tenant's amenities :—

	Rs.
Water charges	1,000
Lift maintenance	1,000
Gardener's salary	1,200
Lighting of stairs	800
Karim claims following deductions :—	
Repairs	30,000
Land Revenue	1,000
Collection Charges	2,000

Compute his taxable income from property for the assessment year 1973-74.

5. Panna Lal's investments during the year ended 31st March, 1973 were as follows :

i) Rs. 60,000 $3\frac{1}{2}$% Govt. securities;
(ii) Rs. 30,000 4% Lucknow Municipal Corporation Bonds;
(iii) Rs. 50,000 $4\frac{1}{2}$% Vishakha Port Trust Bonds.

He paid Rs. 90 as bank commission for collecting interest and Rs 1,200 as interest on loan which he had taken for financing the purchase of Vishakha Port Trust Bonds.

Find out his taxable income from interest on investments.

SECTION B

6. Distinguish between the financial accounts and the cost accounts. State briefly the objects of costing.

7. Describe the different methods of pricing the material issued from stores.

8. M/s Bhagwan Dass & Sons, carpet makers show the following details of materials and expenses incurred on the manufacture of carpets during the six months ended 30th June, 1973 :—

	Rs.
Stock of finished goods (31st Dec. 1972)	28,000
Stock of raw materials (31st Dec., 1972)	12,800
Purchases of raw materials	2,92,000
Productive wages	1,98,800
Sales of finished goods	5,92,000
Stock of finished good (30th June, 1973)	30,000
Stock of raw materials (30th June, 1973)	13,600
Works overhead charges	43,736
Office and general expences	37,364

The firm wants to send a tender for the manufacture of 3,000 carpets. It is estimated that the materials would cost Rs. 10,000 and the productive wages will account for Rs. 6,000. The percentages of works oncost on the productive wages and of office and general expenses on works cost remain unchanged. The firm wants to earn profit of 20% on selling price.

You are required to ascertain—

(a) The cost of the materials used;
(b) The prime cost;
(c) The works cost;
(d) The total cost; and
(e) The amount of the tender.

9. The books of a contractor show the following expenditure in connection with the installation of a factory :—

	Rs.
Materials	2,00,000
Wages	1,20,000
Overhead expenses	40,000
Plant	80,000

The contract price was Rs. 8,00,000 and it was estimated that the contract would take one more year to complete. The work certified so far was Rs. 3,60,000 and 75% of the architect's certificate was received in cash. At the end of the first year work done but not certified was estimated at Rs. 30,000 and the closing stock of materials lying at site was Rs. 10,000.

Prepare the contract account after all the necessary adjustments are made and show what portion of the profit should reasonably be credited to Profit and Loss Account. The plant is to be depreciated by 10%.

10. The following figures relate to the cost of three process as of manufacture. The production of each process is passed on to the next process immediately on completion :—

	Process A	Process B	Process C
	Rs.	Rs.	Rs.
Wages and materials	30,400	12,000	29,250
Works oncost	5,600	5,250	6,000
Production in units	36,300	37,500	48,000
Stock (units from preceding process on 31st July, 1971)	—	4,000	16,500
Stock (units from preceding process on 31st July, 1971)	—	1,000	5,500

Prepare the three Processes Accounts showing the cost of production per unit at each stage.

DELHI UNIVERSITY

1970

1. Assessees have been divided into three categories on the basis of residence. Explain how these categories are defined and how they affect the tax liability of an assessee.

2. (a) How will you distinguish between 'capital gain' and "ordinary income" ? Why is it important to make this distinction ?

(b) What is 'agricultural income' and how is it treated for income-tax purposes ?

3. (a) What are 'perquisites' and how are they treated in income-tax ?

(b) What tax relief is available to an employee in respect of his provident fund contribution and life insurance premium ?

4. (a) Bring out the difference for income-tax purposes between a registered firm and unregistered firm,

(b) What is development rebate and what is the purpose behind its allowance ? Summarise the provisions of the Income-tax Act relating to such rebate.

1971

1. Write short notes on any three of the following :
(a) Person (b) Agricultural income (c) Assessee (d) Refunds and (e) Previous year.

2. Which income is chargeable under the head 'Interest on Securities' ? What deductions are allowed in computing income under this head ? Name the assessee exempt from income-tax on interest on securities.

3. Define 'Annual value'. How is it determined ? What deductions are allowed from the annual value in computing taxable income from house property ?

4. The following are the particulars of the income of a professor of Lucknow University during the year ending 31st March, 1970:

(a) Salary Rs. 1,200 per month from which 8% is deducted for provident fund to which the University contributes 12%,
(b) Rent-free bungalow of the annual letting value of Rs. 960,
(c) Wardenship allowance of Rs. 1,200 per annum,
(d) Dearness allowance of Rs. 1,500 per annum,
(e) Interest on postal savings bank deposit Rs. 300,
(f) Royalty from books Rs. 2,500.
(g) Examinership remuneration Rs. 3,500.

During the year he paid Rs. 2,400 as life insurance premium on his own policies and spent Rs. 600 on books purchased for his own use. Find out his total income.

5. Explain the provisions of Income-tax Act, 1961 regarding carry forward and set off of losses.

1972

1. What are the different categories of assessees acording to their residential status ? How is this status determined ? How is total income computed in respect of each of them ?

2. What are the provisions of Income-tax Act regarding the assessment of a firm ?

In what respects does the assessment of a registered firm differ from the assessment of an unregistered firm ?

3. (a). What ate 'perquisites' and how are they treated in Income-tax ?

(b) What tax relief is available to an employee in respect of his provident fund contribution, Life Insurance premium and interest earned on bank deposits ?

4. (a) Describe the provisions of Income-tax Act relating to 'Advance payment of tax'.

(b) What are the circumstances in which a claim for refund of tax may arise ? Describe briefly the procedure for claiming a refund.

5. From the following particulars of the income of Mr. X, an employee in a private concern, compute his total income for the year ending 31sl March, 1972 :

		Rs.
(i)	Salary at Rs. 1,500 p. m.	18,000
(ii)	Dearness Allowance at Rs. 150 p. m.	800
(iii)	Bonus	4,500
(iv)	House Rent Allowance at Rs. 225 p. m.	2,700
(v)	Entertainment Allowance	5,000
(v)	Employer's Contribution on X's Provident Fund @ 12% of his Salary	2,160
(vii)	X's contribution to his Provident Fund @ 12½%	2,250
(viii)	Interest on Provident Fund @ 6% per annum	1,200
(ix)	Life Insurance Premium paid by the employer on X's life (X is insured for Rs. 17,500)	2,000

X maintains a car for the purpose of office going and spends Rs. 250 per month on the car.

Assume the Provident Fund to be the Recognised Provident Fund.

1973

1. (a) Discuss the incomes which are neither included in total income nor is income-tax payable on them.

(b) Discuss briefly the provisons of the Income-Tax Act regarding deductions to be made in computing the total income of an assessee in respect of certain payments.

2. (a) How will you distinguish between 'capital gain' and 'income'? Why is it important to make this distinction ?

(b) What is agricultural income and how is it treated for income-tax purposes ?

3. (a) In computing the taxable income from house property, what deductions are allowed from annual value ?

(b) Mention the different kinds of income specifically mentioned as chargeable to tax under the head 'Income from other sources'.

4. Write short notes on any three of the following :

(a) Set-off losses.
(b) Casual Income.
(c) Difference between assessment year and previous year.
(d) Assessee.
(e) Deduction of Tax at source

5. The following are the particulars of the income of a University professor during the year ending 31st March, 1972 :

(a) Salary, Rs. 1,200 per month from which 8 per cent is deducted for Provident Fund to which the University contributes 12 per cent.
(b) Rent-free Bungalow of the annual letting value of Rs. 960.
(c) Wardenship allowance Rs. 1,200 per annum.
(d) 4% tax-free interest on Government Loan of Rs. 5,000.
(e) Income from house property Rs. 1,800.
(f) Interest on postal saving bank deposit, Rs. 300.
(g) Royalty from books Rs. 2,500.
(h) Examinership remuneration, Rs. 3,000.
(i) Amount received on Prize Bonds Rs. 500.

During the year he paid Rs. 2,400 as life insurance premium on his own policies and spent Rs. 600 on books purchased for his own use.

Find out his total income and exempted income.

KARNATAK UNIVERSITY

B. Com. Examination

April 1971

1. Compute the total and taxable income of Sri Manjunath for the year ending 31-3-70 from the Profit and Loss Account and other information given below :—

Profit and Loss Account for the year ended 31-3-1970

	Rs.		Rs.
To Establishment	6,000	By Gross profit	26,800
,, Interest paid	2,000	,, Net Loss	3,400
,, Income Tax paid	1,000		
,, Drawings	4,000		
,, Municipal Taxes (Relating to house let out)	600		
,, Shop Rent	2,400		
,, Sales Tax	1,800		

	Rs.		Rs.
,, Purchase of machinery	10,000		
,, Auditor's Fees	300		
,, Travelling expenses	850		
,, Embezzlement of cash by clerk	1,250		
	30,200		30,200

Other informations :—

1. He derives Rs. 5,000 by sale of jawar grown on his agricultural lands.

2. He has received a lottery of Rs. 10,000.

3. He has received an interest of Rs. 500 on post office savings bank account.

4. He has received Rs. 1,200 as dividends (Gross) from Telco Ltd. Bombay.

5. He has paid Rs. 2,000 towards the premium on his life policy.

6. He derives Rs. 3,000 as rent from the houses let, and he has spent Rs. 600 for the repairs of the houses.

2. Explain the "Income From Salary". What are the incomes included under the head 'Salary' and what are the deductions allowed under the Indian Income tax Act 1961.

OR

Following is the Profit and Loss account of X, a registered firm with A, B and C as partners. According to terms of partnership, partners are entitled to interest on capital investments in the business, working partners are entitled to salaries and the partner who owns the business premises is entitled to rent.

Profit and Loss Account of X

	Rs.		Rs.
To Rent	5,000	By Gross Profit B/F	1,41,550
,, Water and Electricity	800	,, Dividends	450
,, Salaries	16,000	,, Capital gain on Sale of investments	8,000
,, Interest	4,000		
,, Depreciation on furniture @ 10% on Rs. 10,000	1,000		
To Travelling Expenses of 'B' for going abroad for business of firm	6,000		
,, Subscription to trade Association of which 'X' is a member	500		

Particulars	Rs.	Particulars	Rs.
,, Subscription to Gandhi Memorial Fund	1,200		
,, Goodwill written off	7,500		
,, Net Profit			
A 54,000			
B 27,000			
C 27,000	1,08,000		
	1,50,000		1,50,000

Rent includes Rs. 1,200 for rent of business premises paid to A. Salaries include Rs. 3,000 paid to B and Rs. 2,400 paid to C. Interest includes interest on capital paid to A and B Rs. 1,000 and Rs. 500 respectively. Written down value of furniture as on the beginning of the year is Rs. 8,000. Depreciation on furniture is admissible @ 6%. Travelling expenses include Rs. 1,500, the boarding expenses of B while he was abroad.

Compute the total income of (a) the firm (b) the partners.

3. Write short notes on any three of the following :—

1) Agricultural Income
2) Non-resident
3) Assessment Year
4) Perquisites
5) Registered Firm

October 1971

1. The following are the particulars of income of a professor of of Kalyan University :

1) Salary Rs. 1,400 per month from which 10% is deducted for Provident Fund to which the University contributes 12%
2) Wardenship Allowance Rs. 1,200 per year.
3) Rent-free bungalow of which the annual letting value is Rs. 1,500
4) 8% dividend on 50 shares of Rs. 100/- each in a limited Company.
5) 4% interest on National Defence Bonds of Rs. 5,000.
6) Income from Property let out Rs. 1,200 (Computed).
7) Interest on Postal Savings Bank Deposits Rs. 500.
8) (a) Car having a written down value of Rs. 10,000 was sold for Rs. 8,500.

   (b) Profit on sale of property comes to Rs. 3,000.
9) Examiner's Remuneration amounting to Rs. 3,700.
10) Royalty on books published amounting to Rs. 1,950.

During the year he paid Rs. 2,000 as life insurance premium. He also purchased books worth Rs. 650 during the year. He maintains a scooter for going to and coming from the University.

Find out his total income and exempted income for the assessment year 1970-71.

2. What are the incomes included under the head "Income from Property" and what are the deductions allowed under the Income-tax Act, 1961.

•3. A, B and C are partners in a registered firm sharing profits and losses in the ratio of 1/2 1/3, 1/6 respectively. For the assessment year 1970-71, the account books of the firm showed a net-profit of Rs. 78,300 after making the following adjustments.

1) Payment of interest of Rs. 5,000 to A.
2) Payment of rent of Rs. 9,000 to B for business premises of the firm owned by B.
3) Salary of Rs. 10,000 paid to C.
4) Credit of Rs. 2,000 in respect of interest received account charged to C on his debit balance.
5) Commission paid to be amounted to Rs. 3,000.
6) Payment of Rs. 6,000 to National Defence fund.

Compute the total income of the firm and allocate it among the three partners.

4. Write short notes on any THREE of the following :

1) Assessment procedure.
2) Resident and ordinary resident.
3) Previous year.
4) Revenue income and capital gains.
5) Assessee.

April, 1972

1. Summarise the provisions relating to grant of tax relief in respect of Provident Funds and life insurance premium.

2. What are the deductions allowed from Gross total Income of an assessee ? Discuss briefly.

3. X, an employee, is in receipt of a salary @ Rs. 900 per month with rent free accommodation provided by the employer. The rent of the house being borne by the employer is Rs. 1,000 per annum, X contributes 11% of his salary to the provident fund to which his employer contributes 13% Interest credited to his provident fund account is Rs. 700 calculated at the rate of 7% p.a. He has also paid life insurance premium amounting to Rs. 1,000. Deduction for maintaing a scooter is claimed by him.

Work out his income from salary if the provident fund is :

(a) governed by the Provident Funds Act, 1925, or
(b) a Recognised provident fund; or
(c) an unrecognised provident fund.

4. The firm Ashoka Trading Corporation is owned by three partners X, Y and Z who share profits in the ratio of 2 : 1 : 1 respectively. The firm returns a loss of Rs. 37,500 for the relevant assessment year. In arriving at the loss the following payments have been charged to the Profit and Loss Account :

	X	Y	Z
Salary	8,000	5,000	6,000
Interest on capital	16,000	1,000	4,000

Charity Rs. 800 and presents Rs. 700

Allocate the loss among the partners and indicate how their shares in the firm will be dealt with in their respective personal assessments.

5. Write short notes on any three of the following :

(a) Income
(b) Registered partnership firm
(c) Perquisites
(d) Tax free securities
(e) Deductions from salary.

October 1972

1. What tests would you apply to determine whether an individual is :

a. Resident
b. Non-resident ; or
c. Not ordinarily resident.

2. Enumerate briefly the incomes which are not to be included in computing the total income of an assessee.

3. The following are the particulars of the income of a professor of Mysore University during the year ending 31st March, 1971 :

a. Salary Rs. 1,200 per month from which 8% is deducted for provident fund to which the university contributes at the rate of 12%. The fund is governed by the Provident Funds Act, 1925.
b. Rent free bungalow of the annual letting value of Rs. 960.
c. Wardenship allowance of Rs. 1,200 per annum.
d. Dearness allowance of Rs. 1,500 per annum.
e. Interest on postal savings bank deposits Rs. 300.
f. Royalty from books Rs. 2,500.
g. Examinership remuneration Rs. 3,500.

During the year he paid Rs. 2,400 as life insurance premium on his own policy and spent Rs. 600 on books purchased for his own use. You are required to compute his total income.

4. A, B, C, D and E started business in partnership on 1st January under the style Whitehouse & Co. Each partner contributed Rs. 1,00,000 as capital. The profit and loss account for calendar year shows a net profit of Rs. 60,000 after providing for the following expenses :

a. Interest paid to partners Rs. 30,000.
b. Salary paid to A and D each at Rs. 2,400 per annum Rs. 4,800.
c. Rent paid to E for business office building Rs. 5,000.
d. Life insurance premium for a policy on the life of B which is for the benefit of B only Rs. 1,000.
e. Rent of the business premises to C who happens to be the owner of the building Rs. 5,000.

Compute the total income of the firm and allocate it amongst the partners assuming that it is unregistered.

5. Write short notes on any three of the following :

a. Development rebate.
b. Casual income
c. Deductions under the head "Income from House Property".
d. Previous Year.
e. Expressly allowed expenses.

April 1973

1. From the following particulars supplied by Mr. Desai, determine the total income for the assessment year 1972-73 :

a. Salary Rs. 600 p.m. Contribution to recognised provident fund Rs. 800 the employer contributing similar amount during the year.
b. Investments : Rs. 10,000; 8% Preference shares in a company Rs. 400 interest from Post Office savings bank account.
c. Income from unregistered firm being one-half share in the profits Rs. 5,000.
d. He lives in his own house, the municipal valuation of which is Rs. 3,000. Local taxes payable by Mr. Desai in this respect being Rs. 300.
e. He pays life insurance policy of Rs. 400 on a policy of Rs. 10,000.

2. Summarise the provisions relating to the different kinds of Provident Funds of which an employee may become a member. Describe the tax concessions available in respect of each of them.

3. Explain the term 'Income from property'. State the deductions allowed under the head income from property.

4. Write short notes on any THREE of the following—

a. Agricultural income.
b. Capital receipts and income receipts.
c. Deductions allowed under the head 'SALARIES'.
d. Tax free Govt. securities.
e. Expressly disallowed expenses in the computation of business profits :

5. X, Y, Z are the partners in a firm sharing profits in the ratio of 1 : 2 : 2. They have contributed Rs. 40,000; Rs. 50,000 and Rs. 60,000 respectively towards their capitals. The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31-12-72 shows a net profit of Rs. 50,000 after providing following expenses :—

a. 5% interest paid on the capital of the partners;
b. Salary of Rs. 3,000 paid to X;
c. Commission of Rs. 2,000 paid to Y;
d. Shop rent of Rs. 2,400 is paid to Z.

Compute the total income of the firm and allocate the same among the partners.

October 1973

1. The following particulars have been supplied by an employee assessee relating to his assessment for the assessment year 1972-73 :

a. Basic salary — Rs. 2,500 per month
b. Dearness pay — 300 per month
c. Advance of salary taken on the last day of the year for three months.
d. Furnished house for which the company employer has to pay rent amounting to Rs. 900 per month.
e. Bonus for the relevant year amounts to Rs. 3,000.
f. Pension from the former employer Rs. 400 per month.

Find out his income from salary on the assumption that he owns a car which is used by him for his employment purposes.

2. Explain in what way the tax liability of any assessee is determined with reference to its residential status.

3. Discuss briefly the provisions and the method of allocating firm's total income amongst the partners. Illustrate your point with the help of a numerical example.

4. Write short notes on any *three* of the following :

a. Grossed up amount of interest on securities.
b. Annual value of house property.
c. Rebatable amounts.
d. Treatment of casual incomes.
e. Approved donations and their treatment in the assessment.

5. From the following Profit and loss Account of Srinath for the year ending 31-3-1972, compute the taxable income.

Profit and Loss Account for the year ending 31st March 1972.

	Rs.		Rs.
To Salary	24,000	By Gross Profit	70,000
To Rent	3,000	By Interest on Postal Savings Bank	500
To Depreciation	10,000	By Interest from Bank	500
To General Expenses	20,000	By Net Loss	1,000
To Provision for Bad Debts	10,000		
To Reserve for Income-tax	5,000		
	72,000		72,000

a. Salary includes Rs. 12,000 being salary paid to proprietor;
b. Depreciation allowed by the I.T.O. is Rs. 6,000;
c. General Expenses include Rs. 12,000 spent for purchase of furniture.

December 1974

Paper I

1. Define the following terms under the Income-tax Act, 1961 :-

(1) Agricultural income; and
(b) Assessee.

2. What are the various deductions that are allowed in the computation of net income under the head "Salary" ?

3. Discuss in brief the exemption allowed in case of (1) Life Insurance Premium and (2) Provident Fund.

4. How is income from house property computed under the Indiad Income-tax Act ?

5. Discuss the provisions of the Income-tax Act regarding "method of accounting".

6. Mention the various deductions allowed under the Act in computing income under the head "Income from Other Sources".

7. What are the distinguishing features of set-off and carry forward of losses of (1) a registered firm and (2) an unregistered firm ?

8. What are the powers of the Income-tax authorities under the Act (1) regarding discovery and production of evidence and (2) power to call for information.

9. What is meant by "best judgement assessment"? Under what circumstances can such an assessment be made? What are the remedies available to an assessee aggrieved from such an assessment order ?

10. What do you mean by "Advance Tax"? What are the conditions of liability to pay advance tax ?

11. What are the important features of assessment of Joint Stock Companies ?

12. Write short notes on any *three* of the following :—

(1) Distributable income.
(2) Hindu undivided family.
(3) Interest on delayed refunds.
(4) Rectification of mistakes.
(5) Full value of consideration.
(6) Development allowance.

December, 1974

Paper II

1. Rama, Krishna and Govinda are three partners in a firm, sharing profits and losses in the ratio of 4 : 3 : 1. The Profit and Loss Account of the firm for the year 1974 showed a net loss of Rs. 20,000 after charging the following items :—

(i) Interst on capital :-
Rama, Rs. 4,000 ; Krishna, Rs. 3,000 ; and Govinda, Rs. 2,000.

(ii) Salary :
Rama, Rs. 1,000 ; Krishna, Rs. 800 ; and Govinda, Rs. 2,000.

(iii) Taxable income of Rama from other sources was Rs. 8,000, while Krishna and Govinda had no other income.

Explain how assessment would be made (a) when the firm is registered and (b) when it is unregistered.

2. P Co., Ltd., an Indian Company, manufactures and produces aluminium utensils and sheets. 65% of its equity share capital of Rs. 10 lakhs has always been held by three individuals who promoted the Company, while the balance of 35% is held by the general public. The book value of its Plant and Machinery as at the last date of the previous year for the assessment year 1974-75 was Rs. 25 lakhs. The Company furnishes the following particulars of its income for the assessment year 1974-75 :—

	Rs.
Manufacturing profit before allowance of depreciation and development rebate	1,00,000
Depreciation admissible	60,000
Development rebate	80,000
Income from house property	1,75,000
Dividend income	50,000

The Company declares on 30th April 1974 a sum of Rs. 20,000 as the dividend for the accounting year relating to the assessment year 1974-75.

Assuming the Company's income-tax liability for the said assessment year is Rs. 1,00,000 only, discuss the Company's liability to additional income-tax, if any.

3. Hari is a clerk in an office whose salary is Rs. 250 a month. He owns Rs. 20,000, 4½ per cent Government securities and also a house built in 1945, whose municipal valuation is Rs. 1,000. He has let out one-third of the house at Rs. 40 a month. The rest of the house is used by him for his own residence. The house is mortgaged for a loan and the interest on the mortgage was Rs. 300 for the year which remained unpaid. The municipal taxes paid in respect of the house was Rs. 150. Ascertain his income from house property, as also his total income.

4. Mr. Bell is employed at a monthly salary of Rs. 3,000. He contributed 10% of his salary to a recognised Provident Fund. During 1972-73 he paid Rs. 6,000 on his own life and deposited Rs. 3,000 in a 15-Year Post Office Savings Bank (C.T.D.) Account. Compute his total income for the assessment year 1973-74 and state the amount of deduction or rebate to which he would be entitled.

5. A Hindu undivided family was carrying on the business of import and export. The family paid to the karta Rs. 1,000 per month (Rs. 12,000 per annum (during the year ending 31st March 1974 for carrying on the business of the family. The family claimed this amount as a necessary and permissible business deduction which was rejected by the Income-tax Officer on the ground that there was no agreement to pay such remuneration. Is the action of the Income-tax Officer justified in law?

6. Write short notes on any of the following :—

(i) Agricultural Development Allowance.
(ii) Best judgment assessment.
(iii) Capital asset.
(iv) Power to call for information.
(v) Rectification of mistakes.
(vi) Intimation of loss.

7. What is double taxation? State the provisions of the Income-tax Act offering relief against double taxation.

8. What do you mean by Deferred Revenue Expenditure? Give some examples.

9. Write a short note on the valuation of Closing Stock.

Sri Venkateswar university

March 1974, Paper I

1. "Casual receipts" are exempt from income-tax. State the various exceptions engrafted on this general principle.

2. Mention the various categories of income of other persons deemed to be the income of the persons sought to be taxed under the provisions of Income-tax Act, 1961.

3. Enumerate the deductions and reliefs available under provisions of Income-tax Act in respect of income from 'Property'.

4. Explain briefly the recent amendments in taxation provisions in respect of charitable and religious trusts.

5. What are the non-taxable perquisites applicable to employees under the Income-tax Act ?

6. Bring out clearly the provisions of the Income-tax Act dealing with priority in allowance of depreciation, development rebate and business losses in computing business income.

7. What are the expenditures not deductible in computing the income from business under the provisions of the Income-tax Act, 1961?

8. Explain clearly the scope of the definition "Capital assets" and enumerate the exceptions.

9. State in brief the modes of recovery of taxes under the Income-tax Act.

10. Write short notes an any *three* of the following :—
 (a) Losses in speculation business.
 (b) Non-resident.
 (c) Assessment of unregistered firm.
 (d) Agricultural income.
 (e) Claim of Bad Debts in computing business income.

March 1974

Paper II

1. The net profits of Electric Switchgear Company, Ltd., for year ended on 30th June 1973 was Rs. three lakhs. Compute the total income of the company and calculate the tax after considering the following information relating to the debits in the Profit and Loss Account :—

 (i) As per the Board's resolution, the company donated Rs. 25,000 to Prime Minister's Relief Fund.
 (ii) Loss on sale of machinery of Rs. 5,000 was debited to Profit and Loss Account.
 (iii) The Company made a provision of Rs. 10,000 for Bad and Doubtful Debts.
 (iv) Entertainment expenditure incurred was Rs. 2,000.
 (v) Rs. 25,000 was paid as penalty for late execution of contracts.

(vi) The Company secured loan from a Bank and incurred Rs. 5,000 for stamp and registration charges in connection therewith.

(vii) The Company also incurred Rs. 8,000 by way of underwriting commission in respect of fresh issue of shares for widening its capital base.

2. The Profit and Loss Account of Messrs. Ramgopal and Company for the year ending 31st December 1973 is as follows :—

	Rs.		Rs.
To Salaries	5,000	By Gross Profit	78,000
,, Salary to partner	3,000	,, Interest on Fixed Deposit	2,000
,, Commission to partner	3,000	,, Dividend income	1,000
,, Shop rent paid to partner	3,000		
,, Income-tax	4,000		
,, presentations	1,000		
,, Depreciation	8,000		
,, Fees paid to Advocate for Income-tax appeal	2,000		
,, Bad Debts	2,000		
,, Net profit	50,000		
	81,000		81,000

Compute the total income of the firm for 1974-75 assessment and calculate the tax.

3. Babu negotiated with Krishna for sale of his property and received Rs. 15,000 as earnest money in 1972. Krishna failed to pay the stipulated price on the due date and the amount of Rs. 15,000 received as earnest money was forfeited. Babu sold the property in August 1973 for Rs. two lakhs. The property was purchased by him about 8 years before the date of sale for one lakh. Babu is having salary income of Rs. 1,000 per mensem and pays Rs. 3,000 as insurance premium and P.F. contribution per annum.

Compute his total income for the year 1974-75.

4. Ashok purchased a house on 1st June 1972 for Rs. one lakh. He took a loan of Rs. 20,000 at 12% per annum. He let out the property for Rs. 1,000 per mensem. He paid municipal taxes of Rs. 1,000. The building is insured, the annual premium being Rs. 500. He paid Rs. 300 to his servant for collection of rents. Compute his income from property for the assessment year 1974-75.

5. Prasad is an employee of Indian Pharmaceuticals drawing a salary of Rs. 2,000 per mensem. He is provided free accommodation (unfurnished) and free conveyance. He spent Rs. 1,000 towards entertainment expenses in the course of his duties which was reimbursed to him by the employer. Rs. 500 was spent for newspapers and general books. He paid Rs. 2,000 out of his agricultural income towards insurance premia. Compute his total income for 1973-74 assessment, assuming he has no other sources of income.

6. Write short notes on any *three* of the following :—

(i) Capital Expenditure.
(ii) Income-tax Appellate Tribunal.
(iii) Foreign Technicians.
(iv) Interest payable under Income-tax Act.
(v) Capital gains.

7. Bring out the importance of 'Status' under the Income-tax Act.

8. What is ex parte assessment and when is it resorted to? State the remedies open to an assessee against ex parte assessment.

9. "Income-tax is a tax on ,income'." Briefly explain this statement and enumerate the exceptions.

Karnatak university

April 1975 Accountancy

Income-tax Section—B.

1 Write short notes on any two of the following :

a) Assessment year
b) Resident
c) Causual income
d) Registered Firm

2 The following are the particulars of Mr. X a University Reader.

a) He was employed on 1st April 1973, with a basic salary of Rs. 500 plus dearness allowance at 10% of the salary.
b) He contributes 8% of the salary towards statutory Provident Fund, while the Uuniversity Contributed 12%.
c) As a Rector the University he received (1) an allowance of Rs. 100 p.m. (2) a rent-free bunglow of the annual municipal valuation of Rs. 540. (3) A servant who is paid Rs. 45 p.m. by the university, and (4) a motor car allowance of Rs. 45 p.m.
d) His income from examinership amounted to Rs· 1,150 and from Royalty Rs. 1,150,
e) He holds 150 shares of Rs. 50 each in a limited company on which a dividend of 12% is declared.
f) He received a prize of Rs. 500 in commonsence crossward competition.

g) He had an income from house property amounting to Rs. 10,000 (Net).

h) He pays L.I.P. of Rs. 1,500.

Find out his total income for the assessment year 1974-75.

3 A firm had three partners :—A, B and C with shares in the ratio of 4 : 3 : 1 respectively. The firms Profit and Loss Account for the C. Y. 1972, showed a net loss of Rs. 16,000 after charging the following items—interest on capital. A—Rs. 3,000; B—2,000; Rs. C—Rs. 1,000 and C's salary Rs. 2,000.

A's taxable income from other soucres was Rs. 15,000 while B & C had no other income.

Explain how the assessment would be Made

(a) when the firm is registered.

(b) when the firm is unregistered.

Or

What are the incomes totally exempted in the income-tax Act 1961 ?

BERHAMPUR (ORISSA)

Group—A

1. How would the following incomes be treated in the assessment of an individual who is 'resident and ordinarily resident' ?—

[a] Share of profits from an unregistered firm
[b] Share of income from a Hindu Undivided Family
[c] Profits on sale of Capital assets
[d] Income from agricultural land in Burma
[e] Interest on Tax-free securities

2. Describe the procedure of assessment in the case of discontinuance of a business of profession.

3. What do you understand by the 'Actual Cost' of an assest to the assessee ? Discuss the law relating to it fully.

4. What are the various authorities envisaged in the Income tax law, and what are their functions ?

Group—B

5. The following are the particulars of income of Smt. Suprava Das, Lecturer in Economics, Khallikote College, Berhampur;

[a] Salary @ Rs. 420 pm

[b] Dearness allowance @ Rs. 152 pm

[c] 4% Orissa Government Loan of Rs. 20,000 tax-free

[d] Dividends received in cash were : Orissa Cement Ltd.—Rs. 2,310; The Ganjam Wholesale Consumers' Co-operative Society Ltd.—Rs. 600

[e] She receives a remuneration of Rs. 75 pm for being the Programme Organiser of the NSS Unit of the Khallikote College.

[f] She paid Rs. 20 as commission to bankers for collection of interest.

Compute her total income for the assessment year 1973-74.

Ghanasyam and Radhesyam are partners in a registered firm sharing profits and losses equally. Their Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 1973 was as follows :

	Rs.		Rs.
To Miscellaneous Exp.	30,000	By Profit on sale of goods	1,00,000
„ Donations	1,000	„ Dividend (Net)	7,700
„ Reserve for Bad and Doubtful Debts	2,000	„ Interest on securities (Net)	15,400
„ Legal Charges	3,000		
„ Interest on Cap.			
Ghanasyam	1,000		
Radhesyam	1,500		
„ Profits :			
Ghanasyam	42,300		
Radhesyam	42,300		
	1,23,100		1,23,100

The item of Miscellaneous expenses includes salary of Ghanasyam Rs. 2,400 and that of Radhesyam Rs. 1,200. It also includes Rs. 1,500 in respect of the rent of the residential house of the two partners. The house is shared by two partners—half and half, according to terms of agreement. Depreciation on Plant and Machinery amounting to Rs. 3,000 and accrued interest on loan which amounts to Rs. 1,000 have not been provided for in the Profit and Loss Account above.

You are required to calculate the taxable income of the firm. Allocate the total income of the firm among the partners.

7. The Prabhat Manufacturing Co., Ltd., which is an Indian Company shows a gross total income of Rs. 10,00,000 for the previous year ending 31st December, 1972. During the previous year it had donated Rs. 1,60,000 to the National Defence Fund set up by the Central Government and Rs. 1,20,000 to the Berhampur University. The gross total income as stated above includes Rs. 2,00,000 being the profits of a newly established industrial undertaking, the capital employed being Rs. 10,00,000. The production was started two years earlier. There is also included a sum of Rs. 40,000 being dividends from another Indian Company not engaged in a priority industry.

Compute the total income of the Company

8. After serving for 32 years in Orient Paper Mills Ltd., Brajrajnagar, Sri Prabhat Kumar Misra retires from service on 1st January, 1973. The Company pays him a gratuity of Rs. 35,000. His monthly basic salary during the years 1969, 1970, 1971 & 1972 was Rs.1,200: Rs. 1,400: Rs. 1,600 and Rs. 1,800 respectively. His annual increment fall due on 1st January every year. You are required to determine the amount of gratuity exempt under the Income-tax Act.

9. Sri Sitaram Singhania has the following income for the previous year ended 31st March, 1973 :
   [a] Business Profit Rs. 1,00,000
   [b] Sohrt-term Capital Gains Rs. 60,000
   [c] Long-term Capital Gains not relating to land and building Rs. 60,000
   [d] Long-term Capital Gains not relating to land and building Rs. 60,000

   Compute the total income of Sri Singhania for the assessment year 1973-74.

BC C (H 6)

1974 (S)

Group—A

1. What is 'unabsorbed depreciation' ? Discuss the rules for deducting unabsorbed depreciation.
2. In the assessment of a Hindu undivided family what incomes are not treated as family income ?
3. Discuss the concession enjoyed by limited companies for shifting of industrial undertakings from urban area. Give illustration in support of your answer.
4. What is 'transferred balance' ? How is it treated in computation of tax liability of an assessee ?

Group—B

5. Sri Subhendu Patnaik is the General Manager of Ashoka Hotel Ltd., New Delhi. He gets a salary of Rs. 2,000 p.m. and a dearness allowance @ 8% of the salary. During the previous year 1972-73 he was out of India for three months and the salary and allowances for this period were paid to him abroad. He gets a house rent allowance of Rs. 400 p.m. and he pays Rs. 300 per month as rent of the house occupied by him for his residence. He owns a motor-car which is used by him for the purpose of his employment. He is a member of a recognised Provident Fund to which he contributes 10% of his salary and a similar amount is contributed by the employer. During the year he paid Rs. 2,000 as insurance premium on a policy on his own life for Rs. 25,000. Compute the taxable income of Sri Patnaik for the assessment year 1973-74.
6. Professor Pratap Chandra Mahanty has the following investments during the year 1972-73 :
   (a) Rs. 60,000 4½% Orissa Government Loan
   (b) Rs. 50,000 8% Debentures in Orient Paper Mills Ltd.
   (c) Rs. 20,000 8% Preference Shares in Orissa Cement Ltd.
   (d) Rs. 1,00,000 5% Tax-free Government of India Loan
   (e) Rs. 50,000 4% West Bengal Government Loan

(f) Rs. 60,000 7% Long-term Fixed Deposit in the United Bank of India

(g) Rs. 20,000 in Savings Account in a Cooperative Bank carrying an interest of 4%. No withdrawal was made during the year.

On 1st October, 1972 he sold his investment in Orissa Government Loan, the interest on which is payable on 30th June and 31st December, for Rs. 61,000. He bought Rs. 50,000 4% West Bengal Government Loan, the interest on which is payable on 30th June and 31st December, on 1st November, 1972. For the purpose of buying the West Bengal Government Loan he took a loan of Rs. 30,000 from his banker @ 5% and the balance of Rs. 20,000 were financed out of a previous loan taken for some other purpose at 6% per annum. The bank also charged 2% commission on realization of interest and dividend. Find out the income from 'interest on securities'.

7. Given below is the Profit and Loss Account of Messrs Bharat Timber Mart, Sambalpur for the year ended 31st March, 1973.

	Rs.		Rs.
To Opening Stock	30,000	By Sales	3,50,000
,, Royalties to the Forest Deptt.	2,00,000	,, Rent of Property	15,000
,, Sawing Charges	20,000	,, Interest on Securities	1,000
,, Audit Fees	500	,, Bank Interest	200
,, Repairs	1,000	,, Closing Stock	1,00,000
,, Ground Rent	600		
,, Commission for raising loan	1,000		
,, Bad Debts	500		
,, Reserve for Bad and Doubtful debts	2,000		
,, Charities and Donations	600		
,, Interest on Capital	1,500		
,, Provision for Income Tax	10,500		
,, Depreciation	2,500		
,, Net Profit	1,95,500		
	4,66,200		4,66,200

You are required to compute the total income of the assessee for the assessment year 1973-74.

8. A, B and C are three partners in an unregistered firm sharing profits and losses in the ratio of 6 : 3 : 1. Their capitals were A Rs. 60,000 B Rs. 20,000 and C Rs. 10,000. The Profit and Loss Account of the firm for the previous year 1972-73 showed a net profit of Rs. 30,000 after charging the following items :

(a) Salary to A @ Rs. 500 p m. and to C @ Rs. 100 p.m.

(b) Interest on Capital Account @ 6% per annum.

(c) Rent to B in whose building business was being carried on at Rs. 155 p.m.

(d) Interest on loan taken from B Rs. 625

Compute the total income of the firm and allocate it amongst the partners.

9. Machinery cost Rs. 4,00,000. Its written down value is Rs. 1,00,000. What would be the position as regard balancing depreciation or balancing charge, if it were sold for Rs. 60,000 ; Rs. 95,000 ; Rs. 1,40,000 ; Rs. 4,20,000 ?

BANGALORE UNIVERSITY

April 1975

1. (a) The following balances relate to Jupiter Insurance Society Limited. From them Prepare a Revenuc account.

	Rs.		Rs.
Claims	78,000	Premiums Received	3,02,000
Management expenses	28,000	Life Assurance Fund	23,00,000
Director's Fees	8,000	Interest Received	80,000
Doctor's Fees	6,000	Rent Received	20,000
Agents Commission	10,000	Annuities Paid	3,000
Depreciation	8,000	Audit Fees	1,000
Bonus for Premium	3,000		
Consideration for Annuities	33,000		
Surrender Values	18,000		

(i) Premiums due but not received Rs. 18,000.

(ii) Claims unpaid Rs. 6,000.

(b) Singareni Gos Company rebuilt and reequip part of their works at a cost of Rs. 7,50,000, The Part of the old works thus susperseded cost Rs. 4,50,000, Rs.30,000 is realised by the sale of old materials and old materials valued Re. 1,000 are used in the reconstruction and included in the cost of Rs. 7,50,000 mentioned above. The cost of labour and materials is 20% higher now than, when the old works were constructed.

Give Journal entries for recording the above transactions in the books of the company showing what amount should be charged to capital.

2. The following particulars relate to the manufacture of Radio cabinets for the year ended 31-12-1960.

Raw Material—

Opening Stock	64,000	Raw Materials Closing Stock	70,000
Purchases	2,30,000		

Import Duty	16,000	Depreciation on Plant and Machinery	13,000
Direct wages Paid	80,000		
Indirect wages	24,000		
Other Factory Expenses	43,000		

Number of cabinets manufactured 5,000. From above prepare a statement of cost of Production to show (a) Cost of Raw material Consumed. (b) Prime Cost. (c) Cost of Production and (d) Cost per cabinet manufactured.

3. From the Profit and Loss account of a merchant for the year ending 31st December 1972 as certain his taxable profit from business.

Profit and Loss account for the year Ending 31-12-1972

Officer Salaries	4,800	Gross Profit	35,532
General Expenses	2,530	Commission	1,205
Bad debts	2,100	Discount	751
Provision for Bad debts	3,000	Sundry Receipts	52
Fire Insurance Paid	400	Bad debts recovered	150
Advertising	2,500	Interest on Govt. Securities	2,800
Income-tax	2,375	Profit on Sale of Investments	2,840
Interest on Capital	1,000		
Rent	1,500		
Depreciation on Buildings	1,200		
Net Profit	20,355		
	43,330		43,330

Adjustments—

(a) General expenses include Rs. 500 given as Donation to Education Institution.

(b) The amount of depreciation allwoable in respect of buildings is Rs. 1,000.

(c) Included in advertising is Rs. 1,500 being the cost of permanent sign fixed on shop.

4. "A Auditor is not a Blood Hound but a watch Dog" Examine this statement and give your reasons.

5. (a) What it meant by continuous audit and to what class of business is it applicable ?

(b) What are the advantages of such an audit ?

6. What steps would you take before commencing the actual work of audit ?

7. (a) What is an audit Programme ? How is it prepared ?

(b) Give the advantages and dis-advantages of such a Programme.

8. How would you verify and value the following ?
   (a) Land and building.
   (b) Stock-in-trade.

9. (a) What are the duties of an auditor regarding the Provision for Depreciation ?

(b) Is there any difference, so far as fixed and floating assets are concerned ?

MYSOURE

May 1974

1. Critically examine the corporate Taxation policy of the Government of India in the light of the need for faster industrialisation.

2. What are the distinctive features of Companies (profits) Surtax Act 1964 ?

3. What do you understand by 'Section 104 companies' ? Critically examine the provisions of Income Tax Act 1961 as regards these companies.

4. "One of the main purposes of the removal of development rebate was to enforce financial discipline on companies." Does it hold good in a capital-starved Indian Economy ?

5. Write Short Notes on any Three of the following :—
   a) Taxation of Income of foreign companies in India.
   b) Deduction in respect of Inter-Corporate Dividends (Section 80 M)
   c) Deduction in the case of New industrial undertakings employing displaced persons etc. (section 80 H)
   d) Export Market Development Allowance (section 35 B)
   e) Rehabilitation Allowance (section 33 B)

6. a) How are the Dividends taxed under Income Tax Act in India ?
   b) An Indian company has the following dividend incomes for the Assessment year 1974-75 :—
   i) Dividends from an Indian company—50% attributable to profits on which no tax is payable by the declaring company under section 80 J—Rs. 50.000.
   ii) Dividends from an Indian company—75% of whose income is exemptible under I.T Act—Rs. 50,000.
   iii) Dividends from a foreign company out of profit derived in India—Rs. 20,000.

The only other income of the company during the previous year ended 31-3-74 is from its business amounting to Rs. 15,00,000. Compute the net amount of dividends on which tax payable. Give your reasons for excluding or including certain items.

7. Jaysons & Co is an Indian company. The majority of its shares are held by 4 individuals. The total share capital at issue is Rs. 5 lakhs. The book value of its plant and Machinery as on 31-3-73 was Rs. 13 lakhs.

Following are the further particulars available :

	Rs.
Profit before providing for deprecia-tion and development rebate	2.00,000
Depreciation as per I.T. Act.	1.40.000
Development rebate	1.60,000
Income from house property	3,50,000
Dividends from other companies	1.00.000

The company has distributed Rs. 40,000 as dividends for the year ended 31-3-73. The Income Tax liability for the same year is Rs. 20,000

You are to discuss the company's liability to additional income tax, if any, substantiating your answers with Income Tax Act provisions.

8. Solve the following two cases, quoting wherever necessary, from the relevant sections of the I. T. Act and from the Judicial pronouncements :

a) The Assessee, an Indian co, failed to deduct tax as source when paying commission to a non-resident as required under the I. T. Act. Treating the Indian company as an Assessee in default, the Income tax Authorities collected the tax from it. The Indian company, after payment of the tax demanded reimbursement from the non-resident but failed to make the recovery. The tax paid was accordingly written off and the Indian company claimed the amount so written off as a deduction in the computation of its assessable business profits either as a bad debt or as an expenditure wholly and exclusively incurred for the purposes of its business. Is the deduction admissible ?

b) Some employees of a company were prosecuted on a charge of murdering the manager in the course of riot and the company incurred costs in assisting the State in such prosecution. The accused employees were all acquitted. Is the expenditure on prosecution allowable as a deduction ?

9. The profit and loss Account of My company Ltd. an Indian company, for the year ended 31-3-73 was as under :—

	Rs		Rs
To op. stock	5,50,000	By Sales	81,69,000
,, Purchases	55,60,000	,, Rent of staff Quarters built in 1958	37,500
,, Rly fright, etc.	6,00,000	,, Closing stock	8,49,500
,, Salaries	4,50,000		
,, Directors' Fees	6,000		
,, Audit Fees	5,000		
,, Legal Expenses	50,000		
,, Welfare Expenses	10,000		

,, Repairs to Building and machinery	14,000		
,, General charges	25,000		
,, Interest paid	2,50,000		
,, Reserve for Bad debts	5,000		
,, Depeciation	10,000		
,, Managing Agent's Remuneration	30,000		
,, Deb. Sinking Fund	25,000		
,, Taxation Reserve	6,00,000		
,, General Reserve	1,00,000		
,, Proposed Dividend	6,00,000		
,, Balance to Balance sheet	1,66,000		
Rs.	90,56,000		90,56,000

Consider the following further information :

1. General charges include
   a) Rs. 1,000 Insurance of Staff quarters.
   b) Rs. 3,000 Repairs of staff quarters
   c) Rs. 3,000 Municipal Taxes on staff quarters.
   d) Rs. 1,000 donations

2. Welfare Expenses include Rs. 1,500 being cost of a pucca well built for the use of the employees.

3. Legal expenses include Rs. 500 paid to an advocate for conducting I.T. appeal and Rs. 2,000 in connection with the prosecution of Managing Agent for smuggling charges.

4. Repairs to the building include Rs. 10,000 being the cost of additions to business premises.

5. Allowable Depreciation Rs. 8,000. Compute the company's taxable total Income. Substantiate your answer.

10. Zora and Co Ltd. is an Indian company carrying on the business of manufacturing iron & steel. It closes its accounts every year on 31st December. It purchased a new steel rolling plant for its factory on 1-1-68 for Rs. 15,00,000. It was installed and brought into use on 1st June 68. Out of the cost of the plant a sum of Rs. 5,00,000 was met from a grant received from the government exclusively for the purchase of the said plant. It was destroyed by fire, which broke out in the company's factory on 1-1-71. It was insured with an insurance company and it received a claim of Rs. 3,00,000 on 15th Oct. 71, from the Insurance Company. The company also realised Rs. 5,000 by way of sale of the scrap. What is the assessable profits or loss under the I.T. Act in respect of plant destroyed by fire ?

SECTION A

I. How will you decide the question of residence of an individual and a Hindu undivided Family ? Explain fully.

II. Explain the method of determining annual value of house property. What deductions are allowed from such value to arrive at the taxable income ?

III. Write a short note either on "Deduction of Tax at Source" or "Advance Payment of Tax."

IV. What is the difference between avoidance of tax and evasion of tax ? Point out the circumstances in which the income of other persons is included in assessee's total income.

V. Ram & Co. is a registered firm with Ram, Shyam and Krishna as partners who share profits and losses in the ratio of 2:3:5 respectively.

The Profit and Loss Account of the firm for the year ended 31st March, *1974* disclosed a net profit of Rs. 1,20,000. The net profit was arrived at after debiting the following :—

(i) Salary to Ram Rs. 18,000,
(ii) Interest to Shyam Rs. 6,000,
(iii) Rent to Krishna Rs. 9,000.

Compute the total taxable income of the firm and each of the partners assuming that they had no other source of income.

VI. State with reasons whether the following are admissible as deductions in case of an individual businessman :—

(a) Wealth tax paid,
(b) Interest paid on account of inadequate advance payment of tax,
(c) Sales tax paid,
(d) Secret payment to Excise Inspector,
(e) Donation to a Political Party Rs. 1,000,
(f) Donation to P. University Rs. 5,000,
(g) Goods given away as charities Rs. 500,
(h) Purchased a typewriter for the office for Rs. 4,000.

VII. Mr. Radhey Shyam's income as a professor is as follows for the year ending 31st March, 1974 :—

	Rs.
Salary @ Rs. 1,500 P. M.	18,000
Dearness Allowance @ Rs. 100 P. M.	1,200
Honorarium as warden @ Rs. 100 P. M.	1,200

He has been allowed by the college a rent free unfurnished house for his residence. One gardner is also provided free of charge.

He contributes to a recognised Provident Fund @ 10% of his basic pay and dearness allowance. The college, however, contributes @ 20%.

He has maintained a car for his use for the whole year. He has paid Rs. 200 as Professional tax to Government, and spent Rs. 700 for purchase of books, and Rs. 600 for entertaining the guardians of his wards in the hostel.

He also paid insurance Premium amounting to Rs. 3,000 on his policies for Rs. 25,000.

You are required to compute his gross Total Income and net taxable income for the previous year ending 31st March, 1974.

VIII. Write short notes on any *four* of the following :—

(a) Previous year,

(b) Development Rebate,

(c) Appellate Tribunal,

(d) Capital Asset,

(c) Incidence of Tax,

(f) Regular Assessment.

SECTION

IX. Explain the following :—

(a) Declared Goods, (b) Taxable Turnover,

(c) Registered Dealer, (d) Sals TaAuthorities.

X. Brief explain the procedure for Assessment of Sales Tax in Harvana.